वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 53(2) के अनुसार 31 मार्च 2025 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि.221/02.16.001/2025-26

28 मई 2025
7 ज्येष्ठ 1947 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

(i) 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ii) 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

संजय मल्होत्रा

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - 400 001, भारत
फोन : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

संजय मल्होत्रा

उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव

टी. रबी शंकर

स्वामीनाथन जे.

पूनम गुप्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत नामित निदेशक

रेवती अय्यर

सचिन चतुर्वेदी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत नामित निदेशक

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

आनंद गोपाल महिंद्रा

वेणु श्रीनिवासन

पंकज रमणभाई पटेल

रवीन्द्र एच. धोलकिया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1)(डी) के अंतर्गत नामित निदेशक

अजय सेठ

नागराजू मद्दिराला

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र

सचिन चतुर्वेदी

उत्तरी क्षेत्र

रेवती अय्यर

दक्षिणी क्षेत्र

(26 मई 2025 की स्थिति)

प्रमुख अधिकारी

(26 मई 2025 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	एस. सी. मुर्मू
	विवेक दीप
	जयन्त कुमार दाश
	रोहित जैन
	राधा श्याम रथ
	अजय कुमार
	राजीव रंजन
	नीरज निगम
	पी. वासुदेवन
	आर. लक्ष्मी कांत राव
	अर्णब कुमार चौधरी
	चारूलता एस. कर
	अविरल जैन
	अजित रत्नाकर जोशी
	इन्द्रनील भट्टाचार्य
	सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
केंद्रीय कार्यालय	
केंद्रीय सतर्कता कक्ष	एन. सारा राजेंद्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	नीना रोहित जैन, मुख्य महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	राजेश कुमार मोरिया, मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग	उषा जानकीरामन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग	टी. के. राजन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	पुनीत पंचोली, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग	संजीव प्रकाश, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	रेखा मिश्र, प्रभारी परामर्शदाता
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	सुंदर मूर्ती, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	संगीता लालवानी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	शैलेंद्र त्रिवेदी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	गुणवीर सिंह, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	अनुजीत मित्रा, प्रभारी परामर्शदाता
प्रवर्तन विभाग	मिनल ए. जैन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	निशा नम्बियार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	सेशसाई जी., मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक
फिनटेक विभाग	शुभेंदु पति, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता विभाग	काया त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	वंदना खरे, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	जी. पी. बोरा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	राकेश त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग	योगेश के. दयाल, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विधि विभाग	उण्णिकृष्णन् ए., प्रधान विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	अनुपम प्रकाश, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग	के. निखिला, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	एन. सारा राजेंद्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग	मनोरंजन दाश, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	यारासी जयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
महाविद्यालय	**प्रधानाचार्य**
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	जयकिश
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई	माला सिन्हा
कार्यालय	**क्षेत्रीय निदेशक**
चेन्नई	उमा शंकर
कोलकाता	सुधांशु प्रसाद
मुंबई	सुमन राय
नई दिल्ली	रोहित पी. दास
शाखाएं	
अहमदाबाद	राजेश कुमार
आंध्र प्रदेश	ए. ओ. बशीर
बेंगलुरु	सोनाली सेनगुप्ता
भोपाल	रेखा चंदनावेली
भुवनेश्वर	सारदा प्रसन महांति
चंडीगढ़	विवेक श्रीवास्तव
देहरादून	अरविंद कुमार
गंगटोक	थॉट्डम जमांग
गुवाहाटी	सुश्मिता फुकन
हैदराबाद	चिन्मय कुमार
जयपुर	नवीन नंबियार
जम्मू	चंद्रशेखर आजाद
कानपुर	ईशान शुक्ला
लखनऊ	पंकज कुमार
नागपुर	सचिन वाय. शेंडे
पणजी	प्रभाकर झा
पटना	सुजीत कुमार अरविंद
रायपुर	रीनी अजित
रांची	प्रेम रंजन प्रसाद सिंह
शिमला	अनुपम किशोर
तिरुवनंतपुरम	थॉमस मैथ्यू
	प्रभारी अधिकारी (ओ-आई-सी)
अगरतला	सुरेंद्र निडर, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
आइजोल	टॉंगखोपाओ लुंगदीम, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर	चाँदनी मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक
इंफाल	एन. श्रीधर, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
कोच्चि	टी. वेंकटेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक
कोहिमा	सीबो नेखीनी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
इटानगर	अभिजीत मजूमदार, महाप्रबधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग	ओल्देन नोंगल्लुह,महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
श्रीनगर	अनूप कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक

विषय-वस्तु

		पृष्ठ संख्या
भाग एक: अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं		**1**
I.	**मूल्यांकन और संभावनाएं**	**1**
	2024-25 का मूल्यांकन	2
	2025-26 के लिए संभावनाएं	10
II.	**आर्थिक समीक्षा**	**17**
	वास्तविक अर्थव्यवस्था	18
	कीमतों की स्थिति	33
	मुद्रा एवं ऋण	44
	वित्तीय बाजार	54
	सरकारी वित्त	64
	बाह्य क्षेत्र	70
भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन		**86**
III.	**मौद्रिक नीति परिचालन**	**86**
	मौद्रिक नीति	87
	परिचालन ढांचा: चलनिधि प्रबंधन	90
	मौद्रिक नीति संचरण	96
	क्षेत्रवार उधार दरें	98
IV.	**ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन**	**101**
	ऋण वितरण	103
	वित्तीय समावेशन	104
	वित्तीय साक्षरता	106
V.	**वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन**	**108**
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	108
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	111
	विदेशी मुद्रा विभाग	112
VI.	**विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता**	**119**
	वित्तीय स्थिरता विभाग	120
	विनियमन विभाग	121
	फिनटेक विभाग	132

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

	पर्यवेक्षण विभाग	135
	प्रवर्तन विभाग	143
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	144
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	146
VII.	**लोक ऋण प्रबंधन**	**148**
	केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	149
	राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	152
VIII.	**मुद्रा प्रबंधन**	**156**
	संचलनगत मुद्रा से जुड़ी गतिविधियां	158
	मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना	159
	प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय	161
	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	162
IX.	**भुगतान और निपटान प्रणालियां और सूचना प्रौद्योगिकी**	**164**
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	164
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	172
X.	**संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी**	**179**
	संचार प्रक्रियाएं	180
	अंतरराष्ट्रीय संबंध	183
	सरकारी और बैंक लेखा	187
	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन	189
	आर्थिक और नीति अनुसंधान	192
	सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन	195
	विधिक मुद्दे	198
XI.	**अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन**	**200**
	अभिशासन संरचना	201
	मानव संसाधन विकास पहलें	202
	उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	208

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण 212

कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन 213

राजभाषा 215

परिसर विभाग 216

अनुबंध 219

XII. वर्ष 2024-25 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा 223

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 226

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का आय विवरण 227

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं 228

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण 231

लेखा संबंधी टिप्पणियां 236

अनुबंध I: प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2024 से मार्च 2025 252

अनुबंध II: सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय: अप्रैल 2022 से मार्च 2025 266

अनुबंध III: ग्राहक केंद्रित उपाय - अप्रैल 2022 से मार्च 2025 270

परिशिष्ट सारणियां 281

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

बॉक्स

II.2.1 : भारत की उत्पादकता वृद्धि के वाहक के रूप में आर एंड डी व्यय 30

II.3.1 : खाद्य मुद्रास्फीति में सातत्य और घरेलू उपभोग के स्वरूप में बदलाव 35

II.4.1 : ऋण के लिए स्थिर मांग के चालक 50

II.5.1 : पूंजी बाज़ार मीयाद स्प्रेड को क्या संचालित करता है? 56

II.7.1 : भारत की बाह्य एफ़डीआई प्रवृत्ति: भार मॉडल से अंतर्दृष्टि 81

III.1 : विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन से चलनिधि प्रबंधन में चुनौतियां 93

VI.1 : रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) 126

VI.2 : सीमा पार सहयोग के माध्यम से पर्यवेक्षी आयामों की खोज 141

VII.1 : राज्य सरकारों के लिए वित्तीय समायोजन सुविधाओं की समीक्षा 153

VIII.1 : बैंकनोट के टुकड़ों/ब्रिकेट्स का टिकाऊ उपयोग 157

IX.1 : प्रोजेक्ट नेक्सस: एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को आपस में जोड़ना.... 168

X.1 : केंद्रीय बैंकों द्वारा पॉडकास्ट - एक विशिष्ट डिजिटल संचार उपकरण 183

X.2 : सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था की रूपरेखा, 2024-27 184

X.3 : सरकारी लेन-देन में दक्षता लाने के लिए पहल 188

X.4 : अनिश्चितता के युग में आरक्षित निधि प्रबंधन 189

X.5 : बदलती वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्थानीय मुद्रा में निपटान 191

XI.1 : भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) - आंतरिक समीक्षा 208

XI.2 : रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) – एक दशक से अधिक अवधि के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव 210

XI.3 : लेखा-परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) 213

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट सारणियां

1.	समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	281
2.	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)	283
3.	सकल बचत	284
4.	मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण	285
5.	पूंजी बाजार - प्राथमिक एवं द्वितीयक	286
6.	मुख्य राजकोषीय संकेतक	287
7.	केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	288
8.	भारत का समग्र भुगतान संतुलन	289
9.	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह: देश-वार और उद्योग-वार	290

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एसीसी - एशियाई परामर्शदात्री परिषद

एसीयू - एशियाई मुद्रा संघ

एडी - अधिकृत डीलर

एडी कैट-I - अधिकृत डीलर श्रेणी-I

एडीएफ - आस्ति विकास निधि

एईडी - (संयुक्त) अरब अमीरात दिरहम

एई - विकसित अर्थव्यवस्थाएं

एईपीएस - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली

एएफ़ए - प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक

एएफएस - बिक्री के लिए उपलब्ध

एआई - कृत्रिम बुद्धिमत्ता

एआईएफआई - अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

एएमएल - धन शोधन निवारण

एएमएल-सीएफटी - धन शोधन निवारण – आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम

एएमआरएमएस - लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली

एएमएस - लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली

एएनबीसी - समायोजित निवल बैंक ऋण

एओ - लेखापरीक्षित कार्यालय

एपी - अधिकृत व्यक्ति

एपीबीएस - आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली

एपीआई - एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस

एपीआर - वार्षिक प्रतिशत दर

एआरसी - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी

एआरई - उपलब्ध वास्तविक इक्विटी

एआरआईएमए - स्वत: प्रतिगामी एकीकृत गतिशीलता औसत

एआरएमएस - लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति

एएसआईएसओ - स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट

एएसटीआरए - उन्नत सुरक्षा खतरा और जोखिम मूल्यांकन

एटीबी - नीलामी खज़ाना बिल

एटीएम - स्वचालित टेलर मशीन

एयूएम - प्रबंधनाधीन आस्तियां

बी2बी - व्यापार-से-व्यापार

बी2सी - व्यापार-से-उपभोक्ता

बीए - व्यापार क्षेत्र

बीबीए - द्विपक्षीय उधार समझौते/करार

बीबीपीओयू - भारत बिल भुगतान परिचालन इकाईयां

बीबीपीएस - भारत बिल भुगतान प्रणाली

बीसी - कारोबार प्रतिनिधि

बीसीबीएस - बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति

बीसी-आईसीटी - कारोबार प्रतिनिधि - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

बीसीएम - कारोबार निरंतरता प्रबंधन

बीसीपी - कारोबार निरंतरता योजना/बासेल मूल सिद्धांत

बीई - बजट अनुमान

बीएफएस - वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

बीजी - बैंक गारंटी

बीएचआईएम - भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी

बीआईएस - अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक/भारतीय मानक ब्यूरो

बीआईएसआईएच - अंतरराष्ट्रीय निपटान इनोवेशन हब बैंक

बीओई - बैंक ऑफ इंग्लैंड

बीओजी - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

बीओजे - बैंक ऑफ जापान

बीओपी - भुगतान संतुलन

बीपीएस - आधार अंक

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

बीपीएसएस	-	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
बीक्यूआर	-	भारत त्वरित प्रतिक्रिया
बीआरबीएनएमपीएल	-	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
बीआरआईसीएस	-	ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीएसबीडीए	-	मूल बचत बैंक जमा खाता
बी-एससी	-	बिल्डिंग उप -समिति
बीएसआर	-	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी
सीए	-	समवर्ती लेखापरीक्षा
सीएबी	-	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीएडी	-	चालू खाता घाटा/साइबर जागरूकता अभियान
सीएएफआरएएल	-	उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र
सीएजी	-	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएएमएस	-	केस प्रबंधन प्रणाली
सीएएस	-	केंद्रीय लेखा अनुभाग
सीबीडीसी	-	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
सीबीडीसी-आर	-	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-खुदरा
सीबीडीसी-डब्ल्यू	-	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-थोक
सीबीपी	-	क्षमता निर्माण कार्यक्रम
सीबीयूएई	-	संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक
सीसीबी	-	केंद्रीय बोर्ड की समिति
सीसीआईएल	-	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीआईआर	-	व्यापक क्रेडिट सूचना भंडार
सीसीपी	-	केंद्रीय प्रतिपक्ष
सीसीएस	-	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
सीडी	-	जमा प्रमाणपत्र
सीडी	-	जमाराशियों की तुलना में ऋण
सीडीएम	-	नकद जमा मशीन
सीईओ	-	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईओबीई	-	तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण
सीईपीडी	-	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
सीईआरटी -इन	-	कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम -भारत
सीएफ	-	आकस्मिकता निधि
सीएफएल	-	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएफ़ओ	-	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सीजीए	-	महालेखानियंत्रक
सीजीएफएस	-	वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति
सीजीटीएमएसई	-	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट
सीआईसी	-	संचलनगत मुद्रा
सीआईसी	-	क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
सीआईआई	-	महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना
सीआईएमएस	-	केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली
सीआईएन	-	कॉरपोरेट पहचान संख्या
सीआई	-	ऋण संस्थाएं
सीएमबी	-	नकद प्रबंधन बिल
सीएमई	-	पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र
सीएमआईई	-	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीएमएस	-	शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीओडी	-	केंद्रीय कार्यालय विभाग
सीओआर	-	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीओएस	-	पर्यवेक्षक महाविद्यालय
सीपीएफआईआर	-	केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री
सीपीएचएस	-	उपभोक्ता पिरामिड परिवार सर्वेक्षण
सीपीआई	-	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-एएल	-	कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

सीपीआई-आईडब्ल्यू	-	औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई
सीपीआई-आरएल	-	ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई
सीपी	-	वाणिज्यिक पत्र
सीपीएस	-	केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
सीपीटीएस	-	ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग प्रणाली
सीआरए	-	आकस्मिक आरक्षित मुद्रा व्यवस्था
सीआरबी	-	आकस्मिक जोखिम बफर
सीआरएआर	-	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरबी	-	आकस्मिक जोखिम बफर
सीआरडीसी	-	मुद्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र
सीआरआईएलसी	-	बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार
सीआरआर	-	नकद आरक्षित अनुपात
सीएसएए	-	स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा
सीएसएपी	-	साइबर सुरक्षा संवर्धन योजना
सीएसबीडी	-	कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीएसएफ	-	समेकित ऋण शोधन निधि
सीएसजीएल	-	घटक सहायक सामान्य खाता बही
सीएसपी	-	क्लाउड सेवा प्रदाता
सीएसएस	-	केंद्र प्रायोजित योजना
सीटीएस	-	चेक ट्रंकेशन सिस्टम
सीयू	-	क्षमता उपयोग
सीयूजी	-	सीमित उपयोगकर्ता समूह
सीवीसी	-	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	-	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीवीपीएस	-	मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली
सीडबल्यूपी	-	जनता के पास मुद्रा
डीबीआईई	-	भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
डीबीटी	-	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीसीबी	-	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीसीएम	-	मुद्रा प्रबंध विभाग
डीसीडब्ल्यू	-	विकास केंद्र कार्यशाला
डीडी	-	डिमांड ड्राफ्ट
डीईएएफ़	-	जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष
डीईआईओ	-	बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
डीईपीआर	-	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
डेव सेक ओपीएस	-	विकास, सुरक्षा और परिचालन
डीजीबीए	-	सरकारी और बैंक लेखा विभाग
डीजीएफ	-	डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क
डीजीएफ़टी	-	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीजीआई	-	डेटा अंतराल पहल
डीआईसीजीसी	-	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	-	जमा बीमा निधि
डीआईपीपी	-	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
डीआईएस	-	जमा बीमा प्रणाली
डीआईएससीओएम	-	वितरण कंपनियां
डीआईटी	-	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएलए	-	डिजिटल लेंडिंग ऐप
डीएलजी	-	डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी
डीएलटी	-	वितरित खाता प्रौद्योगिकी
डीएमएस	-	डेटा-वार मासिक विवरण
डीएमटी	-	घरेलू मुद्रा अंतरण
डीओसी	-	संचार विभाग
डीओआर	-	विनियमन विभाग
डीओएस	-	पर्यवेक्षण विभाग
डीपीआई	-	डिजिटल भुगतान सूचकांक/डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	-	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
डीपीएसएस	-	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

डीक्यूई - डेटा क्वेरी इंजन
डीक्यूआई - डेटा गुणवत्ता सूचकांक
डीआर - आपदा बहाली
डीएसआईएम - सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
ईए - प्रभावी मूल्यांकन
ई-बीएएटी - इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण
ईबीआईटीडीए - ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले का अर्जन
ईबीएलआर - बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर
ईबीआर - तत्व-आधारित भंडार
ईसीबी - यूरोपीय केंद्रीय बैंक / बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीसीटीआई - एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान
ईसीएफ़ - आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क
ईसीएल - अपेक्षित ऋण हानि
ईसीएलजीएस - आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
ईसीएस - इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईडीसी - कार्यपालक निदेशक समिति
ईडीडीपीई - डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम का विस्तार और गहनता
ईईएफ़सी - विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
ईएफडी - प्रवर्तन विभाग
ईजीआरसी - उद्यम अभिशासन जोखिम और अनुपालन
ईकेपी - एंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल
ईएमडीई - उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई - उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईओआई - एक्स्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट
ईपीएफ़ओ - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईआरएम - उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
ईआरपी - उद्यम संसाधन योजना
e₹- - डिजिटल रुपया
e₹-आर - डिजिटल रुपया - खुदरा
e₹-डबल्यू - डिजिटल रुपया - थोक
ईएस - अपेक्षित कमी
ईएसजी - पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन
ईटीसीडी - एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स
ईटीपी - इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
ईयू - यूरोपीय संघ
ईडब्ल्यूएस - प्रारंभिक चेतावनी संकेत/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफ़एसीई - उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए फिनटेक संघ
एफ़एसीटी - वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण
एफएई - प्रथम अग्रिम अनुमान
एफ़एआर - पूर्णतः सुलभ मार्ग
एफएटीएफ - वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एफबीआईएल - फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एफबी - विदेशी बैंक
एफसी - वित्त आयोग/वित्तीय समूह
एफसीए - विदेशी मुद्रा आस्तियां
एफसीबी - विदेशी केंद्रीय बैंक
एफ़सीआई - वित्तीय स्थिति सूचकांक/भारतीय खाद्य निगम
एफसीएनआर(बी) - विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)
एफसीआरए - विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम
एफ़सीवाई - विदेशी मुद्रा
एफ़डीआई - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ़ई - अंतिम अनुमान
एफ़ईडी - विदेशी मुद्रा विभाग
एफ़ईएमए - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एफ़ईपीए	-	वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम
एफ़ईआर	-	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि
एफ़ईटीपी	-	वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
एफ़एफ़एमसी	-	पूर्ण रूप से धन परिवर्तक
एफआईएपी	-	वित्तीय समावेशन कार्य योजना
एफआईसीएन	-	नकली भारतीय मुद्रा नोट
एफ़आईडीडी	-	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
एफआईएफ	-	वित्तीय समावेशन निधि
एफआई-इंडेक्स	-	वित्तीय समावेशन सूचकांक
फिनटेक	-	वित्तीय प्रौद्योगिकी
एफआईपी	-	वित्तीय समावेशन योजना/वित्तीय सूचना प्रदाता
एफ़आई	-	वित्तीय मध्यस्थ/वित्तीय संस्थान
एफ़आईआरआरआई	-	जोखिमपूर्ण घटनाओं की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा
एफ़आईटी	-	लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
एफ़आईयू	-	वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता
एफ़एलसी	-	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफ़एलडबल्यू	-	वित्तीय साक्षरता सप्ताह
एफएमसीबीजी	-	वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर
एफ़एमसीजी	-	शीघ्र विक्रेय/ खपत वाली उपभोक्ता वस्तुएं
एफ़एमआई	-	वित्तीय बाज़ार अवसंरचना
एफएमओडी	-	वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग
एफएमआरडी	-	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
फोरेक्स /एफएक्स	-	विदेशी मुद्रा
एफपीआई	-	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	-	अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव
एफपीएस	-	त्वरित भुगतान प्रणाली
एफआरएमएस	-	धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एफआरआरआर	-	निर्धारित दर रिवर्स रेपो
एफआरएसबी	-	अस्थायी दर बचत बॉण्ड
एफ़एसए	-	वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन
एफएसएपी	-	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसबी	-	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडी	-	वित्तीय स्थिरता विभाग
एफएसडीसी	-	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी	-	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप-समिति
एफ़एसआई	-	वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे
एफ़एसआर	-	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफ़एसआर	-	वित्तीय क्षेत्र विनियामक
एफडब्ल्यूजी	-	फ्रेमवर्क कार्य समूह
जी -20	-	20 देशों का समूह
जीसीसी	-	सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीसीएफ	-	सकल पूंजी निर्माण
जीसीएम	-	अभिशासन और अनुपालन प्रबंधक
जीडीपी	-	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएम	-	सरकारी ई-बाज़ार
जीएफसीई	-	सरकार का अंतिम उपभोग व्यय
जीएफसीएफ	-	सकल निर्धारित पूंजी निर्माण
जीएफडी	-	सकल राजकोषीय घाटा
जीएफआईएन	-	वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क
जीएफएसएन	-	वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल
गिफ्ट-सिटी	-	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
जीआईआई	-	वैश्विक इनोवेशन सूचकांक
जीएमएम	-	चरणों की सामान्यीकृत विधि
जीएनडीआई	-	सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीएनपीए	-	सकल अनर्जक आस्तियां
जीओआई	-	भारत सरकार
जीआरईईएन	-	नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और नीर संरक्षण
जीआरएफ	-	गारंटी उन्मोचन निधि

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

जीआरआईएचए	-	एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग
जीआरक्यू	-	कोटा की सामान्य समीक्षा
जीएसडीपी	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी - सेक	-	सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसटी	-	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	-	वस्तु और सेवा कर नेटवर्क
जीवीए	-	योजित सकल मूल्य
जी.वी.सी.	-	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ
जीडबल्यू	-	गीगावाट
एचएफसी	-	आवास वित्त कंपनियां
एचएफआई	-	उच्च आवृत्ति संकेतक
एचएफटी	-	ट्रेडिंग के लिए धारित
एचआई	-	श्रवण दोष
एचआरएमडी	-	मानव संसाधन प्रबंध विभाग
एचआरएम-एससी	-	मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति
एचएस	-	सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
एचटीएम	-	परिपक्वता तक धारित
आईए	-	आंतरिक लेखा परीक्षा
आईबीए	-	भारतीय बैंक संघ
आईसीआरआईईआर	-	अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद
आईसीटी	-	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई-सीआरआर	-	वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात
आईडी	-	अंतरराष्ट्रीय विभाग
आईडीएफ़	-	इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
आईडीजी	-	अंतर विभागीय समूह
आईडीएमडी	-	आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
आईडीआरबीटी	-	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
आईएफ़ए	-	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना
आईएफए डब्ल्यूजी	-	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य दल
आईएफएमआईएस	-	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली
आईएफएससी	-	भारत वित्तीय प्रणाली कोड / अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईएफएससीए	-	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएफटीएएस	-	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ
आईजीएएस	-	भारतीय सरकार के लेखांकन मानक
आईजीबी	-	भारत सरकार के बॉण्ड
आईजीबीसी	-	इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
आईजीआईडीआर	-	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आईजीआर	-	आंतरिक शिकायत निवारण
आईआईबीएम	-	भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान
आईआईबीएक्स	-	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
आईआईपी	-	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएमडी	-	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आईएमई	-	अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम
आईएमएफ़	-	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफसी	-	अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति
आईएमपीएस	-	तत्काल भुगतान सेवा
आईएमटी	-	तत्काल धन हस्तांतरण
आईएनबी	-	इंटरनेट बैंकिंग
इंड एएस	-	भारतीय लेखा मानक
आईएनएफ़आईएनईटी	-	भारतीय वित्तीय नेटवर्क
आईएनआर	-	भारतीय रुपया
आईओ	-	आंतरिक ओम्बड्समैन
आईओ	-	अंतरराष्ट्रीय संगठन
आईओएससीओ	-	इंटरनेशनल ऑर्गनाईज़ेशन ऑफ सेक्योरिटीज़ कमीशन

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

आईपीसी	-	अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ
आईपीओ	-	प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईपीपी	-	तत्काल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म
आईआरए	-	निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते
आईआरएसीपी	-	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
आईआरडी	-	ब्याज दर व्युत्पन्नी
आईआरएफ	-	अंतर-विनियामक मंच
आईआरएस	-	ब्याज दर स्वैप
आईएस	-	सूचना प्रणाली
आईएसपीआई	-	भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक
आईटी	-	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीईएस	-	आईटी-सक्षम सेवाएँ
आईटी-एससी	-	सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति
आईटीबी	-	मध्यवर्ती खज़ाना बिल
आईटीसी	-	भारतीय व्यापार वर्गीकरण
आईडब्ल्यूजी	-	आंतरिक कार्य समूह
आईडबल्यूएसटी	-	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
केसीसी	-	किसान क्रेडिट कार्ड
केएफ़एस	-	मुख्य तथ्य विवरण
केएलईएमएस	-	पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएँ (एस)
केआरआई	-	प्रमुख जोखिम संकेतक
केडबल्यूपी	-	किलोवाट पीक
केवाईसी	-	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	-	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	-	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलबी	-	लोड बैलेंस
एलबीएस	-	अग्रणी बैंक योजना
एलसी	-	साख पत्र
एलसीआर	-	चलनिधि कवरेज अनुपात

एलसीएस	-	स्थानीय मुद्रा निपटान
एलसीएसएस	-	स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली
एलईआई	-	कानूनी इकाई पहचानकर्ता
एलएफपीआर	-	श्रम बल भागीदारी दर
लिबोर	-	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एलएलएम	-	वृहत भाषा मॉडल
एलपीए	-	दीर्घ अवधि औसत
एलपीजी		तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलआरएस	-	उदारीकृत विप्रेषण प्रणाली
एलएसएफ	-	विलंब से जमा करने का शुल्क
एलएसपी	-	ऋण सेवा प्रदाता
एलटीएस	-	दीर्घावधि सहायता
एलटीवी	-	मूल्य की तुलना में ऋण
एम 3	-	व्यापक मुद्रा
एमएएनआई	-	मोबाइल एडेड नोट आईडेंटिफायर
एमएएस	-	मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर
एमसीए	-	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीएलआर	-	निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर
एमसीवी	-	मोबाइल सिक्का वैन
एमडी	-	मास्टर निदेश /प्रबंध निदेशक
एमडीएम	-	मोबाइल डिवाइस प्रबंधन
एमई	-	पारस्परिक मूल्यांकन
एमजीएनआरईजीएस	-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआईबीओआर	-	मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एमआईएस	-	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएल	-	मशीन लर्निंग
एमएम	-	मुद्रा गुणक
एमएनबीसी	-	विविध गैर-बैंकिंग कंपनियाँ
एमओई	-	त्रुटि ज्ञापन

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एमओएफ़	-	वित्त मंत्रालय
एमओओसी	-	व्यापक ओपेन ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एमओएसपीआई	-	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	-	समझौता ज्ञापन
एमपीसी	-	मौद्रिक नीति समिति
एमएसएफ	-	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसपी	-	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीएफ	-	मध्यम अवधि ढांचा
एमटीएसएस	-	धन हस्तांतरण सेवा योजना
एमवीपी	-	न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद
एनएबी	-	उधार लेने के लिए नए समझौते/करार
एनएबीएआरडी	-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	-	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनबीबीएल	-	एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
एनबीएफसी	-	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफआई	-	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ
एनसीसीडी	-	अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव
एनसीडी	-	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीएफई	-	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनसीएमसी	-	राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड
एनडी	-	नामित निदेशक
एनडीए	-	निवल घरेलू आस्तियां /अप्रकटीकरण करार
एनडीडीसी	-	गैर-वितरणीय व्युत्पन्नी संविदा
एनडीआई	-	गैर-ऋण लिखत
एनडीएलडी	-	नई दिल्ली के नेताओं का घोषणापत्र
एनडीएस-ओएम	-	तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान
एनडीटीएल	-	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईआर	-	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
एनईईआर	-	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनईएफटी	-	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनईएम	-	उत्तर-पूर्वी मॉनसून
एनईटीसी	-	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
एनएफए	-	निवल विदेशी आस्तियां
एनएफसी	-	गैर-खाद्य ऋण/नियर फील्ड संचार
एनजीसीएच	-	नेशनल ग्रिड समाशोधन गृह
एनजीएफ़एस	-	वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के लिए नेटवर्क
एनजीएसओसी	-	अगली पीढ़ी के सुरक्षा परिचालन केंद्र
एनजीटीए	-	अगली पीढ़ी का खज़ाना एप्लीकेशन
एनएचबी	-	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईएपी	-	राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम
एनआईबीएम	-	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान
एनआईपीएल	-	एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
एनआईएसटी	-	मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान
एनएलपी	-	प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
एनएनएमएल	-	निवल गैर-मौद्रिक देयताएं
एनओएफ़एचसी	-	गैर-परिचलित वित्त धारक कंपनियाँ
एनपीए	-	अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	-	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआई	-	राष्ट्रीय भुगतान इंटरफ़ेस
एनपीआईएसएच	-	घरेलू सेवा प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएं
एनआरसी	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एनआरई - अनिवासी (बाह्य)

एनआरआई - अनिवासी भारतीय

एनआरओ - अनिवासी साधारण

एनएसएफई - वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति

एनएसएफआई - वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति

एनएसएम - नोट सॉर्टिंग मशीन

एनएसओ - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

एनएसएसएफ - राष्ट्रीय लघु बचत कोष

एनयूसीएफडीसी - राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एनज़ेडडीपीयू - निवल-शून्य डेटा सार्वजनिक उपयोगिता

ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग

ओबीआईसीयूएस - ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण

ओडी - ओवरड्राफ्ट

ओईसीडी - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

ओएच - अस्थि विकलांग

ओआई - विदेशी निवेश

ओआईडी - विदेशी निवेश प्रभाग

ओआईएस - ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप

ओएलटीएएस - ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली

ओएमओ - खुला बाजार परिचालन

ओएमएसएस - खुला बाज़ार बिक्री योजना

ओओएच - आउट ऑफ होम

ओपेक - पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन

ओआरबीआईओ - भारतीय रिज़र्व बैंक के ओम्बड्समैन कार्यालय

ओटीसी - काउंटर पर

ओटीपी - वन टाइम पासवर्ड

पी2एम - व्यक्ति-से-व्यापारी

पी2पी - समकक्षीय

पीए - भुगतान एग्रीगेटर

पीएसी - जन जागरूकता अभियान

पीएडीओ - लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ

पीएएन - स्थायी खाता संख्या

पीबी - भुगतान बैंक

पीसीए - त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

पीडी - प्राथमिक डीलर

पीडीएस - सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पीई - प्रदर्शन मूल्यांकन

पीएफसीई - निजी अंतिम उपभोग व्यय

पीएफएमआई - वित्तीय बाज़ार अवसंरचना के सिद्धांत

पीएफएमस - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

पीआईबी - पत्र सूचना कार्यालय

पीआईडीएफ - भुगतान अवसंरचना विकास निधि

पीआईडीपीआई - जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण

पीएलएफएस - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

पीएलआई - उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन

पीएमजीकेएवाई - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

पीएमआई - क्रय प्रबंधक सूचकांक

पीएमएल - धन शोधन निवारण

पीएमयूवाई - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

पीओसी - अवधारणा का सबूत

पीओएल - पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक

पीओ - भुगतान आदेश

पीओएस - बिक्री केन्द्र

पीपीएसी - पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

पीपीआई - प्रीपेड भुगतान लिखत

पीपीपी - सरकारी निजी सहभागिता

पीआरएवीएएच - विनियामक एप्लीकेशन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

पीआरओआई	-	भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति
पीएसबी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएल	-	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण
पीएसएलसी	-	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र
पीएसओ	-	भुगतान प्रणाली परिचालक
पीएसपी	-	भुगतान प्रणाली भागीदार
पीएसएस	-	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
पीएसयू	-	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीटीपीएफसी	-	बाधारहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म
पीवीबी	-	निजी बैंक
पीडब्ल्यूबीडी	-	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति
क्यूआईपी	-	योग्य संस्थागत प्लेसमेंट
क्यूआर	-	त्वरित प्रतिक्रिया
आर-एंड-डी	-	अनुसंधान और विकास
आरएएससीआई	-	जिम्मेदार, जवाबदेह, सहायक, परामर्श प्रदत्त और संसूचित
आरएडबल्यू	-	जोखिम जागरूकता सप्ताह
आरबीआई	-	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	-	जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरबीआई ईपीएफ	-	भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि
आरबीआईएच	-	रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
आरबी-सीआरआईएस	-	रिज़र्व बैंक-जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली
आरबी-आईओएस	-	रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना
आरबीएस	-	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरबीएससी	-	रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज
आरसीए	-	मूल कारण विश्लेषण
आरसीसीएस	-	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
आरडीए	-	रुपया आहरण व्यवस्था
आरडीबी	-	रुपया मूल्यवर्गित बॉण्ड
आरई	-	संशोधित अनुमान
आरईबीआईटी	-	रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
आरई	-	विनियमित संस्थाएं
आरएफए	-	खातों की रेड फ्लैगिंग
आरएफआईडी	-	रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आरएफपी	-	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर एम	-	आरक्षित निधि
आरएमएबी	-	रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान
आरएमसी	-	जोखिम निगरानी समिति
आरएमडी	-	जोखिम निगरानी विभाग
आरओ	-	क्षेत्रीय कार्यालय
आरपीओ	-	रिकवरी पॉइंट ओब्जेक्टिव
आरपीएस	-	खुदरा भुगतान प्रणाली
आरआर	-	जोखिम रजिस्टर
आरआरबी	-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरई	-	वास्तविक इक्विटी की आवश्यकता
आरएस	-	विनियामक सैंडबॉक्स
आरटीजीएस	-	तत्काल सकल निपटान
आरटीआई	-	सूचना का अधिकार
आरटीएल	-	जोखिम सहनशीलता सीमाएँ
आरटीओ	-	रिकवरी टाइम ओब्जेक्टिव
एसएएफ	-	पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा
एसएकेएआर	-	केवाईसी/एएमएल जोखिमों का पर्यवेक्षी मूल्यांकन
एसए	-	वैधानिक लेखा परीक्षक
एसएएस	-	सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली
एसएएआर	-	मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक (संवृद्धि) दर
एसएएआरसी	-	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एसएएमडबल्यूएडी	-	उन्नत डिवाइस के साथ सुरक्षित ऑडिओ-विडियो बैठकें
एसएआरएफ़एईएसआई	-	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एसएटीएआरसी - सुरक्षा स्वचालन, खतरा विश्लेषण और प्रतिक्रिया केंद्र

एसबीई - पैमाना-आधारित प्रवर्तन

एसबीएस - श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली

एससीबी - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

एसडीएफ - विशेष आहरण सुविधा/स्थायी जमा सुविधा

एसडीएमएक्स - सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज

एसडीक्यूआई - सांख्यिकी डेटा गुणवत्ता सूचकांक

एसडीआर - विशेष आहरण अधिकार

एसडी-डब्ल्यूएएन - सॉफ्टवेयर परिभाषित-वाइड एरिया नेटवर्क

एसई - पर्यवेक्षित संस्थाएं

एसईएसीईएन - दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक

एसएफबी - लघु वित्त बैंक

एसएफडीबी - सार्कफाइनेंस डेटाबेस

एसएफएमएस - संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली

एसएफएमएस एमआई - एसएफएमएस सदस्य इंटरफ़ेस

एसएफटीपी - सिक्योर फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल

एसएफडब्ल्यूजी - सतत वित्त कार्य समूह

एसजीबी - सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड

एसजीएल - सहायक सामान्य खाता बही

एसजीआरबी - सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड

एसजीएस - राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ

एसएचजी - स्वयं सहायता समूह

एसआईपी - व्यवस्थित निवेश योजना

एसएलबीसी - राज्य स्तरीय बैंकर समिति

एसएलसीसी - राज्य स्तरीय समन्वय समिति

एसएलआर - सांविधिक चलनिधि अनुपात/श्रीलंकाई रुपया

एसएलएस - राज्य से जुड़ी योजनाएं

एसएमसीसी - सोशल मीडिया कमांड सेंटर

एसएमई - छोटे और मध्यम उद्यम

एसएमएस - लघु संदेश सेवा

एसएनए - एकल नोडल एजेंसी

एसएनए-स्पर्श - एकल नोडल एजेंसी – समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण

एसएनआरआर - विशेष अनिवासी रुपया

एसओसी - सुरक्षा परिचालन केंद्र

एसओपी - मानक परिचालन प्रक्रिया

एसपीडी - स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर

एसपीईसीटीआरए - बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋण रिपोर्टिंग और अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म

एसपीएमसीआईएल - सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एसआरओ - स्व-विनियामक संगठन

एसआरवीए - विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता

एस-एससी - कार्यनीतिक उप-समिति

एसएसओ - सिंगल साइन ऑन

एस-एसओसी - क्षेत्रीय सुरक्षा संचालन केंद्र

एसएससीआई - सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक

एसटी - अनुसूचित जनजाति

एसटीसी - अल्पावधि व्यापार ऋण

एसटीसीबी - राज्य सहकारी बैंक

एसडबल्यूआईएफ़टी - विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी

एसडब्ल्यूएम - दक्षिण-पश्चिम मानसून

टीएटी - टर्न अराउंड टाइम

टी बिल - खज़ाना बिल

टीई - प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

टीएफ़ - आतंकवाद वित्तपोषण

टीएफ़पी - कुल कारक उत्पादकता

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

टीजीएफआईएफएल	-	वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
टीआईएन	-	कर सूचना नेटवर्क
टीओटी	-	टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर
टीपीएस	-	प्रति सेकंड लेनदेन
टीआर	-	व्यापार रिपोजिटरी
टीआरईडीएस	-	व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली
टीएससीए	-	समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियाँ
यूएपी	-	उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म
यूएटी	-	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूसीबी	-	शहरी सहकारी बैंक
यूडीएवाई	-	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूडीसीएच	-	उपयोगकर्ता परिभाषित ग्राहक पदानुक्रम
यूआई/यूएक्स	-	उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस/उपयोगकर्ता अनुभव
यूके	-	यूनाइटेड किंगडम
यूएलआई	-	एकीकृत उधार व्यवस्था
यूओ	-	छत्र संगठन
यूपीआई	-	एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
यूआरसी	-	उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र
यूएसए	-	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	-	अमेरिकी डॉलर
यूएसएसडी	-	असंरचित पूरक सेवा डेटा
यूटी	-	संघ राज्य क्षेत्र
यूटीआई	-	विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता
यूटीएलबीसी	-	संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति
वीएएएस	-	एक सेवा के रूप में भेद्यता मूल्यांकन
वीएपीटी	-	भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण
वीएपीएक्स	-	बाह्य चरों के साथ चर स्वत: प्रतिगमन
वीसी	-	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
वीएफटी	-	मूल्य मुक्त हस्तांतरण
वीआई	-	नेत्रहीन
वीओआईसीई	-	प्रेरित करने, योगदान देने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राय व्यक्त करना
वीआरआर	-	परिवर्तनीय दर रेपो/स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग
वीआरआरआर	-	परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो
डबल्यूएसीआर	-	भारित औसत कॉल दर
डबल्यूएडीटीडीआर	-	भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर
डबल्यूएएफ़एएस	-	एक सेवा के रूप में वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल
डब्लूएएलआर	-	भारित औसत उधार दर
डबल्यूएएम	-	भारित औसत परिपक्वता
डबल्यूएएस	-	भारित औसत स्प्रेड
डबल्यूएवाई	-	भारित औसत प्रतिफल
डबल्यूबी	-	विश्व बैंक
डबल्यूईओ	-	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
डबल्यू जी	-	कार्य दल
डबल्यूएलए	-	व्हाइट लेबल एटीएम
डबल्यूएलएओ	-	व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर
डबल्यूएमए	-	अर्थोपाय अग्रिम
डबल्यूपीआई	-	थोक मूल्य सूचकांक
डबल्यूपीआर	-	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डबल्यूटीओ	-	विश्व व्यापार संगठन
एक्सबीआरएल	-	एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
एक्सएमएल	-	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज
ज़ेडआई	-	आंचलिक निरीक्षणालय
जेडटीसी	-	आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

इस रिपोर्ट को इन्टरनेट पर निम्नलिखित यूआरएल पर देखा जा सकता है
यूआरएल: www.rbi.org.in

*वर्ष 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025**

भाग एक: अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक विस्तार स्थिर गति से होता रहा, बावजूद इसके कि भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन, बढ़े हुए व्यापार तनाव और बढ़े हुए लोक ऋण के बीच संवृद्धि असमान रही। 2022 में की गई मौद्रिक सख्ती के विलंबित प्रभाव के साथ-साथ वस्तुओं की कीमतों में नरमी आने और आपूर्ति स्थिति सुगम बनने के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में कम हुई। तथापि, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में सेवा मुद्रास्फीति निरंतर बनी रहने से इन देशों में मुद्रास्फीति कम होने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने 2024 के मध्य तक उदार मौद्रिक नीति रुख अपनाया जिससे वित्तीय स्थितियां व्यापक रूप से सुगम बनीं। फिर भी, नीतिगत बदलावों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और प्रौद्योगिकीय शेयरों के बढ़े हुए मूल्यांकन के कारण वर्ष के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के निरंतर बने रहने के बावजूद पण्य व्यापार में धीरे-धीरे सुधार हुआ। बढ़ी हुई भू-आर्थिक और नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी प्रवाह अस्थिर रहा।

I.2 वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि वैश्विक व्यापार के अति संरक्षणवाद, बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण न केवल 3.7 प्रतिशत के अपने ऐतिहासिक औसत (2000-19) से नीचे रहने की संभावना है बल्कि 2024 के 3.3 प्रतिशत की संवृद्धि से भी कम हो सकती है। अवस्फीतिकारी स्थिति जारी रहने की उम्मीद है लेकिन उसकी गति धीमी रहेगी, और ईएमई की तुलना में एई के अपने लक्ष्य तक पहले पहुंचने की संभावना है। तदनुसार, कई केंद्रीय बैंकों ने, बढ़ते व्यापार तनावों, मंडराती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जोखिमों के प्रति सतर्क रहते हुए एक नरम चक्र की ओर रुख किया है। नीति निर्माताओं के सामने वित्तीय और समष्टि आर्थिक स्थिरता की रक्षा करते हुए संवृद्धि को समर्थन देने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को उपयुक्त रूप से निर्धारित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य है।

I.3 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 के दौरान, चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक वातावरण के बीच, समुत्थानशीलता प्रदर्शित की, जो मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित है। वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति कम हो गई और लक्ष्य से नीचे चली गई। वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ बैंक और गैर-बैंक तुलनपत्रों, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और पूंजीगत बफर के कारण लचीला और मजबूत बना रहा; जिससे ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में हो सकी। राजकोषीय मोर्चे पर, बेहतर कर राजस्व प्राप्ति के चलते, केंद्र सरकार ने व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयास जारी रखे। पूंजी प्रवाह अस्थिर रहने के बावजूद चालू खाता घाटा (सीएडी) मामूली रहने और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त रहने से बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ रहा।

* : जहां भी सूचना उपलब्ध है इस अध्याय को मार्च 2025 से आगे अद्यतन किया गया है।

I.4 वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी, जिसे निजी खपत में वृद्धि, बैंकों और कॉर्पोरेट के स्वस्थ तुलनपत्रों, सुगम वित्तीय स्थितियों और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर द्वारा समर्थन प्राप्त है। आपूर्ति शृंखला के दबावों में कमी, वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में नरमी और सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की संभावना के आधार पर उच्च कृषि उत्पादन 2025-26 में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। अन्य बातों के अलावा, व्यापार शुल्क नीतियों के निर्धारणों में बढ़ती अनिश्चितता के मद्देनजर वैश्विक वित्तीय बाजारों की अति अस्थिर स्थिति के कारण वित्तीय बाजार उतार-चढाव के छिटपुट दौर से गुजर सकता है। निर्यात क्षेत्र को बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, स्वावलंबी बनने वाली नीतियों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावित टैरिफ-युद्ध के जोखिम के चलते कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अमेरिका, ओमान, पेरू और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ बातचीत के तहत किए गए नए व्यापार सौदों के साथ-साथ 14 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) में भारत की भागीदारी व्यापार बढ़ाने में मदद कर सकती है। सुदृढ़ सेवा निर्यात और आवक विप्रेषण के कारण सीएडी स्थिति अनुकूल बने रहने की संभावना है, जो 2025-26 में प्रमुख रूप से नियंत्रण में होगी।

2. वर्ष 2024-25 का मूल्यांकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार[1], कमजोर निवेश, धीमी उत्पादकता वृद्धि, और उच्च ऋण स्तर जैसी संरचनात्मक चुनौतियों के कारण, वैश्विक संवृद्धि 2024 में 3.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 3.5 प्रतिशत) थी और 3.7 प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत (2000-19) से नीचे रही। इसके अलावा, आर्थिक गतिविधियों की गति कुछ एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक संवृद्धि में नरमी, लंबे भू-राजनीतिक तनाव और चीन के उपभोग मांग और संपत्ति बाजार में सुस्त वापसी से प्रभावित हुई। वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 के 6.6 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.7 प्रतिशत हो गई, जो क्रमिक रूप से की गई मौद्रिक सख्ती और आपूर्ति शृंखला बाधाओं में आई कमी के प्रभाव को परिलक्षित करती है। लेकिन वह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर बनी हुई है, जिसका एक बड़ा कारण है सेवा क्षेत्र में लगातार मूल्य दबाव।

I.6 वैश्विक पण्य व्यापार[2] की मात्रा में, आपूर्ति शृंखला के दबावों में कमी के कारण, 2024 में 2.9 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जबकि 2023 में इसमें 1.0 प्रतिशत की गिरावट आई थी। तथापि, भू-आर्थिक विखंडन और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों का प्रतिकूल असर वैश्विक व्यापार प्रवाह पर जारी रहा। महामारी का प्रकोप कम हो जाने पर यात्रा व्यय में निरंतर बहाली आने और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की मांग बनी रहने से सेवा व्यापार ने सुदृढ़ता प्रदर्शित की।

I.7 मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे लक्ष्य स्तरों के निकट आने से प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक वित्तीय स्थितियां काफी हद तक उदार बनी रहीं, जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधात्मक नीति में कमी की ओर बदलाव को दर्शाती हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल 2024 की पहली छमाही में नरम रहे किंतु वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान नए सिरे से मुद्रास्फीति चिंताओं और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग मौद्रिक नीति दिशापथों के चलते सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में फिर से वृद्धि हुई। सामान्य रूप से वैश्विक दर में कटौती चक्र के बीच उभरते बाजार और विकासशील

[1] वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, आईएमएफ।

[2] ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक अपडेट, अप्रैल 2025, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)।

अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल कम हुए। अमेरिकी डॉलर पूरे वर्ष मजबूत रहा, जिसके परिणामस्वरूप कई एई और ईएमई मुद्राओं पर अधोगामी दबाव पड़ा। वैश्विक इक्विटी बाजारों में, मूल्यांकनों के बढ़ने, परस्पर भिन्न स्वरूप की मौद्रिक नीतियों, अवस्फीति की धीमी गति, भू-राजनीतिक जोखिम और टैरिफ नीतियों की भावी दिशा संबंधी अनिश्चितता के चलते बीच-बीच में आई अस्थिरता के बावजूद, वृद्धि हुई।

I.8 ब्राज़ील ने वर्ष 2023-24 के लिए दिसंबर 2023 से भारत से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की और वर्ष के अंत में इसे दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के तीन देशों का एक ऐतिहासिक त्रिकुट बन गया। 'बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट' इस व्यापक विषय के तहत, ब्राजील अध्यक्षता में तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई: (क) भूख, गरीबी और असमानता का मुकाबला करना; (ख) टिकाऊ विकास के तीन आयामों को आगे बढ़ाना - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण; और (ग) वैश्विक अभिशासन संरचनाओं में सुधार करना। ब्राजील अध्यक्षता ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, सीमा पार भुगतानों का एकीकरण करने, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) की कमजोरियों को संबोधित करने, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने जैसी पहल की।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.9 कई विपरीत परिस्थितियों के बीच, स्थिर वैश्विक संवृद्धि की पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों, सक्रिय नीतिगत उपायों और निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय के बल पर 2024-25 के दौरान सुदृढ़ रही। यद्यपि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)[3] वृद्धि वर्ष 2024-25 में घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। आर्थिक क्रियाकलापों को, व्यय पक्ष पर उपभोग मांग और निवल निर्यातों में सुधार तथा आपूर्ति पक्ष में सक्रिय सेवा क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में सुधार, से सहायता मिली।

I.10 वर्ष 2024-25 में पर्याप्त जलाशय स्तरों और अनुकूल मौसम की स्थितियों के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र में योजित सकल मूल्य (जीवीए) में वृद्धि 4.6 प्रतिशत रही, जो सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के चलते खाद्यान्न के उल्लेखनीय उत्पादन द्वारा संचालित थी, जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि 2.7 प्रतिशत थी। प्याज और आलू के अधिक उत्पादन से बागवानी क्षेत्र ने भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। सरकार ने अभिनव किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाएं लाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन भी शुरू किया है, जो किसानों को पारदर्शी, कुशलक्षम, सुलभ और द्रुत सेवा वितरण सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार कृषि क्षेत्र में जलवायु-समुत्थानशीलता बढ़ाने और फसल की उपज में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन और उसके वितरण को बढ़ावा दे रही है।

I.11 वर्ष 2024-25 में, मुख्य रूप से विनिर्माण जीवीए में मंदी के कारण, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण क्षेत्र में 2024-25 की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि देखी गई, लेकिन अगली तीन तिमाहियों में इस वृद्धि में कमी आई, जो आधार प्रभाव और मांग की कमी, दोनों को परिलक्षित करती है। वर्ष के दौरान विस्तारित मानसून के चलते खनन क्षेत्र

[3] जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, इस रिपोर्ट में जीडीपी डेटा के सभी संदर्भ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी 2025 को जारी 'राष्ट्रीय आय 2024-25' के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) पर आधारित हैं।

में मंदी बनी रही, जिससे 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान खनन गतिविधि प्रभावित हुई। औसत से अधिक मानसून और अपेक्षाकृत हल्की सर्दी के कारण बिजली की मांग में कमी आई जिससे बिजली उत्पादन में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। निवेश वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र 2024-25 में भी प्रमुख रहा। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने कई प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में विकास की रफ्तार बनाए रखने में मदद की। नवंबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत पीएलआई योजना के तहत निवेश समग्र प्रतिबद्ध लक्ष्य के 57 प्रतिशत तक पहुंच गया।

I.12 वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र, जिसकी जीवीए में 64.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही, 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल आपूर्ति का मुख्य आधार बना रहा। निर्माण गतिविधि नरमी के बावजूद सुदृढ़ बनी रही और इसकी हिस्सेदारी 2012-13 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकारों के मजबूत व्यय के साथ-साथ अन्य सेवाओं में कारोबार की गति स्थिर बने रहने के कारण लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में तेजी रही, और उसमें पिछले आठ वर्षों में अपनी उच्चतम वृद्धि दर्ज की। इस बीच, व्यापार गतिविधि संवृद्धि में; और दूरसंचार ग्राहक आधार में वर्ष के दौरान में कमी आई।

I.13 वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा के अनुसार श्रम बाज़ार जनवरी- दिसंबर 2024 के दौरान समुत्थानशील रहा। महामारी के बाद कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में आई वृद्धि वर्ष 2024 में उलट गई, जबकि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अन्य सेवाओं, निर्माण और व्यापार क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी। शहरी क्षेत्रों से संबंधित अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान का त्रैमासिक पीएलएफएस डेटा भी मजबूत रोजगार की स्थिति का संकेत देता है।

I.14 जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध विश्व स्तर पर समन्वित कार्रवाई संबंधी अनिश्चितता के बावजूद, भारत अपने शमन और अनुकूलन प्रयासों पर केंद्रित रहा। यह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2025 में भी परिलक्षित होता है, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 से लगातार छठे वर्ष शीर्ष 10 उच्च प्रदर्शन करने वालों में स्थान प्राप्त किया है। 2024-25 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख रही। *प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत* 10 लाख से अधिक परिवारों ने छत पर सोलर पैनल लगवाए। वर्ष के दौरान नॅशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में प्रगति के अलावा ग्रीन स्टील मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किए गए। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (ई-ड्राइव) योजना के माध्यम से परिवहन प्रणाली को स्वच्छ बनाने के प्रयासों को मजबूत किया गया, जिसमें हरित परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण पारितंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी अपनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के उद्देश्य से किए गए उपाय, जैसे कि सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना, ग्रीन डिपॉजिट योजना और संशोधित पीएसएल दिशानिदेश के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्थन बढ़ाना, टिकाऊ विकास के लिए संसाधनों को सुविधाजनक बनाने के प्रति ठोस प्रतिबद्धता का प्रमाण देते हैं।

I.15 वर्ष 2024-25 के दौरान निविष्टि लागत के दबाव में आई कमी, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपाय और पिछले मौद्रिक नीति कार्यों के निरंतर प्रसारण से मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच गई। मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में 3.5 प्रतिशत की गिरावट और ईंधन में 2.5 प्रतिशत की अपस्फीति के चलते हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 के दौरान औसतन 4.6 प्रतिशत हो गई। कोर मुद्रास्फीति में गिरावट सभी वस्तुओं और सेवाओं में व्यापक आधार पर थी। वर्ष की दूसरी छमाही में कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि से प्रेरित थी।

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल शुल्क में बढ़ोतरी से भी सेवा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी आने के कारण लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन की कीमतें कम हुईं जिससे ईंधन मुद्रास्फीति में गिरावट आई। इसके विपरीत, मौसम के अनपेक्षित बदलाव से उत्पन्न कई आपूर्ति आघातों के कारण 2024-25 में खाद्य मुद्रास्फीति में बीच-बीच में तीव्र वृद्धि हुई और वह 6.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति अस्थिर रही। खाद्य मुद्रास्फीति ने वर्ष के दौरान अक्टूबर 2024 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मार्च 2025 तक अनपेक्षित रूप से घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई। एक ओर जहां सब्ज़ी मुद्रास्फीति ने वर्ष के दौरान अत्यधिक अस्थिरता का अनुभव किया, वहीं अनाज, फल, खाद्य तेल और मांस तथा मछली संबंधी मुद्रास्फीति तटस्थ बनी रही, जो आपूर्ति में कमी की स्थिति को दर्शाती है। घरेलू आयात शुल्क में वृद्धि और इंडोनेशिया द्वारा खाद्य तेलों पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने खाद्य मुद्रास्फीति को सख़्त बना दिया।

I.16 संवृद्धि-मुद्रास्फीति के परस्पर संबंध को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अक्टूबर 2024 में नीतिगत समायोजन रुख बदलकर तटस्थ की ओर किया, जिससे अवस्फीति और संवृद्धि पर दृष्टिकोण और प्रगति की निगरानी करने और बदलती स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए लचीलापन प्राप्त हुआ। इसके बाद, संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता ने संवृद्धि का समर्थन करने के लिए नीतिगत अवसर उपलब्ध कराया जिसके साथ एमपीसी ने फरवरी 2023 से 6.50 प्रतिशत पर जो स्थिति बनाए रखी थी उसे फरवरी 2025 में नीति रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। गत वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन, वर्ष के दौरान ही, प्रणालीगत चलनिधि, जो जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान अधिशेष में थी, दिसंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान कमी में चली गई। ऐसा संचलन में मुद्रा की उच्च वृद्धि और रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा संचालन के कारण हुआ। समग्र रूप से देखें तो वर्ष के दौरान चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बनी रही, जो चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण में परिलक्षित होता है, जो पिछले वर्ष के 485 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 के दौरान 1,605 करोड़ रुपये हो गई। रिज़र्व बैंक ने प्रणाली को टिकाऊ चलनिधि प्रदान करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 बीपीएस (25 बीपीएस के दो किस्त) तक कम करने के अलावा, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद, अमरीकी डॉलर/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और लंबी अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालन सहित बाजार परिचालनों का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया। भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) ने, 2024-25 के दौरान नीति रेपो दर से औसतन 6 बीपीएस ऊपर कारोबार किया।

I.17 घरेलू वित्तीय बाजार 2024-25 के दौरान, अनिश्चित वैश्विक वातावरण के बीच, समुत्थानशील रहे। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जिससे कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम में वृद्धि हुई। घरेलू शेयरों ने पहली छमाही में नई ऊंचाइयां दर्ज कीं लेकिन जीडीपी वृद्धि और कंपनियों की आय में नरमी, टैरिफ नीति में अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के सतत बाह्य प्रवाह से जुड़ी चिंताओं के बीच दूसरी छमाही में उसमें गिरावट आई। प्राथमिक बाजार गतिविधि में चौथी तिमाही में नरमी रहने के बावजूद वह 2024-25 में बेहतर बनी रही।

I.18 अमेरीकी डॉलर और यूएस आस्ति प्रतिफल मजबूत बने रहने के कारण भारतीय रुपए (आईएनआर) में कुछ गिरावट आई, लेकिन अपने कुछ ईएमई साथी देशों की तुलना में वह कम थी। इसके बावजूद, भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों ने, चालू खाता और राजकोषीय घाटा स्थिर और नरम रहने पर भी, आईएनआर के समयानुकूल विकास को संभव बनाया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सीमा

पार लेनदेन के लिए भागीदार व्यापारिक देशों की आईएनआर और स्थानीय मुद्राओं के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए और विदेशी मुद्रा लेनदेन करने में आसानी के लिए विनियामक, पर्यवेक्षी और प्राधिकृतिकरण ढांचे को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

I.19 वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रेपो दर में बदलाव का प्रसारण सुदृढ़ रहा। कुल बकाया अस्थायी दर ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण का अनुपात वर्ष के दौरान और बढ़ गया, और निधि की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) से संबद्ध ऋणों में समान रूप से गिरावट आई।

I.20 केंद्र सरकार ने अपनी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रतिबद्धता को पूरा किया, जिसके परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) कम होकर 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत तक हो गया [संशोधित अनुमान (आरई)] जो 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत[4] था। व्यय पक्ष को देखें तो प्रभावी पूंजीगत व्यय ने[5] 2023-24 में दर्ज 19.8 प्रतिशत से अधिक 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि राजस्व व्यय में वृद्धि 2024-25 (आरई) में 5.8 प्रतिशत थी। प्राप्ति पक्ष पर, सकल-कर और गैर-कर प्राप्तियों ने 2024-25 (संशोधित अनुमान) में क्रमशः 11.2 प्रतिशत और 32.2 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। अप्रैल 2024 - फरवरी 2025 के दौरान अनंतिम खातों के आंकड़ों से पता चलता है कि कर राजस्व वृद्धि में गिरावट और केंद्र सरकार से अनुदानों में गिरावट के कारण राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में मध्यम वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2024 - फरवरी 2025 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। फिर भी, राज्यों का समेकित जीएफडी 2024-25 में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के बजट अनुमान के भीतर रहने की संभावना है।

I.21 रिज़र्व बैंक ने राज्य वित्त सचिवों (एसएफएस) के 33वें सम्मेलन के तत्वावधान में गठित कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमाओं को संशोधित किया। राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाकर ₹60,118 करोड़ कर दिया गया जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। पहले यह सीमा ₹47,010 करोड़ थी। समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) सीमाओं को संशोधित किया गया ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नकदी प्रवाह में, उनकी अस्थायी विसंगति को प्रबंधित करने के लिए, अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।

I.22 भारत के पण्य निर्यात में 2024-25 में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले इसमें 3.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ था। वहीं दूसरी ओर वस्तुओं के आयात में इस अवधि में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में इसमें 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। परिणामस्वरूप, भारत का पण्य व्यापार घाटा 2024-25 के दौरान बढ़कर 282.8 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 241.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर था। बहरहाल, मजबूत सेवा निर्यात और आवक विप्रेषण में स्थिर प्रवाह से भारत के सीएडी को अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 1.1 प्रतिशत) के स्वीकार्य स्तर के भीतर बने रहने के लिए मदद मिली।

I.23 पूंजी प्रवाहों में वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव रहा। निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2024-25 के दौरान

[4] आंकड़े केंद्रीय बजट 2025-26 में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गणना सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों का उपयोग करके की गई है।

[5] पूंजीगत आस्ति सृजन के लिए पूंजीगत व्यय और सहायता अनुदान का जोड़।

0.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले के 10.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर से कम था। एफपीआई ने 2024-25 के दौरान 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष पहले 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवल प्रवाह दर्ज किया। बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं के संदर्भ में निवल पूंजी प्रवाह 2024-25 की पहली छमाही में सीएडी के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त से अधिक था, और तदनुसार, 23.8 बिलियन अमेरीकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में अभिवृद्धि हुई। तथापि दूसरी छमाही में स्थिति उलट गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह के साथ घरेलू बाजार में निवल ब्रिकी की। उल्लेखनीय है कि, ऋण खंड में निवल एफपीआई प्रवाह ने 2024-25 के दौरान 17.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर प्रवाह के साथ सुदृढ़ता प्रदर्शित की। पूंजी प्रवाह के अन्य रूप, जैसे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अनिवासी जमाराशियां मजबूत रहीं, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान निवल पूंजी प्रवाह सीएडी से कम हो गया, जिससे रिज़र्व में (बीओपी आधार पर) 37.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हो गई। कुल मिलाकर, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान रिज़र्व में 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। फिर भी, 11 महीने के पण्य आयात के भुगतान के लिए 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च अंत तक) के पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में मजबूत बफर ने बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं और प्रतिकूल वैश्विक प्रसार-प्रभाव को कम करने में मदद की।

1.24 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण-जमा अनुपात में वर्ष के दौरान मामूली वृद्धि हुई, क्योंकि बैंक ऋण-वृद्धि तुलनात्मक रूप से जमा-वृद्धि से अधिक रही। तथापि, ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया क्योंकि बैंकों ने वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए जमाराशियां जुटाने हेतु अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि जारी रखी। एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में और भी सुधार हुआ, जो सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात और निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात दोनों में कमी दिखाई देने और स्लिपेज अनुपात में लगातार गिरावट से स्पष्ट होता है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) के साथ-साथ लाभप्रदता संकेतक, अर्थात, आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) मजबूत रहे, जबकि निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम हुआ। पूंजी और चलनिधि बफर विनियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि सभी प्रतिकूल परिदृश्यों में बैंकों की कुल पूंजी न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से अधिक रहेगी।

I.25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए जाने वाले सकल ऋण में दिसंबर 2024 के अंत तक दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, जबकि जोखिम भार में वृद्धि किए जाने के कारण सुरक्षा-रहित ऋण वितरण में कुछ गिरावट रही। इस अवधि के दौरान लाभप्रदता संकेतकों और एनपीए अनुपात में और सुधार जारी रहा, और पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत रहा। एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋण पर जोखिम भार कम करके उसे 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया गया ताकि ऋण लेना सुगम हो सके और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

I.26 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की ऋण वृद्धि में दिसंबर 2024 के अंत तक सुधार हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मज़बूत पूंजी बफर और जीएनपीए अनुपात घटने के कारण यूसीबी के वित्तीय निष्पादन में भी सुधार हुआ।

I.27 अभिशासन, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और परिचालन समुत्थानशीलता को मजबूत करने की दिशा में वर्ष के दौरान वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कई विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देश जारी किए गए जो अन्य बातों के साथ-साथ: (क) ऋण संबंधी मॉडल जोखिमों के प्रबंधन सिद्धांतों; (ख) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के यूनिवर्सल बैंकों के रूप में

स्वैच्छिक अंतरण के लिए पात्रता मानदंड; (ग) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सुसंगतीकरण; और (घ) परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता बढ़ाने से संबंधित हैं।

I.28 पर्यवेक्षण क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के साथ जुड़ा रहा ताकि अभिशासन और आश्वासन कार्यों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित अपेक्षाओं को अवगत कराया जा सके। पर्यवेक्षी पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं (क) पर्यवेक्षी प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी तकनीकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषण समूह की स्थापना; (ख) वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख वैश्विक अधिकार क्षेत्रों के प्राधिकारियों के साथ औपचारिक संबंधों को स्थापित और गहरा करके अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत करना; (ग) एसई में जोखिम आंकड़ा एकत्रीकरण क्षमताओं और जोखिम रिपोर्टिंग पद्धतियों में कमियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए पर्यवेक्षी आंकड़ा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) का विकास; (घ) यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना; और (ङ) सभी एसई के ऑनसाइट / ऑफसाइट आकलन के माध्यम से साइबर जोखिम निरीक्षण को मजबूत करना।

I.29 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)-रिटेल (e₹-R) के संबंध में व्यक्ति-से-व्यक्ति (पीटूपी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पीटूएम) के प्रारंभिक उपयोग के मामलों से शुरू करके रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के दौरान उसे, ऑफ़लाइन और प्रोग्रामेबिलिटी सुविधाओं को शामिल करने के लिए पायलट प्रयास बढ़ाए। मार्च 2025 के अंत तक, e₹-खुदरा खंड में पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार 17 बैंकों तक किया गया था और दिसंबर 2022 में इसकी स्थापना के बाद से 60 लाख उपयोगकर्ता शामिल किए गए। इसे अधिक पैमाने पर अपनाए जाने और इसके वितरण में सुधार करने के लिए कुछ गैर-बैंक संस्थाओं को सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा e₹-थोक के दायरे को बढ़ाया गया और चार एकल प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को शामिल करने के साथ-साथ उसमें विविधता लाई गई।

I.30 भारत रणनीतिक रूप से एआई के लिए एक मजबूत पारितंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि इस उभरते क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। सरकार ने *इंडियाएआई मिशन* और तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) - स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों में एआई की स्थापना जैसे, कई प्रयास शुरू किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एआई नवाचार का समर्थन करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत तेजी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल के माध्यम से एक मजबूत सेमीकंडक्टर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।

I.31 वित्तीय पारितंत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसे अपनाए जाने पर निगरानी पर रिज़र्व बैंक का ध्यान है जिसके लिए 28 मई 2024 को 'फिनटेक रिपोजिटरी' की एक अनूठी पहल शुरू की गई। इस रिपॉजिटरी का उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं और उनकी प्रौद्योगिकी स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कि, एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) आदि को अपनाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 'एमटेक रिपोजिटरी' भी शुरू की गई। ये सुरक्षित वेब आधारित एप्लीकेशन हैं और इनका प्रबंधन रिज़र्व बैंक इन्नोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा किया जाता है। ये रिपॉजिटरियां समग्र क्षेत्रीय स्तर का डेटा, रुझान और विश्लेषण उपलब्धता कराएंगी, जो नीति निर्माताओं और सहभागी उद्योग सदस्यों, दोनों के लिए उपयोगी होंगे।

I.32 वर्ष 2024-25 के दौरान कुल डिजिटल भुगतान ने मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 34.8 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता ने भारत को वैश्विक वास्तविक समय भुगतान में 48.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के

साथ शीर्ष स्थान पर रखा है[6]। रिज़र्व बैंक ने 'भुगतान विज़न 2025' दस्तावेज में निर्धारित कार्यक्रम पत्र के अनुसार कार्य करना जारी रखा। 'समावेशन स्तंभ' के तहत, डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग को गहन करने के लिए 'प्रत्यायोजित भुगतान' (डेलिगेटेड पेमेंट्स) शुरू किया गया। यह सुविधा व्यक्तियों (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) द्वारा प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से एक सीमा तक यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, भुगतान प्रणाली की पहुंच को बढ़ावा देने और समावेशी विकास बढ़ाने के लिए सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि वे अपनी भुगतान प्रणालियों/उपकरणों की समीक्षा करें और दिव्यांग जनों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधन करें।

I.33 विनियामक प्रयासों ने साइबर सुदृढ़ता पर जोर देने के साथ धोखाधड़ी रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने और सूचना सुरक्षा तैयारियों को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) रिपोर्टिंग में वर्ष के दौरान बैंकों की विभिन्न श्रेणियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अभिशासन तंत्र भी निर्धारित किए गए।

I.34 डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को 'bank.in' के रूप में भारत में बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह पहल डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़ाने और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता करेगी। विशेष इंटरनेट डोमेन साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की पहचान करने में भी मदद करेंगे और आम जनता को होने वाले वित्तीय नुकसान की घटनाओं को कम करेंगे। इसी पहल के रूप में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए 'fin.in' के रूप में एक विशिष्ट डोमेन रखने का भी प्रस्ताव है।

I.35 सीमा-पार भुगतान क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल 'प्रोजेक्ट नेक्सस' में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत की तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को जोड़ना है।

I.36 रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई–इंडेक्स)[7], जो देश में वित्तीय समावेशन की व्याप्ति को मापता है, मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिसमें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के सभी तीन उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई। एफआई सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से 'उपयोग' उप-सूचकांक का योगदान रहा, जो वित्तीय समावेशन की गहरी पहुंच को परिलक्षित करता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) 2025 भी 24-28 फरवरी 2025 के दौरान 'वित्तीय साक्षरता - महिलाओं की समृद्धि' विषय पर मनाया गया, जिसमें महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

I.37 उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सुचारु दृष्टिकोण अपनाया। रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के तहत अपनाई गई प्रक्रियाओं को, दक्षता बढ़ाने के लिए, और अधिक परिष्कृत किया गया।

6 एसीआई वर्ल्डवाइड, 2024।

7 'मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक' पर रिज़र्व बैंक की 9 जुलाई 2024 को जारी प्रेस प्रकाशनी।

I.38 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के दौरान अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ मनाया जो रिज़र्व बैंक की नौ दशकों (आरबीआई@90) की विरासत को दर्शाते हैं, और आने वाले दशक (आरबीआई @100) के लिए रणनीतियों की दिशा दिखाते हैं। इस स्मरणोत्सव का शुभारंभ 1 अप्रैल 2024 को उद्घाटन समारोह के साथ किया गया, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री मुंबई में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। स्मरणोत्सव का समापन 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में भारत के महामहीम राष्ट्रपति की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ।

3. 2025-26 के लिए संभावनाएं

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.39 वर्ष 2025 और 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कई चुनौतियों से घिरा हुआ है, जैसे कि - अवस्फीति की गति कम होना; कई अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक सार्वजनिक ऋण; भू-राजनीतिक तनाव बना रहना; बढ़ा हुआ व्यापार तनाव; वित्तीय बाजार में अस्थिरता; और जलवायु आघात। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2025 में 2.8 प्रतिशत और 2026 में 3.0 प्रतिशत (2024 में 3.3 प्रतिशत) बढ़ने का अनुमान[8] है। ईएमडीई में संवृद्धि 2025 में 3.7 प्रतिशत अनुमानित है और 2026 में मामूली सुधार के साथ उसके 3.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। एई में संवृद्धि दर 2024 के 1.8 प्रतिशत से घटकर 2025 में 1.4 प्रतिशत और 2026 में उसमें मामूली सुधार हो कर वह 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

I.40 वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 के 5.7 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.3 प्रतिशत और 2026 में 3.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है। लेकिन, निकट अवधि में मूल्य स्थिरता के दिशापथ को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में सेवा मुद्रास्फीति जड़ बनी हुई है, बढ़ाए गए टैरिफ यूएस में मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं में भिन्नता होने के संभावित जोखिम हैं।

I.41 14 अप्रैल 2025 की टैरिफ स्थिति के आधार पर समायोजित परिदृश्य के तहत वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा 2025 में 0.2 प्रतिशत से संकुचित होने का अनुमान है[9]। हालाँकि, 8 मई 2025 को यूएस और यूके के बीच एक व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर और 12 मई 2025 को अमेरिका और चीन द्वारा जवाबी कदम को समाप्त करने और भविष्य की चर्चाओं में शामिल होने के लिए किया गया समझौता वैश्विक व्यापार के लिए अच्छा संकेत है।

I.42 प्रमुख एई और ईएमई में सार्वजनिक ऋण के उच्च स्तर इन अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक वित्त की स्थिरता के बारे में चिंता पैदा करते हैं और वे वित्तीय बाजार की पहले से ही बढ़ी हुई अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ा हुआ सॉवरेन ऋण स्तर पहले से ही जोखिम प्रीमियम और प्रतिफल में प्रतिकूलता का कारण बन रहा है। आस्ति मूल्यांकनों में वृद्धि और प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए पूंजी प्रवाह होने से वित्तीय स्थितियां कठिन बन सकती हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं, जैसा कि 2024 के दौरान वैश्विक इक्विटी बाजारों में बिक्री दबावों की घटनाओं से स्पष्ट होता है। प्रणालीगत एई के वित्तीय बाजारों में अव्यवस्थित समायोजन का प्रतिकूल असर, अब तक बने हुए भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन, व्यापार तनाव के उद्भव और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी आघातों के बीच, ईएमडीई पर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो मुद्रा, फिनटेक, सीबीडीसी और एआई/एमएल के माध्यम से होने वाले तकनीकी व्यवधानों के लिए भी वैश्विक स्तर पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

[8] वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, आईएमएफ।

[9] ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक अपडेट, अप्रैल 2025, डब्ल्यूटीओ।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.43 वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण आशाजनक बना हुआ है, जिसे उपभोग मांग में वापसी, सरकार का राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को जारी रखते हुए, पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, बैंकों और कॉरपोरेट्स के स्वस्थ तुलनपत्र, वित्तीय स्थितियों में सुगमता, सेवा क्षेत्र में बनी रही समुत्थानशीलता और मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाचों के अलावा उपभोक्ता और व्यावसायिक आशावाद को मजबूत होने से मदद मिली है। तथापि, संरक्षणवादी मार्ग अपनाए जाने के कारण वैश्विक व्यापार के बारे में अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव के बने रहने और वैश्विक वित्तीय बाजार में आई अस्थिरता विकास परिदृश्य के लिए अधोमुखी जोखिम और मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए उर्ध्वमुखी जोखिम पैदा करती है।

I.44 दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद और उत्पादकता-बढ़ाने वाली विभिन्न सरकारी नीतियों के कारण 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाएं अनुकूल दिखाई देती हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की गई है, जैसे - प्रधानमंत्री *धन-धान्य कृषि योजना*[10]*;* दालों के लिए *आत्मनिर्भरता मिशन*; सब्जियों और फलों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना; उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन[11] की शुरुआत; कपास उत्पादकता मिशन; और *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना। इसके अलावा, जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए टिकाऊ कृषिकार्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्र के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 'प्राकृतिक कृषिकार्य के लिए राष्ट्रीय मिशन' के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने की योजना शामिल है।

I.45 वर्ष 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र को घरेलू मांग में सुधार, उच्च क्षमता उपयोग, कॉरपोरेट्स और बैंकों के स्वस्थ तुलनपत्र और उपभोक्ता तथा व्यावसायिक आशावाद के कारण अधिक तेजी प्राप्त होने की उम्मीद है। वर्तमान में चल रही पीएलआई योजना और केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन'[12] के माध्यम से विनिर्माण आधार और नीतिगत समर्थन को व्यापक बनाने पर सरकार द्वारा *'मेक इन इंडिया'* पहल को और मजबूत बनाए जाने की उम्मीद है। *प्रधानमंत्री आवास योजना* (पीएमएवाई) के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण 2025-26 में निर्माण क्षेत्र में भी मजबूत प्रदर्शन बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, दूसरी चरण की आस्ति मुद्रीकरण योजना (2025-30) की घोषणा, जिसका उद्देश्य आस्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये जुटाना है, जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन कारकों से रोजगार के नए अवसर पैदा होने, श्रम आय में सुधार और घरेलू मांग में मजबूती आने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों में भी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बारे में आशावाद परिलक्षित होता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए

[10] इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, मध्यम फसल प्राप्ति और औसत से कम ऋण पैरामीटरों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसका प्रयोजन होगा: (ए) कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना; (बी) फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना; (सी) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरान्त भंडारण में वृद्धि करना ; (डी) सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना; और (ई) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना।

[11] इसका उद्देश्य: (क) अनुसंधान पारितंत्र को मजबूत करना; (ख) उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोध और जलवायु अनुकूल वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रचार; और (सी) जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक बीज किस्मों की वाणिज्यिक उपलब्धता।

[12] पांच मुख्य क्षेत्रों पर जोर: (क) व्यापार करने में आसानी और लागत; (बी) भविष्य के लिए तैयार कार्यबल; (ग) सक्रिय और गतिशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र; (घ) प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और (ई) गुणवत्तायुक्त उत्पाद।

वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, समान रूप से संतुलित जोखिमों के साथ, 6.5 प्रतिशत अनुमानित है।

I.46 देश के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता के लिए 100 गीगावाट (गी.वा) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर, उनके छोटे आकार और कम पूंजी निवेश आवश्यकता के कारण, जोर देने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट में बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए राज्यों को वितरण और पारेषण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में *प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना* के वित्त पोषण के लिए बड़ी वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है।

I.47 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 में दोगुने से अधिक है। यह सकल घरेलू उत्पाद में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय के भारत के अपेक्षाकृत कम हिस्से (0.6 प्रतिशत) को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है ताकि चीन (2.4 प्रतिशत), कोरिया (4.8 प्रतिशत) और मलेशिया (1 प्रतिशत)[13] जैसे देशों के स्तरों तक पहुंचा जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ाए गए बजट से भारत के नवाचार परिदृश्य और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो दीर्घावधि में उत्पादकता वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अपनी एआई क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए[14] सरकार ने लार्ज लेंग्वेज मॉडल (एलएलएम) और समस्या-विशिष्ट एआई समाधानों सहित कई राष्ट्रीय आधारभूत एआई मॉडलों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

I.48 वर्ष 2024-25 में, सरकार के आपूर्ति प्रबंधन उपायों ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा और प्रणाली में संचालित मौद्रिक नीति सख्ती के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति 73 बीपीएस से घटकर 4.6 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, आपूर्ति शृंखला दबाव के घटने, वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी, सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा समर्थित उच्च कृषि उत्पादन की उम्मीद और उच्च जलाशय स्तर 2025-26 में मुद्रास्फीति संभावना के लिए अच्छा संकेत देते हैं। तथापि, जलवायु संबंधी आघातों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खाद्य मूल्य परिदृष्य की सावधानीपूर्वक निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। लंबे समय तक जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, वैश्विक वित्तीय बाजार में अत्यधिक अस्थिरता, व्यापार विखंडन और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम पैदा करती हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

I.49 फरवरी और मार्च 2025 में मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे रही, तथा खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट रही जिसके कारण अधिक विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आगामी 12 महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के पास स्थिर रूप से रह सकती है। मुद्रास्फीति के संभाव्य रूप से सौम्य रहने और अपेक्षाकृत रूप से संवृद्धि की धीमी गति को देखते हुए मौद्रिक नीति द्वारा संवृद्धि को समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही तेजी से बदलती वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थितियों के बारे में सतर्क रहना भी जरूरी है। तदनुसार, एमपीसी ने अप्रैल 2025 की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.0 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी

[13] वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, विश्व बैंक।

[14] केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा में एआई के लिए ₹500 करोड़ के परिव्यय के साथ चौथे सीओई की घोषणा की।

ने रुख को तटस्थ से उदार में बदलने का भी निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणाली चलनिधि को पर्याप्त रखने के लिए मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालन करना जारी रखेगा। बैंक मुद्रा बाजार ब्याज दरों के व्यवस्थित संचलन को सुनिश्चित करते हुए चलनिधि में अल्पकालिक अस्थिरता तथा टिकाऊ चलनिधि के प्रबंधन के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करेगा।

I.50 वर्ष 2025-26 में, यूएस की टैरिफ नीतियों के प्रभाव और दूसरों द्वारा किए गए जवाबी उपायों पर बाजार बारीकी से नजर रखेंगे क्योंकि अनिश्चित नीतिगत वातावरण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा करेगा। भारतीय इक्विटी बाज़ार का, 2024 की दूसरी छमाही में गिरावट (करेक्शन) के बाद, व्यापक रूप से स्थिर आर्थिक स्थिति और इक्विटी बाज़ार मूल्यांकनों में कमी के बाद, समुत्थानशील बने रहने की उम्मीद है, हालांकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता से गिरावट आने का जोखिम बना रहेगा। द्वितीयक बाजार की संवेदनशीलता स्थिर होने पर प्राथमिक बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने में तेजी आने की उम्मीद है। तथापि निकट अवधि में, वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता के चलते, बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। दुनिया भर में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति पर जोर है। इसके बावजूद सीमा पार लेनदेन के लिए बढ़ी हुई पहुंच और स्वीकार्यता के माध्यम से आईएनआर (अर्थात, INR का अंतरराष्ट्रीयकरण) के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय, और व्यापार-भागीदार देशों के साथ सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग वर्ष के दौरान जारी रहने की उम्मीद है, जैसा कि नवंबर 2024 में मालदीव और मार्च 2025 में मॉरीशस के साथ हस्ताक्षरित स्थानीय मुद्रा निपटान के लिए हुए समझौता ज्ञापनों में परिलक्षित होता है।

I.51 प्रभावी पूंजीगत व्यय को 2024-25 (आरई) के 4.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में जीडीपी का 4.3 प्रतिशत करते हुए संवृद्धि को समर्थन देने वाले पूंजीगत व्यय को केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा, राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता योजना को 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने जीएफडी को 2025-26 (बीई) में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर लक्षित करके 2025-26 (बीई) में जीएफडी को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के अपने मध्यम अवधि के उद्देश्य का पालन किया, जो 2024-25 (आरई) के 4.7 प्रतिशत से नीचे है। 2026-27 के बाद से, केंद्र सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को एक दिशापथ पर बनाए रखना है जिसके अनुसार मार्च 2031 के अंत तक जीडीपी की तुलना में लोक ऋण के अनुपात में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की जानी है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों के संबंध में राजकोषीय दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें उनका समेकित जीएफडी बजट सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है[15]। 2025-26 के दौरान केंद्र से राज्यों को सकल अंतरण में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जो मुख्य रूप से कर अंतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के रूप में है, जो उच्च पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजकोषीय अवसर प्रदान करता है।

I.52 चल रहे भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन और नीतिगत अनिश्चितता से उत्पन्न अधोगामी जोखिमों के कारण वैश्विक व्यापार में मंदी आ सकने की संभावना से भारत के पण्य निर्यात में अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। तथापि, विभिन्न व्यापार भागीदारों के साथ चल रही व्यापार करार वार्ताओं से वैश्विक व्यापार में भारत की अधिक भागीदारी सुकर बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और कृषि सहित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के विस्तार के

[15] डेटा उन 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है जिन्होंने 2025-26 के लिए अपने बजट प्रस्तुत किए।

अलावा ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार में नवाचारों से भारत की निर्यात वृद्धि को लाभ होगा[16]।

I.53 भारत के सेवा व्यापार संतुलन और आवक विप्रेषण प्राप्तियों की मजबूत संभावओं के चलते 2025-26 के दौरान सीएडी को पूरी तरह से धारणीय सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉण्डों को शामिल करने, और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने, जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है, से विदेशी निवेश प्रवाह बेहतर बना रहेगा। इसके अलावा, निर्यात अनुकूल वातावरण और भारत की तुलनात्मक रूप से अनुकूल स्थिति, क्षेत्रीय व्यापार करार की क्षमता के उपयोग, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में अधिक भारतीय भागीदारी, भारत के पण्य व्यापार और सेवा समूह को नई सीमाओं में प्रस्तुत करते हुए विविधता प्रदान करना और आईएनआर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाना, भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा और आगे चलकर भारत के बाहरी क्षेत्र की समुत्थानशीलता को और मजबूत करेगा।

I.54 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र समुत्थानशील रहा है, तथापि बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएं सक्रिय रूप से जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करती है। ब्याज दर जोखिम की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को व्यापार और बैंकिंग, दोनों प्रकार के बही जोखिमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से एनआईएम के कम होने के संदर्भ में।

I.55 एनबीएफसी द्वारा बैंकों से निधि प्राप्त करने में कुछ कमी आई है लेकिन अभी भी वे काफी हद तक बैंक निधि पर निर्भर हैं। यह आवश्यक है कि वे अलग-अलग स्रोतों से निधि प्राप्त करें। पैमाना-आधारित विनियामक ढांचे से अभिशासन और जोखिम प्रबंधन में और सुधार होने की उम्मीद है।

I.56 रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली को अधिक समुत्थानशील, सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए विनियमन, पर्यवेक्षण, फिनटेक, भुगतान प्रणाली, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में कई पहल करेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक सुरक्षित, सुलभ, किफायती और दक्ष वित्तीय क्षेत्र निर्माण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।

I.57 कारोबार की दक्षता बढ़ाने और अनुपालन को सरल बनाने के लिए रिज़र्व बैंक विनियामकीय क्षेत्र में विनियमनों को एकीकृत और सुसंगत बनाएगा। PRAVAAH[17] पोर्टल मई 2024 में शुरू किया गया था। 1 मई, 2025 से आरई के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग करें। संशोधित अनुमान के लिए को रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। बैंक इस पोर्टल की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना जारी रखेगा।

I.58 रिज़र्व बैंक जोखिमों और कमजोरियों की शीघ्र पहचान करने, कमजोरियों के मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खंडों में पर्यवेक्षी कठोरता को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से पर्यवेक्षी पहलों को जारी रखेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में एकरूपता पर अंतर-विनियामक कार्य समूह की सिफारिशों को लागू करके पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की साइबर सुदृढ़ता और क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

I.59 रिज़र्व बैंक नए उपयोग मामलों और विशेषताओं को शामिल करते हुए e₹-रिटेल और e₹-होलसेल में चल रहे पायलटों के दायरे और कार्यक्षेत्र का और विस्तार करेगा, तथा पारदर्शिता, ग्राहक सुविधा और दक्षता बढ़ाने के लिए खाता समाहर्ता ढांचे के प्रौद्योगिकीय पहलुओं में सुधार लाएगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक टर्नअराउंड समय, दक्षता और पारदर्शिता

[16] पीआईबी (2025), 'भारत का निर्यात ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचा', वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 1 फरवरी।

[17] विनियामक अनुप्रयोग, सत्यापन और अधिकृतीकरण मंच (PRAVAAH), 28 मई 2024 को शुरू किया गया, जो रिज़र्व बैंक से विनियामक अनुमोदन, अधिकृतीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक एकीकृत और सुरक्षित पोर्टल है।

से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर सीमा पार भुगतान पर सीबीडीसी पायलट शुरू करने की संभावना तलाश रहा है।

I.60 वर्ष 2025-26 में पेमेंट-विजन 2025 समाप्त होगा। रिज़र्व बैंक एक नए पेमेंट-विजन दस्तावेज का मसौदा तैयार करना शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य पिछले दशक की भुगतान प्रणाली के विकास पर नव-निर्माण करना और इस क्षेत्र में समाधान विकसित करने और उन्हें उपयोग में लाने के लिए भुगतान पारितंत्र में संस्थाओं को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान दिए जाने का होगा। साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान के उपयोग पर एक सर्वेक्षण किया जाएगा, जो अधिक समावेशी भुगतान पारितंत्र के लिए आधार तैयार करेगा। घरेलू भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण भी एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी और रिज़र्व बैंक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अन्य देशों के साथ सहयोग की संभावना तलाशना जारी रखेगा।

I.61 डिजिटल भुगतान में वृद्धि जारी है, अत: सुरक्षा बढ़ाने, ग्राहक संरक्षण और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता 2025-26 में बड़ी प्राथमिकताएं बनी रहेंगी। डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

I.62 रिज़र्व बैंक समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और सस्ती बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच – रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब) के माध्यम से एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के रूप में प्रौद्योगिकी आधारित एक पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि, डेयरी और एमएसएमई क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए टर्नअराउंड समय, लागत और सुविधा के संदर्भ में पहुंच में सुधार करना और दक्षता बढ़ाना है। रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) पर संशोधित मास्टर निदेश जारी किए, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। इसके अलावा, 2025-26 में वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) की समीक्षा की जाएगी।

I.63 विनियामकीय अनुमोदनों और नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्धता में और सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक चार्टर की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा रिज़र्व बैंक–एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के तहत शिकायत समाधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक इस योजना की समीक्षा करेगा और प्रौद्योगिकी संचालित पहलों को, विशेष रूप से शिकायत प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन पर, कार्य शुरू करेगा। रिज़र्व बैंक ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए विनियमित संस्थाओं की आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

4. निष्कर्ष

I.64 संक्षेप में, लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 के दौरान सुदृढ़ता प्रदर्शित की, जिसे मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों और सक्रिय नीतिगत उपायों से बल मिला। मुख्यत: इनपुट लागत दबावों में कमी आने, आपूर्ति पक्ष के सक्रिय उपायों और पिछली मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के निरंतर प्रभाव के कारण वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में कमी आई और वह लक्ष्य के करीब पहुंच गई। वित्तीय क्षेत्र की मजबूती, जो बेहतर आस्ति गुणवत्ता और बैंकों के यथोचित रूप से पूंजीकृत होने में परिलक्षित होती है, ने आर्थिक गतिविधि को और अधिक बढ़ावा दिया। कई वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारतीय वित्तीय बाजारों ने समुत्थानशीलता और समयानुकूल प्रदर्शन

किया। बेहतर कर राजस्व प्राप्ति और विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन के समर्थन से केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को जारी रखा। बाह्य मोर्चे पर, पण्य व्यापार घाटे की भरपाई मजबूत सेवा निर्यात और स्थिर विप्रेषण प्रवाह से हुई, जिससे चालू खाता घाटा एक धारणीय स्तर पर बना रहा।

I.65 भविष्य की ओर देखें तो, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, आपूर्ति शृंखला व्यवधान और जलवायु-प्रेरित अनिश्चितताएं संवृद्धि की गति को कम करने और मुद्रास्फीति में वृद्धि होने का जोखिम पैदा करती हैं। इसके बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत समष्टि आर्थिक आधारस्तंभों, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और टिकाऊ संवृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता के बल पर वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बने रहने के लिए तैयार है।

II आर्थिक समीक्षा

वर्ष 2024-25 के दौरान सतत भू-राजनीतिक तनावों और भू-आर्थिक विभाजन के बीच, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक आधार और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने समुत्थानशीलता प्रदर्शित की। हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हुई, हालांकि बढ़ी हुई और अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति से अवस्फीति की गति बाधित रही। जमा और ऋण ने दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जारी रहा। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटा कम रहने की स्थिति के अनुसार बाह्य क्षेत्र की सतत मजबूती ने समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को सहयोग किया।

II.1.1 सतत भू-राजनीतिक तनावों, भू-आर्थिक विभाजन और बढ़े हुए व्यापार तनावों के बीच वैश्विक आर्थिक विस्तार 2024 में असमान लेकिन स्थिर बना रहा। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में नरमी के कारण वित्तीय स्थितियां कम प्रतिबंधात्मक हो गईं। वैश्विक जीडीपी 2024 में 3.3 प्रतिशत बढ़ी[1] (एक वर्ष पूर्व 3.5 प्रतिशत)। आपूर्ति श्रृंखला के दबावों को कम करने के साथ-साथ मौद्रिक सख्ती को रोकने के प्रभाव से वैश्विक मुद्रास्फीति एक साल पहले के 6.6 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.7 प्रतिशत रह गई; हालाँकि, कुछ प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं की उच्च मुद्रास्फीति के कारण यह अभी भी महामारी पूर्व के औसत से ऊपर बनी हुई थी। महामारी से प्रेरित राजकोषीय नीति के उपायों और क्रमिक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ने वैश्विक सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात पर ऊपर की ओर दबाव जारी रखा, जिसके 2030[2] तक 100 प्रतिशत तक पहुंचने की प्रत्याशा है। वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2023[3] की 1.0 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 3.8 प्रतिशत हो गई, जो मजबूत सेवा व्यापार वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्यीकरण द्वारा समर्थित है। अत्यधिक बढ़े मूल्यों, मौद्रिक नीति के अनिश्चित प्रक्षेपवक्र, अवस्फीति की गति में कमी, बढ़ते व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक जोखिमों की वजह से वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी रही। 2024 की पहली छमाही में राष्ट्रिक बॉण्ड प्रतिफल, नरम होकर वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान फिर से बढ़ गया। अमेरिकी डॉलर वर्ष के दौरान सुदृढ़ बना रहा, जिससे अन्य उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) मुद्राओं पर नीचे की ओर दबाव बना।

II.1.2 इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रति, सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक आधार और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था समुत्थानशील बनी रही। यद्यपि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि[4] वर्ष 2024-25 में घटकर 6.5 प्रतिशत[4] हो गई, फिर भी भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती वृहत अर्थव्यवस्था बना रहा। व्यय पक्ष पर, उपभोग मांग और निवल निर्यात में सुधार तथा सेवा क्षेत्र में उछाल एवं आपूर्ति पक्ष में कृषि उत्पादन में सुधार से आर्थिक गतिविधियों को बल मिला।

1 विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2025, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)।
2 फिस्कल मॉनिटर, अप्रैल 2025, आईएमएफ।
3 डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2025, आईएमएफ।
4 इस रिपोर्ट के अध्याय I का फुटनोट 3 देखें।

II.1.3 वर्ष 2024-25 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में और कमी आई। खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर और उच्च बनी रही जबकि वस्तुओं और सेवाओं दोनों में कोर अवस्फीति और ईंधन में अपस्फीति ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को नरम करने में योगदान दिया, जिससे लक्ष्य के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति के उत्तरोत्तर संरेखण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

II.1.4 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 2024-25 के दौरान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुकरण किया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की कर प्राप्तियां सुदृढ़ रहीं। पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर, केंद्र सरकार और राज्यों ने वर्ष दर वर्ष आधार पर धीमी वृद्धि दर्ज की।

II.1.5 वर्ष 2024-25 के दौरान, घरेलू वित्तीय बाजार सामान्य तौर पर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। मुद्रा बाजार दरें काफी हद तक सीमाबद्ध रहीं, और प्रणालीगत चलनिधि के अधिशेष और घाटे की स्थितियों के बीच ऊपर-नीचे रहने पर भी सामान्य तौर पर नीतिगत रेपो दर के साथ संरेखित रहीं। ऋण वृद्धि मजबूत रहने से जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के निर्गमन में वृद्धि हुई, हालांकि ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर कम हो रहा था। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) को शामिल करने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने से 2024-25 की पहली छमाही में राष्ट्रिक बॉण्ड प्रतिफल में लगातार नरमी आई। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही में राष्ट्रिक बॉण्ड प्रतिफल ने दो-तरफा चाल का प्रदर्शन किया और रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी की नीति बैठक में नीति नरमी चक्र शुरू करने के बाद तीव्र गिरावट दर्ज की। 2024-25 की दूसरी छमाही में इक्विटी बाजारों ने संशोधन से पूर्व, वर्ष की पहली छमाही में मजबूत लाभ दर्ज किया। पूंजी प्रवाह में अस्थिरता प्रदर्शित होने पर भी कम चालू खाता घाटा और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने बाह्य क्षेत्र के प्रति समुत्थानशील बनाए रखा।

II.1.6 इस पृष्ठभूमि के प्रति, शेष अध्याय को छह खंडों में संरचित किया गया है। खंड 2 में वास्तविक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसके बाद खंड 3 में मुद्रास्फीति और इसके वाहकों का विश्लेषण किया गया है। खंड 4 और 5 में क्रमशः मौद्रिक समुच्चय और वित्तीय बाजारों में हुई प्रगति को प्रस्तुत किया गया है। सरकारी वित्त (केंद्र और राज्यों) के विकास की चर्चा खंड 6 में की गई है, और बाह्य क्षेत्र की गतिविधियों को खंड 7 में शामिल किया गया है।

II.2 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 सुदृढ़ समष्टि आर्थिक आधार और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024-25 में समुत्थानशीलता प्रदर्शित की। 2024-25 की दूसरी तिमाही के निम्नस्तर से 2024-25 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधि में सुधार आया, जो ग्रामीण मांग में उछाल, सरकारी व्यय में सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार और सेवा क्षेत्र की सुदृढ़ गतिविधि से समर्थित थी। वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट की मजबूत तुलन-पत्रों के समर्थन से वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और अच्छी तरह से पूंजीकृत बनी हुई है।

II.2.2 समग्र मांग और इसके प्रमुख घटकों का आकलन उप-खंड 2 में दिया गया है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में समग्र आपूर्ति की स्थितियों में हुई प्रगति की चर्चा उप खंड 3 में की गई है। उप खंड 4 में रोजगार और श्रम बाजार में हुए बदलावों के साथ उप खंड 5 में निष्कर्षात्मक अवलोकनों का उल्लेख किया गया है।

2. समग्र मांग

II.2.3 स्थिर कीमतों पर जीडीपी अनुसार मापी गई समग्र मांग, एक वर्ष पूर्व के 9.2 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में 6.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (सारणी II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 1)। वर्ष के दौरान उपभोग व्यय और निर्यात मांग की वृद्धि में तेजी आई, लेकिन स्थिर निवेश में नरमी दर्ज की गई (परिशिष्ट सारणी 2)। तिमाही प्रक्षेपपथ के संदर्भ में, 2024-25

सारणी II.2.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(प्रतिशत में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
I. कुल उपभोग व्यय	**-4.6**	**9.8**	**7.0**	**5.9**	**7.1**
निजी	-5.3	11.7	7.5	5.6	7.6
सरकार	-0.8	0.0	4.3	8.1	3.8
II. सकल पूंजी निर्माण	**-10.6**	**25.4**	**3.5**	**7.3**	**5.8**
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	-7.1	17.5	8.4	8.8	6.1
शेयरों में बदलाव	-76.4	525.4	24.3	53.4	4.3
मूल्यवान आस्तियां	29.9	32.5	-16.9	14.4	1.0
III. निवल निर्यात					
निर्यात	-7.0	29.6	10.3	2.2	7.1
आयात	-12.6	22.1	8.9	13.8	-1.1
IV. जीडीपी	**-5.8**	**9.7**	**7.6**	**9.2**	**6.5**

स्रोत: एनएसओ।

चार्ट II.2.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि - तिमाही

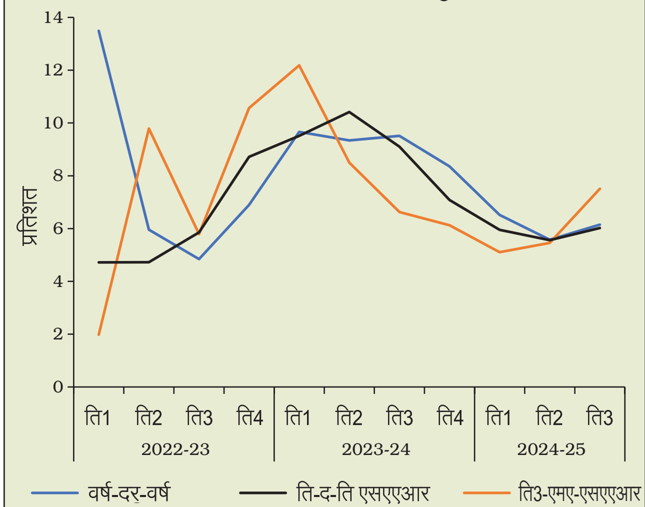

व-द-व: वर्ष दर वर्ष. क्यू-ओ-क्यू: तिमाही दर तिमाही. एमए: चल औसत.
एसएएआर: मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 6.5 प्रतिशत बढ़ी; अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक वर्षा के कारण खनन उत्पादन और बिजली की मांग में कमी आई और सरकारी व्यय पर रोक लगी[5], जिससे दूसरी तिमाही में संवृद्धि कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गई। तथापि, अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में गति पकड़ी और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.2.1)।

उपभोग

II.2.4 शहरी मांग ने कुछ नरमी प्रदर्शित की लेकिन ग्रामीण उपभोग मांग में उछाल के कारण 2024-25 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई), जो समग्र मांग का मुख्य घटक है, बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया। वास्तविक जीडीपी में पीएफसीई की हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 56.7 प्रतिशत हो गई। अच्छे कृषि प्रदर्शन ने ग्रामीण मांग को बढ़ावा दिया, जैसा कि इसके निकटवर्ती संकेतकों जैसे दुपहिया, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों की बिक्री, और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) कंपनियों की मात्रा में वृद्धि में देखा गया है। महामारी के बाद उपभोग के वाहक बने रहने के बाद शहरी मांग की गति कम हो गई, जैसा कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं, खुदरा यात्री वाहन बिक्री और एफएमसीजी मात्रा जैसे संकेतकों में परिलक्षित होता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) 2023-24 के दौरान 8.1 प्रतिशत के मजबूत विस्तार के बाद, 2024-25 में 3.8 प्रतिशत की मंद दर से बढ़ा। निर्यात वृद्धि आयात से अधिक होने के साथ, जीडीपी की संवृद्धि में निवल निर्यात ने सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट II.2.2)।

निवेश और बचत

II.2.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, वर्तमान मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण (जीएफसी) और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात द्वारा मापी गई, जो पिछले वर्ष के 32.6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 31.4 प्रतिशत हो गई,

[5] 2024-25 की पहली छमाही में, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 15.4 प्रतिशत के संकुचन सहित राजस्व व्यय में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकारों (22 राज्यों) के राजस्व व्यय में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में 6.9 प्रतिशत का संकुचन आया।

चार्ट II.2.2: जीडीपी संवृद्धि में भारित योगदान

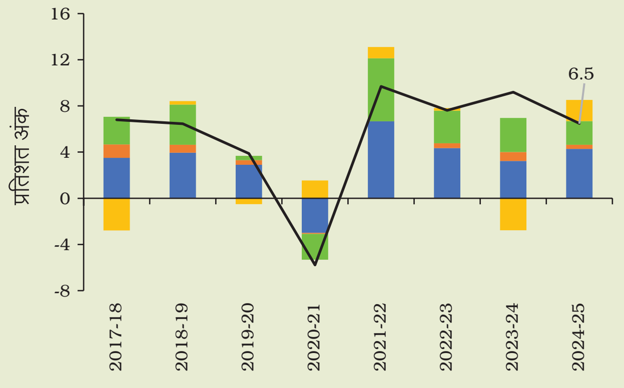

टिप्पणी: घटक-वार योगदान विकास दर में वृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि शेयरों में परिवर्तन, मूल्यवान आस्तियां और सांख्यिकीय विसंगतियां शामिल नहीं हैं।
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट II.2.3: निवेश मांग के संकेतक

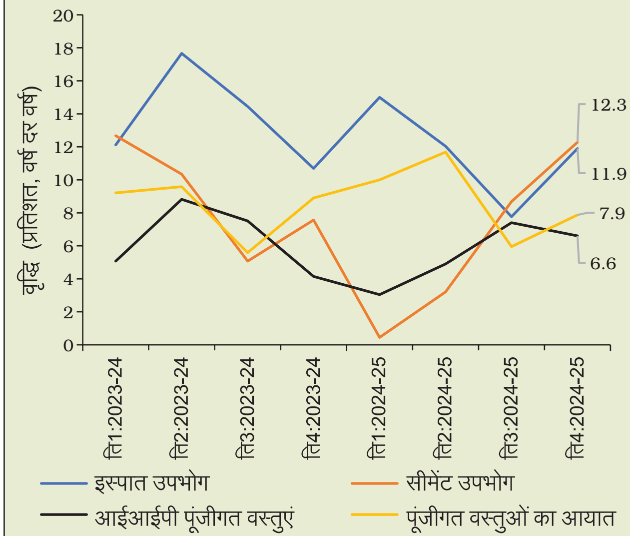

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, एनएसओ और वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस)।

जो शेष दुनिया (आरओडब्ल्यू) से निवल पूंजी प्रवाह में कमी के कारण है। यह पिछले वर्ष में 2.0 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हो गया। 2024-25 के लिए उपलब्ध जानकारी जीसीएफ के घटकों में नरमी का संकेत देती है। जीसीएफ का एक प्राथमिक घटक, सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में वृद्धि, पिछले वर्ष के 8.8 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 6.1 प्रतिशत हो गया। यह नोट किया जाए कि 2023-24 की इसी अवधि में 31.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान सरकारी पूंजीगत परिव्यय (केंद्र और राज्य[6] संयुक्त) में 2.7 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की गिरावट आई है। जीएफसीएफ की नरमी से इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात सहित इसके प्रमुख संयोग संकेतकों पर प्रभाव दिखाई देता है (चार्ट II.2.3)। विनिर्माण क्षेत्र का मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) 2024-25 की तीसरी तिमाही में 75.3 प्रतिशत था, जो पिछली तिमाही और एक साल पहले[7] इसी तिमाही के स्तर से अधिक था। रिज़र्व बैंक के 109वें औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) के परिणामों के अनुसार, विनिर्माण फर्मों ने 2024-25 की चौथी तिमाही में मांग की स्थिति में सुधार के विषय में सूचित किया।

II.2.6 मुख्यतः सरकार के सामान्य अधिव्यय में कमी के कारण, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत 2023-24 में मजबूती से 30.3 प्रतिशत पर बनी रही। इसके अतिरिक्त, घरेलू देयताओं में जीएनडीआई के 6.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, सकल घरेलू वित्तीय बचत 2023-24 में बढ़कर जीएनडीआई का 11.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 10.7 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, घरेलू वित्तीय बचत (निवल), पिछले वर्ष के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में जीएनडीआई के 5.1 प्रतिशत हो गई (सारणी II.2.2 और परिशिष्ट सारणी 3)।

[6] डेटा 20 राज्यों से संबंधित है।
[7] रिज़र्व बैंक की आदेश बही, मालसूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के आधार पर।

सारणी II.2.2: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए. सकल वित्तीय बचत	**9.9**	**10.7**	**10.4**	**11.9**	**11.8**	**11.4**	**15.2**	**10.9**	**10.7**	**11.2**
जिसमें:										
1. मुद्रा	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9	1.1	0.9	0.4
2. जमाएं	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.3	6.2	3.5	4.1	4.5
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.8	0.9
4. सरकार पर दावे	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8	1.1
5. बीमा निधि	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.7	2.8	2.0	2.0	1.9
6. भविष्य एवं पेंशन निधियां	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.3	2.3	2.4
बी. वित्तीय देयताएं	**3.0**	**2.7**	**3.0**	**4.3**	**4.0**	**3.8**	**3.7**	**3.8**	**5.8**	**6.1**
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	**6.9**	**7.9**	**7.3**	**7.5**	**7.8**	**7.6**	**11.6**	**7.2**	**4.9**	**5.1**

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय निपटान आय।
टिप्पणी: पूर्णांकन आंकड़े कुल देय की जोड़ के बराबर नहीं भी हो सकते हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.2.7 बचत-निवेश अंतर 2023-24 के दौरान कम हो गया, जो सामान्य सरकार द्वारा कम ड्राडाउन, घरेलू और गैर-वित्तीय निगमों से कमजोर निवेश मांग और वित्तीय निगमों द्वारा बचत में कमी को दर्शाता है (चार्ट II.2.4)।

चार्ट II.2.4: क्षेत्रीय संसाधन अंतर

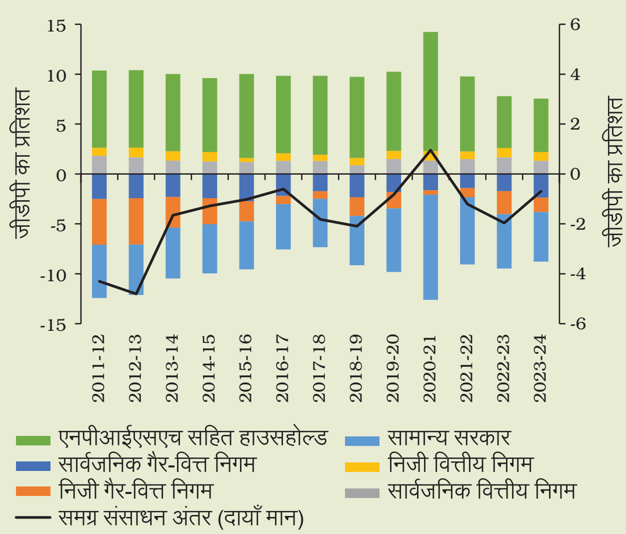

एनपीआईएसएच : नॉन-प्रॉफिट इन्स्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

3. समग्र आपूर्ति

II.2.8 एसएई के अनुसार, मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा मापी गई समग्र आपूर्ति, एक वर्ष पूर्व के 8.6 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में 6.4 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि, आंशिक रूप से प्रतिकूल आधार के कारण औद्योगिक गतिविधि में कमी आई तथा सेवा क्षेत्र की संवृद्धि नरम रही एवं कृषि में हुए सुधार से गति को बनाए रखने में सहयोग मिला (सारणी II.2.3 और चार्ट II.2.5)।

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

II.2.9 सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2024-25 के दौरान सुधार हुआ। 2023 में छह प्रतिशत की कमी की तुलना में 2024 (जून-सितंबर) में समग्र एसडब्ल्यूएम वर्षा, अखिल भारतीय स्तर पर दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 108 प्रतिशत[8] रही (चार्ट II.2.6 ए)। केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून की सामान्य तारीख से पहले 30 मई को हुई

8 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सामान्य वर्षा सीमा एलपीए का 96-104 प्रतिशत है।

सारणी II.2.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	**4.0**	**4.6**	**6.3**	**2.7**	**4.6**
II. उद्योग	**1.1**	**9.6**	**0.0**	**11.0**	**4.3**
II.1 खनन और उत्खनन	-8.2	6.3	3.4	3.2	2.8
II.2 विनिर्माण	3.1	10.0	-1.7	12.3	4.3
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	-4.2	10.3	10.8	8.6	6.0
III. सेवाएँ	**-7.9**	**10.6**	**10.2**	**9.2**	**7.5**
III.1 निर्माण	-4.6	19.9	9.1	10.4	8.6
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	-19.9	15.2	12.3	7.5	6.4
III.3 वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएँ	1.9	5.7	10.8	10.3	7.2
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	-7.6	7.5	6.7	8.8	8.8
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	**-4.1**	**9.4**	**7.2**	**8.6**	**6.4**

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

और इसने सामान्य तारीख से छह दिन पहले 2 जुलाई को पूरे देश में दस्तक दे दी। मानसून कोर जोन, जिसमें देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, में एसडब्ल्यूएम वर्षा एलपीए का 122 प्रतिशत है।

II.2.10 सामान्य से अधिक एसडब्ल्यूएम ने जून 2024 में पांच वर्ष के निचले स्तर 20 प्रतिशत से एसडब्ल्यूएम सीजन के अंत तक जलाशय के स्तर को क्षमता के 88 प्रतिशत तक फिर से भरने में मदद की (चार्ट II.2.6बी)।

चार्ट II.2.5: वास्तविक जीवीए संवृद्धि: तिमाही

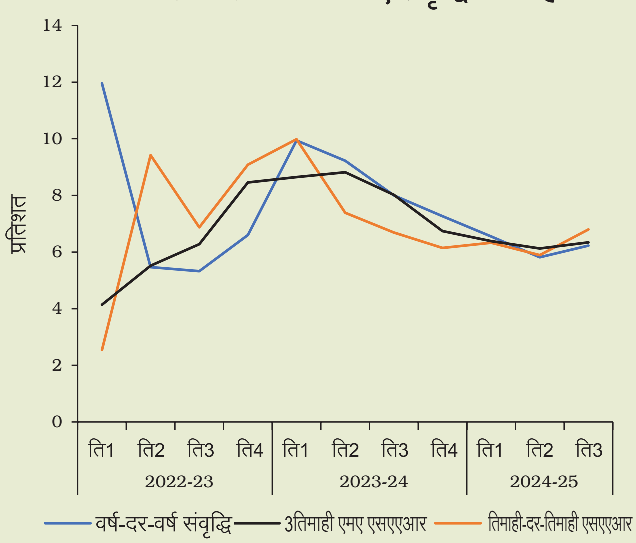

एसएएआर - मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर। एमए: चल औसत

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.2.11 एसडब्ल्यूएम की संतोषजनक प्रगति और पर्याप्त जलाशय स्तर ने वर्ष के दौरान खाद्यान्न और तिलहन (खरीफ और रबी) के क्षेत्र विस्तार में 2.7 प्रतिशत का योगदान किया। तदनुसार, कृषि फसलों के द्वितीय अग्रिम अनुमानों (एसएई) में 2024-25 (खरीफ और रबी) के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 3,309.2 लाख टन रखा गया है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 4.8 प्रतिशत अधिक है (सारणी II.2.4)। वर्ष में चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। प्रथम अग्रिम अनुमानों (एफएई) के अनुसार, प्याज और आलू के उच्च उत्पादन से 2024-25 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 3,620.9 लाख टन रखा गया है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों (एफई) की तुलना में 2.1 प्रतिशत अधिक है।

II.2.12 सरकार ने उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का प्रतिफल सुनिश्चित करते हुए 2024-25 के लिए

चार्ट II.2.6: वर्षा एवं जलाशय स्तर

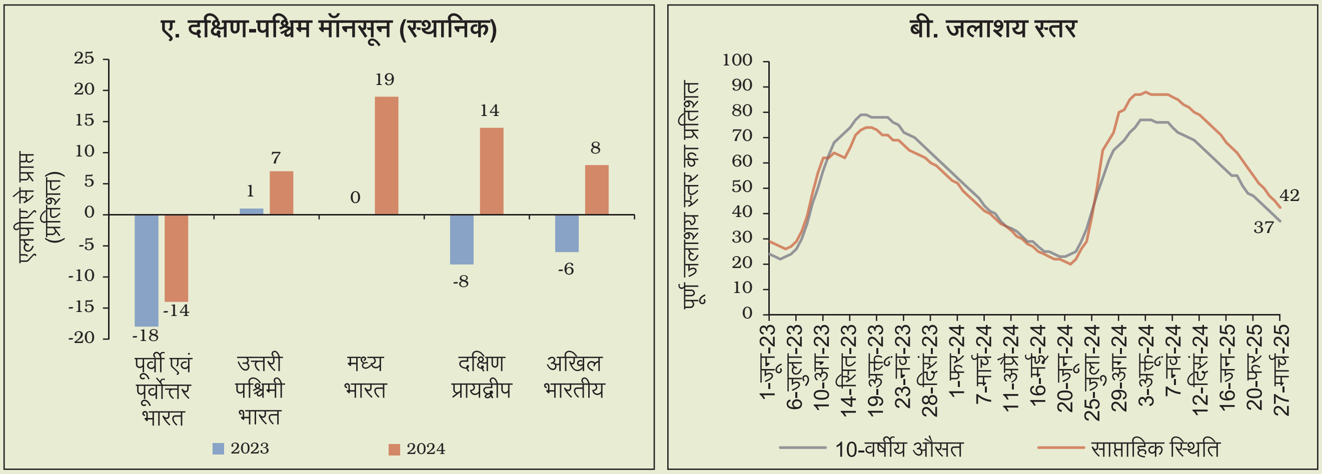

स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडबल्यूसी), भारत सरकार।

प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 1.4 से 12.7 प्रतिशत की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। गेहूं और धान के एमएसपी, उत्पादन लागत[9] पर क्रमशः 105 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का प्रतिफल प्रदान करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि में वहनीयता और उत्पादकता बढ़ाने और कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

II.2.13 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास खाद्यान्नों का समग्र सार्वजनिक भंडार 749 लाख टन (मार्च 2025 के अंत तक) था, जिसमें चावल का स्टॉक 631 लाख टन (बफर

सारणी II.2.4: कृषि फ़सल उत्पादन 2024-25*

(लाख टन)

फ़सल	2023-24 अंतिम अनुमान (एफई)	2024-25 द्वितीय अग्रिम अनुमान (एसएई)	2023-24 के अंतिम अनुमानों पर 2024-25 (एसएई) घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. खाद्यान्न	3,157.7	3,309.2	4.8
चावल	1,278.6	1,364.4	6.7
गेहूं	1,132.9	1,154.3	1.9
पोषक/ मोटे अनाज	524.5	560.3	6.8
दालें	221.7	230.2	3.8
तूर	34.2	35.1	2.8
चना	110.4	115.4	4.5
उड़द	20.9	18.0	-14.0
मूँग	12.6	16.1	28.0
2. तिलहन	384.4	416.7	8.4
3. कपास #	325.2	294.3	-9.5
4. जूट और मेस्ता##	96.9	86.2	-11.0
5. गन्ना	4,531.6	4,350.8	-4.0

*: *खरीफ* और *रबी* फसलें (गर्मियों की फसलें छोड़कर)। #: प्रत्येक170 किलोग्राम की लाख गाँठें। ##: प्रत्येक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

[9] वास्तविक भुगतान लागत + पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य (ए 2+एफएल)।

चार्ट II.2.7: स्टॉक, कुल खरीद और बफर मानदंड की मासिक स्थिति

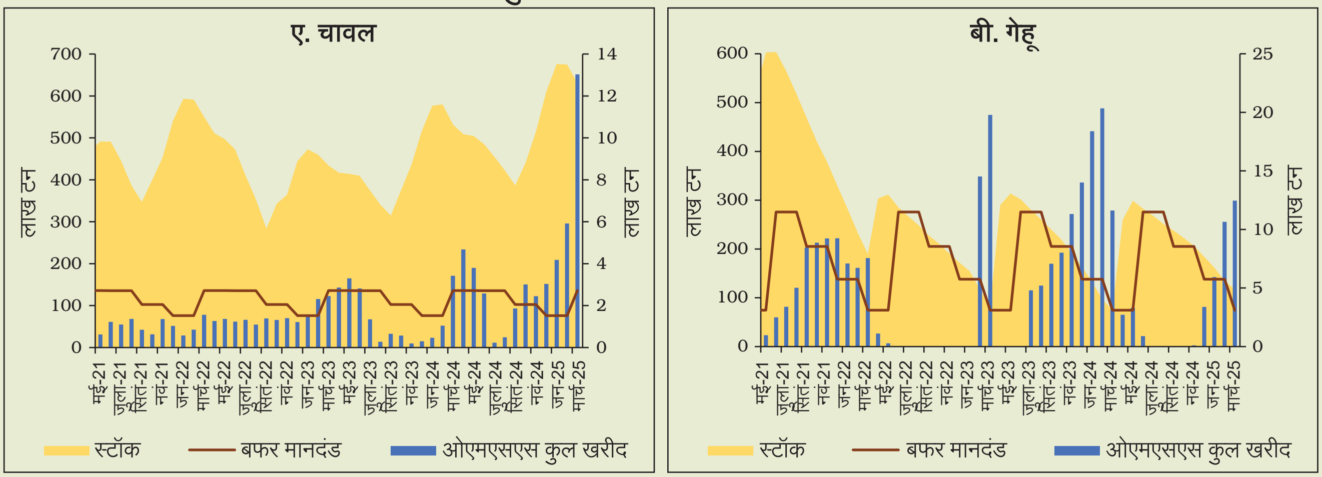

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

आवश्यकता का 4.6 गुना) और गेहूं का स्टॉक 118 लाख टन (बफर आवश्यकता का 1.6 गुना) था [चार्ट II.2.7]। सरकार ने आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए चावल पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं की भारी मात्रा में बिक्री शुरू की है।

औद्योगिक क्षेत्र

II.2.14 औद्योगिक क्षेत्र की जीवीए वृद्धि पिछले वर्ष के 11.0 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.3 प्रतिशत हो गई (सारणी II.2.3)। औद्योगिकी क्षेत्र में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला विनिर्माण क्षेत्र, 2023-24 में 12.3 प्रतिशत के उच्च आधार की तुलना में 2024-25 में घटकर 4.3 प्रतिशत रह गया। यह कॉरपोरेट विनिर्माण क्षेत्र में लाभप्रदता की मंदी में प्रदर्शित हुआ (चार्ट II.2.8)।

II.2.15 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में 2024-25 के दौरान कमी आई (चार्ट II.2.9ए)। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 उद्योग समूहों में से 17 ने विस्तार (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज किया। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर उद्योगों की सभी श्रेणियों में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.2.9बी)।

II.2.16 उत्पादन बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कई प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में वृद्धि को संचालित करने में मदद कर रही है और देश को उत्पादन और निर्यात के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखला के हिस्से के रूप में स्थापित कर रही है। नवंबर 2024 के अंत तक, लगभग ₹1.61 लाख करोड़ का वास्तविक

चार्ट II.2.8: संगठित विनिर्माण फर्म

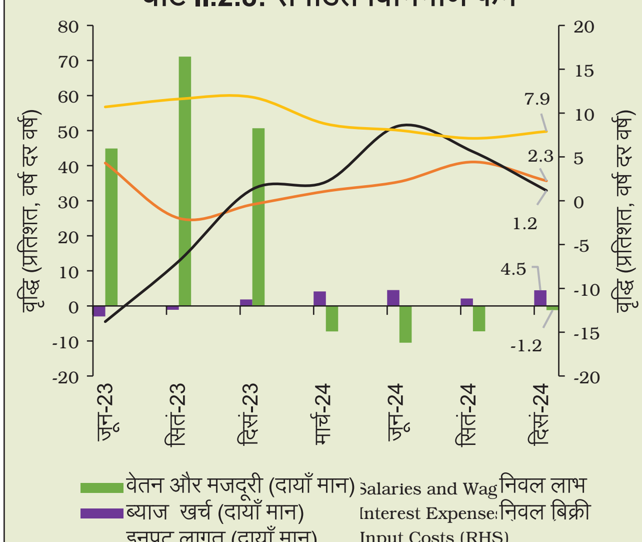

टिप्पणी: कुल नमूना आकार 1,758 है।
स्रोत: सीएमआई इंडस्ट्री आउटलुक।

चार्ट II.2.9: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

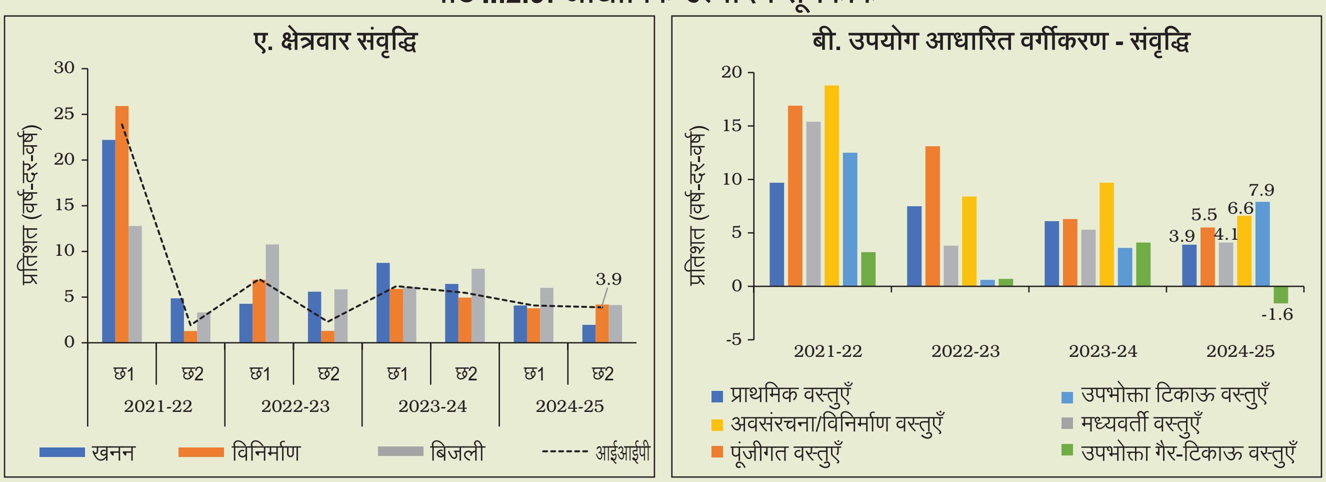

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप ₹14 लाख करोड़ की बिक्री और उत्पादन हुआ, 11.5 लाख से अधिक नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुईं और इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधीय और खाद्य प्रसंस्करण[10] जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ₹5.3 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात हुआ है। सरकार ने जनवरी 2025 में विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना का दूसरा भाग आरंभ किया।[11]

II.2.17 कुल बिजली उत्पादन का लगभग 20.0 प्रतिशत हिस्सा वाली नवीकरणीय ऊर्जा (बड़ी पनबिजली सहित) ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.6 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 2024-25 के दौरान 12.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.2.10)। मार्च 2025 के अंत तक, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.1 गीगावाट (जीडब्ल्यू) [कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत] थी।

सेवा क्षेत्र

II.2.18 सेवाक्षेत्र के घटकों में व्यापक आधारित नरमी के कारण 2024-25 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में वृद्धि धीमी हो गई। सेवा क्षेत्र के समीपस्थ संकेतक, जैसे

चार्ट II.2.10: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

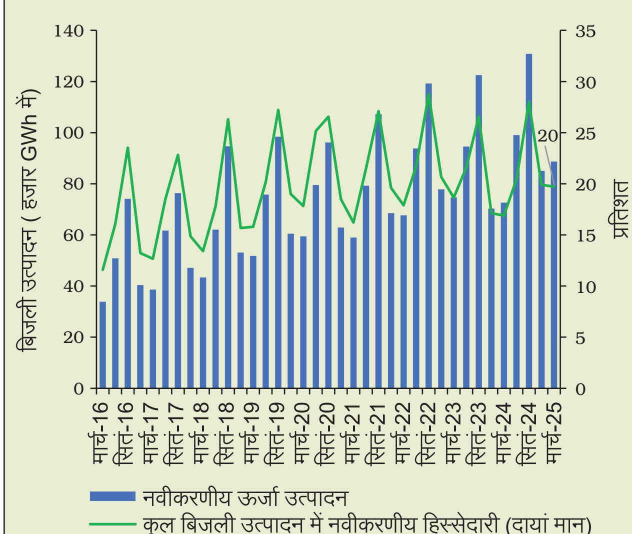

GWh: गिगावाट आवर्स।
स्रोत: केंद्रीय बिजली प्राधिकरण।

[10] 'पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, उत्पादन बढ़ाती है, नए रोजगार पैदा करती है और निर्यात को बढ़ावा देती है', प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), 22 मार्च 2025।

[11] केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री द्वारा 'पीएलआई योजना 1.1 शुरू की गई', पीआईबी, 6 जनवरी 2025।

जीएसटी ई-वे बिल, वाणिज्यिक वाहन बिक्री, विमानन कार्गो और यात्री यातायात दूसरी छमाही में मजबूत रहे हैं (सारणी II.2.5)।

II.2.19 दूसरी छमाही के दौरान इस्पात की खपत धीमी होने जबकि सीमेंट उत्पादन में सुधार होने के कारण भारत के निर्माण क्षेत्र ने मिश्रित तस्वीर प्रदर्शित की।

सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

	2023-24				2024-25			
संकेतक	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उद्योग								
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	4.8	7.8	6.1	5.1	5.5	2.7	4.4	3.6
आठ कोर उद्योग	6.0	10.5	8.4	5.8	6.3	2.4	5.4	4.4
बिजली मांग (ऊर्जा पूर्ति)	0.7	11.7	25.4	7.9	11.6	1.1	6.4	-27.5
यात्री वाहन उत्पादन	6.7	7.3	5.0	9.4	6.2	-0.5	7.4	6.4
दुपहिया वाहनों का उत्पादन	1.3	-1.5	19.0	26.4	19.6	12.5	8.4	5.8
तिपहिया वाहनों का उत्पादन	24.3	19.8	14.0	9.0	9.2	6.3	9.4	9.5
शहरी मांग								
घरेलू हवाई यात्री यातायात	19.1	23.0	9.1	5.2	5.6	7.2	11.4	12.0
यात्री वाहन बिक्री	9.6	5.8	8.6	10.8	3.5	-1.3	5.1	3.6
कृषि / ग्रामीण मांग								
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	-1.9	-5.8	-4.9	-22.9	0.5	0.7	13.5	23.4
दुपहिया वाहनों की बिक्री	11.2	-1.6	22.6	24.9	20.4	12.6	3.0	1.4
तिपहिया वाहनों की बिक्री	89.6	62.6	36.0	7.8	13.7	6.7	0.2	8.0
मनरेगा : कार्य मांग (व्यक्तियों)	-0.9	14.7	-0.2	-8.9	-14.1	-18.0	0.5	5.4
यातायात								
वाणिज्यिक वाहन की बिक्री	-3.5	6.8	3.7	-3.6	3.5	-10.9	1.3	1.6
कुल *वाहन* पंजीकरण	6.0	13.8	10.7	11.0	10.1	3.0	11.7	0.5
दुपहिया वाहन खुदरा बिक्री	3.2	12.2	10.8	11.4	12.7	4.7	12.4	-1.3
तिपहिया वाहन खुदरा बिक्री	76.3	68.0	40.2	26.8	11.4	4.9	4.0	-0.3
यात्री वाहन खुदरा बिक्री	5.0	12.5	9.0	8.9	3.6	-5.1	5.9	4.5
ट्रेक्टरों की खुदरा बिक्री	19.2	9.4	-5.9	9.2	-12.4	-5.1	20.1	-4.5
वाणिज्यिक वाहन खुदरा बिक्री	7.0	6.7	6.4	1.6	1.0	-3.8	-1.4	0.8
टोल संग्रहण – मात्रा	15.3	13.3	12.8	10.9	5.6	7.6	9.8	15.1
टोल संग्रहण – मूल्य	22.4	20.5	19.0	17.3	9.5	10.3	12.7	17.2
पेट्रोल उपभोग	6.8	5.7	4.7	8.4	7.1	7.3	9.7	5.8
एटीएफ उपभोग	13.4	13.1	11.0	10.0	11.4	9.4	8.8	6.5
डीजल उपभोग	8.0	4.3	1.0	4.1	1.6	0.1	4.8	1.2
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	35.0	21.6	18.5	17.0	15.9	10.3	10.0	8.6
घरेलू हवाई कार्गो	-4.7	-1.0	8.5	10.0	7.1	7.6	4.6	3.1
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	0.1	3.7	10.7	25.0	18.4	21.9	15.0	1.3
फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट उत्पत्ति#	1.1	4.8	6.4	8.4	5.0	-0.4	1.4	-
पोर्ट कार्गो	1.9	2.9	10.2	3.6	3.9	6.1	-1.7	8.3
घरेलू व्यापार								
जीएसटी ई-वे बिल	15.8	15.0	17.1	16.3	16.0	16.8	16.9	19.4
जीएसटी ई-वे बिल अंतः राज्य	19.3	18.4	22.1	18.2	17.5	17.0	13.8	19.5
जीएसटी ई-वे बिल अंतर-राज्यीय	10.0	9.3	8.6	13.1	13.2	16.5	23.0	19.1
जीएसटी राजस्व	11.6	10.6	12.9	11.5	10.1	8.9	8.3	10.4

सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर *(समाप्त)*

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

	2023-24				2024-25			
संकेतक	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बाह्य व्यापार								
वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात	-14.1	-3.2	1.0	4.9	5.9	-3.4	3.0	-4.4
वाणिज्य वस्तुओं का आयात	-12.8	-9.9	0.0	2.7	7.6	9.7	6.5	1.2
सेवाओं का निर्यात	5.9	4.2	5.2	4.1	9.8	12.2	17.9	-25.7
सेवाओं का आयात	0.9	-4.7	-4.3	-0.2	7.2	12.7	22.2	-33.1
पूंजीगत माल का आयात	9.2	9.6	5.6	8.9	10.0	11.7	6.0	7.9
निर्माण								
स्टील की खपत	12.1	17.7	14.7	10.6	15.0	12.0	7.8	11.9
सीमेंट उत्पादन	12.7	10.3	5.0	7.5	0.5	3.2	8.7	12.4
पर्यटन और आतिथ्य								
होटल अधिभोग दर	-2.6	-2.1	0.2	2.4	-2.4	2.1	1.8	1.2
विदेशी पर्यटकों का आगमन*	36.2	21.3	17.2	8.1	2.4	-1.7	-3.0	-4.5
पीएमआई								
विनिर्माण पीएमआई	57.9	57.9	55.5	57.5	58.2	57.4	56.8	57.4
विनिर्माण भविष्य परिदृश्य	63.0	65.1	63.5	65.4	65.2	62.6	63.4	64.8
सेवाएं पीएमआई	60.6	61.1	58.7	61.2	60.5	59.6	58.7	58.0
सेवाओं का भविष्य परिदृश्य	60.2	63.5	62.9	62.3	63.2	62.2	63.8	62.2
संयुक्त पीएमआई	60.9	61.3	58.1	61.2	61.0	59.9	59.0	58.7
संयुक्त भविष्य परिदृश्य	61.0	64.0	62.5	63.2	63.8	62.3	63.6	63.1

← संकुचन   विस्तार →

*2024-25 की चौथी तिमाही के आंकड़े फरवरी 2025 तक अद्यतन है।   एटीएफ:विमानन टरबाइन ईंधन.   पीएमआईः क्रय प्रबंधक सूचकांक.

#: 2024-25 की तीसरी तिमाही के आंकड़े अक्तूबर – नवंबर से संबंधित है।   -: अनुपलब्ध

नोटः सभी पीएमआई मान सूचकांक रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं (>50: विस्तार; <50: संकुचन; और =50: कोई परिवर्तन नहीं)

स्रोत: सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम); फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए); सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार; आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार; एसएंडपी ग्लोबल; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार; ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; वाहन पंजीकरण पोर्टल; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; रेल मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बंदरगाह संघ; वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); संयुक्त संयंत्र समिति, एचवीएस एनारॉक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार; तथा आरबीआई।

2023-24 में तेजी दर्ज करने के बाद, पिछली तीन तिमाहियों में वृद्धि नकारात्मक होने से आवास बिक्री 2024-25 में धीमी हो गई। वर्ष दर वर्ष आधार पर छठी तिमाही के लिए आरंभ (लॉन्च) में गिरावट जारी रही (चार्ट II.2.11)।

II.2.20 निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में गतिविधि की निगरानी और सेवा क्षेत्र {लोक प्रशासन, रक्षा, और अन्य सेवाएं (पीएडीओ) को छोड़कर)} में जीवीए संवृद्धि के एक अनुरूपता संकेतक के रूप में कार्य करने वाले, सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)[12] में पिछली दो तिमाहियों

[12] एसएससीआई का निर्माण सेवा क्षेत्र के तीन प्रमुख उप-क्षेत्रों, अर्थात निर्माण; व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं; और वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं में प्रमुख संकेतकों से उच्च आवृत्ति डेटा निकालने और संयोजन करके किया गया है। इन संकेतकों को अंतिम सूचकांक सृजित करने के लिए एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके जोड़ा जाता है।

चार्ट II.2.11: निवास योग्य आवास क्षेत्र

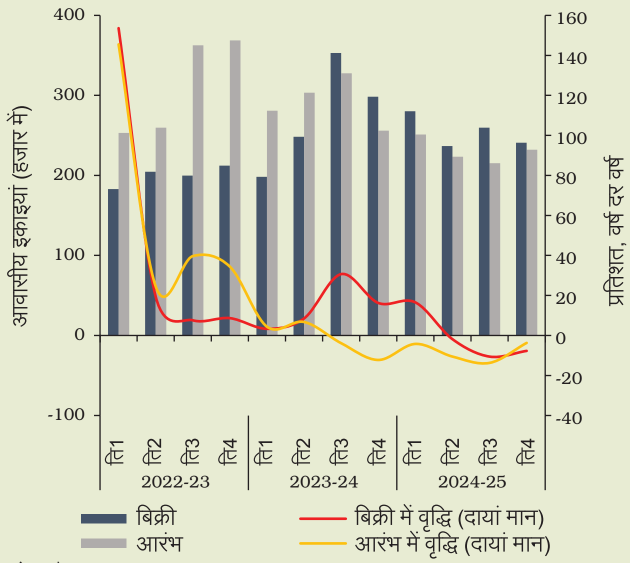

स्रोत: प्रोप टाइगर।

चार्ट II.2.12: सेवा क्षेत्र में संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और एसएससीआई

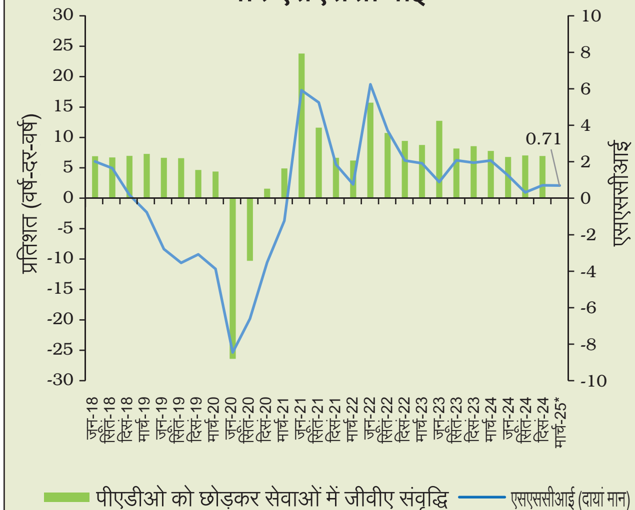

*: मार्च 2025 तिमाही के लिए एसएससीआई उपलब्ध आंशिक आंकड़ों पर आधारित है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

में अनुक्रमिक गिरावट देखने के बाद 2024-25 की तीसरी तिमाही में उछाल आया। व्यापार और निर्माण क्षेत्र के संकेतकों में बदलाव के कारण तीसरी तिमाही में सुधार हुआ था। 2024-25 की चौथी तिमाही में एसएससीआई मजबूत बना रहा (चार्ट II.2.12)।

4. रोजगार

II.2.21 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) के दौरान श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि हुई, जो इसकी स्थापना के बाद से उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में बेरोजगारी दर (यूआर) अपरिवर्तित रही (चार्ट II.2.13ए)। महिला एलएफपीआर में वृद्धि से वर्ष से 2023-24 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समग्र एलएफपीआर में वृद्धि हुई (चार्ट II.2.13बी)। डब्ल्यूपीआर के मामले में भी इसी तरह का स्वरूप दिखाई दिया। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट आई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें मामूली वृद्धि हुई। कार्यबल में स्वरोजगार का अनुपात 2018-19 से लगातार बढ़ रहा है, जबकि अस्थायी मजदूरों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 2022-23 में 20.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 21.7 प्रतिशत हो गई, हालांकि यह 2018-19 में दर्ज 23.8 प्रतिशत से कम थी (चार्ट II.2.13सी)।

II.2.22 शहरी क्षेत्रों को शामिल करने वाले त्रैमासिक पीएलएफएस के अनुसार, एलएफपीआर और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान स्थिर रहा, बेरोजगारी दर, श्रृंखला के सबसे निचले स्तर के समीप रही (चार्ट II.2.14)। पे-रोल डेटा द्वारा मापे गए संगठित क्षेत्र में रोजगार भी 2024-25 में मजबूत रहा (चार्ट II.2.15)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रति माह जोड़े गए औसत निवल ग्राहक 2024-2025 के दौरान 10.8 लाख थे, जो औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के अवसरों में निरंतर मजबूती को दर्शाते हैं।

चार्ट II.2.13: श्रम बाजार संकेतक - वार्षिक पीएलएफएस

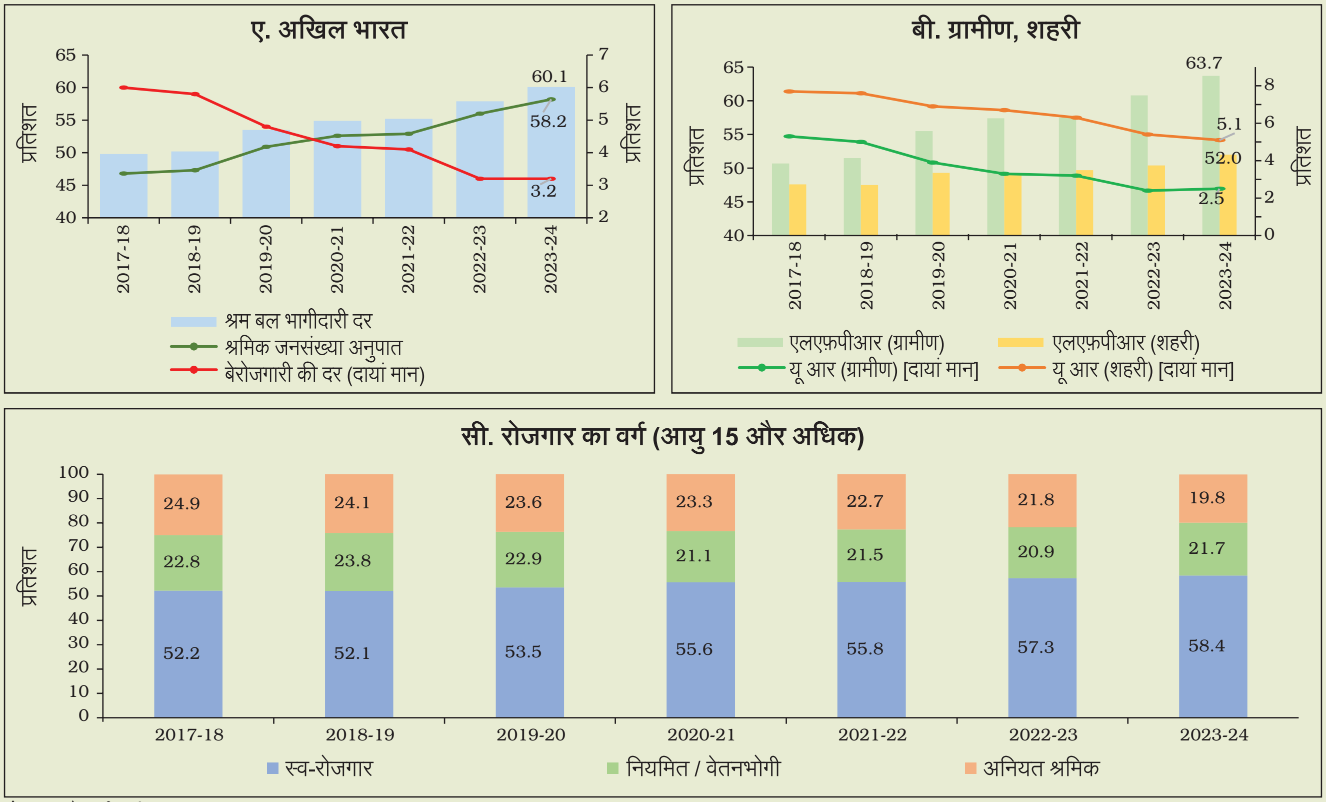

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

II.2.23 क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में रोजगार सूचकांक, पूरे 2024-25 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिये 50 के 'कोई बदलाव नहीं' स्तर से ऊपर रहा (चार्ट II.2.16ए)। नौकरी लिस्टिंग के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला नौकरी

चार्ट II.2.14: त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक-शहरी क्षेत्र

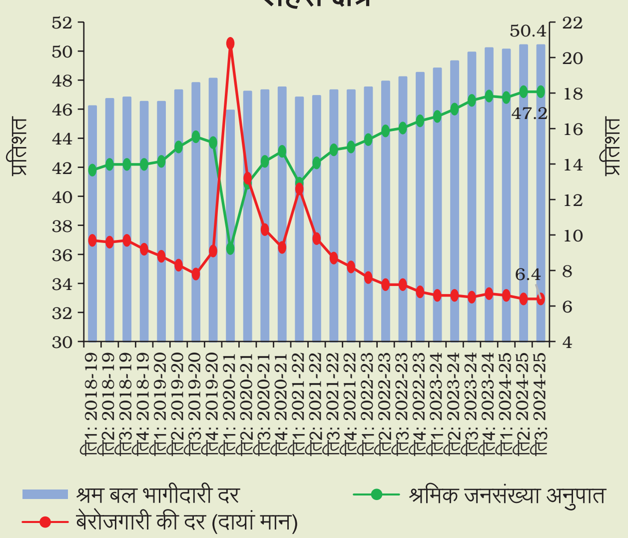

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

चार्ट II.2.15: कर्मचारी भविष्य निधि – निवल पेरोल में योग

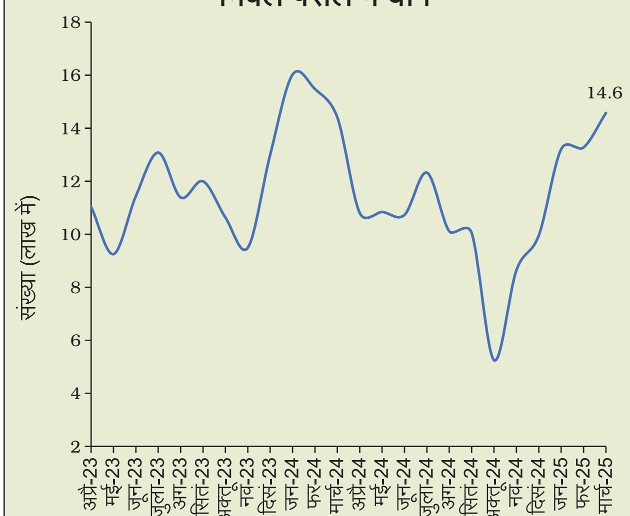

स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट II.2.16 : पीएमआई रोजगार सूचकांक और *नौकरी* सूचकांक

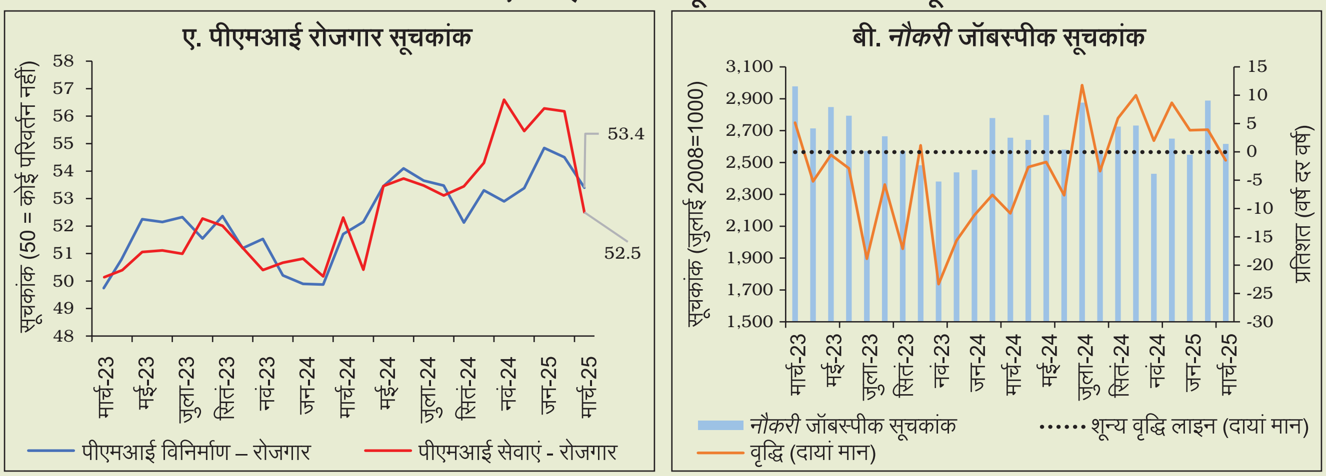

स्रोत: आईएचएस मार्किट, इन्फोएड्ज।

सूचकांक ने 2024-25 में कार्यालयीन (व्हाइट कॉलर) भर्ती में वृद्धि दिखाई (चार्ट II.2.16बी)।

II.2.24 अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है और बेहतर फ़र्म और समग्र उत्पादकता के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में, सकल घरेलू उत्पाद में अनुसंधान एवं विकास व्यय का अनुपात 1995-96 और 2020-21 के बीच 0.61 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 0.64 प्रतिशत[13] हो गया। वैश्विक आर एंड डी व्यय में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023 में 2.6 प्रतिशत हो गई (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, 2024) [बॉक्स II.2.1]।

बॉक्स II.2.1

भारत की उत्पादकता वृद्धि के वाहक के रूप में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय

बड़ी फर्मों और उच्च तकनीक उद्योगों को अधिक लाभ के साथ, विशिष्ट क्षेत्रों और फर्म आकारों के माध्यम से कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) पर आर एंड डी निवेश पर प्रभाव सुस्थापित है, (ग्रिलिचेस, 1998)। हाल के देश-विशिष्ट अध्ययन (ममतज़ाकिस एवं अन्य, 2023; अली और अख्तर, 2024) के साथ-साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर पैनल अध्ययन [हर्जर, 2022] भी टीएफपी पर आर एंड डी निवेश के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि करते हैं। उपलब्ध शास्त्र से पता चलता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उनकी उच्च अवशोषक क्षमता और सहायक संस्थागत ढांचे के कारण प्रभाव अधिक स्पष्ट हैं (ओईसीडी, 2015); आयात या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से विदेशी आर एंड डी प्रभाव-विस्तार, प्रायः घरेलू आर एंड डी के प्रभाव से अधिक होता है (क्रैमर, 2015)। टीएफपी में वृद्धि पर घरेलू आर एंड डी के प्रभाव ने एक उल्टे-यू पैटर्न का अनुसरण किया, यह बताता है कि निम्न और उच्च आय वाले देशों (गोनी और मैलोनी, 2014) की तुलना में मध्यम आय वाले देशों को घरेलू आर एंड डी से सबसे अधिक लाभ होता है। भारत के मामले में, विनिर्माण क्षेत्र में उच्च तकनीक फर्मों की उत्पादकता लाभ पिछली अवधि में उच्च अनुसंधान एवं विकास तीव्रता के साथ-साथ क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह और आयातित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उपयोग से जुड़ा हुआ पाया गया है (भट्टाचार्य एवं अन्य, 2021)।

प्रति-देशीय (क्रॉस कंट्री) आकड़ों से पता चलता है कि आर एंड डी व्यय आम तौर पर टीएफपी विकास के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है (चार्ट 1 ए)। प्रति व्यक्ति जीडीपी द्वारा मापे जाने अनुसार

(जारी)

[13] एस एंड टी संकेतक सारणियां - अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी, 2022-23 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 1: आर एंड डी व्यय, नवाचार, प्रति व्यक्ति जीडीपी और कुल कारक उत्पादकता

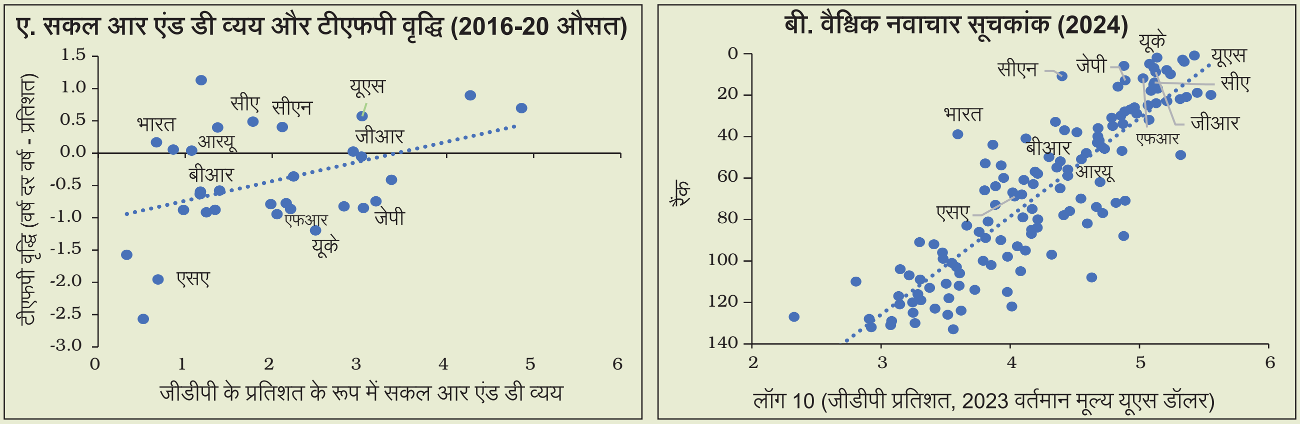

बीआरः ब्राज़ील सीएः कनाडा सीएनः चीन एफआरः फ्रांस जीआरः जर्मनी जेपीः जापान आरयूः रूस एसएः दक्षिणी अफ्रीका
यूकेः यूनाइटेड किंगडम यूएसः संयुक्त राज्य अमेरिका
स्रोत: विश्व विकास संकेतक, विश्व बैंक; विश्व बौद्धिक संपदा संगठन; और कॉफ्रेंस बोर्ड।

सारणी 1: भारत में टीएफपी वृद्धि पर आर एंड डी व्यय वृद्धि का प्रभाव

आश्रित चर: भारत की सकल टीएफपी वृद्धि

1	2	3	4	5
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4
सकल आर एंड डी व्यय	0.24**	0.24***	0.26***	0.21***
	(0.12)	(0.088)	(0.055)	(0.077)
एफडीआई अंतर्वाह			0.0029*	0.0035**
			(0.0017)	(0.0018)
निर्यात + आयात				0.062***
				(0.024)
नियतात्मक प्रवृत्ति	-0.00016	0.021	0.15***	0.19***
	(0.046)	(0.052)	(0.034)	(0.027)
वैश्विक धातु मूल्य सूचकांक $_{टी-2}$		-0.016	-0.045**	-0.030
		(0.019)	(0.019)	(0.022)
एलपीए से वार्षिक वर्षा का विचलन $_{टी-2}$		0.030	0.062***	0.12***
		(0.028)	(0.024)	(0.034)
स्थिर	-0.43	-0.53	-3.28***	-4.14***
	(1.12)	(0.72)	(1.06)	(1.00)
अवलोकनों की संख्या	34	34	29	29
वाल्ड ची-स्क्वायर	10.1	40.8	45.9	71.5
वाल्ड ची-स्क्वायर: पी-वैल्यू	0.017	0.00	0.00	0.00
हैनसेन का जे ची-स्क्वायर	1.37	12.3	11.9	10.3
हैनसेन का जे ची-स्क्वायर पी-वैल्यू	0.50	0.09	0.16	0.17
जीएमएम सी (ऑर्थोगोनैलिटी) ची-स्क्वायर	0.86	0.059	0.29	2.68
जीएमएम सी (ऑर्थोगोनैलिटी) ची-स्क्वायर: पी-वैल्यू	0.35	0.80	0.87	0.44

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में आंकड़े दृढ़ मानक त्रुटियां हैं।
2. हैनसेन के जे-टेस्ट से पता चलता है कि अति पहचान (ओवरआइडेंटिफाइंग) प्रतिबंध 5 प्रतिशत पर मान्य हैं।
3. जीएमएम सी परीक्षण शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं कि व्याख्यात्मक चर 5 प्रतिशत पर एक्जोजिनियस हैं।
4. आर एंड डी व्यय के लिए वार्षिक अनुमान केवल 1995-96 के बाद से उपलब्ध हैं। 1985-86 और 1990-91 के लिए अतिरिक्त अनुमान स्रोत पर उपलब्ध थे। 1985-86 और 1990-91 और 1990-91 और 1995-96 के बीच मध्यवर्ती वर्षों के लिए आर एंड डी व्यय को प्रक्षेपित किया गया है।
5. टीएफपी वृद्धि, सकल आर एंड डी व्यय, एफडीआई प्रवाह, निर्यात एवं आयात तथा वैश्विक धातु मूल्य सूचकांक का उपयोग वर्ष दर वर्ष संवृद्धि के संदर्भ में किया गया है।

(जारी)

उच्च आय स्तर वाले देशों की बेहतर नवाचार रैंकिंग होती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया (चार्ट 1बी)।

इस अध्ययन में, समग्र टीएफपी वृद्धि पर भारत के समग्र आर एंड डी व्यय में वृद्धि के प्रभाव को 1986-87 से 2019-20 की अवधि के लिए सामान्यीकृत विधि (जीएमएम) फ्रेमवर्क में जांचा गया है (सारणी 1)। जीएमएम पद्धति को अंतर्निहित अंतर्जातीयता के लिए नियंत्रित करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि आउटपुट, मुनाफे और उत्पादकता के स्तर से भी आर एंड डी निवेश प्रभावित हो सकते हैं। तदनुसार, संवृद्धि, आर्थिक व्यवधान, वस्तुओं की कीमतें जैसे आर एंड डी निवेशों के लिए उपयुक्त कारकों का उपयोग किया जाता है।

मॉडल यह दिखाता है कि आर एंड डी व्यय में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि से टीएफपी वृद्धि में 0.21 से 0.26 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है। एफडीआई और व्यापार प्रवाह जैसे कुछ नियंत्रण चर टीएफपी को सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते पाए गए। इसके विपरीत, वैश्विक धातु मूल्य में वृद्धि और प्रतिकूल मानसून जैसे कुछ आपूर्ति पक्ष के कारकों का टीएफपी वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त साक्ष्य, सतत नवाचार और दीर्घावधिक उत्पादकता वृद्धि के लिए आर एंड डी निवेश की महत्ता की पुष्टि करते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा, आर एंड डी को प्रोत्साहित करने से व्यापक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव-विस्तार हो सकता है।

संदर्भ:

1. अली, एल., और अख्तर, एन. (2024)। द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट, एफडीआई, ह्यूमन कैपीटल, एंड आर एंड डी ऑन टोटल फैक्टर प्रॉडक्टिविटी: द केस ऑफ पाकिस्तान। जर्नल ऑफ़ द नॉलेज इकॅनोमी, 15(1), 3085-3099.
2. भट्टाचार्य, एम., ओकाफ़ोर, एल. ई., और प्रदीप, वी. (2021)। इंटरनेशनल फर्म एक्टिविटीज़, , आर एंड डी, और प्रॉडक्टिविटी: एविडेंस फ्रॉम इंडियन मैनुफैक्चरिंग फर्म्स, इकॉनोमिक मॉडलिंग, 97, 1-13।
3. गोनी, ई. और मैलोनी, डब्ल्यू.एफ. (2014), 'व्हाई डोन्ट पुअर कंट्रीज़ डू आर एंड डी?', पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सीरीज 6811, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी
4. ग्रिलिचेस, जेड (1998), 'आर एंड डी एंड प्रोडक्टिविटी: द इकोनोमेट्रिक एविडेंस', यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो।
5. हर्जर, डी. (2022), ' द इंपैक्ट ऑफ डोमस्टिक एंड फोरेन आर एंड डी ऑन टीएफपी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ', वर्ल्ड डेवलपमेंट, 151, 105754।
6. क्रैमर, एस.एम.एस. (2015)। डू गुड इंस्टीट्यूशन इन्हेन्स द इफेक्ट ऑफ टेक्नॉलॉजीकल स्पिलओवर ऑन प्रॉडक्टिविटी? कॉप्रिहेन्सिव एविडेंस फ्रॉम डेवलप्ड एंड ट्रान्जिशन इकॉनोमीज़ ', टेक्नॉलॉजी फोरकास्टिंग एंड सोशियल चेंज, 94 (सी), 133-154।
7. ममतज़ाकिस, ई., पेगकस, पी., स्टाइकोरस, सी., और सामादियास, सी. (2023), ' आर एंड डी कन्ट्रीब्यूशन इन टीएफपी ग्रोथ ऑफ ग्रीक इंडस्ट्री: ए लिमिटेड इंफोरमेशन लाइकलिहुड अप्रोच ', बुलेटिन ऑफ इकोनोमिक रिसर्च, 75(4), 1086-1111।
8. ओईसीडी (2015), द फ्यूचर ऑफ प्रॉडक्टिविटी, ओर्गेनाइजेशन फोर इकोनोमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस।

5. निष्कर्ष

II.2.25 घरेलू मांग में तेजी, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में उछाल और सेवाओं में सतत समुत्थान से प्रेरित भारत की आर्थिक गतिविधि में 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान तेजी आई। विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते इनपुट लागत दबाव के साथ-साथ संरक्षणवादी व्यापार नीतियों, लगातार भू-राजनीतिक तनावों और कमजोर वैश्विक मांग जैसी वैश्विक बाधाओं ने संवृद्धि के लिए जोखिम को बरकरार रखा है।

II.3 कीमतों की स्थिति

II.3.1 भारत में, मौसम की बाधा से बारंबार आपूर्ति-पक्ष के आघात के कारण खाद्य मूल्य में उतार-चढ़ाव से प्रेरित अंतर-वर्ष प्रक्षेपवक्र के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति[14], 2023-24 के दौरान 5.4 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के दौरान औसतन 4.6 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान नरम हुई, लेकिन फिर मुख्य रूप से सब्जियों और खाद्य तेलों द्वारा संचालित खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण सितंबर-अक्तूबर में सख्त हो गई। इसके बाद नवंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान सर्दियों में फसल की आवक के साथ खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में गिरावट के कारण ईंधन की कीमतों में अपस्फीति बनी रही। 2024-25 के दौरान कोर मुद्रास्फीति (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) कम हो गई, जो अन्य बातों के साथ-साथ मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के पश्च प्रभाव और इनपुट लागत दबावों में कमी को दर्शाती है (चार्ट II.3.1)। सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों ने भी 2024-25 में मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने में सहायता की।

II.3.2 मानक विचलन द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता 2024-25 में अपरिवर्तित रही (सारणी II.3.1)। मुद्रास्फीति के अंतःवर्ष वितरण ने एक नकारात्मक कुर्टोसिस दिखाया, जो 2024-25 में न्यून चरम मूल्यों को दर्शाता है।

II.3.3 इस पृष्ठभूमि के प्रति, उप-खण्ड 2 वैश्विक वस्तु कीमतों और मुद्रास्फीति की गतिविधियों का आकलन करती है। उप- खण्ड 3 में प्रमुख परिवर्तन बिंदुओं सहित भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की गतिविधियों पर चर्चा की गई है, इसके बाद उप- खण्ड 4 में इसके प्राथमिक घटकों का विस्तृत

चार्ट II.3.1: सभी प्रमुख घटकों की मुद्रास्फीति

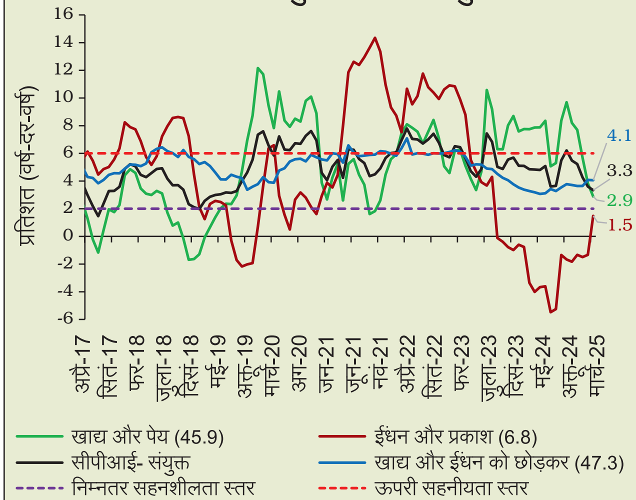

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई-संयुक्त में भार दर्शाते हैं।
2. अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ द्वारा आकलित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी II.3.1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
माध्य	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5	6.7	5.4	4.6
मानक विचलन	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9
स्क्यूनेस	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1	-0.1	1.5	0.0
कर्टोसिस	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0	-0.6	1.6	-1.2
माध्यिका	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6	6.7	5.1	4.8
अधिकतम	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0	7.8	7.4	6.2
न्यूनतम	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2	5.7	4.3	3.3

टिप्पणी: स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती है। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दरों का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना की गयी वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकती है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[14] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण+शहरी) आधार वर्ष: 2012=100 में वर्ष-दर वर्ष बदलाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है।

विश्लेषण किया गया है। कीमतों और लागत के अन्य संकेतकों का विश्लेषण उप- खण्ड 5 में करने के बाद निष्कर्ष अवलोकनों का उल्लेख किया गया है।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति परिदृश्य

II.3.4 कम मांग और आपूर्ति की स्थिति में सुधार के कारण 2024 में वैश्विक पण्यों की कीमतें कम हुईं (चार्ट II.3.2)। मजबूत कृषि उत्पादन और उच्च आपूर्ति से 2024 में खाद्य कीमतों में कमी आई, मुख्य रूप से मौसम से प्रेरित आपूर्ति की बाधा पर कोको और कॉफी की कीमतों में तेजी के कारण पेय पदार्थों में तीव्र मूल्य दबाव देखा गया। अन्य बातों के साथ-साथ, अगस्त 2024 में इंडोनेशिया द्वारा बी40 बायो-डीजल कार्यक्रम की घोषणा पर, 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी डीजल के साथ उच्च पाम तेल सम्मिश्रण (35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक) करने से पाम तेल की कीमतों में भी 2024 की दूसरी छमाही में तीव्र वृद्धि देखी गई। कम खपत मांग के बीच ओपेक+ द्वारा आपूर्ति में कटौती की भरपाई गैर-ओपेक द्वारा तेल आपूर्ति में वृद्धि से हो गई जिससे 2024 में ऊर्जा की कीमतों में और गिरावट आई। हालांकि, 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, बिजली ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों में तांबे और एल्यूमीनियम की मांग में वृद्धि के साथ धातुओं और खनिजों की कीमतों में वृद्धि हुई। सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में आस्तियों की वैश्विक मांग बढ़ने से सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आई।

3. भारत में मुद्रास्फीति

II.3.5 भारत में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल-मई 2024 में 4.8 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2024 में 3.6 प्रतिशत हो गई, फिर से अक्तूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट II.3.3)। हेडलाइन मुद्रास्फीति की गतिविधियों को मुख्य रूप से खाद्य समूह ने संचालित किया, जो अनिरंतर मौसम के व्यवधान से अतिव्यापी आपूर्ति के कारण था, यहां तक कि कोर मुद्रास्फीति काफी हद तक नियंत्रित रही जबकि ईंधन अपस्फीति में बना रहा। खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के कारण मार्च 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई। कुल मिलाकर, 2024-25 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन 4.6 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73 आधार अंक कम है (परिशिष्ट सारणी 4)।

चार्ट II.3.2: अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें

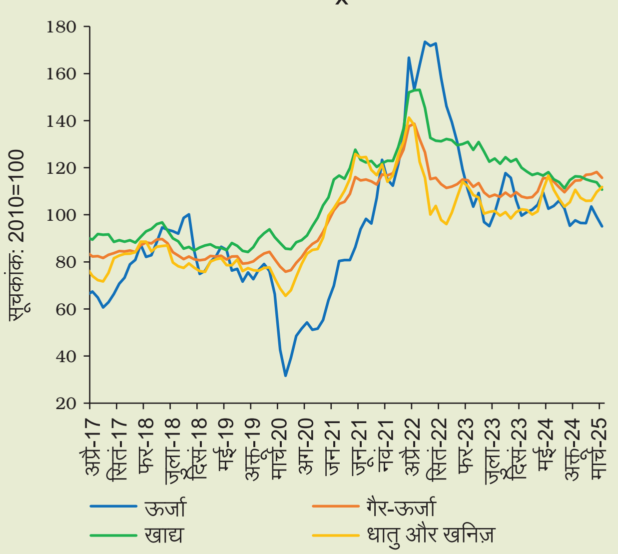

स्रोत: विश्व बैंक पिंक शीट डेटाबेस।

चार्ट II.3.3: हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

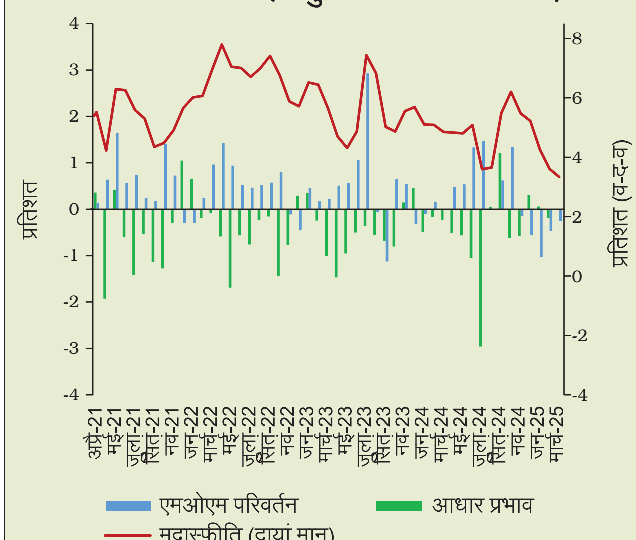

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.4: मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

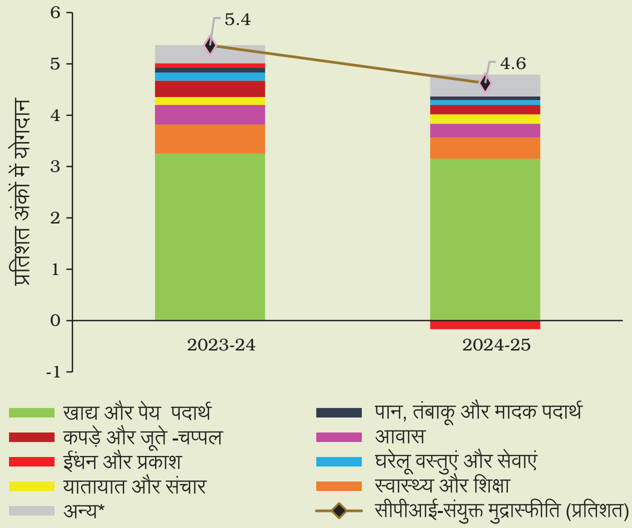

***:** इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.3.6 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत रही और एक वर्ष पूर्व के 61 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसकी हिस्सेदारी 68 प्रतिशत रही (चार्ट II.3.4)। मौसम के व्यवधान जैसे लू की स्थिति और असमान वर्षा वितरण ने कृषि फसलों को प्रभावित किया, जिससे घरेलू उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। गेहूं और दालों में आपूर्ति की तंग स्थिति ने घरेलू उपलब्धता को प्रभावित किया, वैश्विक खाद्य तेल कीमतों में तेजी के कारण आयातित मुद्रास्फीति में काफी तेजी आई। परिणामस्वरूप, सब्जियों, अनाजों, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों के प्रमुख वाहकों के साथ खाद्य मुद्रास्फीति स्थिर रही।

II.3.7 बार-बार आने वाले आपूर्ति आघातों के अलावा, बदलते घरेलू उपभोग पैटर्न का भी खाद्य मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर भार पड़ता है (बॉक्स II.3.1)।

बॉक्स II.3.1
खाद्य मुद्रास्फीति में सातत्य और घरेलू उपभोग के स्वरूप में बदलाव

निरंतर आपूर्ति आघातों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति के निरंतर दबाव के चलते खाद्य मुद्रास्फीति के सतत बने रहने और उसके घटकों का एआर (1) प्रक्रिया का उपयोग करके 48 महीनों की रोलिंग विंडो के लिए आकलन किया गया।

$$\pi_{i,t} = \rho_i * \pi_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \qquad \text{.... (1)}$$

जहां $\pi_{i,t}$ समय t पर $i^{वें}$ मद के औसतवियोजित मासिक गति (मौसमी रूप से समायोजित सीपीआई के आधार पर) को संदर्भित करता है, t, ρ_i सातत्य पैरामीटर है, और $\varepsilon_{i,t}$ त्रुटि शब्द है।

परिणाम बताते हैं कि खाद्य कीमतों में सातत्य, जो लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) की शुरुआत के बाद कम हो गया था, कोविड के बाद की अवधि में बढ़ा, लेकिन पूर्व-एफआईटी अवधि से कम रहा (चार्ट 1ए)। एक विसमूहित विश्लेषण दर्शाता है कि यह वृद्धि मुख्य रूप

चार्ट 1: सीपीआई खाद्य और उसके घटकों में सातत्य

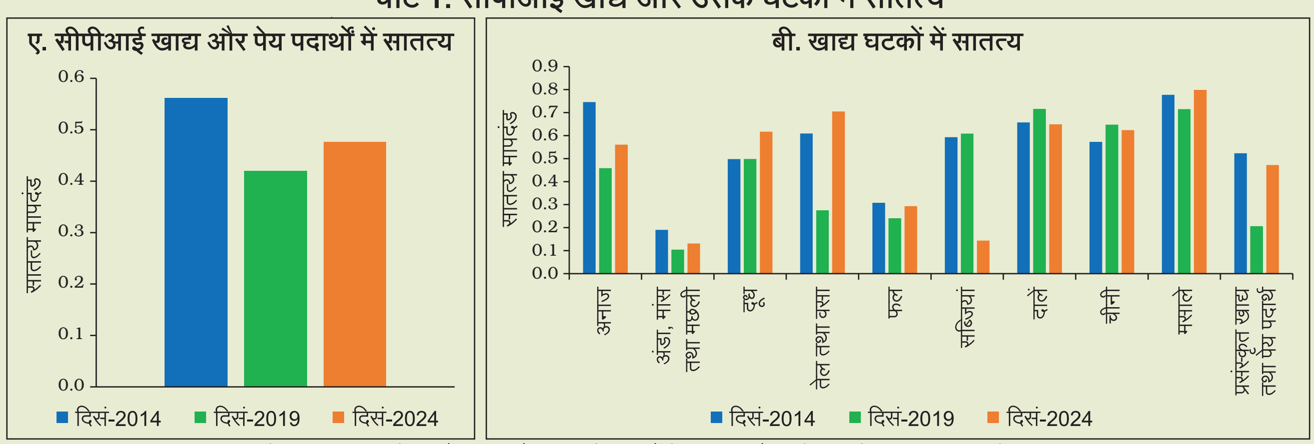

टिप्पणी: सीपीआई खाद्य सातत्य पैरामीटर 48 महीने की रोलिंग विंडो पर उसके घटकों के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया गया है।
स्रोत: एमओएसपीआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

से अनाज, अंडा, मांस और मछली, फल, दूध, तेल तथा वसा, मसाले, और प्रसंस्कृत खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारण है (चार्ट 1 बी)। दूसरी ओर, सब्जियों, चीनी और दालों में मुद्रास्फीति सातत्य में कमी आने का अनुमान है।

आपूर्ति पक्ष की ओर से बीच-बीच में होने वाले आघातों के अलावा, मांग पक्ष के कारक भी खाद्य कीमतों में सातत्य ला सकते हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के 2011-12 और 2022-23 दौर का उपयोग करके उभरती मांग स्थितियों का विश्लेषण किया गया। 12 फ्रैक्टाइल (एचसीईएस द्वारा परिभाषित) में अनुमानित प्रति व्यक्ति वास्तविक व्यय ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में ऊर्ध्वमुखी बदलाव दर्शाता है (चार्ट 2)।

व्यय हिस्सेदारी में परिवर्तनों के सातत्य की मैपिंग करने से यह दिखाई देता है कि खाद्य उप-समूहों में पशु प्रोटीन (अर्थात, अंडा, मांस, मछली और दूध), फल, तेल तथा वसा, और प्रसंस्कृत खाद्य तथा पेय पदर्थों पर व्यय में वृद्धि है, जिसमें हाल के वर्षों में अधिक सातत्य भी है (सारणी 1)। इसके अलावा, फलों, अंडे, मांस तथा मछली, दूध, और तेल तथा वसा के प्रति व्यय में बदलाव निम्न फ्रैक्टाइल परिवारों में सर्वाधिक है, जबकि उच्च फ्रैक्टाइल समूहों में प्रसंस्कृत खाद्य तथा पेय पदार्थों पर बढ़ा हुआ व्यय अधिक है। तथापि, अनाजों की स्थिति विपरीत दिखाई देती है। व्यय हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद सातत्य में वृद्धि है जो आपूर्ति पक्ष के कारकों के प्रभुत्व को दर्शाती है। कुल मिलाकर, निरंतर होने वाले आपूर्ति पक्ष के आघातों, और आहार संबंधी आदतों में परिवर्तन के कारण, खाद्य उत्पादों की मांग गतिशीलता में होने वाले परिवर्तनों के चलते, खाद्य मुद्रास्फीति की सावधानीपूर्वक निगरानी किए जाने की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है।

चार्ट 2: परिवारों के वास्तविक व्यय में परिवर्तन

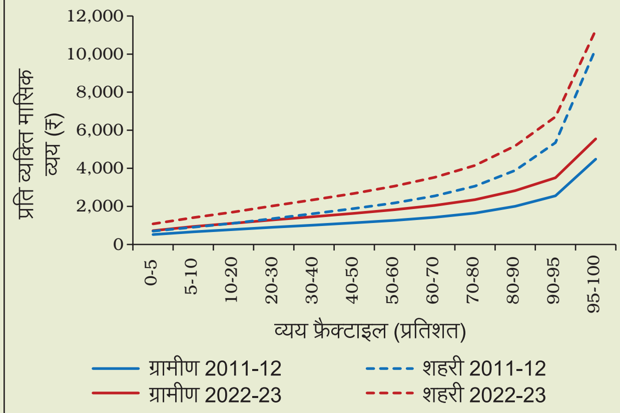

स्रोत: एचसीईएस (2011-12 और 2022-23), एमओएसपीआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 1: व्यय हिस्सेदारी और सातत्य में परिवर्तन

खाद्य उप-समूह	सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में भार (प्रतिशत)	खाद्य समूह में व्यय फ्रैक्टाइल के अनुसार व्यय हिस्सेदारी में परिवर्तन (प्रतिशत)				सातत्य मापदंड में परिवर्तन
		0-40	40-50	50-100	सभी श्रेणियां	
1	2	3	4	5	6	7
अनाज	9.7	-13.24	-9.67	-6.00	-8.35	0.16
दालें	2.4	-1.20	-1.27	-1.14	-1.19	-0.11
सब्जियां	6.0	-1.30	-1.20	-0.85	-1.01	-0.42
फल	2.9	3.18	3.04	1.60	2.25	0.07
अंडा, मांस तथा मछली	4.0	2.78	1.71	0.39	1.13	0.03
दूध	6.6	4.98	3.42	1.10	2.45	0.11
मसाले	2.5	-0.35	-0.42	-0.20	-0.29	0.08
तेल तथा वसा	3.6	1.17	0.30	-0.02	0.32	0.50
चीनी	1.4	-1.19	-1.33	-1.24	-1.24	-0.02
प्रसंस्कृत खाद्य तथा पेय पदार्थ	5.6	5.17	5.42	6.35	5.93	0.28

टिप्पणी: 1. व्यय हिस्सेदारी में परिवर्तन को 2011-12 की तुलना में 2022-23 में भिन्नता के रूप में लिया गया है।
2. सातत्य में परिवर्तन को 2021-24 और 2016-19 के बीच सातत्य पैरामीटर में भिन्नता के रूप में लिया गया है।
3. व्यय फ्रैक्टाइल: 0-40 प्रतिशत, 40-50 प्रतिशत, 50-100 प्रतिशत, और सभी वर्ग एचसीईएस से एकत्रित किए गए हैं, और मूल्य संबंधित व्यय समूहों के लिए खाद्य पदार्थों के व्यय हिस्सेदारी में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

स्रोत: एमओएसपीआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. बिल्के, एल, एवं स्ट्रैका एल (2007), 'ए पर्सिस्टेंस-वेटेड मेजर ऑफ कोर इन्फ्लेशन इन द यूरो एरिया', *इकोनोमिक मॉडेलिंग*, 24(6)।
2. पात्र, एमडी, खुंद्रकपम, जेके, और जॉर्ज, एटी (2014), 'पोस्ट-ग्लोबल क्राइसिस इन्फ्लेशन डायनेमिक्स इन इंडिया: व्हाट हैज चेंज?', इंडिया पॉलिसी फोरम 2013-14, वॉल्यूम 10, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली।
3. ब्लिंडर, ए. (1997), 'सेंट्रल बैंकरों के लिए शॉर्ट-रन इन्फ्लेशन को मापना: एक टिप्पणी', फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सेंट लुइस रिव्यू, मई/जून 1997, 79(3)।
4. मित्तल, एस. (2006), 'स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन डिमांड फॉर फूड : प्रोजेक्शन्स फॉर 2020', वर्किंग पेपर नंबर 184, अगस्त, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली।

II.3.8 ईंधन और प्रकाश में मुद्रास्फीति 2024-25 के दौरान औसतन (-) 2.5 प्रतिशत रही, जो एक वर्ष पहले के 1.2 प्रतिशत से काफी कम है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में कमी से 2023 और 2024 के दौरान तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन की घरेलू कीमतों में कमी से अपस्फीति बनी रही। हालांकि, कुछ राज्यों में दाम बढ़ोतरी के कारण 2024-25 के दौरान बिजली की कीमतों में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.3.9 मुख्य रूप से कपड़े और जूते, आवास, घरेलू सामान और सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा द्वारा प्रेरित, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति या कोर मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले 4.3 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के दौरान 3.5 प्रतिशत हो गई। तथापि, परिवहन एवं संचार तथा वैयक्तिक देखभाल एवं प्रभावों में मुद्रास्फीति क्रमशः प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल दरों में वृद्धि तथा सोने और चांदी में अंतरराष्ट्रीय मूल्य दबावों के कारण अधिक थी।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

खाद्य पदार्थ

II.3.10 खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति अप्रैल 2024-जनवरी 2025 में औसतन 7.4 प्रतिशत रही, जबकि 2023-24 की इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी। हालांकि, 2023-24 में 7.0 प्रतिशत की तुलना में, फरवरी-मार्च 2025 में सब्जियों की कीमतों में तीव्र कमी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में 2024-25 में 6.7 प्रतिशत की कमी आई। खाद्य समूह के भीतर, मुद्रास्फीति चार उप-समूहों में बढ़ी, जबकि यह पिछले वर्ष की तुलना में शेष आठ उप-समूहों के लिए कम हुई (चार्ट II.3.5 और II.3.6)।

II.3.11 समग्र खाद्य मुद्रास्फीति को मजबूत रखते हुए 2024-25 में सब्जियों (खाद्य और पेय समूह में भार: 13.2 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति अस्थिर और 19.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही। उत्तरी भारत में लू की स्थिति और देश के दक्षिणी और मध्य भागों में अत्यधिक बारिश के कारण अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान आपूर्ति में व्यवधान से सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई। टमाटर की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण अगस्त में कीमतों में नरमी के बाद मौसम की बाधा और त्योहारी मांग के कारण सितंबर-अक्तूबर में कीमतों में फिर से तेजी आई। नवंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान बाजार आवक में वृद्धि से कीमतों में लगभग (-) 38 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई, जो 2024-25 में उच्च उत्पादन को दर्शाता है [2023-24 की

चार्ट II.3.5: खाद्य मुद्रास्फीति वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

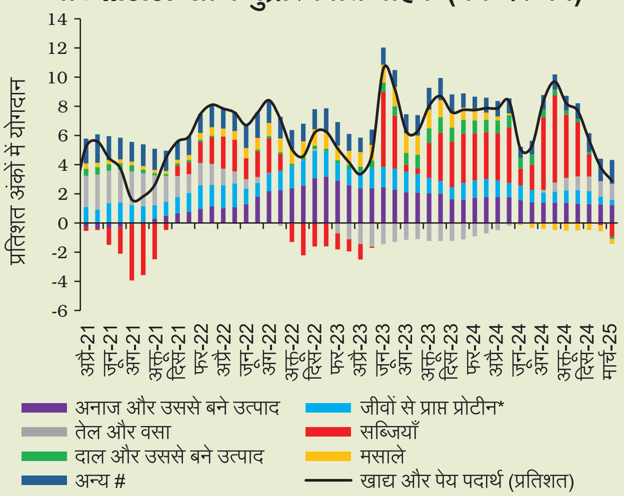

*: इसमें मांस और मछली, अंडे और दूध और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।
#: फल, चीनी और मिष्ठान्न, एल्कोहोल मुक्त पेय-पदार्थ और तैयार भोजन शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.6: प्रमुख खाद्यान्न उप-समूह में मुद्रास्फीति

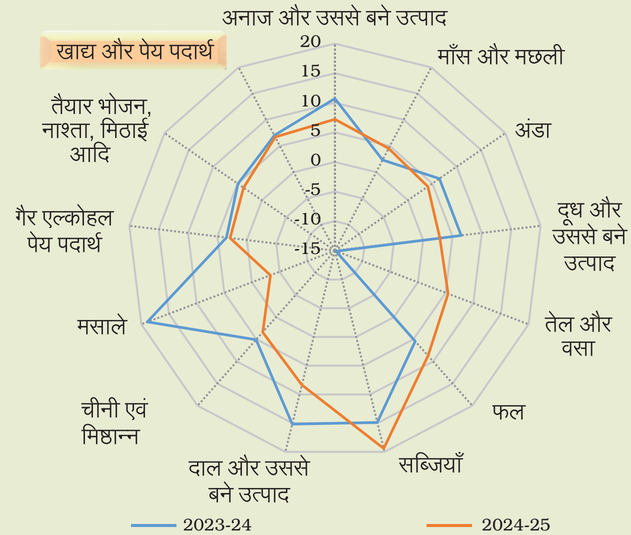

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.7: सीपीआई में मौसमी प्रभाव- सब्जी की कीमतें और तापमान विचलन

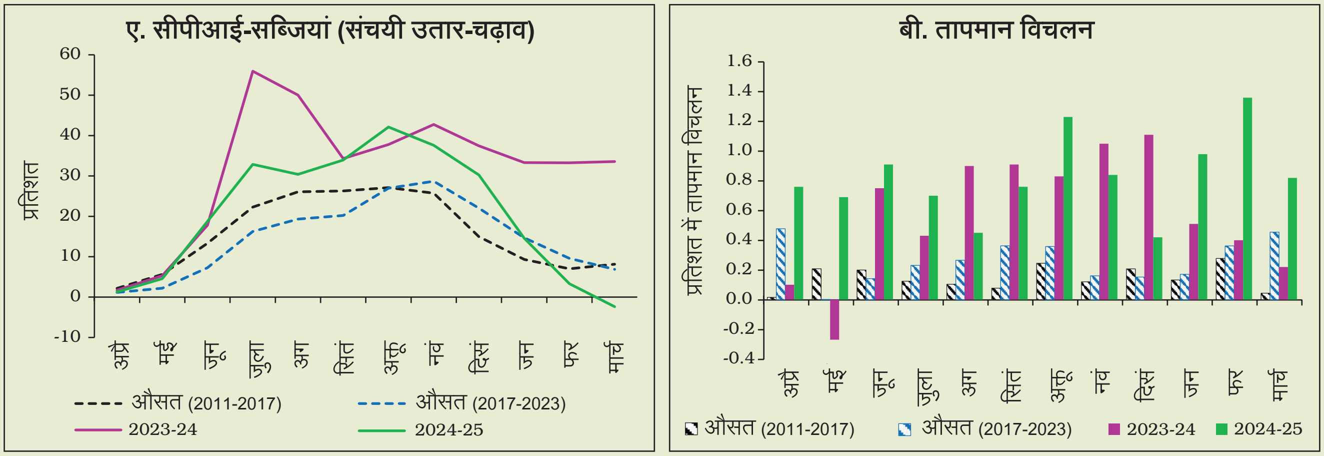

टिप्पणी: चार्ट बी के लिए, तापमान विचलन को 30-वर्षीय औसत (1991 से 2020) से विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: एनएसओ, भारत मौसम विज्ञान विभाग, और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

तुलना में पहले अग्रिम अनुमानों (प्रथम एई) के अनुसार 3.6 प्रतिशत] (चार्ट II.3.7ए और II.3.7बी)।

II.3.12 प्रमुख सब्जियों में, आलू संबंधी मुद्रास्फीति उच्च बनी रही और सर्दियों के दौरान उच्च न्यूनतम तापमान और प्रमुख उत्पादक राज्यों में लंबे समय तक कोहरे की स्थिति के कारण 2023-24 में उत्पादन में कमी [2022-23 की तुलना में (-) 5.0 प्रतिशत] के कारण 2024-25 के दौरान औसतन 54.1 प्रतिशत रही। हालांकि, 2024-25 में उत्पादन में वृद्धि (2023-24 की तुलना में प्रथम एई के अनुसार 4.4 प्रतिशत) और बाजार में उच्च आवक के साथ, जनवरी-मार्च 2025 के दौरान आलू की मुद्रास्फीति कम हो गई। 2023-24 में उत्पादन में भारी गिरावट [2022-23 की तुलना में (-) 19.5 प्रतिशत] के कारण अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान प्याज की कीमत मुद्रास्फीति औसतन 52.3 प्रतिशत रही। मूल्य दबावों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने सितंबर 2024 में प्रमुख खपत केंद्रों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुले बाजार की बिक्री के लिए रबी प्याज फसल से 4.7 लाख मीट्रिक टन (एमटी) प्याज खरीदा और अधिशेष राज्यों से घाटे वाले राज्यों में तेजी से वितरण के लिए अक्तूबर में एक विशेष ट्रेन, '*कांदा एक्सप्रेस*' शुरू की। इसके अलावा, सरकार ने मई 2024 में 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन प्याज के निर्यात की अनुमति दी, जिसे बाद में हटा दिया गया; और सितंबर 2024 में निर्यात शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि, 2024-25 में उच्च उत्पादन (2023-24 की तुलना में प्रथम एई के अनुसार 18.9 प्रतिशत) और बाजार में मजबूत आवक के कारण दिसंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान प्याज की कीमतों में कमी आई। टमाटर की कीमतों ने 2024-25 में काफी अस्थिरता प्रदर्शित की, अप्रैल-जून के बीच 36.6 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई, अनुकूल आधार प्रभावों के कारण जुलाई में 43 प्रतिशत और अगस्त में ताजा फसल की आवक पर तेज मूल्य संशोधन के कारण और गिरकर 47.9 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की । इसके बाद, दक्षिणी राज्यों में उच्च तापमान और वर्षा से फसल क्षति के कारण मंडी की कम आवक के कारण अक्तूबर में टमाटर की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़कर 161 प्रतिशत हो गई, इसके बाद जनवरी-मार्च 2025 के दौरान आपूर्ति में सुधार से कीमतों में तीव्र कमी आई, जिससे मार्च 2025 में (-) 35.0 प्रतिशत की अपस्फीति हुई। टीओपी (टमाटर, प्याज

और आलू), को छोड़कर सब्जियों में विशेष रूप से लहसुन में भी बारिश से अतिरिक्त नुकसान के कारण उच्च मूल्य दबाव देखा गया, जो हालांकि, घरेलू आपूर्ति में सुधार के साथ नवंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान तेजी से कम हुआ। कुल मिलाकर, सीपीआई (नवंबर-फरवरी) की वर्तमान श्रृंखला में सर्दियों में सब्जियों कीमतों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जो उच्च मंडी आवक और अनुकूल मौसम की स्थिति से मार्च 2025 तक बनी रही।

II.3.13 अनाज और उत्पादों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21 प्रतिशत का भार) पिछले वर्ष में 10.7 प्रतिशत से कम की तुलना में 2024-25 के दौरान 7.2 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही। अनाजों में, चावल की कीमतों में मुद्रास्फीति, 22 महीनों तक दोहरे अंकों में रहने के बाद, अगस्त 2024 में 9.6 प्रतिशत और मार्च 2025 में 4.9 प्रतिशत तक कम हो गई। यह कमी मुख्य रूप से 2024-25 में अधिक उत्पादन (2023-24 की तुलना में एई के अनुसार 6.7 प्रतिशत) के साथ-साथ सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन उपायों जैसे 'भारत चावल' की खुदरा बिक्री और अगस्त 2024 से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत चावल की कमी वाले राज्यों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से 2,250 रुपए प्रति क्विंटल की निश्चित कीमत पर सीधे खरीदने का प्रावधान करने के कारण आई। आपूर्ति की स्थिति में सुधार के साथ, सरकार ने बासमती चावल पर 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के एमईपी को हटा दिया, सितंबर 2024 में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया, अक्तूबर 2024 में इसके एमईपी खंड को हटा दिया, और उच्च निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2025 में टुकड़ा चावल पर प्रतिबंध को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर, उत्पादन अधिक (2022-23 की तुलना में 2023-24 में 2.5 प्रतिशत) होने पर भी गेहूं की कीमतों में मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में 6.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 9.0 प्रतिशत हो गई। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के उपाय किए, जिसमें व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा लागू करना (मार्च 2025 तक), मार्च 2025 तक ओएमएसएस के तहत ई-नीलामी के माध्यम से 2.5 मिलियन टन गेहूं की बिक्री [उचित और औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) अनाज के लिए ₹2,325 प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर और कम विनिर्देशों (यूआरएस) अनाज के लिए ₹2,300 प्रति क्विंटल] शामिल हैं और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा। गेहूं का बफर स्टॉक 1 अप्रैल 2025 तक मानक का 1.6 गुना बना रहा। 2024-25 में गेहूं का रबी उत्पादन (2023-24 की तुलना में द्वितीय एई के अनुसार 1.9 प्रतिशत) गेहूं की आगामी कीमतों के लिए अच्छा है।

II.3.14 अंडे, मांस और मछली (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत का भार) जैसे पशु प्रोटीन वस्तुओं की कीमतों में अप्रैल-जून 2024 के दौरान लू के कारण कीमतों में मौसमी वृद्धि देखी गई, जिसने दक्षिणी भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कुक्कुटपालन की उपज को प्रभावित किया (चार्ट II.3.8ए)। जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान श्रावण मास के दौरान मांग में मौसमी गिरावट के कारण बाद में मूल्यों में कमी आई । हालांकि, सितंबर-अक्तूबर में मूल्य दबाव फिर से आ गया, विशेष रूप से अंडे के मामले में जो मौसमी मांग को दर्शाता है। कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण मांग में कमी के फलस्वरूप फरवरी-मार्च 2025 के दौरान अंडे, मांस और मछली की कीमतों में नरमी आई। 2024-25 के दौरान पशु खाद्य की स्थिर कीमतों और पर्याप्त दूध आपूर्ति से लाभान्वित होने से दूध और उत्पादों की कीमतों में मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत के दायरे में थी (चार्ट II.3.8बी)।

II.3.15 तेल और वसा की कीमतें (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का भार) अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान औसतन (-) 4.2 प्रतिशत के साथ अपस्फीति में बनी रहीं; मुद्रास्फीति सितंबर में सकारात्मक होकर मार्च 2025 में

चार्ट II.3.8: सीपीआई – जीव प्रोटीन : कीमतों में मौसमी परिवर्तन

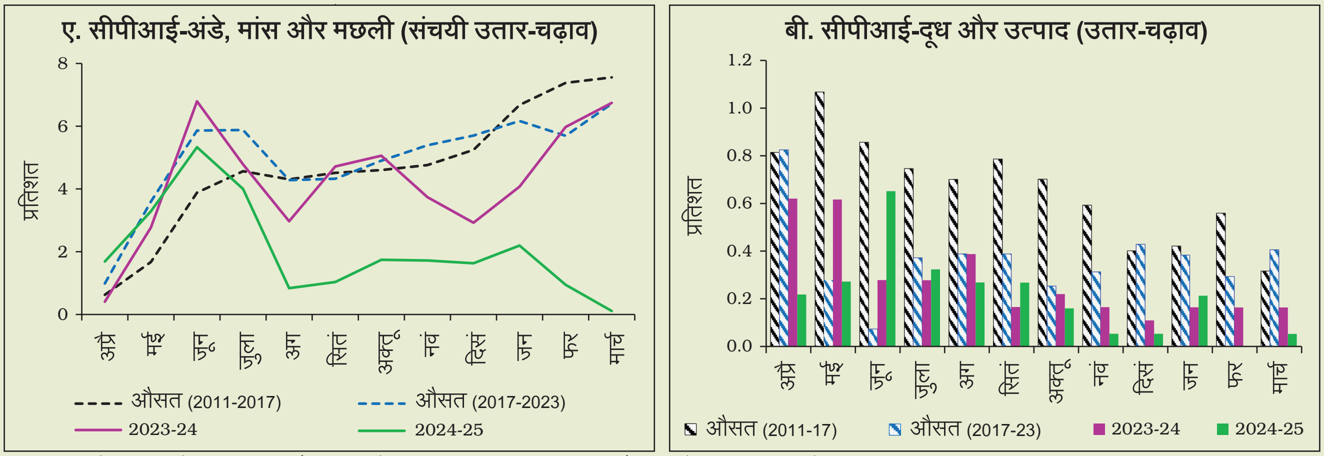

टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए, मांस और मछली के लिए सूचकांक संख्या एनएसओ द्वारा तैयार किया गया है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

17.1 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट II.3.9)। अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि और सितंबर 2024 से प्रभावी कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के कारण 19 महीनों के अंतराल के बाद कीमतों में बदलाव हुआ था। हालांकि, दूध की कीमतों में नरमी के साथ घी और मक्खन की कीमतों में कमी बनी रही।

II.3.16 दालों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का भार) मई 2024 से कम होकर मार्च 2025 में (-) 2.7 प्रतिशत तक पहुँच गई (चार्ट II.3.10)। 2023-24 की तुलना में 2024-25 के द्वितीय एई के अनुसार तुअर (2.8 प्रतिशत), मूंग (28 प्रतिशत) और चना (4.5 प्रतिशत) जैसी प्रमुख दालों का अधिक उत्पादन, और आपूर्ति प्रबंधन उपाय (31 मई 2025 तक पीली मटर और 31 मार्च 2026 तक तुअर और उड़द के निरंतर मुक्त आयात सहित, प्रमुख दालों के लिए साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण आवश्यकताएं, और भारत दाल ब्रांड के अंतर्गत चना, मूंग और

चार्ट II.3.9: सीपीआई-तेल और वसा (संचयी उतार-चढ़ाव)

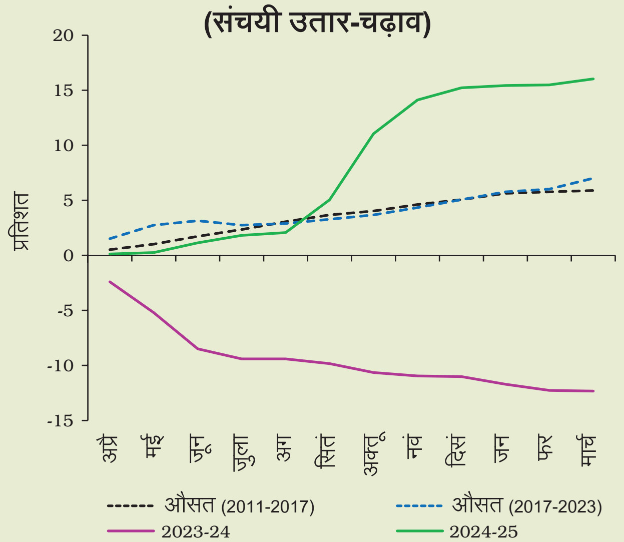

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.10: सीपीआई में घटक-वार योगदान - दाल मुद्रास्फीति

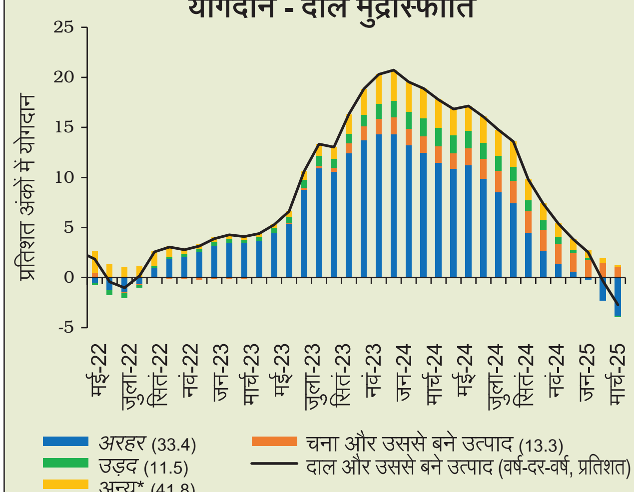

*: इसमें मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, बेसन और अन्य दाल उत्पाद शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सीपीआई-दालें और उससे बने उत्पादों में भार को इंगित करते हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मसूर दालों की बिक्री) से दालों की मूल्य मुद्रास्फीति में कमी आई।

II.3.17 केला, आम और नारियल सहित प्रमुख फलों की मंडी में कम आवक के कारण अप्रैल-जून 2024 के दौरान फलों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भार) औसतन 6.3 प्रतिशत रही। अनुकूल आधार प्रभावों के कारण जुलाई में कीमतों में गिरावट आई। उच्च उत्पादन (2023-24 की तुलना में प्रथम एई 2024-25 के अनुसार 0.2 प्रतिशत) के बावजूद अगस्त 2024-मार्च 2025 के दौरान मुख्य रूप से नारियल की कीमतों में तेज वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई।

II.3.18 अन्य खाद्य वस्तुओं में, 2023-24 में मसालों के उत्पादन में अधिकता (2022-23 से 5.5 प्रतिशत अधिक) के कारण, मुख्य रूप से जीरा और सूखी मिर्च की कीमतों में गिरावट से, एक वर्ष पहले 18.9 प्रतिशत के प्रति 2024-25 के दौरान मसालों की कीमतों में मुद्रास्फीति औसतन (-) 3.3 प्रतिशत हो गई। उत्पादन में कमी के बावजूद चीनी और मिष्ठान्न की कीमतों में मुद्रास्फीति 2024-25 में कम रही [2023-24 की तुलना में द्वितीय एई 2024-25 के अनुसार (–) 4.0 प्रतिशत]। हालांकि, इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी डायवर्जन पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों को अगस्त 2024 में शिथिल कर दिया गया था। तैयार खाद्य पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति भी कम रही और 2024-25 के दौरान औसतन 3.8 प्रतिशत रही।

ईंधन

II.3.19 वर्ष 2024-25 के दौरान ईंधन और प्रकाश (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत का भार) की कीमतें औसतन (-) 2.5 प्रतिशत (चार्ट II.3.11) पर अपस्फीति में रहीं। अप्रैल 2024-फरवरी 2025 के दौरान अपस्फीति में रहने के बाद मार्च 2025 में ईंधन मुद्रास्फीति बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गई। मार्च 2024 में सिलेंडर की घरेलू एलपीजी कीमत में ₹100 प्रति कटौती ने ईंधन में 2024-25 में पाई गई अपस्फीति की गति को बढ़ा दिया (चार्ट II.3.12)। परिणामस्वरूप, ईंधन समूह का योगदान एक वर्ष पहले 1.6 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में (-) 3.6 प्रतिशत हो गया।

कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति)

II.3.20 खाद्य और ईंधन समूहों को छोड़कर मुद्रास्फीति यानी कोर मुद्रास्फीति, एक वर्ष पहले 4.3 प्रतिशत से घटकर 2024-25 के दौरान औसतन 3.5 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट

चार्ट II.3.11: ईंधन मुद्रास्फीति के वाहक

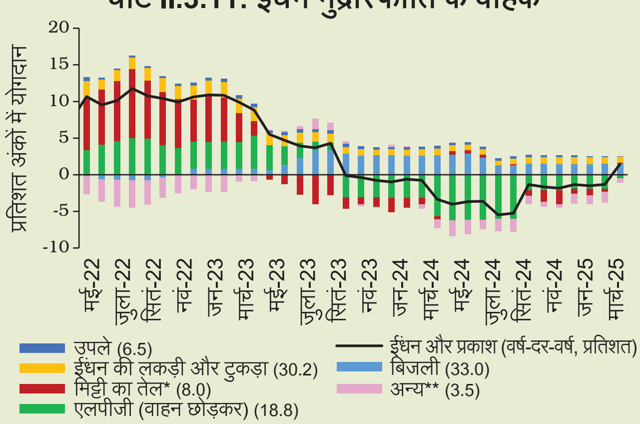

चार्ट II.3.12: एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव

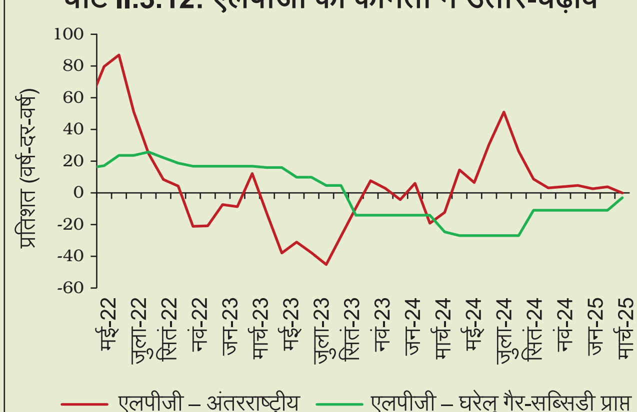

*: इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल और अन्य स्रोतों से प्राप्त मिट्टी का तेल शामिल है।
**: इसमें डीजल, कोक, कोयला, काठकोयला और अन्य ईंधन शामिल हैं।
टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई-ईंधन और प्रकाश के भार को दर्शाते हैं।
2. घरेलू गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतें चार मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) में कीमतों का औसत हैं।
स्रोत: एनएसओ, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), और ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.13: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के वाहक

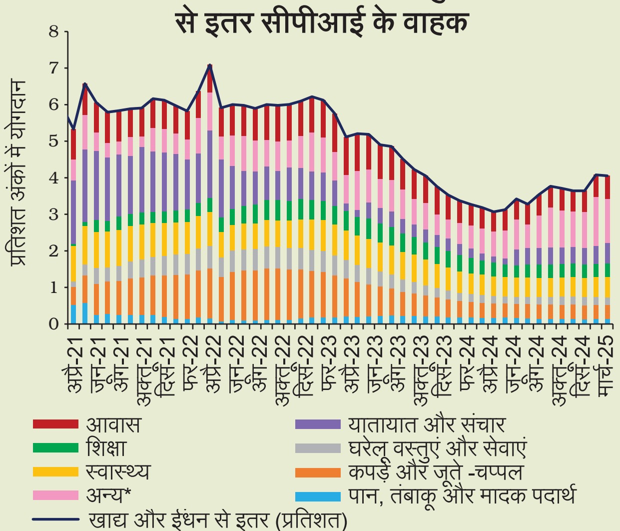

*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 4)। वर्तमान श्रृंखला में सबसे कम, मई-जून 2024 के दौरान 3.1 प्रतिशत को छूने के बाद परवर्ती महीनों में इसमें तेजी आई और मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी और सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि से मार्च में 4.1 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट II.3.13)।

II.3.21 प्रमुख घटकों में, कपड़ों और जूतों की मुद्रास्फीति, एक वर्ष पहले 4.7 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के दौरान 2.7 प्रतिशत हो गई, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कपास की कम कीमतों और वस्त्रों और परिधान की घटी हुई निर्यात मांग को दर्शाती है। घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी 2024-25 के दौरान मध्यम मूल्य दबाव देखा गया। जुलाई-अगस्त 2024 में मोबाइल टैरिफ में वृद्धि से परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति, एक वर्ष पहले 1.9 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2024-25 में 2.4 प्रतिशत हो गई। मार्च-अप्रैल 2024 में, घरेलू खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बाद वर्ष के दौरान ये अपरिवर्तित रहीं (चार्ट II.3.14)। परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति मई-जून 2024 के दौरान 1 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2024-मार्च 2025 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई, इसने कोर मुद्रास्फीति वृद्धि में योगदान दिया। प्रमुख सीपीआई वस्तुओं के लगभग 78 प्रतिशत ने पिछले वर्ष के 51 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 के दौरान 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर्ज की (चार्ट II.3.15)।

II.3.22 आवास किराया मुद्रास्फीति कम होने के कारण आवास मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान 3.9 प्रतिशत से गिरकर 2024-25 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई। मुख्य रूप से भू-राजनीतिक अनिश्चितता और विकसित वैश्विक मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र के बीच वैश्विक सुरक्षित निवेश मांग पर सोने की उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण निजी देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 के दौरान 9.8 प्रतिशत हो गई।

चार्ट II.3.14: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान

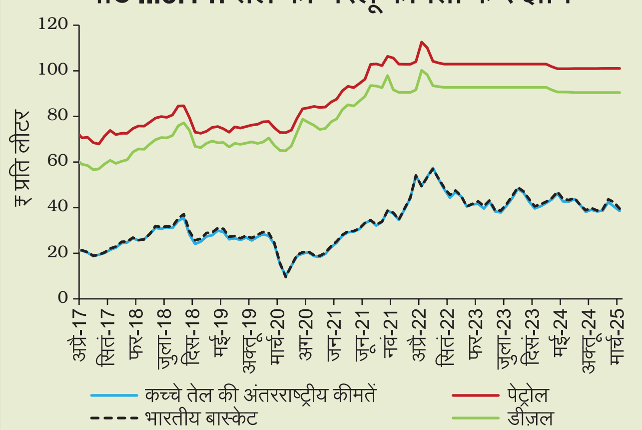

चार्ट II.3.15: मुद्रास्फीति : महत्वपूर्ण वस्तुएं

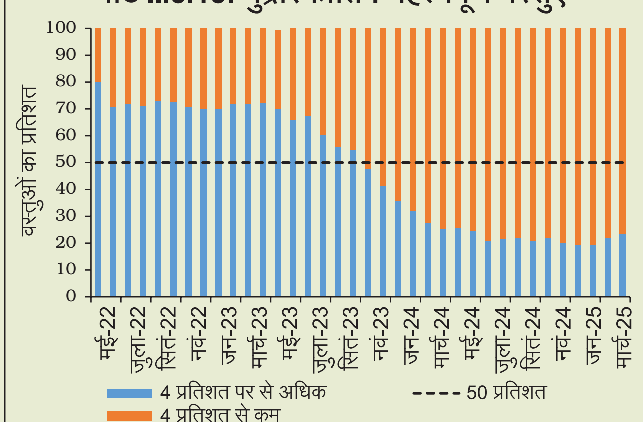

टिप्पणी: कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।
स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिंक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीपीएसी, एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.3.23 क्षेत्रगत दृष्टिकोण से, औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए सीपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति, ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति में कमी से 2024-2025 के दौरान एक वर्ष पहले के 5.2 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत हो गई। कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल) के लिए सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी से 2024-25 के दौरान 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई, जो एक वर्ष पहले क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत थी।

II.3.24 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले (-) 0.7 प्रतिशत की अपस्फीति से 2024-25 के दौरान बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी और वैश्विक धातुओं और खनिजों की कीमतों का बढ़ना है। प्राथमिक वस्तुओं (डब्ल्यूपीआई बास्केट में 22.6 प्रतिशत की भारिता) में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 3.5 प्रतिशत से 2024-25 के दौरान बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, जो मौसम की बाधा के कारण खाद्य कीमतों में दबाव से प्रेरित थी। इसके विपरीत, ईंधन और बिजली ने 2024-25 के दौरान औसतन (-) 1.3 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की, जो वैश्विक ऊर्जा कीमतों में कमी को दर्शाती है। विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति (64.2 प्रतिशत का भार) एक वर्ष पहले (-) 1.7 प्रतिशत की अपस्फीति से 2024-25 के दौरान बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गई, जिसका प्रमुख कारण खाद्य उत्पादों, गैर-लौह और कीमती धातु रही। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गई।

II.3.25 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 1.5-12.7 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 2.4-7.0 प्रतिशत की वृद्धि की गई। खरीफ फसलों में नाइजरसीड के एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि रबी फसलों में जौ के एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

II.3.26 वर्ष 2024-25 के दौरान नाममात्र ग्रामीण मजदूरी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.0 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 5.9 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से गैर-कृषि मजदूरी के कारण हुई, जो एक साल पहले के 5.9 प्रतिशत से घटकर 2024-25 के दौरान 5.6 प्रतिशत हो गई। गैर-कृषि मजदूरों की श्रेणी में हस्तशिल्प श्रमिकों, बांस/बेंत की टोकरी बुनने वालों और झाड़ू लगाने वाले/सफाई करने वाले श्रमिकों द्वारा यह नरमी लाई गई। हालांकि, 2024-25 के दौरान कृषि मजदूरी एक साल पहले के 6.0 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई।

6. निष्कर्ष

II.3.27 वर्ष 2024-25 में कृषि फसल उत्पादन में मजबूती, वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी- विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला दबाव में कमी, सरकार के आपूर्ति प्रबंधन उपायों और मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के पश्च प्रभाव के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति, जो मौसम के कारण आपूर्ति पक्ष में बार-बार होने वाली बाधा के कारण उच्च बनी हुई थी, जनवरी-मार्च 2025 में बाजार में अधिक आवक के कारण कम हुई। एलपीजी और केरोसिन की कम कीमतों के कारण ईंधन कीमतें वर्ष 2024-25 में अपस्फीति में बनी रही। वर्ष के शुरुआती कालावधि के दौरान कोर मुद्रास्फीति चालू श्रृंखला में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई, जबकि बाद के महीनों में इसमें मामूली वृद्धि हुई। इसके आगे, बेहतर रबी फसल के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने की संभावना है, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आएगी। हालांकि, अपस्फीति प्रक्रिया लंबे समय तक भू-राजनीतिक संघर्षों, विकसित व्यापार गतिशीलता और मौसम की स्थिति से उत्पन्न अनिश्चितताओं के अधीन है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।

II.4 मुद्रा एवं ऋण

II.4.1 वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप मौद्रिक और ऋण स्थितियों का विकास हुआ। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)[15] में परिवर्तन के प्रथम दौर के प्रभाव के कारण आरक्षित मुद्रा (आरएम) में समायोजन हुआ जोकि रिज़र्व बैंक के पास रखी बैंकरों की जमाराशि की तीव्रता में कमी आने के कारण वर्ष के दौरान किया गया था; जबकि संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) पिछले वर्ष की तुलना में अधिक गति से बढ़ी क्योंकि मई 2023 में शुरू किए गए ₹2000 के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का प्रभाव समाप्त हो गया। बैंक ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में रही, जबकि जमा और ऋण वृद्धि के बीच का अंतराल कम हुआ।

II.4.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 आरक्षित मुद्रा की गतिशीलता और रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में बदलावों पर विशद जानकारी देता है। उप-खंड 3 और 4 क्रमशः, निष्कर्षी टिप्पणियों के साथ, मुद्रा-आपूर्ति और बैंक-ऋण गतिविधियों का ब्योरा देते हैं।

2. आरक्षित मुद्रा[16]

II.4.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम) केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में मौद्रिक देयताओं के स्टॉक को दर्शाती है (चार्ट II.4.1)। रिवर्स रेपो/स्थायी-जमा-सुविधा (एसडीएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकों की अधिशेष-चलनिधि के साथ, जोखिम बफर और पुनर्मूल्यांकन खाते [निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों (एनएनएमएल) का बड़ा हिस्सा] तुलन पत्र के अन्य प्रमुख घटक हैं।

चार्ट II.4.1: रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के घटक (देनदारियां) [मार्च अंत]

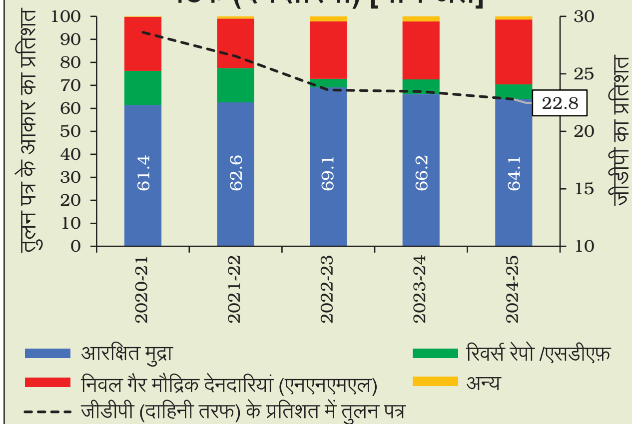

एनएनएमएल: निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों में आर्थिक पूंजी (जैसे पूंजी, भंडार, आकस्मिक निधि, आस्ति विकास निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता), आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाता और आईएमएफ कोटा सदस्यता और अन्य भुगतान से अन्य आस्तियों को घटाकर शामिल किया गया है।
स्रोत: आरबीआई।

II.4.4 रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार मार्च 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 23.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 22.8 प्रतिशत हो गया, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई प्रवृत्ति के समान ही है (चार्ट II.4.2)।

II.4.5 वर्ष 2024-25 के दौरान, आरएम[17] में वृद्धि, सीआरआर में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के कारण समायोजित होकर एक वर्ष पूर्व के 6.7 प्रतिशत से घटकर, 5.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.4.3ए और परिशिष्ट सारणी 4)। अगस्त 2023 में वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर)[18] के अस्थायी अधिरोपण के आधार प्रभाव के कारण अगस्त 2024 में आरएम वृद्धि में अल्पकालिक गिरावट देखी गई (चार्ट II.4.3बी)।

II.4.6 संचलनगत-मुद्रा(सीआईसी) में वृद्धि – जो 76.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ आरएम का प्रमुख घटक है –वर्ष

[15] सीआरआर को 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की दो किस्तों में 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया।

[16] उप-खंड 2 में, संवृद्धि और अन्य अनुपात, संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/महीने के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

[17] इसमें संचलनगत मुद्रा, रिज़र्व बैंक में बैंकरों की जमाराशि, और देनदारी पक्ष में रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा शामिल हैं।

[18] 12 अगस्त 2023 से प्रभावी, रिज़र्व बैंक ने ₹2000 के बैंक नोटों को वापस लेने से उत्पन्न अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए 19 मई - 28 जुलाई 2023 के दौरान अनुसूचित बैंकों के निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत आई-सीआरआर लगाया। व्यवस्थित चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इस उपाय को 9 सितंबर 2023 और 7 अक्टूबर 2023 के बीच चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया।

चार्ट II.4.2: केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र का आकार (दिसंबर अंत तक)

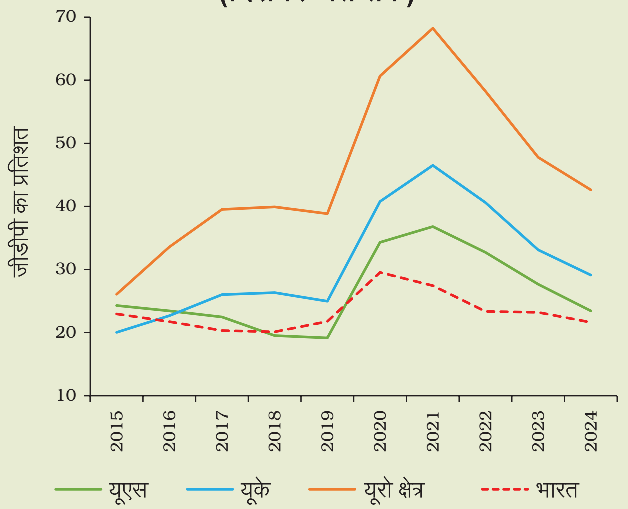

स्रोत: आरबीआई, एफआरइडी (सेंट लुइस फेड), बैंक ऑफ इंग्लैंड, आईएमएफ़, सीइआइसी, भारत सरकार तथा आरबीआई स्टाफ का आकलन।

2024-25 के दौरान एक वर्ष पहले के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई जो 2000 रुपये के बैंक नोटों के आहरण के प्रभाव को दर्शाती है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है[19] (चार्ट II.4.3 ए और II.4.3 सी)। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकरों की जमा राशि (आरएम में 20.8 प्रतिशत शेयर), अर्थात, बैंकों द्वारा अपनी सीआरआर आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संधारित जमा-शेष में 6.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो सीआरआर में 50 बीपीएस की कटौती और बैंक जमा में नरमी को दर्शाता है (चार्ट II.4.3ए)। सीआरआर कटौती के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करने पर, बैंकरों की जमा राशि में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.4.7 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)[20] सहित डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ मुद्रा-जीडीपी

चार्ट II.4.3: आरक्षित मुद्रा- घटक (देनदारी)

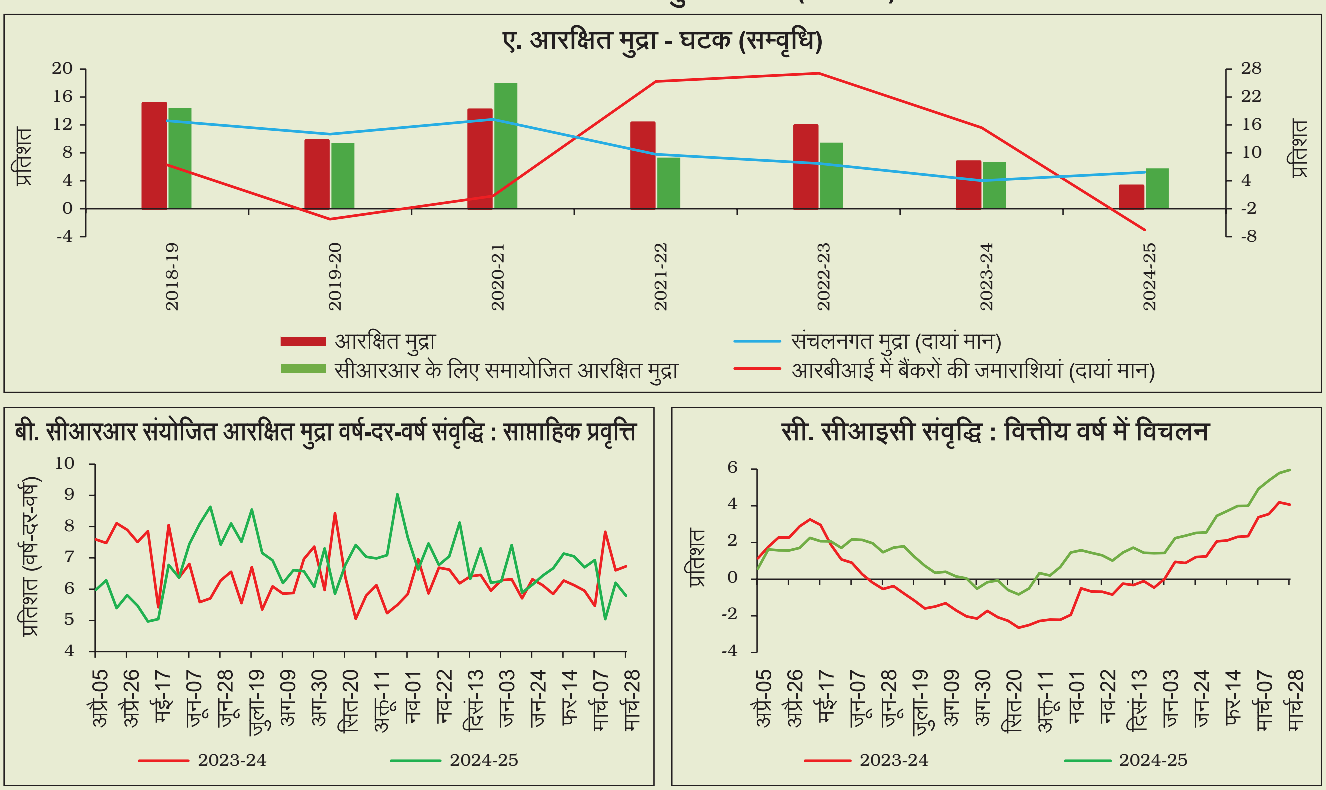

स्रोत: आरबीआई।

[19] अधिक जानकारी के लिए अध्याय VIII देखें।

[20] डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों (सीबीडीसी सहित) का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय VI, VIII और IX में शामिल हैं।

चार्ट II.4.4: संचलनगत मुद्रा और डिजिटल भुगतान

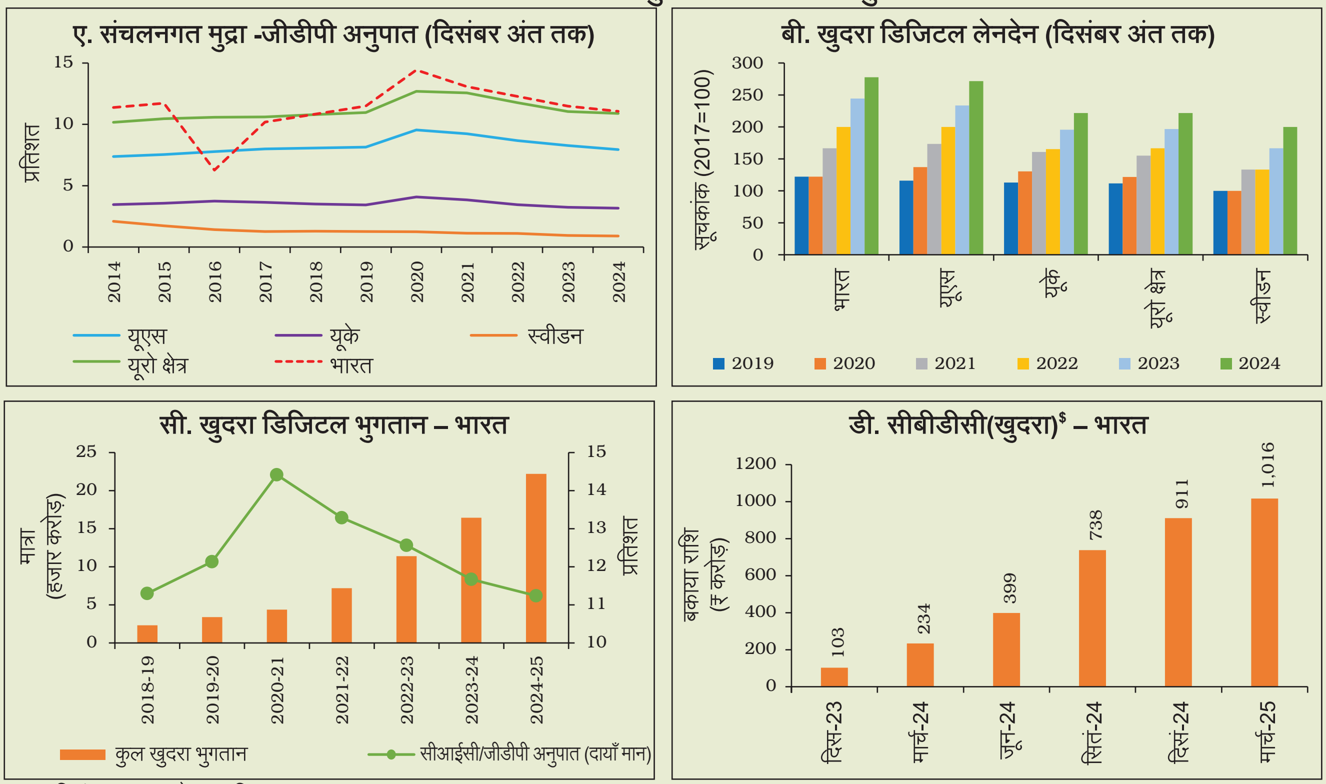

$: 01 दिसंबर 2022 को लागू किए गए

स्रोत: आरबीआई, भारत सरकार, सीईआईसी, स्टेतिस्ता, आईएमएफ़ एवं आरबीआई स्टाफ आकलन।

अनुपात में और कमी आई। 2024-25 के दौरान खुदरा डिजिटल भुगतान में मूल्य के लिहाज से 17.9 प्रतिशत और मात्रा के लिहाज से 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई [चार्ट II.4.4]।

II.4.8 स्रोत पक्ष (आस्तियां) के संदर्भ में, आरएम में भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियाँ (एनडीए)[21] और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए)[22] शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में, एनएफए में ₹2.8 लाख करोड़ का विस्तार हुआ, जबकि एफसीए में वृद्धि में कमी आई और पिछले वर्ष के दौरान ₹3.4 लाख करोड़ की निवल खरीद के मुकाबले अधिकृत डीलरों को निवल बिक्री ₹2.9 लाख करोड़ रही। एनएफए में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत तक 8.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक 12.0 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण सोने की कीमतों से पुनर्मूल्यांकन लाभ है। जनवरी-मार्च 2025 के दौरान खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से जी-सेक की खरीद के माध्यम से चलनिधि उपलब्ध कराए जाने के कारण वर्ष के दौरान सरकार को रिज़र्व बैंक का निवल ऋण बढ़ा (चार्ट II.4.5)।

3. मुद्रा आपूर्ति[23]

II.4.9 व्यापक मुद्रा (एम$_3$) के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) और घटकों के संदर्भ (देयताओं) में बैंकों की कुल जमाराशियां (एडी) शामिल होती हैं। दिनांक 21 मार्च 2025 के अनुसार एम$_3$ ने 9.6

21 इसमें बैंकों, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राथमिक डीलरों) को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण शामिल है।

22 इसमें सोना और विदेशी-मुद्रा-आस्ति (एफ़सीए) शामिल हैं। एफ़सीए में भारत सरकार (जीओआई) से हस्तांतरित विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। आईएमएफ में भारत सरकार और रिज़र्व ट्रांच पोजीशन (आरटीपी) के साथ शेष एसडीआर होल्डिंग्स, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के अंश-योगदान का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं।

23 उप-खंड 3 और 4 में, विकास और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं। आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट II.4.5: आरक्षित मुद्रा - स्रोत (आस्तियां)

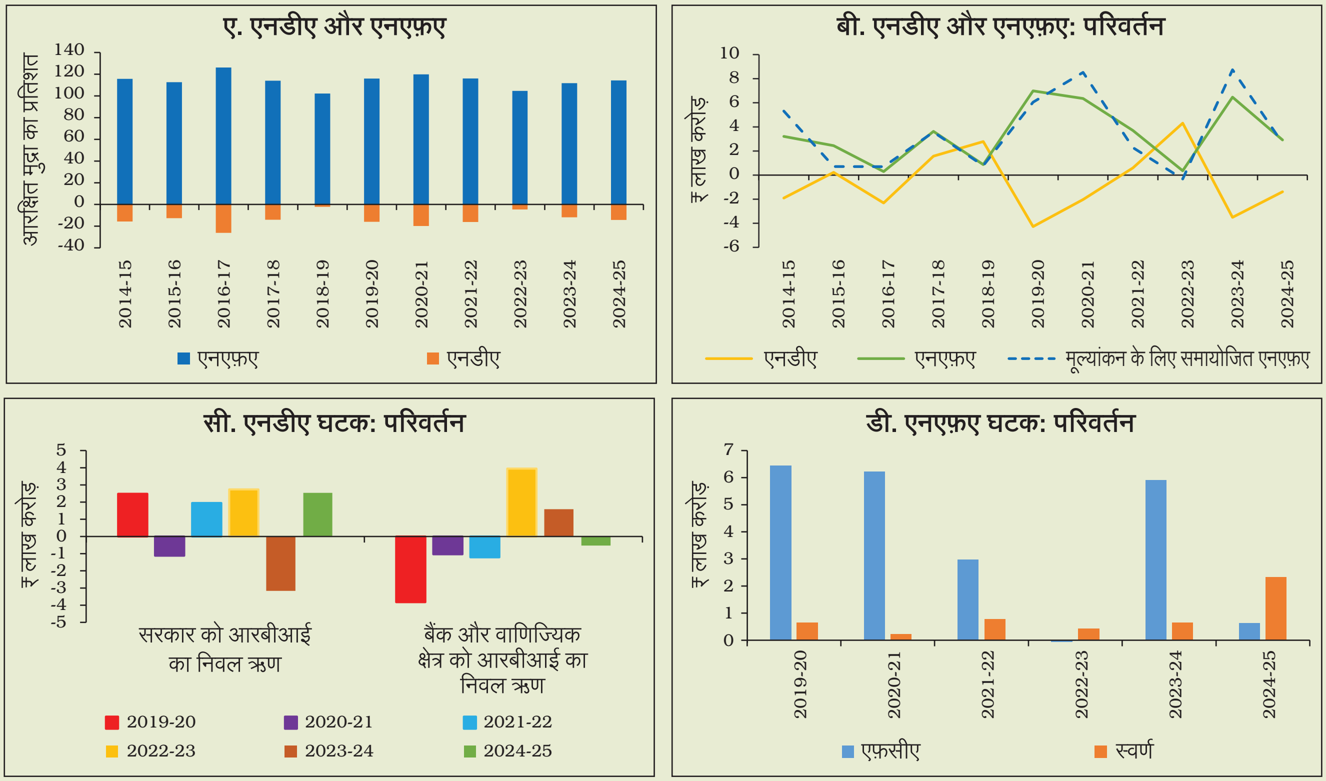

स्रोत: आरबीआई

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो मुख्यतः बैंक जमा के कारण हुई (चार्ट II.4.6)। बैंक जमा[24] में वृद्धि लगातार तीसरे वर्ष सीडब्ल्यूपी से अधिक रही। एम$_3$ और जीडीपी का अनुपात मोटे तौर पर पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा (चार्ट II.4.7)।

चार्ट II.4.6: मुद्रा आपूर्ति एवं एससीबी की सावधि जमाराशियां

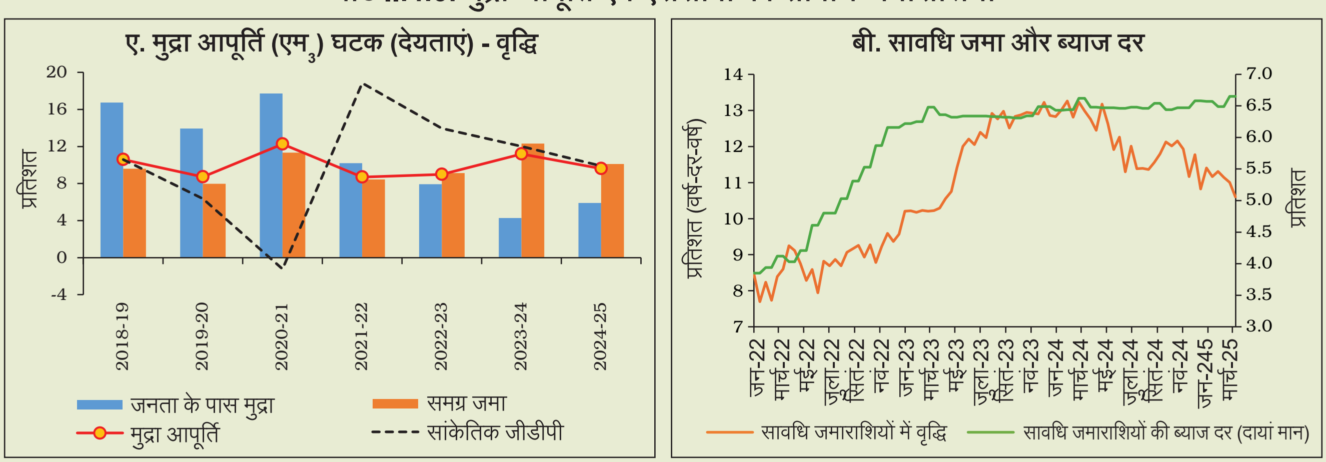

टिप्पणी: एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा के लिए, सावधि जमा ब्याज दरें, भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों को संदर्भित करती हैं।
स्रोत: आरबीआई।

24 मांग-जमा अस्थिर बने रहे, जो काफी हद तक जनता के पास मुद्रा में विचलन को दर्शाता है।

चार्ट II.4.7: एम$_3$ और जीडीपी अनुपात (दिसंबर अंत)

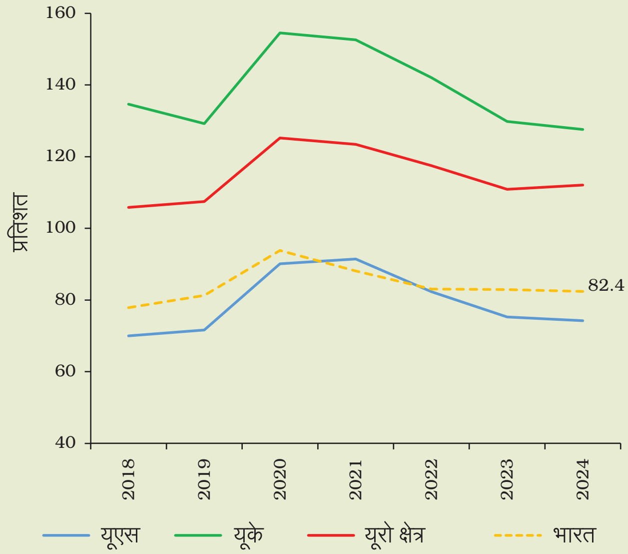

स्रोत: आरबीआई, भारत सरकार, आईएमएफ, सीईआईसी और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.4.8: मुद्रा आपूर्ति स्रोत (आस्तियाँ) - वृद्धि

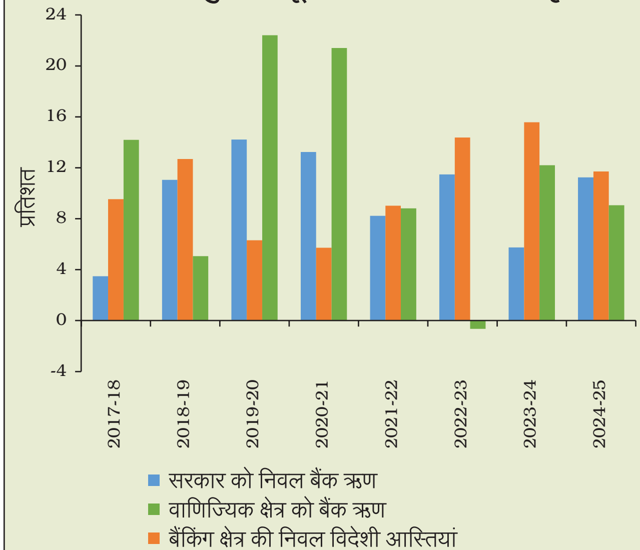

स्रोत: आरबीआई।

II.4.10 स्रोत पक्ष (आस्तियां) के संदर्भ में, एम$_3$ में हुआ विस्तार मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण द्वारा चालित था, जो वर्ष 2024-25 में 11.8 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 15.6 प्रतिशत) तक बढ़ा था। सरकार को दिये गए निवल बैंक-ऋण में 2024-25 में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि रही (एक वर्ष पूर्व 5.7 प्रतिशत)। दिनांक 21 मार्च 2025 के अनुसार, एससीबी द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों[25] की अतिरिक्त धारिताएँ एनडीटीएल का 10.3 प्रतिशत थीं। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि हुई, जो कि वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में एनएफ़ए के विस्तार को दर्शाता है (चार्ट II.4.5 और II.4.8; सारणी II.4.1)।

प्रमुख मौद्रिक-अनुपात

II.4.11 मौद्रिक लेन-देन कि गति, अर्थात एम$_3$ के अनुपात के रूप में सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, 2024-25 के दौरान स्थिर बनी रही। मुद्रा-जमा अनुपात 22 मार्च 2024 के 15.9 प्रतिशत से और गिरते हुए दिनांक 21 मार्च 2025 के अनुसार 15.4 प्रतिशत रहा जोकि अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान के डिजिटल माध्यमों के प्रति जनता की बढ़ती पसंद को दर्शाता है। सीआरआर में कमी के कारण वर्ष के दौरान आरक्षित निधि-जमा अनुपात में नरमी आई (चार्ट II.4.9ए)। मुद्रा-जमा अनुपात और आरक्षित निधि-जमा अनुपात दोनों में नरमी का संचयी प्रभाव मुद्रा बहुगुणक (एमएम) पर दिखाई दिया, जो 22 मार्च 2024 के 5.4 के स्तर से बढ़कर 21 मार्च 2025 को 5.7 हो गया (चार्ट II.4.9बी)।

[25] एसएलआर प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक बफर प्रदान करती है और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी है। रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2022 से प्रभावी परिपक्वता श्रेणी(एचटीएम) के तहत प्रतिभूतियों को रखने की सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया। एचटीएम सीमा को 31 मार्च 2025 तक चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत पर बहाल कर दिया गया है।

सारणी II.4.1: कुल मौद्रिक राशियां

मद	21 मार्च 2025 को बकाया (लाख करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	48.4*	9.7 (7.4)	6.7 (6.7)	3.3 (5.8)
II. मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$)	272.1	9.0	11.2	9.6
III. एम$_3$ के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	36.2	7.9	4.3	5.9
III.2. समग्र जमाराशियां	234.8	9.1	12.3	10.1
IV. एम$_3$ के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	81.4	11.5	5.7	11.2
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	186.4	14.4	15.6	11.8
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	59.8	-0.6	12.2	8.0
V. मुद्रा गुणक (अनुपात)	5.7			

*: आरएम का आंकड़ा 28 मार्च 2025 तक का है।

^: आरएम और एम3 का आंकड़ा क्रमशः वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार और अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीआरआर परिवर्तनों के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करते हुए आरएम में संवृद्धि दर्शाते हैं।

2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: आरबीआई।

4. ऋण

II.4.12 खुदरा और सेवा क्षेत्रों की मांग के कारण वर्ष 2024-25 में बैंक ऋण में द्वि-अंकीय वृद्धि बनी रही (चार्ट II.4.10ए और बॉक्स II.4.1)। बैंक समूह-वार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में उच्च ऋण वृद्धि दर्ज की, जिसमें कुल ऋण में पीएसबी ने सबसे बड़ा हिस्सा बनाए रखा (चार्ट II.4.10बी)।

चार्ट II.4.9: मौद्रिक अनुपात

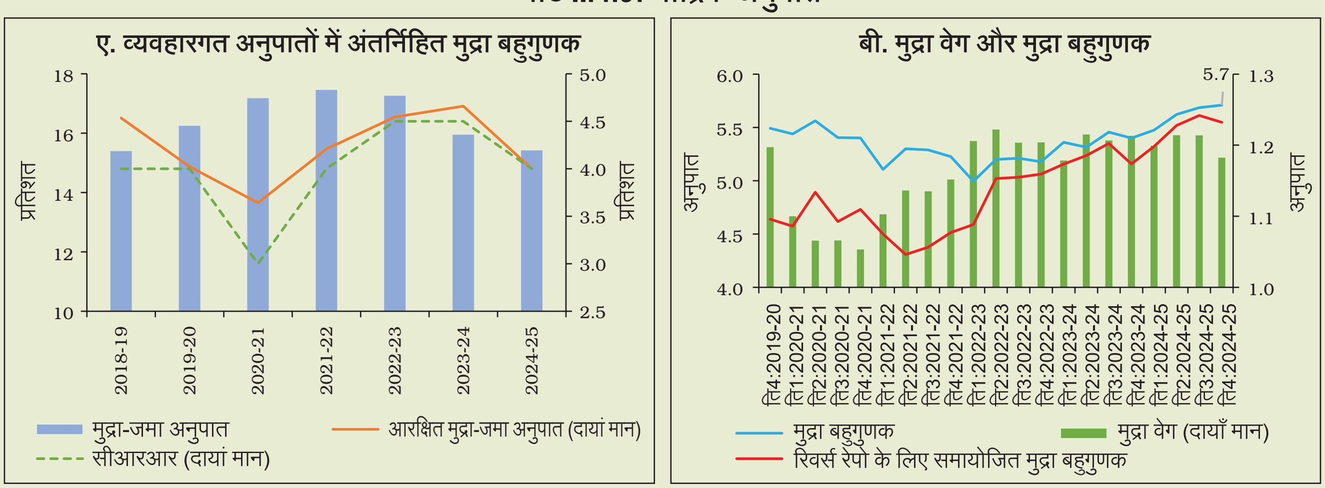

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन।

चार्ट II.4.10: बैंक समूह-वार ऋण वृद्धि

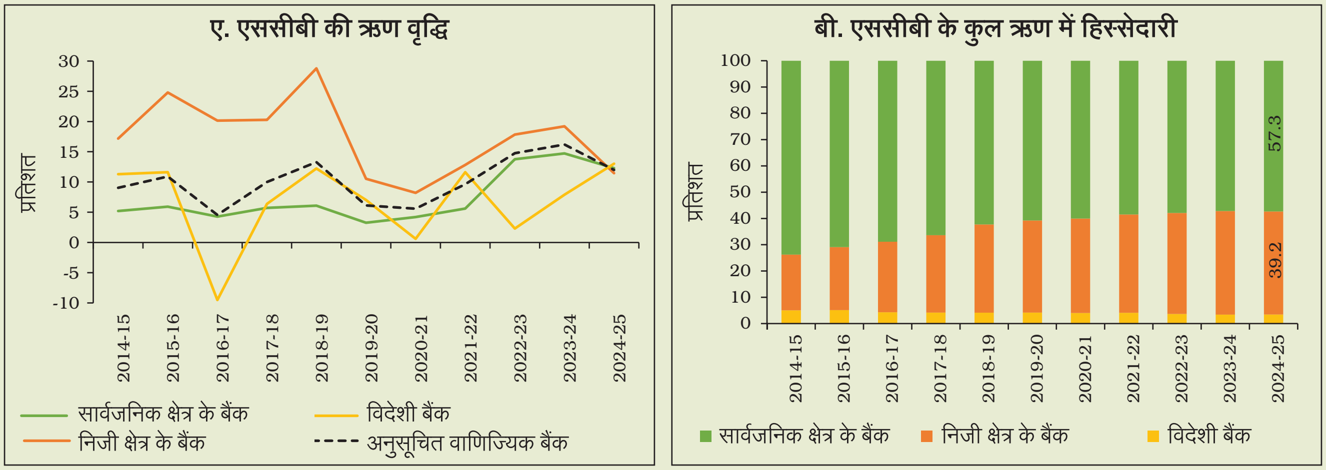

स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स II.4.1
ऋण के स्थिर मांग के चालक

बैंक ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ कमी आई है। फर्म-स्तरीय उधारी (बैंकों से और साथ ही कुल उधारी) निर्धारित करने में फर्म की विशेषताओं और व्यापक आर्थिक स्थितियों की भूमिका का पता लगाने के लिए, ओटोनेलो और विनबेरी (2020) से अनुकूलित निम्नलिखित प्रतिगमन समीकरण का अनुमान 2013-14 से 2023-24 की अवधि के लिए भारतीय गैर-वित्तीय फर्मों के लिए लगाया गया है:

$$\Delta \log(Debt_{i,t}) = \alpha_i + \alpha_s + \gamma\, Spread_{s,t} + \beta_1\, (Leverage_{i,t-1} * Spread_{s,t})$$
$$+ \beta_2\, (NonBank * Spread_{s,t}) + \Gamma_1'\, X_{i,t-1} + \Gamma_2'\, A_{t-1} + \epsilon_{i,t}$$

जहाँ 'i', 's' और 't' क्रमशः फर्म, सेक्टर और समय को दर्शाते हैं; α_i और α_s क्रमशः फर्म और सेक्टर के निश्चित प्रभावों को दर्शाते हैं; 'X' और 'A' क्रमशः फर्म-विशिष्ट नियंत्रण [अर्थात, उत्तोलन, आकार, आयु, चलनिधि, बिक्री और निवेश में वृद्धि, और ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर)] और समग्र नियंत्रण (अर्थात, गैर-कृषि वास्तविक जीवीए वृद्धि) को दर्शाते हैं। स्प्रेड, निधि की सापेक्ष लागत का एक प्रॉक्सी, सेक्टर-विशिष्ट भारित औसत उधार दरों (डबल्यूएएलआर) और बाजार-आधारित फंड [बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)] के बीच अंतर को दर्शाता है। स्प्रेड के साथ अंतःक्रिया की स्थिति अनुसार फर्म के मौजूदा लीवरेज और वैकल्पिक फंडिंग तक पहुंच के आधार पर ऋण वृद्धि पर स्प्रेड के प्रभाव को अलग-अलग करने का असर होता है।

प्रतिगमन परिणाम संकेत देते हैं कि बड़ी फर्मों के उधार लेने की संभावना कम है, जो आंतरिक संसाधनों की बेहतर उपलब्धता के कारण हो सकता है (सारणी 1)। पुरानी फर्में, कम बैंक ऋण का उपयोग करते हुए, कुल ऋण अधिक रखती हैं, संभवतः विस्तार या पुनर्वित्त के लिए गैर-बैंक फंडिंग का उपयोग करती हैं। कोविड से पहले बिक्री में वृद्धि, विस्तार के लिए बैंक उधार के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित थी, हालांकि कोविड के बाद यह संबंध कमजोर हो गया। बेहतर चलनिधि और आईसीआर वाली फर्में अधिक उधार लेती हैं, जो मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जबकि अत्यधिक लीवरेज वाली फर्में कुल मिलाकर कम उधार लेती हैं, संभावित रूप से ऋण कम करने या फंडिंग की कमी का सामना करने की स्थिति में होती हैं। उच्च घरेलू विकास व्यावसायिक गतिविधि के लिए समग्र फंडिंग मांग को बढ़ाता है।

बैंक ऋण की अन्य के सापेक्ष उच्च लागत फर्मों को, विशेष रूप से सेवाओं से जुड़ी, सस्ते बाजार-आधारित वित्तपोषण की ओर ले जाती है। गैर-बैंक वित्तपोषण पहुंच वाली फर्में इन लागत अंतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे जब बैंक ऋण महंगे हो जाते हैं तो कुल उधार बढ़ जाता है।

कुल मिलाकर, फर्म-विशिष्ट कारक, व्यापक आर्थिक स्थितियाँ और सापेक्ष वित्तपोषण लागत प्रमुख उधार निर्धारक हैं, जो क्षेत्रों और समय के अनुसार अलग-अलग होते हैं। मजबूत बैंक तुलन पत्र को देखते हुए, निजी निवेश में पुनरुद्धार संभावित रूप से बैंक ऋण की मांग को बढ़ा सकता है।

(जारी)

सारणी 1: आकलित फ़र्म स्तरीय उधार

आश्रित चर: $\Delta\, log(Debt_{i,t})$

व्याख्यात्मक चर		कोएफ़िफ़सेंट			
		सभी क्षेत्र		सेवा क्षेत्र	
		बैंकों से उधार	कुल उधार	बैंकों से उधार	कुल उधार
1		2	3	4	5
	$Spread_{s,t}$ * NonBank	0.005 (0.011)	0.014* (0.008)	0.010 (0.025)	0.013 (0.015)
	$Leverage_{i,t-1}$ * $Spread_{s,t}$	0.014** (0.006)	0.007* (0.004)	0.026** (0.011)	0.005 (0.008)
	$Spread_{s,t}$	-0.060** (0.028)	0.088*** (0.020)	-0.126** (0.051)	0.164*** (0.038)
फ़र्म कंट्रोल	$Size_{i,t-1}$	-0.277*** (0.081)	-0.363*** (0.058)	-0.452*** (0.145)	-0.585*** (0.102)
	$Age_{i,t-1}$	-0.052*** (0.017)	0.048*** (0.013)	-0.082*** (0.029)	0.095*** (0.023)
	$Sales\ Growth_{i,t-1}$	0.010 (0.014)	-0.011 (0.008)	0.002 (0.023)	-0.007 (0.015)
	$Investment\ Growth_{i,t-1}$	0.007 (0.012)	-0.006 (0.008)	0.005 (0.017)	0.006 (0.014)
	$Liquidity_{i,t-1}$	0.266*** (0.079)	0.202*** (0.041)	0.273*** (0.100)	0.200*** (0.051)
	$Leverage_{i,t-1}$	-0.227** (0.044)	-0.197*** (0.030)	-0.314*** (0.086)	-0.218*** (0.059)
	$ICR_{i,t-1}$	0.035 (0.028)	0.070*** (0.022)	0.025 (0.027)	0.059** (0.025)
समग्र नियंत्रण	$Non\text{-}agri\ Growth_{t-1}$	-1.151*** (0.428)	1.386*** (0.297)	-2.161** (0.835)	2.412*** (0.599)
आर स्कवेरड		0.156	0.219	0.188	0.246
प्रेक्षणों की संख्या		13,260	15,362	4,243	5,456

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।

टिप्पणी:
1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. सीएमआईई प्रौवेस से प्राप्त इकाई-स्तरीय डेटा में वे फर्म शामिल हैं जिनके पास बकाया ऋण पर कम से कम तीन वर्ष का डेटा है; और साथ ही, वे वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, उपयोगिताओं और सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित नहीं हैं।
3. सेवा क्षेत्र में थोक और खुदरा व्यापार, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पेशेवर और अन्य सेवाएँ शामिल हैं।
4. फर्म और क्षेत्र के निश्चित प्रभावों को शामिल किया गया है।
5. आश्रित वेरिएबल कुल या बैंकों से बकाया वास्तविक ऋण के लॉग में परिवर्तन को समायोजित करता है। फर्म-विशिष्ट नियंत्रणों में आकार (वास्तविक कुल आस्तियों का लॉग), निगमन के बाद से वर्षों में आयु, वास्तविक बिक्री में वृद्धि, वास्तविक निवेश में वृद्धि, लीवरेज (कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण का अनुपात) और चलनिधि (त्वरित अनुपात) के विलंबित मूल्य शामिल हैं। निवेश वास्तविक कुल पूंजी में परिवर्तन को दर्शाता है और इसमें अचल और अमूर्त दोनों प्रकार की आस्तियां शामिल हैं। आईसीआर ब्याज व्यय की तुलना में आय के अनुपात को दर्शाता है। वास्तविक वेरिएबल गैर-कृषि जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। गैर-कृषि वास्तविक जीवीए वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संदर्भ में है।
6. फर्म के लिए लीवरेज को कम किया गया है, और सभी फर्म-विशिष्ट वेरिएबल को नमूने में मानकीकृत किया गया है, जिससे समय के साथ फर्मों और क्षेत्रों में बेहतर तुलना संभव हो सकी है।
7. यदि किसी फर्म ने नमूना अवधि के दौरान गैर-बैंक स्रोत (जैसे, घरेलू वित्तीय बाजार और ईसीबी) से ऋण प्राप्त किया है, तो गैर-बैंक डमी का मान 1 होता है। डमी को आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (2015-16), कोविड-19 (2020-21) और एक गैर-बैंक के बैंक में विलय (2023-24) के लिए भी शामिल किया गया है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

संदर्भ:

ओटोनेलो, पी. और विनबेरी, टी. (2020), 'वित्तीय विषमता और मौद्रिक नीति का निवेश चैनल', इकोनॉमेट्रिका, 88: 2473-2502

II.4.13 क्षेत्रवार[26] देखें तो, वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में दोहरे अंकों में विस्तार प्रदर्शन जारी रहा। मध्यम और बड़े उद्योग को ऋण में तेजी के कारण औद्योगिक ऋण में मजबूती बनी रही। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण जारी रहा, हालांकि हाल की अवधि में इसमें कुछ कमी आई है। इसी प्रकार, सेवा क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि हुई पर धीमी गति से। नवंबर 2023 में एससीबी की ओर से एनबीएफसी को दिये जाने वाले ऋण पर जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के बाद सेवा क्षेत्र को दिया गया ऋण अत्यधिक ऊंचाई वाले स्तर से कुछ कम हुआ। गत वर्ष के 17.6 प्रतिशत की तुलना में अंत मार्च 2025 तक निजी-ऋण में 14.0 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई, जो कि आवास ऋण, इस खंड का लगभग आधा हिस्सा, से समर्थित थी। निजी ऋणों के अन्य खंडों जैसे वाहन ऋण और अन्य निजी ऋण में मार्च 2025 के अंत तक क्रमशः 8.6 और 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.4.11 और सारणी II.4.2)।

सारणी II.4.2: क्षेत्रीय ऋण वृद्धि

(प्रतिशत, वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	2023-24#	2024-25											
		अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
खाद्येतर ऋण	**16.3**	**15.3**	**16.2**	**13.9**	**15.1**	**15.0**	**14.4**	**12.8**	**11.8**	**12.4**	**12.5**	**12.0**	**12.0**
I. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	**20.0**	**19.8**	**21.6**	**17.4**	**18.1**	**17.7**	**16.4**	**15.5**	**15.3**	**12.5**	**12.2**	**11.4**	**10.4**
II. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**8.0**	**6.9**	**8.9**	**7.7**	**10.2**	**9.8**	**9.1**	**8.0**	**8.1**	**7.4**	**8.2**	**7.3**	**8.0**
II.1. सूक्ष्म और लघु	14.4	15.2	15.3	10.7	13.3	13.6	13.5	10.1	10.2	9.9	9.6	9.8	9.1
II.2. मध्यम	13.2	13.1	15.3	12.5	17.0	19.3	20.5	19.7	20.1	20.0	18.5	18.1	18.6
II.3. बड़े	5.8	4.1	6.5	6.3	8.7	7.8	6.6	6.1	6.3	5.3	6.7	5.4	6.4
उद्योग के प्रमुख उप-क्षेत्र													
II.a. इंफ्रास्ट्रक्चर	5.6	3.9	6.3	4.6	4.0	3.8	2.2	1.8	1.7	1.2	1.8	1.1	1.7
II.b. मूल धातु और धातु उत्पाद	11.7	11.4	13.4	11.3	13.4	16.1	15.5	15.5	16.0	13.4	14.4	13.3	13.0
II.c. रसायन और रसायनिक उत्पाद	11.2	13.3	13.6	11.7	16.7	15.9	14.9	12.8	11.5	7.1	9.6	6.8	7.4
II.d. वस्त्र	11.1	8.1	9.3	6.1	8.6	6.4	5.4	5.6	5.5	5.6	5.8	7.1	8.3
II.e. सभी इंजीनियरिंग	10.5	9.4	10.5	8.7	10.8	16.6	15.7	14.5	18.3	19.5	18.1	19.0	22.1
II.f. खाद्य प्रसंस्करण	14.9	17.9	14.5	10.8	17.1	14.4	11.6	9.9	12.1	10.7	11.0	9.3	5.1
III. सेवाएं	**20.8**	**19.5**	**20.7**	**15.1**	**15.9**	**15.6**	**15.2**	**14.1**	**14.4**	**13.0**	**13.8**	**13.0**	**13.4**
III.1. व्यापार	17.2	14.4	17.3	14.4	15.6	15.7	14.5	12.6	14.7	14.2	14.6	14.8	15.8
III.2. एनबीएफसी	15.0	15.1	15.8	8.2	13.0	12.2	9.7	6.6	8.0	6.9	7.9	6.6	5.9
IV. वैयक्तिक ऋण	**17.6**	**17.0**	**19.3**	**16.6**	**17.3**	**17.4**	**16.4**	**15.8**	**16.3**	**14.9**	**14.2**	**14.0**	**14.0**
IV.1. उपभोक्ता वस्तुएँ	13.0	11.0	15.0	7.6	11.3	10.1	8.6	6.6	4.8	-1.1	-2.6	2.2	-1.3
IV.2. आवास	17.1	17.6	19.9	18.2	19.1	19.7	18.3	17.8	18.0	16.7	15.5	15.6	15.3
IV.3. क्रेडिट कार्ड बकाया	25.6	23.0	26.2	23.3	22.0	19.9	18.0	16.9	18.1	15.6	13.0	11.2	10.6
IV.4. वाहन ऋण	17.6	17.2	18.4	15.5	14.6	14.5	13.9	12.0	10.3	8.8	9.7	9.6	8.6
IV.5. अन्य वैयक्तिक ऋण	18.6	15.8	17.1	13.1	13.5	13.0	11.8	11.2	12.2	9.7	9.2	8.4	8.4

#: मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है और बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को हटाने के बाद

स्रोत: आरबीआई।

[26] गैर-खाद्य ऋण आंकड़े पाक्षिक खंड 42 के रिटर्न पर आधारित हैं और सभी एससीबी को शामिल करते हैं। क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) लाभ पर आधारित होते हैं, जिसमें, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्से को दर्शाने के लिए चुनिंदा बैंकों के हिसाब शामिल हैं। उक्त आंकड़े महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

चार्ट II.4.11: एससीबी का क्षेत्रवार खाद्येतर ऋण

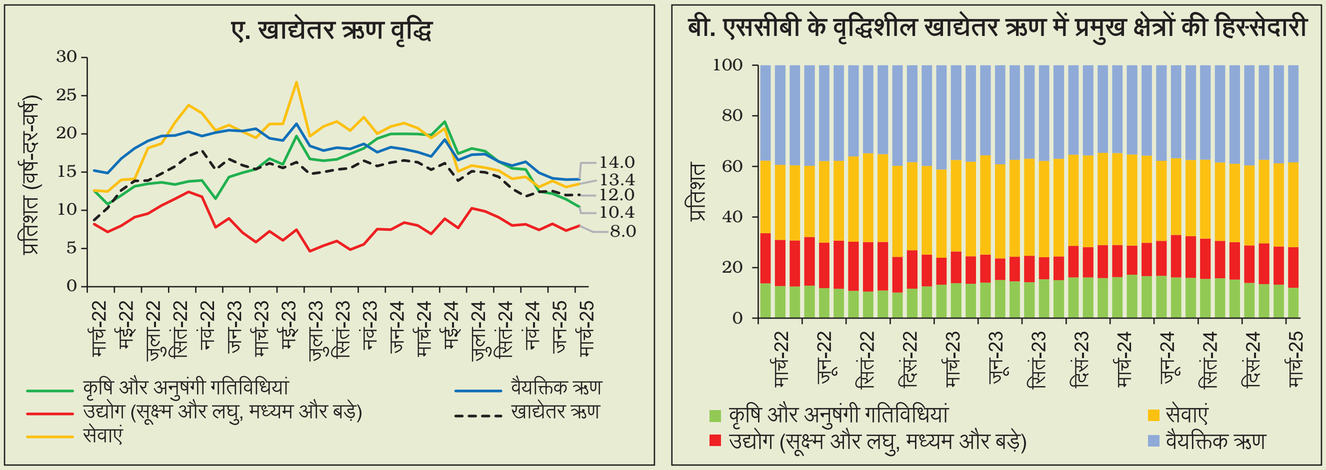

स्रोत: आरबीआई।

II.4.14 वर्ष 2024-25 में एससीबी की जमा वृद्धि बैंक-ऋण से कम रही; हालाँकि, जमा और ऋण वृद्धि के बीच का अंतर कम हुआ है, जिसके कारण वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में गिरावट आई (चार्ट II.4.12)। निधीयन के अंतर को कम करने के लिए, बैंकों ने बड़े पैमाने पर जमा प्रमाणपत्र (सीडी)[27] जारी करने का सहारा लिया।

चार्ट II.4.12: एससीबी के जमा एवं ऋण

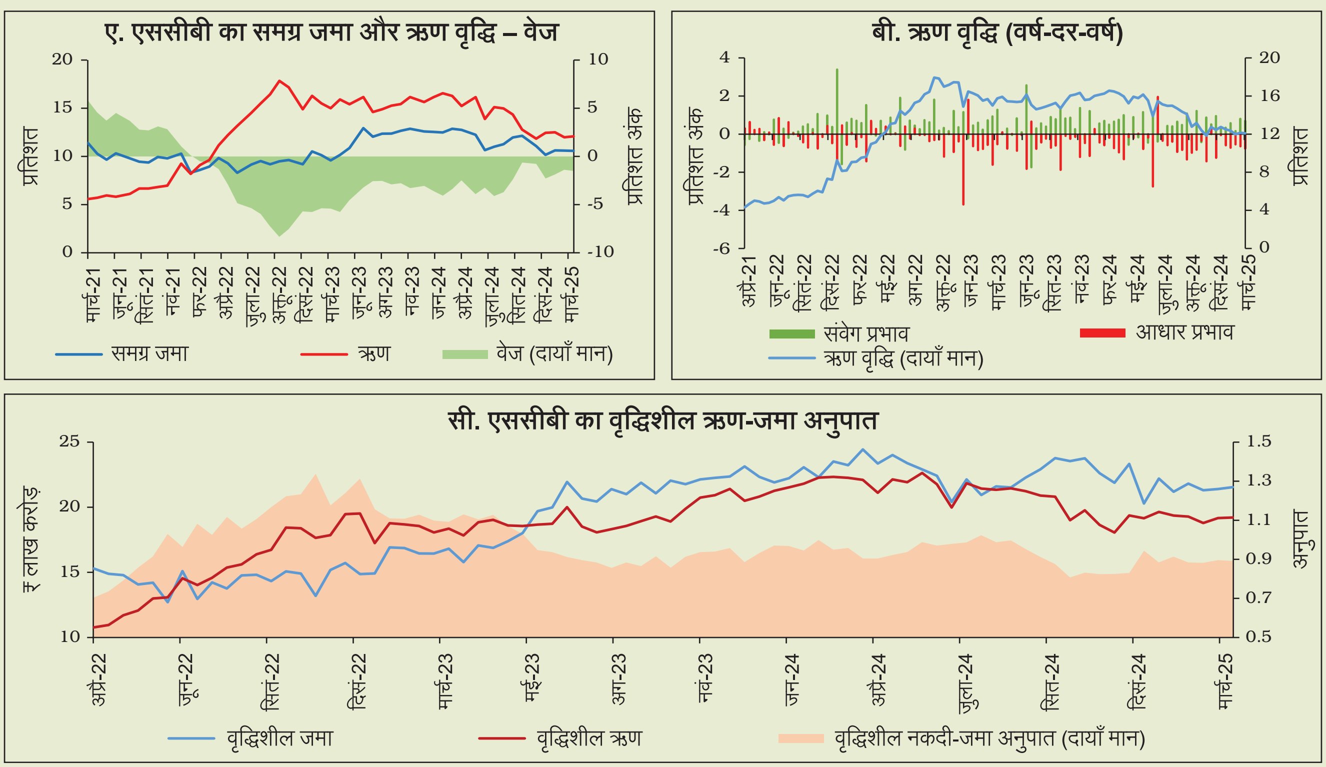

स्रोत: आरबीआई।

[27] विवरण के लिए अध्याय II का 5वां खंड देखें।

5. निष्कर्ष

II.4.15 वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक जमा और ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि बनी रही। यद्यपि जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से पीछे रही, लेकिन वर्ष के दौरान यह अंतर कम हुआ। बैंक ऋण विस्तार काफी हद तक व्यापक रहा, जिसका नेतृत्व खुदरा, सेवा और कृषि क्षेत्रों ने किया। डिजिटल भुगतान के माध्यमों के प्रति लोगों की बढ़ती पसंद के साथ मुद्रा मांग वृद्धि सीमित रही।

II.5 वित्तीय बाजार

II.5.1 वैश्विक वित्तीय बाज़ार वर्ष 2024-25 के दौरान अस्थिर सेवा मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के बीच मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के अनिश्चित प्रक्षेपवक्र के कारण अस्थिर ही रहे। मुद्रास्फीति के कई दशक के उच्चतम स्तर से धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ ही, कई केंद्रीय बैंकों ने वर्ष के दौरान नीतिगत बदलाव किए। कुछ केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति के कारण मौद्रिक सख्ती जारी रखी, जबकि अन्य ने विराम बनाए रखा।

II.5.2 घरेलू वित्तीय बाजारों ने 2024-25 के दौरान वैश्विक प्रतिकूलताओं और कुछ बाजार खंडों में कभी-कभार तीखी अस्थिरता के बावजूद समुत्थानशीलता का प्रदर्शन किया। मुद्रा बाजार की दरें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं और चलनिधि की स्थिति के साथ तालमेल बिठाते हुए विकसित हुईं। बैंकों द्वारा अपने जमा संसाधनों को अनुपूरक बनाने के कारण जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने में वृद्धि हुई। प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय राष्ट्रिक बॉण्डों को शामिल किए जाने, चालू राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और मौद्रिक चक्र में ढील की शुरुआत के कारण राष्ट्रिक बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आई। कॉरपोरेट आय और विकास दर में नरमी के बीच स्प्रेड में बृहतीकरण के साथ- साथ सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल के पदचिह्न पर चलते हुए कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में भी नरमी आई। इक्विटी बाजारों ने साल की पहली छमाही में नई ऊंचाई दर्ज की, जबकि दूसरी छमाही में घरेलू और वैश्विक कारकों के कारण सुधार देखा गया। 2024-25 के दौरान, भारतीय रुपये (INR) ने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (डीएक्सवाई) में पुनरुत्थान, वैश्विक अनिश्चितताओं और संविभाग निवेश के बहिर्वाह के बीच मूल्यह्रास की तरफ झुकाव के साथ स्थिर संचलन का प्रदर्शन किया ।

II.5.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, मुद्रा बाजार की गतिविधियां उप-धारा 2 में विस्तार से दी गई हैं। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉण्ड के बाजार खंड का उल्लेख क्रमशः उप-धारा 3 और 4 में है। इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां, उप-धारा 7 में निष्कर्षी टिप्पणियों के साथ, उप-धारा 5 और 6 में शामिल हैं।

2. मुद्रा बाजार

II.5.4 वर्ष 2024-25 के दौरान मुद्रा बाजार दरें नीतिगत-सीमा के आसपास बनी रहीं, जो कि चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप थीं। चलनिधि की स्थिति 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान घाटे से बढ़कर दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही के बड़े हिस्से (दिसंबर 2024 के आधे महीने तक) में आधिक्य रहीं, लेकिन चौथी तिमाही में घाटे में चली गई [अध्याय III देखें]। भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - बीच-बीच में उल्लंघन के बावजूद नीतिगत कार्यक्षेत्र में ही सीमित रहे। उक्त दर प्रथम तिमाही के दौरान नीतिगत रेपो दर के ऊपर रही; दूसरी तिमाही में नीतिगत रेपो दर के इर्द-गिर्द बनी रही; तीसरी तिमाही के अंत में मजबूती प्राप्त की; तथा चौथी तिमाही में नीतिगत रेपो दर के ऊपर बनी रही (चार्ट II.5.1)। नीतिगत दर के सापेक्ष डब्ल्यूएसीआर का औसत प्रसार वर्ष 2023-24 के 13 आधार अंक की तुलना में वर्ष 2024-25 में 6 आधार अंक (बीपीएस) पर आ गया।

II.5.5 डब्ल्यूएसीआर के परिवर्तन-गुणांक[28] द्वारा मापे गए अस्थिरता पिछले वर्ष 2023-24 के 2.5 प्रतिशत से घटकर

[28] भिन्नता-गुणांक माध्य से मानक विचलन का अनुपात है।

चार्ट II.5.1: मुद्रा बाज़ार दरें और नीतिगत कॉरीडोर

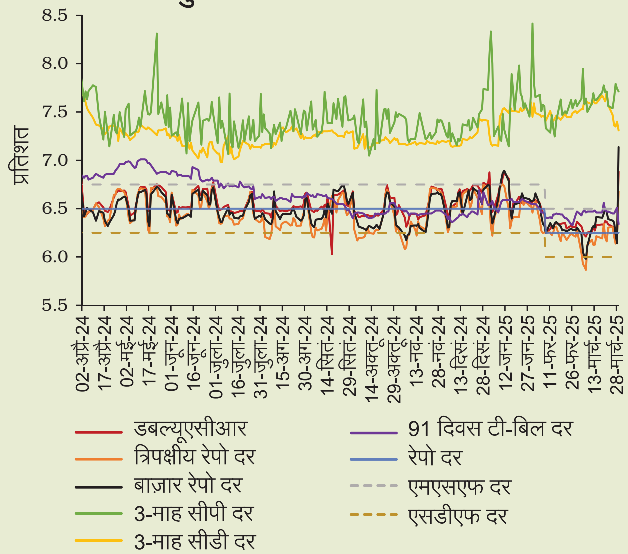

स्रोत: आरबीआई, एफ़बीआईएल, सीसीआईएल-एफ़टीआरएसी और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा

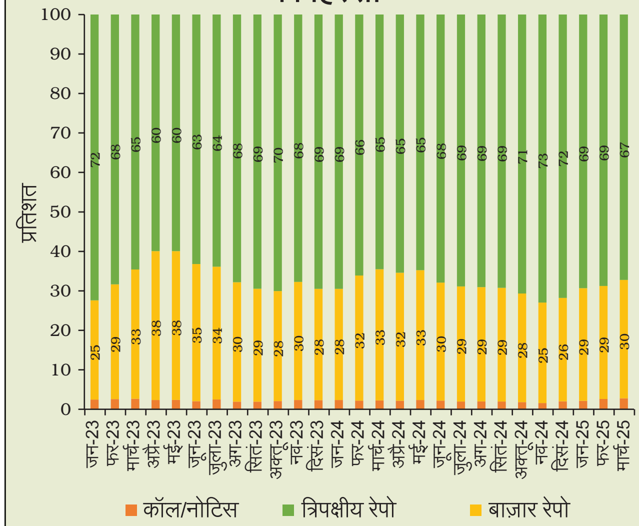

स्रोत: सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वर्ष 2023-24 में 2.2 प्रतिशत हो गई। मुद्रा बाजार में औसत-दैनिक-मात्रा 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष के स्तर से 10 प्रतिशत बढ़कर ₹5.5 लाख करोड़ रुपये हो गई। मुद्रा बाज़ार में संपार्श्विक भागीदारी का दबदबा बना रहा, जिसमें कॉल/नोटिस मनी की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत पर स्थिर रही। संपार्श्विक भागीदारी में, त्रिपक्षीय रेपो की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के 66 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 72 प्रतिशत हो गई, फिर चौथी तिमाही में बाजार रेपो की हिस्सेदारी में सहवर्ती परिवर्तन के साथ यह घटकर 68 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.5.2)।

II.5.6 मुद्रा बाजार के अन्य संवर्गों में वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित परिपक्वता के राजकोष (टी-बिल) दरों की तुलना में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दरों का औसत दैनिक स्प्रेड बढ़ा जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण पर विनियामकीय उपायों एवं अधिक मात्रा में सीडी और सीपी जारी करने के कारण हुआ (चार्ट II.5.3)।

II.5.7 प्राथमिक बाजार में, 2024-25 में नए सीडी प्रथम तिमाही के ₹2.5 लाख करोड़ से बढ़कर दूसरी तिमाही में ₹2.8 लाख करोड़ के जारी किए गए जो तीसरी तिमाही में ₹2.9 लाख करोड़ हो गए। इस बीच ऋण संवृद्धि जमा वृद्धि दर से अधिक रही और चौथी तिमाही में यह आंकड़ा ₹3.7 लाख करोड़ तक पहुँच गया। 2024-25 के दौरान कुल सीडी जारी करने की राशि ₹11.9 लाख करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹8.7 लाख करोड़ थी। बैंकों ने 2024-25 में ऋण-ज़मा अंतर को कम करने के लिए सीडी का इस्तेमाल किया, जिसमें चलनिधि की स्थिति ने डबल्यूएसीआर पर सीडी दर प्रसार को प्रभावित किया (बॉक्स II.5.1)।

चार्ट II.5.3: 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने की सीपी और सीडी दर का स्प्रेड

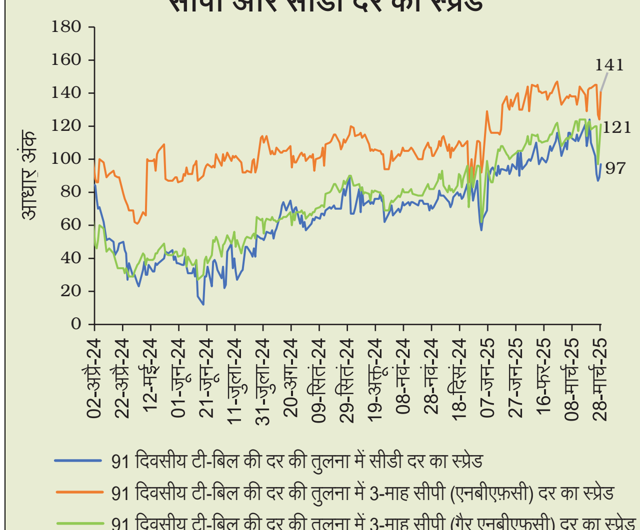

स्रोत: एफ़बीआईएल, कोजेंसिस और आरबीआई स्टाफ आकलन।

बॉक्स II.5.1
पूंजी बाज़ार मीयाद स्प्रेड को क्या संचालित करता है?

फरवरी 2022 से ऋण वृद्धि जमा वृद्धि की तुलना में अधिक तीव्र है जिसमें अप्रैल 2022 से बैंक ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों ने फंडिंग गैप को पूरा करने के लिए सीडी जारी करने का सहारा लेना शुरू कर दिया है (चार्ट 1)। सीडी जारी करना अक्सर जमा की तुलना में महंगा होता है और बदलती चलनिधि स्थिति और वित्तीय स्थितियों के आधार पर मांग-आपूर्ति की गतिशीलता के प्रति अधिक संवेदनशील होता है (चार्ट 2)।

जैसा कि मीयादी ढांचे के चलनिधि अधिमानी सिद्धांत द्वारा सुझाया गया है, निवेशक कम अवधि के लिखत को प्राथमिकता देते हैं जो लंबी अवधि के लिखत की तुलना में अधिक अर्थसुलभ[29] होते हैं। इसलिए, जोखिम से बचने वाले निवेशक लंबी अवधि के लिखत को रखने के लिए पर्याप्त चलनिधि प्रीमियम की मांग करेंगे। इसलिए, डबल्यूएसीआर पर सीडी दरों का स्प्रेड इस तरह के प्रीमियम संस्थापित करता है। डबल्यूएसीआर - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य होने के नाते – एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार में चलनिधि स्थितियों को व्यापक रूप से दर्शाता है। इसकी सूचना सामग्री और सिग्नलिंग तंत्र के रूप में इसकी भूमिका को देखते हुए, डबल्यूएसीआर में होने वाली हलचलें सीडी सहित मुद्रा बाज़ार के बाहरी सेगमेंट में प्रसारित होती हैं। डबल्यूएसीआर से सीडी तक सिग्नल का प्रसारण चलनिधि तनाव की कुछ अवधियों में या फिर यदि ऋण और जमा वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर के कारण निधियन अंतर लगातार बना रहता है तब अनुपात से अधिक हो सकता है। एक दिवसीय संवर्ग में मुद्रा बाज़ार गतिविधि एकत्रित होने के साथ-साथ 3-दिन और तीन महीने की अवधिपूर्ण होने के बीच सापेक्ष चलनिधि का होना भी डबल्यूएसीआर और सीडी दरों के बीच स्प्रेड को प्रभावित कर सकती है।

मीयादी प्रीमियम (पात्रा *एवं अन्य*., 2020) पर साहित्य से निष्कर्षतः, डब्ल्यूएसीआर पर सीडी दर के स्प्रेड की जांच की जाती है। इस संबंध में, सीडी दर के डब्ल्यूएसीआर पर प्रसार का मॉडलिंग यह समझने में उपयोगी हो सकता है कि सीडी के बढ़ते जारीकरण को देखते हुए, चलनिधि और ऋण बाजार की स्थिति सीडी बाजार को कैसे प्रभावित करती है।

डबल्यूएसीआर[30] पर सीडी दर के स्प्रेड के संभावित निर्धारकों का पता सामान्यीकृत ऑटोरिग्रैसिव कंडीशनल हेटेरोसेडैस्टिसिटी (जीएआरसीएच) दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया जाता है। मुद्रा बाजार की गतिशीलता के आधार पर, चयनित व्याख्यात्मक चर में दैनिक शुद्ध एलएएफ़ बकाया (एनएलएएफ़), विक्स सूचकांक और एक डमी चर (डीयूएम-सीडी गैप) शामिल हैं। एनएलएएफ़ और विक्स क्रमशः वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थिति और अनिश्चितता को दर्शाते हैं, जबकि डीयूएम-सीडी गैप ऋण बाजार में उभरते मांग-आपूर्ति दबावों का प्रतिनिधित्व करता है, जो बदले में, सीडी बाजार में परिलक्षित होता है। जीएआरसीएच मॉडल का उपयोग 1 जनवरी 2020 - 30 सितंबर 2024 तक फैले दैनिक डेटा के आधार पर स्प्रेड का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, नमूना मौद्रिक नीति के सहजता और सख्त होने के दोनों चरणों के साथ-साथ उन

चार्ट 1: सीडी जारी करना (पाक्षिक)

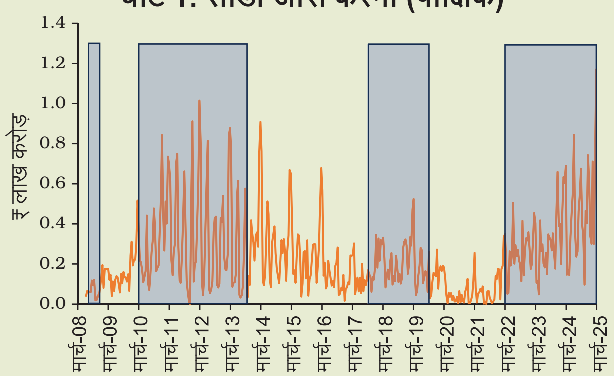

टिप्पणी: छायांकित क्षेत्र जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि की तीव्र गति को दर्शाता है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट 2: सीडी दर-प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार

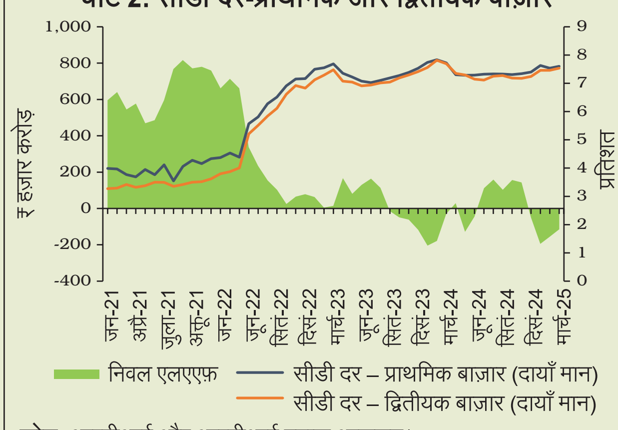

स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ आकलन।

(जारी...)

[29] म्यूच्युअल फंड जैसे गैर-बैंक प्रतिभागी सीडी बाजार में खरीदार के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

[30] प्रियदर्शिनी एवं अन्य., (2024) ने जोखिम प्रीमियम- 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने की सीपी दर के स्प्रेड की जांच की और पाया कि प्रणालीगत चलनिधि एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, ऋण वृद्धि को सीडी दर का एक प्रमुख निर्धारक पाया गया है (एफबीआईएल, 2020)।

अवधियों को भी कवर करता है जब ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से पिछड़ गई और *इसके विपरीत* ।

जीएआरसीएच (1,1)-X ढांचे के तहत, माध्य समीकरण को निम्नानुसार मॉडल किया गया है:

$$\text{स्प्रेड}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{ स्प्रेड}_{t-1} + \beta_2 X_t + \varepsilon_t \quad \text{.... (1)}$$

सीडी दर का स्प्रेड पिछले मूल्यों से प्रभावित होता है, जिसमें X_t व्याख्यात्मक चर का एक वेक्टर और एक एरर बिन्दु है जो सीडी दरों को प्रभावित करने वाले झटकों को दर्शाता है। एरर बिन्दु विलंबित सूचना मैट्रिक्स Ω_{-1} का एक फ़ंक्शन है और इसे शून्य माध्य के साथ सामान्य रूप से वितरित माना जाता है। विचरण h_t को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon^2_{t-1} + \alpha_2 h_{t-1} + \alpha_3 VIX_t \quad \text{.... (2)}$$

जहाँ α_1, α_2 और α_3 वित्तीय बाज़ारों में एआरसीएच, जीएआरसीएच प्रभाव और अस्थिरता के गुणांक हैं ।

प्रतिगमन परिणाम संकेत देते हैं कि व्यवस्था की चलनिधि में सुधार से सीडी के स्प्रेड पर एक मध्यम (सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण) प्रभाव पड़ता है, जबकि ऋण और जमा वृद्धि के बीच की खाई बढ़ने से स्प्रेड और लंबा हो जाता है। एनएलएएफ और डीयूएम-सीडीगैप[31] के इंटरेक्टिव मियाद से पता चलता है कि हालांकि व्यवस्था में चलनिधि का गंभीर प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन जब ऋण वृद्धि जमा की तुलना में तेज़ होती है तो प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा, सशर्त अस्थिरता के अनुमानों से पता चलता है कि स्प्रेड की अस्थिरता, कोविड-19 (सारणी 1 और चार्ट 3) सहित कुछ प्रकरणों को छोड़कर, आम तौर पर कम थी। अवशिष्ट निदान कोई एआरसीएच प्रभाव नहीं दिखाते हैं, जो अवशिष्टों में कोई स्वत: सहसंबंध नहीं होने का सुझाव देते हैं।

चार्ट 3: सीडी दर स्प्रेड की समयानुसार बदलती अस्थिरता

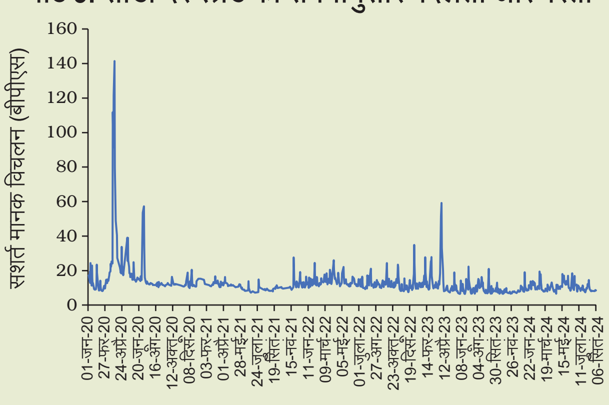

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान ।

सारणी 1: जीएआरसीएच (1,1) अनुमान परिणाम

	मॉडेल 1	मॉडेल 2	मॉडेल 3
माध्य समीकरण: $\text{स्प्रेड}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{ स्प्रेड}_{t-1} + \beta_2 X_t + \varepsilon_t$			
कोंस्टंट	5.133*** (0.659)	2.743*** (1.043)	5.902*** (0.655)
स्प्रेड_{t-1}	0.922*** (0.009)	0.906*** (0.010)	0.910*** (0.009)
डीयूएम-सीडीगैप_t		3.617** (1.069)	
एनएलएएफ़_t	-0.467*** (0.114)	-0.116 (0.164)	-0.653*** (0.120)
एनएलएएफ़_t X डीयूएम-सीडीगैप_t			0.612*** (0.209)
वेरिएन्स समीकरण: $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon^2_{t-1} + \alpha_2 h_{t-1} + \alpha_3 VIX_t$			
एआरसीएच (1)	0.380*** (0.042)	0.390*** (0.044)	0.384*** (0.043)
जीएआरसीएच (1)	0.294*** (0.052)	0.292*** (0.053)	0.300*** (0.054)
वीआईएक्स_t	5.344*** (0.499)	5.169*** (0.486)	5.185*** (0.506)
निदान:			
लॉग संभावना:	-3453.49	-3449.29	-3450.20
कुल अवलोकन:	907	907	907
एआरसीएच (एलएम) पीआरओबी. (एफ़):	0.920	0.875	0.893
अकाइके जानकारी मानदंड:	7.768	7.760	7.762

***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर इंगित करते हैं ।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियाँ हैं ।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान ।

संदर्भ:

1. एफबीआईएल, (2020), 'भारतीय परिवर्तनीय डिबेंचर बाजार: 2013-2019', *एफबीआईएल विषयगत अध्ययन,* जुलाई ।
2. पात्रा, एम. बेहरा, एच. और जॉन, जे. (2020), 'भारत में टर्म प्रीमियम के निर्धारकों पर पुनः विचार', *आरबीआई बुलेटिन,* नवंबर ।
3. प्रियदर्शिनी, पी., अंशुल, सरदार, एस., चौधरी, डी.आर., और दास, एस. (2024), कमर्शियल पेपर रेट स्प्रेड के चालक - एक अनुभवजन्य मूल्यांकन', *आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज़,* मार्च ।

[31] डीयूएम-सीडीगैप छद्म चर उस अवधि के लिए मान 0 लेता है जब जमा राशि ऋण की तुलना में तेजी से बढ़ी, अन्यथा 1 लेता है।

II.5.8 प्राथमिक बाजार में सीपी के नए निर्गम, जो 2024-25 की पहली तिमाही में ₹3.8 लाख करोड़ से दूसरी तिमाही में ₹3.7 लाख करोड़ तक कम हो गए, तीसरी तिमाही में ₹3.8 लाख करोड़ तक बढ़ गए और चौथी तिमाही में ₹4.4 लाख करोड़ हो गए। 2024-25 के दौरान, निरंतर मांग और पूर्वोक्त एनबीएफसी पर विनियामक उपायों के कारण सीपी के नए निर्गम बढ़कर ₹15.7 लाख करोड़ हो गए, जबकि पिछले वर्ष यह ₹13.8 लाख करोड़ था।

3. सरकारी प्रतिभूति बाजार

II.5.9 वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव बना रहा। तिमाही की शुरुआत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण, बॉण्ड सूचकांक[32] में शामिल किए जाने से पहले एफपीआई द्वारा खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर इसमें नरमी आई। 10 वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल तिमाही के अंत में 7.01 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो मार्च 2024 के अंत के स्तर से 5 आधार अंक की गिरावट है (चार्ट II.5.4)।

चार्ट II.5.4: 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल

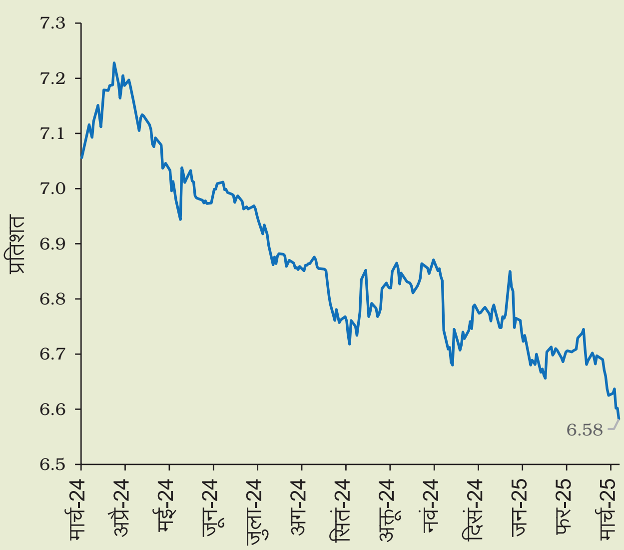

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

II.5.10 वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान, वैश्विक स्तर पर प्रतिफल वक्र में तीव्रगति, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, एफपीआई प्रवाह जारी रहने और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में ढील देने के चक्र की शुरुआत, जिसमें यूएस फेड द्वारा 50-आधार अंक की दर कटौती भी शामिल है, के बीच दीर्घान्त क्रम की तुलना में अल्पांत क्रम के प्रतिफल में तेज गिरावट आई। केंद्रीय बजट 2024-25 में परिलक्षित राजकोषीय विवेकशील प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के साथ-साथ जुलाई और अगस्त में कम सीपीआई मुद्रास्फीति दर - सितंबर 2019 के बाद पहली बार 4.0 प्रतिशत से नीचे – के कारण भी तिमाही के दौरान जी-सेक प्रतिफल में नरमी आई। 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल तिमाही के अंत में 6.75 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो जून 2024 के अंत के स्तर से 26 आधार अंक की गिरावट थी जो मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के बाद से सबसे बड़ी तिमाही गिरावट थी।

II.5.11 वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल सीमित दायरे में रहा, जिसमें उच्च अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल और घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति से ऊपर की ओर दबाव था, जिसे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा मौद्रिक नीति रुख को 'तटस्थ' करने के निर्णय और भारतीय सरकार के बॉण्ड को एफटीएसई रसेल सूचकांक[33] में शामिल करने की घोषणा से कुछ हद तक कम किया गया। 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल दिसंबर 2024 के अंत में 6.76 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो सितंबर 2024 के अंत के स्तर से लगभग अपरिवर्तित स्थिति रही।

II.5.12 वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान, कई चलनिधि अंतर्वेशन उपायों और रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में ढील चक्र की शुरुआत के बीच जी-सेक प्रतिफल में बड़े

[32] पात्र भारतीय सरकारी बॉण्ड (आईजीबी) को 28 जून 2024 से जे.पी. मॉर्गन सरकारी बॉण्ड सूचकांक - उभरते बाजार (जीबीआई-ईएम) सूचकांक में शामिल किया गया।

[33] 8 अक्टूबर 2024 को, एफ़टीएसई रसेल ने घोषणा की कि भारत को सितंबर 2025 से एफ़टीएसई उभरते बाज़ार सरकारी बॉण्ड सूचकांक (ईएमजीबीआई) में शामिल किया जाएगा।

सारणी II.5.1: ऋण लिखतों में एफपीआई निवेश (मार्च अंत)

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

निवेश का मार्ग/चैनल	2023			2024			2025		
	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य रूप^	11.7	1.8	15.4	11.7	1.9	16.0	13.0	1.9	14.5
वीआरआर^	2.5	2.1	82.0	2.5	1.8	70.1	2.5	2.1	82.1
एफ़एआर#	28.0	0.8	2.8	39	1.7	4.5	43.4	3.1	7.1

^: इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (जी-सेक), राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) और कॉरपोरेट बॉण्ड शामिल हैं।
#: केवल मार्ग के अंतर्गत शामिल निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है।
स्रोत: सीसीआईएल और एनएसडीएल।

पैमाने पर गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि के बीच चौथी तिमाही के पहले पखवाड़े में प्रतिफल बढ़कर 6.87 प्रतिशत के उच्च स्तर को छू गया। तत्पश्चात, चलनिधि प्रबंधन उपायों, जैसे की सभी कार्य दिवसों में दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) की नीलामी, सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद, दीर्घान्त क्रम की वीआरआर नीलामी और यूएसडी/आईएनआर खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी के कारण प्रतिफल में बड़े पैमाने पर गिरावट का रुख रहा। तिमाही[34] के दौरान कुल ₹2.83 लाख करोड़ की ओएमओ खरीद और ₹2.18 लाख करोड़ की राशि के यूएसडी/आईएनआर खरीद-बिक्री स्वैप किए गए। फरवरी की द्विमासिक बैठक में एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया। 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल मार्च 2025 के अंत तक 6.58 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो दिसंबर 2024 के अंत के स्तर से 18 आधार अंक कम था। 2024-25 के दौरान, घरेलू प्रतिफल वक्र *बुल* तीव्र हो गया क्योंकि 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल में 48 आधार अंक की नरमी आई, जबकि 5-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल में 61 आधार अंक की नरमी आई।

II.5.13 दिनांक 01 अप्रैल 2020 से पूर्णतया सुलभ मार्ग (एफएआर)[35] की शुरुआत के साथ, एफपीआई के पास निवेश के तीन माध्यम हैं - सामान्य मार्ग[36]; स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर); और एफएआर (सारणी II.5.1) । कुल मिलाकर, एफ़पीआई ने वर्ष 2024-25 में ऋण लिखतों में ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश किया।

4. कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार

II.5.14 वर्ष 2024-25 के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आई, जो कि जी-सेक प्रतिफिल को प्रतिबिंबित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों के एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी); और कॉरपोरेट्स के मासिक औसत प्रतिफल मार्च 2024 के स्तर की तुलना में मार्च 2025 में क्रमशः 15 आधार अंक, 28 आधार अंक और 33 आधार अंक तक कम हुए (सारणी II.5.2)।

II.5.15 तथापि, कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में नरमी की गति जी-सेक प्रतिफल से पीछे रहने के कारण वर्ष 2024-25 के दौरान तदनुरूपी परिपक्वता के जी-सेक प्रतिफल पर एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड-प्रतिफल के प्रसार में वृद्धि हुई। प्रसार में वृद्धि सभी परिपक्वता काल और रेटिंग स्पेक्ट्रम में स्पष्ट थी। कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक द्वितीयक बाजार का कारोबार[37] वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष के

[34] विवरण के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2025 देखें।

[35] एफएआर के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के साथ साथ, बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया।

[36] पूर्ववर्ती मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ)।

[37] दैनिक औसत व्यापारावर्त (टर्नओवर) की गणना वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल लेन-देन को लेन-देन के दिनों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

सारणी II.5.2: कॉरपोरेट बॉण्ड* - प्रतिफल और स्प्रेड

इकाई	प्रतिफल (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) [संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक]		
	मार्च 2024	मार्च 2025	परिवर्तन (बीपीएस)	मार्च 2024	मार्च 2025	परिवर्तन (बीपीएस)
1	2	3	4 (=3-2)	5	6	7 (=6-5)
(i) पीएसयू, एफआई और बैंक	7.63	7.48	-15	44	83	39
(ii) एनबीएफसी	7.98	7.70	-28	80	106	26
(iii) कॉरपोरेट्स	7.95	7.62	-33	77	98	21

***:** एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड।
टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की गयी है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए।

₹5,722 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹7,645 करोड़ रुपये हो गया (चार्ट II.5.5)।

II.5.16 विदेशी निर्गमों के माध्यम से जुटाव में वृद्धि के साथ, वर्ष 2024-25 में घरेलू शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉण्ड के प्राथमिक निर्गम बढ़े (सारणी II.5.3)। घरेलू बॉण्ड बाजार के जरिए जुटाए गए कुल संसाधनों में निजी नियोजनों का हिस्सा 99.2 प्रतिशत रहा)। कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश वर्ष के दौरान मामूली रूप से बढ़ा। हालांकि, कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई निवेश की पूर्ण सीमा बढ़ने के कारण अनुमोदित सीमाओं का उपयोग मार्च अंत 2024 के 16.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 15.8 प्रतिशत तक हो गया।

चार्ट II.5.5: कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार में एएए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार

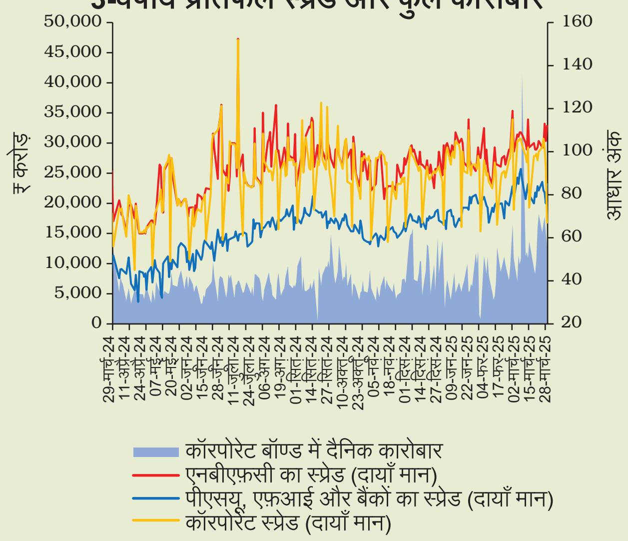

स्रोत: सेबी और एफ़आईएमएमडीए।

5. इक्विटी बाजार

II.5.17 2024-25 में, भारतीय इक्विटी बाजार ने पहली छमाही में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, जबकि दूसरी छमाही में कई कारकों के कारण तेज गिरावट देखी गई, जैसे वैश्विक मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र पर बदलती उम्मीदें, अमेरिका की प्रशुल्क नीतियां और मध्य पूर्व और यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 5.1 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 77,415 पर बंद हुआ (चार्ट II.5.6)। सार्वजनिक और अधिकार निर्गम, अधिमानी आबंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से

सारणी II.5.3: कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करना

मद	राशि (₹ लाख करोड़)		उतार-चढ़ाव (कॉलम 3 की तुलना में कॉलम 2) [प्रतिशत]
	2023-24	2024-25	
1	2	3	4
(i) प्राथमिक कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गमन	8.6	9.9	16.1
(ii) बकाया कॉरपोरेट बॉण्ड (दिसंबर-अंत)	45.5	51.6	13.3
(iii) कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश (मार्च अंत)	1.08	1.21	11.4

स्रोत: सेबी और एनएसडीएल।

चार्ट II.5.6: इक्विटी बाजार

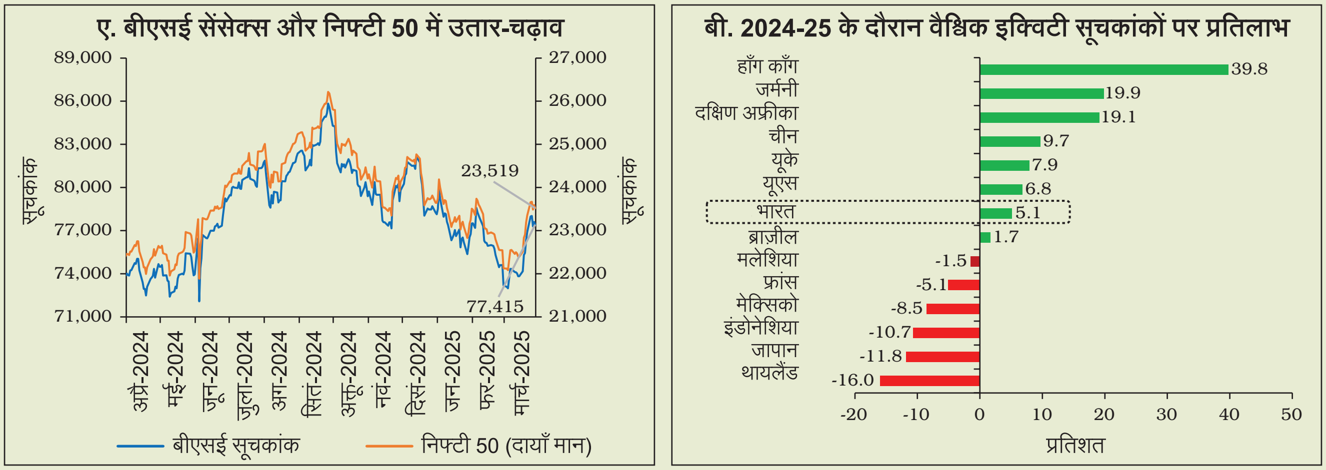

स्रोत: बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग।

प्राथमिक बाजारों में संसाधन जुटाने से मजबूत संवृद्धि बनी रही, खासकर 2024-25 की पहली छमाही में।

II.5.18 इक्विटी बाजारों ने 2024-25 की पहली तिमाही में उत्साहवर्धक घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक डेटा निर्मोचन के बीच सकारात्मक तरीके से शुरुआत की, बीच-बीच में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण थोड़े समय के लिए गिरावट भी आई। दूसरी तिमाही के दौरान, बाजार ने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा जिसमें जुलाई में बीएसई सेंसेक्स 80,000 अंक को पार कर गया, जबकि अगस्त की शुरुआत में अमेरिका से कमजोर आर्थिक डेटा जारी होने और बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद येन कैरी ट्रेड को बड़े पैमाने पर समाप्त करने के कारण इसमें कुछ बाधाएं आईं। सितंबर के पहले आधे हिस्से में सीमित दायरे में रहने के बाद, बीएसई सेंसेक्स ने तेजी से बढ़त हासिल करते हुए 85,000 अंक को पार कर लिया - 26 सितंबर, 2024 को 85,836 के नए उच्च स्तर को छू लिया, जिसे आसन्न यूएस फेड नीति निर्णय की उम्मीदों से समर्थन मिला।

II.5.19 भारतीय इक्विटी बाजारों में तीसरी तिमाही में, भू-राजनीतिक तनाव, घरेलू इक्विटी मूल्यांकन पर चिंताओं और 2024-25 की दूसरी तिमाही में उम्मीद से कमज़ोर कॉरपोरेट आय परिणामों और 2024-25 की दूसरी तिमाही में कमज़ोर घरेलू जीडीपी प्रिंट के बीच विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली के कारण गिरावट का रुख दिखा। अनुकूल वैश्विक संकेतों के कारण नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में कुछ गिरावटें पूर्व स्थिति में लौट आईं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ अमेरिका द्वारा प्रशुल्क घोषणाओं के कारण विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली को जारी रखने, 2024-25 के लिए जीडीपी अनुमानों के आधार पर कमजोर घरेलू संवृद्धि परिदृश्य और 2024-25 की तीसरी तिमाही में मिश्रित कॉरपोरेट आय के कारण बेंचमार्क सूचकांकों में चौथी तिमाही में और गिरावट आई। हालांकि, एफपीआई की खरीदारी और मौद्रिक नीति में और ढील की उम्मीदों के बीच मार्च के दूसरे हिस्से में बाजारों ने नुकसान की कुछ मात्रा को कम किया ।

II.5.20 व्यापक बाजार सूचकांक, जैसे कि बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप, क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत से बढ़े, जबकि क्षेत्रीय सूचकांकों ने 2024-25 में मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित की (चार्ट II.5.7ए)। एफपीआई ने घरेलू इक्विटी बाजार में पिछले वर्ष ₹2.1 लाख करोड़ की निवल खरीद की तुलना में 2024-25 के दौरान ₹1.4 लाख करोड़ की निवल बिक्री की (चार्ट II.5.7बी)। म्यूचुअल फंड ने 2024-25 में

चार्ट II.5.7: व्यापक बाज़ार और संस्थागत निवेश

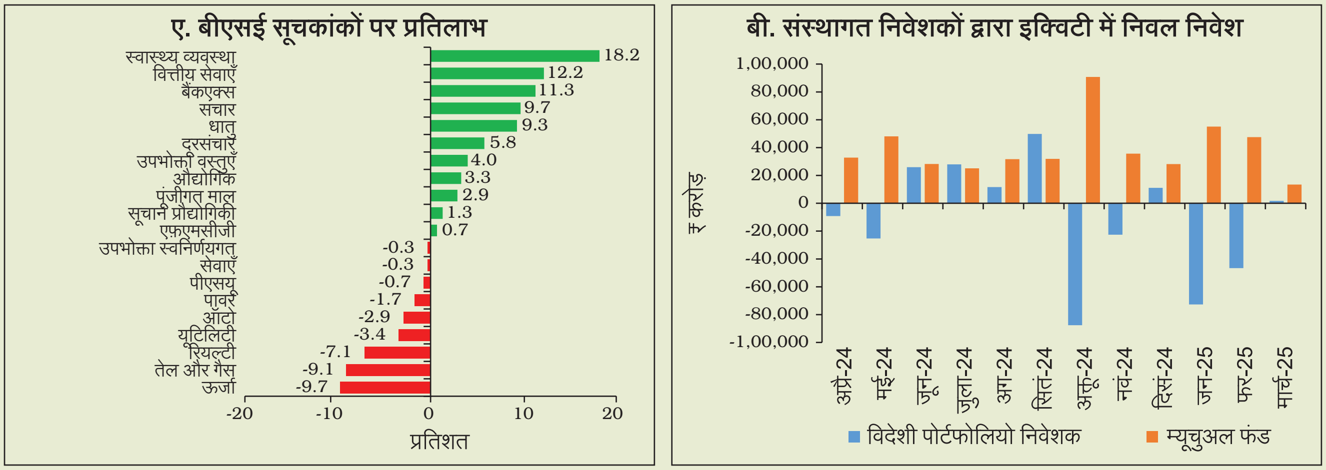

स्रोत: सेबी, एनएसडीएल और ब्लूमबर्ग।

₹4.7 लाख करोड़ की निवल खरीद की, जबकि पिछले वर्ष ₹2.0 लाख करोड़ का क्रय किया था।

प्राथमिक बाजार संसाधन संग्रहण

II.5.21 इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में, अधिमानी आबंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से संसाधनों का संग्रहण वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर ₹2.2लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹1.1 लाख करोड़ रुपये था। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधनों का संग्रहण पूर्व वर्ष के ₹0.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर ₹2.1 लाख करोड़ रुपये हो गया (चार्ट II.5.8ए और परिशिष्ट सारणी 5)। लघु एवं मध्यम उद्योग (एसएमई) संवर्ग द्वारा जारी किए गए निर्गम मजबूत रहे, जो एक वर्ष पूर्व के संग्रहण किए गए ₹6,122 करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2024-25 में ₹9,961 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

II.5.22 म्यूचुअल फंड द्वारा संग्रहण किए गए निवल संसाधन, पूर्व वर्ष के ₹3.6 लाख करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर ₹8.2 लाख करोड़ रुपये हो गए। इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड-योजनाओं से निवल संसाधन संग्रहण पूर्व वर्ष के ₹1.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर ₹4.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। ऋण-आधारित योजनाओं में 2024-25 के दौरान ₹1.4 लाख करोड़ रुपये का निवल अंतर्वाह देखा गया, जबकि पिछले वर्ष ₹0.3 लाख करोड़ रुपये का निवल बहिर्वाह हुआ था। सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) मार्ग के माध्यम से म्यूचुअल फंड में औसत मासिक योगदान पिछले वर्ष के ₹16,602 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹24,113 करोड़ हो गया (चार्ट II.5.8बी)।

6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.23 भारतीय रुपया (आईएनआर) 2024-25 की प्रथम छमाही के दौरान स्थिर रहने के बाद, प्रतिकूल बाहरी आघात और विस्तारित प्रभाव के कारण दूसरी छमाही में रुपये पर दबाव आया और वर्ष के अंत तक इसमें 2.4 प्रतिशत की गिरावट आई। पहली तिमाही के दौरान, रुपये ने सीमित दायरे के अंदर कारोबार किया, जो यूएस डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) में वृद्धि और अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल में मजबूती के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निवल एफपीआई अंतर्वाह से समर्थित था। कुल मिलाकर, जून 2024 के अंत तक भारतीय रुपया लगभग बराबरी पर बंद हुआ जो ₹83.38 प्रति अमेरिकी डॉलर था (चार्ट II.5.9)।

चार्ट II.5.8: संसाधन जुटाना

ए. इक्विटी बाजर में संसाधन जुटाना

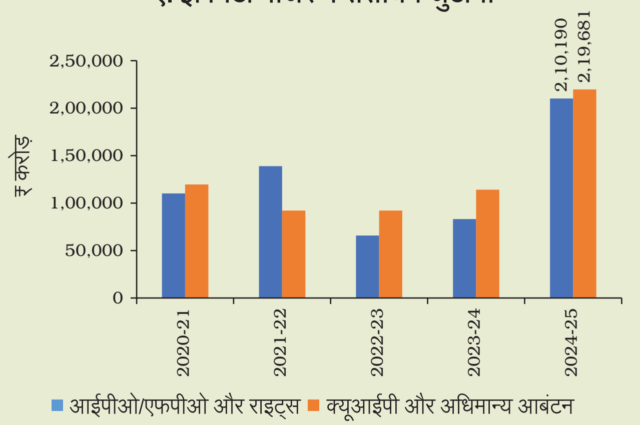

बी. म्युचुअल फंड में औसत मासिक एसआईपी योगदान

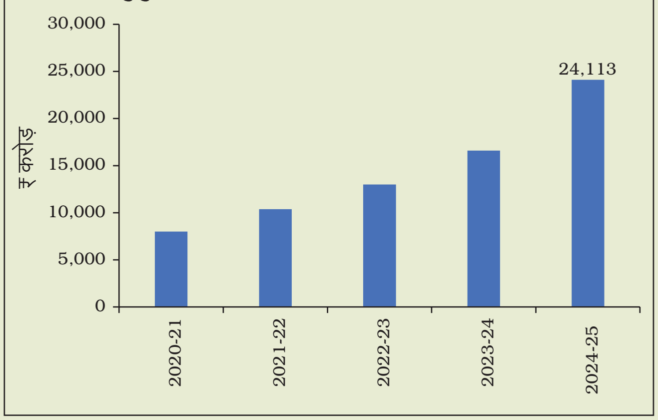

स्रोत: सेबी और एएमएफआई।

II.5.24 कैरी ट्रेड्स के बंद होने और अमेरिका में मंदी की आशंकाओं के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण 2024-25 की दूसरी तिमाही में अधिकांश समय रुपये में गिरावट का दबाव रहा। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और जेपी मॉर्गन बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय राष्ट्रिक बॉण्ड को शामिल किए जाने के बाद एफपीआई अंतर्वाह जारी रहने से रुपये को समर्थन मिला। कुल मिलाकर, दूसरी तिमाही में रुपये की कीमत ₹83.79 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुई, जो जून 2024 के अंत के स्तर से 0.5 प्रतिशत कम है।

चार्ट II.5.9: रुपये, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव

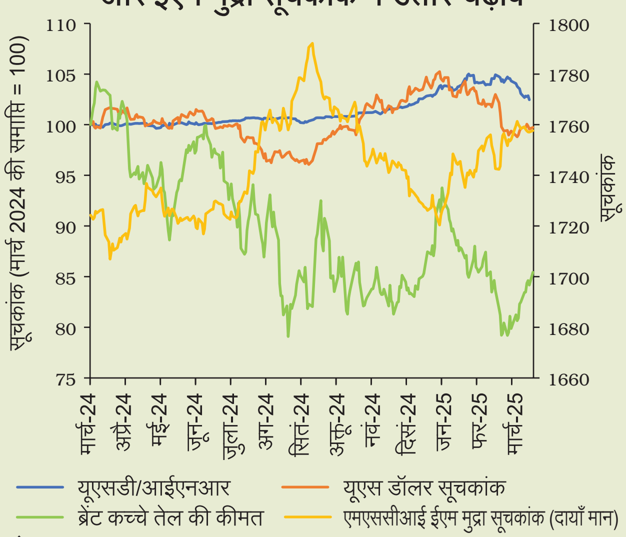

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

II.5.25 वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान डीएक्सवाई में उछाल, जो तिमाही के दौरान 7.7 प्रतिशत बढ़ा - 2014-15 की चौथी तिमाही के बाद से सबसे अधिक तिमाही वृद्धि, के बीच रूपये का मूल्यह्रास की तरफ झुकाव जारी रहा। अधिकांश एशियाई मुद्राएँ दबाव में कारोबार कर रही थीं, जिसमें एमएससीआई उभरता बाज़ार मुद्रा सूचकांक में तिमाही के दौरान 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई - 2022-23 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे बड़ी तिमाही गिरावट। अक्टूबर 2024 के दौरान इक्विटी संवर्ग में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवल मासिक एफपीआई बहिर्वाह देखा गया। कुल मिलाकर, तिमाही के अंत में भारतीय रूपया ₹85.62 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो सितंबर 2024 के अंत के स्तर से 2.1 प्रतिशत कम था।

II.5.26 वैश्विक अनिश्चितताओं, प्रशुल्क संबंधी घोषणाओं और एफपीआई से संबन्धित बहिर्वाह के कारण 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान भारतीय रुपया दबाव में व्यापार करता रहा। इस अवधि के दौरान, इक्विटी संवर्ग से बहिर्वाह 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हुआ। हालांकि, मार्च में डीएक्सवाई में नरमी और ऋण संबंधी अंतर्वाह के बीच भारतीय रुपया मजबूत हुआ। कुल मिलाकर, 28 मार्च 2025 को भारतीय रुपया ₹85.46 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो दिसंबर 2024 के अंत के स्तर से 0.2 प्रतिशत अधिक है।

II.5.27 वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान वायदा प्रीमियम काफी हद तक स्थिर रहा। वैश्विक नीति अनिश्चितता और ब्याज दरों में अंतर बढ़ने के बीच, छोटी अवधि परिपक्वता काल वालों में वृद्धि की अगुआई में वायदा प्रीमियम में वृद्धि हुई लेकिन चौथी तिमाही में इनमें से कुछ वृद्धि वापस कम हो गयी।

II.5.28 40-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में 2024-25 के दौरान क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

7. निष्कर्ष

II.5.29 वर्ष 2024-25 के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजार लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेड तथा अन्य प्रमुख प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की मात्रा और गति पर अनिश्चितता के कारण अस्थिर बने रहे। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच, भारतीय वित्तीय बाजारों ने समुत्थानशीलता और व्यवस्थित चाल का प्रदर्शन किया। मुद्रा बाजार की दरें आम तौर पर नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रहीं। वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में नरमी आई और वैश्विक तथा उभरते बाजारों के समकक्षों की तुलना में कम अस्थिरता प्रदर्शित की। मजबूत अमेरिकी डॉलर और संविभाग इक्विटी बहिर्वाह के बीच वर्ष के उत्तरार्ध में भारतीय रूपये में गिरावट की तरफ झुकाव देखा गया। भारतीय इक्विटी बाजार ने वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में नई ऊंचाइयों को छुआ, हालांकि घरेलू और वैश्विक कारकों के कारण दूसरी छमाही में इसमें अच्छा-खासा सुधार देखा गया। वर्ष 2024-25 में चौथी तिमाही में नरमी के बावजूद, प्राथमिक बाजार में संसाधन संग्रहण मजबूत रहा।

II.6 सरकारी वित्त

II.6.1 वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारों ने मजबूत कर संग्रह द्वारा समर्थित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र और राज्य, दोनों ने पूंजीगत व्यय पर अधिक जोर दिया है। इस पृष्ठभूमि के साथ, उप-खंड 2 और 3 क्रमशः वर्ष 2024-25 और 2025-26 में केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उप-खंड 4 और 5, क्रमशः वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्य सरकारों के वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद उप-खंड 6, वर्ष 2024-25 (ब.अ.) के लिए सामान्य सरकार के वित्त पर केंद्रित है। अंतिम खंड में निष्कर्ष टिप्पणियाँ दी गई हैं।

2. वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार के वित्त

II.6.2 वर्ष 2024-25 (सं.अ.) के दौरान, केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से राजस्व और पूंजीगत व्यय को नियंत्रित करके सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को जीडीपी के 4.7 प्रतिशत पर सीमित रखा - जो बजट अनुमानों (ब.अ.) से 0.2 प्रतिशत कम है (सारणी II.6.1 और चार्ट II.6.1)[38]।

II.6.3 वर्ष 2024-25 (सं.अ.) में राजस्व व्यय में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मोटे तौर पर बजट अनुमान के अनुरूप है। वर्ष 2024-25 (सं.अ.) में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 2023-24 की तुलना में क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की कमी आई। खाद्य सब्सिडी भी अपने बजट अनुमान से ₹7,830 करोड़ कम रही, जिसका आंशिक कारण गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचने के कारण होने वाली लागत बचत है। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय पिछले वर्ष के 0.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 (सं.अ.) में जीडीपी का 0.83 प्रतिशत

[38] वर्ष 2024-25 (सं.अ.) के लिए केंद्र सरकार के वित्त के लिए उपयोग किए गए जीडीपी आंकड़े, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी 2025 को जारी 2024-25 के दूसरे अग्रिम अनुमान से संबंधित हैं।

सारणी II.6.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2015-16 से 2018-19 तक का औसत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सं.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर-कर्ज प्राप्तियां	9.1	8.7	8.5	9.4	9.1	9.3	9.5	9.8
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	11.0	10.0	10.2	11.5	11.4	11.5	11.6	12.0
ए) प्रत्यक्ष कर	5.7	5.2	4.8	6.0	6.2	6.5	6.8	7.1
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.3	4.8	5.5	5.5	5.2	5.0	4.9	4.9
III. निवल कर राजस्व	7.1	6.7	7.2	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9
IV. गैर-कर राजस्व	1.5	1.6	1.0	1.5	1.1	1.3	1.6	1.6
V. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियां	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
VI. कुल व्यय	12.6	13.4	17.7	16.1	15.6	14.8	14.2	14.2
VII. राजस्व व्यय	10.9	11.7	15.5	13.6	12.8	11.6	11.2	11.0
VIII. पूंजीगत व्यय	1.7	1.7	2.1	2.5	2.8	3.2	3.1	3.1
IX. राजस्व घाटा	2.4	3.3	7.3	4.4	4.0	2.5	1.8	1.5
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	4.6	9.2	6.7	6.5	5.5	4.7	4.4

ब.अ.: बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्यों के लिए सहायता अनुदान जीडीपी के 1.8 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गया।

चार्ट II.6.1: वर्ष 2024-25 में ब.अ. की तुलना में सं.अ. का राजकोषीय सुदृढ़ता में योगदान

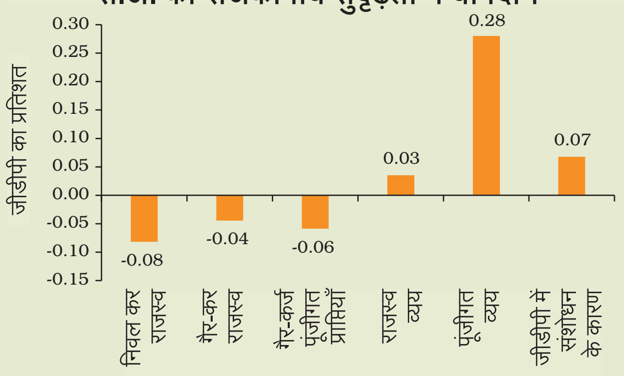

ब.अ.: बजट अनुमान। **सं.अ.:** संशोधित अनुमान।
टिप्पणी: नकारात्मक योगदान, प्राप्तियों में कमी या व्यय में वृद्धि या जीडीपी में बजट अनुमान से संशोधित अनुमान तक अधोमुखी संशोधन को दर्शाता है क्योंकि ये बजटित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से गिरावट के कारण बनते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक योगदान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान तक उच्च प्राप्तियों या कम व्यय को दर्शाता है क्योंकि ये बजटित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान करते हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.6.4 पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान से ₹92,682 करोड़ कम रहा और 2024-25 (सं.अ.) में जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहा, जबकि 2023-24 में यह जीडीपी का 3.2 प्रतिशत था (सारणी II.6.1)। पूंजीगत परिव्यय[39] तथा ऋण तथा अग्रिम, दोनों की वृद्धि में गिरावट देखी गई। प्रभावी पूंजीगत व्यय में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह जीडीपी के 4.0 प्रतिशत पर पहुँच गया।

II.6.5 वर्ष 2024-25 (सं.अ.) में सकल कर राजस्व अपने बजट अनुमान से ₹13,285 करोड़ अधिक रहा, जो 2023-24 में जीडीपी के 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गया। आय कर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सुदृढ़ स्तर ने कर प्राप्तियों को बढ़ावा दिया। जबकि सीमा शुल्क में वृद्धि धीमी हो गई, वहीं केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सुधार हुआ (चार्ट II.6.2)।

[39] पूंजीगत व्यय में से ऋण और अग्रिम घटाए गए।

चार्ट II.6.2: प्रमुख करों का स्तर

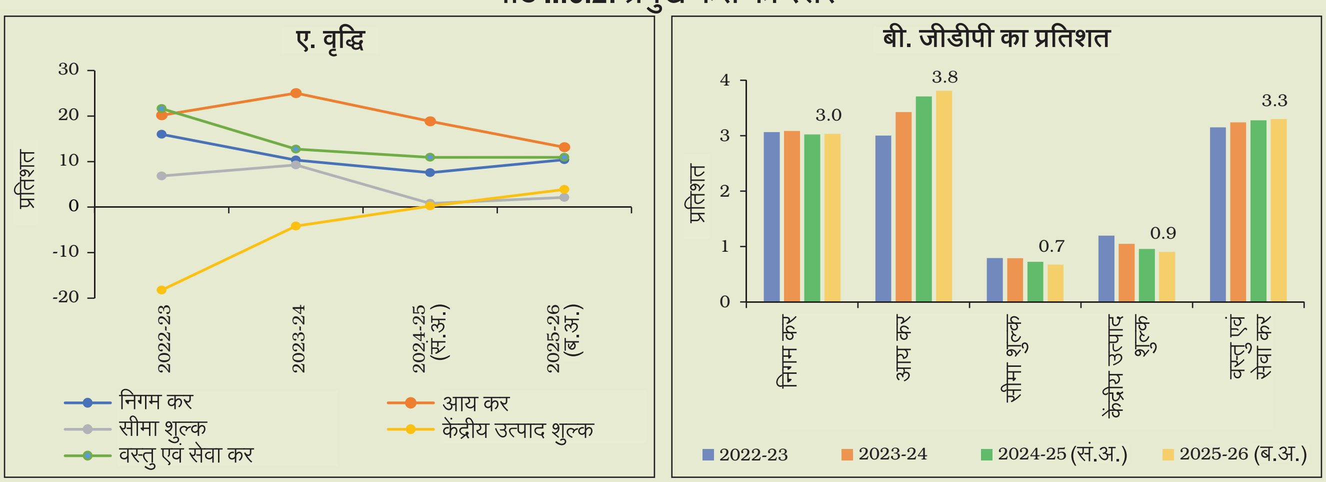

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

II.6.6 केंद्र को निवल कर राजस्व में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो सकल कर राजस्व की वृद्धि से कम है। इसका कारण राज्यों को करों के हस्तांतरण में उच्च संवृद्धि है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 (सं.अ.) में रिज़र्व बैंक से अधिशेष हस्तांतरण द्वारा संचालित गैर-कर राजस्व में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, विविध गैर-कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश प्राप्तियों सहित) अपने बजट अनुमान से ₹17,000 करोड़ कम रहीं। केंद्र की कुल गैर-कर्ज प्राप्तियों में 12.8 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जो 2023-24 में प्राप्त 13.6 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त है।

3. वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के वित्त

II.6.7 केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत पर जीएफडी के लक्ष्यीकरण के साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जारी रही [सारणी II.6.1 और परिशिष्ट सारणी 6]। राजकोषीय सुदृढ़ता के, राजस्व व्यय में पिछले वर्ष के 11.2 प्रतिशत से 2025-26 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 11.0 प्रतिशत तक कमी द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। बढ़ी हुई कर और गैर-कर प्राप्तियों से भी इस सुदृढ़ता को समर्थन मिलने की उम्मीद है। व्यय पक्ष पर, ब्याज भुगतान में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। जबकि उर्वरक और पेट्रोलियम के लिए सब्सिडी व्यय में क्रमशः ₹3,411 करोड़ और ₹2,600 करोड़ की गिरावट के अनुसार बजट निर्धारित किया गया है, वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में खाद्य सब्सिडी में ₹6,000 करोड़ की वृद्धि होने की उम्मीद है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर राजस्व व्यय के, वर्ष 2024-25 (सं.अ.) की तुलना में 2025-26 (ब.अ.) में जीडीपी के 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ कम होने का अनुमान है। इसके अलावा, राज्यों के लिए सहायता अनुदान 23.5 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि द्वारा संचालित है और इसके जीडीपी के 1.8 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

II.6.8 पूंजीगत व्यय में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में इसके जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर पहुँचने का अनुमान है। 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता को 2024-25 (सं.अ.) के ₹1.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में ₹1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के जीडीपी के 1.2 प्रतिशत तक बढ़ने के साथ, प्रभावी पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के 4.0 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 4.3

चार्ट II.6.3: पूंजीगत परिव्यय और आरईसीओ में रुझान

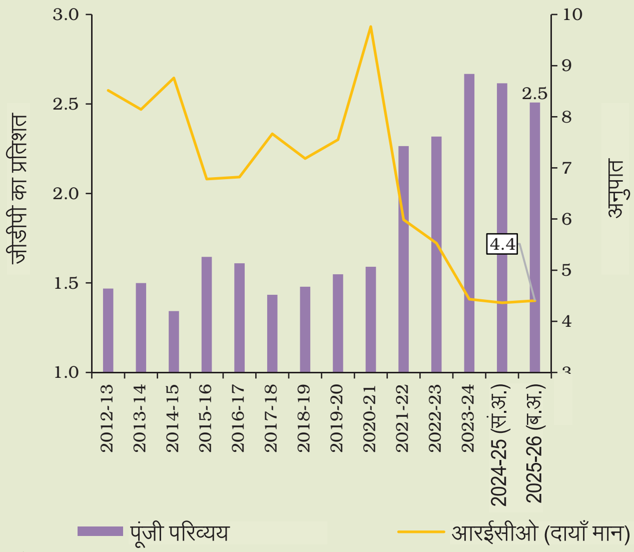

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट II.6.4: केंद्र के कर राजस्व में रुझान

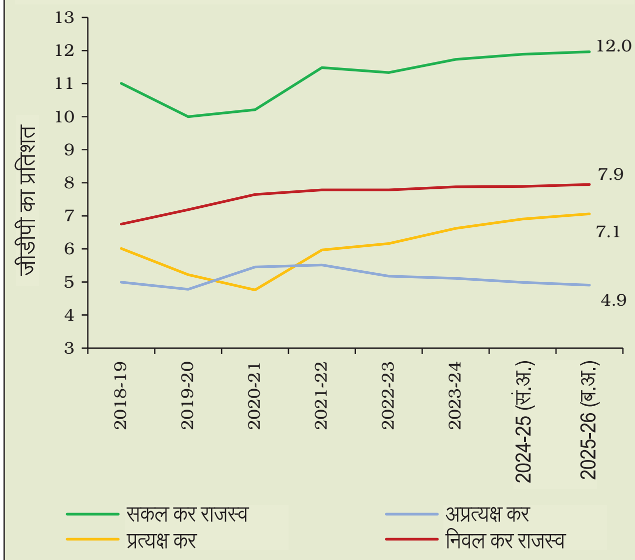

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

प्रतिशत होगा। पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय अनुपात (आरईसीओ) 4.4 पर कम बना हुआ है, जो सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर जोर को दर्शाता है (चार्ट II.6.3)।

II.6.9 वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में सकल कर राजस्व में वृद्धि के 1.1 पर रहने का अनुमान है, तथा प्रत्यक्ष कर 1.2 [2024-25 (सं.अ.) में 1.5] और अप्रत्यक्ष कर 0.8 [2024-25 (सं.अ.) में 0.7] पर निर्धारित होंगे। सकल कर राजस्व के वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में जीडीपी के 12.0 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 2007-08 के बाद सर्वोच्च है [चार्ट II.6.4]।

II.6.10 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल बाजार उधारियों में वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में थोड़ी गिरावट होने की उम्मीद है [चार्ट II.6.5ए]। बाजार उधारियाँ और उसके बाद लघु बचतें, जीएफडी के वित्तपोषण के मुख्य स्रोत बने हुए हैं (चार्ट II.6.5बी)।

चार्ट II.6.5: बाजार उधार और जीएफडी वित्तपोषण

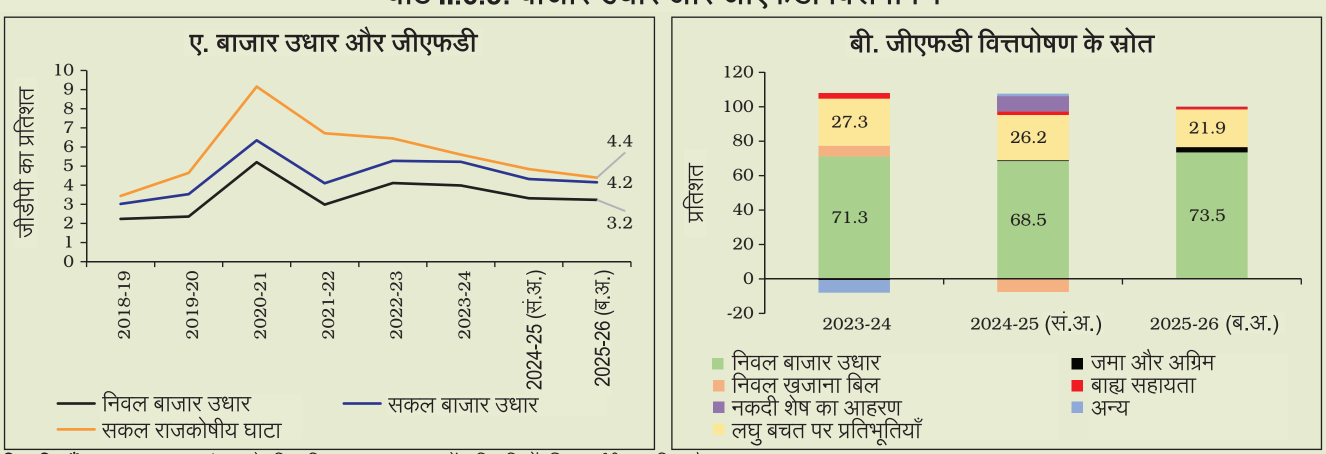

टिप्पणियाँ: 1. 2024-25 (सं.अ.) के लिए निवल बाजार उधार में प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद शामिल है।
2. 2023-24 से, प्रतिभूतियों की स्विचिंग के लिए बाजार उधारियों को समायोजित किया गया है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

4. वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त

II.6.11 राज्यों ने 2024-25 में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर जीएफडी को निर्धारित किया था (सारणी II.6.2)। अप्रैल 2024-फरवरी 2025 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त 20 राज्यों के अनंतिम लेखा आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का जीएफडी उनके बजट अनुमानों के 64.2 प्रतिशत पर रहा, जो एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तर (58 प्रतिशत) से अधिक है। कर राजस्व वृद्धि में कमी और केंद्र से अनुदान में गिरावट के कारण राजस्व प्राप्ति में वृद्धि कम हो गई। राज्यों के अपने कर राजस्व के अंतर्गत, राज्यों की जीएसटी (एसजीएसटी) वृद्धि धीमी हो गई, जबकि बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के संकुचन से उबर गए।

II.6.12 व्यय के स्तर पर, राजस्व व्यय में अप्रैल 2024-फरवरी 2025 के दौरान वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान के स्तर से कम रहा।

5. वर्ष 2025-26 में राज्य वित्त

II.6.13 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वर्ष 2025-26 के लिए उनका समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.3 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है (सारणी II.6.3)। राज्यों के लिए सकल हस्तांतरण को 2024-25 (सं.अ.) से 2025-26 में 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बजट किया गया है, जिसके पीछे प्रमुख कारण है - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हस्तांतरण तथा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण देने की योजना

सारणी II.6.2: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	25.9	32.3	36.5	42.1	46.7
	(13.0)	(13.7)	(13.6)	(14.3)	(14.3)
II. गैर-कर्ज पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4
	(0.1)	(0.1)	(0.04)	(0.1)	(0.1)
III. राजस्व व्यय	29.6	33.3	37.2	43.5	47.5
	(14.9)	(14.1)	(13.8)	(14.7)	(14.6)
IV. पूंजीगत व्यय	4.6	5.7	6.7	9.3	10.0
	(2.3)	(2.4)	(2.5)	(3.2)	(3.1)
ए. पूंजीगत परिव्यय	4.1	5.3	6.0	8.7	9.2
	(2.1)	(2.3)	(2.2)	(2.9)	(2.8)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.4	0.4	0.7	0.7	0.9
	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.3)
V. राजकोषीय घाटा	8.0	6.5	7.2	10.4	10.4
	(4.1)	(2.8)	(2.7)	(3.5)	(3.2)
VI. राजस्व घाटा	3.7	1.0	0.6	1.4	0.8
	(1.9)	(0.4)	(0.2)	(0.5)	(0.2)
VII. प्राथमिक घाटा	4.2	2.3	2.6	5.2	4.8
	(2.1)	(1.0)	(1.0)	(1.8)	(1.5)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आँकड़े, जीडीपी के प्रतिशत हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

सारणी II.6.3: राज्य सरकार वित्त 2025-26*: प्रमुख घाटा संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2023-24	2024-25 (सं.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
1	2	3	4
राजस्व घाटा	0.3	0.6	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	3.0	3.6	3.3
प्राथमिक घाटा	1.3	1.8	1.5

*: डेटा उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिन्होंने 2025-26 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

2025-26 में जारी रहेगी, जिसका कुल परिव्यय ₹1.5 लाख करोड़ होगा - जो 2024-25 (सं.अ.) के स्तर से 20 प्रतिशत अधिक है।

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.6.14 वर्ष 2024-25 (ब.अ.) में सामान्य सरकार का जीएफडी, 2023-24 (सं.अ.) के 8.8 प्रतिशत से घटकर जीडीपी[40] के 7.6 प्रतिशत पर पहुँच गया। सामान्य सरकारी कर्ज, 2024-25 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 81.9 प्रतिशत पर पहुँच गया, जबकि 2023-24 (सं.अ.) में यह 81.8 प्रतिशत था। केंद्र की बाह्य देयताएँ जीडीपी के 2.5 प्रतिशत पर निम्न बनी रहीं (चार्ट II.6.6ए और परिशिष्ट सारणी 7)।

II.6.15 सामान्य सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को, कर राजस्व में पिछले वर्ष के 18.1 प्रतिशत से वर्ष 2024-25 (ब.अ.) में जीडीपी के 18.8 प्रतिशत तक की वृद्धि तथा कुल व्यय में 30.2 प्रतिशत से जीडीपी के 30.0 प्रतिशत तक की कमी से समर्थन मिला। कुल व्यय पर नियंत्रण के बावजूद, जीडीपी की तुलना में पूंजीगत व्यय अनुपात वर्ष 2024-25 (ब.अ.) में 5.9 प्रतिशत पर रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 5.8 प्रतिशत था (चार्ट II.6.6बी)।

II.6.16 वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्वानुमानों के अनुसार, अपने समकक्षों एवं उभरते बाजार और मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की औसत स्थिति की तुलना में, भारत के सामान्य सरकारी कर्ज में कमी होती रहेगी (चार्ट II.6.7ए)। सामान्य सरकार के समग्र संतुलन में भी उल्लेखनीय सुधार होने का पूर्वानुमान लगाया गया है (चार्ट II.6.7बी)।

चार्ट II.6.6: सामान्य सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

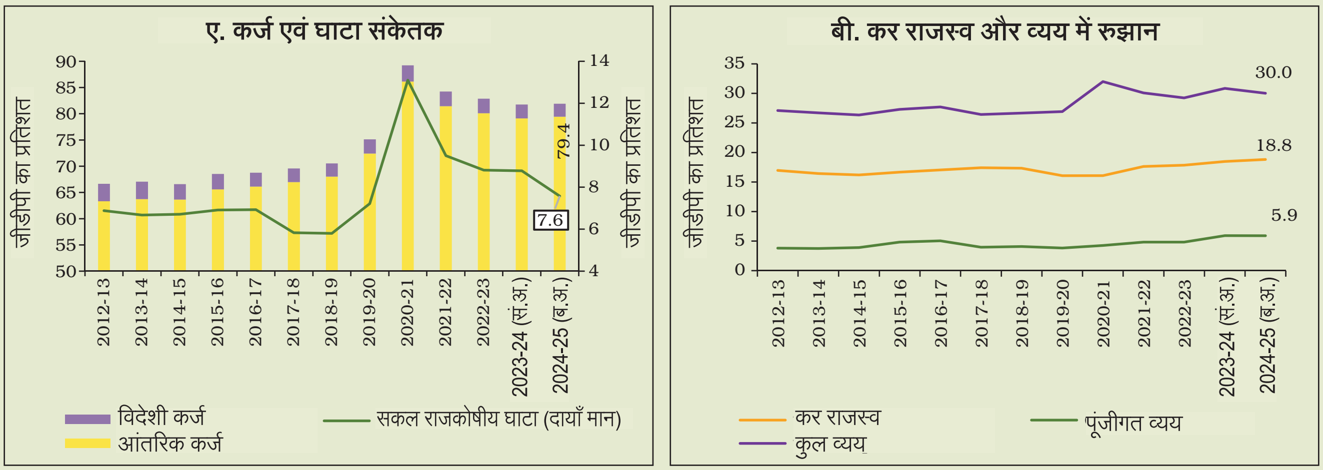

स्रोत: आरबीआई और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[40] वर्ष 2024-25 (ब.अ.) के लिए सामान्य सरकारी वित्त के लिए उपयोग किए गए जीडीपी डेटा को 2024-25 के केंद्रीय बजट दस्तावेजों से लिया गया है।

चार्ट II.6.7: अंतर-देशीय राजकोषीय निष्पादन

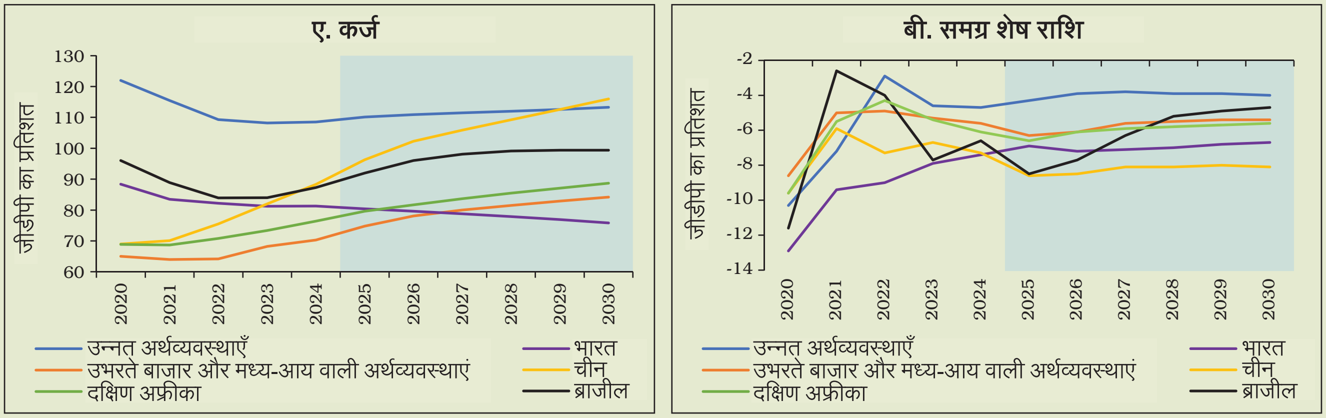

टिप्पणी: बाकी देशों के साथ तुलना सुनिश्चित करने के लिए, भारत के लिए आंकड़े फ़िस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, आईएमएफ, अप्रैल 2025 से लिए गए हैं। हालाँकि, यह डेटा केंद्रीय बजट या रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में रिपोर्ट किए गए डेटा से भिन्न हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार और आईएमएफ द्वारा कतिपय मदों जैसे कि आस्ति बिक्री से प्राप्तियाँ, गैर-कर राजस्व मदें और अन्य के लिए अलग-अलग निष्पादन किया जाता है।

स्रोत: फ़िस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, आईएमएफ, अप्रैल 2025।

7. निष्कर्ष

II.6.17 राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाने और राजस्व सृजन को बढ़ाने के माध्यम से किया गया राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य केंद्र-बिंदु रहा। अपने राजकोषीय बफर के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, केंद्र सरकार ने 2025-26 में अपने पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि हेतु बजट निर्धारित करते हुए अपनी व्यय गुणवत्ता को भी बनाए रखा है।

II.7 बाह्य क्षेत्र

II.7.1 भारत के बाह्य क्षेत्र ने वर्ष 2024-25 के दौरान लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन और वैश्विक व्यापार से संबंधित बढ़ती अनिश्चितता से भरपूर एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच आघात सहनीयता प्रदर्शित की। भारत का पण्य वस्तु निर्यात बढ़ा; लेकिन पण्य वस्तुओं के आयात के निर्यात से आगे निकलने के साथ, पण्य वस्तु व्यापार घाटा भी बढ़ गया। बहरहाल, भारत के फलते-फूलते सेवा निर्यात और मजबूत निजी अंतरण प्राप्तियों ने चालू खाता घाटा (सीएडी) को धारणीय स्तरों के भीतर अच्छी तरह से नियंत्रित रखा। निवल पूंजी प्रवाह सीएडी से कम होने के साथ, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी।

II.7.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है, इसके बाद उप-खंड 3 में भारत के पण्य वस्तु निर्यात और आयात का विश्लेषण किया जाता है। अदृश्य का व्यवहार उप-खंड 4 में प्रस्तुत किया गया है। निवल पूंजी प्रवाहों पर विवरण उप-खंड 5 में दिया गया है जबकि बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों का विश्लेषण उप-खंड 6 में किया गया है जिसके बाद निष्कर्ष हैं।

2. वैश्विक आर्थिक स्थिति

II.7.3 वैश्विक आर्थिक संवृद्धि वर्ष 2024 में घटकर 3.3 प्रतिशत (वर्ष 2023 में 3.5 प्रतिशत) हो गई और वर्ष 2025 (2.8 प्रतिशत)[41] में और भी कम रहने की उम्मीद है [चार्ट II.7.1ए]। व्यापार तनाव बढ़ने और नीति-आधारित अनिश्चितता बढ़ने से संवृद्धि परिदृश्य पर नकारात्मक जोखिम मंडरा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में आउटपुट वृद्धि वर्ष 2023 में

[41] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़)।

चार्ट II.7.1: वास्तविक जीडीपी और वैश्विक व्यापार* मात्रा वृद्धि

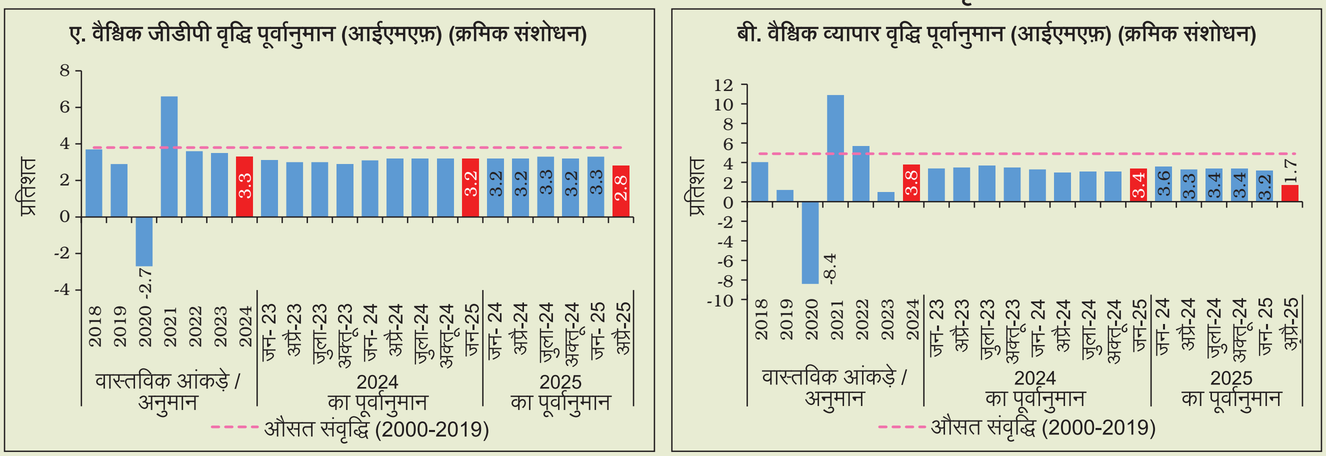

***:** माल और सेवाएं।
स्रोत: आईएमएफ।

1.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2024 में मामूली रूप से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गई, जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में यह 4.7 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई। वैश्विक मुद्रास्फीति दबावों की क्रमिक सहजता ने प्रमुख केंद्रीय बैंकों को अपनी नीति दरों में कटौती करने के लिए प्रेरित किया, हालांकि मौद्रिक नीति के रुख अभी भी कई सीमित क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक स्तर में बने हुए हैं। मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और स्थिर वैश्विक मांग के साथ, विश्व व्यापार की मात्रा (माल और सेवाएं) की वृद्धि वर्ष 2023 में 1.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 3.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.7.1b)।

II.7.4 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने वर्ष 2023-24 के दौरान 220.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान 255.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल पोर्टफोलियो प्रवाह दर्ज किया (चार्ट II.7.2)। वर्ष 2024 के दौरान वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, जो स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि के कारण मूल्यांकन लाभ को दर्शाता है (चार्ट II.7.3)।

चार्ट II.7.2: ईएमई के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह

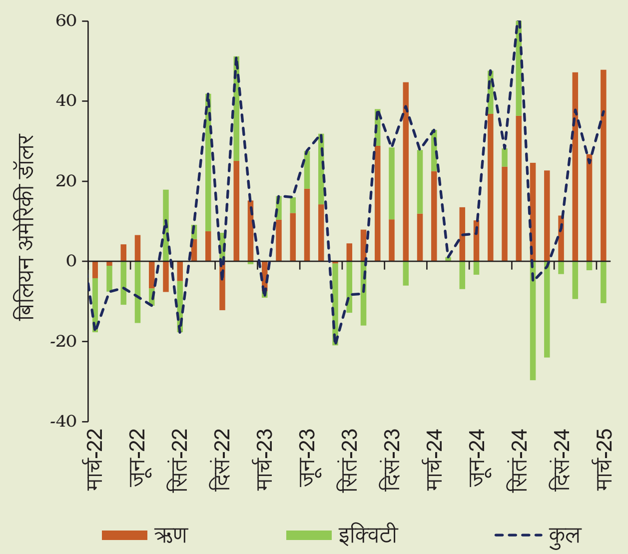

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

चार्ट II.7.3: वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन*

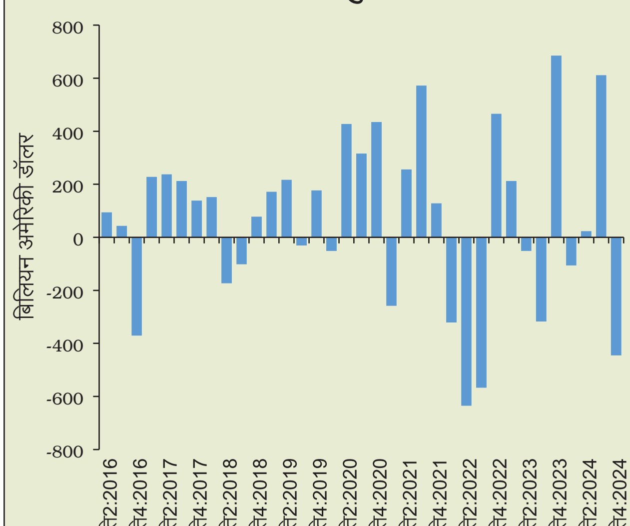

*: आधिकारिक आरक्षित आस्तियों में तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन।
स्रोत: आईएमएफ़।

3. पण्य वस्तु व्यापार

II.7.5 वर्ष 2024-25 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) 0.1 प्रतिशत बढ़कर 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2023-24 में देखे गए 3.1 प्रतिशत के संकुचन से उबरा है। वर्ष 2024-25 के दौरान पण्य वस्तु आयात 6.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 720.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 5.3 प्रतिशत का संकुचन हुआ था (सारणी II.7.1)।

II.7.6 वर्ष 2024-25 में पण्य वस्तु निर्यात में विस्तार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं; इंजीनियरिंग वस्तुओं; दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स; चावल; और सभी वस्त्रों के परिधान (आरएमजी) में वृद्धि के कारण हुआ; जबकि पेट्रोलियम उत्पाद; और रत्नों और आभूषणों में संकुचन देखा गया (चार्ट II.7.4 और II.7.5)।

सारणी II.7.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	बिलियन अमेरिकी डॉलर में मूल्य				वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)			
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात								
ति1	95.5	121.0	103.9	110.1	85.7	26.6	-14.1	5.9
ति2	102.7	110.7	107.2	103.5	38.5	7.8	-3.2	-3.4
ति3	106.8	104.6	105.6	108.7	41.0	-2.1	1.0	3.0
ति4	117.0	114.8	120.4	115.1	29.3	-1.9	4.9	-4.4
वार्षिक	422.0	451.1	437.1	437.4	44.6	6.9	-3.1	0.1
आयात								
ति1	127.0	183.5	160.0	172.2	107.2	44.5	-12.8	7.6
ति2	147.5	189.0	170.3	186.7	62.7	28.1	-9.9	9.7
ति3	167.0	176.1	176.1	187.5	50.7	5.4	0.0	6.5
ति4	171.6	167.3	171.8	173.9	30.3	-2.5	2.7	1.2
वार्षिक	613.1	716.0	678.2	720.2	55.4	16.8	-5.3	6.2
व्यापार शेष								
ति1	-31.4	-62.6	-56.2	-62.1				
ति2	-44.8	-78.3	-63.1	-83.2				
ति3	-60.2	-71.5	-70.5	-78.7				
ति4	-54.6	-52.6	-51.4	-58.8				
वार्षिक	-191.0	-264.9	-241.1	-282.8				

टिप्पणी : तिमाही आंकड़े वार्षिक आंकड़ों में शामिल नहीं है।
स्रोत: डीजीसीआईएस।

चार्ट II.7.4: भारत का पण्य वस्तु निर्यात

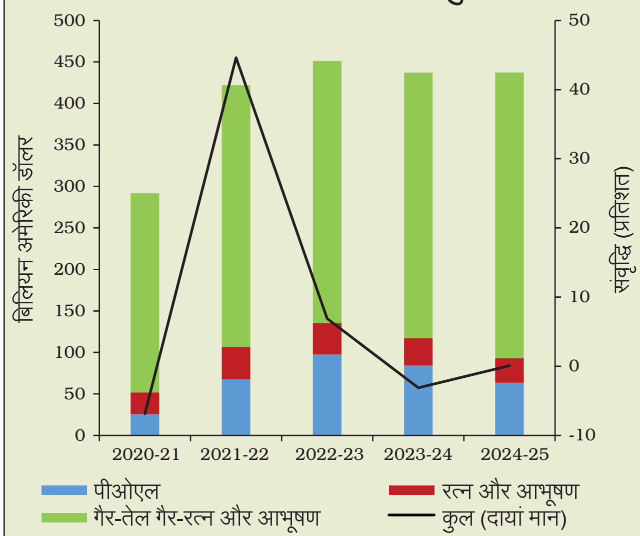

पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।
स्रोत: डीजीसीआईएस।

II.7.7 इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात (कुल निर्यात बास्केट का 26.7 प्रतिशत हिस्सा) वर्ष 2024-25 में 6.7

चार्ट II.7.5: निर्यात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2023-24 की तुलना में 2024-25)

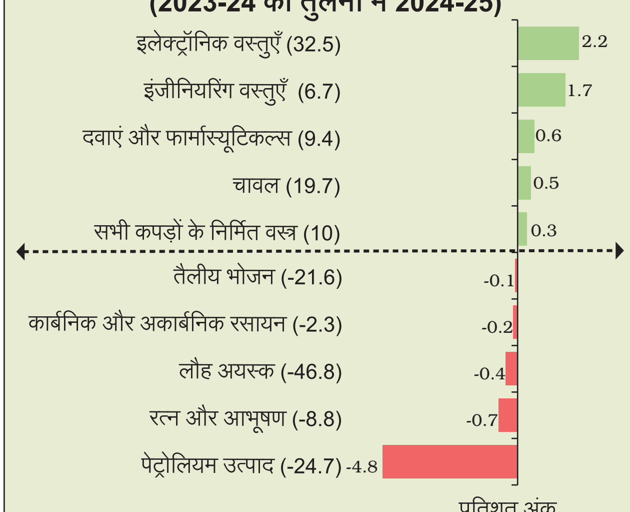

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन का प्रतिशत हैं।
स्रोत: पीआईबी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.7.6: भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात-सापेक्ष योगदान (2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25)

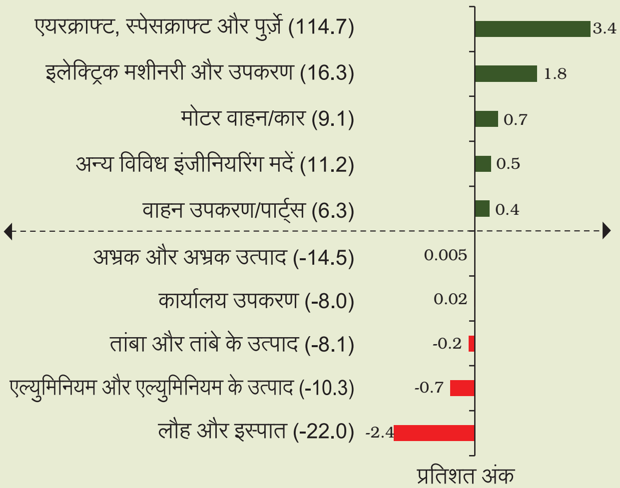

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन का प्रतिशत हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.7.7: भारत का चावल निर्यात

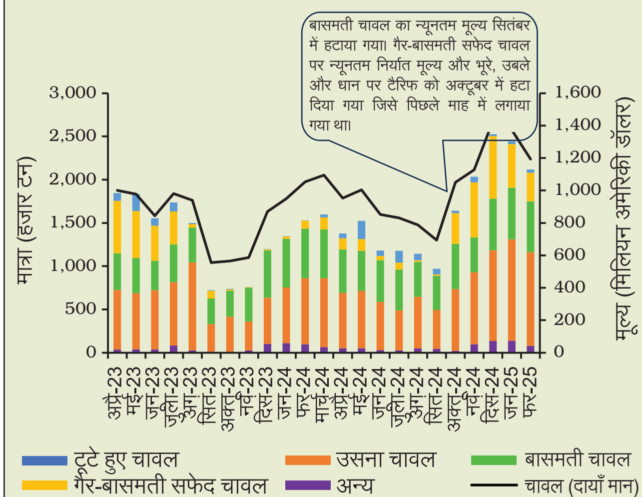

एमईपी: न्यूनतम निर्यात मूल्य।
टिप्पणी: विभिन्न स्तर पर कृषि निर्यात पर डेटा जनवरी 2025 तक उपलब्ध है।
स्रोत: डीजीसीआईएस।

प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2024-25 में इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि विमान, अंतरिक्ष यान और इसके भाग; इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण; मोटर वाहन/कार; अन्य विविध इंजीनियरिंग मदों; और अन्य वाहन उपकरण/पार्ट्स के कारण रही। दूसरी ओर, निर्यात वृद्धि में लौह और इस्पात; एल्यूमीनियम और उसके उत्पाद; तांबा और उसके उत्पाद; कार्यालय उपकरण; और अभ्रक और उसके उत्पाद के कारण कमी आई (चार्ट II.7.6)।

II.7.8 वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में कृषि निर्यात में 6.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। सितंबर और अक्टूबर 2024 में चावल निर्यात पर प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बाद चावल में तेज़ी रही (चार्ट II.7.7)। संचयी आधार पर, वर्ष 2024-25 में चावल निर्यात में 19.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

II.7.9 वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 32.5 प्रतिशत (व-द-व) का विस्तार हुआ। वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 61.7 प्रतिशत का योगदान देने वाले मोबाइल फोन 54.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 21.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए (चार्ट II.7.8)।

II.7.10 दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात, जो भारत के पण्य वस्तु निर्यात का 7.0 प्रतिशत है, वर्ष 2024-25 में 9.4 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में दवाओं और

चार्ट II.7.8: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात

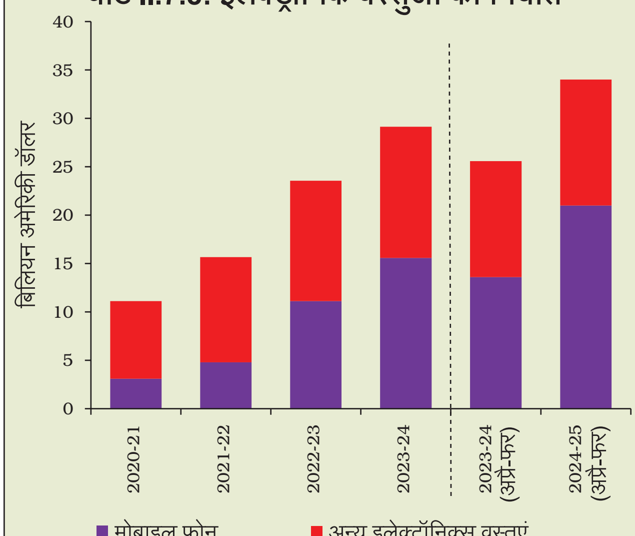

*: मोबाइल फोन निर्यात के आंकड़े फरवरी 2025 तक उपलब्ध हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएस।

चार्ट II.7.9: दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स

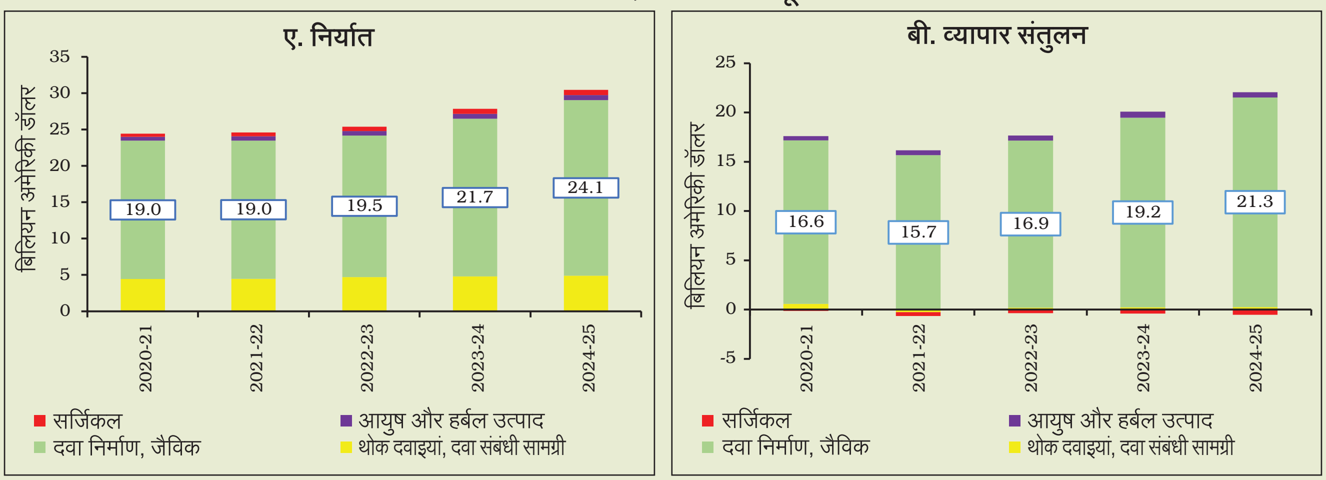

स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में वृद्धि दवा फॉर्मूलेशन और जैविक के निर्यात में मजबूत वृद्धि से बढ़ी (चार्ट II.7.9)।

II.7.11 तेल की कीमतों में कमी और मात्रा में गिरावट के कारण वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 24.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट II.7.10ए)। पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष दस गंतव्यों में से सात में वर्ष 2024-25 के दौरान गिरावट देखी गई [चार्ट II.7.10बी]।

II.7.12 वर्ष 2024-25 में पण्य वस्तुओं के आयात में विस्तार स्वर्ण ; इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं; और पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों के कारण हुआ। कोयला, कोक और ब्रिकेट; मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर; और लौह और इस्पात ने आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट II.7.11 और II.7.12)।

II.7.13 पीओएल आयात (कुल पण्य वस्तु आयात का 25.8 प्रतिशत) वर्ष 2024-25 में 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर

चार्ट II.7.10: भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

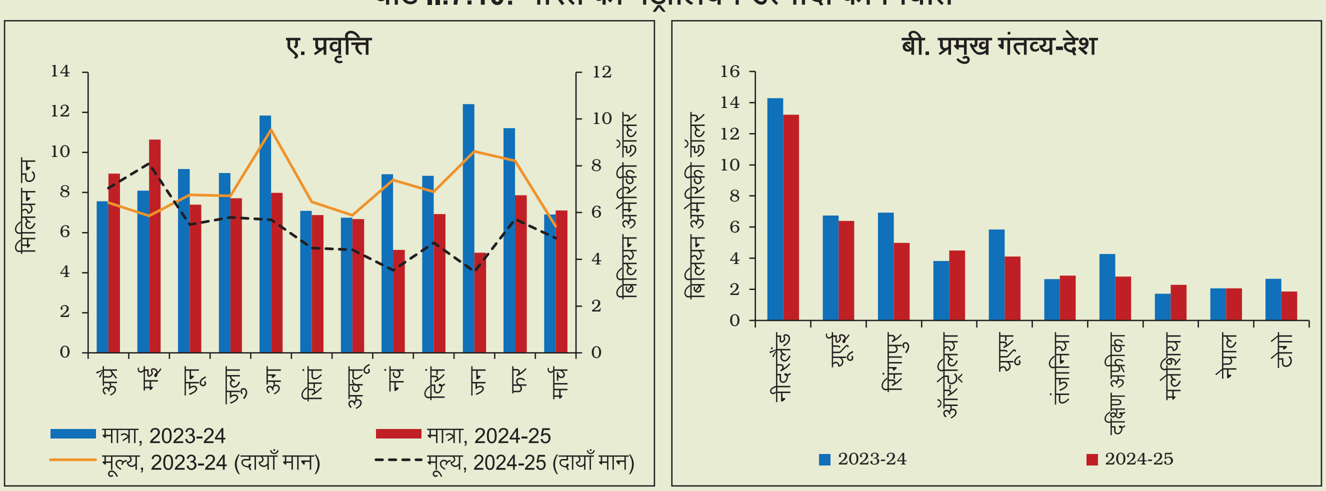

स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.7.11: भारत का पण्य वस्तु आयात

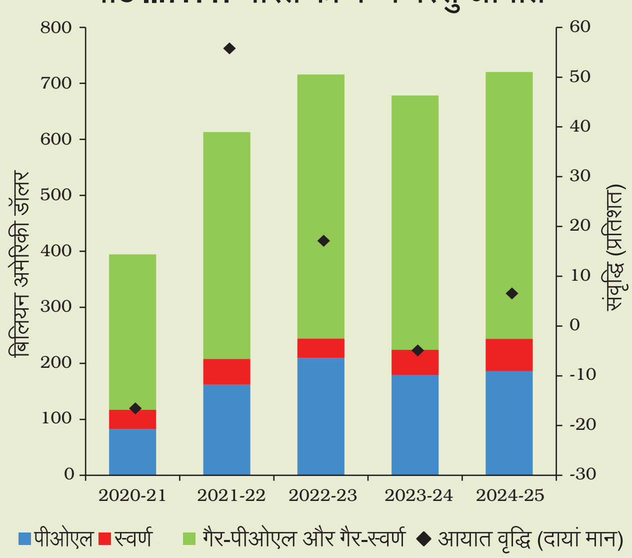

स्रोत: डीजीसीआईएस।

चार्ट II.7.12: आयात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान [वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25]

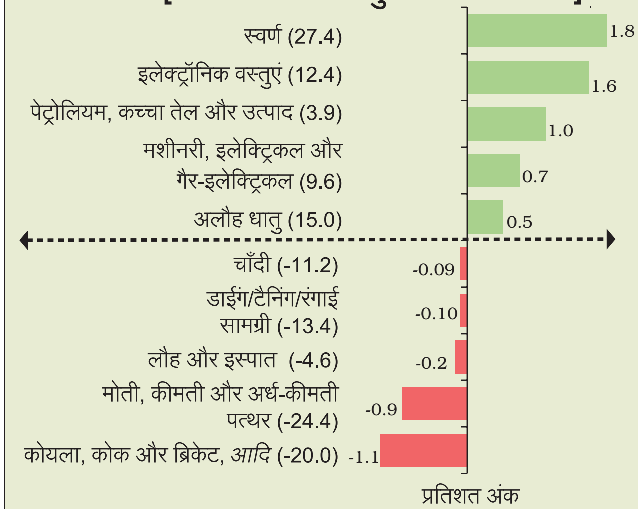

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएस और एस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

185.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 6.8 प्रतिशत की मात्रा वृद्धि से प्रेरित है (चार्ट II.7.13ए)। जबकि रूस शीर्ष स्रोत था, भारत के कच्चे तेल के आयात में संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी वर्ष के दौरान बढ़ी, जबकि इराक और सऊदी अरब में कमी आई (चार्ट II.7.13बी)।

II.7.14 स्वर्ण के आयात का मूल्य वर्ष 2024-25 में 27.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 58.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों (30.0 प्रतिशत) द्वारा संचालित है, जबकि कुल मात्रा संकुचित है (चार्ट II.7.14)।

II.7.15 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात वर्ष 2024-25 में 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 98.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.7.15)। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में उछाल आया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए व्यापार शेष वर्ष

चार्ट II.7.13: पीओएल

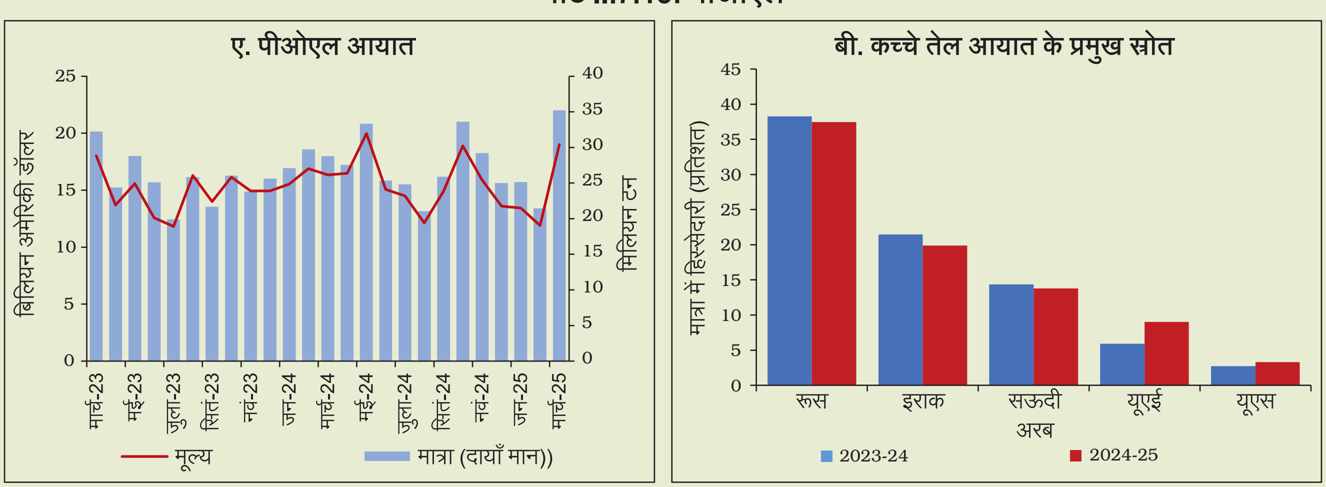

स्रोत: डीजीसीआईएस।

चार्ट II.14: स्वर्ण आयात

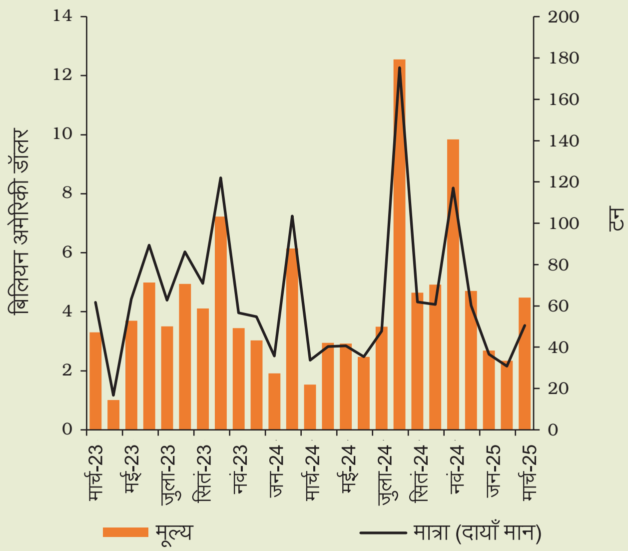

स्रोत: डीजीसीआईएस।

2024-25 में मामूली रूप से बढ़कर 60.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में घाटा इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में घाटे; और कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों से प्रेरित था; जबकि दूरसंचार उपकरणों ने 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज किया (चार्ट II.7.16)।

II.7.16 वर्ष 2024-25 में कोयला आयात में 20.0 प्रतिशत (व-द-व) की गिरावट आई, जो मात्रा में गिरावट के साथ-साथ कम आयात कीमतों को दर्शाती है (चार्ट II.7.17)। उच्च घरेलू कोयला उत्पादन और थर्मल पावर प्लांटों[42] द्वारा ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए कम आयात के कारण कोयला आयात में गिरावट आई।

II.7.17 पण्य वस्तु व्यापार घाटा वर्ष 2024-25 में बढ़कर 282.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 241.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तेल घाटा कुल व्यापार घाटे का 43.3 प्रतिशत था (चार्ट II.7.18ए)। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में, चीन, रूस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2024-25 में बढ़ गया, जबकि अमेरिका, नीदरलैंड और यूके के संबंध में अधिशेष में सुधार हुआ (चार्ट II.7.18बी)।

4. *अदृश्य*

II.7.18 अदृश्य वस्तुओं में भारत के व्यापार से संबंधित प्राप्तियां - जिसमें सेवाओं, आय और अंतरण में सीमा पार

चार्ट II.7.15: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात

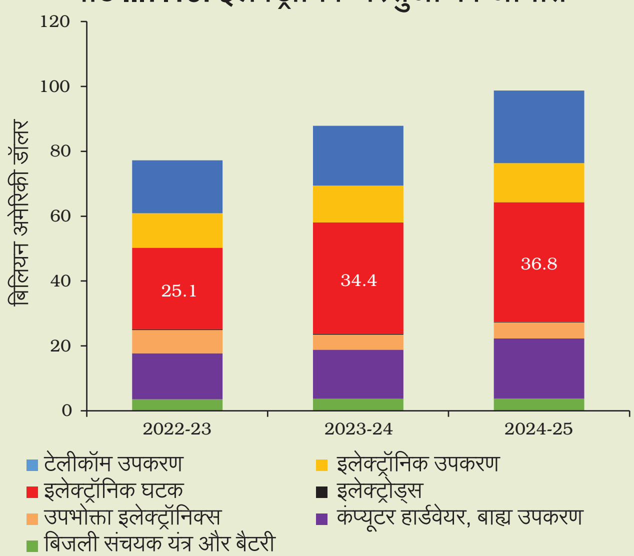

स्रोत: डीजीसीआईएस।

चार्ट II.7.16: इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार संतुलन

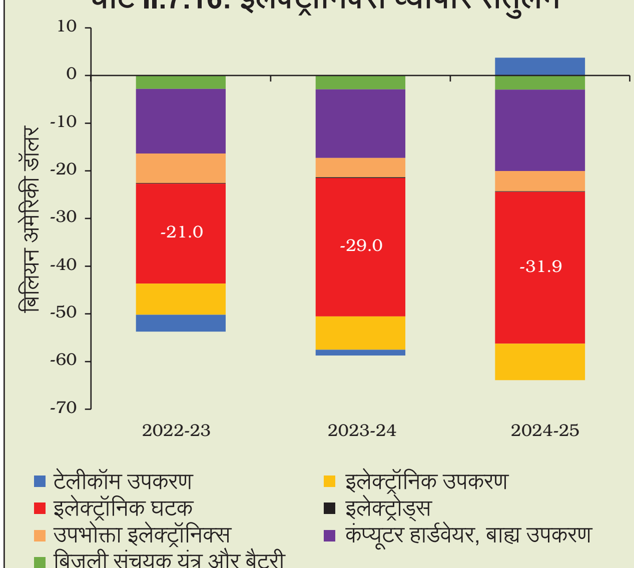

स्रोत: डीजीसीआईएस।

[42] अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान कोयला आयात वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में 9.2% कम है', 13 मई 2025 पीआईबी।

चार्ट II.7.17: कोयला आयात और कीमत

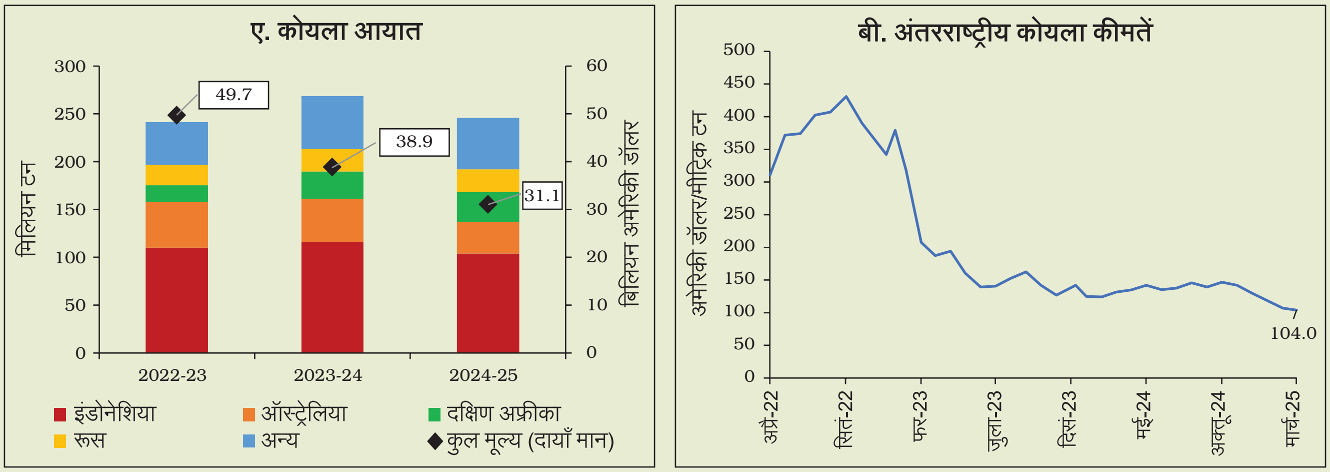

स्रोत: विश्व बैंक और डीजीसीआईएस।

लेनदेन शामिल हैं – वर्ष 2024-25 के दौरान अधिक रहीं। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 135.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल सेवा निर्यात 12.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत गति से बढ़ा, जिसमें सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 14.5 प्रतिशत विस्तार (भारत के सेवा निर्यात का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा) शामिल है [चार्ट II.7.19]। अन्य सेवाओं में, परिवहन प्राप्तियों में 19.5 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से प्रमुख व्यापार मार्गों में व्यवधानों के कारण वैश्विक माल ढुलाई दरों में वृद्धि से प्रेरित है - औसत बाल्टिक ड्राई सूचकांक[43] अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.0 प्रतिशत बढ़ा। यात्रा सेवाओं के निर्यात में 5.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पर्यटकों द्वारा बढ़ते व्यय को दर्शाती है। निजी हस्तांतरण प्राप्तियां, मुख्य रूप से विदेशों में काम करने वाले

चार्ट II.7.18: भारत का पण्य वस्तु व्यापार घाटा

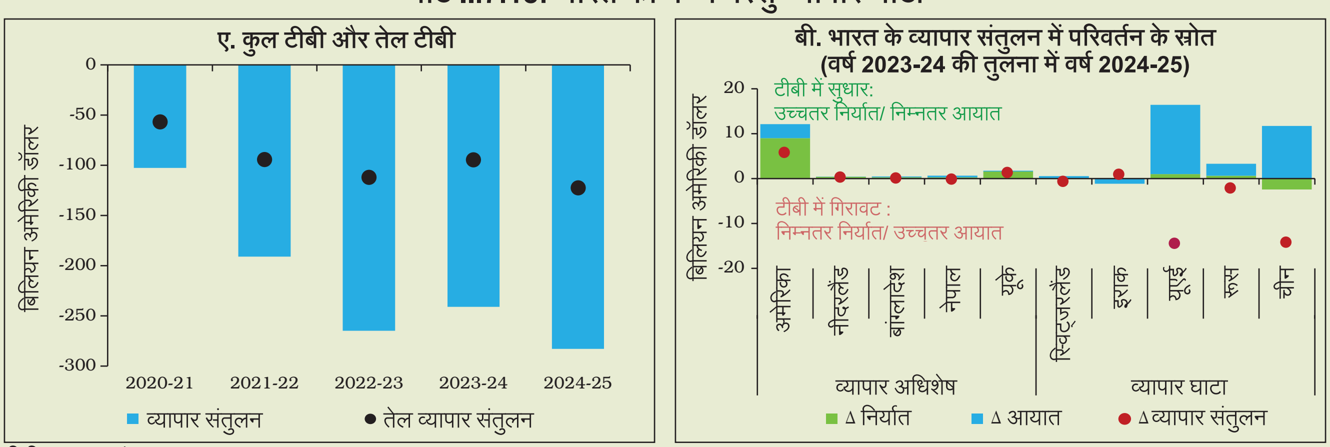

टीबी: व्यापार संतुलन।
टिप्पणी: एक सकारात्मक Δ निर्यात/Δ आयात का अर्थ अधिकतम निर्यात/आयात है और *यह विलोमत:* भी सही है।
स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[43] बाल्टिक एक्सचेंज (लंदन) द्वारा निर्मित एक शिपिंग और व्यापार सूचकांक, जो कोयला, लोहा और इस्पात जैसे ठोस थोक कच्चे माल के परिवहन की लागत को मापता है।

चार्ट II.7.19: भारत के सेवा निर्यात की संरचना

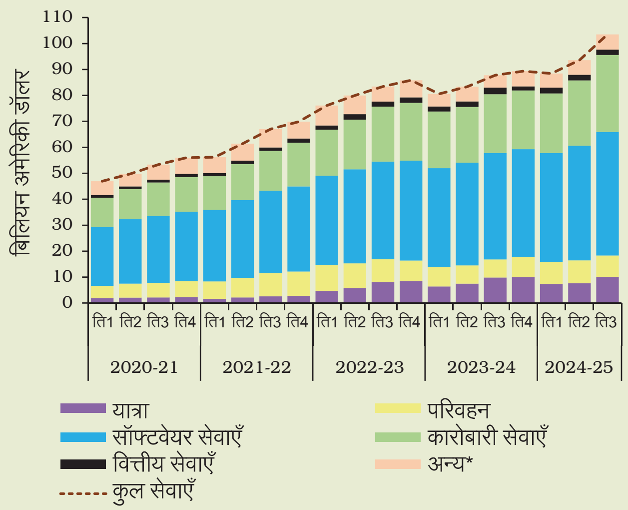

*: इसमें बीमा सेवाएँ, संचार सेवाएँ और सरकार शामिल हैं, जिन्हें अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.7.20: प्रमुख सेवा निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं में सेवा निर्यात में वृद्धि

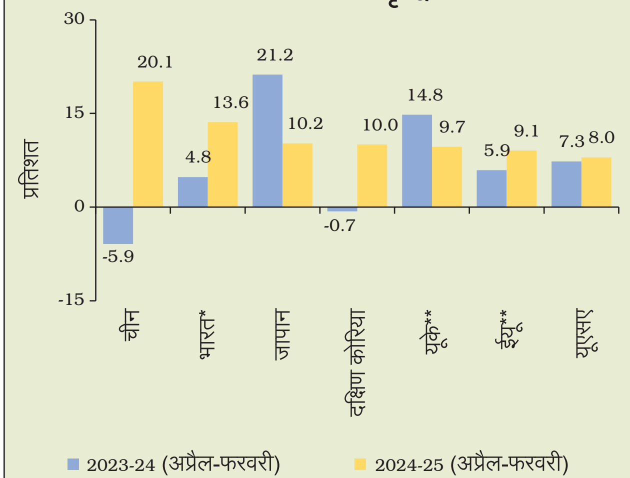

*: भारत का डेटा अप्रैल-मार्च से संबंधित है।
**: ईयू और यूके के आंकड़े अप्रैल-जनवरी से संबंधित हैं।
स्रोत: डब्ल्यूटीओ और आरबीआई।

भारतीयों द्वारा विप्रेषण को दर्शाती हैं, इसने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 16.2 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की।

II.7.19 वैश्विक वाणिज्यिक सेवा व्यापार में, भारत ने वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में प्रमुख पांच निर्यातक देशों में अपना स्थान बनाए रखा [चार्ट II.7.20]। गार्टनर[44] के अनुसार, वैश्विक आईटी खर्च 2025 में बढ़कर 5.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, जो 2024 में 5.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था जो भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात के लिए अच्छा है।

II.7.20 भारत वर्ष 2024 में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा (चार्ट II.7.21ए)। हालाँकि, भारत की कुल विप्रेषण

चार्ट II.7.21: आवक विप्रेषण

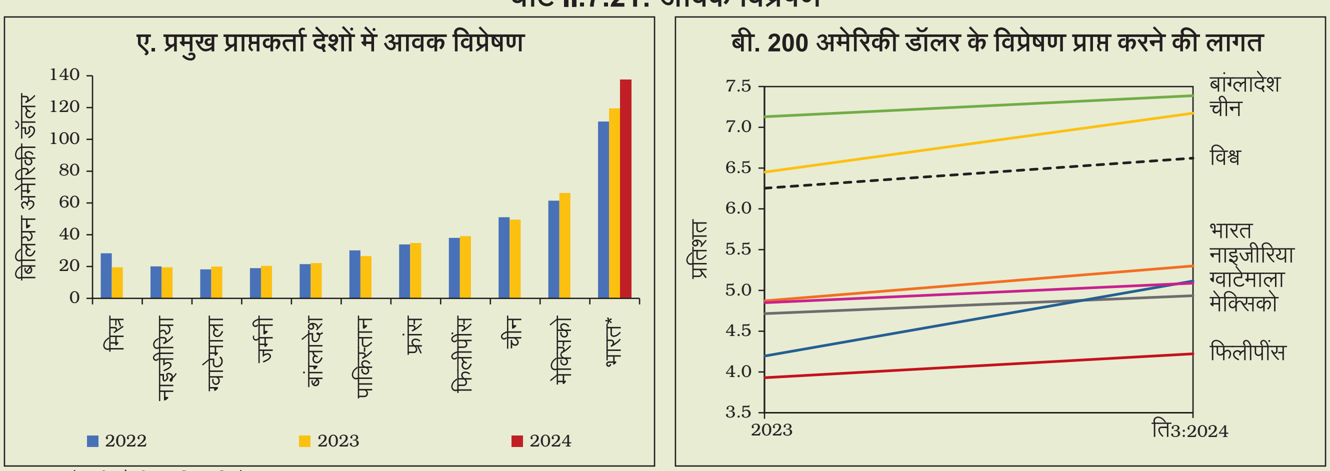

*: भारत के बीओपी सांख्यिकी के आधार पर।
स्रोत: आरबीआई और विश्व बैंक।

[44] गार्टनर इंक एक अमेरिकी तकनीकी अनुसंधान और परामर्श फर्म है, जो आईटी उद्योग पर अपने शोध और रिपोर्ट और दुनिया भर में आईटी खर्च पर पूर्वानुमान के लिए जाना जाता है।

प्राप्तियाँ वर्ष 2024 के दौरान (कैलेंडर वर्ष के आधार पर) 137.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहीं। भारत को 200 अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण भेजने की औसत लागत वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है, जो वैश्विक औसत 6.6 प्रतिशत (चार्ट II.7.21बी) से कम है।

II.7.21 लाभांश और ब्याज आय/भुगतान[45] के कारण प्राथमिक आय खाते में निवल व्यय अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 34.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। यह इसी अवधि के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बाह्य सहायता और अल्पकालिक ऋण जैसी देयताओं पर ब्याज व्यय में वृद्धि और अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश और लाभों के भुगतान को दर्शाता है।

II.7.22 निवल सेवा प्राप्तियों और श्रमिकों के विप्रेषण में उछाल काफी हद तक माल व्यापार घाटे में विस्तार की भरपाई करता है; तदनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2024 में भारत का सीएडी 37.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) में रहा, जबकि एक वर्ष पहले यह 30.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) था (चार्ट II.7.22)।

5. बाह्य वित्तपोषण

II.7.23 अस्थिर बाह्य वित्तीय स्थितियों, बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस पृष्ठभूमि में, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह एक वर्ष पहले की तुलना में कम हुआ और सीएडी से भी कम हो गया, इस प्रकार अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान बीओपी आधार पर (मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर) 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई (चार्ट II.7.23 और परिशिष्ट सारणी 8)।

II.7.24 विभिन्न पूंजी प्रवाहों के बीच, सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) प्रवाह मजबूत रहा, जो वर्ष 2024-25 के दौरान वार्षिक आधार पर 13.7 प्रतिशत बढ़कर 81.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वैश्विक स्तर पर, भारत

चार्ट II.7.22: भारत के चालू खाता शेष (सीएबी) की संरचना

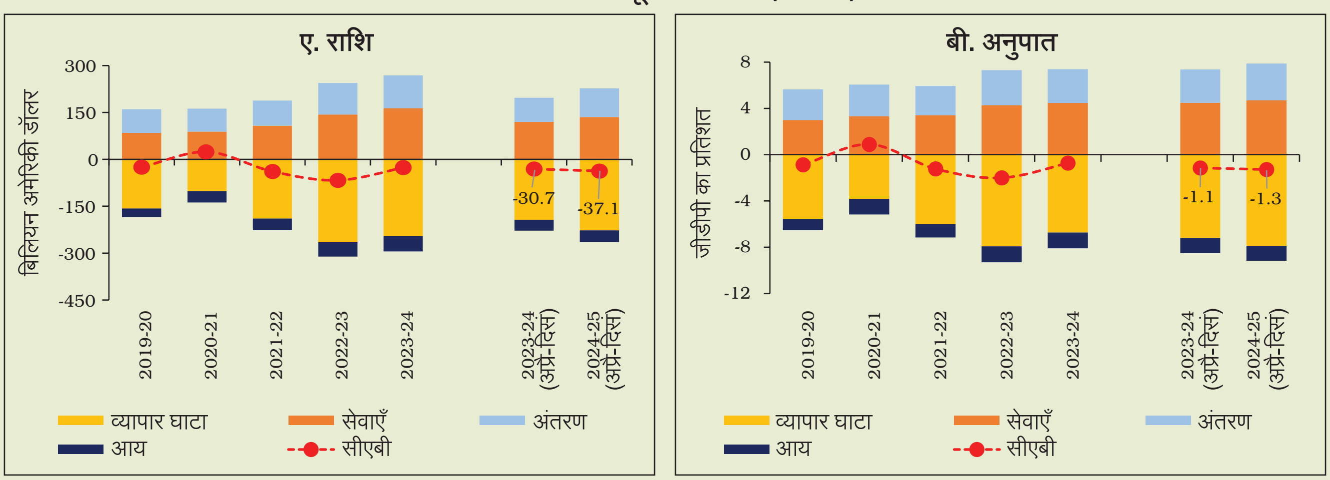

स्रोत: आरबीआई।

[45] सीमा पार निवेश पर आय और कर्मचारियों का मुआवजा जो घरेलू निवासी संस्थाएं दुनिया के बाकी हिस्सों से अर्जित करते हैं//भुगतान करते हैं।

चार्ट II.7.23: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

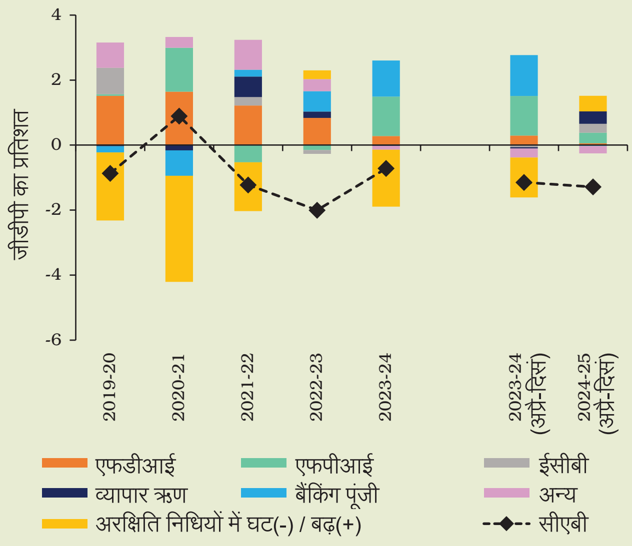

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.7.24: एफडीआई का स्रोत देश-वार प्रवाह (इक्विटी)

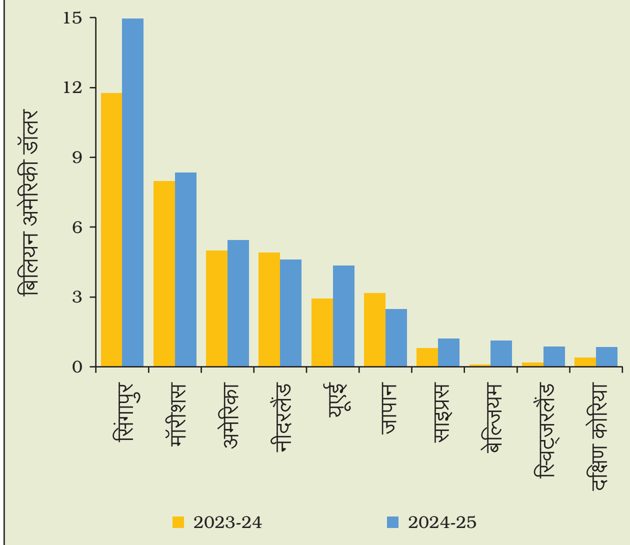

स्रोत: आरबीआई।

को एफ़डीआई बाज़ार[46] के अनुसार, अमेरिका, फ्रांस और यूके के बाद वर्ष 2024-25 के दौरान घोषित ग्रीनफील्ड एफ़डीआई पूंजी निवेश के मामले में चौथे स्थान पर रखा गया। वर्ष 2024-25 के दौरान 0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफडीआई प्रवाह, हालांकि, एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था, जो उच्च प्रत्यावर्तन/विनिवेश और निवल जावक एफडीआई के कारण कम हुआ (सारणी II.7.2)।

II.7.25 सेवा क्षेत्र[47] वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा रहा, इसके बाद विनिर्माण, बिजली और अन्य ऊर्जा, खुदरा और थोक व्यापार और परिवहन का स्थान है (परिशिष्ट सारणी 9)। प्रमुख स्रोत देशों अर्थात सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात ने एफडीआई प्रवाह में तीन-चौथाई योगदान दिया (चार्ट II.7.24)।

सारणी II.7.2: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मदें	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	6
1. निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	38.6	28.0	10.1	0.4
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	56.2	42.0	26.8	29.6
1.1.1 सकल अंतर्वाह	84.8	71.4	71.3	81.0
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	28.6	29.3	44.5	51.5
1.2 निवल जावक एफडीआई	17.6	14.0	16.7	29.2

स्रोत : आरबीआई।

[46] एफडीआई बाज़ार 2003 के बाद से वैश्विक स्तर पर सभी बाजारों और क्षेत्रों में वास्तविक समय में ग्रीनफील्ड एफडीआई पर नज़र रखने वाला अग्रणी ऑनलाइन डेटाबेस है।
[47] सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर सेवाएं, संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।

II.7.26 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, भारत वैश्विक एफ़डीआई के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहा है, जो वर्ष 2023 में शीर्ष 20 स्रोत देशों में है। भारत के जावक एफडीआई के लिए प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और मॉरीशस रहे। वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, विनिर्माण और थोक, खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मुख्य क्षेत्र रहे। भारत के द्विपक्षीय पण्य वस्तु निर्यातों के साथ-साथ प्राप्तकर्ता देश का आर्थिक आकार भारत के एफडीआई बहिर्वाह का आकार निर्धारित करता है (बॉक्स II.7.1)।

बॉक्स II.7.1
भारत की बाह्य एफ़डीआई प्रवृत्ति: भार मॉडल से अंतर्दृष्टि

वैश्विक एफडीआई परिदृश्य भू-राजनीतिक संरेखण और वैश्विक एफडीआई में सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी से एक संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है (कैसेला एवं अन्य., 2024)। ईएमई विदेशी निवेश के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहे हैं, वैश्विक एफडीआई बहिर्वाह में जी20-उभरते बाज़ार (जी20-ईएम) देशों की हिस्सेदारी वर्ष 2009 में 9.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023 में 16.5 प्रतिशत हो गई। इन प्रवृत्ति के अनुरूप, विशेष रूप से महामारी के बाद की अवधि के दौरान भारत के बाह्य निवेश में काफी वृद्धि हुई (चार्ट 1ए)। इसके अलावा, भारत के बाह्य निवेश में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर रुख देखा गया है, वर्ष 2019-2024 के दौरान औसत हिस्सेदारी बढ़कर 51.1 प्रतिशत हो गई है (चार्ट 1बी)।

भौतिक दूरी, कर व्यवस्था, और प्राकृतिक और कार्यनीतिक संसाधनों की उपलब्धता जैसे समष्टि आर्थिक कारक बाह्य एफडीआई प्रवाह के प्रमुख निर्धारकों में से हैं (सिसलिक एवं अन्य. 2019, कौशल, 2022)। अर्थव्यवस्थाएं निवल एफडीआई प्राप्तकर्ता से निवल जावक निवेशकों के रूप में संक्रमण करती हैं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, और उत्पादकता प्रभाव-विस्तार से लाभ प्राप्त करती हैं (हर्जर, 2010)।

भारत से जावक एफडीआई प्रवाह के निर्धारकों का पता लगाने के लिए, 14 देशों में भारत के द्विपक्षीय जावक एफडीआई प्रवाह के लिए ति1: 2010 से ति1: 2024 (57 तिमाहियों) तक तिमाही डेटा का उपयोग किया जाता है, जो भारत के कुल जावक एफडीआई का लगभग 80 प्रतिशत है। पॉइसन छद्म-अधिकतम संभावना (पीपीएमएल) अनुमानक को लागू करके एक विस्तारित भार मॉडल का अनुमान लगाया जाता है, जो डेटा में शून्य-मूल्यवान टिप्पणियों और विषमता को संभालने की क्षमता का पता लगाते हैं। सिसलिक एवं अन्य.,(2019) और कौशल

चार्ट 1: भारत की बहिर्वाह एफ़डीआई प्रवृति

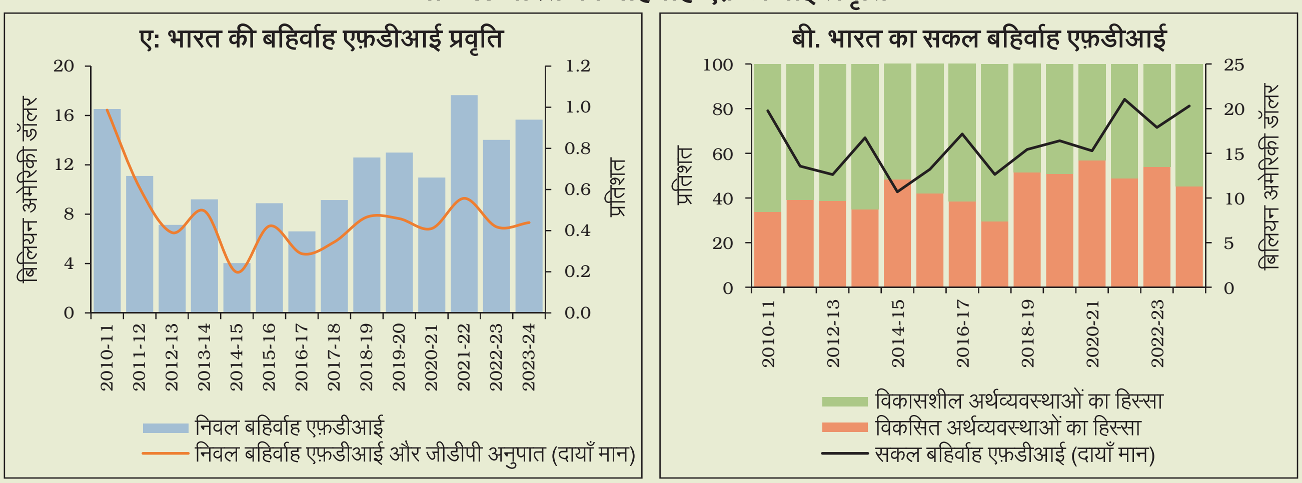

स्रोत: यूएनसीटीएडी, आरबीआई और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)

(2022) के बाद, पीपीएमएल प्रतिगमन का अनुमान निम्नलिखित सामान्यीकृत रूप के अनुसार लगाया जाता है:

$$log\ (Outward\ FDI_{it}) = \alpha + \beta_1*log(Export_{it}) + \beta_2*log(Nominal\ GDP_{it}) + \beta_3*log(Physical\ Distance_i) + \beta_4*Corporate\ Tax_{it} + \beta_5*Natural\ Endowments_{it} + \beta_6*i.country + \beta_7*i.time$$

जहां, '*i*' मेजबान देश को दर्शाता है और '*t*' समय अवधि को दर्शाता है।

प्रतिगमन परिणामों से संकेत मिलता है कि भारत का जावक एफडीआई मेजबान देश के नामिक जीडीपी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जो बाजार के आकार के महत्व पर जोर देता है (सारणी 1)। मेजबान देश को निर्यात बाहरी एफडीआई पर एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंध आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं और निवेश को बढ़ावा देते हैं। दूरी के साथ नकारात्मक जुड़ाव आउटबाउंड निवेश में भौगोलिक और आर्थिक निकटता के महत्व पर प्रकाश डालता है। मेजबान देश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुरक्षित आवश्यक संसाधनों और स्थिर आपूर्ति शृंखलाओं द्वारा समर्थित बाह्य एफडीआई को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में उच्च कॉरपोरेट कर दरें बाह्य एफडीआई के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती हैं। इन निष्कर्षों में भारत के बहिर्मुखी एफडीआई प्रवाहों को आकार देने में आर्थिक, भौगोलिक और संस्थागत कारकों के परस्पर प्रभाव पर जोर दिया गया है।

सारणी 1: पीपीएमएल अनुमानक का उपयोग करके अनुमानित भार मॉडल

आश्रित चर: लॉग (जावक एफडीआई)

व्याख्यात्मक चर^	गुणांक	
	मॉडल 1	मॉडल 2
1	2	3
लॉग (निर्यात)	0.45*** (0.04)	-
लॉग (नाममात्र जीडीपी)	-	0.54*** (0.05)
कॉरपोरेट कर (प्रतिशत में)	-	-0.06*** (0.007)
प्राकृतिक बंदोबस्ती (प्रतिशत में)	0.20*** (0.05)	-
लॉग (दूरी)	-0.39*** (0.09)	-0.39*** (0.11)
अवलोकनों की संख्या	798	798
आर-वर्गित	0.50	0.53

^: भौतिक दूरी को राजधानी शहरों के बीच भौगोलिक दूरी (किलोमीटर में) के रूप में मापा जाता है, जबकि प्राकृतिक बंदोबस्ती को कुल निर्यात में कच्चे माल के निर्यात के प्रतिशत हिस्से द्वारा पता लगाया जाता है।
-: लागू नहीं।
*** क्रमशः 1 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियों को इंगित करते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संदर्भ:

1. कैसेला, बी., बोल्विज़न, आर., और कैसलेना, एफ. (2024), 'ग्लोबल इकॉनोमिक फ्रैक्चरिंग एंड शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट पैटर्न: ए डायग्नोस्टिक ऑफ टेन एफडीआई ट्रेंड्स एंड देयर डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस'। वोक्स ईयू, सेंटर फॉर इकॉनोमिक्स पॉलिसी रिसर्च।
2. सिसलिक ए., एंड ट्रान, जी. एच. (2019), 'डिटरमिनेंट्स ऑफ आउटवर्ड एफ़डीआई फ्रॉम एमर्जिंग इकॉनोमीज', क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकॉनोमिक्स एंड इकॉनोमिक पॉलिसी, 14(2), 209-231.
3. हर्जर, डी. (2010), 'आउटवर्ड एफडीआई एंड इकॉनोमिक ग्रोथ', जर्नल ऑफ इकॉनोमिक स्टडीज, 37(5).
4. कौशल, एल. ए. (2022) इंस्टीट्यूशनल एंड इकॉनोमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन ओएफडीआई', कोजेंट इकॉनोमिक्स एंड फाइनेंस, 10(1), 2147648.

II.7.27 वर्ष 2024-25 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) ने पिछले वर्ष के दौरान 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह की तुलना में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया (चार्ट II.7.25)। वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉण्ड को शामिल करने के कारण 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का संतुलित एफपीआई प्रवाह देखा गया। हालांकि, इक्विटी एफपीआई प्रवाह ने पिछले वर्ष 25.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह के मुकाबले इसी अवधि के दौरान 15.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया, जो अप्रैल-मई 2024, अक्टूबर-नवंबर 2024 और जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान अन्य ईएमई में जोखिम-रहित भावनाओं के कारण इक्विटी सेगमेंट में बढ़ती बिकवाली के रुझानों को दर्शाता है। एफपीआई इक्विटी बहिर्वाह में मुख्य रूप से तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन, शीघ्र विक्रेय/ खपत वाली उपभोक्ता वस्तुएं ऑटोमोबाइल और विद्युत क्षेत्रों का योगदान रहा, जबकि

चार्ट II.7.25: भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह

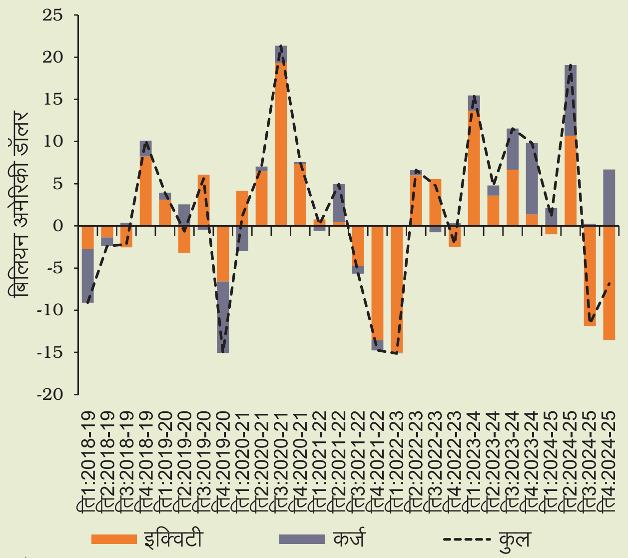

स्रोत: एनएसडीएल।

अंतर्वाह मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता सेवा क्षेत्रों में दर्ज किया गया। ऋण बाजार में एफपीआई द्वारा निवेश बढ़ने के बावजूद उपयोग उपलब्ध निवेश सीमा से नीचे बना हुआ है। मार्च 2025 के अंत तक, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में 15.7 प्रतिशत तक की सीमा का उपयोग किया गया (मार्च 2024 के अंत तक 18.5 प्रतिशत)। पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत अनिवासी निवेशकों के लिए खोले गए निर्दिष्ट केंद्रीय जी-सेक के कुल मूल्य में से, मार्च 2025 के अंत तक एफपीआई के पास 7.1 प्रतिशत रहा, जो मार्च 2024 के अंत तक 4.5 प्रतिशत था।

II.7.28 वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत में निवल ईसीबी अंतर्वाह वर्ष 2023-24 के 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.7.26)। आगे उधार देने/उप-उधार देने के अलावा, संवितरण का उपयोग पूर्व ईसीबी, नई परियोजनाओं और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के पुनर्वित्त के लिए किया गया (चार्ट II.7.27)। कुल करार राशि में रुपये में अंकित ऋण और बॉण्ड की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 के दौरान 5.0 प्रतिशत रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 5.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ईसीबी करार की राशि में से 67.6 प्रतिशत स्पष्ट रूप से हेज किया गया, 5.2 प्रतिशत एफडीआई मूल कंपनियों (आईएनआर ऋण को छोड़कर) से था और 5.0 प्रतिशत रुपये में अंकित किया गया था। शेष 22.3 प्रतिशत में अन्य ईसीबी शामिल थे, जिनमें प्राकृतिक रूप से हेज किए गए ऋण

चार्ट II.7.26: भारत की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (निवल)

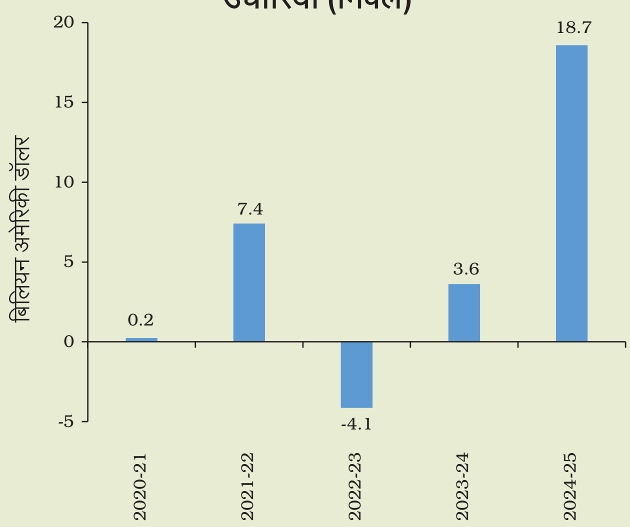

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.7.27: वर्ष 2024-25 के दौरान ईसीबी का अंतिम उपयोग (कुल अंतर्वाह में भाग)

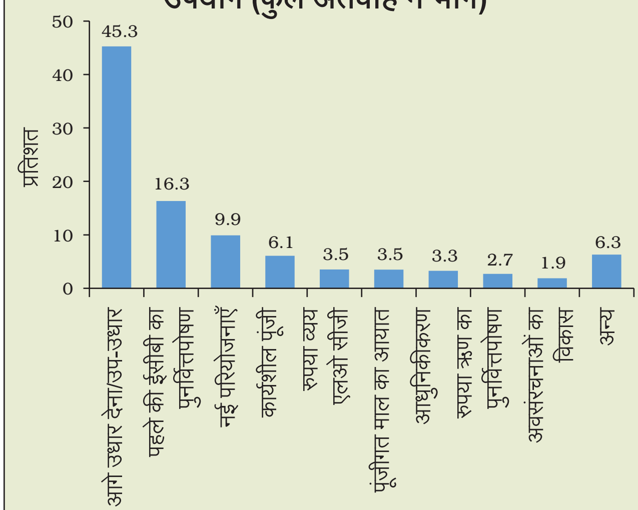

एलओ सीजी: स्थानीय पूंजीगत माल।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी II.7.3: अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मदें	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	6
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	3.3	2.5	4.2	4.7
2. अनिवासी साधारण खाता	3.5	4.0	4.2	4.4
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	-3.6	2.4	6.4	7.1
अनिवासी जमाराशियाँ (1+2+3)	**3.2**	**9.0**	**14.7**	**16.2**

स्रोत: आरबीआई।

(यानी, विदेशी मुद्रा में उधारकर्ताओं की व्यावसायिक आय) शामिल थे।

II.7.29 अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान पण्य वस्तु आयात में वृद्धि के अनुसरण में अल्पकालिक व्यापार ऋण में वृद्धि हुई, जिसमें एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह की तुलना में 11.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ। कच्चे तेल, स्वर्ण, कोयला और तांबे के आयात के लिए व्यापार ऋण का 32 प्रतिशत लिया गया। अनिवासी जमाराशियों के तहत निवल अंतर्वाह वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (सारणी II.7.3)।

6. भेद्यता संकेतक

II.7.30 जीडीपी अनुपात में भारत का बाह्य ऋण दिसंबर 2024 के अंत में 19.1 प्रतिशत (मार्च 2024 के अंत में 18.5 प्रतिशत) पर सामान्य रहा, जो उभरते बाजार के समकक्षों में सबसे कम है (सारणी II.7.4)। कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 के

सारणी II.7.4: बाह्य भेद्यता संकेतक (मार्च अंत)

(प्रतिशत, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो)

संकेतक	2013	2022	2023	2024	दिसंबर-अंत 2024
1	2	3	4	5	6
1. बाह्य कर्ज़ और जीडीपी अनुपात	22.4	19.9	19.1	18.5	19.1
2. कुल ऋण और अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	19.7	20.6	19.1	19.4
3. कुल ऋण और अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	43.2	44.0	43.4	42.4
4. रियायती ऋण और कुल ऋण का अनुपात	11.1	8.3	8.2	7.4	6.8
5. कुल ऋण और आरक्षित मुद्रा का अनुपात	71.3	98.1	92.7	96.7	88.6
6. आरक्षित मुद्रा और अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	20.0	22.2	19.7	22.0
7. आरक्षित मुद्रा और अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	44.0	47.4	44.9	47.8
8. आयात का रिज़र्व कवर (महीनों में)*	7.0	11.8	9.6	11.3	10.5
9. ऋण सेवा अनुपात (चालू प्राप्तियों के लिए ऋण सेवा)	5.9	5.2	5.3	6.7	6.6
10. विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	618.8	623.9	668.8	717.9
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) [बिलियन अमेरिकी डॉलर]	-326.7	-358.1	-367.1	-361.2	-364.5
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-11.6	-11.3	-10.1	-9.8
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	-1.2	-2.0	-0.7	-1.3

*: नवीनतम चार तिमाहियों के पण्य वस्तु आयात के आधार पर, बीओपी सांख्यिकी आंकड़ों में प्रकाशित।
स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार।

अंत में घटकर 42.4 प्रतिशत रह गई। विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा बाह्य जोखिमों और प्रभाव-विस्तार को कम करने के लिए एक मजबूत बफर प्रदान करना जारी है। दिसंबर 2024 के अंत तक, विदेशी मुद्रा भंडार अल्पकालिक बाह्य ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) के दो गुना से अधिक था। इसके अलावा, मार्च 2025 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार ने वर्ष 2024-25 के लिए 11 माह के पण्य वस्तु आयात (बीओपी आधार पर) का कवर प्रदान किया। जीडीपी अनुपात में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में भी दिसंबर 2024 के अंत में सुधार दर्ज किया गया।

7. निष्कर्ष

II.7.31 भारत के बाह्य क्षेत्र ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में आघात-सहनीयता प्रदर्शित की। सेवा निर्यात और निजी अंतरण प्राप्तियों में निरंतर मजबूत वृद्धि के कारण बढ़ते पण्य वस्तु व्यापार घाटे के बावजूद चालू खाता घाटा प्रबंधनीय बना रहा। जबकि पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाहों ने अस्थिरता प्रदर्शित की, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मामूली विदेशी ऋण देयताओं के रूप में मजबूत बफर बाह्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के
कार्य और परिचालन

III मौद्रिक नीति परिचालन

2024-25 के दौरान, हेडलाइन मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हुई, जबकि अस्थिर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण अवस्फीति का मार्ग बाधित रहा। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अक्टूबर 2024 में उदारवादी रुख वापस लेने से बदलकर तटस्थ रुख किया और इसके बाद फरवरी 2025 में नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। संभावित चलनिधि दबाव कम करने के लिए, बैंकों का नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) दिसंबर 2024 में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत तक घटा दिया गया, साथ ही जनवरी-मार्च 2025 के दौरान स्थिर चलनिधि संप्रवाह के लिए कई अन्य उपाय किए गए।

III.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में 2024-25 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति का रुख नीचे की ओर रहा, तथापि खाद्य मूल्य के आघातों (अध्याय II का खंड 3 देखें) के कारण अवस्फीति का मार्ग बाधित हुआ। मुद्रास्फीति-संवृद्धि परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने अक्टूबर 2024 में मौद्रिक नीति के उदारवादी रुख वापस लेने को बदलकर तटस्थ कर दिया, जिससे उसे अवस्फीति और संवृद्धि की प्रगति और दृष्टिकोण की निगरानी करने और उभरती परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने का लचीलापन मिला। 2025-26 के दौरान मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद में एमपीसी ने, फरवरी 2023 से नीतिगत रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखने के बाद, फरवरी 2025 में नीतिगत दर 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दी।

III.2 वर्ष के दौरान, प्रणालीगत चलनिधि जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान अधिशेष स्थिति से दिसंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान घाटे की स्थिति में रही और मार्च 2025 के अंत में पुनः अधिशेष में आ गई। संभावित चलनिधि दबाव को कम करने के लिए, बैंकों का सीआरआर दिसंबर 2024 में 50 बीपीएस घटाकर एनडीटीएल का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया, तदुपरांत जनवरी-मार्च 2025 में स्थिर चलनिधि संप्रवाह के लिए कई उपाय किए गए। नीतिगत रेपो दर में कमी को परिलक्षित करते हुए अल्पकालिक मुद्रा बाजार दरों में नरमी आई। 2024-25 में नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन का बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण जारी रहा, लेकिन इसकी गति धीमी रही। चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण कीमत निर्धारण के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू की गई अनिवार्य बाह्य बेंचमार्क व्यवस्था ने मौद्रिक संचरण की प्रक्रिया को मजबूत किया।

III.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, खंड 2 में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2024-25 के लिए निर्धारित कार्यसूची की कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत की गई है, जबकि खंड 3 में 2025-26 के लिए कार्यसूची निर्धारित की गई है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियां दी गई हैं।

2. 2024-25 के लिए कार्यसूची

III.4 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की उधार दरों में नीतिगत आवेगों के संचरण के

विश्लेषण को और मजबूत करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ III.5];

- एनबीएफसी के क्षेत्रीय ऋण प्रवाह को मापना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ III.5];
- एनबीएफसी द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों को दिए गए ऋण के संबंध में ऋण मूल्य निर्धारण की बाह्य बेंचमाक आधारित उधार-दर (ईबीएलआर) प्रणाली की व्यवहार्यता की जांच करना (पैराग्राफ III.5);
- भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक की गणना करना (पैराग्राफ III.5);
- विभिन्न रिज़र्व आवश्यकताओं के अंतर्गत बैंकों के व्यवहार का अध्ययन करना (पैराग्राफ III.5) ; तथा
- सीपीआई प्रसार सूचकांक प्रकाशित करना (पैराग्राफ III.5)।

कार्यान्वयन की स्थिति

III.5 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, एनबीएफसी की उधार दर और क्षेत्रीय ऋण डेटा एकत्र किए जा रहे हैं और नीतिगत इनपुट के लिए उनका विश्लेषण किया जा रहा है। एनबीएफसी द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों को दिए गए ऋण के लिए ऋण मूल्य निर्धारण की ईबीएलआर प्रणाली आरंभ करने की जांच की गई, किन्तु इसे अभी व्यवहार्य नहीं पाया गया। भारत के लिए एक वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई) विकसित किया गया, जिसमें कई वित्तीय बाजार संकेतकों का उपयोग दैनिक आवृत्ति पर किया गया और इसने संकट के प्रकरणों में वित्तीय स्थितियों में बन रहे भावी दबाव को दर्शाया। बैंकों के दैनिक रिज़र्व रखरखाव व्यवहार पर अध्ययन में पाया गया कि लचीली मुद्रास्फीति लक्षित व्यवस्था और स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट सुविधा का संबंध दैनिक रिज़र्व रखरखाव में कम अस्थिरता और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा औसत दैनिक अतिरिक्त रिज़र्व में कमी से है। सीपीआई प्रसार सूचकांक अब रिज़र्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

III.6 इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषयों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन किए गए: (i) मई 2022 से मौद्रिक नीति सख्ती के चरण में मौद्रिक नीति संचरण; (ii) खाद्य मुद्रास्फीति के कोर मुद्रास्फीति जैसे लक्षण, जैसे अस्थिरता, निरंतरता, स्पिलओवर और चक्रीय संवेदनशीलता; और (iii) उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की निरंतरता का मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर प्रभाव और गैर-खाद्य घटकों पर इसका स्पिलओवर।

प्रमुख गतिविधियां

मौद्रिक नीति

III.7 जब एमपीसी ने अप्रैल में 2024-25 की अपनी पहली बैठक की, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था समुत्थानशीलता के संकेत दे रही थी और घरेलू अर्थव्यवस्था की गति मजबूत निवेश गतिविधि और निवल बाह्य मांग से कम खिंचाव के कारण बढ़ रही थी। घरेलू हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 5.7 प्रतिशत से घटकर जनवरी-फरवरी 2024 के दौरान 5.1 प्रतिशत हो गई थी। खाद्य मूल्य अनिश्चितताएं, अक्सर और निरंतर हो रहे जलवायु आघात और लगातार भू-राजनीतिक तनाव से मुद्रास्फीति प्रक्षेप के समक्ष ऊर्ध्वमुखी जोखिम आए। मानसून सामान्य मानते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत पर रहने का पूर्वानुमान दिया गया, जिसमें पहली तिमाही 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत थी और जोखिम समरूप से संतुलित थे। 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0 पर रहने का पूर्वानुमान दिया गया, जिसमें पहली तिमाही 7.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 6.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही 7.0 प्रतिशत; और चौथी तिमाही 7.0 प्रतिशत पर थे, जिसे सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) की आशा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि और निजी उपभोग में तेजी से बल मिला, तथापि भू-राजनीतिक संघर्षों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता

और भू-आर्थिक विखंडन से उत्पन्न हेडविंड के कारण दृष्टिकोण के प्रति अधोमुखी जोखिम आए। एमपीसी ने 5-1 बहुमत के साथ रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और यह सुनिश्चित करने के लिए उदार रुख की वापसी पर ध्यान केंद्रित किया कि संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप संरेखित हो।

III.8 जून 2024 की एमपीसी की नीति बैठक के दौरान, हेडलाइन मुद्रास्फीति फरवरी से क्रमिक रूप में कम हुई थी। 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखा गया। सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) की आशा, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर और विनिर्माण और सेवा गतिविधि में स्थिर गति के आधार पर 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7.2 प्रतिशत रखा गया। एमपीसी ने 4-2 बहुमत से पॉलिसी रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और उदार रुख वापस लेने पर बने रहे, साथ ही जब तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ दृढ़ता से संरेखित न हो जाए, तब तक अवस्फीतिकारी रुख जारी रखने की आवश्यकता को दोहराया।

III.9 अगस्त 2024 की एमपीसी बैठक के दौरान, वैश्विक गतिविधि असमान विस्तार द्वारा स्थिरता प्रदर्शित कर रही थी और घरेलू गतिविधि स्थिर रही। 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। प्रवृत्ति के विपरीत, जून 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल-मई 2024 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 4.8 प्रतिशत पर स्थिर रही थी। दक्षिण-पश्चिम मानसून में वृद्धि और बुवाई में अच्छी प्रगति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी की आशा को देखते हुए, साथ ही अनाज के मजबूत बफर स्टॉक और वैश्विक खाद्य कीमतों में नरमी को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया, और दूसरी तिमाही 4.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 4.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.3 प्रतिशत पर रहा तथा जोखिम समरूप से संतुलित रहे। एमपीसी ने पाया कि अस्थिर और उच्च खाद्य कीमतों के कारण जोखिम उच्च बना हुआ है, जो मुद्रास्फीति प्रत्याशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इसका स्पिलओवर कोर मुद्रास्फीति पर हो सकता है। इसलिए, एमपीसी ने 4-2 बहुमत से रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, लेकिन सर्वसम्मति से उदार रुख वापस लेने को दोहराया।

III.10 मौजूदा बाह्य सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद, 1 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने नए बाह्य सदस्यों को शामिल करते हुए एमपीसी के पुनर्गठन को अधिसूचित किया। जब अक्टूबर 2024 में नई एमपीसी की बैठक हुई, तब घरेलू वास्तविक जीडीपी में निजी उपभोग और निवेश के कारण 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज हुई थी। जून की तुलना में जुलाई और अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हुई। 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति और वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानों को क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। एमपीसी ने 5-1 के बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। अच्छी तरह संतुलित मुद्रास्फीति-संवृद्धि गतिकी से बल पाकर एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रुख को उदारता की वापसी से तटस्थ में बदलने का निर्णय लिया ताकि इसे जारी अवस्फीति की प्रगति की निगरानी के लिए लचीला बनाया जा सके।

III.11 दिसंबर 2024 की बैठक से पहले, वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में अपेक्षा से कम 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। परिणामस्वरूप, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान संशोधित कर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया। अक्टूबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई और ऊपरी सहनीयता स्तर को पार कर गई, जो खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र बढ़त और कोर मुद्रास्फीति में तेजी के कारण हुई। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति के 2024-25 की चौथी तिमाही तक कम होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम और अंतरराष्ट्रीय कृषि पण्य की कीमतों में वृद्धि से खाद्य

मुद्रास्फीति में ऊर्ध्व जोखिम आए। इन कारकों को देखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया, जिसमें तीसरी तिमाही 5.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत था। साथ ही, 2025-26 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 4.0 प्रतिशत अनुमानित की गई। एमपीसी ने पाया कि अक्टूबर की नीति के बाद से निकट अवधि की मुद्रास्फीति और संवृद्धि परिणाम कुछ प्रतिकूल हो गए थे और अर्थव्यवस्था के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए यह मुद्रास्फीति-संवृद्धि संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही। 4-2 के बहुमत से, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, जबकि सर्वसम्मति से तटस्थ रुख जारी रखने का निर्णय लिया।

III.12 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमपीसी की अंतिम बैठक फरवरी 2025 में हुई। प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार, निजी उपभोग में सुधार से 2024-25 में घरेलू वास्तविक जीडीपी में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का पूर्वानुमान था। 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति नवंबर-दिसंबर 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण कम हुई, जिसके अच्छे *खरीफ* उत्पादन के कारण और कम होने की आशा थी। हालांकि, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता ने मुद्रास्फीति के लिए ऊर्ध्वमुखी जोखिम पैदा किया। 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 4.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया और चौथी तिमाही 4.4 प्रतिशत पर रही। मानसून सामान्य मानते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई का पूर्वानुमान 4.2 प्रतिशत पर रखा गया, जिसमें पहली तिमाही 4.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 4.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.2 प्रतिशत थी। इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने यह देखते हुए कि संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी ने संवृद्धि को समर्थन देने की नीतिगत गुंजाइश रखी है, सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। एमपीसी ने सतर्क रहते हुए, सर्वसम्मति से तटस्थ रुख जारी रखने का भी फैसला किया, क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता, वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितताएं और प्रतिकूल मौसमी घटनाएं संवृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के समक्ष जोखिम लाती हैं।

III.13 2024-25 के दौरान एमपीसी के दर संबंधी निर्णय, फरवरी 2025 की दर कटौती कार्रवाई (चार्ट III.1) को छोड़कर, विविधतापूर्ण थे। साथ ही, मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए एमपीसी ने भावी मार्गदर्शन प्रदान करने से परहेज

चार्ट -III.1: मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) दर कार्रवाई

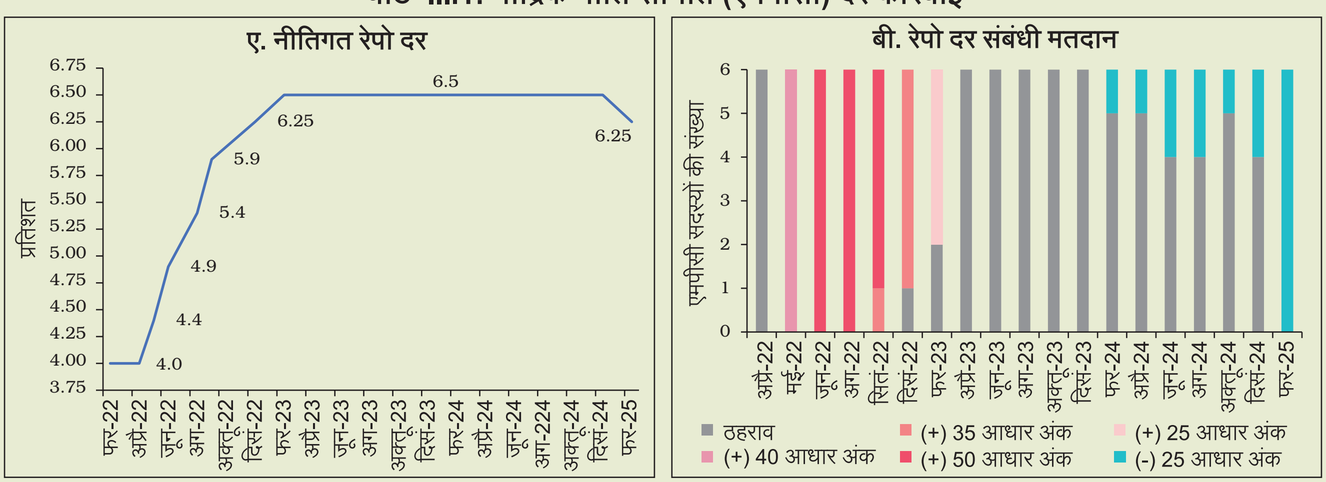

स्रोत: आरबीआई।

किया और नीति निर्माण में डेटा पर निर्भर रही। फरवरी 2025 की बैठक में, फरवरी 2023 के बाद पहली बार नीतिगत रेपो दर में कमी की गई, जिसमें अवस्फीति के मार्ग पर अधिक विश्वास था। 2025-26 में मुद्रास्फीति के और कम होने की आशा है, जो धीरे-धीरे लक्ष्य से संरेखित होगी।

III.14 वैश्विक स्तर पर, हालांकि कई केंद्रीय बैंकों का रुख 2024 में उदारवादी चक्र की ओर बढ़ा, वे सतर्क बने रहे और मुद्रास्फीति के अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित होने के बारे में अनिश्चितता के कारण प्रतिबंधात्मक रुख बनाए रखा। तथापि, व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के समक्ष, 2025 की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंक अपनी दर संबंधी कार्रवाई में सतर्क रहे और सावधानीपूर्वक दरें घटाईं या फिर विराम लिया (चार्ट III.2)।

परिचालन ढांचा: चलनिधि प्रबंधन

III.15 उच्च कर बहिर्वाह, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले संभावित चलनिधि दबाव को कम करने के लिए बैंकों का सीआरआर 6 दिसंबर, 2024 को 25 बीपीएस के दो समान भाग में एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत तक घटा दिया गया और यह 14 दिसंबर, 2024 और 28 दिसंबर, 2024 से आरंभ पखवाड़े से प्रभावी हुआ। इस कमी से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि निर्गमित हुई। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में सुदृढ़ चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए टर्म रेपो ऑक्शन, खुले बाजार के क्रय परिचालन और यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप सहित 2024-25 की चौथी तिमाही में कई चलनिधि संबंधी उपाय किए।

चलनिधि के चालक और प्रबंधन

III.16 अस्थिर पूंजी प्रवाह, सीआईसी में तेजी और भारत सरकार (जीओआई) के नकदी शेष 2024-25 के दौरान चलनिधि के प्रमुख कारक बनकर उभरे (सारणी III.1)। मुद्रा मांग में वृद्धि और रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन के कारण बैंकिंग प्रणाली चलनिधि की कमी को 2024-25 के दौरान अतिरिक्त रिज़र्व की निकासी, जीओआई के नकदी शेष में कमी और ओएमओ खरीद द्वारा आंशिक रूप से पूरा किया गया।

III.17 2024-25 की पहली तिमाही के आरंभ में, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण अप्रैल के पहले पखवाड़े में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में रही। इसके बाद, अप्रैल के उत्तरार्ध में और जून तक चलनिधि स्थिति (i) सीआईसी में मौसमी विस्तार;

चार्ट III.2: नीति दर में नरमी: 2024-2025

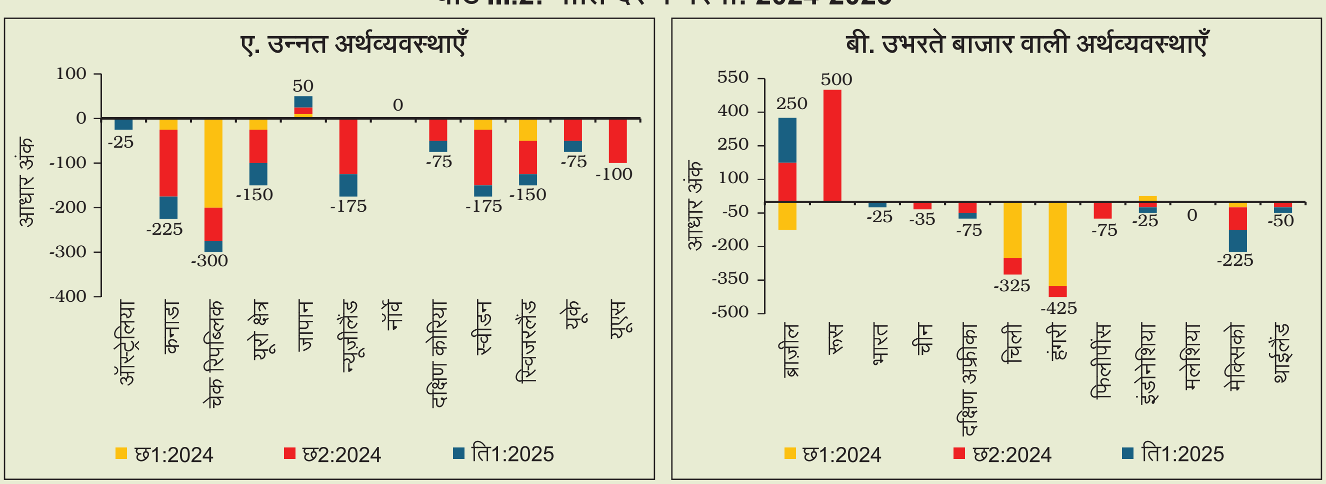

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइट।

सारणी III.1: चलनिधि - प्रमुख चालक और प्रबंधन

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024-25	ति1:2024-25	ति2:2024-25	ति3:2024-25	ति4:2024-25
1	2	3	4	5	6	7
चालक						
(i) सीआईसी [आहरण (-) / प्रतिफल (+)]	-1,37,244	-2,04,703	-47,237	80,789	-78,988	-1,59,267
(ii) निवल विदेशी मुद्रा खरीद (+)/ बिक्री (-)	3,39,528	-2,91,233	-13,016	83,418	-3,27,601	-34,034
(iii) भारत सरकार नकदी शेष [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	-2,75,156	34,737	-97,774	-52,720	1,06,873	78,358
(iv) अतिरिक्त आरक्षित निधियां [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	-11,961	38,340	58,523	-21,755	41,534	-39,962
प्रबंधन						
(i) निवल ओएमओ खरीद (+) / बिक्री (-)	-18,505	2,59,346	-	-24,040	-	2,83,386
(ii) आवश्यक आरक्षित निधियां [एनडीटीएल और सीआरआर/आई-सीआरआर में परिवर्तन सहित]	-1,27,717	20,837	-30,413	-25,200	39,349	37,101
मेमो मद :						
अवधि के दौरान औसत दैनिक निवल अवशोषण(-) /अंतर्वेशन(+)	52,918	172	-31,379	-84,651	1,82,788	172

सीआईसी : संचलन में मुद्रा। जीओआई: भारत सरकार। -:शून्य

टिप्पणी : 1.बैंकिंग प्रणाली में अंतर्वाह (+) / से बहिर्वाह (-)।

2. डेटा प्रासंगिक अवधि के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई।

(ii) चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के लागू होने से कम खर्च के कारण भारत सरकार के नकदी शेष जमा होने; (iii) अग्रिम कर भुगतान तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह; और (iv) अतिरिक्त रिज़र्व के रूप में बैंकों द्वारा सुरक्षित शेष राशि रखने में वृद्धि के कारण घाटे में बनी रही। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन [सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अंतर्वेशन सहित] 2024-25 की पहली तिमाही में ₹0.5 लाख करोड़ रहा। अप्रैल 2024 के पूर्वार्ध (19 अप्रैल तक) में प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रहते हुए, रिज़र्व बैंक ने एक मुख्य और सात फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) ऑक्शन किए। अप्रैल के उत्तरार्ध से जब चलनिधि घाटे में आ गई, तो चलनिधि की कमी को कम करने के लिए पांच मुख्य और 17 फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) ऑक्शन किए गए।[1]

III.18 चुनावों के बाद सरकारी खर्च में तेजी, रिज़र्व बैंक द्वारा निवल विदेशी मुद्रा क्रय और बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी के साथ 2024-25 की दूसरी तिमाही में चलनिधि स्थिति अधिशेष में बदल गई। अग्रिम कर संग्रह और जीएसटी भुगतान के कारण भारत सरकार के नकदी शेष जमा होने से 21-25 सितंबर 2024 के बीच चलनिधि स्थिति सख्त हुई। इसके अतिरिक्त, तिमाही के दौरान नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) के तहत खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) द्वारा निवल विक्रय से ₹0.24 लाख करोड़ की सुदृढ़ चलनिधि को अवशोषित किया गया। दूसरी तिमाही में एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹1.27 लाख करोड़ रहा। रिज़र्व बैंक ने अतिरिक्त चलनिधि के अवशोषण के लिए पाँच मुख्य और 44 फाइन-ट्यूनिंग की आरआरआर ऑक्शन किए।

III.19 2024-25 की तीसरी तिमाही में चलनिधि अधिशेष में नरमी आई और एलएएफ के तहत औसत निवल अवशोषण पिछली तिमाही के ₹1.27 लाख करोड़ से घटकर ₹0.80 लाख

[1] इस अवधि के दौरान, 6 मई और 4 जून, 2024 को तीन फाइन-ट्यूनिंग वीआरआरआर ऑपरेशन किए गए।

करोड़ रह गया। एक अल्प अवधि को छोड़कर, उच्च सरकारी खर्च के कारण अक्टूबर-नवंबर के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही, हालांकि अक्टूबर में त्यौहार संबंधी मांग और नवंबर में पूंजी बहिर्वाह के कारण सीआईसी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने 1 अक्टूबर से 29 नवंबर 2024 के दौरान पांच मुख्य और 23 फाइन-ट्यूनिंग वीआरआरआर परिचालन किए।[2] अग्रिम कर भुगतान और पूंजी बहिर्वाह के कारण दिसंबर के उत्तरार्ध के दौरान प्रणालीगत चलनिधि घाटे में आ गई।

III.20 पूंजी बहिर्वाह और मुद्रा बहिर्गमन के कारण 2024-25 की चौथी तिमाही में चलनिधि की स्थिति घाटे में रही, जहां एलएएफ़ के तहत औसत निवल अंतर्वेशन ₹1.56 लाख करोड़ रहा। चलनिधि दबाव और इसके परिणामस्वरूप भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) पर दबाव को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2025 से दैनिक वीआरआर ऑक्शन शुरू किए जो अगले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित होते थे। 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि अंतर्वेशन के लिए चार मुख्य और 62 फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर ऑक्शन किए। लगातार सख्त चलनिधि स्थितियों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने चौथी तिमाही में कई उपाय किए, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे: (i) फरवरी 2025 में अलग-अलग परिपक्वताओं की तीन टर्म वीआरआर ऑक्शन द्वारा ₹1.83 लाख करोड़ का अंतर्वेशन; (ii) समग्र रूप से ₹2.45 लाख करोड़ की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद ऑक्शन; और (iii) 31 जनवरी, 2025 को छह महीने की अवधि के लिए यूएस$ 5 बिलियन और क्रमशः 28 फरवरी, 2025 और 24 मार्च, 2025 को तीन-तीन साल की अवधि के लिए यूएस$ 10 बिलियन की यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप ऑक्शन[3]। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने तिमाही के दौरान एनडीएस-ओएम के तहत ₹38,825 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं, जिससे सुदृढ़ चलनिधि में बढ़त आई।

III.21 2024-25 के दौरान, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसत अवशोषण ₹0.94 लाख करोड़ था, जो एलएएफ के तहत औसत दैनिक कुल अवशोषण (₹1.21 लाख करोड़) का 78 प्रतिशत था, जबकि शेष 22 प्रतिशत वीआरआरआर ऑक्शन के माध्यम से अवशोषित किया गया - मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों परिचालन मिलाकर (चार्ट III.3)। बैंकों की

चार्ट III.3: चलनिधि संबंधी परिचालन

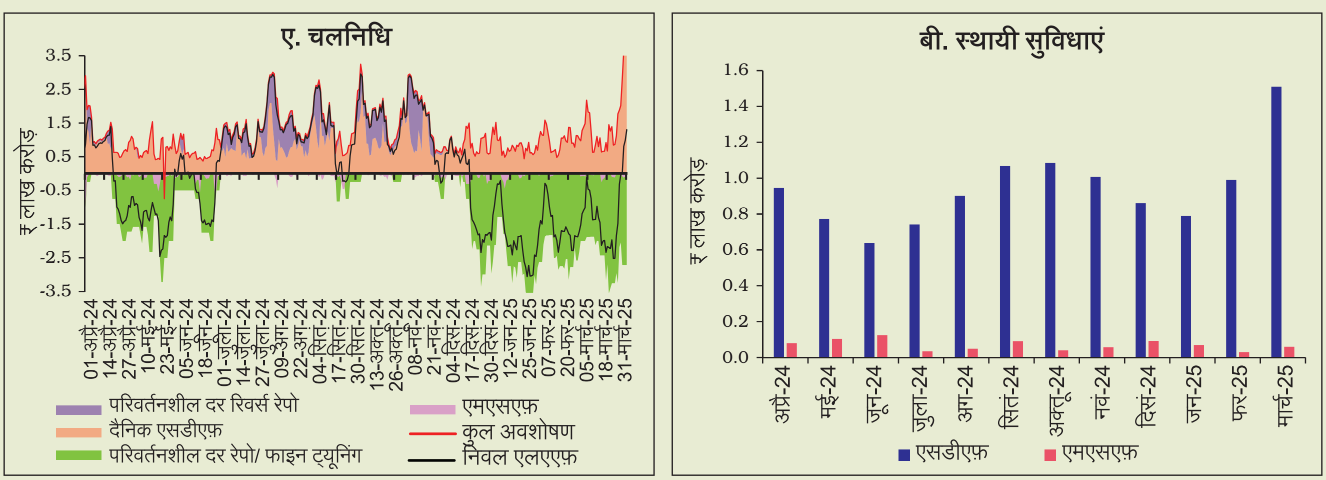

स्रोत: आरबीआई और सीसीआईएल।

[2] इस अवधि के दौरान कभी-कभी आने वाले चलनिधि दबाव को कम करने के लिए 11 फाइन-ट्यूनिंग वीआरआरआर ऑक्शन किए गए।

[3] यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹2.16 लाख करोड़ की स्थिर चलनिधि आई।

एमएसएफ पर निर्भरता कम रही, 2024-25 के दौरान औसत दैनिक उधार ₹0.07 लाख करोड़ रहा, जबकि 2023-24 में यह ₹0.5 लाख करोड़ था। जी-सेक की पुनर्खरीद, जो सक्रिय ऋण समेकन कार्यनीति का हिस्सा है, से 2024-25 के दौरान ₹0.5 लाख करोड़ रुपये की प्रणालीगत चलनिधि बढ़ी।

III.22 तीसरी और चौथी तिमाही के उत्तरार्ध में चलनिधि में कमी मुख्य रूप से पूंजी बहिर्वाह और रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन के कारण थी। विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का उद्देश्य, बिना किसी विनिमय दर स्तर या दायरे को लक्षित किए, विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित कर बाजार की स्थितियों को व्यवस्थित बनाए रखना है, जिससे मौद्रिक नीति मुख्यतः घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों और दृष्टिकोण पर केंद्रित रह सके (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1

विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन से चलनिधि प्रबंधन में चुनौतियां

हाल के वर्षों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच भिन्न मौद्रिक नीति प्रक्षेप, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण पूंजी प्रवाह काफी अस्थिर हो गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के बाद से भारत ने पूंजी प्रवाह में तेजी और अचानक रुकने की घटनाओं का अनुभव किया है, जो मौद्रिक नीति के समक्ष दुविधा उत्पन्न करती हैं (चार्ट 1)। विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और बाजार स्थितियों को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है, जिसके कारण मौद्रिक नीति मुख्यतः घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों पर केंद्रित रह पाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के स्पॉट हस्तक्षेप से घरेलू चलनिधि की स्थिति में परिवर्तन आता है, जिससे ऐसे हस्तक्षेपों को मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप स्टरलाइज करने की आवश्यकता हो सकती है।

चार्ट 1: रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का निवल विक्रय और निवल एफ़पीआई संप्रवाह

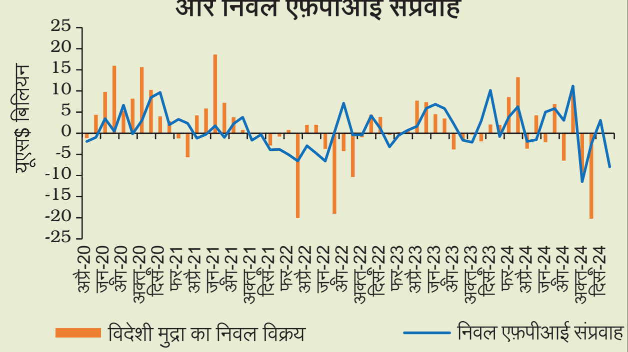

स्रोत: एनएसडीएल और आरबीआई।

सामान्य रूप से स्टरलाइजेशन खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) द्वारा किया जाता है – अर्थात, रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों की खरीद/बिक्री के घरेलू चलनिधि पर प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद। रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में इसे निवल विदेशी आस्ति (एनएफ़ए) में किसी परिवर्तन के प्रति निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) में प्रतितुलन परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है[4]। एनडीए में कोई परिवर्तन पर वह एनएफ़ए में परिवर्तन का कारण बन सकता है क्योंकि ओएमओ द्वारा स्टरलाइजेशन परिचालन से घरेलू प्रतिफल प्रभावित हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप पूंजी का अंतर्वाह/बहिर्वाह हो सकता है। एनडीए और एनएफ़ए के बीच यह विपरीत संबंध स्टरलाइजेशन हस्तक्षेप के प्रभाव को कम करता है। इसलिए, रिज़र्व बैंक चलनिधि की मौजूदा स्थितियों और मौद्रिक नीति के रुख को ध्यान में रखते हुए एनएफ़ए और एनडीए में बदलावों (चार्ट 2) को सावधानीपूर्वक

चार्ट 2: रिज़र्व बैंक के एनडीए और एनएफ़ए

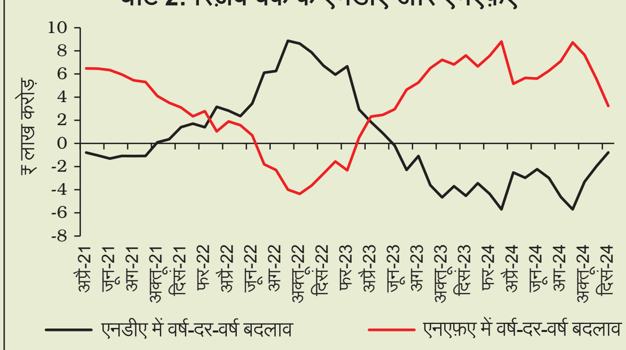

नोट: एनडीए और एनएफ़ए को मूल्यन परिवर्तन के लिए समायोजित किया गया है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

[4] भारतीय रिज़र्व बैंक की कुल मौद्रिक देयता, जो अर्थव्यवस्था में रिज़र्व मुद्रा की मात्रा में परिलक्षित होती है, भारतीय रिज़र्व बैंक के एन.डी.ए. और एन.एफ.ए. का योग है।

समायोजित करता है, साथ ही विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकता है।

एनडीए और एनएफए के परस्पर संबंध को केंद्रीय बैंक चलनिधि प्रबंधन प्रतिक्रिया फ़ंक्शन ($\Delta NDA = \alpha + \beta \Delta NFA + \mu_i X_i$), और निवल पूंजी प्रवाह समीकरण ($\Delta NFA = a + b\Delta NDA + \theta_i Y_i$) का उपयोग करके मॉडल किया गया है, जहां β और b क्रमशः स्टरलाइजेशन और प्रतितुलन गुणांक हैं। X_i [नॉमिनल जीडीपी: तिमाही डेटा को मासिक रूप में लाया गया, मनी मल्टीप्लायर (एमयूएल) और डोमेस्टिक स्प्रेड (डीएस: भारित औसत कॉल दर और पॉलिसी रेपो दर के बीच का स्प्रेड)] और Y_i [नॉमिनल जीडीपी, एमयूएल, इंटरनेशनल स्प्रेड (आईएस: भारित औसत कॉल दर और फेड फंड्स दर के बीच का स्प्रेड) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर)] क्रमशः एनडीए और एनएफए के समीकरणों में कंट्रोल वेरिएबल हैं (राज *और अन्य*, 2018)। परस्परता के निपटान के लिए उपयुक्त इन्स्ट्रूमेंट वेरिएबल का उपयोग किया गया है - एनएफए के लिए आईएस और आरईईआर तथा एनडीए के लिए डीएस। मॉडल को जनवरी 2010 से सितंबर 2024 तक के मासिक डेटा के आधार पर अनुमानित किया गया है, जिसमें टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर (2एसएलएस) ढांचे का उपयोग किया गया है (सारणी 1)।

इस ढांचे में (ओयांग एवं राजन, 2008), स्टरलाइज्ड विदेशी मुद्रा बाज़ार हस्तक्षेपों की प्रभाविता को स्टरलाइज़ेशन गुणांक (एनएफए में वृद्धि से उत्पन्न चलनिधि में वृद्धि किस हद तक एनडीए में ऐसी ही गिरावट से स्टरलाइज़ होती है) द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात, निवल प्रतितुलन गुणांक (एनडीए में परिवर्तन की सीमा जो एनएफए में स्टरलाइज़ेशन प्रेरित परिवर्तन द्वारा आंशिक रूप से प्रभावहीन होती है) अनुमानित स्टरलाइज़ेशन गुणांक, जो -0.78 है, का अर्थ है कि, औसतन एनएफए में वृद्धि के परिणामस्वरूप रुपये की चलनिधि में लगभग 78 प्रतिशत वृद्धि स्टरलाइज़ेशन ऑपरेशन द्वारा अवशोषित हो जाती है। हालांकि, -0.71 का उच्च प्रतितुलन गुणांक स्टरलाइज़ेशन ऑपरेशन के प्रभाव को कम करता है। समग्र रूप से, ये अवलोकन पूंजी प्रवाह के प्रबंधन में स्टरलाइजेशन हस्तक्षेप की निरंतर प्रभाविता दर्शाते हैं।

सारणी 1: स्टरलाइजेशन और ऑफसेट गुणांक

निर्भर चर: Δएनडीए		
व्याख्यात्मक चर	गुणांक	पी-मान
1	2	3
अचर	0.01	0.79
Δएनएफ़ए	-0.78	0.00
Δजीडीपी	-0.03	0.41
Δएमयूएल	-0.18	0.00
Δडीएस	0.01	0.19
एआर(1)	0.68	0.00
एआर(2)	0.19	0.05
साधक अचर	IS; REER	
समायोजित आर-स्कवायर्ड	0.94	
डीडबल्यू सांख्यिकी	1.99	

निर्भर चर: Δएनएफ़ए		
व्याख्यात्मक चर	गुणांक	पी-मान
1	2	3
अचर	-0.00	0.99
Δएनडीए	-0.71	0.01
Δजीडीपी	-0.02	0.70
Δएमयूएल	-0.16	0.00
Δआईएस	-0.00	0.69
Δआरईईआर	0.03	0.76
एआर(1)	0.74	0.00
एआर(2)	0.13	0.12
साधक अचर	DS	
समायोजित आर-स्कवायर्ड	0.91	
डीडबल्यू सांख्यिकी	1.97	

टिप्पणी: सभी चरों को उनके पहले डिफरेंस फॉर्म (12-माह विचलन) में माना गया है; जीडीपी और आरईईआर को लॉग फॉर्म में लिया गया है; एनडीए और एनएफए को मूल्यन परिवर्तनों के लिए समायोजित किया गया है और पिछले वर्ष की रिज़र्व मुद्रा से स्केल किया गया है; Δएनएफ़ए 80 प्रतिशत विंसराइज्ड है; ट्रान्सफॉर्म्ड चर स्थिर पाए गए हैं; न्यूवे-वेस्ट करेक्शन विधि का उपयोग हेटेरोस्केडेस्टिसिटी और ऑटोकोरिलेशन-कंसिस्टेंट मानक त्रुटियों के लिए किया गया है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. ओयांग,ए.वाई.,एवं राजन,आर.एस. (2008).,'रिज़र्व स्टॉकपाइलिंग एंड मैनेजिंग इट्स मॉनेटरी कॉन्सीक्वेंसेज: द इंडियन एक्सपीरिएंस', मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड फ़ाइनेंस इन इमरजिंग मार्केट इकोनॉमीज़, 1(1), 75-91.
2. राज, जे., पटनायक, एस., भट्टाचार्य, आई. एवं अभिलाषा (2018), 'फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशन्स एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट', *आरबीआई बुलेटिन*, 72(8), 13-22.,

III.23 2024-25 के दौरान, दो-तरफ़ा फ़ाइन-ट्यूनिंग चलनिधि घर्षण के प्रबंधन के प्रमुख साधन थे। इस अवधि के दौरान, फ़ाइन-ट्यूनिंग और मुख्य वीआरआरआर परिचालन ने क्रमशः 0.50 और 0.16 के औसत ऑफ़र-कवर अनुपात प्राप्त किए। बैंक लंबी अवधि के लिए चलनिधि छोड़ने में अनिच्छुक थे, जैसा कि फ़ाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन की तुलना में मुख्य परिचालन के कम ऑफ़र-कवर अनुपात से स्पष्ट है। इसके विपरीत, बाज़ार फ़ाइन-ट्यूनिंग और मुख्य वीआरआर परिचालन के प्रति अधिक संवेदी था जैसा कि काफी अधिक बिड-कवर अनुपात से दिखाई देता है।

III.24 चलनिधि डायनेमिक्स दर्शाते हुए, डब्ल्यूएसीआर - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - 2024-25 के दौरान मुख्यतः एलएएफ़ कॉरिडोर के भीतर रहा[5]। हालाँकि, दैनिक वीआरआर परिचालन की शुरूआत और 7 फरवरी, 2025 को नीतिगत रेपो दर में 25 बीपीएस की कमी के बाद इसमें नरमी आई। 2024-25 में डब्ल्यूएसीआर औसतन नीतिगत रेपो दर से 6 बीपीएस अधिक रहा, जबकि 2023-24 में यह 13 बीपीएस था (चार्ट III.4)।

चार्ट III.4: नीतिगत कॉरीडोर और भारित औसत कॉल दर

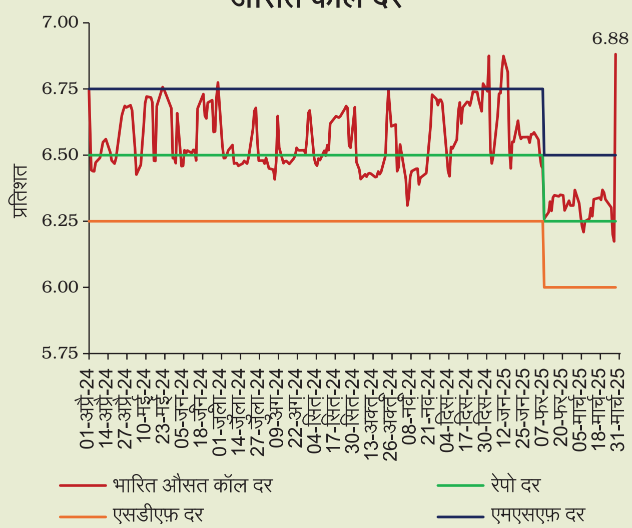

स्रोत: आरबीआई और सीसीआईएल।

III.25 संपार्श्विक खंड में ओवरनाइट दरें डब्ल्यूएसीआर (सारणी III.2) से तालमेल में रहीं। अल्पकालिक मुद्रा बाजार में, 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) पर औसत प्रतिफल सितंबर 2024 में जून 2024 से 26 बीपीएस तक कम हो गया, जो कि सरकार की कम अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं के कारण है, जैसा कि सितंबर के दूसरे भाग में टी-बिल नीलामी को रद्द करने में परिलक्षित होता है। मार्च 2025 में प्रतिफल में और गिरावट आई। इसी तरह, एनबीएफसी के 3 महीने के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर प्रतिफल मार्च 2024 से कम हो गया, जो कि घरेलू घटनाक्रम

सारणी III.2: ब्याज दरें

(प्रतिशत)

संकेतक		के लिए औसत			
		मार्च-2024	जून-2024	सितं-2024	मार्च-2025
1		2	3	4	5
दरें	डब्ल्यूएसीआर	6.60	6.59	6.54	6.32
	ट्राइ-पार्टी रेपो	6.54	6.51	6.43	6.17
	बाजार रेपो	6.61	6.53	6.52	6.32
	3-माह टी-बिल	6.92	6.84	6.58	6.47
	3-माह सीपी	8.18	7.79	7.68	7.81
	3-माह सीडी	7.70	7.15	7.28	7.55
	एए कॉरपोरेट बॉण्ड - 5 वर्ष	7.66	7.68	7.49	7.44
	जी-सेक प्रतिफल - 5 वर्ष	7.07	7.00	6.71	6.57
	जी-सेक प्रतिफल - 10 वर्ष	7.06	6.99	6.80	6.67
स्प्रेड्स (बीपीएस)	सीपी - टी-बिल	126	95	110	134
	एए 5-वर्ष - जी-सेक 5-वर्ष	59	68	78	87
मेमो मदें :					
चलनिधि	निवल एलएएफ (₹ करोड़)	-29,323	-45,406	1,08,706	-1,14,640
वैश्विक संकेतक	यूएस 10-वर्षीय जी-सेक (प्रतिशत)	4.20	4.30	3.73	4.28
	कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) (अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल)	84	83	74	72

स्रोत: सीसीआईएल, आरबीआई और ब्लूमबर्ग।

[5] चलनिधि में अस्थायी कमी के फलस्वरूप वर्ष के दौरान कभी-कभी ओवरनाइट दरें नीतिगत कॉरीडोर (एमएसएफ दर) की अधिकतम सीमा के पार गईं।

जैसे कि प्रणालीगत चलनिधि में अधिशेष होने और जमा और ऋण वृद्धि के बीच अंतराल में कमी से प्रेरित हुए। अल्पकालिक दरों में गिरावट से बैंक धीमी जमा वृद्धि के बीच बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए सीडी निर्गम बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। जी-सेक प्रतिफल भी पूरे वर्ष नर्म रहा (अध्याय II का खंड 5 देखें)। कुल मिलाकर, मौद्रिक नीति में परिवर्तन भारतीय संदर्भ में दीर्घकालिक दरों की तुलना में अल्पकालिक ब्याज दरों को अधिक प्रभावित करते हैं (पात्र एवं अन्य., 2024)।[6]

मौद्रिक नीति संचरण

III.26 2024-25 के दौरान नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन का बैंकों की जमा और उधार दरों पर संचरण, यद्यपि धीमी गति से, जारी रहा। 2024-25 के दौरान एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 2 बीपीएस और 8 बीपीएस की गिरावट आई। जमा के मामले में, नए और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 2024-25 में क्रमशः 3 बीपीएस और 14 बीपीएस की वृद्धि हुई, जिसमें उच्च दरों पर नवीकृत होने वाली जमाराशियों का अनुपात बढ़ रहा है। एससीबी की उधार और जमा दरों में मौद्रिक संचरण की गति और सीमा हाल के वर्षों में मजबूत हुई है, जो ब्याज दर संरचना में पारदर्शिता और लचीलापन लाने के रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।[7]

III.27 सख्ती चक्र (मई 2022-जनवरी 2025) के दौरान, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंक्ड उधार दरों में 250 बीपीएस और 1-वर्षीय सीमांत लागत निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 178 बीपीएस की वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप नए रुपया ऋण और बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान नई मीयादी जमा और बकाया मीयादी जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर में भी वृद्धि हुई (सारणी III.3)। नई जमाराशियों पर मीयादी जमा दरों में वृद्धि मुख्य रूप से थोक जमा दरों के कारण हुई, हालांकि खुदरा जमा दरों में भी

सारणी III.3: नीतिगत रेपो दर से एससीबी की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में परिवर्तन)

अवधि (अप्रैल-मार्च)	रेपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर – नई जमाराशियां	डब्ल्यूएडीटीडीआर बकाया जमाराशियां	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	ईबीएलआर	डब्ल्यूएएलआर – नया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	250	236	113	150	250	169	98
2023-24	0	14	73	30	0	5	13
2024-25	-25	3	14	10	-25	-2	-8
मेमो मदें :							
फरवरी 2019 से मार्च 2022 (उदार चक्र)	-250	-259	-188	-155	-250	-232	-150
मई 2022 से जनवरी 2025 (सख्त चक्र)	250	253	199	178	250	181	115
फरवरी 2025 से मार्च 2025 (उदार चक्र)	-25	8	1	0	-25	3	-10

डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर।
एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर।
ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।
टिप्पणी: ईबीएलआर संबंधी डेटा घरेलू बैंकों के हैं।
स्रोत: आरबीआई।

6 पात्र, एम.डी., भट्टाचार्य, आई., जॉन, जे., और कुमार, ए. (2024), 'मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया: द रीसेंट एक्सपीरिएंस',आरबीआई मंथली बुलेटिन, अक्टूबर।

7 अक्टूबर 2019 में फ्लोटिंग रेट लोन के लिए बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) का आरंभ एक प्रमुख पहल थी।

चार्ट III.5: बैंक-समूहों में उधार और जमा दरों का संचरण

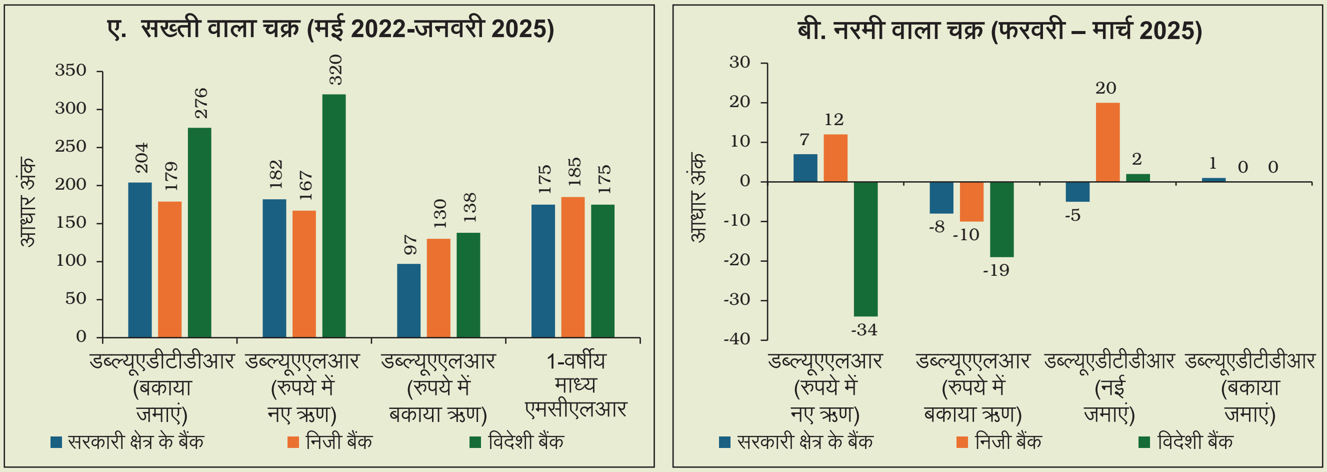

स्रोत: आरबीआई।

महत्वपूर्ण संचरण दिखा, विशेष रूप से 2024-25 की पहली छमाही में।

III.28 फरवरी की नीति बैठक में नीतिगत रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती के फलस्वरूप, बैंकों ने अपनी रेपो लिंक्ड बाह्य बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) को समान मात्रा में घटाया। एमसीएलआर की पुनर्निर्धारण अवधि लम्बी होती है तथा यह निधि की लागत से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें कुछ विलंब के साथ समायोजन आ सकता है। परिणामस्वरूप, बकाया रुपया ऋण पर डबल्यूएएलआर में उदारता चक्र (फरवरी-मार्च 2025) के दौरान 10 बीपीएस की गिरावट आई। हालांकि, नए ऋणों के मामले में इसमें 3 बीपीएस की वृद्धि हुई है।

III.29 मई 2022 - जनवरी 2025 के दौरान सभी बैंक-समूहों में, बकाया जमाराशियों पर डबल्यूएडीटीडीआर में वृद्धि और नए रुपया ऋणों पर डबल्यूएएलआर में वृद्धि निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में सरकारी बैंकों (पीएसबी) के मामले में अधिक रही (चार्ट III.5)। तथापि, बकाया रुपया ऋणों के लिए डबल्यूएएलआर में संचरण पीएसबी के लिए कम रहा, जो आंतरिक बेंचमार्क-आधारित उधार दरों, यानी एमसीएलआर और अन्य का तुलनात्मक बड़ा भाग दर्शाता है। विदेशी बैंकों के मामले में संचरण सबसे अधिक था, जो उनकी कम लागत वाली जमाराशियों और ईबीएलआर आधारित ऋणों के उच्च अनुपात द्वारा संभव हो पाया[8]। फरवरी-मार्च 2025 के दौरान, सभी बैंक-समूहों में बकाया रुपया ऋणों पर डबल्यूएएलआर में गिरावट आई।

बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दरें

III.30 ईबीएलआर व्यवस्था ने संचरण की गति को दृढ़ और तेज किया है। एससीबी के बकाया फ्लोटिंग रेट रुपया ऋणों में ईबीएलआर-लिंक्ड ऋणों का अनुपात 2024-25 के दौरान और बढ़ गया। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान एमसीएलआर-आधारित ऋणों के हिस्से में गिरावट आई (सारणी III.4)।

सारणी III.4: ब्याज दर बेंचमार्क में एससीबी के बकाया फ्लोटिंग दर रुपया ऋण

(कुल का प्रतिशत)

माह	आधार दर	एमसीएलआर	ईबीएलआर	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
मार्च 2023	3.1	45.4	49.6	1.9	100.0
मार्च 2024	2.2	39.2	56.6	2.0	100.0
दिसंबर 2024	1.6	35.9	60.6	1.9	100.0

स्रोत: आरबीआई।

8 दिसंबर 2024 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल बकाया फ्लोटिंग रुपया ऋण में ईबीएलआर-लिंक्ड ऋण का 92.2 प्रतिशत हिस्सा विदेशी बैंकों का था।

चार्ट III.6: कुल बकाया फ्लोटिंग दर ऋण में विभिन्न बेंचमार्क-आधारित ऋणों का भाग

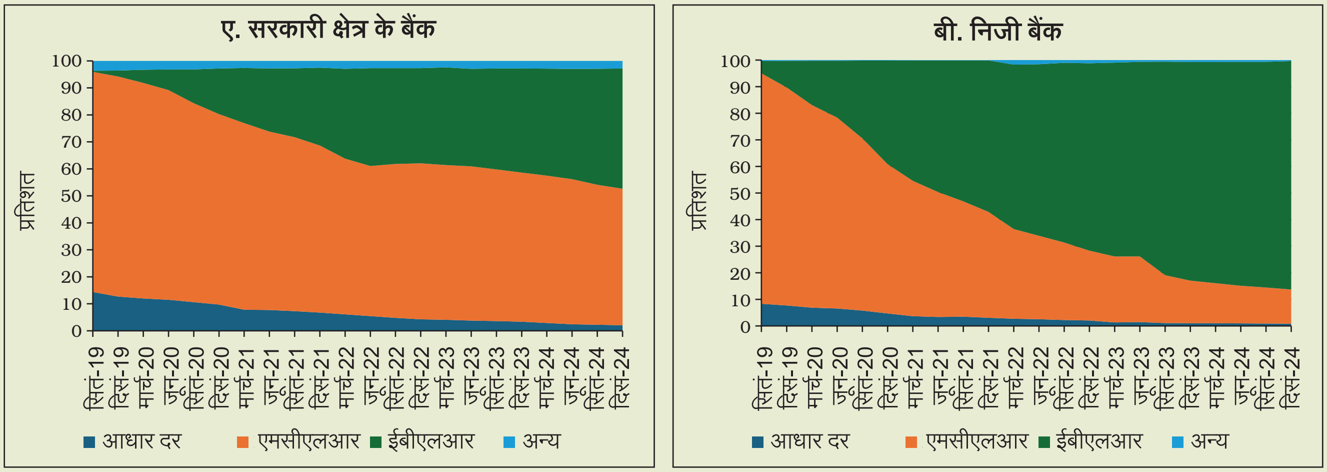

स्रोत: आरबीआई।

III.31 दिसंबर 2024 के अंत तक पीएसबी के कुल बकाया फ्लोटिंग रेट लोन में ईबीएलआर से जुड़े लोन की हिस्सेदारी 44.6 प्रतिशत थी, जबकि पीवीबी के लिए यह 85.9 प्रतिशत थी (चार्ट III.6)। पीवीबी की तुलना में पीएसबी में एमसीएलआर और अन्य लीगेसी रेट लोन की हिस्सेदारी काफी अधिक थी। इस प्रकार, पीएसबी के पोर्टफोलियो में बेस रेट, एमसीएलआर और अन्य जैसे लीगेसी कारकों की प्रधानता के परिणामस्वरूप पीवीबी की तुलना में पीएसबी के बकाया रुपया लोन पर डब्ल्यूएएलआर में कम संचरण हुआ है।

III.32 नीतिगत रेपो दर से जुड़े ऋणों के मामले में, नए रुपए ऋणों (रेपो दर पर डबल्यूएएलआर) का स्प्रेड शिक्षा ऋणों में सबसे अधिक था, उसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण और वाहन ऋण थे। घरेलू बैंक-समूहों में, आवास, वाहन, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए पीएसबी द्वारा प्रभारित स्प्रेड पीवीबी की तुलना में कम थे, जबकि एमएसएमई ऋणों पर स्प्रेड दोनों समूहों के बीच लगभग समान था (सारणी III.5)।

क्षेत्रवार उधार दरें

III.33 2024-25 के दौरान वाहन, रुपया निर्यात ऋण और शिक्षा क्षेत्रों के लिए नए रुपया ऋण पर डब्लूएएलआर में वृद्धि हुई, जबकि पेशेवर सेवाओं, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, कृषि,

सारणी III.5: बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ऋण – रेपो दर की तुलना में डब्ल्यूएएलआर (रुपए में नए ऋण) का स्प्रेड (मार्च 2025)

(प्रतिशत अंक)

बैंक समूह	वैयक्तिक ऋण				एमएसएमई ऋण
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य वैयक्तिक ऋण	
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.13	2.63	3.56	2.92	3.31
निजी क्षेत्र के बैंक	2.56	4.84	5.48	4.24	3.31
घरेलू बैंक	2.39	3.14	4.66	3.09	3.31

स्रोत: आरबीआई।

सारणी III.6: एससीबी (आरआरबी रहित) का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएएलआर - रुपये में नए ऋण

(प्रतिशत)

माह	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	वैयक्तिक ऋण				रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च-23	10.12	8.34	9.84	8.56	8.87	8.80	9.02	10.47	10.26	37.06	8.09
मार्च-24	10.18	8.39	9.99	8.74	8.53	9.58	8.65	9.21	10.45	37.72	7.21
जून-24	9.89	8.12	9.87	8.51	8.62	9.13	8.91	10.47	10.19	38.10	7.31
सितं-24	10.07	8.19	10.05	8.71	8.56	9.08	8.96	10.93	10.84	37.51	7.53
दिसं-24	10.12	8.06	9.93	8.52	8.60	8.88	8.69	10.47	10.65	37.48	8.06
मार्च-25	10.02	8.33	9.69	8.56	8.45	9.18	8.55	10.37	10.47	37.72	8.07
अंतर (प्रतिशत अंक)											
2023-24	0.06	0.05	0.15	0.18	-0.34	0.78	-0.37	-1.26	0.19	0.66	-0.88
2024-25	-0.16	-0.06	-0.30	-0.18	-0.08	-0.40	-0.10	1.16	0.02	0.00	0.86

स्रोत: आरबीआई।

आवास, व्यापार और बड़े उद्योग के लिए ऋण के मामले में इसमें गिरावट आई (सारणी III.6)।

III.34 बकाया ऋणों के मामले में, क्रेडिट कार्ड, रुपया निर्यात ऋण, वाहन और कृषि ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में 2024-25 के दौरान बढ़त हुई। वहीं दूसरी ओर, व्यापार पर ऋण, एमएसएमई, बड़े उद्योग, आवास, पेशेवर सेवाओं, शिक्षा और आधारभूत ढाँचा क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में इस अवधि के दौरान गिरावट आई (सारणी III.7)।

III.35 मौद्रिक नीति संचरण के आकलन को सुदृढ़ करने के लिए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाली प्रमुख एनबीएफसी की उधार दरों पर मासिक डेटा की

सारणी III.7: एससीबी (आरआरबी रहित) का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण

(प्रतिशत)

माह	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	वैयक्तिक ऋण				रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च-23	9.84	8.78	10.28	8.96	9.49	9.29	8.86	9.36	10.20	30.44	7.71
मार्च-24	10.16	8.69	10.31	9.11	9.46	9.54	8.90	9.48	10.46	28.84	7.96
जून-24	10.20	8.63	10.28	9.14	9.40	9.46	9.10	9.93	10.56	28.91	7.94
सितं-24	10.25	8.57	10.21	9.05	9.43	9.43	9.05	9.96	10.57	29.28	8.03
दिसं-24	10.23	8.53	10.20	9.05	9.35	9.35	8.93	9.99	10.49	29.38	8.20
मार्च-25	10.21	8.44	10.01	9.02	9.13	9.39	8.72	9.96	10.31	29.42	8.52
अंतर (प्रतिशत अंक)											
2023-24	0.32	-0.09	0.03	0.15	-0.03	0.25	0.04	0.12	0.26	-1.60	0.25
2024-25	0.05	-0.25	-0.30	-0.09	-0.33	-0.15	-0.18	0.48	-0.15	0.58	0.56

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट III.7: एनबीएफ़सी की बकाया उधार दरों में मौद्रिक नीति संचरण

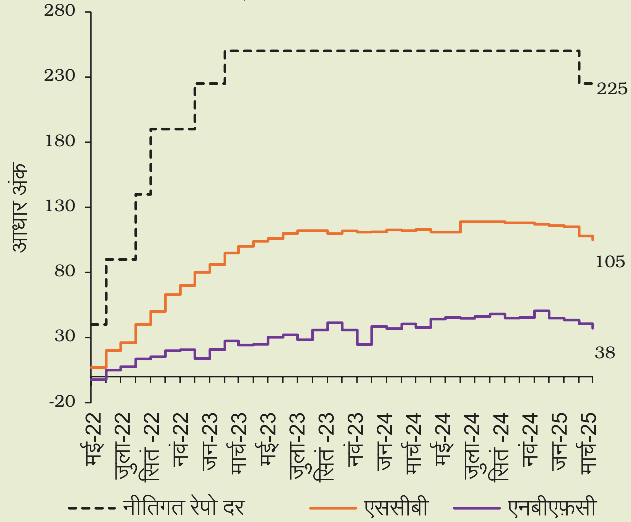

स्रोत: आरबीआई।

जांच की गई। एनबीएफसी द्वारा प्रभारित ब्याज दरें एससीबी की तुलना में अधिक होती हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उनकी देयता संरचना और उनके उधारकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल को दर्शाती हैं। अतः, मौद्रिक नीति संचरण का स्तर एनबीएफसी और एससीबी के बीच भिन्न होता है (चार्ट III.7)।

3. 2025-26 के लिए कार्यसूची

III.36 विभाग मौद्रिक नीति के संचालन और निर्माण में निम्नलिखित द्वारा सहयोग करेगा: (i) मुद्रास्फीति और संवृद्धि के आकलन और दृष्टिकोण पर उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करना; (ii) चलनिधि की स्थिति के पूर्वानुमान का विश्लेषण और परिष्करण; (iii) मौद्रिक नीति संचरण प्रक्रिया का अध्ययन; और (iv) ऋण की परिस्थितियों और क्षेत्रवार प्रवाह का मूल्यांकन करना। इस पृष्ठभूमि में, विभाग निम्नलिखित पहलों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा;
- प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण के लिए प्रणालीगत चलनिधि के इष्टतम स्तर का पुनरावलोकन करना;
- नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के घरेलू उपभोग व्यय डेटा का स्थान आधारित और क्षेत्र आधारित विश्लेषण; और
- एनबीएफसी द्वारा क्षेत्रवार ऋण के बेहतर मूल्यांकन के लिए आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से ऋण अभिनियोजन डेटा एकत्र करना।

4. निष्कर्ष

III.37 2024-25 के दौरान, हेडलाइन मुद्रास्फीति में और कमी देखी गई, हालांकि अस्थिर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने अवस्फीति के मार्ग को बाधित किया। प्रणालीगत चलनिधि अगस्त-नवंबर 2024 के दौरान अधिशेष की स्थिति से दिसंबर-फरवरी में घाटे में चली गई। रिज़र्व बैंक ने नीति दर में 25 बीपीएस की कमी की क्योंकि संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी में संवृद्धि को समर्थन देने के लिए नीतिगत गुंजाइश बनी और प्रणाली में सुदृढ़ चलनिधि प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कई बाजार परिचालन उपाय किए। परिणामस्वरूप, मार्च 2025 के अंत तक प्रणालीगत चलनिधि वापस अधिशेष में आ गई। आगे, घरेलू आर्थिक गतिविधि के 2024-25 की पहली छमाही के निम्न स्तर से मजबूत स्थिति में आने की आशा है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के कम होने और 2025-26 में लक्ष्य की ओर बढ़ने की आशा है। मौद्रिक नीति सुदृढ़ मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो निरंतर उच्च संवृद्धि के लिए एक आवश्यक शर्त है। रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति रुख के साथ तालमेल रखते हुए चलनिधि प्रबंधन परिचालन करेगा और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रणालीगत चलनिधि को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखेगा।

IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) के तहत की गई परिकल्पना के अनुरूप देशभर में वित्तीय समावेशन को गहन करने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की तैयारी के लिए कदम उठाए गए। युवा वर्ग में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए आरबीआई90क्विज का आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना में पूरे देश को समावेशित करने के लिए वर्ष 2024 में उसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करते हुए, देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वर्ष 2024-25 के दौरान कई पहलें की गईं, जैसे कि 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा, सभी जिलों में डिजिटल भुगतान पारितंत्र कार्यक्रम का विस्तार और उसमें गहनता (ईडीडीपीई) [अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के दो जिलों और मणिपुर के एक जिले को छोड़कर] तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाना। इसके अलावा, सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) ने मार्च 2024 में सभी उप-सूचकांकों में विस्तार के साथ वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और वह 64.2 पर पहुँच गया। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सीएफएल परियोजना को देश भर में 2,421 सीएफएल तक बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान देश भर के पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामान्य ज्ञान-आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आरबीआई90क्विज आयोजित की गई।

IV.2 इस पृष्ठभूमि के साथ, अध्याय के बाकी हिस्से को तीन खंडों में संरचित किया गया है। खंड 2 में वर्ष 2024-25 की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह के स्तर तथा वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में हुई प्रगति प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची खंड 3 में और निष्कर्ष टिप्पणियां खंड 4 में दी गई हैं।

2. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

IV.3 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की तैयारी (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IV.4];
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण दिशानिर्देशों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IV.5];
- ईडीडीपीई[1] के तहत मार्च 2025 तक देश भर के 50 प्रतिशत जिलों में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना (पैराग्राफ IV.6);

[1] चिह्नित जिलों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का कम-से-कम एक तरीका उपलब्ध कराना, जैसे डेबिट/रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), *आदि*।

- अधिक वित्तीय समावेशन के लिए अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की प्रभावशीलता को बढ़ाना (पैराग्राफ IV.7); तथा
- एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करना (पैराग्राफ IV.8)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.4 वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की तैयारी से संबंधित कार्य जारी है।

IV.5 पीएसएल दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई और पीएसएल पर संशोधित मास्टर निदेश 24 मार्च 2025 को जारी किए गए, जो 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए। संशोधित दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ पीएसएल श्रेणियों के तहत विभिन्न ऋण सीमाओं को बढ़ाना, उन प्रयोजनों को बढ़ाना जिनके आधार पर ऋणों को 'नवीकरणीय ऊर्जा' के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को 75 प्रतिशत से संशोधित कर 60 प्रतिशत करना, गैर-कॉरपोरेट किसानों के लिए लक्ष्य तय करना, आदि शामिल हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के बढ़े हुए दायरे से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण के बेहतर लक्ष्यीकरण में सुविधा होने की उम्मीद है।

IV.6 ईडीडीपीई कार्यक्रम को अगस्त 2023 में सभी जिलों [अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के दो जिलों और मणिपुर के एक जिले को छोड़कर] तक विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2025 तक, देश भर में 60 प्रतिशत से अधिक जिलों (514 जिलों) में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। इसमें 15 राज्यों, यथा केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छह केंद्र शासित प्रदेशों, यथा दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख और पुदुचेरी के सभी जिले शामिल हैं।

IV.7 एलबीएस की व्यापक समीक्षा चल रही है, ताकि सभी वर्गों के लोगों तक वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उसके उपयोग और गुणवत्ता को बेहतर बनाते हुए योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

IV.8 एमएसएमई के विकास और संधारणीयता के लिए ऋण तक पहुंच महत्वपूर्ण है। औपचारिक ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के सामने आने वाली कुछ आम चुनौतियों में सूचना विषमता, अत्यधिक दस्तावेजीकरण और पारदर्शिता की कमी शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बैंकों को 11 जून 2024 को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए:

ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूचित किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) उधारकर्ताओं के लिए ₹25 लाख तक के ऋणों के लिए 14 दिनों का एक समान निपटान समय (टीएटी) रखें, ताकि ऐसे ऋण आवेदनों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो सके और अपनी वेबसाइट पर एक अलग टैब के तहत ऋण संबंधी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।

बी) बैंकों को पुनः कहा गया कि वे ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग प्रणाली (सीपीटीएस) लागू करें और एमएसएमई उधारकर्ताओं को लिखित रूप में ऋण आवेदनों की अस्वीकृति के मुख्य कारण/कारणों की जानकारी दें, उन्हें ऋण आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेजों की सांकेतिक जांच-सूची उपलब्ध कराएं और अपनी वेबसाइट पर ऋण आवेदनों की लंबित स्थिति प्रदर्शित करें।

सी) समूह वित्तपोषण पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई ताकि समूहों (क्लस्टर) की स्पष्ट परिभाषा प्रदान की जा सके और उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एमएसई क्लस्टरों को अब एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित क्लस्टरों के रूप में परिभाषित किया गया है। अग्रणी बैंकों को अपने जिलों में सभी क्लस्टरों में

सीधे/अन्य बैंकों के साथ ऋण सहबद्धता को बढ़ावा देने, एमएसई इकाइयों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और शाखा/ब्लॉक स्तर की ऋण योजनाओं में क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रमुख घटनाक्रम

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.9 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का 43.1 प्रतिशत[2] था। प्रत्येक बैंक समूह ने 2024-25 के दौरान निर्धारित 40 प्रतिशत का समग्र पीएसएल लक्ष्य प्राप्त कर लिया [सारणी IV.1]।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4	5
2023-24	31.9 (42.6)	24.1 (47.4)	2.5 (41.6)	58.5 (44.4)
2024-25*	36.0 (42.4)	27.1 (44.3)	2.7 (42.0)	65.7 (43.1)

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएनबीसी या सीईओबीई, जो भी अधिक हो, के प्रतिशत हैं।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियाँ।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

IV.10 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) - किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश ऋण प्रदान करने के लिए एकस्थलीय सुविधा है। वर्ष 2024-25 के दौरान सक्रिय केसीसी की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2.7 प्रतिशत की कमी आई, जबकि बकाया राशि में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण सीमा में वृद्धि

IV.11 कृषि निविष्टि लागत में वृद्धि और समग्र मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को और बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई।

सारणी IV.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(आंकड़े लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2023-24	298.1	4,93,362	46,332	35,279	5,74,974
2024-25*	290.2	5,07,821	55,047	38,107	6,00,975

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
#: सक्रिय केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक आस्ति (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक एवं लघु वित्त बैंक।

[2] यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से संबंधित है।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(आंकड़े लाख में, राशि ₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022-23	194.4	10.5	15.7	7.5	3.2	4.6	213.3	22.6
2023-24	231.9	13.3	21.3	8.6	3.8	5.3	257.0	27.3
2024-25*	225.8	15.1	15.5	9.9	4.0	6.3	245.3	31.3

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियाँ।

एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.12 एमएसएमई के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाना, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान (दिसंबर 2024 के अंत तक) एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिये गए ऋण के बकाया में 14.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [सारणी IV.3]।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपना

IV.13 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों और निजी क्षेत्र के दो बैंकों (जम्मू एंड कश्मीर बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक) को देश भर के 782 जिलों को शामिल करते हुए अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच

IV.14 प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में/पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों वाले प्रत्येक छोटे गाँव/बस्ती तक बैंकिंग सेवाएँ पहुंचाना, एनएसएफआई: 2019-24 का एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसे 31 मार्च 2025 तक 27 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। देश भर में चिह्नित 99.99 प्रतिशत गांवों/छोटे गांवों को इसमें शामिल किया जा चुका है। शेष कुछ गांवों/बस्तियों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.15 दिसंबर 2024 के अंत तक, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एफआईपी के तहत विभिन्न संकेतकों के माध्यम से मापी गई बैंकों की प्रगति सारणी IV.4 में दी गई है। दिसंबर 2024 में सामान्य बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) में कुल राशि में 11.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स)

IV.16 रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन का आकलन और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक सम्मिश्र एफआई-सूचकांक तैयार किया है। इसमें तीन उप-सूचकांक हैं, यथा एफआई-पहुँच, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता। सूचकांक में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र पर सरकार और क्षेत्रवार विनियामकों से एकत्रित विस्तृत डेटा शामिल है। एफआई-सूचकांक मार्च 2023 के 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिससे सभी उप-सूचकांकों में

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसंबर 2023	दिसंबर 2024$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	53,893	56,579
गांवों में बीसी आउटलेट > 2000*	8,390	13,15,004	10,82,650
गांवों में बीसी आउटलेट < 2000*	25,784	2,77,594	2,72,941
गांवों में कुल बीसी आउटलेट	34,174	15,92,598	13,55,591
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी भू-भाग	447	3,58,167	3,67,712
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,780	2,743
बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,35,628	1,45,883
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	4,274	4,458
बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	1,36,558	1,58,832
बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	**730**	**7,054**	**7,201**
बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**2,72,186**	**3,04,715**
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	53	45
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	579	548
केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	240	507	520
केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	8,11,906	8,85,068
जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	10	55	22
जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	3,500	53,690	36,312
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	27,294	29,944
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	9,86,236	10,73,073

बीसी: कारोबार प्रतिनिधि।
बीएसबीडीए: सामान्य बचत बैंक जमा खाता।
ओडी: ओवरड्राफ्ट। केसीसी: किसान क्रेडिट कार्ड।
जीसीसी: सामान्य क्रेडिट कार्ड।
आईसीटी: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
$: आंकड़े अनंतिम हैं। *: ग्रामीण जनसंख्या।
#: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियाँ।

वृद्धि देखी गई, जिसमें मुख्यतः एफआईआई-उपयोग का योगदान रहा (चार्ट IV.1 और IV.2)।

चार्ट IV.1: एफआईआई-सूचकांक और उप-सूचकांक (मार्च के अंत तक)

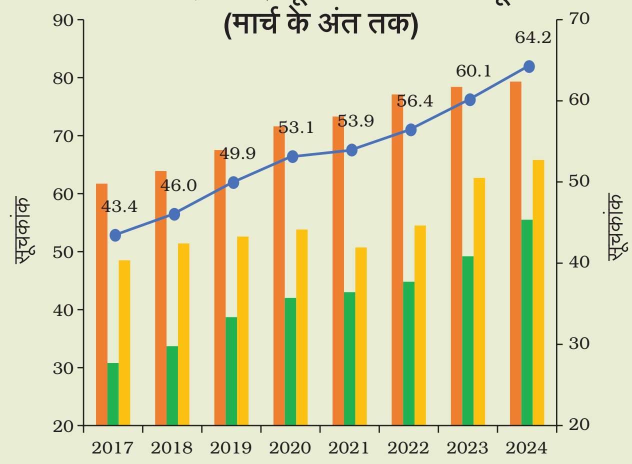

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफआईआई-सूचकांक में प्रतिशत में भार दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई): 2019-24

IV.17 जनवरी 2020 में जारी एनएसएफआई: 2019-24 ने देश में वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने में मदद की है। इस कार्यनीति में किफायती तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक

चार्ट IV.2: एफआईआई-सूचकांक की वृद्धि में उप-सूचकांकों का योगदान (मार्च के अंत तक)

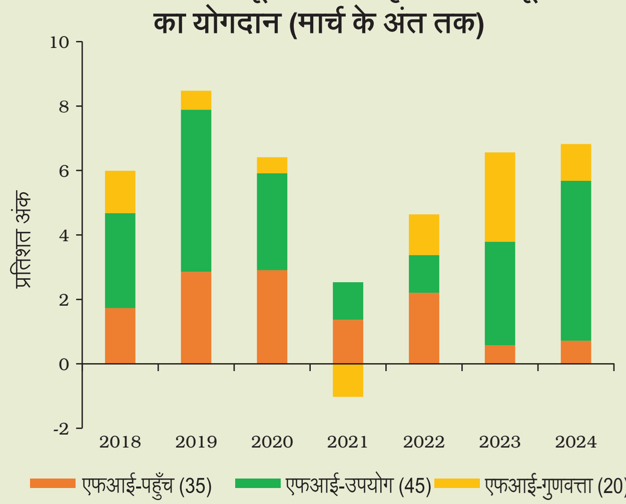

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफआईआई-सूचकांक में प्रतिशत में भार दर्शाते हैं।
2. वर्ष 2021 के दौरान एफआईआई-गुणवत्ता द्वारा ऋणात्मक योगदान का कारण, वित्तीय साक्षरता गतिविधियों में कमी थी।
स्रोत: आरबीआई।

और सुस्थिर बनाना, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

IV.18 एनएसएफआई के तहत 18 में से पांच महत्वपूर्ण लक्ष्यों के वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इनमें शामिल हैं: (ए) वर्चुअल मोड के माध्यम से लोकसंपर्क को बढ़ाने के लिए फिनटेक क्षेत्र में हुई प्रगति का लाभ उठाना; (बी) ग्राहक ऑन-बोर्डिंग के लिए तेजी से डिजिटल और सहमति-आधारित ढांचे की ओर बढ़ना; (सी) अवधारणा साक्षरता के साथ-साथ प्रक्रिया साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना; (डी) देश के हर ब्लॉक में सीएफएल की पहुंच का विस्तार करना; और (ई) कार्रवाई के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्ष 2024 में प्राप्त किए गए।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन

IV.19 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू), प्रत्येक वर्ष एक केंद्रित अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता/आबादी के विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की एक पहल है। एफएलडब्ल्यू 2025 महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'वित्तीय साक्षरता - महिला समृद्धि' की थीम पर 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाया गया था। सप्ताह के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आम जनता के बीच विषय-वस्तु पर आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों का प्रसार करने के लिए एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान चलाया। वित्तीय जागरूकता संदेश भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में भी उपलब्ध कराए गए। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी स्थानीय अभियान चलाए। बैंकों को भी अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सूचित किया गया।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

IV.20 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता पर सीएफएल प्रायोगिक परियोजना वर्ष 2017 में नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में आठ प्रायोजक बैंकों और छह गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से तीन वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्तीय समावेशन कोष (एफआईएफ) और संबंधित प्रायोजक बैंकों से वित्तपोषण सहायता मिली थी। सीएफएल परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरे देश को समावेशित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया गया था, जिसमें प्रत्येक सीएफएल में लगभग तीन ब्लॉक शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक, देश भर में कुल 2,421 सीएफएल[3] क्रियाशील हो चुके हैं। इन सीएफएल द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का उद्देश्य कतिपय अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, जैसे कि बैंक खाते खोलना/पुनः सक्रिय करना, पेंशन और बीमा लिंकेज *आदि*।

आरबीआई90क्विज

IV.21 रिज़र्व बैंक के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत, पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामान्य ज्ञान-आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आरबीआई90क्विज का आयोजन किया गया। यह क्विज कई चरणों में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत ऑनलाइन मोड से हुई और समापन राष्ट्रीय फाइनल में हुआ। इस प्रश्नोत्तरी में देश भर के 13,961 महाविद्यालयों की 79,103 टीमों (1,58,206 छात्रों) ने भाग लिया।

[3] https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/FLCs_CFLs_Details.aspx

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा संचालित गतिविधियाँ

IV.22 31 दिसंबर 2024 तक देश में 1,508 एफएलसी थे, जिन्होंने अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान कुल 1,31,220 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए।

3. वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

IV.23 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) की समीक्षा;
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लोकसंपर्क और समावेशन को मजबूत करना; तथा
- ईडीडीपीई[4] के तहत, मार्च 2026 तक देश भर के 80 प्रतिशत जिलों में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना।

4. निष्कर्ष

IV.24 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन में सुधार लाने और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय करते हुए वर्ष के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। एनएसएफआई: 2019-24 दस्तावेज़ के तहत अपनाई गई रणनीति के कार्यान्वयन से वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके अलावा, विभिन्न अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर मास्टर निदेशों को अद्यतन किया गया। भविष्य में, वित्तीय समावेशन को और सुस्थिर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

[4] इस अध्याय की फुटनोट संख्या 1 को देखें।

V वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक द्वारा भागीदारी को व्यापक बनाते हुए, पहुंच को आसान बनाते हुए और नियमों को युक्तियुक्त बनाते हुए वित्तीय बाजारों के विभिन्न संविभागों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास जारी रखे गए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विनियमों को विकासमान कारोबारी प्रथाओं के अनुसरण में तर्कसंगत बनाया गया है जिसके तहत विनियमों को ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत-आधारित बनाने, अनुपालन भार को कम करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये (आईएनआर) को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

V.1 वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विनियमों को सुव्यवस्थित करके और नवाचारों को बढ़ावा देकर वित्तीय बाजारों को अधिक विकसित और गहन बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इस संबंध में वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) द्वारा की गयी पहलों में शामिल हैं- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता प्रदान करने हेतु एक फ्रेमवर्क जारी करना; गैर-केन्द्रीकृत रूप से समाशोधित ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी व्यापार के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय हेतु अपेक्षाएं निर्धारित करना; सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत करना, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) की पहुंच का विस्तार अन्य के साथ-साथ सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक स्टॉक ब्रोकरों तक बढ़ाना; अनिवासियों द्वारा ऋण लिखतों में निवेश से संबंधित परिचालनगत अनुदेशों को समेकित करना, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रिक हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) का व्यापार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में करने की अनुमति देना; और सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन के मामलों में रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षाओं को लागू करना। रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन संबंधी परिचालन उसकी मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप बने रहे और साथ ही, वैश्विक वित्तीय बाजारों में मौजूद अस्थिरता के बीच वित्तीय बाजार स्थितियों को भी सुव्यवस्थित बनाए रखा गया।

V.2 रिज़र्व बैंक ने नियमों को सरल बनाने, भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और बाह्य व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। तदनुसार, विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) वर्तमान में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), माल और सेवाओं के निर्यात, प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए पर्यवेक्षी ढाँचा, उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस), आवक विप्रेषण योजना और आईएनआर तथा स्थानीय/ राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा-पार लेन-देन के निपटान से संबंधित मौजूदा कई दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रहा है।

V.3 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में बाँटा गया है। वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को दूसरे खंड में शामिल किया गया है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों की चर्चा की गयी है। खंड 4 मुख्यतया बाह्य व्यापार और भुगतान एवं बाह्य वित्तीय प्रवाह के उदारीकरण और विकास से संबंधित उपायों पर केंद्रित है एवं खंड 5 में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.4 एफएमआरडी ने उसे प्रदत्त अधिदेश के अनुरूप मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति(जी-सेक), ब्याज दर व्युत्पन्नी, विदेशी मुद्रा और ऋण व्युत्पन्नी बाजारों का विकास, विनियमन और निगरानी करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अनेक नवोन्मेषी कार्य किए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.5 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन की रिपोर्टिंग के मामले में विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) से जुड़ी अपेक्षाओं; ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन के लिए वैश्विक पहचानकर्ताओं (जैसे, विशिष्ट लेन-देन पहचानकर्ता) के तहत बेहतर एकीकरण और पारदर्शिता [*उत्कर्ष 2.0*] (पैराग्राफ V.6);
- घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल स्थापित करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों (ईटीपी) को प्राधिकार देने हेतु वर्तमान विनियामकीय ढांचे की समीक्षा करना (पैराग्राफ V.7); और
- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों हेतु एसआरओ के लिए एक ढांचा विकसित करना (पैराग्राफ V.8)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.6 भारत में विशिष्ट लेन-देन पहचानकर्ता (यूटीआई) के कार्यान्वयन के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया था और उसे बाजार निकायों के साथ साझा किया गया था ताकि उनकी प्रतिक्रिया मिल सके। प्राप्त प्रतिक्रिया और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए गए यूटीआई के कार्यान्वयन के आकलन के आधार पर, यूटीआई के घरेलू कार्यान्वयन किया जाएगा।

V.7 हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ईटीपी प्राधिकार के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

V.8 वित्तीय बाजार सहभागियों की संख्या में वृद्धि, परिचालनों की बढ़ती संख्या, नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती स्वीकार्यता और ग्राहक तक बढ़ती पहुँच के साथ-साथ यह महसूस किया गया कि स्व-विनियमन के लिए बेहतर औद्योगिक मानक विकसित किए जाएँ। तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में एसआरओ को मान्यता प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा 19 अगस्त 2024 को जारी की गई थी।

प्रमुख पहलें

पारदेशीय बाजारों में स्वर्ण मूल्य जोखिम की हेजिंग (ओटीसी डेरिवेटिव)

V.9 जैसा कि विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य (8 फरवरी, 2024) में घोषित किया गया था, निवासी संस्थाओं को आईएफएससी में एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा ओटीसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके अपने स्वर्ण मूल्य जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति दी गयी थी ताकि निवासी संस्थाओं को सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन-देन

V.10 भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाली अनधिकृत संस्थाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I (एडी श्रेणी-I) बैंकों को 24 अप्रैल 2024 को सूचित किया गया था कि वे अधिक सतर्क रहें और अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सावधानी बरतें। एडी श्रेणी-I बैंकों से यह भी कहा गया था कि वे अपने ग्राहकों को इस मामले में अधिक जागरूक बनाएं और इससे जुड़ी जानकारी से उन्हें अवगत कराएँ।

विदेशी मुद्रा बाजार में एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

V.11 जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन पर जारी मास्टर निदेश को 3 मई 2024 को संशोधित किया गया था ताकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(1) के तहत एडी श्रेणी-III के रूप में प्राधिकृत एसपीडी के लिए प्रावधानों की प्रयोज्यता में विस्तार किया जा सके और उनमें स्पष्टता लायी जा सके।

गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नियों के लिए प्रारंभिक मार्जिन का विनिमय

V.12 ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों की आघातसहनीयता को बढ़ाने की दृष्टि से और ओटीसी व्युत्पन्नियों पर जी20 की सिफारिशों के मद्देनज़र, गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित ओटीसी व्युत्पन्नियों के लेन-देन के उभयपक्षों के बीच प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य करने से संबंधित निदेश 08 मई 2024 को जारी किए गए थे। इन निदेशों के दायरे में ब्याज दर और विदेशी मुद्रा एवं ऋण व्युत्पन्नी लेन-देन आते हैं और ये इन वित्तीय संस्थाओं पर उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक ओटीसी व्युत्पनी बाज़ार में उन कंपनियों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही, अन्य बातों के साथ-साथ व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन संबंधी निदेशों को भी संशोधित किया गया ताकि उन्हें फेमा, 1999 की दृष्टि से बाजार भागीदारों द्वारा भारत के भीतर और बाहर मार्जिन के विनिमय को सुविधाजनक बनाया जा सके और वे वैश्विक मार्जिन व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश कर सकें उसके अनुरूप चल सकें।

अनिवासियों द्वारा जी-सेक में निवेश के लिए पूर्णतया सुलभ मार्ग (एफएआर)

V.13 अनिवासियों को 01 अप्रैल 2020 से एफएआर के अंतर्गत बिना किसी प्रतिबंध के जी-सेक की विनिर्दिष्ट श्रेणियों (यथा 5-वर्ष, 7-वर्ष, 10-वर्ष, 14-वर्ष और 30-वर्ष परिवक्वता वाली) में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। सरकार के साथ परामर्श करते हुए, 14-वर्ष और 30-वर्ष परिवक्वता वाली जी-सेक को 29 जुलाई 2024 से एफएआर से बाहर करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार 7 नवंबर 2024 को किया गया था ताकि 2024-25 की दूसरी छमाही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 10-वर्षीय परिपक्वता वाले सभी राष्ट्रिक हरित बॉण्ड्स (SGrB) को शामिल किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा जारी SGrB की आईएफएससी में ट्रेडिंग

V.14 राष्ट्रिक हरित बॉण्ड (SGrB) में अनिवासियों की व्यापक भागीदारी को सुकर बनाने के उद्देश्य से, आईएफएससी में पात्र विदेशी निवेशकों को 29 अगस्त 2024 को SGrB की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने और आईएफएससी में SGrB के लिए द्वितीयक बाजार में लेन-देन करने की अनुमति दी गई थी।

एनडीएस-ओएम तक पहुंच का विस्तार करना

V.15 एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (जो सभी जी-सेक लेन-देन के लिए एकमात्र/प्राथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है) तक व्यापक पहुंच सुकर बनाने के लिए 18 अक्टूबर, 2024 को संशोधित निदेश जारी किए गए ताकि विनियमित संस्थाओं के एक बड़े समूह तक सीधी पहुंच प्रदान की जा सके और अन्य सुविधाओं, यथा, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुसंगत बनाया जा सके।

व्यापार रिपॉज़िटरी को विदेशी मुद्रा नकद/ टॉम/ स्पॉट लेन-देन की रिपोर्टिंग

V.16 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में सभी लेन-देन, विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा बाजार में सभी लेन-देन के लिए एक केंद्रीकृत रिपॉज़िटरी स्थापित करने एवं अधिक पारदर्शिता और प्रभावी निरीक्षण को सुकर बनाने के उद्देश्य से 8 नवंबर 2024 को प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे विदेशी मुद्रा नकद/ टॉम/ स्पॉट व्यापार की रिपोर्टिंग चरणबद्ध तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की व्यापार रिपॉजिटरी (टीआर) को करें।

सोने की कीमतों से जुड़े जोखिम से सुरक्षा के लिए किए गए लेन-देन की रिपोर्टिंग

V.17 विनियामकीय निगरानी को सुविधाजनक बनाने और इस विषय पर नीतिगत रुख को आकार देने में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य से, बैंकों और उनके ग्राहकों/ घटकों के लिए 1 फरवरी 2025 से यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे स्वर्ण व्युत्पन्नियों में अपने लेन-देन की रिपोर्टिंग सीसीआईएल की टीआर को करें।

भारत में ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश

V.18 कारोबारी सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से, ऋण लिखतों में अनिवासियों द्वारा निवेश से संबंधित सभी प्रासंगिक

परिपत्रों (2008-2024 के दौरान जारी किए गए 63 परिपत्र) में निहित परिचालनगत अनुदेशों को एकल मास्टर निदेश[1] के तहत समेकित किया गया।

सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों की एनडीएस-ओएम तक पहुंच

V.19 व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सेबी के पास पंजीकृत गैर-बैंक दलालों को अपने ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन के लिए एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच प्रदान की गई है। ऐसे दलाल इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम का उपयोग कर सकते हैं।

एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन

V.20 सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन में व्यापार और निपटान मानदंडों में एकरूपता लाने के लिए, सीसीआईएल के माध्यम से समाशोधन और निपटान की सुविधा का विस्तार करते हुए इसमें पीएम और उसके स्वयं के जीएएच के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच लेन-देन को शामिल किया गया है, जिनका वैकल्पिक तौर पर द्विपक्षीय परक्रामण करते हुए एनडीएस-ओएम को रिपोर्ट किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत

V.21 बीमा कोष जैसे दीर्घावधि निवेशकों को सभी ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत की गयी है, जिनसे ऐसे व्युत्पन्नियों का कीमत निर्धारण भी अधिक कुशल तरीके से किया जा सकेगा जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्डों का उपयोग करते हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

V.22 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन की रिपोर्टिंग हेतु एलईआई अपेक्षाओं के तहत बेहतर समूहन और पारदर्शिता की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा जाएगा, वैश्विक गतिविधियों के अनुरूप ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन (जैसे, यूटीआई) के लिए वैश्विक पहचानकर्ताओं को वैश्विक विकास (*उत्कर्ष 2.0*) के अनुरूप भारत में लागू किया जाएगा; और
- एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, इस प्लैटफॉर्म को एनपीसीआई भारत कनेक्ट द्वारा संचालित भारत कनेक्ट (पूर्वनाम भारत बिल भुगतान प्रणाली) के साथ लिंक करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले चरण में, व्यष्टियों और एकल मालिकों द्वारा रुपये के मुकाबले अमरीकी डालर की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.23 एफएमओडी का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को लागू करने और तटीय और अपतटीय बाजार परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में चलनिधि प्रबंधन[2] से जुड़े परिचालनों का संचालन करना है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.24 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- प्रौद्योगिकी उन्नयन करना ताकि चलनिधि प्रबंधन से जुड़े परिचालनों को अधिक सुचारु और लचीला बनाया जा सके (पैराग्राफ V.25-V.28);

[1] मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025, दिनांक 7 जनवरी 2025।

[2] चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित ब्योरा इस रिपोर्ट के अध्याय-III में दिया गया है।

- चलनिधि समायोजन सुविधा पर समेकित अनुदेश जारी करना (पैराग्राफ V.29); और
- बाजार परिचालन रणनीतियों का सतत मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण (*उत्कर्ष 2.0*) [पैराग्राफ V.30]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.25 दिनांक 21 जून 2024 से, स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा के तहत एक विकल्प प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से पात्र सहभागी भविष्य की तारीखों के लिए न्यूनतम और अधिकतम शेषराशि सीमा निर्धारित/ संशोधित कर सकते हैं। इससे बैंकों को सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान अपनी नकदी और नकद आरक्षित निधि से जुड़ी अपेक्षाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिली है।

V.26 रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत, विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक का मूल्यांकन दि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित दैनिक बाजार दरों के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने और इसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, ई-कुबेर 2.0 में एक ऑटो-अपलोड सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार दरें स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधार पर एफबीआईएल वेबसाइट से सीधे प्राप्त की जाती हैं।

V.27 ई-कुबेर 2.0 में ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) नीलामी में कई बोलियां अपलोड करने की सुविधा विकसित की जा रही है, जो सहभागियों को एक ही फाइल अपलोड के माध्यम से ओएमओ नीलामी में कई बोलियां प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी। इस सुविधा का विकास अपने उन्नत चरण में है।

V.28 विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी टिकाऊ चलनिधि के प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक के टूलकिट में उपलब्ध उपकरणों में से एक है। विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी आयोजित करने के लिए ई-कुबेर 2.0 में एक मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसमें बैंक अपनी बोलियाँ संसाधन और आवंटन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे।

V.29 रिज़र्व बैंक मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है जो 14 फरवरी 2020 से परिचालन में है। फ्रेमवर्क की समीक्षा पूरी होने के बाद चलनिधि प्रबंधन परिचालन पर समेकित अनुदेश जारी किए जाएंगे।

V.30 विभाग ने 2024-25 के दौरान वित्तीय बाजारों से संबंधित नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण करना जारी रखा। इन अध्ययनों में विकेंद्रीकृत वित्तपोषण और वित्तीय प्रणाली; वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत का व्यापार संतुलन; और उच्च अस्थिरता वाली घटनाओं के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का रुझान शामिल थे।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

V.31 वर्ष 2025-26 के दौरान, विभाग की योजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की है:

- चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा;
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन करना; और
- बाजार परिचालन रणनीतियों के सतत मार्गदर्शन हेतु वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण करना (*उत्कर्ष 2.0*)।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.32 एफईडी को विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसा कि विदेशी

मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत परिकल्पित है। तदनुसार, विभाग ने बाह्य व्यापार और भुगतान की सुविधा के लिए सरल, व्यापक, समयोचित और अधिक सिद्धांत-आधारित नीतियों को तैयार करने के अपने प्रयास जारी रखे; बाह्य क्षेत्र के लेन-देन से संबंधित नियमों और विनियमों को और युक्तिसंगत बनाना; और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार लेन-देन के लिए भारतीय रुपये के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.33 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- फेमा, 1999 (*उत्कर्ष* 2.0) के तहत एपी के लिए वर्तमान प्राधिकार ढांचे की समीक्षा [पैराग्राफ V.34];
- ईसीबी ढांचे को युक्तिसंगत करना (पैराग्राफ V.35);
- ईसीबी और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन (स्पेक्ट्रा) परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के चरण I के लिए 'गो-लाइव'(पैराग्राफ V.36);
- माल और सेवाओं के निर्यात के लिए नियमों को युक्तिसंगत करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ V.37];
- एपी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ V.38);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमों को युक्तिसंगत करना (पैराग्राफ V.39);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान का तरीका और गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली (पैराग्राफ V.40);
- आईएनआर का अंतरराष्ट्रीयकरण (पैराग्राफ V.41-V42):
  - भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) द्वारा भारत के बाहर आईएनआर खाते खोलने की अनुमति [*उत्कर्ष* 2.0];
  - भारतीय बैंकों द्वारा पीआरओआई को आईएनआर ऋण; और
  - विशेष खातों [अर्थात, विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाता और विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए)] के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रोत्साहन देना;
- विदेशी मुद्रा लेन-देन की व्यापक एकीकृत रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा बनाना (पैराग्राफ V.43);
- अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की तुलना में गांधीनगर, गुजरात में गिफ्ट सिटी[3] की भूमिका में सुधार के उपाय (पैराग्राफ V.44):
  - विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा (एफसीवाई)-आईएनआर युग्मों के व्यापार को प्रोत्साहित करना; और
  - फेमा, 1999 के तहत आईएफएससी विनियमों की समीक्षा।
- फेमा, 1999 के तहत शमन कार्यवाही नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित) की समीक्षा; (*उत्कर्ष 2.0*) [पैराग्राफ़ V.45]
- उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को युक्तिसंगत बनाना (*उत्कर्ष 2.0*) [पैराग्राफ़ V.46]; और

[3] गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी।

- आवक प्रेषण योजनाओं, *अर्थात,* धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) और रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) को युक्तिसंगत बनाना (*उत्कर्ष 2.0*) [पैराग्राफ़ V.47]

कार्यान्वयन की स्थिति

V.34 फेमा के अंतर्गत लाए जा रहे अधिकाधिक उदारीकरण के साथ-साथ एपी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और नए-नए व्यापार मॉडलों के उद्भव को देखते हुए किसी दुरुपयोग की संभावना को दूर करने, विनियामकीय अंतरालों को दूर करने, कारोबारी सुगमता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान प्राधिकार ढांचे की समीक्षा की जा रही है। तदनुसार, फेमा के अंतर्गत एपी के लिए रूपरेखा का मसौदा हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर संशोधित ढांचा तैयार किया जा रहा है।

V.35 ईसीबी ढांचे से संबंधित उदारीकरण उपायों के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) की अनुसूची I की व्यापक समीक्षा चल रही है।

V.36 जून 2024 में स्पेक्ट्रा परियोजना के संशोधित प्रथम चरण के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, इस परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक अंतिम अनुमोदन और विक्रेता की पुष्टि चल रही है।

V.37 व्यापारिक लेन-देन के लिए मौजूदा विनियामकीय ढांचे को तर्कसंगत तथा सरल बनाने के लिए व्यापार दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। तदनुसार, 2 जुलाई 2024 *की* प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माल और सेवाओं के निर्यात और आयात पर एडी के लिए मसौदा विनियमावली और मसौदा निदेशों पर जनता से टिप्पणियां/ प्रतिक्रियाएँ मांगी गई थीं। प्राप्त फीडबैक और विभिन्न हितधारकों के साथ आगे के परामर्श के आधार पर, मसौदा विनियमावली और निदेशों को और संशोधित किया गया एवं टिप्पणियों/ प्रतिक्रियाओं के लिए इन्हें 4 अप्रैल 2025 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। संशोधित विनियमों में कारोबारी सुगमता बढ़ाने एवं सभी अनुदेशों को एक ही दस्तावेज में लाने पर जोर दिया गया है।

V.38 जोखिम-रेटिंग मॉडल के आधार पर सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II संस्थाओं के निरीक्षण के लिये एक संशोधित जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा 11 जून 2024 को परिचालन, अभिशासन और अनुपालन के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिये पेश किया गया था। संशोधित ढांचे में, उच्च जोखिम वाली संस्थाओं को प्राथमिकता देने के लिए, निरीक्षण आवृत्ति को जोखिम रेटिंग से जोड़ा गया है। जोखिम रेटिंग ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी अपर्याप्त अनुपालन वाली इकाइयां या ऐसी इकाइयां जिन्होंने अनुपालन न कराते हुए लें-दें किए हों, उन्हें उनकी समग्र या अन्य श्रेणी जोखिम रेटिंग की परवाह किए बिना केंद्रित निरीक्षण के अधीन किया जाता है।

V.39 उभरती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं/ पद्धतियों और समष्टि आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 की व्यापक समीक्षा की गई है। संशोधित विनियमावली में जारी/प्राप्त गारंटियों को सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। विनियमावली के मसौदे की समीक्षा की जा रही है।

V.40 वर्तमान में विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान का तरीका और रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019

[4] रिज़र्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.395/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर 2019।

(समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत निर्धारित[4] गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग के तरीके से संबंधित ढांचे की समीक्षा की जा रही है।

V.41 भारतीय रुपया और स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा पार लेन-देन के निपटान को बढ़ावा देने के लिए, फेमा के तहत संशोधित अधिसूचनाएं/ संशोधित विनियम 15 जनवरी 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे, जिससे निम्नलिखित के लिए प्रावधान प्रभावी हो गए:

- भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) को भारत में निवासी व्यक्तियों (पीआरआई) के साथ सभी स्वीकार्य चालू और पूंजी खाता लेन-देन के भुगतान और निपटान तथा अन्य पीआरओआई के साथ सभी *वास्तविक* लेन-देन के लिए एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं के साथ एसएनआरआर खाते खोलने की अनुमति देना; तथा
- विभिन्न प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों के माध्यम से विदेशी निवेश (एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश सहित) को प्रोत्साहित करना।

V.42 सीमा पार लेन-देन के लिए आईएनआर के उपयोग की सुविधा हेतु आईएनआर चलनिधि प्रदान करने के लिए, उपायों का एक व्यापक सेट शुरू किया गया है।

V.43 वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने, कमियों और ओवरलैप्स की पहचान करने और रिपोर्टिंग को सुप्रवाही बनाने तथा अधिक सूचित नीति तैयार करने के लिए विश्लेषण को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

V.44 फेमा के अंतर्गत वर्तमान आईएफएससी विनियमों की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर से इनपुट/ टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

V.45 विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियमावली, 2024 को भारत सरकार द्वारा 12 सितंबर 2024 को विभाग के परामर्श से अधिसूचित किया गया है, जिसने पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्स) नियमावली, 2000 का स्थान लिया है। नए ढांचे में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, रिज़र्व बैंक में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा शमन किए जा सकने वाले उल्लंघन में शामिल राशि के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाया गया है, शमन के लिए आवेदन और शमन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य ऑनलाइन तरीकों को सक्षम किया गया है, और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच/न्यायनिर्णयन के विभिन्न चरणों से जुड़े मामलों के संबंध में कार्रवाई के लिए प्रावधान किए गए हैं। विभाग ने इस अधिसूचना के अनुसरण में, सभी एडी श्रेणी -I बैंकों को शमन पर नए निदेश जारी कर दिए हैं।

V.46 योजना के अंतर्गत *अन्य बातों के साथ-साथ* कानूनी ढांचे, वार्षिक सीमा, अनुमत उद्देश्यों (समावेशन/ बहिष्करण) और भुगतान के तरीके/ मुद्राओं को शामिल करते हुए मौजूदा एलआरएस में विभिन्न मामलों का समाधान करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है। परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली और विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेन-देन) विनियमों में आवश्यक संशोधनों के साथ-साथ संशोधित योजना प्रक्रियाधीन है।

V.47 एमटीएसएस और आरडीए योजनाओं की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। समीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अनुमत लेन-देन का विस्तार, दिशानिर्देशों को अधिक सिद्धांत-आधारित बनाने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

प्रमुख पहलें

V.48 भारत के अलावा अनुमत क्षेत्राधिकारों में शेयर बाज़ारों में भारतीय कंपनियों की सूचीबद्धता को संभव बनाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2024 को एफईएम (एनडीआई)[5] नियमावली, 2019 में किए गए संशोधन के अनुसरण में, विभाग ने 23 अप्रैल 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर -कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 (रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को यथा अधिसूचित) में संशोधन करके अंतरराष्ट्रीय शेयर बाज़ारों में भारतीय कंपनियों की सूचीबद्धता से संबंधित लेन-देन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

V.49 फेमा, 1999 के अंतर्गत भारत में बैंकों को पहले अनिवासियों (एफसीवाई में) के साथ मार्जिन का आदान-प्रदान करने अथवा विदेश में मार्जिन दर्ज करने /एकत्र करने की अनुमति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप अनिवासियों के साथ लेन-देन करने में बाधाएं उत्पन्न होती थीं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन) विनियमावली, 2020[6] ने भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच अनुमत व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन के आदान-प्रदान को संभव बनाया। तदनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016[7] में संशोधन किया गया ताकि पीआरओआई को 6 मई 2024 से भारत में मार्जिन पोस्टिंग/एकत्र करने के लिए आईएनआर और/या एफसीवाई में ब्याज अर्जक खाता खोलने, रखने और बनाए रखने की अनुमति दी जा सके।

V.50 दिनांक 14 मार्च 2024 के एफईएम (एनडीआई) नियम, 2019 में संशोधन के अनुसरण में, भारत में निवेश व्हीकल्स द्वारा पीआरओआई को आंशिक रूप से भुगतान की गई इकाइयों को जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त संशोधित अधिसूचना से पहले निवेश व्हीकल्स द्वारा इस तरह के निर्गम को फेमा के तहत शमन कार्यवाही के माध्यम से नियमित किया जा सकता है। तदनुसार, विभाग ने 21 मई 2024 को इसके कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए।

V.51 भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और निपटान में आईएनआर के बढ़ते उपयोग के लिए एसआरवीए योजना (11 जुलाई, 2022 से प्रभावी) की समीक्षा कराते हुए, एडी श्रेणी -I बैंकों (जो एसआरवीए खाता रखते हैं) द्वारा अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की सुविधा 11 जून 2024 से उनके आयात लेन-देन (निर्यात लेन-देन के मौजूदा प्रावधान के अलावा) के निपटान के लिए दी गई है।

V.52 अनुपालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, फॉर्म ए 2 के 'ऑनलाइन' सबमिशन के आधार पर जावक विप्रेषण पर लगाई गई सीमा को 3 जुलाई 2024 से हटा दिया गया है। सभी एडी श्रेणी - I और एडी श्रेणी - II व्यक्तियों को ऑनलाइन या भौतिक फॉर्म ए2 और अन्य संबंधित दस्तावेज, यथा लागू, प्रस्तुत करने पर [फेमा, 1999 की धारा 10 (5) में निर्धारित शर्तों के अधीन] लेन-देन मूल्य पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार के विप्रेषणों की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

V.53 निवासी व्यक्तियों को फेमा के तहत किसी भी स्वीकार्य चालू और/या पूंजी खाता लेन-देन के लिए आईएफएससी में एलआरएस के तहत धनराशि भेजने में सक्षम बनाने के साथ-साथ आईएफएससी में अपने विदेशी मुद्रा खातों में धन का उपयोग किसी अन्य क्षेत्राधिकार में लेन-देन के लिए करने और आईएफएससी के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों के संबंध में

[5] विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर कर्ज़ लिखत)

[6] रिज़र्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.399/आरबी-2020 दिनांक 23 अक्टूबर 2020

[7] रिज़र्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.5(आर)/2016-आरबी दिनांक 1 अप्रैल 2016

समानता प्रदान करने के लिए, 10 जुलाई 2024 से, एपी को आईएफएससी में एलआरएस के तहत सभी स्वीकार्य उद्देश्यों के लिए धन विप्रेषण की सुविधा देने की अनुमति दी गई है, ताकि (ए) आईएफएससी के भीतर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाया जा सके; और (बी) आईएफएससी में रखे गए विदेशी मुद्रा खाते के माध्यम से किसी भी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार (आईएफएससी के अलावा) में सभी चालू या पूंजी खाता लेन-देन किए जा सकें।

V.54 दिनांक 16 अगस्त 2024 से फेम (एनडीआई) विनियमावली में संशोधन के माध्यम से भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनी की इक्विटी पूंजी के बदले में निवेशग्राही भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखत जारी करने या इक्विटी लिखतों को अंतरित करने में सक्षम बनाया गया है, जिससे सरकार के पूर्वानुमोदन, यदि लागू हो, इक्विटी लिखतों/इक्विटी पूंजी के सीमा पार स्वैप को प्रभावी रूप से सक्षम किया जा सकेगा।

V.55 विभाग ने भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परामर्श से 11 नवंबर 2024 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को फेम (एनडीआई) नियम, 2019 के तहत एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचे को अंतिम रूप दिया, ताकि संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विदेशी निवेशकों को लचीलापन प्रदान किया जा सके और भारत में कारोबारी सुगमता को बढ़ाया जा सके। तदनुसार, निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके निवेश करने वाले एफपीआई के पास अपनी होल्डिंग्स को निर्निहितीकरण के पहले के विकल्प के अलावा ऐसी होल्डिंग्स को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।

V.56 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में संशोधन के माध्यम से, अब सभी निवासी निर्यातकों (पहले के केवल परियोजना निर्यात करने वाले निर्यातकों के विपरीत) को यथालागू वसूली और प्रत्यावर्तन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के अधीन व्यापार लेन-देन के निपटान के लिए विदेशों में एफसीवाई खाते खोलने की अनुमति है। इस संशोधन का उद्देश्य उन निर्यातकों का सहयोग करना है जो स्थानीय मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करते हैं और ऐसे विदेशी मुद्रा खातों को इन मुद्राओं को रखने और उस क्षेत्र से किए जाने वाले आयात के बदले भुगतान करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है, इससे व्यापारिक भागीदार देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन-देन के निपटान को बढ़ावा मिलेगा।

V.57 एसीयू के सदस्य मालदीव के साथ द्विपक्षीय लेन-देन अब तक एसीयू ढांचे के अंतर्गत मौजूदा प्राप्ति और भुगतान विनियम, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार निपटाए जा रहे थे। दिनांक 21 नवंबर 2024 को, रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने सीमा पार लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, जैसे आईएनआर और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, मालदीव के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार लेन-देन का निपटान, जिसकी अब तक फेमा ढांचे के तहत अनुमति नहीं थी, को मौजूदा एसीयू तंत्र के अलावा 17 मार्च 2025 से सक्षम किया गया है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

V.58 विभाग का प्राथमिक ज़ोर विभिन्न दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत बनाने पर होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि फेमा परिचालन ढांचे का विकासमान समष्टि आर्थिक परिदृश के साथ निरंतर समन्वय बना रहे। इसे संभव बनाने के लिए, विभाग ने 2025-26 हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एफईएम (गारंटी) विनियमों को युक्तिसंगत बनाना;
- एलआरएस को युक्तिसंगत बनाना;

- भारतीय रुपए में उधार लेने और देने के लेन-देन पर निर्देशों की समीक्षा करना ताकि उन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सके और मास्टर निदेश - बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित दायित्वों में विलय किया जा सके;
- फेमा, 1999 के अंतर्गत एपी के लिए प्राधिकार फ्रेमवर्क की समीक्षा
- फेम (गैर ऋण लिखत) नियमों को युक्तिसंगत बनाना;
- बीमा विनियमावली, 2015 की समीक्षा;
- जमा विनियमावली, 2016 की समीक्षा; और
- फेम (भारत में शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2016 की समीक्षा।

5. निष्कर्ष

V.59 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के दौरान विनियामकीय ढाँचे और निगरानी को मजबूत करने और भारतीय ऋण साधनों में अनिवासी निवेश पर निर्देशों के समेकन सहित नियमों को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से वित्तीय बाजारों के और विकास और गहनता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। कठिन वैश्विक स्पिलओवर के बीच व्यवस्थित बाजार स्थितियों और बाजार की उम्मीदों पर अंकुश सुनिश्चित करने के लिए अग्र सक्रिय उपाय किए गए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सीमा-पार लेन-देन के लिए आईएनआर और साझेदार व्यापारिक देशों की स्थानीय मुद्राओं के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए और विदेशी मुद्रा लेन-देन को आसान बनाने के लिए विभिन्न विनियामक, पर्यवेक्षी उपायों के साथ-साथ प्राधिकरण ढांचे को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। विनियामकीय रिपोर्टिंग को और मजबूत करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा लेन-देन की व्यापक रिपोर्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रक्रिया में है। आगे भी, चलनिधि परिचालन मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप बनाए रखा जाएगा और साथ ही, विदेशी मुद्रा परिचालन आईएनआर की विनिमय दर में व्यवस्थित उतार-चढ़ाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होंगे।

VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वर्ष के दौरान एक समुत्थानशील और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का निर्माण करते हुए वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहलों का प्राथमिक उद्देश्य बना रहा। तदनुसार, अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं एवं विनियामकीय रिपोर्टिंग प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपाय किए गए। साइबर सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी समवर्ती उद्देश्यों के रूप में अपनाए गए।

VI.1 वर्ष के दौरान घरेलू वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और समुत्थानशील बनी रही। रिज़र्व बैंक ने तकनीकी व्यवधानों, साइबर जोखिमों और जलवायु परिवर्तन से उभरती चुनौतियों के बीच वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और जिम्मेदार नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास जारी रखे। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामकीय / पर्यवेक्षी रुपरेखा को संरेखित करने के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन, विनियामकीय अनुपालन और प्रवर्तन, और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

VI.2 विनियमन विभाग (डीओआर) ने अन्य बातों के साथ, ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के सिद्धांतों, ऋणों और अग्रिमों पर मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) का स्वैच्छिक रूप से सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तन, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू विनियमों का सामंजस्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करना, परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता तथा ऋण राहत योजनाओं को लागू करते समय अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण व्यवहार पर दिशानिर्देश जारी किए।

VI.3 फिनटेक विभाग ने प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन कार्यात्मकताओं के उपयोग के मामलों का परीक्षण और सीबीडीसी-खुदरा (सीबीडीसी-आर) में चुनिंदा गैर-बैंकों के सीबीडीसी को लॉन्च करके केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट के दायरे और व्याप्ति का विस्तार किया; सीबीडीसी-थोक (सीबीडीसी-डब्ल्यू) पारिस्थितिकी तंत्र में एकल प्राथमिक व्यापारियों को जोड़ा और तकनीकी संरचना में उन्नयन किया; अधिक ऋणदाताओं, डेटा सेवा प्रदाताओं और ऋण यात्राओं को शामिल करने के लिए एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) पर चल रहे पायलट का विस्तार किया; फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामकीय संगठनों (एसआरओ) के लिए रुपरेखा जारी किया एवं एक संघ को एसआरओ के रूप में मान्यता दी; और फिनटेक और एमटेक रिपॉजिटरी का लोकार्पण किया।

VI.4 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण को और सुदृढ़ एवं एकीकृत करने के उपाय शुरू किए जिनमें साइबर/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित जोखिम मूल्यांकन, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जोर और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन विरोधी (एएमएल) पर्यवेक्षण; शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रुपरेखा पर दिशानिर्देश; प्रमुख वैश्विक अधिकार क्षेत्रों में विदेशी प्राधिकरणों के साथ सीमा

पार पर्यवेक्षी जुड़ाव को बढ़ाना; और पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (ईएसडीक्यूआई) का विकास शामिल हैं। उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और मौजूदा ग्राहक सेवा विनियमों और संरक्षण पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

VI.5 यह अध्याय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा करता है। इस अध्याय के शेष भाग को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता विभाग (एफ़एसडी) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए विनियामकीय उपायों के साथ-साथ फिनटेक विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। खंड 4 पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षी उपायों और प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों को शामिल करता है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा, जागरूकता प्रसार और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सीईपीडी और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। इन विभागों के 2025-26 के कार्यसूची को इस अध्याय के संबंधित खंडों में शामिल किया गया है। निष्कर्ष टिप्पणियाँ अंतिम खंड में दी गई हैं।

2. वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी)

VI.6 एफ़एसडी समष्टि आर्थिक स्थिरता के जोखिमों की निगरानी करता है और समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी करके वित्तीय प्रणाली की समुत्थानशीलता का मूल्यांकन करता है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और वित्तीय प्रणाली के लिए समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन हेतु एक संस्थागत अंतर-विनियामकीय मंच है। एफ़एसडी अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) जारी करता है, जिसमें विभिन्न जोखिम परिदृश्यों के तहत समष्टि-दबाव परीक्षणों के परिणामों के साथ प्रमुख समष्टि आर्थिक दुर्बलताओं को उजागर किया जाता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.7 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- समकक्ष-समीक्षा की सिफारिशों का कार्यान्वयन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.8];
- गैर-बैंकिंग स्थिरता मानचित्र/सूचकांक का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.9]; और
- एकल-कारक दबाव परीक्षणों में वृद्धि (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.9]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.8 समकक्ष-समीक्षा की सिफारिशों के आधार पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए समष्टि-दबाव परीक्षण रुपरेखा संशोधित किया गया है। इस रुपरेखा में निम्नानुसार संशोधन शामिल हैं: (i) बहिर्जात परिवर्ती (वीएआरएक्स) मॉडल के साथ वेक्टर स्वप्रतिगामी का उपयोग करके सिमुलेशन द्वारा आंतरिक रूप से सुसंगत प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिदृश्यों का पूर्वानुमान; (ii) पैनल प्रतिगामी मॉडल का उपयोग करके बैंक स्तर पर गिरावट अनुपात, ब्याज आय और ब्याज व्यय का पूर्वानुमान; (iii) ऋण शोधन क्षमता दबाव परीक्षण रुपरेखा में बाजार जोखिम को शामिल करना; (iv) समष्टि-दबाव परीक्षण की परिदृश्य सीमा को वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर 1.5 - 2.0 वर्ष करना; और (v) आगामी वित्तीय वर्षों के अंत में प्रमुख वित्तीय अनुपातों के पूर्वानुमान प्रकट करना।

VI.9 एनबीएफसी क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले जोखिम कारकों का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक गैर-बैंकिंग स्थिरता मानचित्र/सूचकांक विकसित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समकक्ष-समीक्षा की सिफारिश के आधार पर, विभाग ने एकल कारक दबाव परीक्षणों को बढ़ाने की प्रक्रिया में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)-प्रकार के चलनिधि दबाव परीक्षण को सक्रिय करके एससीबी के पूर्ववर्ती चलनिधि दबाव परीक्षण को बदल दिया है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.10 आगामी वर्ष में, एफ़एसडी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- दबाव परीक्षण रुपरेखा को और विस्तार देने के लिए एक संस्थानिक एनबीएफ़सी चलनिधि दबाव परीक्षण रुपरेखा का विकास किया जाएगा, जबकि समष्टि-दबाव परीक्षण को यूसीबी क्षेत्र (टियर-3 और टियर-4) तक बढ़ाया जा रहा है। दबाव परीक्षण रुपरेखा को बढ़ाने के अलावा, उक्त विभाग प्रमुख कार्बन गहन क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव और उत्सर्जन गहन क्षेत्रों में जोखिम वाले बैंकों के तुलन-पत्र पर इसके प्रभाव का आकलन करने की भी योजना बना रहा है; और
- वर्तमान समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों को आगामी विकास के वितरण से जोड़कर 'जोखिम-पर-विकास' मॉडल विकसित किया जाएगा ताकि वित्तीय परिस्थितियों और दुर्बलताओं के स्तर द्वारा भविष्य में कमजोर आर्थिक विकास की संभावना पर होने वाले प्रभाव को समझा जा सके।

3. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.11 डीओआर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, सीआईसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई)[1] के विनियमन के लिए नोडल विभाग है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के साथ, विनियामकीय रुपरेखा को भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.12 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर संपत्तियों के मूल्यांकन पर दिशानिर्देशों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.13];
- ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण के लिए विनियामकीय रुपरेखा (पैराग्राफ VI.14);
- परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामकीय रुपरेखा को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) में निर्देशों को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई थी और सभी आरई पर लागू एक व्यापक विनियामकीय रुपरेखा जारी करने का प्रस्ताव है (पैराग्राफ VI.15);
- बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए संभाव्य ऋण हानि (ईसीएल) रुपरेखा की शुरूआत पर 16 जनवरी, 2023 को एक चर्चा-पत्र जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी

[1] निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफ़आईडी)।

गई थीं। चर्चा पत्र पर की गई टिप्पणियों की जांच के साथ-साथ, एक बाहरी कार्य समूह - जिसमें शिक्षा जगत, उद्योग और चुनिंदा प्रमुख बैंकों के कार्यक्षेत्र-विशेषज्ञ शामिल हैं - का गठन अक्टूबर 2023 में किया गया था ताकि टिप्पणियों की समग्र रूप से जांच की जा सके और कुछ तकनीकी पहलुओं पर स्वतंत्र टिप्पणियां प्रदान की जा सकें। चर्चा-पत्र पर प्राप्त फीडबैक और फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले कार्य समूह की सिफारिशों को शामिल करके उक्त विषय पर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, (पैराग्राफ VI.15)।

- अग्रिम ब्याज दर संबंधी मौजूदा विनियमन विभिन्न आरई में अलग-अलग हैं। इन्हें सुसंगत बनाने के लिए, मौजूदा विनियामकीय निर्देशों की व्यापक समीक्षा की जा रही है (पैराग्राफ VI.16);
- 22 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए पैमाना-आधारित विनियामकीय रुपरेखा में उल्लिखित एनबीएफसी में विभिन्न समितियों (जैसे, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, और जोखिम प्रबंधन समिति) की भूमिका का निर्धारण (पैराग्राफ VI.17);
- एनबीएफसी/एचएफसी के प्रबंधन में बदलाव के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा करना, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में बदलाव होगा (पैराग्राफ VI.17);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के परिप्रेक्ष्य में एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था के संचालन के अंतर्गत, एनबीएफसी और सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी (पैराग्राफ VI.17);
- अप्रैल 2021 में, एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामकीय रुपरेखा की समीक्षा करने और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक बाहरी समिति का गठन किया गया था। समिति की प्रमुख सिफारिशों को 11 अक्टूबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से लागू किया गया। समिति की शेष सिफारिशों की जांच की जाएगी और 2024-25 के दौरान उन्हें लागू किया जाएगा (पैराग्राफ VI.18);
- एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को एनबीएफसी के लिए पैमाना-आधारित विनियामकीय रुपरेखा के मध्य स्तर में रखा गया है। हालांकि, एनबीएफसी के विपरीत, एसपीडी सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बाजार से संबंधित उत्पादों के प्रति अपने जोखिम के मद्देनजर बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर दिशानिर्देशों के अधीन हैं और ऐसी विभिन्न मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों को करने के लिए भी पात्र हैं, जिन्हें करने की एनबीएफसी को अनुमति नहीं है। बैंकों के लिए बासेल III मानकों के साथ अभिसरण लाने के लिए एसपीडी के बाजार जोखिम के रुपरेखा की समीक्षा की जाएगी (पैराग्राफ VI.18); और
- संबद्ध ऋण में नैतिक जोखिम के मुद्दे शामिल हो सकते हैं जिससे मूल्य निर्धारण और ऋण प्रबंधन में समझौता हो सकता है। इस मुद्दे पर मौजूदा दिशानिर्देश एक दायरे में सीमित हैं और सभी आरई पर समान रूप से लागू नहीं हैं। जैसा

कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य (8 दिसंबर, 2023) में घोषित किया गया है, सभी आरई के लिए संबद्ध ऋण पर एक एकीकृत विनियामकीय रुपरेखा लागू किया जाएगा, जिसके लिए सार्वजनिक टिप्पणियों का एक मसौदा परिपत्र जारी किया जाएगा (पैराग्राफ VI.18)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.13 ऋण देने की प्रक्रिया में, संस्थाएँ अपने एक्सपोजर को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्राथमिक या संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रभार लगाती हैं। ऐसी अधिकांश प्रतिभूतियाँ गैर-वित्तीय प्रकृति की होती हैं जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी और मालसूची। यद्यपि वित्तीय प्रतिभूतियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर स्पष्ट मानक और विनियम हैं, गैर-वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मौजूदा निर्देश प्रकृति में अपेक्षाकृत व्यापक हैं और प्रत्येक आरई में भिन्न हैं। आरई में इस संबंध में विनियमों को सुसंगत बनाने और मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से वर्तमान में एक व्यापक समीक्षा चल रही है।

VI.14 वर्तमान में, अधिकांश ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) कई ऋण भागीदारों के साथ भागीदारी करके वेब-एकत्रीकरण सेवा उपलब्ध कराते हैं। आम तौर पर, एलएसपी किसी उधारकर्ता विशेष के लिए उपयुक्त ऋणदाता चुनने में विवेक का प्रयोग करते हैं और शायद ही कभी उधारकर्ता को सुविज्ञ चुनाव करने के लिए सभी उपलब्ध ऋण प्रस्तावों को प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल ऋण में ग्राहक केंद्रितता के उद्देश्य के अनुरूप, 26 अप्रैल, 2024 के एक मसौदा परिपत्र के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया था कि आरई को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया जाए कि कई आरई के साथ व्यवस्था करने वाले सभी एलएसपी अपने डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) पर इच्छुक ऋणदाताओं से उधारकर्ताओं को उपलब्ध ऋण प्रस्तावों का डिजिटल-व्यू प्रस्तुत करें। डिजिटल-व्यू में कम से कम आरई का नाम, ऋण की राशि, वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), अवधि और अन्य संबंधित नियम और शर्तें जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। एलएसपी, सभी उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करते समय, उधारकर्ताओं को किसी विशेष ऋण प्रस्ताव को चुनने के लिए अपने उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में ऐसे किसी भी 'डार्क पैटर्न'[2] का उपयोग नहीं करेंगे जो उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करते हुए अंतिम दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश 2025 के एक हिस्से के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

VI.15 परियोजना ऋणों के वित्तपोषण और क्षेत्र में प्रचलित संरचनात्मक मुद्दों के संबंध में बैंकों के अनुभव की व्यापक समीक्षा के आधार पर, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर मसौदा दिशानिर्देश 3 मई 2024 को जारी किए गए थे। मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य मानदंडों को ऐसे जोखिमों के समाधान के लिए अधिक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप लाना है। साथ ही, उक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि आरई समय पर जोखिमों को पहचानें और ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित आघात का शमन करने हेतु पर्याप्त बफर बनाएं। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों को अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर प्रस्तावित प्रावधान व्यवस्था के अनुरूप भी लाया जाएगा। उक्त प्रावधान व्यवस्था के मसौदा परिपत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें पूर्व में जारी किए गए चर्चा-पत्र पर प्राप्त फीडबैक और बाहरी कार्यसमूह की सिफारिशें शामिल हैं।

[2] डार्क पैटर्न डिज़ाइन इंटरफ़ेस और कार्यनीतियों का प्रयोग उपयोगकर्ताओं से वांछित व्यवहार प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

VI.16 मौद्रिक संचरण के उद्देश्यों, जोखिम मूल्य निर्धारण तथा आचरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अग्रिमों पर ब्याज दरों के रुपरेखा से संबंधित अपनाने योग्य कार्यपद्धति पर आंतरिक रूप से तथा प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श[3] किया गया है। व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, सभी आरई में ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज दरों की एक सुसंगत व्यवस्था की ओर बढ़ने की विभिन्न अनिवार्यताओं को रेखांकित करते हुए एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है।

VI.17 एनबीएफसी और एचएफसी में बोर्ड समितियों के कार्यों और जिम्मेदारियों पर मसौदा दिशा-निर्देशों पर विचार किया जा रहा है। स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों को शामिल करने वाले प्रबंधन परिवर्तनों के लिए एनबीएफसी/एचएफसी के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की मौजूदा विनियामकीय आवश्यकता की भी समीक्षा की जा रही है। सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी और सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश संबंधी मसौदा परिपत्र पर कार्य जारी है।

VI.18 एआरसी समिति की शेष सिफारिशों पर उपयुक्त दिशा-निर्देश 2025-26 में जारी किए जाएंगे। एसपीडी के बाजार जोखिम रुपरेखा की समीक्षा बैंकों के संशोधित बाजार जोखिम रुपरेखा के आधार पर की जाएगी और इस पर कार्य जारी है। संबद्ध ऋण अथवा संबंधित पक्षों को दिए जाने वाले ऋण में नैतिक जोखिम के मुद्दे निहित हैं। आयकर अधिनियम, 1961, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों में संबंधित पक्षों की मौजूदा निर्देशों और परिभाषा पर विचार करने के बाद संबद्ध ऋण की व्यापक समीक्षा की गई है। तदनुसार, मसौदा परिपत्र तैयार किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

प्रमुख घटनाक्रम[4]

क्रेडिट में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के विनियामकीय सिद्धांत

VI.19 निर्णयन को सुविधापूर्ण बनाने एवं बढ़ाने के लिए आरई विभिन्न गतिविधियों के मॉडल का उपयोग करते हैं। नियम-आधारित एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग (एमल) के अनुप्रयोग ने ऐसे मॉडलों पर निर्भरता बढ़ा दी है। ऐसे मॉडलों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से, 5 अगस्त, 2024 को 'क्रेडिट में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामकीय सिद्धांतों' पर एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया था, जो मॉडल जोखिम प्रबंधन के पालन संबंधी व्यापक विनियामकीय सिद्धांत प्रदान करता है। मसौदा रुपरेखा में शासन और निगरानी, मॉडल विकास एवं परिनियोजन और मॉडल सत्यापन रुपरेखा से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है। परामर्श अवधि के दौरान प्राप्त फीडबैक के आलोक में, रिज़र्व बैंक अंतिम दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें सभी प्रासंगिक कार्यात्मक और परिचालन कार्यक्षेत्र में परिनियोजित मॉडलों को शामिल करने के लिए व्यापक दायरा शामिल होगा।

डिजिटल ऋणदाता ऐप (डीएलए) की निर्देशिका का निर्माण

VI.20 यद्यपि सितंबर 2022 में जारी डिजिटल ऋणदाता दिशानिर्देश आरई की डिजिटल ऋणदाता गतिविधियों के पूरे दायरे को कवर करते हैं, तथापि अवैध ऐप द्वारा दुष्प्रयोग की खबरों के साथ, उक्त अवैध ऋणदाता ऐप के मुद्दे ने हाल में

[3] इस रिपोर्ट के अनुबंध II में अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के दौरान सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामक उपायों की सूची दी गई है।

[4] यह उप-खंड डीओआर द्वारा जारी किए गए प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुबंध I में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान की गई नीति घोषणाओं का एक व्यापक विभागवार कालक्रम दिया गया है

ध्यान आकर्षित किया है। कई मामलों में, उक्त अवैध ऐप आरई के साथ अपने संबंधों का झूठा विज्ञापन करते हैं और कुछ संस्थाएं अपने ऐप को एनबीएफसी के सहभागी ऐप के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एनबीएफसी की फर्जी वेबसाइट बनाती हैं। तदनुसार, डीएलए के आरई के साथ जुड़ाव के दावे को सत्यापित करने में ग्राहकों की सहायता के लिए, रिज़र्व बैंक ने डीएलएएस की सार्वजनिक निर्देशिका के परिचालन संबंधी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आरई को रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से अपने डीएलएएस का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आरई के पास प्रारंभिक डेटा की रिपोर्ट करने के लिए 15 जून, 2025 तक का समय है।

ऋण और अग्रिमों पर मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

VI.21 जैसा कि विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य (8 फरवरी, 2024) में घोषित किया गया है, सभी आरई द्वारा दिए गए खुदरा और एमएसएमई ऋणों पर लागू ऋण और अग्रिमों पर केएफएस के संबंध में एक परिपत्र 15 अप्रैल, 2024 को जारी किया गया था। आरई को अपने उधारकर्ताओं को ऋण की समग्र लागत सहित ऋण समझौते के बारे में मुख्य जानकारी युक्त एक विवरण सरल और बोधगम्य प्रारूप में प्रदान करना आवश्यक है।

पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताओं (आईपीसी) का जारी होना

VI.22 स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इक्विटी के लिए निपटान चक्र को टी+2 ('टी' व्यापार दिवस है) से संशोधित कर टी+1 कर दिया गया है। तदनुसार, आईपीसी जारी करने से निर्मित बैंकों के अंतःदिवसीय जोखिमों के लिए जोखिम शमन उपायों को 3 मई, 2024 के परिपत्र के माध्यम से निम्नानुसार संशोधित किया गया है: (i) पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) की गणना निपटान राशि के 30 प्रतिशत पर की जाएगी; (ii) प्रतिपक्ष के लिए अंतःदिवसीय सीएमई बड़ी जोखिम सीमाओं के अधीन होगा; और (iii) यदि टी+1 के अंत में कोई जोखिम बकाया रहता है, तो मौजूदा मानदंडों के अनुसार पूंजी बनाए रखनी होगी।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 - संशोधन

VI.23 भारत सरकार ने जीएमएस के संबंध में 25 मार्च, 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 26 मार्च, 2025 से जीएमएस के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जीएमएस के एमएलटीजीडी घटक के लिए नामित संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी)/जीएमएस संग्रहण, संग्रह और परीक्षण एजेंट (जीएमसीटीए)/नामित बैंक शाखाओं में प्रस्तुत कोई भी स्वर्ण जमा 25 मार्च, 2025 के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामित बैंक अपने विवेक से जीएमएस के तहत अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी) प्रस्तुत कर सकते हैं। 25 मार्च, 2025 तक जुटाए गए एमएलटीजीडी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन तक जारी रहेंगे।

जलवायु जोखिम और संधारणीय वित्त

VI.24 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जलवायु जोखिम शमन और वित्त, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन, परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण के कई पहलुओं को शामिल करने वाले आरई के मध्य प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से क्षमता निर्माण के अलावा, सतत और हरित वित्त के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली हरितीकरण नेटवर्क (एनजीएफएस) की वार्षिक पूर्ण और संचालन समिति की बैठकों की भी मेजबानी की और विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए 'जलवायु परिवर्तन जोखिम

और वित्त' पर एक राष्ट्रीय स्तर की नीति संगोष्ठी का आयोजन किया।

रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का निर्माण

VI.25 अक्टूबर 2024 में, रिज़र्व बैंक ने आरई द्वारा जलवायु जोखिम आकलन करने हेतु डेटा संबंधी अंतराल को कम करने के लिए आरबी-सीआरआईएस (डेटा रिपोजिटरी) के निर्माण की घोषणा की। इस संबंध में, विभिन्न डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध करते हुए एक वेब-आधारित निर्देशिका बनाने करने का प्रस्ताव है, जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होगी, साथ ही एक डेटा पोर्टल भी होगा जिसमें आरई के लिए सुलभ डेटासेट (यानी, मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) शामिल होंगे (बॉक्स VI.1)।

सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

VI.26 डीआरएस में उधारकर्ता के आंशिक या संपूर्ण ऋण दायित्वों को शामिल करने के लिए आम तौर पर राजकोषीय प्राधिकरण द्वारा निधीयन किया जाता है और यह ऋणदाता संस्थानों पर शेष ऋण जोखिम का त्याग करने/माफ करने का दायित्व भी डाल सकता है। ऋण अनुशासन के दृष्टिकोण से इसके अपने निहितार्थ हैं और इससे नैतिक जोखिम और विवेकपूर्ण चिंताएं पैदा हो सकती हैं, जिनमें धन प्राप्ति में देरी, आरई द्वारा स्वीकार किए गए/प्रस्तुत किए गए दावों और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल तथा नए ऋण को मंजूरी देने की अनिवार्य आवश्यकता शामिल है। तदनुसार, 31 दिसंबर, 2024 को सरकारी ऋण राहत योजनाओं पर

बॉक्स VI.I

रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस)

जलवायु परिवर्तन वित्तीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में उभर रहा है रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन जोखिमों का उचित मूल्यांकन, प्रमात्रीकरण और शमन करना आरई के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जलवायु जोखिम के वित्तीय प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करना आरई के लिए एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि उक्त मूल्यांकन में मॉडलिंग चुनौतियों के अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की कमी होने जैसे बाधाएँ भी हैं।

जलवायु परिवर्तन जोखिम आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम। भौतिक जोखिमों के आकलन के लिए बाढ़, सूखा, चक्रवात, समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं के लिए भौगोलिक स्थानों की संवेदनशीलता के रूप में जोखिम डेटा और भेद्यता डेटा, यानी वित्तीय हानि डेटा की आवश्यकता होती है। जलवायु जोखिम के बारे में अंतिम मूल्यांकन ऐसे डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

इसी तरह, संक्रमण जोखिम के आकलन में कार्बन की कीमतों, क्षेत्रीय बेंचमार्क मार्गों और उत्सर्जन तीव्रता के आकलन के संदर्भ में डेटा अंतराल से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। डेटा अंतराल, एक समान कार्यप्रणाली की कमी, पहुंच में विखंडन, डेटा के प्रकाशन में एकरूपता की कमी और मैट्रिक्स, इकाइयों और प्रारूपों में अंतर से लक्षित होते हैं। यद्यपि व्यापक, सुसंगत और तुलनीय डेटा के लिए स्रोत स्थापित करने हेतु एनजीएफएस, जी20 डेटा गैप इनिशिएटिव (डीजीआई) और नेट-जीरो डेटा पब्लिक यूटिलिटी (एनजेडडीपीयू) जैसी पहलें हैं; लेकिन इन पहलों को एक विकासशील देश के हिसाब से सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने एक डेटा डिपोजीटरी, यानी आरबी-सीआरआईएस के निर्माण की घोषणा की है, जिसके दो भाग हैं: (i) वेब-आधारित निर्देशिका, जिसमें विभिन्न डेटा स्रोतों (मौसम विज्ञान और भू-स्थानिक) को सूचीबद्ध किया गया है, जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होंगे; और (ii) डेटा पोर्टल जिसमें डेटासेट (मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) शामिल हैं, जो रिज़र्व बैंक के आरई के लिए सुलभ होंगे। इन डेटा अंतरालों को कम करने से जलवायु परिवर्तन जोखिमों के वित्तीय प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित होगा, जिससे व्यापक वित्तीय प्रणाली के लिए सुविज्ञ निर्णय लेने और नीति निर्माण में सुविधा होगी।

संदर्भ:

ली, बी., और क्रोएसे, बी. (2022), 'ब्रिजिंग डेटा गेप्स केन हेल्प टेकल द क्लाइमेट क्राइसिस', आईएमएफ ब्लॉग, 28 नवंबर।

एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डीआरएस को लागू करते समय आरई द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण व्यवहार शामिल थे। परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से एवं सरकार, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं सहित भागीदार हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसी योजनाओं को साकार और कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों के विचार के लिए मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी इस परिपत्र में शामिल है।

एससीबी का एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर

VI.27 उपभोक्ता ऋण के कुछ क्षेत्रों में कोविड के बाद जोखिम बढ़ने और निधीयन के लिए एनबीएफसी की एससीबी पर बढ़ती निर्भरता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए 16 नवंबर, 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एससीबी और एनबीएफसी के कुछ उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां बाहरी रेटिंग के आधार पर मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था, एनबीएफसी के प्रति एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई। 25 फरवरी, 2025 के एक परिपत्र के माध्यम से समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया है कि एससीबी द्वारा एनबीएफ़सी के निधीयन के जोखिम भार को एनबीएफसी की दी गई बाहरी रेटिंग (जहां एनबीएफसी की बाहरी रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम है) से जुड़े जोखिम भार पर बहाल किया जाए।

रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पाद - लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

VI.28 तुलन पत्र और वाणिज्यिक परिचालन में ब्याज दर जोखिम का अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने हेतु अधिक समुत्थानशीलता प्रदान करने और उपलब्ध अवसरों का विस्तार करने के लिए, एसएफबी को, ब्याज दर जोखिम का बचाव करने के लिए, स्वीकार्य रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पादों में सौदा करने की अनुमति दी गई थी।

लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन

VI.29 26 अप्रैल, 2024 को, रिज़र्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित करने संबंधी पात्रता मानदंड जारी किए गए। पात्रता मानदंडों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों का अनुसूचित होने के साथ, न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि के प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर होने चाहिए। इसके अलावा, लघु वित्त बैंकों के पास पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम ₹ 1,000 करोड़ की निवल संपत्ति और 15 प्रतिशत के जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की अपनी निर्धारित पूंजी होनी चाहिए। साथ ही, क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या बराबर के सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात के साथ, उन्हें पिछले दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पात्र एसएफ़बी को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित होने के औचित्य को विस्तार से प्रस्तुत करना होगा।

सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूप

VI.30 सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के वर्तमान प्रारूप को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ, लेखांकन मानकों और प्रथाओं में कई परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने प्रारूप की समीक्षा की और 7 जनवरी, 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रारूप का मसौदा जारी किया। प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं के आधार पर मसौदा प्रारूपों की व्यापक समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा की जा रही है।

निवेश के लिए व्यवसाय के स्वरूप और विवेकपूर्ण विनियमन

VI.31 बैंकों और उनके समूह निकायों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और बैंकों तथा परिचालनेतर वित्तीय शेयर-पूंजी कंपनियों (एनओएफएचसी) को क्रमशः इक्विटी निवेश और समूह निकाय स्थापित करने

हेतु अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 4 अक्टूबर, 2024 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'निवेश के लिए व्यवसाय के स्वरूप और विवेकपूर्ण विनियमन' पर एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों का सामंजस्य

VI.32 एचएफसी के विनियमन के एनएचबी से रिज़र्व बैंक को हस्तांतरण के बाद, एचएफसी को एनबीएफसी की श्रेणी का मानते हुए ऐसे विभिन्न विनियम जारी किए गए हैं, जो उनकी विशिष्ट प्रकृति पर उचित रूप से विचार करते हैं। सहज विनियामकीय संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु, एचएफसी और एनबीएफसी के विनियमों के बीच और अधिक सामंजस्य स्थापित करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तदनुसार, समीक्षा के बाद, जमा निर्देशों, गतिविधियों के विविधीकरण, बचाव मार्ग, खाता संकलक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तकनीकी विनिर्देशों और अन्य विविध विनियमों से संबंधित एचएफसी के कुछ विनियमों को 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हुए दिनांक 12 अगस्त, 2024 के परिपत्र के माध्यम से एनबीएफसी विनियमों के साथ सुसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी स्थापन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और 29 जनवरी, 2025 के परिपत्र के माध्यम से उन्हें एनबीएफसी विनियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित किया गया है।

एआरसी द्वारा ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करना

VI.33 एआरसी के सीआईसी से संबंधित दिशानिर्देशों को बैंकों और एनबीएफसी पर लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने और बैंकों और एनबीएफसी द्वारा एआरसी को ऋण हस्तांतरित करने के बाद उधारकर्ताओं के क्रेडिट विवरण पर नज़र रखने के उद्देश्य से, एआरसी द्वारा सीआईसी को सूचना प्रस्तुत करने संबंधी एक परिपत्र 10 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) एआरसी को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने की सलाह देना; (ii) एआरसी और सीआईसी के बीच सहमति के अनुसार एआरसी द्वारा सीआईसी को पाक्षिक आधार पर या कम अंतराल पर डेटा प्रस्तुत करने की शर्त रखना; (iii) सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने का निर्देश देना; और (iv) डेटा के नियमित प्रस्तुतीकरण/अद्यतन और ग्राहक शिकायत निवारण संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं की पहुँच एआरसी तक बढ़ाना।

उधारकर्ताओं के देय के निपटान पर एआरसी के दिशानिर्देश

VI.34 देय के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) पर एआरसी के पूर्व के दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के बाद, पेशेवरों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा सभी ओटीएस प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एआरसी पर लागू ओटीएस दिशानिर्देशों की एक व्यापक समीक्षा की गई और 20 जनवरी, 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हैं कि: (i) देय वसूलने के सभी संभावित तरीकों की जांच करने के बाद उधारकर्ता के साथ निपटान किया जाना चाहिए और ओटीएस को उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प माना जाए; (ii) ₹1 करोड़ से अधिक के कुल देय मूल्य वाले खातों के साथ-साथ धोखाधड़ी या इरदातन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत सभी खातों का निपटान, आईएसी द्वारा प्रस्ताव की जांच और उसके बाद कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के उपरांत किया जाना चाहिए; और (iii) ₹1 करोड़ से कम के कुल देय मूल्य

वाले खातों का निपटान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो संबंधित वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण का हिस्सा था, वह उसी वित्तीय आस्ति के ओटीएस प्रस्ताव को संसाधित करने/अनुमोदित करने का हिस्सा नहीं होगा।

एनबीएफसी – समकक्षीय (एनबीएफसी-पी2पी) उधार मंच (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2017

VI.35 पर्यवेक्षी जांच के दौरान एनबीएफसी-पी2पी के परिचालन में ऐसे कई मामले देखे गए जो विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। विनियामकीय दिशानिर्देशों की उचित समझ सुनिश्चित करने के लिए 16 अगस्त, 2024 को कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत तथ्य शामिल हैं: (i) ऋणदाताओं के धन को निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से अभिनियोजित नहीं किया जाना चाहिए; (ii) किसी ऋणदाता के धन का उपयोग अन्य ऋणदाता(ओं) के प्रतिस्थापन के लिए नहीं किया जाना चाहिए; (iii) वस्तुनिष्ठ मूल्य निर्धारण नीति और उधार देने के समय वसूले जाने वाले शुल्क का प्रकटीकरण अर्थात ऐसे शुल्क एक निश्चित राशि अथवा उधार देने के लेन-देन में शामिल मूल राशि का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए और उधारकर्ता(ओं) द्वारा चुकाने पर निर्भर नहीं होना चाहिए; (iv) निलंब खातों में स्थानांतरित धनराशि 'टी+1' दिन से अधिक अवधि के लिए उन खातों में नहीं रहनी चाहिए। यहां 'टी' वह तिथि है जिस दिन धनराशि इन निलंब खातों में स्थानांतरित की जाती है; और (v) ऋणदाताओं द्वारा वहन किए गए घाटे और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संबंध में एनबीएफसी-पी2पी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो निष्पादन का प्रकटीकरण।

इरादतन चूककर्ता एवं बड़े चूककर्ता

VI.36 इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों/आदेशों के साथ-साथ हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा गया। इसी क्रम में, मसौदा निर्देशों पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों को शामिल करने के बाद 30 जुलाई, 2024 को अंतिम मास्टर निर्देश जारी किया गया। मास्टर निर्देश एक ऐसे व्यापक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के लिए विनियामकीय रुपरेखा और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। ये दिशानिर्देश एससीबी, अनुसूचित यूसीबी, एआईएफआई, एनबीएफसी – मान-आधारित विनियामकीय रुपरेखा के अनुसार मध्यम और उससे ऊपर के लेयर, संशोधित विनियामकीय संरचना के अनुसार टियर 3 और 4 के अंतर्गत आने वाले गैर-अनुसूचित यूसीबी, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर लागू होते हैं। इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया को, कारण बताओ नोटिस से संबद्ध समस्त सामग्री और सूचनाओं के प्रकटीकरण करना शामिल है; पहचान समिति द्वारा समीक्षा समिति को दिए गए आदेश के विरुद्ध लिखित प्रतिनिधित्व के प्रावधान; और समीक्षा समिति द्वारा उधारकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई, के प्रावधान द्वारा परिष्कृत किया गया है। इरादतन चूक की त्वरित पहचान के लिए, एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के छह माह के भीतर इरादतन चूक की पहचान करने हेतु सभी एनपीए खातों की समीक्षा निर्धारित की गई है। उक्त निर्देश आईबीसी प्रक्रिया के तहत समाधान प्रक्रिया अथवा ऋण समनुदेशन के बाद इरादतन चूककर्ता खातों के प्रशोधन पर भी स्पष्टता प्रदान करते हैं।

ऋण सूचना रिपोर्टिंग

VI.37 ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर आरई को जारी मौजूदा निर्देशों को एक ही दिशा में समेकित किया गया है ताकि ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत रुपरेखा स्थापित किया जा सके, संवेदनशील क्रेडिट डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का बचाव किया जा सके, उपभोक्ताओं

को उनकी ऋण सूचना तक पहुँचने की प्रणालियाँ दी जा सके और संबंधित मामलों पर शिकायत निवारण किया जा सके। इस संबंध में मास्टर निर्देश 6 जनवरी, 2025 को जारी किया गया है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता बढ़ाना

VI.38 भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामकीय मार्गदर्शन को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों, अर्थात (ए) परिचालन जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन हेतु सिद्धांतों में संशोधन; और (बी) परिचालन समुत्थानशीलता के सिद्धांतों (दोनों मार्च 2021 में जारी किए गए), के साथ संरेखित करने के लिए, 30 अप्रैल, 2024 को 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता पर मार्गदर्शन नोट' जारी किया गया था। यह आरई[5] को उनकी परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना को मजबूत करने और उनकी परिचालन समुत्थानशीलता को बढ़ाने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे व्यवधान के समय भी महत्वपूर्ण परिचालन करने में सक्षम हो सकें। इसे तीन स्तंभों (17 सिद्धांतों से मिलकर) अर्थात, संधान और सुरक्षा[6], समुत्थानशीलता निर्माण[7] और सीख व अनुकूलन[8] पर बनाया गया है। उक्त मार्गदर्शन नोट विभिन्न आकार, प्रकृति, जटिलता, भौगोलिक स्थिति और व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल वाले नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन समुत्थानशीलता प्रदान करता है।

विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण – यूसीबी

VI.39 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता और समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम को कम करने और अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजर के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ, छोटे मूल्य के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और अचल संपत्ति ऋणों पर जोखिम की अधिकतम सीमा और प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान आवश्यकताएं शामिल हैं। इन मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने और इस प्रकार विनियामकीय उद्देश्यों को कमजोर किए बिना यूसीबी को अधिक परिचालन समुत्थानशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से, उपरोक्त विवेकपूर्ण मानदंडों की दिनांक 24 फरवरी, 2025 के परिपत्र के माध्यम से समीक्षा की गई है। उक्त समीक्षा में लघु मूल्य ऋणों की गतिशील और स्थिर ऊपरी सीमा को क्रमशः टियर-I पूंजी के 0.2 प्रतिशत से बढ़ाकर टियर-I पूंजी का 0.4 प्रतिशत और ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करना शामिल है; कुल आस्तियों के बजाय कुल ऋण और अग्रिमों के संदर्भ में व्यक्तियों को आवास ऋण के लिए समग्र जोखिम सीमाओं को युक्तिसंगत बनाना और अचल संपत्ति ऋणों के लिए एक सख्त सीमा; टियर-3 और टियर-4 यूसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋणों पर बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा; और यूसीबी को एआरसी को हस्तांतरित आस्तियों की तुलना में धारित एसआर पर मूल्यांकन विभेदक प्रदान करने की निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि में 2027-28 तक दो वर्ष का अतिरिक्त विस्तार करना शामिल हैं।

लघुवित्त ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा

VI.40 16 नवंबर, 2023 के परिपत्र 'उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण पर विनियामकीय उपाय' के अनुसार, आवास, शिक्षा, वाहन ऋण और सोने द्वारा प्रतिभूत ऋणों को छोड़कर उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार बढ़ाकर

[5] वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक यूसीबी/राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)/केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी), एआईएफआई और एनबीएफसी (एचएफसी सहित)।

[6] अभिशासन और परिचालन जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

[7] व्यवधान की स्थिति में महत्वपूर्ण परिचालनों का प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय निरंतरता, घटना प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं।

[8] प्रकटीकरण और सीखे गए अभ्यासों के माध्यम से फीडबैक लूप के निर्माण के लिए।

125 प्रतिशत कर दिया गया था। 25 फरवरी, 2025 के परिपत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि उपभोक्ता ऋण की प्रकृति के लघुवित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार होगा। अन्य लघुवित्त ऋणों को विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो (आरआरपी) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें 75 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक उक्त आरआरपी के योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित नीतियां लागू करें। इसके अलावा, आरआरबी और एलएबी द्वारा दिए गए सभी लघुवित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.41 2025-26 के दौरान, विभाग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- आरई को 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान' पर सुसंगत विनियमन जारी करना;
- ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जारी सभी गैर-निधि आधारित आकस्मिक सुविधाओं की व्यापक समीक्षा;
- आरई के बीच सभी प्रकार की सह-ऋण व्यवस्थाओं के लिए एक मसौदा विनियामकीय रुपरेखा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए 09 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। उक्त टिप्पणियों की समीक्षा के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
- *दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए रूपरेखा*: जनवरी 2023 में चर्चा-पत्र जारी किया गया था, जिस पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पर, मसौदा रूपरेखा 9 अप्रैल, 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी की गई है और प्राप्त टिप्पणियों की जांच के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है;
- संभाव्य ऋण हानि (ईसीएल) रुपरेखा पर मसौदा दिशानिर्देश;
- *बासेल III कार्यान्वयन का अंतिम चरण :* (क) ऋण जोखिम की मानकीकृत पद्धति संबंधी मसौदा दिशानिर्देश जारी करना; (ख) बाजार जोखिम पर अंतिम मसौदा दिशानिर्देश जारी करना; (ग) बीसीबीएस के बासेल III रुपरेखा के अनुरूप स्तंभ 3 अस्वीकरण आवश्यकताओं को अद्यतन करना;
- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (एसए-सीसीआर) के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देश जारी करना;
- मॉडल जोखिम प्रबंधन पर विनियामकीय सिद्धांत;
- बैंकों के लिए जलवायु जोखिम पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करना। इसमें जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के अस्वीकरण पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना तथा जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन शामिल है;
- डेटा रिपोजिटरी का परिचालन - रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का संचालन;
- जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के सिद्धांत जारी करना।;
- हरित जमा की स्वीकृति के लिए रुपरेखा की समीक्षा।;
- संधारणीयता से सम्बद्ध ऋणों पर दिशा-निर्देश;
- वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (आरई के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा) की गलत बिक्री के निवारण हेतु यथोचित दिशानिर्देश;

- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मास्टर निर्देश पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' जारी करना;
- सभी बैंकों के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पर विनियमों की समीक्षा;
- *टाइप I - एनबीएफ़सी अर्थात गैर-सार्वजनिक निधि एवं ग्राहक इंटरफेस के लिए विशिष्ट विनियामकीय रुपरेखा*;
- किसी भी आरई के विनियमन के जीवन-चक्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने हेतु विनियामकीय अनुप्रयोगों के अपने आंतरिक प्रसंस्करण के सम्पूर्ण डिजिटल परिवर्तन को आरंभ करने हेतु विभाग द्वारा 'विनियामकीय आवेदन प्रबंधन प्रणाली' (आरएएमएस) नामक एक मंच का विकास।
- थीम आधारित मास्टर निर्देशों के विनियामकीय मामलों के वर्तमान दिशानिर्देशों का समेकन

फिनटेक विभाग

VI.42 फिनटेक विभाग को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सतर्कता एवं संबंधित जोखिमों के समाधान से युक्त रहते हुए फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य करे। विभाग ने 2024-25 के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए हैं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.43 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- ऑफ़लाइन कार्यक्षमता, प्रोग्रामेबिलिटी, सीमा-पार लेनदेन और आस्तियों के टोकनाइजेशन के साथ-साथ नए डिज़ाइन, तकनीकी विचार और अधिक प्रतिभागियों जैसे नए उपयोग के मामलों को कवर करने के लिए सीबीडीसी पायलटों के दायरे का विस्तार करना (पैराग्राफ VI.44);
- भारत के दुनिया में सबसे बड़ा विप्रेषण प्राप्तकर्ता होने के कारण, टर्नअराउंड समय (टीएटी), दक्षता और पारदर्शिता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों आधारों पर सीमा-पार भुगतान पर सीबीडीसी पायलट शुरू करने की संभावना तलाशना [पैराग्राफ VI.45];
- अधिक वित्तीय संस्थानों/डेटा सेवा प्रदाताओं और उत्पाद प्रस्तावों के साथ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म [जिन्हें एकीकृत लेंडिग इन्टरफेस नाम दिया गया है] लॉन्च करना (पैराग्राफ VI.46);
- फिनटेक क्षेत्र के एसआरओ (एस) के लिए रुपरेखा लागू करना [पैराग्राफ VI.47];
- फिनटेक के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रिपोजिटरी की और आरई द्वारा की जाने वाली तकनीकी गतिविधियों की रिपोज़ीटरी की स्थापना और इसके पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को प्रभावी ढंग से समझने के लिए तकनीक से संबंधित गतिविधियों के लिए रिपोजिटरी की स्थापना (पैराग्राफ VI.48);
- अगले वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिंगर 2024' का आयोजन (पैराग्राफ VI.49); और
- विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) के छठे समूह के तहत अभिनव उत्पादों/सेवाओं और प्रौद्योगिकी का परीक्षण [पैराग्राफ VI.50]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.44 सीबीडीसी-आर (आईₑ-आर) पायलट व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) के प्रारंभिक उपयोग मामलों के साथ शुरू हुआ। तब से रिज़र्व

बैंक ने ऑफ़लाइन और प्रोग्रामेबिलिटी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए कई पायलट शुरू किए हैं। प्रोग्रामेबिलिटी उपयोग के मामलों में कार्बन क्रेडिट के सृजन के बदले किसानों को लाभ हस्तांतरण और चुनिंदा स्थानों पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत काश्तकारों को ऋण देना शामिल था। बैंकों द्वारा कार्मचारियों को ईधन/भोजन के लिए भत्ते दिए जा रहे हैं। ओडिशा राज्य सरकार की सुभद्रा योजना के तहत, लगभग 88,000 लाभार्थियों के लिए भुगतान चैनल के रूप में ई₹ का उपयोग किया गया है। एक निश्चित अंतिम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने हेतु सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए कई केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा चल रही है।

VI.45 चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय सीमा-पार सीबीडीसी पायलटों की खोज की जा रही है और रोडमैप, तकनीकी आयामों और उपयोग संबंधी मामलों के विषय में प्रगति भी हुई है। बहुपक्षीय सीबीडीसी पहलों में रिज़र्व बैंक की भागीदारी - विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) नवोन्मेष केंद्र के अंतर्गत - पर विचार किया जा रहा है।

VI.46 10 अगस्त 2023 को जारी 'विकास एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' के तहत एकीकृत लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), जिसे पूर्व में 'सहज ऋण के पब्लिक टेक मंच (पीटीपीएफ़सी) के रूप में जाना जाता था, के विकास की घोषणा की गई थी। 17 अगस्त 2023 को यूएलआई पाइलट शुरू हुआ। यूएलआई एक उपक्रम-श्रेणी का ऐसा मुक्त-मंच है जो ऋणदाताओं और डेटा सेवा प्रदाताओं को प्लग एंड प्ले मॉडल से परिचालित एक मानकीकृत एपीआई रुपरेखा के माध्यम से जोड़ता है। बैंकों द्वारा कई द्विपक्षीय एकीकरणों की आवश्यकता को समाप्त करके, यूएलआई क्रेडिट मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डेटा तक पहुंच संभव हो जाती है। 31 मार्च, 2025 तक, डिजिटल केसीसी ऋण, डिजिटल मवेशी ऋण, एमएसएमई ऋण जैसी 12 ऋण यात्राओं के लिए 60 से अधिक डेटा सेवाओं को प्रयुक्त कर, इस प्लेटफ़ॉर्म ने बैंक और एनबीएफ़सी सहित 44 ऋणदाताओं को शामिल किया है। हितधारकों से मिली सीख और सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, प्लेटफ़ॉर्म के दायरे का विस्तार किया जा रहा है ताकि और अधिक उत्पाद, डेटा प्रदाता और ऋणदाता इसमें शामिल हो सकें।

VI.47 रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी, 2024 को 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामकीय संगठन(ओं) को मान्यता देने संबंधी मसौदा रुपरेखा जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की गई। प्राप्त इनपुट और उनकी जाँच के आधार पर, 'फिनटेक क्षेत्र के एसआरओ(ओं) को मान्यता देने संबंधी रुपरेखा' (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) को अंतिम रूप दिया गया और 30 मई, 2024 को इसे जारी किया गया। इस रूपरेखा में फिनटेक एसआरओ की विशेषताएँ और अन्य बातों के साथ-साथ कार्य और शासन मानक भी शामिल हैं। तदनुसार, आवेदन आमंत्रित किए गए और 28 अगस्त, 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से फिनटेक उपभोक्ता सशक्तीकरण संघ (एफ़एसीई) को एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता दी गई।

VI.48 पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित फिनटेक क्षेत्र पर जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से 28 मई, 2024 को एक 'फिनटेक रिपॉजिटरी' लॉन्च की गई थी। लॉन्च की गई फिनटेक रिपॉजिटरी का उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं, उनकी गतिविधियों और तकनीकी स्टैक के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करना है। इसके साथ ही, उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग, वितरित खाता-

बही प्रौद्योगिकी (डीएलटी) को अपनाने के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु आरई के लिए 'एमटेक रिपॉजिटरी' नामक एक संबंधित रिपॉजिटरी भी लॉन्च की गई थी। फिनटेक और एमटेक रिपॉजिटरी सुरक्षित वेब-आधारित अनुप्रयोग हैं और इनका प्रबंधन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा किया जाता है।

VI.49 रिज़र्व बैंक ने 7 जून, 2024 को अपनी वार्षिक वैश्विक हैकाथॉन - 'हार्बिंगर 2024 – रूपान्तरण के लिए नवाचार' का तीसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसमें दो थीम 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांगों के अनुकूल होना' पर ध्यान केंद्रित किया गया। उक्त हैकाथान में 534 प्रस्तुतियाँ आयीं और उनमें से 39 भारत से बाहर की टीमों से प्राप्त हुई थीं। एक स्वतंत्र निर्णायक मण्डल ने व्यापकता, नवाचार, व्यवहार्यता, मापनीयता और अनुपालन सहित कई मापदंडों के आधार पर विजेताओं का मूल्यांकन और चयन किया।

VI.50 रिज़र्व बैंक वर्ष 2019 से विनियामकीय सैंडबॉक्स रुपरेखा का परिचालान कर रहा है जिसके अंतर्गत अब तक थीम आधारित 4 सहगामी-समूहों[9] की घोषणा और संपादन किया गया (सारणी VI.1)। चौथे सहगामी समूह में तीन संस्थाओं को व्यवहार्य पाया गया। गैर-थीम आधारित पाँचवा सहगामी समूह वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। बंद कर दी गई थीम के लिए सैंडबॉक्स आरएस के अंतर्गत आने वाली ऑन-टैप[10] सुविधा खुली हुई है।

प्रमुख पहलें

एआई की जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता हेतु रुपरेखा (एफ़आरईई-एआई)

VI.51 कंप्यूटिंग शक्ति में तेजी से प्रगति और डिजिटल डेटा की विशाल उपलब्धता से प्रेरित होकर, एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों ने हाल के वर्षों में बढ़ती रुचि और महत्वपूर्ण प्रगति देखी है और वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय संस्थानों ने इन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया है। रिज़र्व बैंक अपने स्वयं के कार्यों में एआई/एमएल-संचालित समाधानों की खोज और कार्यान्वयन कर रहा है। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 में एक बाहरी समिति का गठन किया है जिसमें वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता हेतु रुपरेखा की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन

VI.52 अपनी स्थापना के 90वें वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 26-27 अगस्त, 2024 को बेंगलुरु में 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों' पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 28 केंद्रीय बैंकों और विश्व बैंक, आईएमएफ़, बीआईएस नवाचार केंद्र और

सारणी VI.1 : विनियामकीय सैंडबॉक्स - अब तक का अनुभव

(संख्या)

सहगामी-समूह	विषय	प्राप्त एप्लिकेशन	परीक्षण के लिए चयनित	सफलतापूर्वक निर्गमित
1	2	3	4	5
1	खुदरा भुगतान	32	6	6
2	सीमा-पर के भुगतान	27	8	4
3	एमएसएमई उधार	22	8	5
4	वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण	9	6	3
5	थीम न्यूट्रल	22	5	परीक्षण जारी है
ऑन-टैप	बंद सहगामी समूह	11	3	2

[9] 'खुदरा भुगतान', 'सीमा-पर भुगतान', 'एमएसएमई उधार' और 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण।'

[10] रिज़र्व बैंक ने 9 अप्रैल, 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आरएस के तहत 'ऑन-टैप' सुविधा के हिस्से के रूप में 'थीम न्यूट्रल' अनुप्रयोगों को अनुमति दी।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के 81 प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल थे।

VI.53 नीतिगत पहलों के संप्रेषण, नए उत्पादों/सेवाओं को समझने, नए नवाचारों के बारे में जानकारी जुटाने और समाधान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से फिनटेक विभाग नियमित रूप से फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरचित और व्यक्तिगत आधार पर जुड़ा हुआ है। इससे नीतिगत सहायता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। 2024-25 के दौरान, 486 संवाद आयोजित किए गए जिनमें 22 संरचित समूह संवाद शामिल थे। रोटेशन और मासिक अंतराल पर विभिन्न शहरों में 'फिंटरैक्ट' के आयोजन के साथ 'फिनक्वायरी' एक ऐसी पहल है जो फिनटेक कंपनियों को मुक्त पूछताछ, नीति स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मुंबई में फिनटेक विभाग का दौरा करने का अवसर प्रदान करती है। अप्रैल 2024 से, रिज़र्व बैंक ने फिनटेक कंपनियों के 965 से अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए 12 संरचित 'फिंटरैक्ट' संवाद और 300 सहभागियों को शामिल करते हुए 'फिंक्वायरी' (जून 2024 से) के माध्यम से 10 मुक्त संवाद आयोजित किए गए। रिज़र्व बैंक ने जून 2024 में 'फिनकनेक्ट' नाम से एक पहल भी शुरू की, जिसका उद्देश्य आरएस और हार्बिंगर से सफल संस्थाओं को ऐसे समाधानों के संभावित उपयोगकर्ताओं जैसे बैंकों, एनबीएफसी और अलग से निवेशकों के साथ जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

आरबीआईएच पहल – म्यूल बैंक खातों की पहचान करने के लिए एआई/एमएल-आधारित समाधान (एमयूएलईएचयूएनटीईआर.एआई[टीएम])

VI.54 म्यूल खातों का समय पर पता लगाने के उद्देश्य से, आरबीआईएच ने 'एमयूएलईएचयूएनटीईआर.एआई[टीएम]' विकसित किया है, जो म्यूल खातों की तात्कालिक पहचान के लिए डिज़ाइन किया गया एक पर्यवेक्षित एमएल मॉडल है। यह मॉडल डेटा से म्यूल खाता गतिविधि के पैटर्न को जानने के लिए उन्नत आई/अल तकनीकों का प्रयोग करता है जिससे पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक सटीकता प्राप्त होती है। इस समाधान का परीक्षण और परिनियोजन वर्तमान में चुनिंदा पीएसबी में किया जा रहा है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.55 2025-26 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीबीडीसी के दायरे और कवरेज का विस्तार करना और नए उपयोग के मामलों और सुविधाओं को पेश करना।
- यूएलआई में व्यवसाय-से-ग्राहक (बी2सी) कार्यक्षमता शुरू करना।
- 'एमयूएलईएचयूएनटीईआर.एआई[टीएम]' का विस्तार करना;
- वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक अंगीकार हेतु एक रूपरेखा तैयार करना; और

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.56 पर्यवेक्षण विभाग को सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, भुगतान बैंक (पीबी), एसएफबी, सीआईसी, एआईएफआई, यूसीबी, एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.57 विभाग ने वर्ष के दौरान एससीबी, एलएबी, पीबी, एसएफबी, सीआईसी और एआईएफआई के प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए कई उपाय किए।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.58 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एससीबी की साइबर घटना प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर क्षेत्र की स्थापना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.59]; और

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सूक्ष्म-डेटा विश्लेषण और अन्य समान उपयोग मामलों पर सुपटेक डेटा उपकरणों के एक समूह द्वारा पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.60]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.59 परियोजना के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण को रिज़र्व बैंक के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) की आवश्यकता के अनुसार पुनः कार्यनीतिबद्ध किया गया। उक्त परियोजना को अब बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा डीआईटी और डीओएस के समन्वय से क्रियान्वित किया जाना है और इसका उद्देश्य आईडीआरबीटी और अन्य हितधारकों द्वारा संचालित मौजूदा साइबर अभ्यासों के बीच तालमेल बढ़ाना है। यह कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है।

VI.60 विभाग ने एआई/एमएल जैसी तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषण समूह (एएसएजी) की स्थापना की है, जिसने कई उन्नत विश्लेषण मॉडल (सूक्ष्म-डेटा विश्लेषिकी, शासन-प्रणाली आकलन मॉडल, सोशल मीडिया निगरानी मॉडल, धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक, उधारकर्ता भेद्यता मॉडल और आस्ति गुणवत्ता भविष्य-कथन मॉडल) विकसित किए हैं। विभाग ऐसे और मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में है।

अन्य पहलें

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.61 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों का आकलन यह दर्शाता है कि ऐसे अधिकतम मामले निजी क्षेत्र के बैंकों में हुए एवं धोखाधड़ी-मामलों की अधिकतम राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पाई गई (सारणी VI.2)। उक्त धोखाधड़ी मामले, संख्या के संदर्भ में मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड/इंटरनेट) की श्रेणी में और मूल्य के संदर्भ में मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम) में देखे गए हैं [सारणी VI.3]। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या में छोटे मूल्य के कार्ड/इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी के मामले अधिक थे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के मामले मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में हुए थे। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी में शामिल राशि में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए 18,674 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी वर्गीकरण को हटाने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने और पुनः जांच के बाद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए सिरे से रिपोर्ट करने के कारण हुई।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.62 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दबाव के दौर में भी बैंकों में चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु नकदी प्रवाह विश्लेषण विकसित करके एससीबी के चलनिधि दबाव परीक्षणों को सुदृढ़ करना। यह प्रक्रिया किसी बैंक की चलनिधि स्थिति पर, चरम लेकिन संभावित परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन यह ध्यान में रखते हुए करेगी कि संकट के दौरान भी उक्त चलनिधि से बैंक के दायित्वों का पूर्ण होना सुनिश्चित हो । इससे हमें दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य और प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंकों की चलनिधि स्थिति की स्थिरता का आकलन मिल सकेगा। दुर्बलताओं की पहचान और पर्याप्त चलनिधि बफर सुनिश्चित करके, दबाव परीक्षण बैंकों की समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह/संस्था	2022-23		2023-24		2024-25	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3,331 (24.7)	12,557 (66.2)	7,460 (20.7)	9,254 (75.6)	6,935 (29.0)	25,667 (71.3)
निजी क्षेत्र के बैंक	8,971 (66.4)	5,206 (27.4)	24,207 (67.2)	2,722 (22.3)	14,233 (59.4)	10,088 (28.0)
विदेशी बैंक	804 (6.0)	292 (1.5)	2,899 (8.0)	154 (1.3)	1,448 (6.0)	181 (0.5)
वित्तीय संस्थान	9 (0.1)	888 (4.7)	1 -	1 -	2 -	13 -
लघु वित्त बैंक	311 (2.3)	31 (0.2)	1,019 (2.8)	64 (0.5)	1,217 (5.1)	58 (0.2)
भुगतान बैंक	68 (0.5)	7 -	472 (1.3)	35 (0.3)	113 (0.5)	6 -
स्थानीय क्षेत्र बैंक	0 -	0 -	2 -	0 -	5 -	1 -
कुल	**13,494 (100.0)**	**18,981 (100.0)**	**36,060 (100.0)**	**12,230 (100.0)**	**23,953 (100.0)**	**36,014 (100.0)**

-: शून्य/नगण्य।

नोट:
1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. आंकड़े इस अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा संपादित संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
4. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।
5. रिपोर्ट की गई राशि में हुए नुकसान की राशि नहीं दिखाई गई है। वसूली के आधार पर, हुआ नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह भी जरूरी नहीं है कि इसमें शामिल पूरी राशि को उद्देश्य से इतर लगाया गया हो।
6. *भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण 31 मार्च, 2025 तक बैंकों द्वारा ₹ 1,12,911 करोड़ की राशि के 783 धोखाधड़ी के मामले वापस ले लिए गए।
7. वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित डेटा में पिछले वित्त वर्षों से संबंधित ₹18,674 करोड़ की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जिसे पुनः जांच के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान नए सिरे से रिपोर्ट किया गया है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

और प्रणालीगत जोखिमों को रोकने में सहायता करेगा;

- पीबी और एसएफबी के लिए पर्यवेक्षी रुपरेखा को और मजबूत करना;
- डिजिटल सेवाएं ग्राहकों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण चैनल हैं और इन चैनलों की समुत्थानशीलता सुनिश्चित करना अति-महत्वपूर्ण है। आरई में डिजिटल चैनलों की परिचालन समुत्थानशीलता के लिए विशिष्ट मापदंडों के साथ एक रुपरेखा तैयार किया जाएगा;
- डिजिटल फोरेंसिक तत्परता पर दिशानिर्देश जारी करना; और
- बैंकों के ग्राहकों के हित में, चुनिंदा डिजिटल सेवाओं के अपटाइम पर अति-तात्कालिक व्यू और विश्लेषण प्रदान करने के लिए, एक गतिशील ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा और बैंकों को चरणबद्ध तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.63 विभाग ने वर्ष के दौरान यूसीबी के प्रदर्शन की निगरानी करने के अपने उद्देश्य को जारी रखा तथा सुरक्षित और

सारणी VI.3: धोखाधड़ी के मामले - परिचालन क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

संचालन का क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	4,021 (29.8)	17,542 (92.4)	4,118 (11.4)	10,072 (82.4)	7,950 (33.2)	33,148 (92.1)
तुलन-पत्र से इतर	13 (0.1)	280 (1.5)	11 -	256 (2.1)	8 -	270 (0.7)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	13 (0.1)	12 (0.1)	19 (0.1)	38 (0.3)	23 (0.1)	16 -
कार्ड/इंटरनेट	6,699 (49.7)	278 (1.5)	29,082 (80.6)	1,457 (11.9)	13,516 (56.5)	520 (1.4)
जमाराशि	652 (4.8)	259 (1.4)	2,002 (5.6)	240 (2.0)	1,208 (5.0)	527 (1.5)
अंतर-शाखा खाते	3 -	0 -	29 (0.1)	10 (0.1)	14 (0.1)	26 (0.1)
नकद	1,485 (11.0)	159 (0.8)	484 (1.3)	78 (0.6)	306 (1.3)	39 (0.1)
चेक/डीडी *इत्यादि।*	118 (0.9)	25 (0.1)	127 (0.4)	42 (0.3)	122 (0.5)	74 (0.2)
समाशोधन खाते	18 (0.1)	3 -	17 -	2 -	6 -	2 -
अन्य	472 (3.5)	423 (2.2)	171 (0.5)	35 (0.3)	800 (3.3)	1,392 (3.9)
कुल	**13,494 (100.0)**	**18,981 (100.0)**	**36,060 (100.0)**	**12,230 (100.0)**	**23,953 (100.0)**	**36,014 (100.0)**

-: शून्य/नगण्य।

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. सारणी VI.2 के फुटनोट 2-7 देखें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निर्माण हेतु प्रयास किए।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.64 विभाग ने 2024-25 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- साइबर/आईटी जोखिम मूल्यांकन को मजबूत करना (पैराग्राफ VI.65)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.65 डिजिटल भुगतान सेवाएँ प्रदान करने वाले लेवल II यूसीबी[11] के एक समूह को भारतीय कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) के पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों के माध्यम से अंतराल आकलन करने हेतु सूचित किया गया है। यूसीबी विभिन्न सेवाओं जैसे डेटा केंद्रों में सर्वर की मेजबानी, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्विच, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), कार्ड प्रबंधन और मोबाइल बैंकिंग के लिए अन्य-

[11] लेवल II यूसीबी की परिभाषा के लिए कृपया 31 दिसंबर, 2019 को जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्र 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा रुपरेखा - एक ग्रेडेड दृष्टिकोण' का संदर्भ लें।

पक्ष आईटी सेवा प्रदाताओं (आईटीएसपी) की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। साइबर जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए, सीईआरटी-आईएन के पैनलबद्ध लेखापरीक्षक के माध्यम से चुनिंदा यूसीबी द्वारा तीन ऐसे सामान्य आईटीएसपी की समूहित लेखापरीक्षा की गई। यूसीबी को जारी किए गए साइबर सुरक्षा संबंधी निर्देशों को समेकित किया गया है और एक अद्यतन रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अन्य पहल

केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए यूसीबी का जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए)

VI.66 आरबीए के तहत यूसीबी के कवरेज को चतुःस्तरीय विनियामकीय संरचना के साथ संरेखित किया गया और टियर 3 और टियर 4 यूसीबी को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया, जो इस क्षेत्र के कुल जमा आकार का लगभग 60 प्रतिशत है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा

VI.67 रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई, 2024 को यूसीबी की पीसीए रुपरेखा पर दिशा-निर्देश जारी किए, जो पर्यवेक्षी कार्रवाई रुपरेखा (एसएएफ) पर पहले जारी किए गए निर्देशों को प्रतिस्थापित करते हैं। संशोधित रुपरेखा मामला-दर-मामला आधार पर जोखिमों के आकलन पर आधारित इकाई-विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाई योजनाओं को रूप देने के लिए समुत्थानशीलता प्रदान करना चाहता है। पीसीए के प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे। पीसीए रुपरेखा को टियर 2, टियर 3 और टियर 4 के सभी यूसीबी पर लागू किया गया है, सिवाय उन शहरी सहकारी बैंकों के जो सर्व-समावेशी निर्देशों[12] के अंतर्गत आते हैं। टियर 1 यूसीबी को अभी पीसीए रुपरेखा से बाहर रखा गया है। हालांकि, मौजूदा पर्यवेक्षी रुपरेखा के तहत उन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। संशोधित पीसीए रुपरेखा में निगरानी के लिए पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता प्रमुख क्षेत्र हैं। इस रुपरेखा को एससीबी और एनबीएफसी के लिए लागू समान रुपरेखा के साथ उपयुक्त रूप से सुसंगत बनाया गया है और इसमें आनुपातिकता के अंतर्निहित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। यह काफी हद तक सिद्धांत-आधारित है। इस रुपरेखा में एसएएफ की तुलना में कम मानदंड हैं लेकिन यह पर्यवेक्षी कठोरता को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.68 विभाग ने 2025-26 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- चुनिंदा यूसीबी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- यूसीबी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में स्थानांतरण की जांच करना; और
- साइबर सुरक्षा रुपरेखा पर अद्यतन दिशा-निर्देश जारी करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)

VI.69 विभाग द्वारा रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी पर कड़ी निगरानी रखी गई।

अन्य पहल

केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी का जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए)

VI.70 आरबीए के तहत, एनबीएफसी को शामिल करने के मानदंड की समीक्षा की गई और पैमाने-आधारित विनियमों के साथ संरेखित किया गया। तदनुसार, सभी ऊपरी लेयर के एनबीएफसी और मध्य लेयर में ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले एनबीएफ़सी आरबीए में शामिल हैं।

[12] सार्वजनिक हित में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध सर्व-समावेशी निर्देश कहलाते हैं। उक्त निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत जारी किए गए हैं।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.71 विभाग ने 2025-26 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- थीम मूल्यांकन के रूप में, मौजूदा विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का आरई द्वारा किए गए अनुपालन का आकलन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे ऋणों के ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज दर नहीं ली जा रही है; और
- एनबीएफसी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में स्थानांतरण की जांच करना।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.72 एक एकीकृत डीओएस का परिचालन किया गया है, जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का पर्यवेक्षण एक छत्र विभाग के तहत समग्र तरीके से किया जा रहा है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.73 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- आरई में सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा रुपरेखा की जांच करना (पैराग्राफ VI.74);
- आरई के लिए डेटा अभिशासन रुपरेखा की जांच करना (पैराग्राफ VI.75);
- परोक्ष विवरणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) विकसित करना (पैराग्राफ VI.76); और
- प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ परोक्ष विश्लेषिकी का गहन एकीकरण (पैराग्राफ VI.77)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.74 साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति के अंतर्गत एक आईएस लेखापरीक्षा उप-समूह तैयार किया गया जिसमें आईएस लेखापरीक्षा पेशे के विशेषज्ञों और उद्योग व शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व शामिल है। उप-समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और उचित कार्रवाई के लिए सिफारिशों की जांच की जा रही है।

VI.75 स्थानीयकरण और डेटा गोपनीयता सहित डेटा अभिशासन पहलुओं की जांच डेटा अभिशासन पर एक आंतरिक अंतर-विभागीय समूह द्वारा की जा रही है। हालांकि 'डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम' अगस्त, 2023 में लागू किया गया था, लेकिन अधिनियम से संबंधित नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, और उप-समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले उनकी जांच की जाएगी।

VI.76 विभिन्न एसई में जोखिम डेटा एकत्रीकरण क्षमताओं और जोखिम रिपोर्टिंग प्रथाओं में कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए पर्यवेक्षी डीक्यूआई (एसडीक्यूआई) को विकसित किया गया था। विभिन्न विवरणियों के माध्यम से एसई द्वारा डीओएस को प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए इस एसडीक्यूआई मॉडल का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में यह मॉडल एसई-वार और समग्र एसडीक्यूआई गणना सृजित करता है। विभिन्न एसई द्वारा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार/गिरावट की पहचान करने के लिए एसडीक्यूआई स्कोर में बदलाव की निगरानी की जा रही है।

VI.77 पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए एक संरचित रुपरेखा के साथ-साथ विभाग के विभिन्न समूहों के बीच फीडबैक लूप के रूप में एक तंत्र मौजूद है।

अन्य पहलें

एसई के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण को मजबूत करने की कार्यनीति

VI.78 2020 में 'केवाईसी/एएमएल जोखिमों के लिए पर्यवेक्षी मूल्यांकन (एसएकेएआर)' रुपरेखा के माध्यम से कार्यान्वित

एसई के विशेष केवाईसी/एएमएल जोखिम मूल्यांकन, परोक्ष जोखिम मूल्यांकन के तहत एसई के कवरेज में वृद्धि; उन एसई का निरीक्षण जो पहले केवाईसी/एएमएल/आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिमों के लिए प्रत्यक्ष जांच के अधीन नहीं थे; और उभरते जोखिमों के क्षेत्रों पर विषयगत मूल्यांकन से और सुदृढ़ हुआ। पर्यवेक्षी कार्यनीति को भी प्रमुख कमियों और अननुपालन के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पुनः उन्मुख किया गया है। उक्त कार्यनीति को, विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, जैसे कि ग्राहक का यथोचित अध्यवसाय जांच व प्रणालीगत स्तर पर लेनदेन की निगरानी और लक्षित आकलन एवं एसई के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के माध्यम से केवाईसी/एएमएल/टीएफ जोखिमों को अधिक केंद्रित तरीके से कम करने के लिए पुनरुन्मुख किया गया। इसके अलावा, पर्यवेक्षी संसाधनों का अधिक कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए, छोटे एसई के डेस्कटॉप आकलन भी शुरू किए गए हैं।

धोखाधड़ी निगरानी विवरण और चोरी, सेंधमारी, डकैती व लूट विवरण

VI.79 ऊपरी लेयर, मध्य लेयर और आधार लेयर (500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार के साथ) में वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और यूसीबी को 18 नवंबर, 2024 से सीआईएमएस पर धोखाधड़ी और चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट विवरण के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग

VI.80 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख वैश्विक अधिकार क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करके और उन्हें गहरा करके अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत किया। इन प्रयासों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाना है (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2

सीमा पार सहयोग के माध्यम से पर्यवेक्षी आयामों की खोज

अत्यधिक वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ी वित्तीय प्रणाली में घरेलू और मेजबान देश के अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूहों का समेकित पर्यवेक्षण आवश्यक है। कई अधिकार क्षेत्रों में सीमा पार बैंकिंग परिचालनों के बढ़ते पैमाने और जटिलता वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। जबकि बैंक अपने व्यवसाय का विस्तार करने और निवेश आकर्षित करने के लिए अपतटीय केंद्रों का लाभ उठाते हैं, जिम्मेदार पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय परिचालन घरेलू अधिकार क्षेत्रों के मानकों को पूरा करते हैं, जिससे जोखिम संचय और संक्रमण को रोका जा सके।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए अपने मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सिद्धांत 3 (सहयोग और सहभागिता) और सिद्धांत 11 (घर-मेजबान संबंध) में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये सिद्धांत विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करते हैं, जो दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दुनिया भर में पर्यवेक्षक औपचारिक समझौतों, द्विपक्षीय आदान-प्रदान और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सीमा पार सहयोग में तेजी से शामिल हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग के महत्व को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने औपचारिक व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, जिनमें विदेशी प्राधिकरणों के साथ 47 समझौता ज्ञापन (एमओयू) शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण भारतीय बैंक संचालन वाले प्रमुख क्षेत्राधिकारों को कवर करते हैं। ये व्यवस्थाएँ प्रत्यक्ष निरीक्षण, पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और समन्वित संकट प्रतिक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती हैं।

सीमा पार बैंकिंग समूहों के पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए, सहयोग, समन्वय और सूचना साझा करने के लिए एक मंच के रूप में पर्यवेक्षी कॉलेजों को औपचारिक रूप दिया गया। रिज़र्व बैंक ने 2012 में भारतीय स्टेट

(जारी)

बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए अपना पहला पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किया, बाद में इसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक तक विस्तारित किया। ये कॉलेज भारत में द्विवार्षिक रूप से आयोजित होते हैं, जिससे घरेलू और मेजबान पर्यवेक्षकों को प्रमुख पर्यवेक्षी चिंताओं और जोखिमों को संबोधित करने में मदद मिलती है। इसी तरह, रिज़र्व बैंक भारतीय परिचालन वाले विदेशी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिनकी मेजबानी उनके संबंधित घरेलू पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती है।

वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क के पर्यवेक्षक गोलमेज का एक सक्रिय सदस्य है, जिसमें 18 क्षेत्राधिकारों की 24 एजेंसियाँ शामिल हैं। बहुपक्षीय जुड़ावों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने यू.के. के वित्तीय आचरण प्राधिकरण और प्रूडेंशियल विनियमन प्राधिकरण, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण जैसे प्राधिकरणों के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय पर्यवेक्षी आदान-प्रदान शुरू किया है। ये आदान-प्रदान जलवायु जोखिम, सुपटेक, तृतीय-पक्ष आउटसोर्सिंग और परिचालन समुत्थानशीलता सहित उभरते जोखिमों पर व्यापक ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आईटी-आधारित जोखिमों और डिजिटल धोखाधड़ी के विरुद्ध तैयारी बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक परिचालन समुत्थानशीलता और साइबर-सुरक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।

स्रोत: आरबीआई।

स्वर्ण ऋण

VI.81 हाल ही के वर्षों में स्वर्ण ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि की पृष्ठभूमि में, पर्यवेक्षण और विनियमन विभाग ने संयुक्त रूप से विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के पालन की समीक्षा की, साथ ही स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण देने के संबंध में चुनिंदा एसई द्वारा अपनाई जा रही प्रथाओं की भी समीक्षा की। समीक्षा और प्रत्यक्ष निरीक्षण के निष्कर्षों ने कई अनियमित प्रथाओं का संकेत दिया जैसे: (i) ऋण के स्रोत और मूल्यांकन के लिए अन्य पक्षकार के उपयोग में कमियां; (ii) ग्राहक की उपस्थिति के बिना सोने का मूल्यांकन; (iii) अपर्याप्त परिश्रम और अंतिम उपयोग की निगरानी का अभाव; (iv) ग्राहक द्वारा चूक किए जाने पर स्वर्ण के आभूषणों और आभूषणों की नीलामी के दौरान पारदर्शिता की कमी; (v) मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) की निगरानी में सीमाएं; और (vi) जोखिम-भार का गलत अनुप्रयोग। एसई को 30 सितंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। कि वे स्वर्ण ऋण पर अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करें ताकि कमियों की पहचान की जा सके और समयबद्ध तरीके से उचित उपचारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी करने और आउटसोर्स गतिविधियों और अन्य-पक्षकार सेवा प्रदाताओं पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भी एसई को सूचित किया गया है।

आरई के लिए साइबर सुरक्षा से संबंधित उपाय

VI.82 साइबर सुरक्षा को एक प्रमुख परिचालन जोखिम के रूप में आकलित किया जाता रहा है। साइबर घटना निगरानी रुपरेखा को अद्यतन किया गया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग पर आरई को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने और मौजूदा जोखिम शमन उपायों में सुधार करने के लिए आईटी अभिशासन, अन्य-पक्ष के आईटी सेवा प्रदाताओं और आईटी/सूचना तंत्र (आईएस) विनियमों पर तुलनात्मक अध्ययन सहित विषयगत अध्ययन किए गए। एसई की साइबर समुत्थानशीलता क्षमताओं का आकलन करने के लिए फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास जैसे उन्नत पर्यवेक्षी उपकरणों का उपयोग किया गया है। अद्यतन जोखिम वातावरण के आधार पर यूसीबी की आईएस लेखापरीक्षा, फोरेंसिक तत्परता और साइबर सुरक्षा के संशोधित दिशा-निर्देशों संबंधी रुपरेखा पर काम किया जा रहा है।

आरई में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

VI.83 रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई, 2024 को आरई के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निर्देश

जारी किए। उक्त संशोधित निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र शासन और निगरानी में बोर्ड की भूमिका को मज़बूत करते हैं। आरई में धोखाधड़ी का जल्द पता लगाने और रोकथाम के साथ-साथ कानून प्रवर्तन संस्थाओं और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्ट करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) और खातों की रेड फ्लैगिंग (आरएफए) के रुपरेखा को और सुदृढ़ किया गया है। मास्टर निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि, अब व्यक्तियों/संस्थाओं को कपटपूर्ण संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना आरई के लिए आवश्यक है और इसमें 27 मार्च, 2023 को दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये निर्देश आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंकों और एचएफ़सी पर भी लागू किए गए हैं।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.84 विभाग ने 2025-26 में सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- आरई में वैधानिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर अद्यतन/समरूप विनियामकीय निर्देशों की समीक्षा और निर्गम करना;
- साइबर जोखिमों के चुनिंदा क्षेत्रों पर विस्तृत विषयगत समीक्षा आयोजित करना;
- वित्तीय संस्थाओं के आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में एकरूपता पर अंतर-विनियामकीय कार्य दल की सिफारिशों को लागू कर एसई की साइबर समुत्थानशीलता और क्षमताओं को बढ़ाना;
- वित्तीय प्रणालियों की साइबर मैपिंग को बढ़ाना तथा चरणबद्ध तरीके से बहुक्षेत्रीय एवं बाजार-व्यापी साइबर संकट सिमुलेशन अभ्यासों का संचालन करना; और
- बेस लेयर में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा रुपरेखा को बढ़ाना।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.85 प्रवर्तन विभाग की स्थापना प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग करने, लागू कानून व्यवस्थाओं और उसके तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने और रिज़र्व बैंक में उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में नियमों और विनियमों के साथ आरई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.86 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, प्रवर्तन के लिए एक पैमाना-आधारित रुपरेखा लागू किया जाएगा (पैराग्राफ VI.87)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.87 प्रवर्तन के लिए पैमाना-आधारित रुपरेखा की व्यवहार्यता का अध्ययन और प्राप्त फीडबैक के आधार पर उसकी समीक्षा की जा रही है।

प्रमुख गतिविधियां

VI.88 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने आरई के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों और क़ानून के प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन[13] के लिए कुल ₹ 54.78 करोड़ के 353 जुर्माने लगाए (सारणी VI.4)।

VI.89 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई को युक्तिसंगत और समेकित करने के उद्देश्य से, भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत प्रवर्तन संबंधी कार्य (यानी, मौद्रिक जुर्माना और समझौता करना) को विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया और पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई के लिए रूपरेखा पर परिपत्र 30 जनवरी, 2025 जारी किया गया है।

सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई (अप्रैल 2024-मार्च 2025)

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	8	11.11
निजी क्षेत्र के बैंक	15	14.80
विदेशी बैंक	6	3.52
भुगतान बैंक	1	0.27
लघु वित्त बैंक	2	0.72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	0.59
सहकारी बैंक	264	15.63
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं/ आस्ति पुनर्निर्माण संस्थाएं	37	7.29
ऋण सूचना कंपनियां	1	0.02
आवास ऋण कंपनिया	13	0.83
कुल	**353**	**54.78**

स्रोत: आरबीआई।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.90 2025-26 के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है:

- पूर्व के अनुभव के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

5. उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.91 सीईपीडी का कार्य आरई के स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का निर्माण; आरई के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी; ओम्बुड्स्मैन कार्यालयों के माध्यम से 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बुड्स्मैन योजना, 2021' (आरबी-आईओएस) का नियंत्रण; क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण प्रकोष्ठों के निष्पादन की देखरेख; तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा[14] एवं संरक्षण पर मौजूदा विनियमों, साथ ही ग्राहक शिकायतों के निवारण के तरीकों पर जन जागरूकता पैदा करना है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.92 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे:

- शिकायत दर्ज करने में सहायता करने और निर्णयों एवं परिणामों में अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने

[13] उदाहरण के तौर पर, उनमें से कुछ में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए से संबंधित अतिक्रमण/उल्लंघन; बैंकों के साइबर सुरक्षा रुपरेखा; एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड; भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)] निर्देश, 2016; भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016; सीआरआईएलसी पर सूचना रिपोर्टिंग; ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत करना; उपभोक्ता संरक्षण-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में उपभोक्ताओं की देयता को सीमित करना; निदेशक संबंधित ऋण; आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – समकक्षीय उधार मंच (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2017 शामिल हैं।

[14] इस रिपोर्ट के अनुलग्नक III में अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के दौरान किए गए उपभोक्ता केंद्रित उपायों की सूची दी गई है।

हेतु शिकायत प्रबंधन प्रणाली में सुधार (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.93];

- आरई के लिए उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.94];
- ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण रुपरेखा को सुदृढ़ करना (पैराग्राफ VI.95);
- ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिकायतों की संख्या कम होने के कारणों का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण करना (पैराग्राफ VI.96); और
- आरई और आरबीआई ओम्बुड्स्मैन (ओआरबी आईओ) के कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पुनर्निर्देशित राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) की समीक्षा और लोकार्पण [पैराग्राफ VI.97]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.93 रिज़र्व बैंक चरणबद्ध तरीके से शिकायत प्रबंधन प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) के साथ मिलकर काम कर रहा है। चरण I में शिकायतकर्ताओं के लिए एक संवादात्मक एआई चैटबॉट प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि चरण II में शिकायतों के प्रसंस्करण के लिए अधिक उन्नत सुविधाएँ प्रयुक्त की जाएंगी।

VI.94 रिज़र्व बैंक आरई द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सुरक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स (सीओपीएएम) विकसित कर रहा है। चुनिंदा बैंकों के संबंध में मॉडल का पायलट परीक्षण वर्तमान में चल रहा है।

VI.95 जनवरी 2021 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए रुपरेखा जारी की थी। रुपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाहरी बैंकों से शिकायत निवारण की लागत की वसूली शामिल है, ताकि बैंकों को अपनी आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्राप्त अनुभव और प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मापदंडों को ठीक करने, तंत्र को मजबूत करने और संबंधित आरई को अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उक्त रूपरेखा की समीक्षा की जा रही है।

VI.96 ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से शिकायतों की कम संख्या के कारणों को समझने और इन क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर का आकलन करने के साथ-साथ भूगोल/जनसंख्या विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रमों के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान में सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है।

VI.97 नवंबर 2022 में रिज़र्व बैंक ने आरई के सहयोग से एक माह की अवधि का एनआईएपी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आबादी के अब तक वंचित और वियुक्त क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना था। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निरंतर लक्षित दृष्टिकोण के साथ उपभोक्ता जागरूकता प्रयासों को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, जनवरी 2025 से पूरे वर्ष जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शुरू किया गया है।

प्रमुख घटनाक्रम

ओआरबीआईओ में शिकायतों की प्राप्ति

VI.98 2024-25 के दौरान, ओआरबीआईओ में 2.96 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2.93 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मामूली वृद्धि दर्शाती

है। शिकायतें मुख्य रूप से बैंकों और उसके बाद एनबीएफसी, गैर-बैंकिंग प्रणाली प्रतिभागियों और सीआईसी के विरुद्ध थीं। इनमें से अधिकांश शिकायतें ऋण/अग्रिम और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों से संबंधित हैं।

जागरूकता पहल

VI.99 भारतीय रिज़र्व बैंक के ओम्बुड्स्मैन ने वर्ष 2024-25 में 47 टाउनहॉल बैठकें और 239 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक और स्त्री जैसे विशिष्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और 'डिजिटल गिरफ्तारी' के लिए सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर थीम आधारित मल्टीमीडिया अभियान चलाए गए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं से संबंधित जागरूकता पुस्तिकाएं वितरित की गईं। रिज़र्व बैंक विभिन्न धोखाधड़ी के तौर-तरीकों और अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को दर्शाने वाली एनिमेटेड लघु फिल्में जारी करने की प्रक्रिया में है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.100 2025-26 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्यों को केंद्र में रखा है :

- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठों, केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र और संपर्क केंद्र सहित 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बुड्स्मैन योजना, 2021' की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- आरईमें शिकायत निवारण रुपरेखा पर मास्टर निर्देश जारी करना; और
- शिकायतों दर्ज करने में बेहतर सहायता करने तथा निर्णयों और परिणामों में अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.101 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारतीय जमा बीमा योजना का प्रबंधन करती है। डीआईसीजीसी का उद्देश्य बैंकों के जमाकर्ताओं का संरक्षण करना और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना है, जिससे वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है। रिज़र्व बैंक से लाइसेंस-प्राप्त सभी बैंकों (वाणिज्यिक और सहकारी) के लिए जमा बीमा योजना अनिवार्य है। 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,982 थी, जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक (11 एसएफबी, छह पीबीएस, 43 आरआरबी और दो एलएबी सहित) और 1,843 सहकारी बैंक (1,457 यूसीबी, 34 एसटीसीबी और 352 डीसीसीबी) शामिल थे।

VI.102 जमाराशि बीमा की वर्तमान व्याप्ति सीमा 'समान क्षमता और समान अधिकार'[15] श्रेणी में रखे गए बैंक के जमा खातों के लिए ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता है। 30 सितंबर, 2024 तक, व्याप्ति सीमा के तहत पूरी तरह से बीमाकृत जमा खातों की संख्या 286.9 करोड़ (एक साल पहले 281.8 करोड़) थी, जो कुल खातों की संख्या का 97.7 प्रतिशत (एक साल पहले 97.9 प्रतिशत) था। मूल्य के संदर्भ में, कुल बीमाकृत जमा

[15] जमाकर्ता के पास एक या एक से अधिक प्रकार के जमा खाते, बैंक की एक या एक से अधिक शाखाओं में उसके व्यक्तिगत नाम से होने पर जमा खातों को 'समान क्षमता और समान अधिकार' श्रेणी वाले जमा खाते कहा जाता है। इसमें मालिकाना हक वाली संस्था के नाम पर रखी गई जमा राशि भी शामिल है, जहां जमाकर्ता एकमात्र मालिक है। यदि जमाकर्ता के पास किसी फर्म के भागीदार/नाबालिग के अभिभावक/कंपनी के निदेशक/ट्रस्ट के ट्रस्टी/संयुक्त खाते के रूप में बैंक की एक या एक से अधिक शाखाओं में जमा खाते हैं, तो ऐसे खातों को अलग-अलग क्षमता और अलग-अलग अधिकार में रखा गया माना जाता है। संयुक्त खातों के मामले में, यदि व्यक्ति एक से अधिक संयुक्त खाते खोलते हैं, जिनमें उनके नाम एक ही क्रम में नहीं हैं या व्यक्तियों का समूह अलग-अलग है, तो इन संयुक्त खातों में जमा राशि को अलग-अलग क्षमता और अलग-अलग अधिकार की जमाराशि माना जाता है।

राशि ₹96,74,623 करोड़ (पिछले वर्ष ₹90,32,340 करोड़) थी, जो मूल्यांकन योग्य जमाराशि[16] का 42.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष 44.2 प्रतिशत) थी। 30 सितंबर, 2024 तक आरक्षित अनुपात (यानी जमा बीमा निधि/बीमाकृत जमा) 2.21 प्रतिशत (पिछले वर्ष 2.02 प्रतिशत) था। वर्तमान में, वर्ष 2024-25, के अनुसार, व्याप्ति सीमा प्रति व्यक्ति जीडीपी का 2.5 गुना है।

VI.103 डीआईसीजीसी जमा बीमा प्रदान करने के लिए बैंकों को कुल मूल्यांकन योग्य जमा पर प्रति वर्ष 0.12 प्रतिशत की एक फ्लैट दर प्रीमियम लगाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम ₹ 26,764 करोड़ था, जिसमें साल-दर-साल 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

VI.104 डीआईसीजीसी के पास, परिसमापन/विलय में लिए गए या सर्व-समावेशी निर्देशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए एक जमा बीमा कोष (डीआईएफ) है। उक्त कोष का निर्माण इसके अधिशेष, अर्थात अधिशेषी आय(मुख्य रूप से बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों के परिसमापन से नकद वसूली) के हस्तांतरण के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, निगम द्वारा निपटाए गए कुल दावे ₹476 करोड़ थे, जो सर्व-समावेशी निर्देशों के तहत परिसमाप्त/स्थापित सभी 43 यूसीबी के लिए थे। 31 मार्च, 2025 तक डीआईएफ का आकार ₹2,28,933 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2024 के ₹1,98,753 करोड़ की तुलना में 15.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।

6. निष्कर्ष

VI.105 रिज़र्व बैंक ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के विनियामकीय और पर्यवेक्षी रुपरेखा को और सुदृढ़ करके वित्तीय प्रणाली के संरक्षण के लिए कई उपाय किए। इसी क्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने के अलावा, विनियमित संस्थाओं में विनियमनों के युक्तिकरण और सामंजस्य; बैंकों के जलवायु जोखिम पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी करने; वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदारी और नैतिक रूप से अपनाने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने; एससीबी के चलनिधि दबाव परीक्षणों को सुदृढ़ करने; और यूसीबी/एनबीएफसी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में स्थानांतरण की भी जाँच करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएँगे। साथ ही, एआई के उपयोग की संभाव्यताओं सहित मौजूदा शिकायत प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर करना केंद्र में रहेगा।

[16] कर निर्धारणीय जमाराशि में (i) विदेशी सरकारों की जमाराशि; (ii) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशि; (iii) अंतर-बैंक जमाराशि; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि; और (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशि के अलावा समस्त बैंक जमाराशि शामिल हैं।

VII लोक ऋण प्रबंधन

केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बाज़ार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) प्रतिफल और संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में कमी आई। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई। वर्ष के दौरान सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) और अति-दीर्घकालिक प्रतिभूति निर्गम जारी रहा।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू ऋण का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को तीन माह तक की अवधि के लिए अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 कम सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी) के कारण वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार का बाज़ार उधार कम हो गया। रिज़र्व बैंक ने लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के तीन व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को गैर-विघटनकारी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया। केंद्र सरकार के लिए बाज़ार उधार का भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) वर्ष के दौरान 28 आधार अंकों (बीपीएस) तक कम हो गया। रोलओवर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से वर्ष 2024-25 के दौरान एसजीआरबी भी जारी किया।

VII.3 शेष अध्याय को तीन खंडों में व्यवस्थित किया गया है। खंड 2 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ वर्ष 2024-25 की कार्य-सूची के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। खंड 3 में वर्ष 2025-26 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है, इसके बाद अंतिम खंड में निष्कर्ष है।

2. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

VII.4 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण के समेकन के साथ-साथ जी-सेक बाज़ार में चलनिधि बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों को फिर से जारी करना (पैराग्राफ VII.5-VII.6);
- सहज तरीके से डिपॉजिटरी द्वारा जी-सेक के मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का विकास (पैराग्राफ VII.7);
- अस्थायी दर बचत बॉण्ड (एफ़आरएसबी) और सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीबी) योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.8); और

- अतिरिक्त भुगतान विकल्प प्रदान करके आरबीआई 'खुदरा प्रत्यक्ष' पोर्टल के यूजर इंटरफेस में और सुधार करना (पैराग्राफ VII.9)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.5 रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सकल बाज़ार उधार को ₹24.7 लाख करोड़ तक सफलतापूर्वक पूरा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.0 प्रतिशत कम था। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों के 118 निर्गमों (85.6 प्रतिशत) में से 101 पुन: निर्गम हुए, जबकि पिछले वर्ष में 149 निर्गमों (90.6 प्रतिशत) में से 135 पुन: निर्गम हुए थे। सक्रिय ऋण समेकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹1.50 लाख करोड़ की बजटीय राशि के मुकाबले ₹1.47 लाख करोड़ की राशि के स्विच पूरे किए गए। इसके अलावा, प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से ₹1.18 लाख करोड़ की अल्पकालिक प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पूरी की गई।

VII.6 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न परिपक्वता समूह की प्रतिभूतियों चाहने वाले विभिन्न निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार के बाज़ार उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 3-वर्ष से 50-वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की प्रतिभूतियां जारी की गईं। बाज़ार से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाज़ार प्रथाओं के अनुरूप, 14-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति के स्थान पर वर्ष के दौरान 15-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति जारी करना शुरू किया गया। वर्ष के दौरान एसजीआरबी कुल ₹21,697 करोड़ (10-वर्ष की अवधि में ₹11,697 करोड़ और 30-वर्ष की अवधि में ₹10,000 करोड़) के लिए जारी किए गए।

VII.7 विभिन्न डिपॉजिटरी के डीमैट खाताधारकों के बीच स्टॉक एक्सचेंजों में निष्पादित अंतर-डिपॉजिटरी लेन-देन के निपटान की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने पहले एक विकसित वीएफटी मॉड्यूल शुरू किया। प्रक्रिया को सरल बनाने और लोगों के हस्तक्षेप को हटाने के लिए, रिज़र्व बैंक और डिपॉजिटरी के बीच प्रणाली को जोड़ते हुए एपीआई विकसित किया गया, जो अब विभिन्न डिपॉजिटरी के डीमैट खाताधारकों के बीच निष्पादित अंतर-डिपॉजिटरी व्यापार के निपटान के लिए डिपॉजिटरी के बीच जी-सेक के निर्बाध अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

VII.8 अस्थायी दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) [एफ़आरएसबी, 2020 (टी)] - परिचालन दिशानिर्देशों ने इन बॉण्डों के निर्गम और सर्विसिंग के संबंध में प्राप्तकर्ता कार्यालयों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया। एफआरएसबी योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है और संशोधित दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

VII.9 आरबीआई का 'रिटेल डायरेक्ट' मोबाइल एप्लिकेशन 28 मई 2024 को खुदरा निवेशकों के लिए जी-सेक में निवेश की सुगमता और पहुँच में आसानी के लिए लॉन्च किया गया था। मोबाइल एप्लिकेशन ऐप के प्राथमिक बाज़ार और द्वितीयक बाज़ार मॉड्यूल के बीच निर्बाध पहुँच के लिए एकल साइन-ऑन सुविधा प्रदान करता है। 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन में उपलब्ध भुगतान के तरीकों का और विस्तार करने के लिए, यूपीआई सिंगल-ब्लॉक-एंड-सिंगल-डेबिट सुविधा शुरू की गई, जो निवेशकों को लेनदेन को पूर्व-अधिकृत करने और जी-सेक की प्राथमिक नीलामी, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) और खज़ाना बिल (टी-बिल) में बोलियों के संबंध में निर्धारित समय सीमा के अनुसार डेबिट के लिए अपने खातों में धन को ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख गतिविधियां

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.10 वर्ष 2024-25 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) का सकल और निवल

सारणी VII.1: केंद्र सरकार के बाज़ार उधार

(₹ करोड़)

मदें	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधार	11,27,382 (4.8)	14,21,000 (5.3)	15,43,000 (5.3)	14,00,697 (4.2)
निवल बाज़ार उधार (i से iv)#	9,29,351 (3.9)	11,74,375 (4.4)	12,28,805 (4.2)	10,81,598 (3.3)
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ@	8,63,103	11,08,261	11,80,456	11,62,879
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	45,439	-23,798	20,164	72,713
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	71,252	52,426	15,982	-55,896
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	-50,444	37,487	12,203	-98,098

@: वापसी-खरीद/स्विच के समायोजन के बाद, वर्ष 2024-25 के दौरान निवल बाज़ार उधार ₹9,93,233 करोड़, 2023-24 में ₹12,26,101 करोड़, 2022-23 में ₹11,71,951 करोड़ और 2020-21 में ₹9,29,060 करोड़ रहा।
#: वापसी-खरीद/स्विच को समायोजित किए बिना।
टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।
स्रोत: आरबीआई, केंद्रीय बजट और एमओएसपीआई।

बाज़ार उधार दोनों पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 9.2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत कम रहा। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 12.0 प्रतिशत कम रहा (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.11 वर्ष के दौरान जारी किए गए जी-सेक का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में 28 आधार अंक कम हो गया, जबकि पूरे बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में 4 आधार अंक की कमी आई। प्राथमिक निर्गमों का भारित औसत परिपक्वता और बकाया ऋण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया (सारणी VII.2)।

VII.12 वर्ष 2024-25 के दौरान प्राथमिक डीलरों (पीडी) पर न्यागमन के दो उदाहरण थे, जबकि पिछले वर्ष में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। ₹6,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए सभी बोलियों को स्वीकार नहीं करने का और ₹6,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए ₹1,695 करोड़ रुपये की बोलियों की आंशिक स्वीकृति का एक उदाहरण था।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में प्रतिफल की अंतिम सीमा			वर्ष के दौरान जारी^			बकाया स्टॉक#	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा@	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26
2023-24	6.89-7.39	6.98-7.40	7.07-7.57	7.24	3-50	18.09	12.54	7.29
2024-25	6.61-7.25	6.69-7.19	6.78-7.34	6.96	3-50	20.66	13.24	7.25

@: निर्गम की अवशिष्ट परिपक्वता और आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।
*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर। ^: स्विच नीलामी को छोड़कर। #: स्विच नीलामी सहित।
स्रोत: आरबीआई।

VII.13 वर्ष के दौरान विभिन्न कारकों जैसे मुद्रास्फीति में गिरावट, मौद्रिक नीति में सहजता की अपेक्षा, राजकोषीय समेकन की निरंतरता, रिज़र्व बैंक के चलनिधि अंतर्वेशन उपाय, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में जी-सेक को शामिल करने के कारण एफपीआई निवेश में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सहजता की शुरुआत से जी-सेक प्रतिफल में कमी आई (अध्याय II का खंड 5 देखें)। कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 में 10-वर्षीय प्रतिफल में 45 बीपीएस की कमी आई (चार्ट VII.1)।

VII.14 वर्ष 2024-25 के दौरान, बाज़ार उधार का लगभग 55.3 प्रतिशत दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से जुटाया गया, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता 10 वर्ष और उससे अधिक थी, जबकि पिछले वर्ष में यह 52.1 प्रतिशत थी (सारणी VII.3)।

खज़ाना बिल (टी-बिल)

VII.15 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) जारी करके पूरा किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, एटीबी (91,182 और 364 दिवसीय) का निवल अल्पकालिक निर्गम पिछले वर्ष के ₹48,349 करोड़ के मुकाबले घटकर ₹ (-)81,281 करोड़ हो गया।

चार्ट VII.1: एफ़बीआईएल अर्ध-वार्षिक समतुल्य प्रतिफल वक्र

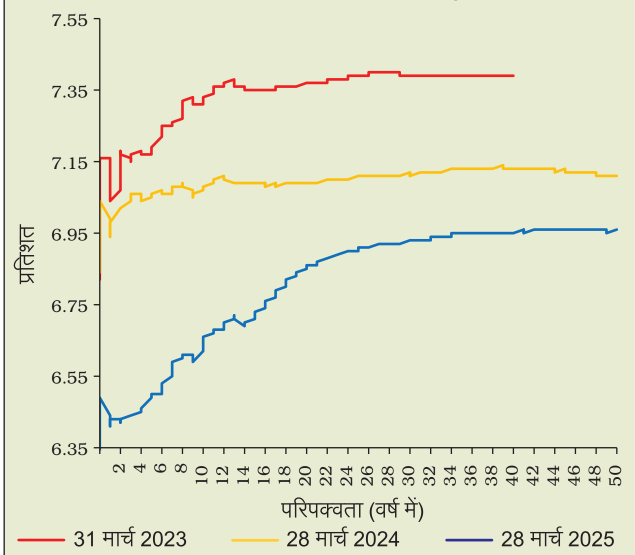

स्रोत: एफ़बीआईएल।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.16 वाणिज्यिक बैंक मार्च 2025 के अंत तक 36.4 प्रतिशत के साथ जी-सेक [टी-बिल और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, इसके बाद बीमा कंपनियां (24.3 प्रतिशत), भविष्य निधि (10.6 प्रतिशत) और रिज़र्व बैंक (8.1 प्रतिशत) हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 1.9 फीसदी रही। जी-सेक (टी-बिल और एसजीएस सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान, कॉरपोरेट और अन्य शामिल हैं।

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2022-23		2023-24		2024-25	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	2.7	19.0	2.5	16.5	1.9	13.4
5 - 9.99 वर्ष	4.6	32.1	4.8	31.4	4.4	31.3
10-14.99 वर्ष	2.9	20.1	2.8	17.8	2.1	15.5
15 वर्ष और अधिक	4.1	28.8	5.3	34.3	5.6	39.8
कुल	**14.2**	**100.0**	**15.4**	**100.0**	**14.0**	**100.0**

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।
स्रोत: आरबीआईई।

प्राथमिक डीलर (पीडी)

VII.17 पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 एकल पीडी (एसपीडी)] रही। पीडी के पास दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करने का अधिदेश है जबकि उनका लक्ष्य टी-बिलों/नकद प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामियों के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करना है। पीडी ने वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 66.7 प्रतिशत और वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 64.2 प्रतिशत का औसत सफलता अनुपात हासिल किया। टी-बिल की नीलामी में पीडी की राशि की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 के दौरान 74.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष में यह 69.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी के लिए जीएसटी सहित पीडी को भुगतान किया गया कमीशन वर्ष 2023-24 के दौरान ₹48.5 करोड़ की तुलना वर्ष 2024-25 में ₹15.8 करोड़ रहा।

अस्थायी दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) [एफ़आरएसबी 2020 (टी)] योजना

VII.18 वर्ष के दौरान, [एफआरएसबी, 2020 (टी)] जारी करके ₹5,503 करोड़ जुटाए गए; इसमें से ₹346 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक के 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के जरिये जुटाए गए।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.19 केंद्र सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा वर्ष 2024-25 की पहली और दूसरी छमाही के लिये क्रमशः ₹1.5 लाख करोड़ और ₹0.5 लाख करोड़ तय की गई थी। केंद्र सरकार का नकद शेष वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अधिशेष में रहा। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के 24 दिनों की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान 8 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए का सहारा लिया (चार्ट VII.2)।

विदेशी सेंट्रल बैंक (एफ़सीबी) योजना के तहत निवेश

VII.20 एफसीबी योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वितीयक जी-सेक बाज़ार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से भारतीय जी-सेक में निवेश करता है। इन

चार्ट VII.2: भारत सरकार की नकद संतुलन स्थिति

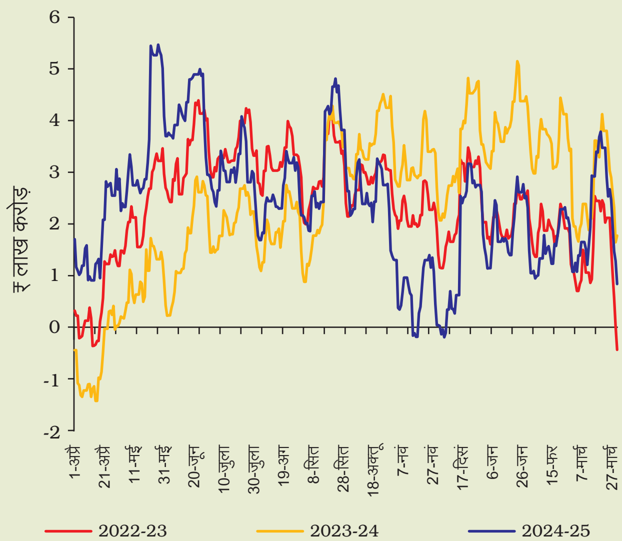

स्रोत: आरबीआई।

संस्थानों की ओर से लेन-देन की कुल मात्रा वर्ष 2024-25 के दौरान ₹730 करोड़ (अंकित मूल्य) रही, जबकि पिछले वर्ष में यह ₹920 करोड़ (अंकित मूल्य) थी।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.21 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा से अधिकांश राज्यों को बाहर करने के लिए 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की बाज़ार उधारी में वृद्धि हुई। राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाज़ार उधार की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 (बीई) में बढ़कर 79 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष 2023-24 (आरई) में 75.5 प्रतिशत थी।

VII.22 वर्ष 2024-25 में राज्यों की सकल बाज़ार उधारी तिमाही संकेतक कैलेंडर में इंगित राशि का 81.9 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 में 835 निर्गम हुए; इनमें से 100 पुनर्निर्गम थे (वर्ष 2023-24 में 782 निर्गम हुए, जिनमें से 49 पुनर्निर्गम थे) [सारणी VII.4]।

VII.23 वर्ष 2024-25 के दौरान एसजीएस निर्गम की भारित औसत निर्दिष्ट कूपन दर पिछले वर्ष के 7.52 प्रतिशत से गिरकर 7.20 प्रतिशत हो गई। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की

सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों का बाजार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृति	8,95,166	8,80,779	11,29,295	11,73,714
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	7,01,626	7,58,392	10,07,058	10,73,310
वर्ष के दौरान मोचन	2,09,143	2,39,562	2,89,918	3,19,965
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	4,92,483	5,18,830	7,17,140	7,53,345
कुल संस्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	78.4	86.1	89.2	91.4
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में)#	44,10,254	49,29,083	56,46,222	63,99,567

#: *उज्ज्वल* डिस्कॉम आश्वासन *योजना* (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।
स्रोत: आरबीआई।

तुलनीय परिपक्वता पर एसजीएस निर्गम का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएएस) पिछले वर्ष में 31 आधार अंक की तुलना में वर्ष 2024-25 में 30 आधार अंक रहा। वर्ष 2024-25 में, 25 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 वर्ष के अलावा अन्य अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जो 2 से 35 वर्ष तक की थीं। 10-वर्ष की अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड वर्ष 2023-24 में 3 आधार अंक की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4 आधार अंक रहा।

VII.24 वर्ष 2024-25 के दौरान, 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.25 रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीएफ और डब्ल्यूएमए के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय समायोजन की सीमाओं की समीक्षा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की समीक्षा पर समूह और समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) पर कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई (बॉक्स VII.1)। संशोधित एसडीएफ़/डब्ल्यूएमए सीमाएं 1 जुलाई 2024 से प्रभावी की गई।

बॉक्स VII.1
राज्य सरकारों के लिए वित्तीय समायोजन सुविधाओं की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार, रिज़र्व बैंक राज्यों को उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगति से निपटने के लिए अग्रिम देने की तारीख से तीन माह से अनधिक अल्पावधि वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।

वर्तमान में, रिज़र्व बैंक से राज्यों को वित्तीय समायोजन सुविधाएं एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी के रूप में उपलब्ध हैं। एसडीएफ राज्यों को सीएसएफ/जीआरएफ/नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में उनके निवेश के बदले रियायती दरों[1] पर उपलब्ध एक संपार्श्विक सुविधा है। डब्ल्यूएमए और ओडी असंपार्श्विक सुविधाएं हैं जो एसडीएफ़ के लिए लागू दरों से अधिक दरों[2] पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों को उपलब्ध वित्तीय समायोजन सुविधाओं का लाभ पहले एसडीएफ से लिया जा सकता है जिसके बाद डब्ल्यूएमए और ओडी आते हैं।

(जारी)

[1] सीएसएफ/जीआरएफ में निवेश के बदले एसडीएफ रेपो दर से 200 बीपीएस कम पर उपलब्ध है। जबकि एटीबी में निवेश के बदले एसडीएफ रेपो दर से 100 बीपीएस कम पर उपलब्ध है।

[2] अग्रिम भुगतान की तिथि से 3 माह तक बकाया डब्ल्यूएमए अपनी पूर्व-निर्धारित सीमा तक प्रचलित रेपो दर पर उपलब्ध है, जबकि अग्रिम भुगतान की तिथि से 3 महीने से अधिक बकाया डब्ल्यूएमए रेपो दर से 100 अधिक पर उपलब्ध है। डब्ल्यूएमए सीमा से परे ओडी प्रचलित रेपो से 200 बीपीएस अधिक पर उपलब्ध है और यदि ओडी डब्ल्यूएमए सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक है तो प्रचलित रेपो दर से 500 बीपीएस अधिक पर उपलब्ध है।

6 जुलाई 2023 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 33वें सम्मेलन के दौरान, सदस्यों ने महामारी के बाद व्यय में वृद्धि के कारण डब्ल्यूएमए सीमाओं में संशोधन का अनुरोध किया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने नवीनतम व्यय आंकड़ों के आधार पर राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमाओं की समीक्षा करने के लिए चुनिंदा राज्य वित्त सचिवों के एक समूह का गठन किया। समूह ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण किया और सुधीर श्रीवास्तव समिति[3] द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के आधार पर, राज्यों के लिए कुल डब्ल्यूएमए सीमा को ₹47,010 करोड़ की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर ₹60,118 करोड़ करने की सिफारिश की। समूह की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने सभी राज्यों और यूटी की डब्ल्यूएमए सीमाओं को संशोधित किया। इसके अलावा, सीएसएफ और जीआरएफ पर कार्य समूह[4] की सिफारिशों के आधार पर, सीएसएफ/जीआरएफ/एटीबी में उनके निवेश के प्रति राज्य सरकारों की एसडीएफ सीमाएं निर्धारित करने की पद्धति को भी संशोधित किया गया। सीएसएफ/जीआरएफ के तहत किए गए निवेशों के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली एसडीएफ की संशोधित अधिकतम सीमा निम्नलिखित के 50 प्रतिशत से कम होगी (i) दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की अंतिम तिथि को निधियों का बकाया शेष, और (ii) सीएसएफ/जीआरएफ में धारित वर्तमान शेष। एटीबी में रखे गए निवेशों के लिए, एसडीएफ़ की अधिकतम सीमा निम्नलिखित के 50 प्रतिशत से कम होगी (i) दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की अंतिम तिथि को एटीबी में बकाया शेष (91/182/364 दिन), और (ii) वर्तमान एटीबी शेष।

स्रोत: आरबीआई।

VII.26 किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा रखा जाने वाले आवश्यक न्यूनतम से अधिक दिन के अंत में अधिशेष नकदी शेष 14 दिनों के आईटीबी में स्वतः निवेश किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के अंतर्गत प्राथमिक नीलामियों के माध्यम से एटीबी में निवेश करने की भी अनुमति दी गई है। आईटीबी में बकाया निवेश वर्ष 2024-25 के दौरान कम हुआ (सारणी VII.5)।

VII.27 पांच राज्यों के लिए नकदी और ऋण प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए। इसके अलावा, जनवरी 2025 में पुणे स्थित रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में दो दिवसीय सीबीपी भी आयोजित किया गया, जिसमें 14 राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया।

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)/गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) और बजट स्थिरीकरण निधि (बीएसएफ) में निवेश

VII.28 रिज़र्व बैंक राज्यों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं - सीएसएफ और जीआरएफ का प्रबंधन करता है। वर्तमान में, 25 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने सीएसएफ की स्थापना की है, जबकि 21 राज्य और एक केंद्र शासित

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च को बकाया				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	2,05,230	2,16,272	2,12,758	2,66,805	1,88,072
एटीबी	41,293	87,400	58,913	51,258	88,781
कुल	**2,46,523**	**3,03,672**	**2,71,671**	**3,18,063**	**2,76,853**

स्रोत: आरबीआई।

[3] राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने 24 मार्च 2021 को रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट सौंपी।

[4] सीएसएफ/जीआरएफ की समीक्षा के लिए कार्य समूह का गठन 7 जुलाई 2022 को आयोजित 32वीं राज्य वित्त सचिवों की बैठक के दौरान किया गया था।

प्रदेशों ने जीआरएफ की स्थापना की। सीएसएफ/जीआरएफ के अलावा, रिज़र्व बैंक ओडिशा राज्य सरकार के लिए बीएसएफ का प्रबंधन भी करता है। मार्च 2025 के अंत तक सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹2,40,348 करोड़ और ₹16,019 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह क्रमश: ₹2,06,441 करोड़ और ₹12,259 करोड़ था।

3. वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VII.29 वर्ष 2025-26 के दौरान, ऋण प्रबंधन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्य के साथ संचालित करने का प्रस्ताव है:

- आरबीआई 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल/एप्लिकेशन के तहत खुदरा निवेशकों के लिए बोली और भुगतान विकल्पों का विस्तार करना; और
- डी-मैट खातों और रिटेल डायरेक्ट गिल्ट(आरडीजी) खातों में जी-सेक के निर्बाध अंतरण के लिए एपीआई सुविधा का विस्तार।

4. निष्कर्ष

VII.30 वर्ष के दौरान, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के बाज़ार उधार सफलतापूर्वक पूरे किए गए। वर्ष 2025-26 के लिए बाज़ार उधार कार्यक्रम को सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों और उभरती बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बाज़ार उधार कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना जारी रखेगा।

VIII मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2024-25 के दौरान मुद्रा प्रबंधन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। संचलनगत स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना, बैंकनोट उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाए रखना, अनुसंधान द्वारा बैंकनोटों की प्रामाणिकता सुदृढ़ करना और बैंकनोटों की भावी मांग की आकलन प्रविधियों में सुधार लाना, मुख्य प्राथमिकताएं रहीं।

VIII.1 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक जनता द्वारा नकदी की मांग को पूरा करने हेतु स्वच्छ बैंकनोटों और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेने की प्रक्रिया वर्ष के दौरान जारी रही। देश में, मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण की योजना को वर्ष के दौरान आगे बढ़ाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सहयोग से मुद्रा परितंत्र में उपयोग की जा रही नोट छंटाई मशीनों (एनएसएम) को मानकीकृत किया गया। बैंकनोट के टुकड़ों के सतत उपयोग पर मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) द्वारा शुरू की गई एक अनुसंधान परियोजना के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इस प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

VIII.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय के बाकी हिस्से को पाँच खंडों में व्यवस्थित किया गया है। खंड 2 में 2024-25 की कार्य सूची के कार्यान्वयन की स्थिति को शामिल किया गया है, इसके बाद खंड 3 में अन्य प्रयासों के अतिरिक्त संचलनगत मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) की गतिविधियों के बारे में जानकारी खंड 4 में दी गई है। 2025-26 के लिए विभाग की कार्यसूची खंड 5 में दी गई है और उसके साथ समापन टिप्पणियां दी गई हैं।

2. 2024-25 की कार्यसूची

VIII.3 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना की आधुनिकीकरण परियोजना को आगे बढ़ाना (पैराग्राफ VIII.4);
- करेंसी नोट ब्रिकेट्स का अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल निपटान की खोज करना (पैराग्राफ VIII.5);
- नीतियों को दुरुस्त करना तथा आम जनता को बैंकनोट/सिक्कों की आपूर्ति में सुधार के लिए उपाय शुरू करना (पैराग्राफ VIII.6); तथा
- देश भर में बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली नोट छंटाई मशीनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी तकनीकी मानकों का कार्यान्वयन (पैराग्राफ VIII.7)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VIII.4 रिज़र्व बैंक ने, नेटवर्क इष्टतमीकरण (ऑप्टिमाइजेशन), तकनीकी समाधान, स्वचालन और करोबार प्रक्रिया पुनर्यन्त्रीकरण का उपयोग कर, देश में मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के पुनर्निमाण और आधुनिकीकरण के लिए कई हितधारकों को शामिल करते हुए *'स-मुद्रा'* (मुद्रा के साथ) परियोजना शुरू की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बेहतर प्रक्रिया दक्षता, स्वच्छ नोट नीति का प्रवर्तन, बेहतर सुरक्षा और मुद्रा प्रबंधन परिचालन

में हरित बदलाव लाना है। इस परियोजना को लागू करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है। इस परियोजना की व्यापकता और जटिलताओं को देखते हुए, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

VIII.5 गंदे बैंकनोटों के निपटान के लिए सतत मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, विभाग ने बैंकनोट के टुकड़ों के वैकल्पिक उपयोग की पहचान करने के लिए एक परियोजना शुरू की। अनुसंधान और क्षेत्र स्तरीय परीक्षणों के बाद, यह स्थापित हो गया है कि बैंकनोट के टुकड़ों का उपयोग पार्टिकल बोर्ड के निर्माण के लिए कच्चे माल के पूरक के रूप में किया जा सकता है। तदनुसार, पार्टिकल बोर्ड निर्माताओं को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है जो अपने बोर्डों में लकड़ी के कणों के आंशिक प्रतिस्थापन में कच्चे माल के रूप में अंतिम उपयोग के लिए ब्रिकेट खरीदेंगे (बॉक्स VIII .1)।

बॉक्स VIII.1
बैंकनोट के टुकड़ों/ ब्रिकेट्स का टिकाऊ उपयोग

बैंकनोट पेपर सब्सट्रेट में निहित सामग्री जैसे कि सुरक्षा धागे और फाइबर, सुरक्षा स्याही और बैंकनोट छपाई में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य रसायनों के पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए; रिज़र्व बैंक बैंकनोट ब्रिकेट के निपटान के लिए टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधान तलाश रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में वार्षिक उत्पादित बैंकनोट ब्रिकेट की मात्रा लगभग 15,000 टन रही है।

बैंकनोट के टुकड़ों के निपटान की वर्तमान वैश्विक प्रथाएं

वैश्विक स्तर पर, केंद्रीय बैंकों के साथ-साथ मुद्रा संचलन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अन्य प्राधिकरण बैंकनोट के टुकड़ों के निपटान के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, जिनमें से अधिकांश उन्हें जमीन भराई में या भस्मीकरण के माध्यम से निपटाते हैं (चार्ट1)। हालाँकि, ये तरीके हमेशा पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं और मिट्टी को प्रभावित कर सकते हैं और/या बैंकनोटों की रासायनिक और तात्विक प्रकृति पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती है।

जमीन भराई में बैंकनोट के टुकड़ों को फेंकने, उन्हें ईंधन के विकल्प के रूप में जलाने, जैसी पुरानी निपटान विधियों की तुलना में, टिकाऊ वस्तुओं (जैसे- बोर्ड पैनल, सजावट की सामग्री, पार्टिकल बोर्ड फर्नीचर और ध्वनिक उपकरणों) के निर्माण के लिए गंदे बैंकनोट के टुकड़ों का पुनरुपयोग अधिक टिकाऊ पाया गया है।

काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडब्ल्यूएसटी) के साथ अध्ययन परियोजना

विभाग ने आईडब्ल्यूएसटी[1] से एक अध्ययन की मांग की जिसका विषय था- 'पार्टिकल बोर्ड के निर्माण में काष्ठ-कणों के एवज में बैंकनोट ब्रिकेट के उपयोग की उपयुक्तता की जाँच'। इस अध्ययन ने स्थापित किया कि मुद्रा

चार्ट 1: बैंकनोट टुकड़ों के विभिन्न उपयोग

स्रोत: मेसर्स रॉयल डच कुस्टर्स इंजीनियरिंग, 'बैंकनोट श्रेड/ब्रिकेट्स का अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति पिरामिड (निपटान की मूल्य श्रृंखला), नीदरलैंड'।

के ब्रिकेट कणों से बनाए गए पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने पार्टिकल बोर्ड निर्माताओं को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो अपने बोर्ड में लकड़ी के कणों के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में अंतिम उपयोग के लिए ब्रिकेट खरीदेंगे। आगे बढ़ते हुए, विभाग बैंकनोट के टुकड़ों/ ब्रिकेट्स के निपटान के लिए अधिक पर्यावरण-अनुकूल तरीके खोजने की दिशा में अपना सक्रिय प्रयास जारी रखेगा।

स्रोत: आरबीआई।

[1] काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

VIII.6 रिज़र्व बैंक ने सिक्कों के प्रसार में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं, जैसे कि चल सिक्का वाहन (एमसीवी) के माध्यम से उनका वितरण और कम मूल्यवर्ग के नोटों से उनका विनिमय, सिक्का मेला और छोटे थैलों में सिक्कों की मूल्य-आधारित पैकेजिंग।

VIII.7 स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों में स्थापित एनएसएम के लिए 'नोट सत्यापन और फिटनेस सॉर्टिंग मानक' पर निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, बैंकों द्वारा उपयोग किए जा रहे एनएसएम के अमानकीकरण के कारण बैंकनोटों की छंटाई में एकरूपता का अभाव देखा गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए, रिज़र्व बैंक की पहल पर, बीआईएस ने मार्च 2024 में 'आईएस 18663: 2024 - नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) विनिर्देश' तैयार किया और जारी किया। मानकों और प्रदर्शन परीक्षण मापदंडों को पूरा करने वाले एनएसएम के प्रमाणन के लिए बीआईएस की प्रयोगशाला सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे केवल ऐसे एनएसएम मॉडल स्थापित करें जो इन मानकों के अनुरूप हों और 1 नवंबर 2025 से बीआईएस द्वारा विधिवत सत्यापित हों।

3. संचलनगत मुद्रा से जुड़ी गतिविधियां

VIII.8 संचलनगत मौजूद मुद्रा में बैंकनोट, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) और सिक्के शामिल हैं। वर्तमान में, संचलनगत बैंकनोटों में ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 के मूल्यवर्ग के बैंकनोट शामिल हैं। रिज़र्व बैंक अब ₹2, ₹5 और ₹2000 मूल्यवर्गों के बैंकनोट नहीं छाप रहा है। संचलनगत मौजूद सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 मूल्यवर्गों के सिक्के शामिल हैं ।

बैंकनोट

VIII.9 वर्ष 2024-25 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.1)। 2024-25 के दौरान, ₹500 के बैंकनोटों

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंकनोट (मार्च के अंत में)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (लाख में)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,10,843	1,10,547	1,10,352	4,263	4,249	4,239
	(8.1)	(7.5)	(7.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
10	2,62,123	2,49,506	2,53,590	26,212	24,951	25,359
	(19.2)	(17.0)	(16.4)	(0.8)	(0.7)	(0.7)
20	1,25,802	1,33,973	1,38,398	25,160	26,795	27,680
	(9.2)	(9.1)	(8.9)	(0.8)	(0.8)	(0.8)
50	85,716	89,783	98,959	42,858	44,892	49,480
	(6.3)	(6.1)	(6.4)	(1.3)	(1.3)	(1.3)
100	1,80,584	2,05,656	2,27,891	1,80,584	2,05,656	2,27,891
	(13.3)	(14.0)	(14.7)	(5.4)	(5.9)	(6.2)
200	62,620	77,108	86,754	1,25,241	1,54,215	1,73,509
	(4.6)	(5.2)	(5.6)	(3.7)	(4.4)	(4.7)
500	5,16,338	6,01,770	6,34,458	25,81,690	30,08,847	31,72,287
	(37.9)	(41.0)	(40.9)	(77.1)	(86.5)	(86.0)
2000	18,111	410	318	3,62,220	8,202	6,366
	(1.3)	(0.03)	(0.02)	(10.8)	(0.2)	(0.2)
कुल	**13,62,137**	**14,68,754**	**15,50,720**	**33,48,228**	**34,77,805**	**36,86,811**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

की हिस्सेदारी 86 प्रतिशत थी, जो मूल्य के संदर्भ में मामूली रूप से कम हुई। मात्रा के संदर्भ में, ₹500 मूल्यवर्ग का बैंकनोट संचलनगत कुल बैंकनोटों का 40.9 प्रतिशत (सर्वाधिक) था, इसके बाद ₹10 मूल्यवर्ग का बैंकनोट 16.4 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर था। कम मूल्यवर्ग के बैंकनोट (₹10, ₹20 और ₹50) मिलकर मात्रा के हिसाब से संचलनगत कुल बैंकनोटों का 31.7 प्रतिशत हिस्सा थे।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेना

VIII.10 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, ₹2000 के नोटों को संचलन से वापस लेने की प्रक्रिया वर्ष के दौरान जारी रही और घोषणा के समय संचलन में रहे 3.56 लाख करोड़ रुपये का 98.2 प्रतिशत 31 मार्च 2025 तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। ₹2000 के नोटों को बदलने और जमा करने की सुविधा वर्तमान में रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों[2] में उपलब्ध है। ₹2000 रुपये के नोटों को भारत में बैंक खातों में जमा करने के लिए भारतीय डाक के माध्यम से भी 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को भी भेजा जा सकता है।

सिक्के

VIII.11 वर्ष 2024-25 के दौरान संचलनगत सिक्कों के मूल्य और मात्रा क्रमशः 9.6 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत बढ़े (सारणी VIII.2)। 31 मार्च 2025 तक, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के कुल संचलनगत सिक्कों की मात्रा का 81.6 प्रतिशत थे, जबकि मूल्य के संदर्भ में, इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 64.2 प्रतिशत था।

संचलनगत e₹

VIII.12 वर्ष 2024-25 के दौरान संचलनगत e₹ का मूल्य 334 प्रतिशत बढ़ गया (सारणी VIII.3)।

मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना

VIII.13 मुद्रा (अर्थात् बैंकनोट और सिक्के) जारी करने और उनके प्रबंधन से संबंधित कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा देश भर में अपने 19 निर्गम कार्यालयों, 2,689 करेंसी चेस्टों और 2,299 छोटे सिक्का डिपो के माध्यम से किए जाते हैं। 31 मार्च 2025 तक, भारतीय स्टेट बैंक के पास सबसे अधिक करेंसी चेस्ट थे (सारणी VIII.4)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च के अंत में)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (लाख में)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880 (11.6)	1,47,880 (11.2)	1,47,880 (10.8)	700 (2.3)	700 (2.1)	700 (1.9)
1	5,21,618 (40.8)	5,29,934 (40.0)	5,38,720 (39.3)	5,216 (17.2)	5,299 (15.9)	5,387 (14.7)
2	3,47,277 (27.1)	3,55,929 (26.9)	3,64,605 (26.6)	6,946 (23.0)	7,119 (21.3)	7,292 (19.9)
5	1,94,155 (15.2)	2,05,471 (15.5)	2,16,198 (15.8)	9,708 (32.1)	10,274 (30.8)	10,810 (29.5)
10	59,764 (4.7)	68,637 (5.2)	83,636 (6.1)	5,976 (19.8)	6,864 (20.6)	8,364 (22.9)
20	8,483 (0.7)	15,667 (1.2)	20,180 (1.5)	1,697 (5.6)	3,133 (9.4)	4,036 (11.0)
कुल	**12,79,178**	**13,23,518**	**13,71,218**	**30,242**	**33,389**	**36,589**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

[2] अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम।

सारणी VIII.3: संचलनगत e₹ (मार्च के अंत में)

e₹	मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (लाख में)			मूल्य (₹करोड़)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
e₹-आर	0.5	2.7	18.4	23.0	0.01	0.09	0.11
		(16.1)	(7.7)	(4.7)	(0.2)	(0.04)	(0.01)
	1	3.8	37.3	45.7	0.04	0.37	0.46
		(22.2)	(15.7)	(9.3)	(0.7)	(0.2)	(0.05)
	2	2.8	27.1	38.8	0.06	0.54	0.78
		(16.2)	(11.4)	(7.8)	(1.0)	(0.2)	(0.08)
	5	2.4	27.3	35.4	0.12	1.37	1.77
		(13.9)	(11.5)	(7.2)	(2.1)	(0.6)	(0.2)
	10	1.5	21.4	30.6	0.15	2.14	3.06
		(8.8)	(9.0)	(6.2)	(2.6)	(0.9)	(0.3)
	20	1.2	19.7	32.0	0.23	3.94	6.39
		(6.8)	(8.3)	(6.5)	(4.1)	(1.7)	(0.6)
	50	0.8	17.0	33.3	0.39	8.49	16.64
		(4.6)	(7.1)	(6.7)	(6.9)	(3.6)	(1.6)
	100	0.8	20.7	38.2	0.83	20.73	38.23
		(4.8)	(8.7)	(7.7)	(14.5)	(8.9)	(3.8)
	200	0.6	16.0	45.7	1.16	32.01	91.33
		(3.4)	(6.7)	(9.2)	(20.4)	(13.7)	(9.0)
	500	0.5	32.9	171.5	2.71	164.36	857.68
		(3.2)	(13.8)	(34.7)	(47.5)	(70.2)	(84.4)
	2000	-	-	-	-	-	-
कुल e₹-आर		17.1	237.8	494.1	5.7	234.0	1,016.5
कुल e₹-डब्ल्यू		…	…	…	10.7	0.08	-
कुल e₹		**17.1**	**237.8**	**494.1**	**16.4**	**234.1**	**1,016.5**

- : शून्य e₹-आर: खुदरा e₹-डब्ल्यू: थोक … : लागू नहीं.
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.14 वर्ष 2024-25 में बैंकनोटों और सिक्कों की मांग की मात्रा 2023-24 से अधिक थी (सारणी VIII.5 और VIII.6)। प्रिंटिंग प्रेसों ने उनको की गई मांग के अनुसार बैंकनोटों की आपूर्ति की।

गंदे बैंकनोटों का निपटान

VIII.15 वर्ष 2024-25 के दौरान गंदे बैंकनोटों के निपटान में पिछले वर्ष की तुलना में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.4: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो (मार्च 2025 के अंत तक)

वर्ग	करेंसी चेस्ट की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,372	1,221
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,072	869
निजी क्षेत्र के बैंक	227	193
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	5	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	7
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**2,689**	**2,299**

स्रोत: आरबीआई।

जाली नोट

VIII.16 वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए कुल जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 4.7 प्रतिशत रिज़र्व बैंक में पकड़े गए (सारणी VIII.8)।

VIII.17 जाली नोटों में वर्ष 2024-25 के दौरान ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 और ₹2000 मूल्यवर्ग में कमी आई, जबकि ₹200 और ₹500 मूल्यवर्ग में पिछले वर्ष की

सारणी VIII.5: बैंकनोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2022-23		2023-24		2024-25	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	-	-	-
10	6,000	6,000	8,000	8,000	18,000	18,000
20	20,000	19,999	20,000	20,000	15,000	15,000
50	20,000	20,000	25,000	25,000	30,000	30,000
100	60,000	60,000	70,000	70,000	80,000	80,000
200	20,000	20,000	30,000	30,000	40,000	40,000
500	1,00,000	1,00,004	90,000	90,000	1,20,000	1,20,000
2000	-	-	-	-	-	-
कुल	**2,26,000**	**2,26,002**	**2,43,000**	**2,43,000**	**3,03,000**	**3,03,000**

-: शून्य
बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
एसपीएमसीआईएल: भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।
टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.6: सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2022-23		2023-24		2024-25	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	7	8
1	1,000	1,000	3,000	3,058	1,000	1,000
2	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000
5	3,000	3,000	3,000	3,000	8,000	8,000
10	1,000	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000
20	2,000	2,000	2,000	1,999	4,000	4,000
कुल	**10,000**	**10,002**	**12,000**	**12,056**	**15,000**	**15,000**

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

तुलना में क्रमशः 13.9 और 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.9)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.18 वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय 6,372.8 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष यह व्यय 5,101.4 करोड़ रुपए था। इसका मुख्य कारण बैंक नोटों के मुद्रण हेतु मांग में वृद्धि थी।

सारणी VIII.7: गंदे बैंकनोटों का निपटान (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4
2000	4,824	18,458	2,211
1000	-	4	-
500	51,092	63,320	89,855
200	13,062	13,594	24,756
100	58,282	60,217	58,334
50	34,219	19,095	25,720
20	21,393	13,971	16,503
10	45,077	23,461	20,799
5 तक	1,315	370	384
कुल	**2,29,264**	**2,12,493**	**2,38,563**

-: शून्य।
टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

अन्य पहल

सिक्कों, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि) और गंदे बैंकनोटों के विनिमय सुविधा के बारे में जागरूकता अभियान

VIII.19 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जनता के बीच, सिक्कों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आकाशवाणी (एआईआर) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए। रिज़र्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी आकाशवाणी के माध्यम से 'मणि' ऐप के बारे में जागरूकता अभियान चलाया, जो भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सहायता करता है। इसके अलावा,

सारणी VIII.8: जब्त किए गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4
रिज़र्व बैंक में जब्त किए गए	10,465 (4.6)	17,613 (7.9)	10,255 (4.7)
अन्य बैंकों में जब्त किए गए	2,15,304 (95.4)	2,05,026 (92.1)	2,07,141 (95.3)
कुल	**2,25,769**	**2,22,639**	**2,17,396**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. इस डेटा में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.9: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट-मूल्यवर्ग के अनुसार (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4
2 और 5	3	1	3
10	313	235	159
20	337	297	253
50	17,755	15,366	12,015
100	78,699	66,310	51,069
200	27,258	28,672	32,660
500 (निर्दिष्ट बैंकनोट)	6	11	5
500	91,110	85,711	1,17,722
1000 (निर्दिष्ट बैंकनोट)	482	1	2
2000	9,806	26,035	3,508
कुल	**2,25,769**	**2,22,639**	**2,17,396**

स्रोत: आरबीआई।

गंदे नोटों के विनिमय की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए।

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं का प्रापण

VIII.20 भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकनोटों के लिए नई/ उन्नत सुरक्षा विशेषताएं शुरू करने की प्रक्रिया को सक्रियतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है।

बैंकनोट उत्पादन के लिए इनपुट का स्वदेशीकरण

VIII.21 विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकनोट उत्पादन के स्वदेशीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। लगातार प्रयासों के साथ, बैंकनोटों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सभी प्राथमिक कच्चे माल, यानी बैंकनोट कागज, सभी प्रकार की स्याही (ऑफसेट, नंबरिंग, इंटाग्लियो और कलर-शिफ्टिंग इंटाग्लियो स्याही), और अन्य सभी सुरक्षा विशेषताएं अब घरेलू स्रोतों से खरीदी जा रही हैं।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.22 बीआरबीएनएमपीएल बैंकनोटों की डिजाइनिंग, मुद्रण और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीआरबीएनएमपीएल, जो कि रिज़र्व बैंक की एक सहायक कंपनी है, बैंकनोट उत्पादन के स्वदेशीकरण के रिज़र्व बैंक के कार्यनीतिक लक्ष्य के कार्यान्वयन में भागीदार रही है। यह संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स) दक्षता बढ़ाने और विभिन्न करेंसी चेस्टों में प्रत्यक्ष धन प्रेषण बढ़ाकर लागत कम करने पर भी लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। बीआरबीएनएमपीएल ने अपने मैसूर परिसर में शिक्षण और विकास केंद्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से घरेलू और वैश्विक हितधारकों के साथ बैंकनोट मुद्रण और उससे संबद्ध ज्ञान को साझा करना है।

VIII.23 भारतीय बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं का उन्नत परीक्षण, जालसाजी निवारण परीक्षण, जाली नोटों का फोरेंसिक/ वैज्ञानिक विश्लेषण, उपलब्ध नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से नोटों की नैतिक (एथिकल) जालसाजी और भारतीय बैंकनोटों की सुरक्षा/ डिजाइन विशेषताओं के विकास के लिए, बीआरबीएनएमपीएल के प्रशासनिक नियंत्रण में मुद्रा अनुसंधान और विकास केंद्र (सीआरडीसी) की स्थापना की गई है।

5. 2025-26 की कार्यसूची

VIII.24 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना की आधुनिकीकरण परियोजना को आगे बढ़ाना ;
- नई/उन्नत सुरक्षा विशेषताओं की शुरूआत के माध्यम से भारतीय बैंकनोटों की प्रामाणिकता को मजबूत करना ;
- नई एसबीएस मशीनों की स्थापना और संचालन प्रारंभ ;
- बैंकनोटों के प्रसंस्करण के लिए क्षमता वृद्धि; तथा

- सर्वेक्षण के माध्यम से जनता के भुगतान व्यवहार को समझना।

6. निष्कर्ष

VIII.25 वर्ष 2024-25 के दौरान रिज़र्व बैंक ने, बैंकनोट और सिक्कों के वितरण की दक्षता में सुधार लाने, बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं और सिक्कों की स्वीकार्यता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और जनता के लिए स्वच्छ मुद्रा नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण और स्वचालन की दिशा में कार्रवाई में भी तेज़ी आई है। आगे चलकर ध्यान केंद्रित करने वाले मुख्य क्षेत्र रहेंगे: बैंकनोट उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाए रखना, बैंकनोटों के जीवन और गुणवत्ता को और मज़बूत करने के लिए विश्लेषणात्मक और विकासात्मक मुद्रा अनुसंधान के अलावा भुगतान के अन्य तरीकों की तुलना में नकदी के प्रति जनता की प्राथमिकताओं के रुझान को समझना।

IX भुगतान और निपटान प्रणालियाँ और सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान प्रणालियों की दक्षता, सुरक्षा और पहुँच को बढ़ाने के लिए अपनी पहल जारी रखी, जिससे एक अधिक समावेशी और समुत्थानशील डिजिटल भुगतान ईको सिस्टम को बढ़ावा मिला। भारत की घरेलू भुगतान प्रणालियों, विशेष रूप से एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुँच में तेज़ी लाने के प्रयास जारी रहे। रिज़र्व बैंक अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का लाभ उठाएगा।

IX.1 भुगतान विजन दस्तावेजों को आधार मानते हुए[1], रिज़र्व बैंक ने नवाचार और एक सहायक विनियामक ढांचे को बढ़ावा देकर समाज के सभी वर्गों में डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वर्ष भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की साइबर समुत्थानशीलता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण, धोखाधड़ी की रोकथाम और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता पर अधिक जोर दिया गया। वैश्विक मोर्चे पर, रिज़र्व बैंक ने यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न रास्ते तलाशे।

IX.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें प्रवाह का शुभारंभ भी शामिल है[2]- प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल। वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई पहल की गईं।

IX.3 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 में 2024-25 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में विकास और वर्ष के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन शामिल है। खंड 3 में 2024-25 के लिए निर्धारित कार्यसूची के अनुसार डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया है। अध्याय को खंड 4 में संक्षेपित किया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

IX.4 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने भुगतान विजन 2025 के अनुरूप अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थानीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के स्तंभों पर कई पहल शुरू कीं।

भुगतान प्रणालियाँ

IX.5 भुगतान और निपटान प्रणालियों ने [3]2024-25 के दौरान लेन-देन की मात्रा के संबंध में 34.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में 44 प्रतिशत के विस्तार के शीर्ष पर थी (सारणी IX.1)। मूल्य के संदर्भ में, मुख्य रूप से बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली, जैसे कि, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के 15.8

[1] भुगतान ईको सिस्टम के संरचित विकास को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन रोडमैप के साथ-साथ कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2005, 2009, 2010, 2012, 2016, 2019 और 2022 में भुगतान विजन दस्तावेज जारी किए गए।

[2] विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच।

[3] डिजिटल भुगतान और कागज-आधारित लिखतों सहित कुल भुगतान।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख में)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल संचालित प्रणालियाँ	41	43	47	2,588.0	2,592.1	2,962.2
बी. भुगतान प्रणालियां						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट अंतरण - आरटीजीएस	**2,426**	**2,700**	**3,025**	**1,499.5**	**1,708.9**	**2,013.9**
खुदरा खंड (2 से 6)						
2. क्रेडिट अंतरण	**9,83,621**	**14,86,107**	**20,61,015**	**550.1**	**675.4**	**797.8**
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	6	4	4	0.004	0.003	0.002
2.2 एपीबीएस	17,834	25,888	32,964	2.5	3.9	5.5
2.3 ईसीएस क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
2.4 आईएमपीएस	56,533	60,053	56,250	55.9	65.0	71.4
2.5 एनएसीएच क्रेडिट	19,257	16,227	16,939	15.4	15.3	16.7
2.6 एनईएफटी	52,847	72,640	96,198	337.2	391.4	443.6
2.7 यूपीआई	8,37,144	13,11,295	18,58,660	139.1	200.0	260.6
3. डेबिट अंतरण और डायरेक्ट डेबिट	**15,343**	**18,250**	**21,660**	**12.9**	**16.9**	**22.1**
3.1 भीम आधार पे	214	194	230	0.1	0.1	0.1
3.2 ईसीएस डेबिट	-	-	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच डेबिट	13,503	16,426	19,762	12.8	16.8	22.0
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	1,626	1,629	1,668	0.03	0.03	0.02
4. कार्ड भुगतान	**63,325**	**58,470**	**63,861**	**21.5**	**24.2**	**26.1**
4.1 क्रेडिट कार्ड	29,145	35,610	47,741	14.3	18.3	21.1
4.2 डेबिट कार्ड	34,179	22,860	16,120	7.2	5.9	5.0
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	**74,667**	**78,775**	**70,254**	**2.9**	**2.8**	**2.2**
6. कागज़ आधारित लिखत	**7,109**	**6,632**	**6,095**	**71.7**	**72.1**	**71.1**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	11,44,065	16,48,234	**22,22,885**	659.1	791.5	**919.3**
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	11,46,491	16,50,934	**22,25,910**	2,158.6	2,500.4	**2,933.1**
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**11,39,382**	**16,44,302**	**22,19,815**	**2,086.8**	**2,428.2**	**2,862.0**

सीसीआईएल : क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एपीबीएस : आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम।
आईएमपीएस : तत्काल भुगतान सेवा।
एनईएफटी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।
एनईटीसी : नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन।
एईपीएस : आधार सक्षम भुगतान प्रणाली
ईसीएस : इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस।
एनएसीएच : राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस।
भीम : *भारत* इंटरफेस फॉर मनी।
आरटीजीएस : रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
क्रेडिट: क्रेडिट।
डीआर: डेबिट।
- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे व्यापार और रेपो लेनदेन के दोनों चरण और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन शामिल हैं।
3. कार्ड के आंकड़े प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए हैं।
4. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण स्तंभों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में वृद्धि 17.3 प्रतिशत थी। गैर-नकद खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 के दौरान 99.9 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 99.8 प्रतिशत)।

डिजिटल भुगतान

IX.6 2024-25 के दौरान, आरटीजीएस लेनदेन मात्रा के संदर्भ में 12.0 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 17.8 प्रतिशत बढ़ा। खुदरा लेनदेन की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 34.9

प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। 31 मार्च 2025 तक, आरटीजीएस सेवाएँ 250 सदस्य बैंकों के 1,73,688 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थीं[4], जबकि एनईएफटी सेवाएँ 236 सदस्य बैंकों के 1,74,762 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थीं।

IX.7 खुदरा भुगतान प्रणाली ने 2024-25 में लेनदेन की मात्रा के साथ-साथ मूल्य में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की (सारणी IX.1)। खुदरा भुगतान प्रणाली में, यूपीआई लेनदेन मात्रा के संबंध में 41.7 प्रतिशत और मूल्य के संबंध में 30.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एनईएफटी लेनदेन मात्रा के

IX.8 संबंध में 32.4 प्रतिशत और मूल्य के संबंध में 13.4 प्रतिशत बढ़ा। मात्रा के संबंध में, 2024-25 के दौरान कुल खुदरा भुगतानों में यूपीआई लेनदेन की हिस्सेदारी सबसे अधिक (84 प्रतिशत) थी। भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) ने विशेष रूप से टियर III से टियर VI केंद्रों में स्वीकृति अवसंरचना की उपलब्धता को सब्सिडी देकर वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान में वृद्धि में सहायता की। 2024-25 के दौरान, बिक्री केन्द्रों (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या 24.7 प्रतिशत बढ़कर 1.1 करोड़ हो गई। 31 मार्च, 2025 तक यूपीआई क्यूआर कोड 91.5 प्रतिशत बढ़कर 65.8 करोड़ हो गए।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकरण

IX.9 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 26 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए), पाँच पेमेंट एग्रीगेटर्स-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी), 11 गैर-बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारीकर्ताओं, एक ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) इकाई और एक व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर को प्राधिकरण/अनुमोदन प्रदान किया, इसके अलावा कुछ अन्य ऑनलाइन पीए, पीपीआई और डब्ल्यूएलए ऑपरेटर को सैद्धांतिक प्राधिकरण प्रदान किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान पीपीआई जारी करने के लिए चार बैंकों को भी मंजूरी दी (सारणी IX.2)।

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) का प्राधिकरण [मार्च के अंत में]

(संख्या)

इकाइयां	2024	2025
1	2	3
ए. गैर-बैंक – अधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता^	38	48
भुगतान एग्रीगेटर्स-ऑनलाइन$	22	46
भुगतान एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर	-	5
डबल्यूएलए ऑपरेटर	4	5
त्वरित धन हस्तांतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीसीयू [एनपीसीआई भारत बिलपे (एनबीबीएल)]	1	1
बीबीपीओयू	10	10
ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर	4	5
एमटीएसएस ऑपरेटर#	8	7
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
वित्तीय बाज़ार अवसंरचना	1	1
केंद्रीय प्रतिपक्ष	1	1
खुदरा भुगतान संगठन	1	1
बी. बैंक – स्वीकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	59	63
बीबीपीओयू	46	46
एटीएम नेटवर्क	3	3

$: इस अवधि के दौरान दो संस्थाओं ने अपना प्राधिकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिया।

#: इस अवधि के दौरान एक संस्था का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया।

^: नियामक आवश्यकता के अनुसार एक इकाई का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया।

-: शून्य।

टिप्पणी: पीएसओ में पीपीआई जारीकर्ता, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (पीए-ऑनलाइन), भुगतान एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी), क्रॉस-बॉर्डर मनी अंतरण (केवल इनबाउंड) सेवा योजनाएं (एमटीएसएस), डब्ल्यूएलए ऑपरेटर, व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क, त्वरित धन हस्तांतरण सेवा प्रदाता, कार्ड नेटवर्क, भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू), भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) और केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के अलावा सीसीआईएल और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

[4] भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

वर्ष 2024-25 की कार्यसूची

IX.10 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) रिपोर्टिंग को स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तक विस्तारित किया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.11]
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में दो सेटलमेंट होते थे, एक प्रेजेंटेशन सेशन के लिए और दूसरा रिटर्न सेशन के लिए। ऑन-रियलाइजेशन मॉडल के तहत, सीटीएस की चलनिधि दक्षता में सुधार करने के लिए प्रत्येक बैंक की शुद्ध स्थिति के लिए रिटर्न सेशन के समापन के बाद एक ही सेटलमेंट किया जाएगा (पैराग्राफ IX.12);
- विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के साथ मिलकर यूपीआई को 20 देशों तक पहुंचाने की दिशा में काम करेगा, जिसकी शुरुआत 2024-25 और समापन 2028-29 तक होगा। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे देशों के समूह के साथ फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय संबंधों की भी संभावना तलाशी जाएगी (पैराग्राफ IX.13);
- मौजूदा भुगतान ईको सिस्टम (कार्ड नेटवर्क/बैंक/पीपीआई संस्थाएं) ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के रूप में एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को बड़े पैमाने पर अपनाया है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, भुगतान में धोखाधड़ी और कठिनाई को संबोधित करने के लिए अब विभिन्न अभिनव समाधान उपलब्ध हैं, व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स, स्थान/ऐतिहासिक भुगतान, डिजिटल टोकन और इन-ऐप सूचनाओं का लाभ उठाने वाले वैकल्पिक जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण तंत्र की खोज की जाएगी (पैराग्राफ IX.14); और
- मौजूदा केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँ (आरटीजीएस और एनईएफ़टी) धन अंतरण के लिए केवल खाता संख्या और आईएफ़एससी पर निर्भर थीं। धोखाधड़ी को रोकने और भुगतान अनुभव को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, वास्तविक निधि अंतरण से पहले वास्तविक समय में भुगतानकर्ता के नाम की पुष्टि की शुरुआत को नए अधिनियमित 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' (पैराग्राफ IX.15) के अनुपालन में खोजा जाएगा।

कार्यान्वयन स्थिति

IX.11 सीपीएफआईआर, एक वेब-आधारित भुगतान संबंधी धोखाधड़ी रिपोर्टिंग समाधान है, जिसे 31 मार्च, 2020 से लागू किया गया है। सीपीएफआईआर रिपोर्टिंग सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) सहित], गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं और गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई थी। अब रिपोर्टिंग को 49 अनुसूचित यूसीबी, सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, 43 आरआरबी, 71 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और 234 गैर-अनुसूचित यूसीबी तक बढ़ा दिया गया है। शेष बैंकों को धीरे-धीरे सीपीएफआईआर रिपोर्टिंग में शामिल किया जा रहा है।

IX.12 चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार करने, प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (8 अगस्त, 2024) में सीटीएस

के तहत चेकों के निरंतर समाशोधन की घोषणा की गई थी। सीटीएस के तहत निरंतर समाशोधन और ऑन-रियलाइज़ेशन निपटान पर दृष्टिकोण पत्र और तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ अगस्त 2024 में एनपीसीआई द्वारा सीटीएस सदस्य बैंकों को जारी किए गए थे। एनपीसीआई और बैंक अपने सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके बाद गो-लाइव आरंभ किया जाएगा। एक बार लागू होने के बाद, चेक समाशोधन चक्र वर्तमान टी +1 दिन से घटकर कुछ घंटों का हो जाएगा।

IX.13 रिज़र्व बैंक 2028-29 तक यूपीआई को 20 देशों तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और यूपीआई के साथ-साथ रुपे कार्ड के विस्तार के लिए वैश्विक पहुंच को सुविधाजनक बना रहा है। रिज़र्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है और एफपीएस (बॉक्स IX.1) को आपस में जोड़ने के लिए अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

IX.14 भुगतान ईको सिस्टम को सक्षम बनाने और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई, 2024 को 'डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र' पर एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी की।

IX.15 आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए लाभार्थी बैंक खाता जिसका नाम लुक-अप सुविधा है, का आरंभ किए जाने के संबंध में एक परिपत्र 30 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था। यह सुविधा आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम का उपयोग करने वाले धन प्रेषकों को निधि अंतरण शुरू करने से पहले उस बैंक खाते का नाम सत्यापित करने में सक्षम बनाएगी जिसमें पैसा अंतरण किया जा रहा है और इस तरह गलतियों से बचा जा सकेगा और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। प्रेषक द्वारा दर्ज किए गए लाभार्थी के खाता नंबर और आईएफएससी के आधार पर, यह सुविधा, बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से लाभार्थी के खाते का नाम प्राप्त करेगी। सभी बैंक जो आरटीजीएस और एनईएफटी के प्रत्यक्ष सदस्य या उप-सदस्य हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से पहले यह सुविधा देने की सलाह दी गई थी।

बॉक्स IX.1

प्रोजेक्ट नेक्सस: एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को आपस में जोड़ना

रिज़र्व बैंक भारत के एफपीएस अर्थात यूपीआई को उनके संबंधित एफपीएस से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है, ताकि व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) मोड में भुगतान किया जा सके। अब तक, सात देश हैं जो व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई स्वीकार करते हैं, जबकि सिंगापुर के एफपीएस [5]पेनाउ के साथ यूपीआई का जुड़ाव व्यक्तिगत प्रेषण के लिए सक्रिय है।

एफपीएस को द्विपक्षीय रूप से जोड़ने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: (क) तीव्र वार्ता और कार्यान्वयन; (ख) विशिष्ट आवश्यकताओं के समाधान के लिए अनुकूलित समाधान; और (ग) निरंतर आधार पर दृष्टिकोण को परिष्कृत करना।

एफपीएस को आपस में जोड़ने की दिशा में एक और दृष्टिकोण बहुपक्षीय मंच है, जिसके संसाधन अनुकूलन, प्रक्रियाओं के मानकीकरण और बेहतर मापनीयता के संबंध में फायदे हैं। इन कारकों से प्रेरित होकर और अपने भुगतान प्रणालियों की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार करने में रिज़र्व बैंक के प्रयासों को और गति प्रदान करने के लिए, भारत जून 2024 में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसकी अवधारणा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच) द्वारा घरेलू एफ़पीएस को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए की गई है। भारत के साथ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड संस्थापक सदस्य देशों के रूप में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुए हैं, जबकि इंडोनेशिया और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) विशेष पर्यवेक्षक हैं। एक बार लाइव होने के बाद, प्रोजेक्ट नेक्सस से लागत कम करते हुए गति, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने पर जी-20 सीमा पार भुगतान रोडमैप में उल्लिखित लक्ष्यों का समर्थन करने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई.

[5] भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)।

प्रमुख घटनाक्रम

अखंडता

घरेलू धन अंतरण (डीएमटी) – ढांचे की समीक्षा

IX.16 डीएमटी के लिए रूपरेखा 2011 में औपचारिक बैंकिंग चैनल खोलने के लिए शुरू की गई थी ताकि छोटे मूल्य के घरेलू फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल सके और अब उपयोगकर्ताओं के पास फंड ट्रांसफर के लिए कई डिजिटल विकल्प हैं। समीक्षा के आधार पर, मौजूदा डीएमटी रूपरेखा को उचित प्रक्रिया को अनिवार्य करके नकद-आधारित प्रेषण की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था: (ए) सत्यापित मोबाइल नंबर और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) के साथ प्रेषक का पंजीकरण जैसा कि 'मास्टर दिशानिर्देश -अपने ग्राहक को जानें निर्देश, 2016' में प्रदान किया गया है; (बी) प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के साथ प्रत्येक लेनदेन का सत्यापन; और (सी) लेनदेन को नकद आधारित प्रेषण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पहचानकर्ताओं का उपयोग।

आरटीजीएस प्रणाली विनियमों और एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का अद्यतनीकरण

IX.17 रिज़र्व बैंक ने 25 अक्टूबर 2024 को आरटीजीएस विनियमों और एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को संशोधित किया, जिसमें केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) की सदस्यता के लिए पहुँच मानदंड, सदस्यता की आवधिक समीक्षा, सीपीएस सदस्यों द्वारा निरंतर आधार पर साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन और आरटीजीएस और एनईएफटी से संबंधित मौजूदा परिपत्रों के निर्देश शामिल हैं।

केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) निर्देश, 2024 में संशोधन

IX.18 रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2019 को जारी 'सीसीपी के लिए निर्देश' को निरस्त कर दिया और 28 अक्टूबर 2024 को संशोधित 'सीसीपी के लिए निर्देश' जारी किए, ताकि सीसीपी में कॉर्पोरेट प्रशासन को मज़बूत किया जा सके। निर्देशों में कुछ बड़े बदलावों में बोर्ड की बैठकों के साथ-साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना शामिल है।

सीपीएस की निगरानी

IX.19 रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से लिए गए आंतरिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा अप्रैल 2024 में सीपीएस का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया था। आरटीजीएस, एक वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली होने के नाते, वित्तीय बाजार अवसंरचना (पीएफएमआई)[6] के सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था, जैसा कि एफएमआई और खुदरा भुगतान प्रणाली (आरपीएस) के लिए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण ढांचे में उल्लिखित है। एनईएफटी प्रणाली, हालांकि एक एफएमआई नहीं है, लेकिन इसका भी पीएफएमआई के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

पीएसओ की साइबर समुत्थानशीलता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

IX.20 मसौदा मास्टर निर्देश पर हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जुलाई 2024 को गैर-बैंक पीएसओ के लिए साइबर समुत्थानशीलता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर अंतिम मास्टर निर्देश जारी किए गए। ये निर्देश साइबर समुत्थानशीलता पर जोर देने के साथ समग्र सूचना सुरक्षा तैयारियों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करके साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत शासन तंत्र को शामिल करते हैं।

[6] पीएफएमआई वित्तीय बाजार अवसंरचना के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, जिन्हें भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) द्वारा अप्रैल 2012 में जारी किया गया था।

क्रॉस-बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन में प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) सक्षम करना

IX.21 डिजिटल भुगतान के लिए एएफए की शुरूआत ने लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाया है, जिससे ग्राहकों को डिजिटल भुगतान अपनाने का भरोसा मिला है। हालाँकि, यह आवश्यकता केवल घरेलू लेन-देन के लिए अनिवार्य है। भारत में जारी किए गए कार्डों का उपयोग करके ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने गैर-आवर्ती सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन के लिए एएफ़ए को सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है, जहां विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध किया जाता है।

वित्तीय समावेशन

विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना

IX.22 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक प्रभावी पहुँच को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) [अर्थात, बैंक और अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता] को विकलांग व्यक्तियों की पहुँच के संदर्भ में अपनी भुगतान प्रणालियों/लिखतों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। समीक्षा के आधार पर, पीएसपी आवश्यक संशोधन कर सकते हैं ताकि उनके सभी भुगतान सिस्टम और डिवाइस जैसे पीओएस मशीनों तक विकलांग व्यक्तियों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सके और उनका उपयोग किया जा सके।

यूपीआई के माध्यम से प्रत्यायोजित भुगतान की शुरूआत

IX.23 'प्रत्यायोजित भुगतान'/'यूपीआई सर्किल' व्यक्तियों (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से एक सीमा तक यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देने में सक्षम बनाता है, बिना द्वितीयक उपयोगकर्ता के पास यूपीआई से जुड़े एक अलग बैंक खाता होने की आवश्यकता के। अगस्त 2024 में पेश किया गया यह भुगतान समाधान डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग को और गहरा करेगा।

तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पीपीआई के लिए यूपीआई एक्सेस

IX.24 रिज़र्व बैंक ने तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पीपीआई को जोड़ने की अनुमति दे दी है। इससे पीपीआई धारक तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई भुगतान कर सकेंगे/प्राप्त कर सकेंगे।

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) - ऑफ़लाइन - मसौदा दिशानिर्देश

IX.25 भुगतान ईकोसिस्टम में पीए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए मार्च 2020 में उन्हें विनियमन के अंतर्गत लाया गया और उन्हें पीएसओ के रूप में नामित किया गया। तथापि, वर्तमान विनियमन ऑफ़लाइन पीए पर लागू नहीं होते हैं जो निकटता/आमने-सामने के लेन-देन को सक्षम बनाते हैं और डिजिटल भुगतान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑफ़लाइन पीए पर भी लागू नए मसौदा निर्देश रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर फीडबैक/टिप्पणियों के लिए रखे गए हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) भुगतान

IX.26 आज व्यवसायों को एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम, बी 2बी सेवा प्रदाताओं, फिनटेक और बैंकों के माध्यम से सेवा दी जाती है। ये समाधान वर्तमान में इंटरऑपरेबल नहीं हैं, जिससे इन प्लेटफ़ॉर्म पर भुगतान और चालान का समाधान मुश्किल हो जाता है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) द्वारा संचालित बीबीपीएस में बी 2बी को एक श्रेणी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। बीबीपीएस के माध्यम से, सिस्टम एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे जिसके चलते मैन्युअल ओवरहेड्स को कम करेंगे।

यूपीआई - सीमाओं में वृद्धि

IX.27 यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, यूपीआई के निम्नलिखित उत्पादों के लिए सीमाएं बढ़ा दी गईं:

- यूपीआई123पे: हितधारकों के परामर्श से प्रति लेनदेन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई।
- यूपीआई लाइट : यूपीआई लाइट वॉलेट की प्रति लेनदेन सीमा ₹500 तथा प्रति यूपीआई वॉलेट की कुल सीमा ₹2,000 को बढ़ाकर क्रमशः ₹1,000 तथा ₹5,000 कर दी गई।
- यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेन-देन की सीमा बढ़ाना: यह देखते हुए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान नियमित, सामान्य और उच्च मूल्य के हैं, यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा प्रति लेनदेन ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दी गई।

यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण लाइनें - एसएफबी तक दायरा बढ़ाना

IX.28 यूपीआई पर क्रेडिट लाइन्स में 'नए-से-क्रेडिट' ग्राहकों को कम-टिकट, कम-अवधि के उत्पाद उपलब्ध कराने की क्षमता है। एसएफबी अंतिम ग्राहक तक पहुंचने के लिए एक उच्च तकनीक, कम लागत वाले मॉडल का उपयोग करते हैं और यूपीआई पर ऋण की पहुंच का विस्तार करने में एक सक्षम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एसएफबी को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का विस्तार करने की अनुमति दी।

विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता बढ़ाना

IX.29 वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 419 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित उपयोग, उनके लाभ और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में समझाया गया।

नवाचार

फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और यूपीआई लाइट की स्वतः पुनःपूर्ति

IX.30 आवर्ती लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए ई-अधिदेश ढांचा 10 जनवरी, 2020 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था, जो निर्धारित आवधिकता के साथ आवर्ती भुगतानों को सक्षम बनाता है। फास्टैग और एनसीएमसी में शेष राशि की पुनःपूर्ति जैसे आवर्ती भुगतान, जिनकी कोई निश्चित आवधिकता नहीं है, और/या समय/राशि विशिष्ट नहीं हैं, को ई-अधिदेश का उपयोग करके स्वचालित रूप से पुनःपूर्ति करने की अनुमति दी गई थी, और आवर्ती लेनदेन के लिए ई- अधिदेश के प्रसंस्करण पर प्री-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता से छूट दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम शेष राशि होने पर यूपीआई लाइट वॉलेट को लोड करने के लिए ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा शुरू करके यूपीआई लाइट सुविधा को भी ई-अधिदेश ढांचे के दायरे में लाया।

नकद जमा के लिए यूपीआई

IX.31 बैंकों द्वारा लगाई गई नकद जमा मशीनें (सीडीएम) ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाती हैं, साथ ही बैंक शाखाओं पर नकदी-संभालने का भार भी कम करती हैं। यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए, जून 2024 से यूपीआई के उपयोग के माध्यम से अंतर-परिचालन योग्य नकद जमा सुविधा आरंभ की गई है।

अंतरराष्ट्रीयकरण

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच

IX.32 भुगतान विजन दस्तावेज़ 2025 में अंतरराष्ट्रीयकरण स्तंभ के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुँच का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है। रिज़र्व बैंक द्विपक्षीय आधार पर अन्य देशों के एफ़पीएस के साथ यूपीआई को जोड़ने की सुविधा प्रदान कर रहा है,

जिससे आवक और जावक दोनों तरह के प्रेषण भुगतान संभव हो रहे हैं। भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में क्यूआर कोड के माध्यम से भारत के यूपीआई ऐप की स्वीकृति चालू हो गई है, जो अन्य देशों में भारतीय पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायिक यात्रियों को उनके भारतीय यूपीआई ऐप का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। रुपे कार्ड की स्वीकृति वर्तमान में नेपाल, भूटान, मॉरीशस, सिंगापुर, यूएई और मालदीव में आरंभ है। इसके अलावा, रुपे कार्ड जारी करना भूटान और मॉरीशस में आरंभ हो चुका है और भूटान और मॉरीशस में जारी किए गए रुपे कार्ड भारत में भी स्वीकार्य हैं। रिज़र्व बैंक ने नामीबिया, पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो और जमैका में यूपीआई जैसे बुनियादी ढाँचे की तैनाती के लिए एनआईपीएल को मंज़ूरी दे दी है।

अन्य पहल

एटीएम इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा

IX.33 रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर निशुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य निशुल्क लेनदेन की संख्या से अधिक लेनदेन किए जाने पर ग्राहक पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क पर विभिन्न निर्देश जारी किए थे। एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए गए थे। समीक्षा के आधार पर, 'ऑटोमेटेड टेलर मशीनों/कैश रिसाइक्लर मशीनों का उपयोग - इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा' पर अद्यतन (28 मार्च, 2025 तक) परिपत्र के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क एटीएम नेटवर्क्स द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा 1 मई 2025 से बैंक अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेन की संख्या से अधिक लेनदेन करने पर ग्राहकों से प्रति एटीएम लेनदेन अधिकतम ₹23 का शुल्क ले सकते हैं।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.34 रिज़र्व बैंक ने 2021 में समग्र डीपीआई को निर्मित किया था ताकि देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की व्याप्ति का पता लगाया जा सके। अर्ध-वार्षिक रूप से गणना की गई आरबीआई-डीपीआई सूचकांक हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाने और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है (चार्ट IX.1)।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.35 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 16 के अंतर्गत, 84 संस्थाओं का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया, अर्थात एक वित्तीय बाजार अवसंरचना (सीसीआईएल), एक खुदरा भुगतान संगठन [एनपीसीआई जिसमें एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल), रुपे कार्ड्स, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल) और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) शामिल हैं], 31 गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता, 10 बीबीपीओयू, दो टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म प्रदाता, एक एटीएम नेटवर्क प्रदाता, 34 ऑनलाइन पीए, एक पीए-सीबी, दो डब्ल्यूएलएओ और तत्काल धन अंतरण (आईएमटी) की सुविधा देने वाली एक

चार्ट IX.1: डिजिटल भुगतान सूचकांक

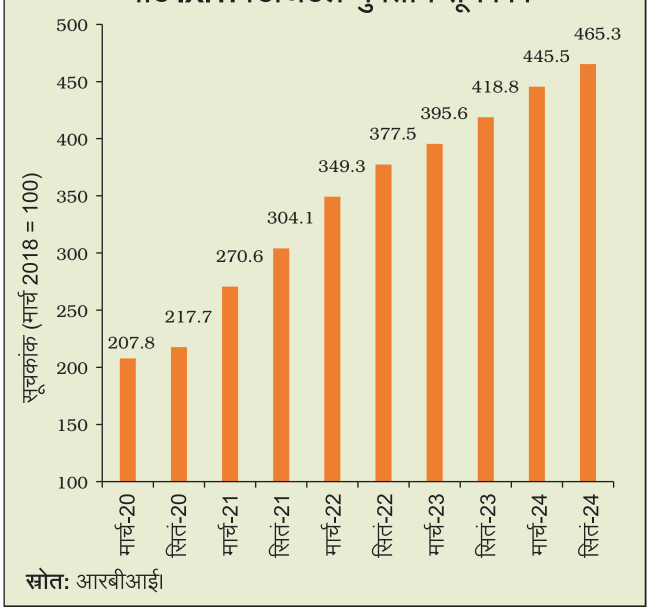

स्रोत: आरबीआई।

संस्था। 2024-25 के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन/अनुपालन न करने के लिए तीन पीएसओ के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की।

एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड का पहला ऑनसाइट निरीक्षण

IX.36 एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, एक सीसीपी जो त्रिपक्षीय एजेंट के रूप में कार्य करने और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिभूतियों में रेपो का निपटान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत है, का ऑनसाइट निरीक्षण जून 2024 में किया गया था। सीसीपी होने के नाते, इकाई का मूल्यांकन पीएफएमआई के विरुद्ध किया गया था।

2025-26 के लिए कार्यसूची

IX.37 2025-26 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- भारत के डिजिटल भुगतान ईको सिस्टम में उभरते रुझानों, अपनाने के पैटर्न और उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 'डिजिटल भुगतान के उपयोग पर सर्वेक्षण' करने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि इसके निष्कर्षों से लेन-देन के व्यवहार और उपयोगकर्ताओं के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और भुगतान प्रणालियों को और भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी;
- डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (डीपीआईपी) की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि इस उद्देश्य के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा सके। रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) को समिति की रिपोर्ट की रूपरेखा के आधार पर पाँच से दस बैंकों के परामर्श से डीपीआईपी का प्रोटोटाइप बनाने का काम सौंपा गया है;
- रिज़र्व बैंक ने 2022 में भुगतान विजन 2025 जारी किया जिसमें दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए रोडमैप का विवरण दिया गया था। 'पेमेंट्स विज़न दस्तावेज़ 2028' को तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है और विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगे जा रहे हैं। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य पिछले दशक में भुगतान प्रणालियों के विकास को आगे बढ़ाना और भुगतान ईको सिस्टम में संस्थाओं को इस क्षेत्र में समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना होगा; और
- सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए जी-20 रोडमैप ने सीमा पार से भुगतान को सस्ता, तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) द्वारा प्रकाशित 'सीमा पार से भुगतान के लिए लक्ष्यों को पूरा करने पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट: 2024 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर रिपोर्ट' से संकेत मिलता है कि भुगतान की गति के साथ प्राथमिक चुनौती बेनेफिसियरी लेग (*अर्थात*, लाभार्थी बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त करने से लेकर अंतिम ग्राहक के खाते में धनराशि जमा होने तक) में अनुभव की जाती है। रिज़र्व बैंक सीमा पार से भुगतान के बेनेफिसियरी लेग की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और भारत में संबंधित हितधारकों के परामर्श से उपयुक्त नियामक नीति/कार्रवाई तैयार करने की दिशा में काम करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.38 डीआईटी ने रिज़र्व बैंक की सभी आईटी प्रणालियों और एप्लीकेशनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम श्रेणी के आईसीटी बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के

लिए नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल प्रवाह को वर्ष के दौरान लाइव किया गया। रिज़र्व बैंक को आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में परिवर्तन, पेपर-आधारित वर्कफ़्लो पर निर्भरता कम करने और बैंक में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंकिंग, लंदन, यूके द्वारा प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। बाहरी विक्रेताओं पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का समर्थन करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान (सीएडी) [सीएडी 2.0] की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ ' साइबर सुरक्षित भारत (#सतर्क नागरिक)' की थीम के साथ किया गया।

2024-25 का कार्यसूची

IX.39 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- रिज़र्व बैंक ने क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर के निर्माण के लिए परियोजना शुरू की। डेटा सेंटर, जिसे रिज़र्व बैंक और उसके सहायक संगठनों की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिकल्पित किया गया है, 2024-25 में अपना परिचालन शुरू करेगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.40];
- भारतीय वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाने के लिए, एक क्लाउड सुविधा स्थापित की जाएगी और शुरू में भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इस क्लाउड सुविधा को मध्यम अवधि में कैलिब्रेटेड तरीके से शुरू करने का इरादा है (पैराग्राफ IX.41);
- भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफ़आईएनईटी) भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार का आधार है। यह सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अनन्य उपयोग के लिए एक क्लोज्ड उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) नेटवर्क है। आरटीजीएस, एनईएफ़टी और ई-कुबेर जैसे महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन आईएनएफ़आईएनईटी नेटवर्क आधार पर चलते हैं। आईएनएफ़आईएनईटी 3.0 जो बेहतर तकनीक, बैंडविड्थ और समग्र सेवाओं के साथ मौजूदा आईएनएफ़आईएनईटी 2.0 को रिफ्रेश करने का प्रयास करता है, उसे नवीनतम सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डबल्यूएएन) तकनीक के साथ बनाने का प्रस्ताव है। एसडी-डबल्यूएएन के तहत प्रस्तावित सुविधाओं में लिंक का प्रभावी लोड संतुलन, आवाज और वीडियो ट्रैफ़िक अनुकूलन और एप्लिकेशन जागरूक रूटिंग शामिल हैं। एसडी-वैन नेटवर्क के केंद्रीकृत प्रबंधन और शून्य स्पर्श प्रावधान भी प्रदान करता है (पैराग्राफ IX.42);
- भारतीय रुपये (आईएनआर) को वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक समाधान की परिकल्पना की है, जिसमें भारत की घरेलू संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) को वैश्विक एसएफएमएस हब के माध्यम से अन्य देशों तक विस्तारित किया जाएगा। इच्छुक देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार भुगतान संदेश के लिए अपने स्थानीय संदेश प्रणाली को वैश्विक एसएफएमएस हब से जोड़ सकते हैं। इससे भारत को प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है (पैराग्राफ IX.43); और
- 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ तालमेल बिठाने के लिए, विभाग ने बाहरी निर्भरता (विक्रेताओं सहित)

को कम करने के लिए निम्नलिखित एप्लीकेशनों को इन-हाउस विकसित करने की योजना बनाई है, इसके अलावा सिस्टम में परिवर्तन करने के संबंध में समुत्थानशीलता बढ़ायी जाएगी:

- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) द्वारा ई-कुबेर 3.0 एप्लीकेशन का विकास। सरकारी भुगतान मॉड्यूल (जीपीएक्स) के साथ कोर एकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का विकास प्रगति पर है।
- घरेलू और साथ ही सीमा पार वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेश संचार का समर्थन करने के लिए एक वैकल्पिक संदेश प्रणाली ढांचा विकसित करना। यह सीमा पार समाधान और ऋण पत्र/बैंक गारंटी (एलसी/बीजी) संदेश जैसी कार्यात्मकताओं के साथ विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएसओ 20022 संदेश मानकों पर आधारित होगा।
- डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करें, जो मौजूदा केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली द्वारा वर्तमान में दी जा रही सभी कार्यक्षमताओं के साथ-साथ अन्य उन्नत कार्यक्षमताओं की पेशकश करेगा। यह प्रणाली खुदरा और उच्च मूल्य भुगतान सेवाओं, बल्क मैसेज समर्थन और कम मूल्य की तेज़ भुगतान सेवाओं का समर्थन करेगी। यह सीपीएस से जुड़ने के लिए थिक क्लाइंट और ओपन एपीआई समाधान जैसे विकल्प प्रदान करेगा। इस इन-हाउस विकसित व्यापक प्रणाली को अन्य देशों को भी पेश करने का प्रस्ताव है (पैराग्राफ IX.44).

कार्यान्वयन स्थिति

IX.40 दूसरे ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर का निर्माण कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। इस सुविधा को उच्च स्तर की अतिरेकता, समुत्थानशीलता और सिस्टम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें अंतर्निहित त्रुटि सुधार शामिल है। इसने अपने डिज़ाइन के लिए टियर IV प्रमाणन प्राप्त किया है, जो विश्वसनीयता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों के अनुपालन को रेखांकित करता है।

IX.41 आईएफ़टीएएस को भारतीय वित्तीय क्षेत्र (आईएफ़एस) क्लाउड बनाने का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और लागत प्रभावी क्लाउड-आधारित सेवाएँ प्रदान करना और आधुनिक तकनीक, शासन और डेटा स्थानीयकरण को अपनाने की चुनौतियों को कम करना था। वर्ष के दौरान आईएफ़एस क्लाउड सेवाओं के चरण I पर काम शुरू किया गया था। साथ ही, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमपीवी) सेवाओं वाले कुछ बैंकों/वित्तीय मध्यस्थों को शामिल करते हुए आईएफ़एस क्लाउड के बीटा चरण पर काम शुरू हो गया है, ताकि ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके, चुनौतियों को समझा जा सके और क्लाउड सेवाओं की पेशकश को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

IX.42 रिज़र्व बैंक ने आईएफ़टीएएस के माध्यम से आईएनएफ़आईएनईटी 3.0 परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, फ्रेमवर्क, स्वचालन, बेहतर बैंडविड्थ और समग्र सेवाओं में परिवर्तनकारी बदलावों के साथ मौजूदा आईएनएफ़आईएनईटी 2.0 को ताज़ा करना था। आईएनएफ़आईएनईटी 3.0 समाधान डिज़ाइन में नवीनतम एसडी-डबल्यूएएन तकनीक को अपनाया गया है जो बेहतर ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग, एप्लिकेशन दृश्यता और बढ़ी हुई सुरक्षा की अनुमति देता है। वर्तमान में, परियोजना कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है।

IX.43 स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वैश्विक

एसएफ़एमएस हब का विकास पूरा कर लिया है। इस हब की सेवाओं का उपयोग करके, इच्छुक देश अपने केंद्रीय बैंक या नामित बैंक के माध्यम से भारत में नामित बैंक को/से सीधे वित्तीय संदेश भेज/प्राप्त कर सकते हैं। हब से जुड़ने में रुचि व्यक्त करने वाले देशों के साथ तकनीकी चर्चाएँ वर्तमान में चल रही हैं।

IX.44 ई -कुबेर 3.0 एप्लीकेशन को कई व्यावसायिक और कार्यात्मक मॉड्यूल के साथ-साथ एक एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म के साथ विकसित किया जा रहा है। जीपीएक्स के हिस्से के रूप में ई-भुगतान और ई-रसीद का विकास वर्ष के दौरान पूरा हो गया था, और कोर एकाउंटिंग प्लेटफ़ॉर्म का कार्यान्वयन चल रहा है।

प्रमुख पहल

प्रवाह - एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल

IX.45 बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, प्रवाह को 28 मई, 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस सुरक्षित, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल ने विनियमित संस्थाओं और व्यक्तियों से आवेदन, अनुरोध और संदर्भों को प्रस्तुत करने और संसाधित करने को डिजिटल बना दिया है, जिससे पारदर्शी तरीके से सेवाओं की निर्बाध और तेज डिलीवरी सुनिश्चित हुई है। प्रवाह को रिज़र्व बैंक के आंतरिक वर्कफ़्लो एप्लिकेशन सारथी के साथ भी एकीकृत किया गया था, जिससे एप्लीकेशनों के संपूर्ण प्रसंस्करण जीवनचक्र का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण सुनिश्चित हुआ और विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए व्यापार करने में आसानी हुई। आगे बढ़ते हुए, प्रवाह में नियोजित संवर्द्धन में शामिल होंगे: (ए) अपलोड किए गए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए आधार आधारित ई-साइन सेवाएं; और (बी) प्रवाह में ही अपने इनपुट प्राप्त करने के लिए अन्य नियामकों और सरकारी एजेंसियों के लिए समर्पित पहुंच।

चिराग : एक जनरेटिव कन्वर्सेशनल एआई टूल

IX.46 उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से जनरेटिव एआई की क्षमता जो संदर्भ-जागरूक, मानव-जैसी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकती है और बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकती है, केंद्रीय बैंकिंग परिदृश्य में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, जो संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करती है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने अपना जनरेटिव एआई प्लेटफ़ॉर्म, चिराग भी विकसित किया है। शुरुआत में सूचना निष्कर्ष और संश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया, चिराग में एक परिष्कृत ऑर्केस्ट्रेशन परत के रूप में विकसित होने की क्षमता है, जो रिज़र्व बैंक के कार्यों की विस्तृत श्रृंखला से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और डेटा के साथ सहजता से समन्वय करेगा।

सारथी 2.0

IX.47 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (अर्थात, सारथी) [सारथी 2.0]। सारथी 2.0 को कई विशेषताओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है जैसे कि बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (यूआई) / उपयोगकर्ता अनुभव (यूएक्स), नवीन वर्कफ़्लो प्रक्रियाएँ, मोबाइल प्रतिक्रियाशीलता, ज्ञान भंडार कार्यक्षमता और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एकीकरण।

एनईएफटी को आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों के अनुरूप बनाना

IX.48 रिज़र्व बैंक में एनईएफ़टी प्रणाली 2023 से आईएसओ 20022 संदेश मानकों के अनुरूप है। एनईएफ़टी प्रणाली के 230 से अधिक सदस्य बैंकों को अगस्त 2024 तक आईएनएफ़आईएनईटी प्रारूप संख्या (आईएफ़एन) और

आईएसओ संदेशों के बीच रूपांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले कनवर्टर समाधान का उपयोग करके आईएसओ मानकों पर माइग्रेट किया गया था। सदस्य बैंक अब अपने संबंधित कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को आईएसओ 20022 के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया में हैं, इस प्रकार, आईएसओ संदेशों का सीधा, एंड-टू-एंड ट्रांसमिशन सक्षम करना। आईएसओ 20022 को अपनाने से घरेलू और विदेशी भुगतान समाधानों में संरचित और विस्तृत डेटा, एंड-टू-एंड ऑटोमेशन, प्रभावी अनुपालन और अंतर-संचालन क्षमता उपलब्ध होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन

IX.49 आईटी और साइबर सुरक्षा का उन्नयन डिजिटल खतरों के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए रिज़र्व बैंक के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। सीएडी के हिस्से के रूप में, महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के लिए 'रेड टीमिंग' साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक में दिन-प्रतिदिन के संचालन के दौरान आने वाली समस्याओं/चुनौतियों को दूर करने के लिए नए दृष्टिकोण और तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए, एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता 'साइबर कोडफेस्ट - लेट्स डेवलप टुगेदर' आयोजित की गई थी। जबकि भुवनेश्वर में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई) का निर्माण, जिसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक के भीतर एक सुरक्षित और जिम्मेदार साइबर संस्कृति को बढ़ावा देना है, प्रगति पर है, रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुके हैं। 25-27 जुलाई, 2024 के दौरान आयोजित आईटी पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन, 'टेक कनेक्ट', वर्तमान तकनीकी रुझानों की खोज और हितधारकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की व्यापक समझ हासिल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

2025-26 की कार्यसूची

IX.50 2025-26 के लिए विभाग के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा: बुनियादी सेवाओं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-ए-सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म-एज़-ए-सर्विस, सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस, कंटेनर-एज़-ए-सर्विस, स्टोरेज-एज़-ए-सर्विस और पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल-एज़-ए-सर्विस के साथ आईएफ़एस क्लाउड का चरण I शुरू किया जाएगा। इसके बाद, एपीआई प्रबंधन, एप्लिकेशन प्रदर्शन प्रबंधन, उपलब्धता क्षेत्र और विकास, सुरक्षा और संचालन (डेवसेकऑप्स) जैसी उन्नत सेवाओं के साथ क्लाउड के चरण II पर काम शुरू किया जाएगा।
- ई-कुबेर 3.0: प्राथमिक नीलामी, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, केंद्रीय लेखा अनुभाग और वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) जैसी कार्यात्मकताओं से संबंधित भविष्य के मॉड्यूल के विकास की योजना बनाई गई है।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए वैकल्पिक तंत्र : रिज़र्व बैंक वैकल्पिक भुगतान और संदेश प्रणालियों के विकास और नवाचार को जारी रखेगा। इसका विजन उन्नत क्षमताओं के साथ आधुनिक मानकों पर आधारित भुगतान और संदेश समाधान विकसित करना होगा।
- एआई गवर्नेंस नीति: कर्मचारियों, विक्रेताओं और तीसरे पक्ष के भागीदारों द्वारा एआई/मशीन लर्निंग (एमएल) प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए रिज़र्व बैंक के लिए एआई नीति फ्रेमवर्क शुरू किया जाएगा। डेटा हैंडलिंग, सहमति और सुरक्षा पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करके, नीति एआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का उपयोग

करते हुए रिज़र्व बैंक के संचालन की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करती है।

- ‘bank.in’ और ‘fin.in’ डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना: डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए ‘bank.in’ विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को कम करना है; और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़े। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। बैंकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

4. निष्कर्ष

IX.51 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की दक्षता, सुरक्षा और पहुँच को बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा, साथ ही वैश्विक पहुँच का और विस्तार किया, डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा दिया और साइबर समुत्थानशीलता को मजबूत किया। नवाचार को बढ़ावा देने, परिचालन जोखिमों को कम करने और अपने आईटी सिस्टम और एप्लीकेशनों के सुचारू संचालन के लिए मजबूत आईसीटी बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी रहे। वित्तीय क्षेत्र के लिए सी लाउड सुविधा, अगली पीढ़ी की कोर बैंकिंग (अर्थात, ई-कुबेर 3.0), ‘bank.in’ डोमेन के लिए बैंकों का पंजीकरण और एआई गवर्नेंस नीति ढांचा 2025-26 में शुरू किया जाएगा।

X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से अपनी संचार पहुंच को व्यापक बनाना जारी रखा। भारत के वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अलावा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंध गहरे हुए। सरकार की ओर से प्रभावी नकदी प्रबंधन और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए प्रयास किए गए। आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान को तेज किया गया, और सूचना प्रबंधन प्रणालियों को और मजबूत किया गया।

X.1 रिज़र्व बैंक की संचार नीति ने पारदर्शिता, स्पष्टता और समयबद्धता के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यों के बारे में जनता की धारणाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता की है। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपने टूलकिट में पॉडकास्ट जोड़कर अपने संचार चैनलों को और मजबूत किया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया गया। हितधारकों को एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म (*जैसे, ई-कुबेर*[1], एसएनए-स्पर्श[2] और टीआईएन[3] 2.0) पर क्रमिक रूप से शामिल करके सरकारी नकदी प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। बाजार की अनिश्चितता के बीच विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत किया गया। प्रमुख प्रकाशनों को समय पर जारी करने के साथ-साथ नीति निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने की दिशा में कई समकालीन समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन किए गए। नवोन्मेषी तकनीकों और मॉडलों का उपयोग करके पूर्वानुमान और सांख्यिकीय विधियों को परिष्कृत किया गया, जबकि नवीनतम तकनीक को अपनाने के साथ सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक ने अपने संवैधानिक विनियमों के सामंजस्य की दिशा में भी काम शुरू किया।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 रिज़र्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ बातचीत शामिल है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के एक बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित है। खंड 5 में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण किया है। खंड 6 में आर्थिक अनुसंधान पर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग(डीईपीआर) की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित है, जिसमें सांविधिक रिपोर्ट और फ्रंटलाइन अनुसंधान प्रकाशन शामिल हैं। खंड 7 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों की रूपरेखा दी है, जबकि खंड 8 में विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

[1] रिज़र्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान।

[2] एकल नोडल एजेंसी - *समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण* (एसएनए-स्पर्श) एकीकृत त्वरित हस्तांतरण की एक वास्तविक समय प्रणाली है।

[3] कर सूचना नेटवर्क।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 स्पष्ट और समयबद्ध केंद्रीय बैंक संचार, केंद्रीय बैंक की नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और सोशल मीडिया के युग में सक्रिय दो-तरफ़ा संचार चैनल के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार को रोकता है। इस प्रकार, केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रभावी संचार उनके नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता को मजबूत कर सकता है और मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

X.4 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति ने जनता, निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद की। जब आवश्यकता हो, मौखिक संचार के माध्यम से पर्यवेक्षी और वित्तीय बाज़ार क्षेत्रों में समय पर हस्तक्षेप किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रिज़र्व बैंक के बारे में फ़र्जी ख़बरों और डीपफ़ेक वीडियो की घटनाओं को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से तुरंत स्पष्ट किया गया और साथ ही, प्रणालीगत स्थिरता और जन विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कई चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान (पीएसी) चलाए गए।

X.5 वर्ष के दौरान, शीर्ष प्रबंधन के भाषणों और साक्षात्कारों तथा सोशल मीडिया पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों और सोच को उजागर करने के लिए ठोस प्रयास किए गए, जिससे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने की इसकी क्षमता में जनता का विश्वास और भरोसा बनाने में मदद मिली। युवा आबादी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अतिरिक्त संचार उपकरण के रूप में पॉडकास्ट शुरू करने की घोषणा की।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.6 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मीडिया कर्मियों के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित करना (पैराग्राफ X.7);
- विभिन्न विषयों पर 360-डिग्री जागरूकता अभियान जारी रखना (पैराग्राफ X.8);
- रिज़र्व बैंक की संचार नीति की व्यापक समीक्षा करना (पैराग्राफ X.9);
- आरबीआई *सुनता है* (आरबीआई लिसन) कार्यक्रम शुरू करना (पैराग्राफ X.10);
- वित्तीय जागरूकता और जन जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना (पैराग्राफ X.11); और
- 'दी आरबीआई म्यूजियम' माइक्रोसाइट विकसित करना (पैराग्राफ X.12)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.7 वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिज़र्व बैंक के लिखित रूप में संरचित संचार को शीर्ष प्रबंधन के भाषणों और साक्षात्कारों तथा मौद्रिक नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुपूरक बनाया गया। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकिंग नीतियों के संबंध में क्षेत्रीय मीडिया को जानकारी देने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान कोलकाता और हैदराबाद में महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों पर अनौपचारिक मीडिया बातचीत और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

X.8 रिज़र्व बैंक ने एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका में, 'आरबीआई *कहता है*' और 'आरबीआई सेज़' बैनर के तहत 360-डिग्री पीएसी का संचालन जारी रखा। इन अभियानों का लक्ष्य रिज़र्व बैंक की पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को धोखाधड़ी करने वालों या योजनाओं के खिलाफ सचेत करना और वित्तीय साक्षरता में सुधार करना है। 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने प्रतिष्ठित व्यक्ति समर्थित संदेशों की प्रथा बंद कर दी, जबकि शुभंकर - मनी कुमार और सुश्री मनी को अधिक प्रमुखता दी। पिछले वर्ष की तुलना में, जहां रिज़र्व बैंक ने विभिन्न विषयों पर 30 अभियान शुरू किए

थे, इस वर्ष के दौरान (31 मार्च, 2025 तक) 23 विषयों को शामिल करते हुए 43 अभियान चलाए गए।

X.9 संचार नीति का एक संशोधित संस्करण (संस्करण 3.0, जनवरी 2025) वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, तथ्यों की जाँच का उपयोग करते परिवर्तनों को ध्यान में रखा जा सके और इसे संशोधित *उत्कर्ष* योजना के साथ संरेखित किया जा सके।

X.10 '*आरबीआई सुनता है*'' परियोजना वर्तमान में मीडिया चैनलों से संकेतों को प्राप्त करने की रिज़र्व बैंक की क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की जा रही है, जो प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में कार्य कर सकती है या यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण जारी करने के लिए इनपुट प्रदान कर सकती है। वर्तमान में प्रगति पर चल रही यह परियोजना फर्जी खबरों का पता लगाने और हटाने में भी सक्षम होगी, जिससे चुनिंदा दो-तरफ़ा संचार का मार्ग प्रशस्त होगा।

X.11 नई पहल के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक के पीएसी को गूगल डिस्प्ले विज्ञापनों और यूट्यूब का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, दर्शकों को बेहतर तरीके से लक्षित किया गया और कुछ क्षेत्रों में *विशिष्ट* और केंद्रित अभियान सक्षम हुए। रिज़र्व बैंक ने पीएसी वितरित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में व्हाट्सएप को जोड़कर अपनी पहुंच का और विस्तार किया है।

X.12 वर्ष के दौरान, 'दी आरबीआई म्युजियम' माइक्रोसाइट विकसित की गई, ताकि रिज़र्व बैंक की नीतियों और पहलों के बारे में परस्पर संवादात्मक सामग्री, शैक्षिक संसाधन और जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, साथ ही इसके इतिहास के कुछ अंश भी प्रदर्शित किए जा सकें।

प्रमुख गतिविधियां

X.13 2024-25 के दौरान, विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न मीडिया, *जैसे* टेलीविजन (टीवी), प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, आउट-ऑफ-होम (ओओएच), गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और शॉर्ट-मेसेजिंग-सेवाएं (एसएमएस) का उपयोग करके अनुकूलित संचार प्रसारित किया (सारणी X.1)।

सारणी X.1: आवश्यकता आधारित अभियान (2024-25)

अभियान का विवरण	अवधि
1	2
1. मनी ऐप	अप्रैल 2024 अक्टूबर 2024
2. प्रथम सहायता शिकायत (आरबी-आईओएस)	मई 2024 अक्टूबर 2024
3. *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली	जून 2024
4. सीईपीडी एसएमएस अभियान	अप्रैल 2024 मई 2024 जून 2024 (2 अभियान) जुलाई 2024 अगस्त 2024 दिसंबर 2024 मार्च 2025
5. अकाउंट एग्रीगेटर	जुलाई 2024 अक्टूबर 2024
6. सिक्कों से संबंधित गलत सूचना	जुलाई 2024
7. धोखाधड़ी प्रतिरूपण	अगस्त 2024 नोव्हेंबर 2024
8. खुदरा प्रत्यक्ष मोबाइल ऐप	अगस्त 2024
9. अवैध धन वाहक	सितंबर 2024
10. सचेत पोर्टल	नोव्हेंबर 2024
11. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	नवंबर-दिसंबर 2024
12. यूडीजीएएम पोर्टल	नवंबर-दिसंबर 2024
13. डीपफेक वीडियो पर सार्वजनिक सूचना	दिसंबर 2024
14. मल्टी थीमैटिक हाफ पेज प्रिंट अभियान	दिसंबर 2024
15. निष्क्रिय खाता	दिसंबर 2024
16. बाल जागरूकता कार्यक्रम - अज्ञात पॉप-अप से सावधान रहें	जनवरी 2025
17. बाल जागरूकता कार्यक्रम – गंदे नोटों का विनिमय	जनवरी 2025
18. नामांकन सुविधा	जनवरी - फरवरी 2025
19. डिजिटल अरेस्ट	जनवरी - फरवरी 2025
20. बाल जागरूकता कार्यक्रम – अनजान लिंक पर क्लिक न करें	जनवरी - फरवरी 2025
21. खुदरा प्रत्यक्ष मोबाइल ऐप	फरवरी 2025
22. नामांकन सुविधा	फरवरी-मार्च 2025
23. वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025	फरवरी-मार्च 2025
24. नामांकन सुविधा	मार्च 2025
25. आईपीएल 2025	मार्च-मई 2025

मनी: मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर।
आरबी-आईओएस: रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना।
सीईपीडी: उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग।
यूडीजीएएम: दावा न की गई जमाराशियां - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार।
स्रोत: आरबीआई।

X.14 इन विषयगत अनुकूलित अभियानों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), पेरिस ओलंपिक 2024, *कौन बनेगा करोड़पति* (केबीसी), ड्रामा जूनियर्स (मराठी), प्रो *कबड्डी* लीग 2024 और निकलोडियन के साथ बाल केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम जैसे उच्च प्रभाव वाले आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया। टियर-3 और टियर-4 शहरों में बेहतर पहुँच के लिए, राष्ट्रीय प्रसारकों, *जैसे आकाशवाणी* और *दूरदर्शन* के माध्यम से भी अभियान चलाए गए।

आरबीआई वेबसाइट

X.15 2024-25 के दौरान, विभाग ने 2,517 प्रेस प्रकाशनी, 161 अधिसूचनाएं, 16 मास्टर परिपत्र, 16 मास्टर निदेश जारी किए और शीर्ष प्रबंधन के 14 साक्षात्कार और 60 भाषण, पाँच आरबीआई रिपोर्टें, सात वर्किंग पेपर, 2,351 निविदाएं और 53 भर्ती संबंधी विज्ञापन अपलोड किए। नव विकसित आरबीआई वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन 5 अप्रैल, 2024 को जारी किए गए। नई वेबसाइट के पूरी तरह से स्थायी होने तक पुरानी और नई दोनों आरबीआई वेबसाइट समानांतर रूप से चलेंगी।

अन्य पहल

बच्चों के लिए जागरूकता अभियान

X.16 'कैच देम यंग' पहल के भाग के रूप में, 'आरबीआई *कहता है... स्मार्ट बनो, कूल रहो*' टैगलाइन के साथ सरलीकृत जन जागरूकता संदेश जारी किए गए, जिनका उद्देश्य बच्चों में जागरूकता पैदा करना था। बच्चों को ध्यान में रखकर संदेश के लिए नए शुभंकर - 'जूनियर मनी' और 'मिनी मनी' पेश किए गए, ताकि बच्चों को इसमें जोड़ा जा सके।

सोशल मीडिया कमांड सेंटर

X.17 फॉलोवर्स की बढ़ती संख्या, जन सहभागिता और सूचना प्रसार से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिज़र्व बैंक की उपस्थिति के अच्छे प्रमाण दिखाई देते हैं। (सारणी X.2)।

मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस

X.18 द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की तारीख पर, गवर्नर और उप गवर्नर मीडिया कर्मियों से परस्पर चर्चा करते हैं। 2024-25 के दौरान इस प्रकार की छह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं।

सारणी X.2: सोशल मीडिया उपस्थिति*

प्लेटफॉर्म	सोशल मीडिया हैंडल/पेज का नाम	शुरू करने की तारीख	फॉलोवर्स / सब्सक्राइबर्स की संख्या (लाख)
1	2	3	4
1. X (पूर्व में ट्वीटर)	i. @RBI	जनवरी 2012	23.00
	ii. @RBISays	अगस्त 2019	2.30
2. यूट्यूब	Reserve Bank of India	अगस्त 2013	4.85
3. फेसबुक	i. @RBIsays	अगस्त 2019	0.17
	ii. @therbimuseum	फरवरी 2020	0.03
4. इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	3.70
5. पब्लिक ऐप	@RBIsays	जनवरी 2023	0.67
6. लिंक्डइन	@Reserve Bank of India	दिसंबर 2023	2.04

*: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत: आरबीआई।

अनौपचारिक मीडिया संवाद

X.19 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने मुंबई और दिल्ली में स्थापित एक अनौपचारिक चैथम हाउस[4] में 13 मीडिया संवाद आयोजित किए।

पॉडकास्ट

X.20 व्याख्याताओं, रिज़र्व बैंक कर्मियों के चुनिंदा साक्षात्कारों और इसके दायरे में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा के लिए वीडियो के साथ पॉडकास्ट (जिसे आमतौर पर 'वोडकास्ट' कहा जाता है) का उपयोग किया जाता है। पॉडकास्ट का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के उन केंद्रित क्षेत्रों में दृश्यता और जागरूकता पैदा करना है जो पारंपरिक मीडिया में पर्याप्त ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं (बॉक्स X.1)।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.21 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार चैनलों को और मज़बूत किया जाएगा:

- आरबीआई *सुनता है* - सोशल मीडिया लिसनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत;
- पॉडकास्ट की सुविधा के साथ मीडिया रूम;
- पीएसी का प्रभाव आकलन; और
- जागरूकता अभियानों के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ अधिक सहयोग।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.22 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया। भारत के दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी20, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता

बॉक्स X.1

केंद्रीय बैंकों द्वारा पॉडकास्ट - एक विशिष्ट डिजिटल संचार उपकरण

पॉडकास्ट का उपयोग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, स्वतंत्र मीडिया और स्टैंडअलोन पॉडकास्ट उत्पादकों द्वारा विशिष्ट विषयों पर *आला* और लक्षित सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रमुख केंद्रीय बैंकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों जैसे कि यूएस फेडरल रिज़र्व (यूएस फेड), यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी), बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), और विश्व बैंक ने अपने संदेशों और विचारों को सर्वदूर दर्शकों तक पहुँचाने के लिए पॉडकास्ट को अपनाया है। इन संस्थानों की तरह, रिज़र्व बैंक मौजूदा संरचित संचार के साथ-साथ अपने संचार उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में पॉडकास्ट का उपयोग करने की योजना बना रहा है। पॉडकास्ट को कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और यह नीति संचार को खासकर युवा, तकनीक-प्रेमी और क्षेत्रीय-भाषा बोलने वाली आबादी के लिए अधिक सुलभ, आकर्षक और प्रासंगिक बनाता है। यह नवोन्मेष रिज़र्व बैंक की डिजिटल-फर्स्ट रणनीति के अनुरूप है, जो मीडिया उपभोग की बदलती आदतों के प्रति इसके अनुकूलन को दर्शाता है। पॉडकास्ट तकनीकी विषयों को सरल, संवादात्मक व्याख्यात्मक प्रारूपों में तोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे रिज़र्व बैंक के संदेश जनता के लिए अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनेंगे। पारंपरिक प्रसारण के विपरीत, पॉडकास्ट श्रोताओं से प्रतिक्रिया और सहभागिता की संभावना प्रदान करते हैं। इस संचार उपकरण से मुद्रास्फीति, डिजिटल भुगतान, साइबर धोखाधड़ी और मौद्रिक नीति जैसे विषयों को आकर्षक तरीके से पेश करके गलत सूचनाओं से निपटने की उम्मीद है।

संदर्भ :

1. धीमान, बी. (2023), 'द पावर ऑफ पॉडकास्ट: रिवोल्यूशनाइजिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन', 20 जुलाई, एसएसआरएन में उपलब्ध।
2. मेहेंदले, एस. (2022), 'व्हाई इंडिया पॉड्स: स्टडी द मोटिवेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट पॉडकास्टर्स', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, 14 (4): 2612-2618।

[4] रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसे आमतौर पर चैथम हाउस के नाम से जाना जाता है, यह लंदन, इंग्लैंड में स्थित एक ब्रिटिश थिंक-टैंक है। चैथम हाउस नियम उन वक्ताओं द्वारा किसी भी मुद्दे पर साफ और स्पष्टवादी चर्चा की सुविधा के लिए विकसित हुआ, जिनके पास स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए अन्य उपयुक्त मंच नहीं हो सकता है।

बोर्ड (एफएसबी), सार्कफाइनेंस[5] और ब्रिक्स[6] जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखा गया। रिज़र्व बैंक ने दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की अध्यक्षता का अपना कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद, बैंक ऑफ़ कोरिया (बीओके) ने अध्यक्षता संभाली। सार्क देशों की अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान 2024-27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप के संशोधित ढांचे को भी अंतिम रूप दिया गया।

2024-25 की कार्यसूची

X.23 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2024-27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.24];
- आईएमएफ-विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) संयुक्त पंचवार्षिक निगरानी - भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.25]; और
- वर्ष 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के अध्यक्ष के रूप में, रिज़र्व बैंक 17वें एसईएसीईएन उच्च-स्तरीय सेमिनार और एसईएसीईएन कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ) की 23वीं बैठक की मेजबानी करेगा [पैराग्राफ X.26]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.24 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अनुमोदन से 2024-27 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था से संबंधित ढांचे को संशोधित किया है (बॉक्स X.2)।

X.25 विभाग ने आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित देश के वित्तीय क्षेत्र के एक व्यापक मूल्यांकन के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 अभ्यास के तहत चर्चाओं को सुगम बनाया। यह मूल्यांकन

बॉक्स X.2

सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था की रूपरेखा, 2024-27

केंद्रीय बैंक मुद्रा स्वैप, विशेष रूप से द्विपक्षीय स्वैप और क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था, वैश्विक वित्तीय रक्षा कवच का एक अभिन्न अंग हैं। भारत ने अन्य सार्क देशों के परामर्श से 2012 में सार्क देशों के लिए द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था लागू की। सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जो सार्क देशों को भुगतान संतुलन के दबाव या अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलनिधि प्रदान करती है और इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

भारत सरकार की मंजूरी से, रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 से 18 जून 2027 तक तीन वर्षों के लिए नया सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा 2024-27 लागू किया। इस ढांचे के तहत, भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक भारतीय रुपया (आईएनआर) स्वैप विंडो ₹250 बिलियन के कुल मूल निधि के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आईएनआर स्वैप पर ध्यान केंद्रित करना और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में आईएनआर के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र मूल निधि के साथ मौजूदा यूएसडी/यूरो स्वैप विंडो के तहत यूएसडी और यूरो में स्वैप सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। इस ढांचे में अपवादिक मामलों में इन दोनों विंडो तक एक साथ पहुंच का प्रावधान भी है, जिसमें किसी भी समय स्वैप सुविधा के तहत कुल मिलाकर संवितरण 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष से अधिक नहीं होगा।

रिज़र्व बैंक ने नए ढांचे के तहत, 1 अगस्त, 2024 को भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी और 7 अक्टूबर, 2024 को मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। नए ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया कुल स्वैप समर्थन यूएसडी/यूरो विंडो के तहत 400 मिलियन अमरीकी डालर और आईएनआर विंडो के तहत ₹15 बिलियन है।

स्रोत: आरबीआई।

[5] दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों (अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त सचिवों का नेटवर्क।

[6] ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में गुट में शामिल हुआ।

वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल कोर सिद्धांतों (बीसीपी) और सीपीएमआई-आईओएससीओ[7] कोर सिद्धांतों जैसे वैश्विक मानकों के अनुपालन पर आधारित है। हर पांच वर्षों के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 32 क्षेत्राधिकारों (भारत सहित) और प्रत्येक दस वर्षों के लिए अन्य 15 क्षेत्राधिकारों के लिए एफएसएपी के तहत वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन अनिवार्य है। 1999 में इसका उपयोग शुरू होने के बाद, एफएसएपी मूल्यांकन के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले पहले देशों में से एक भारत था और 2010 से एफएसएपी से गुजर रहा है। भारत के लिए 2024 एफएसएपी अभ्यास के तहत अधिकांश बैठकें दिसंबर 2023 में शुरू हुईं और 4 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न हुईं। 28 फरवरी, 2025 को आईएमएफ द्वारा वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन (एफएसएसए) के साथ ही एफएसएपी अभ्यास पूरा हो गया है। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) रिपोर्ट भी निर्धारित समय में जारी किए जाने की उम्मीद है। एफएसएपी के समग्र आकलन से संकेत मिलता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली समुत्थानशील है और आर्थिक विकास, डिजिटलीकरण और सहायक आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित अधिक वैविध्यपूर्ण और समावेशी बन गई है।

X.26 एसईएसीईएन कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ) - सदस्य केंद्रीय बैंकों के उप-गवर्नरों की समिति की 23वीं बैठक 30 अगस्त, 2024 को 19 सदस्यीय केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। इस बैठक में, 2024 में एसईएसीईएन केंद्र की कार्य योजना के कार्यान्वयन, गतिविधियों, 2025 के बजट और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

अन्य पहल

बीआईएस गतिविधियां

X.27 विभाग ने बीआईएस की विभिन्न बैठकों जैसे गवर्नरों की द्विमासिक बैठकें, वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीजीएफएस)[8], उभरते बाजार उप-गवर्नरों की बीआईएस वार्षिक बैठक और बीआईएस वार्षिक सम्मेलन के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस की प्रिपरेटरी एशियाई परामर्शदात्री काउंसिल (एसीसी) की बैठकों में भाग लिया।

वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहलें

X.28 विभाग ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी की विभिन्न स्थायी समितियों की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें विभिन्न विषयों पर रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया। इनमें वित्तीय स्थिरता पर वैश्विक सहयोग, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) की समुत्थानशीलता, मार्च 2023 की बैंकिंग उथल-पुथल, सीमा पार भुगतान, साइबर और परिचालनगत समुत्थानशीलता, डिजिटल नवोन्मेष [कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और टोकनाइजेशन सहित], और प्रकृति से संबंधित वित्तीय जोखिम शामिल थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रमुख एफएसबी रिपोर्टों और एफएसबी द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों पर सूचना प्रदान की।

आईएमएफ

X.29 विभाग ने प्रारंभिक चेतावनी अभ्यास पर वैश्विक नीति कार्यसूची; आईएमएफ कोटा और अनुशासन सुधार; और एकीकृत नीति ढांचे के तहत विनिमय दर प्रबंधन पर

[7] भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) - प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ)।

[8] सीजीएफएस वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबाव के संभावित स्रोतों का आकलन करता है और उनके कामकाज और स्थिरता में सुधार को बढ़ावा देता है।

भारत के रुख पर अप्रैल और अक्टूबर 2024 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की द्वि-वार्षिक निधि-बैंक बैठकों में रिज़र्व बैंक की भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान किया। विभाग ने अपने द्विपक्षीय उधार व्यवस्था (बीबीए) के माध्यम से आईएमएफ संसाधन जुटाने सहित विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर रिज़र्व बैंक के रुख को वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) के साथ साझा किया। इसने दिसंबर 2024 के दौरान आयोजित आईएमएफ के पैराग्राफ IV परामर्श को पूरा करने में भी सहायता प्रदान की। 27 फरवरी, 2025 को जारी की गयी आईएमएफ पैराग्राफ IV रिपोर्ट ने एक अनुकूल मूल्यांकन किया जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, मुद्रास्फीति व्यापक रूप से लक्ष्य बैंड तक गिर गई है, वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है और राजकोषीय समेकन जारी रहा।

जी20

X.30 ब्राजील की जी20 अध्यक्षता 'बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट' की थीम पर केन्द्रित रही। इसने कई पुरानी प्राथमिकताओं से संबधित कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें भारत की जी20 अध्यक्षता[9] के तहत शुरू किए गए कार्य जैसे कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता को बढ़ाना, ऋण कमजोरियों का प्रबंधन करना, वैश्विक वित्तीय रक्षा कवच को मजबूत करना, संधारणीय पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना, सीमा पार भुगतान बढ़ाना, साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

X.31 भारत ने ट्रोइका[10] के रूप में, अपने प्रस्तावों, इनपुट और टिप्पणियों के संदर्भ में ब्राजील की अध्यक्षता को अपना समर्थन दिया। वित्त ट्रैक के तहत, रिज़र्व बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय में वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों, वित्तीय समावेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, समष्टि आर्थिक नीति ढांचे और संधारणीय वित्त के तहत प्राथमिकताओं पर काम किया।

X.32 दक्षिण अफ्रीका 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' इस सर्वव्यापी विषय के साथ, 1 दिसंबर 2024 को जी-20 की कमान संभालने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, जिससे मंच की चर्चा में वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व की निरंतरता का संकेत मिलता है।

सार्कफाइनेंस

X.33 रिज़र्व बैंक ने 2025-2030 की अवधि के लिए क्षेत्रीय सहयोग हेतु सार्कफाइनेंस रोडमैप को लागू करने का बीड़ा उठाया, जिसमें सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग के तीन प्रमुख क्षेत्रों *अर्थात* बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, जलवायु और निरंतर विकास के लिए वित्तपोषण, और केंद्रीय बैंकिंग परिचालन में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

ब्रिक्स

X.34 2024 में ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के तहत, ब्रिक्स आर्थिक दृष्टिकोण और नीति सहयोग, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय अनुशासन सुधार, राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटान को बढ़ावा देने, आकस्मिक आरक्षित मुद्रा व्यवस्था (सीआरए) में संशोधन पर चर्चाओं का रुख केंद्रित था, ताकि नए सदस्यों और वैकल्पिक पात्र मुद्राओं को शामिल करके इसे और अधिक गतिशील बनाया जा सके।

क्षमता निर्माण

X.35 रिज़र्व बैंक ने सार्कफाइनेंस सदस्यों और दक्षिण पूर्व एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के केंद्रीय बैंकरों के

[9] भारत ने अपनी जी20 अध्यक्षता सफलतापूर्वक पूरी की, जिसकी परिणति नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के समर्थन में हुई। नतीजतन, भारत ने 1 दिसंबर, 2023 को जी20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी।

[10] जी20 ट्रोइका तीन देशों का एक समूह है जिसमें वर्तमान, पिछली और भविष्य की G20 अध्यक्षता शामिल हैं।

लिए एक्सपोजर विजिट, तकनीकी सहायता, कार्यशालाओं और अनुभव साझा करने संबंधी सत्र आयोजित करके क्षमता निर्माण पहलों में संलग्न होना जारी रखा।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.36 वर्ष के दौरान, विभाग रिज़र्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- ब्रिक्स सीआरए संधि में संशोधनों को अंतिम रूप देकर और सीआरए में नए ब्रिक्स सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा को सुविधाजनक बनाकर ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना;
- सार्क देशों के लिए 2024-27 के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर रूपरेखा के तहत स्वैप समर्थन के लिए परिचालन तत्परता जारी रखना;
- क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से सार्कफाइनेंस और अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग को मजबूत करना; और
- अन्य केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से बैंक *डी* फ्रांस और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ बातचीत करते हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देना।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.37 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक के आंतरिक लेखों का लेखा-जोखा रखने और रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के अलावा बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों का प्रबंधन करता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.38 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- अधिसूचित राज्यों के लिए सरकारी प्रणाली के साथ ई-*कुबेर* के एकीकरण के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन [पैराग्राफ X.39]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.39 वर्ष के दौरान, 20 और राज्यों में सीएसएस भुगतान व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही, केंद्र सरकार और 27 राज्य सरकारें इस व्यवस्था के तहत सक्रिय हैं। इसने ई-*कुबेर* और केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों दोनों की वित्तीय प्रणालियों के बीच त्रिपक्षीय एकीकरण का उपयोग करके सीएसएस के तहत जस्ट-इन-टाइम भुगतान को सक्षम किया है।

प्रमुख गतिविधियां

सरकारी भुगतान प्रणालियों में दक्षता बढ़ाना

X.40 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राज्य सरकारों को ई-*कुबेर* में ई-भुगतान के लिए एकीकृत किया गया है। सरकारों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कई पहलों को लागू किया हैं, जिसमें सरकारों के लिए डैशबोर्ड सुविधा और *आधार*-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) भुगतान की शुरुआत शामिल है (बॉक्स X.3)।

ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों का एकीकरण

X.41 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को दी जानेवाली रसीदों की मैन्युअल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया, जो पहले से ही ई-*कुबेर* प्रणाली के साथ एकीकृत हैं, को सरकारी लेन-देनों के ऑनलाइन समाधान के साथ तेज़ और कुशल प्रसंस्करण के लिए बंद कर दिया गया। ई-रसीद एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए सात राज्य सरकारों को भी रिज़र्व बैंक की ई-*कुबेर* प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया और एक राज्य सरकार को एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित रसीद के लिए ई-*कुबेर* प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया।

बॉक्स X.3
सरकारी लेन-देन में दक्षता लाने के लिए पहल

ई-भुगतान और ई-रसीदों के प्रसंस्करण के लिए रिज़र्व बैंक की *ई-कुबेर* प्रणाली के साथ सरकार की प्रणालियों के बढ़ते एकीकरण से, रिज़र्व बैंक के माध्यम से संसाधित लेनदेनों की मात्रा कई गुना बढ़ गई है। सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए 2024-25 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जाएगा, इस प्रकार हैं:

सरकारों के लिए डैशबोर्ड सुविधा

राज्य सरकार के खाताधारकों को रिज़र्व बैंक के माध्यम से संसाधित लेनदेनों के विवरण और स्थिति को देखने/डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, एक वेब-आधारित परस्पर संवादात्मक डैशबोर्ड सुविधा विकसित की गई है और अप्रैल 2024 में इसे लाइव कर दिया गया है। डैशबोर्ड सुविधा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सरकारी उपयोगकर्ता *ई-कुबेर* एकीकरण के माध्यम से संसाधित ई-रसीदों और ई-भुगतान लेनदेनों की लेनदेन आवर्तन स्थिति देख सकते हैं;
- सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार डैशबोर्ड देखने के लिए कई सरकारी यूजर्स के सृजन को सक्षम बनाता है;
- सरकारी उपयोगकर्ता समाधान के लिए लेनदेन स्तर के डेटा को डाउनलोड/एक्सपोर्ट कर सकते हैं; और
- लेनदेन डेटा को ज़रूरत के अनुसार लेनदेनों के विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके फ़िल्टर और अनुकूलित किया जा सकता है।

आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीएसएस के तहत डीबीटी भुगतानों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के *आधार* भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से संसाधित करने की आवश्यकता है। एपीबीएस कार्यक्षमता सरकार के लिए बैंक खाता संख्या और आईएफएससी[11] के बजाय *आधार* संख्या के आधार पर लाभार्थियों को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए विकसित की गई है। सरकार ने इन भुगतानों को रिज़र्व बैंक के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक की अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना और केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य सरकार, *ई-कुबेर* प्रणाली और एनपीसीआई प्रणाली के बीच एकीकरण का लाभ उठाया जाएगा, ताकि डीबीटी भुगतानों की प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके।

इस व्यवस्था के तहत, राज्य सरकारें *आधार*-आधारित भुगतान फाइलें प्रसंस्करण के लिए सीधे एनपीसीआई को भेजेंगी, जबकि रिज़र्व बैंक सकल निधि निपटान (डेबिट/क्रेडिट) लेखांकन करेगा। परियोजना का पायलट रन 25 नवंबर, 2024 को राजस्थान राज्य सरकार, पीएफएमएस और एनपीसीआई के साथ आयोजित किया गया था।

स्रोत: आरबीआई।

मौजूदा सरकारी पहलों का स्थिरीकरण

X.42 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी बैंकिंग की प्रक्रिया को निरंतर उन्नत करने और बेहतर बनाने के प्रयास के भाग के रूप में, नेपाल में रहने वाले पेंशनभोगियों को रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा रक्षा पेंशन भुगतानों के प्रसंस्करण के लिए ई-भुगतान में भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा को लाइव किया गया।

X.43 एसएनए-स्पर्श मॉडल के अंतर्गत, सीएसएस निधियों को समय पर जारी करने के लिए एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र में 20 और राज्य सरकारों को शामिल किया गया।

X.44 कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) जिसने 2023 में पूर्ववर्ती ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) की जगह ली थी, स्थायी हो गया है। उपलब्ध भुगतान विधियों का विस्तार करने और करदाता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) और टीआईएन प्लेटफ़ॉर्म दोनों पर एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) जैसे भुगतान के नए तरीके जोड़े गए हैं। जीएसटी से संबंधित ऑनलाइन त्रुटि ज्ञापन (एमओई) मामलों के प्रसंस्करण के लिए रिज़र्व बैंक की प्रणाली के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के एकीकरण कार्य को पश्चिम बंगाल राज्य के ऑनबोर्डिंग और

[11] भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की सरकारों के साथ उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) की शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया गया।

एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा के लिए समिति का गठन

X.45 भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी बैंकिंग कारोबार के संचालन के लिए एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। एजेंसी कमीशन दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान दरें 1 जुलाई, 2019 से लागू की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी बैंकिंग की लागतों और एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा करने के लिए सीएजी, लेखा महानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) और डीजीबीए के प्रतिनिधित्व के साथ मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने 10 मार्च, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विशेष जमा योजना का डिजिटलीकरण, 1975

X.46 भारतीय रिज़र्व बैंक उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अपने प्रयास के अनुरूप, *ई-कुबेर* 3.0 के भाग के रूप में पारंपरिक विशेष जमा योजना, 1975 के तहत खातों के रखरखाव के लिए डिजिटल समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में है। इन खातों को ब्याज भुगतान और आहरण प्रक्रिया की कार्यक्षमता के साथ एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में लाया जाएगा।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.47 विभाग 2025-26 के लिए निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तावित करता है:

- अधिसूचित राज्यों के लिए एनपीसीआई, केंद्र और राज्य सरकार प्रणालियों के साथ *ई-कुबेर* के एकीकरण के माध्यम से एनपीसीआई के *आधार* भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित *आधार* के माध्यम से सीएसएस भुगतान का कार्यान्वयन करना।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

X.48 आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) का प्रबंधन जारी रखा। 2024-25 के दौरान एफईआर में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 11.7 प्रतिशत) हुई। विभाग ने अपने परिभाषित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/अधिकार क्षेत्रों की खोज करके विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा।

X.49 भू-राजनीतिक जोखिमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता के कारण बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से आरक्षित निधि प्रबंधन कार्य चुनौतीपूर्ण बना रहा (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4
अनिश्चितता के युग में आरक्षित निधि प्रबंधन

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से विनिमय दर में अस्थिरता को कम करने और आवर्ती भू-राजनीतिक और आर्थिक झटकों के साथ बढ़ रहे बाह्य क्षेत्र के आघातों के प्रति समुत्थानशीलता बढ़ाने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंकिंग द्वारा हाल ही में किए गए केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण *ट्रेंड्स इन रिज़र्व मैनेजमेंट 2024'* से पता चला है कि भू-राजनीतिक वृद्धि आरक्षित निधि प्रबंधकों द्वारा माना जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है। भू-राजनीतिक संघर्षों की बढ़ती आवृत्ति ने समृद्ध आरक्षित निधि की आवश्यकता को उजागर किया है, जिसमें प्रतिबंधों से विदेशी आस्तियों की पहुंच और उपयोगिता प्रभावित होती है। डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी), क्रिप्टोकरेंसी बाजारों और एआई पर विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा चल रहे काम जैसे प्रौद्योगिकी की तेजी से हो रही उन्नति वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया रूप दे रही है और अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी पैदा कर रही है।

(जारी)

इन चुनौतियों के जवाब में, सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ के तीन पारंपरिक उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय बैंक प्रभावी ढंग से आरक्षित निधियों का प्रबंधन करने के लिए विविध रणनीतियों को अपना रहे हैं। इस संबंध में, विविधीकरण को सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक के रूप में देखा जाता है। विभिन्न मुद्राओं, आस्ति वर्गों और अधिकार क्षेत्रों में आरक्षित निधियों का विस्तार करते हुए, देश विशिष्ट आस्तियों या भू-राजनीतिक कारकों पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं। दुनिया भर में आरक्षित निधि प्रबंधक अपनी आस्तियों को कई हिस्सों में जैसे कि चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलनिधि खंड और उच्च प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निवेश खंड में बांटते हैं। इसके अलावा, स्वर्ण के सुरक्षित-आश्रय संपत्ति होने के गुण ने केंद्रीय बैंकों द्वारा स्वर्ण की महत्वपूर्ण खरीद को बढ़ावा दिया है (चार्ट 1)।

संकट काल में चलनिधि प्रबंधन एक और मुख्य केंद्रबिंदु है। अत्यधिक चलनिधि आस्तियों में आरक्षित निधि का एक हिस्सा रखने से देशों को प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण होने वाले वित्तीय झटकों का तुरंत जवाब देने में मदद मिलती है। इस प्रकार, वैश्विक आरक्षित निधियों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित आस्तियों में निवेश किया जाता है (चार्ट 2)।

इसके अलावा, आरक्षित निधि प्रबंधक वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए अपनी रणनीतियों में पर्यावरण, सामाजिक और अनुशासन (ईएसजी) मानदंडों को एकीकृत करते हुए स्थायी निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये तत्व भविष्य में आरक्षित निधि की सुरक्षितता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनिश्चितता के युग में राष्ट्रों में आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए एक गतिशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केंद्रीय बैंक मजबूत विविधीकरण, नवोन्मेष को अपनाकर और अपनी रणनीतियों में स्थिरता को शामिल करके, आघातों के खिलाफ अपनी अर्थव्यवस्थाओं की समुत्थानशीलता को मजबूत रख सकते हैं।

चार्ट 1: केंद्रीय बैंकों द्वारा स्वर्ण की खरीद - हालिया रुझान

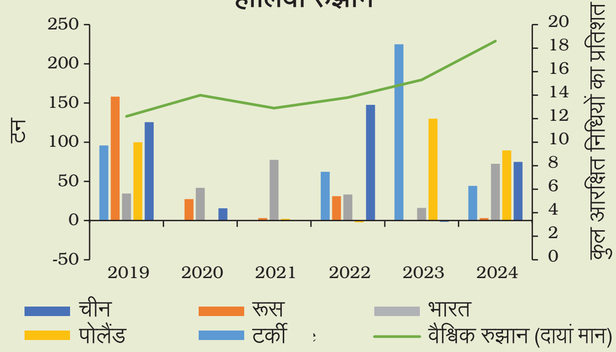

स्रोत: आईएमएफ, आरबीआई और विश्व स्वर्ण परिषद।

चार्ट 2: विश्व - मुद्रा द्वारा आबंटित आरक्षित निधियां: ति4: 2024 (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

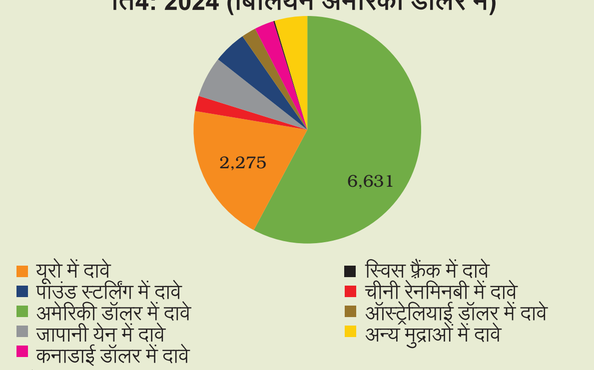

स्रोत: आईएमएफ।

संदर्भ:

केंद्रीय बैंकिंग (2024), 'आरक्षित निधि प्रबंधन में प्रवृत्तियां: 2024', सर्वेक्षण परिणाम।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.50 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- आरक्षित निधि प्रबंधन में केंद्रीय बैंक साथियों को नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रक्रियाओं और निवेश ढांचे को अपनाना (पैराग्राफ X.51);
- स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान में दक्षता लाने के लिए रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करना (पैराग्राफ X.52); और
- एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के तहत रुपये का उपयोग करके व्यापार निपटान के लिए एक परिचालन तंत्र तैयार करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.53]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.51 विभाग ने आरक्षित निधि प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय था 'आरक्षित निधि प्रबंधन में चुनौतियां - विविधीकरण की आवश्यकता'। संगोष्ठी में पांच केंद्रीय बैंकों ने भाग लिया।

X.52 स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान में दक्षता लाने के लिए भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस)[12] व्यवस्था में शामिल होने के लिए भागीदार देशों के साथ समन्वय किया (बॉक्स X.5)। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार चालान और निपटान की सुविधा के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (जून 2023), बैंक इंडोनेशिया (मार्च 2024), मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (नवंबर 2024) और बैंक ऑफ मॉरीशस (मार्च 2025) के साथ एलसीएस के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापनों के अनुसार, व्यापार भागीदारों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान में कुछ प्रगति देखी गई है। इसके अलावा, यूपीआई त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड और रुपे कार्ड की भुगतान प्रणाली अवसंरचना के माध्यम से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया गया है, जिसे अब कई देशों के साथ एकीकृत किया गया है।

X.53 घरेलू मुद्राओं के संभावित उपयोग पर सदस्य केंद्रीय बैंकों को जानकारी देने और आम सहमति बनाने के लिए 'एसीयू राष्ट्रों के बीच निपटान की पुनर्कल्पना' पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके बाद, एसीयू बोर्ड ने एसीयू तंत्र के तहत निपटान मुद्राओं के रूप में सदस्यों की घरेलू मुद्राओं को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। एसीयू तंत्र में घरेलू मुद्राओं के उपयोग के लिए परिचालन तंत्र पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

बॉक्स X.5

बदलती वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्थानीय मुद्रा में निपटान

भू-राजनीतिक तनावों में हाल ही में हुई वृद्धि और भू-आर्थिक विखंडन ने वैश्विक व्यापार और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बाहरी क्षेत्र में मौजूदा कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया है। तदनुसार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक उभरते वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल होने के तरीके तलाश रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार भागीदारों की घरेलू मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान तंत्र ऐसे परिदृश्य के तहत एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है।

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने व्यापार को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक अपने कुछ व्यापार भागीदारों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की संभावना तलाश रहा है, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक निपटान तंत्र प्रदान कराना है। द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन के लिए एलसीएस ढांचा स्थापित करने पर संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक (सीबीयूएई), बैंक इंडोनेशिया (बीआई), मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एलसीएस व्यवस्था व्यापारियों को घरेलू मुद्रा में व्यापार आय के लिए चालान और भुगतान करने की अनुमति देती है, जिससे विनिमय दर जोखिमों के जोखिम को कम किया जा सकता है। इससे बदले में, लेनदेन की लागत कम हो जाती है, घरेलू मुद्रा विनिमय दर में बाजार विकसित करने की सुविधा प्राप्त होती है और निपटान समय कम होता है। लंबी अवधि में, यह भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को भी मजबूत कर सकता है, जिसससे सीमा पार निवेश में वृद्धि और गहन वित्तीय एकीकरण हो सकता है। एलसीएस की शुरुआत से ईएमई को विदेशी मुद्रा पर बचत करने और व्यापार एवं पूंजी खाता लेनदेन दोनों के निपटान में दक्षता और स्वतंत्रता देने का भरोसा मिला है।

भू-आर्थिक रूप से अधिक विखंडित दुनिया में, वैकल्पिक मुद्राएँ एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के स्थानीय मुद्रा निपटान से देश के व्यापार को जोखिम मुक्त करने और विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाओं की तरह, एलसीएस एक मजबूत वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली में सहायक हो सकता है जो राष्ट्रों के बीच समग्र वैश्विक व्यापार में सुधार ला सकता है।

संदर्भ:

1. कूसाकुल, जे., झांग, एल., और जिया, एम. (2024), 'जिओपॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी एंड द यूज ऑफ ग्लोबल करेंसी, वर्किंग पेपर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सितंबर।
2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, (2024), 'पॉलिसी पिवट, रायजिंग थ्रेट', वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अक्टूबर।

[12] स्थानीय मुद्रा निपटान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के निपटान के लिए भागीदार देशों की घरेलू मुद्राओं के उपयोग को संदर्भित करता है। एलसीएस सीमा पार व्यापार लेनदेन और भुगतान देनदारियों के निपटान के लिए तीसरे पक्ष की मुद्राओं पर निर्भरता को कम करता है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.54 विभाग ने 2025-26 के लिए नीचे उल्लिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- निम्नलिखित बिंदुओं में, रिज़र्व बैंक की नेतृत्वकारी भूमिका का लाभ उठाना: (i) बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से आरक्षित निधि प्रबंधन के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और (ii) यदि आवश्यक हो तो अन्य केंद्रीय बैंकों को प्रशिक्षण/ सहायता प्रदान करते हुए 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में उभरना।
- ऋण जोखिम नीति की व्यापक समीक्षा करना और ऋण जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.55 रिज़र्व बैंक में अनुसंधान गतिविधियों के केंद्र के रूप में, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति निर्माण कार्य में समयबद्ध और सामयिक विश्लेषणात्मक सूचनाओं के माध्यम से सहायता करता है। रिज़र्व बैंक की विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक रिपोर्टें तैयार करने के अलावा, विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिक और द्वितीयक डेटा एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है, तथा रिज़र्व बैंक के अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा लिखित सामयिक शोध पत्र और आलेख प्रकाशित करता है। यह रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों और बाहरी शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान में भी जुड़ा हुआ है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.56 2024-25 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विश्लेषण और शामिल सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखते और बढ़ाते हुए न्यूनतम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.57];
- नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास पर एक अध्ययन की तैयारी (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.58];
- 'खाद्य मुद्रास्फीति अनुमान ढांचा' पर आईसीआरआईईआर[13] के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.58]; और
- 'मौद्रिक नीति संचरण का तुलनपत्र चैनल', 'भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता', 'भारत द्वारा वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) भागीदारी और उत्पादकता पर इसका प्रभाव' और 'वित्तीय समावेशन और भारत में मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर उसका प्रभाव' पर अध्ययन के साथ नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाओं को सक्षम बनाना (पैराग्राफ X.60)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 2024-25 के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप, विभाग ने 2024-25 के दौरान 100 शोध पत्र/आलेख प्रकाशित किए। इनमें आरबीआई सामयिक पत्र श्रृंखला में छह शोध लेख, सात आरबीआई वर्किंग पेपर्स, एक डीआरजी अध्ययन, एक प्रोग्राम फंडिंग स्कीम स्टडी, 61आरबीआई बुलेटिन लेख और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में 24 पेपर शामिल हैं। नीति निर्माण के लिए प्रासंगिक प्रमुख समकालीन मुद्दों को इन पत्रों/आलेखों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, *अर्थात;* (ए) भारत के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान; (बी) घरेलू बचत पोर्टफोलियो के निर्धारक; (सी) कोर मुद्रास्फीति का विश्लेषण; (डी) कृषि आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता (ई) राज्य स्तरीय राजकोषीय गुणकों का अनुमान; (एफ) ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल बैंकिंग अपनाना; और (जी) अवैतनिक घरेलू गतिविधियों का मूल्यांकन।

[13] अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद।

X.58 वर्ष के दौरान, 'नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास'; 'सब्जियों, दालों, फलों, पशुधन और मुर्गीपालन में मूल्य गतिशीलता पर अध्ययन और आपूर्ति श्रृंखला'; 'मौद्रिक नीति संचरण का तुलन पत्र चैनल' और 'भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता' को भी पूरा करते हुए जारी किया गया। 'वित्तीय समावेशन और भारत में मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर इसका प्रभाव' और 'भारत द्वारा जीवीसी भागीदारी और उत्पादकता पर इसका प्रभाव' अध्ययन तैयार किए जा रहे हैं।

अन्य पहल

रिपोर्ट

X.59 2024-25 के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक की प्रमुख सांविधिक रिपोर्टें, *अर्थात* आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट समय पर जारी की। 'राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन' और 'भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24' शीर्षक की रिपोर्टें भी जारी की गईं। इसके अलावा, 'भारत की डिजिटल क्रांति' विषय पर आधारित 'मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24' और 'नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियाँ' विषय पर आधारित 'नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट' भी विभाग द्वारा जारी की गईं।

आंकड़ों/सांख्यिकी का संकलन और प्रसार

X.60 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन (बीओपी), विदेशी ऋण, प्रभावी विनिमय दरें, संयुक्त सरकारी वित्त, पारिवारिक वित्तीय बचत और निधियों के प्रवाह से संबंधित सभी प्राथमिक और द्वितीयक सांख्यिकी आंकड़ों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर जारी की गईं। वर्ष के दौरान, 2022-23 के लिए केएलएमएस (पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएँ) आंकड़ें इसके मैनुअल के साथ जारी किए गए। आपूर्ति श्रृंखला स्वास्थ्य और आर्थिक विकास तथा मूल्य स्थिरता के लिए इसके निहितार्थों की निगरानी के लिए भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबावों का मासिक सूचकांक (आईएसपीआई) संकलित किया गया और आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया गया।

ज्ञान और अनुसंधान प्रसार

X.61 वर्ष के दौरान, डीईपीआर स्टडी सर्किल, जो एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने गहन चर्चा को सुविधाजनक बनाने और अनुसंधान की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विविध विषयों पर 17 ऑनलाइन सेमिनार/अनुसंधान पत्रों के प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया। विभाग ने ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें आरबीआई@90 समारोहों के एक भाग के रूप में, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में 'चौराहे पर केंद्रीय बैंकिंग' पर एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन शामिल था, जहाँ प्रमुख केंद्रीय बैंकिंग मुद्दों जैसे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण; मौद्रिक नीति; तेजी से सीमा पार भुगतान प्रणालियों में फिनटेक और सीबीडीसी की भूमिका; केंद्रीय बैंक और वित्तीय स्थिरता पर प्रमुख चिकित्सकों और शिक्षाविदों के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया गया। नवंबर 2024 में जयपुर में डिजिटल प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, रोजगार और आर्थिक विकास पर केंद्रित एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

X.62 रिज़र्व बैंक की अनुसंधान और रिपोर्ट गतिविधियों के व्यापक प्रसार के लिए, विभाग ने नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; और भारत के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत और संवाद किए गए।

X.63 चौथा सुरेश तेंदुलकर स्मारक व्याख्यान 5 जुलाई, 2024 को फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. जॉन सी. विलियम्स द्वारा 'मैनेजिंग दी नोन अननोन्स' विषय पर दिया गया, जिसमें

उन प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रणनीतियों के मूल में हैं और अनिश्चितता के प्रबंधन में अमूल्य साबित हुए हैं। उन्नीसवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान 28 नवंबर, 2024 को भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा द्वारा '21वीं सदी में भारत में छोटे किसानों की कृषि में बदलाव: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ' विषय पर दिया गया।

X.64 वर्ष के दौरान, केंद्रीय पुस्तकालय ने रिज़र्व बैंक की शोध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पुस्तकालय संसाधनों के डिजिटल अधिग्रहण, डिजिटल पहुँच और डिजिटल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। इसने रिमोटएक्स एप्लिकेशन के साथ दो नए ऑनलाइन डेटाबेस की सदस्यता ली, जो सभी सब्सक्राइब किए गए ई-संसाधनों तक निर्बाध दूरस्थ पहुँच में मदद करता है। पुस्तकालय ने पुस्तकालय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की विषयगत प्रदर्शनी भी आयोजित की।

X.65 आरबीआई अभिलेखागार ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से प्राप्त 4,333 फाइलें, पांच रजिस्टर और 12 सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) एक्सेस किए। नई दिल्ली में आयोजित 'चौराहे पर केंद्रीय बैंकिंग' विषय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान रिज़र्व बैंक के इतिहास पर प्रदर्शनी भी लगायी गई।

शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को सहायता

X.66 रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(15बी) के अनुसरण में, आरबीआई प्रोफेशनल चेयर एंड कॉर्पस फंड योजना के माध्यम से बाहरी शोध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, पूरे भारत में फैले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों में 20 आरबीआई प्रोफेशनल चेयर हैं। 2024-25 में, रिज़र्व बैंक ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में एक नया चेयर बनाया। वर्ष के दौरान, आरबीआई चेयर द्वारा किए गए अनुसंधान में मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, जलवायु वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और व्यापारिक व्यापार सहित व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया। कई आरबीआई चेयर ने पारंपरिक समष्टि अर्थशास्त्र शिक्षण को एक परिचालनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्दों पर छात्रों और युवा संकाय सदस्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं। विभाग ने इन कार्यशालाओं के लिए संकाय सहायता प्रदान की।

X.67 रिज़र्व बैंक ने सहयोगात्मक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए बाह्य अनुसंधान योजनाएं भी शुरू की हैं। रिज़र्व बैंक की कार्यक्रम निधीयन योजना के भाग के रूप में 'लक्षद्वीप द्वीपसमूह में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की स्थिति: बाधाएं और आगे की राह' शीर्षक से एक अध्ययन किया गया, जिससे भारत के भौगोलिक रूप से निर्जन और कम अध्ययन वाले लक्षद्वीप द्वीपों में वित्तीय क्षेत्र और डिजिटल पहुँच के बारे में जानकारी मिली। रिज़र्व बैंक की डीआरजी अध्ययन योजना के भाग के रूप में, 'भारत में मौद्रिक नीति संचरण और श्रम बाज़ार' पर एक अध्ययन पूरा करते हुए प्रकाशित किया गया, जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के तहत मौद्रिक नीति संचरण पर भारत के श्रम बाज़ार के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, विभिन्न समकालीन आर्थिक मुद्दों पर अल्पकालिक अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करने के लिए पांच विद्वानों का चयन किया गया।

घरेलू/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहभागिता

X.68 विभाग ने आईएमएफ की पैराग्राफ IV की बैठकों और भारत के एफएसएपी पर आईएमएफ-विश्व बैंक के संयुक्त मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभाग ने भारत-जापान समष्टि आर्थिक परामर्श और बैंक *डी* फ्रांस प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श में भी योगदान दिया। विभाग ने मोरक्को के माराकेश में आयोजित 44वीं सार्कफाइनेंस गवर्नर्स समूह बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार 'सार्क देशों में मौद्रिक

नीति के लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के निहितार्थ' पर आरबीआई के नेतृत्व वाले सहयोगी अध्ययन को समर्थन प्रदान किया। अन्य सहभागिताओं में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ वर्तमान आर्थिक गतिविधियों पर बातचीत, एसईएसीईएन अनुसंधान और मौद्रिक नीति निदेशकों की बैठक में भागीदारी, अनुसंधान प्राथमिकताओं पर बीआईएस एशियाई परामर्शदात्री परिषद (एसीसी) की बैठक, बीआईएस वैश्विक अर्थव्यवस्था बैठकें और ओईसीडी आर्थिक नीति समिति की बैठकें शामिल थीं।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.69 2025-26 के लिए विभाग की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होगी:

- न्यूनतम 100 शोध पत्र प्रकाशित करने का लक्ष्य बनाए रखना;
- 'भारत का बाह्य क्षेत्र: वैश्विक अशांति से निपटना' विषय पर आधारित मुद्रा और वित्त 2024-25 पर रिपोर्ट और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर रिपोर्ट का प्रकाशन; और
- केंद्रीय बैंकिंग के मुख्य क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते नीतिगत मुद्दों, जैसे मुद्रास्फीति की गतिशीलता, मौद्रिक और नियामक नीति, वास्तविक क्षेत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों को शामिल करने वाले सामयिक अध्ययन करना। इन अध्ययनों में अन्य विषयों के साथ, 'बहुभिन्नरूपी कोर प्रवृत्ति मुद्रास्फीति: अंतर्निहित मुद्रास्फीति का आकलन', 'मजदूरी और मुद्रास्फीति (वेतन फिलिप्स वक्र) गतिशीलता: पीएलएफएस डेटा से अंतर्दृष्टि', 'बैंक प्रतिस्पर्धा और मौद्रिक संचरण', 'फिनटेक ऐप उपयोगकर्ता अनुभव के संचालक: एक टेक्स्ट माइनिंग दृष्टिकोण', 'वास्तविक प्रभावी विनिमय दर: सेवा व्यापार भार के साथ वृद्धि' *जैसे* विषयों को शामिल किया जाएगा।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.70 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) ने समष्टि वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को जारी रखा। विभाग ने नवीनतम तकनीकों को अपनाकर सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन के दायरे और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आंकड़ों के पूर्वानुमान और संकलन के लिए प्रयुक्त पद्धतियों को नवीन तकनीकों और मॉडलों के उपयोग को बढ़ाकर परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सर्वेक्षणों के दायरे और पहुंच का विस्तार किया गया।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.71 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- मेटाडेटा-आधारित डेटा एक्सेस और विज़ुअल एनालिटिक्स के लिए मानक डेटा क्वेरी इंजन (डीक्यूई) का विकास और कार्यान्वयन (पैराग्राफ X.72);
- प्रमुख विनियमित संस्थाओं द्वारा सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानक डेटा रिपोर्टिंग जिसमें बैंकिंग व्यवसाय का 90 प्रतिशत शामिल है (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.73];
- भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल की सार्वजनिक पहुंच के लिए मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन (पैराग्राफ X.74);
- प्रमुख कंपनियों के घरेलू/विदेशी उधार और वित्तीय खातों के लिंकेज के लिए ढांचे का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.75]
- गैर-पारंपरिक डेटा का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों का विकास,

जिसमें उपग्रह इमेजरी डेटा जैसे गैर-पाठ डेटा शामिल हैं (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.76]; और

- वैश्विक डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे को लागू करके रिज़र्व बैंक के डेटा गवर्नेंस ढांचे (डीजीएफ) को परिष्कृत करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.77]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.72 एसडीएमएक्स तकनीक पर आधारित मेटाडेटा संचालित मानक डीक्यूई को उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा एक्सेस और विज़ुअल एनालिटिक्स के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया है। यह रिज़र्व बैंक के डीबीआई पोर्टल पर ग्रेन्युलैरिटी के वांछित स्तर पर समष्टि आर्थिक डेटा तक सार्वजनिक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।

X.73 संग्रहण, प्रसंस्करण और तत्व-आधारित डेटा रिपोजिटरी के निर्माण के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूरा हो चूका है। मौजूदा पारंपरिक डेटा आर्किटेक्चर से एसडीएमएक्स तत्व-आधारित डेटा बनाने के लिए एक कनवर्टर एप्लीकेशन विकसित किया गया है। चुनिंदा रिटर्न के लिए एसडीएमएक्स तत्व-आधारित डेटा का परीक्षण पूरा हो गया है। पायलट परीक्षण करने के लिए एक अवधारणा का प्रमाण (पीओसी)[14] टीम बनाई गई है।

X.74 प्रमुख समष्टि-वित्तीय डेटा तक उपयोगकर्ता को अनुकूल पहुंच प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, 'आरबीआई डेटा ऐप' विकसित किया गया है। यह वास्तविक, कॉर्पोरेट, वित्तीय, राजकोषीय और बाहरी क्षेत्रों के साथ-साथ भुगतान संकेतकों और सर्वेक्षण डेटा से लगभग 11,000 पृथक समष्टि आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रत्येक श्रृंखला को डाउनलोड सुविधा के साथ वास्तविक समय में विज़ुअल रूप से प्रस्तुत और अपडेट किया जाता है। यह एप्लीकेशन भारतीय मानचित्र पर बैंकिंग आउटलेट्स के साथ-साथ सार्क वित्त डेटाबेस का विवरण भी प्रदान करता है।

X.75 प्रमुख कंपनियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिए गए उधारों को जोड़ने के लिए केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में एक प्रणाली विकसित की गई है। यह कार्य शीर्ष 500 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए विभिन्न स्रोतों से कॉर्पोरेट उधार डेटा को एकीकृत करके किया गया था। कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंकड़ों को उनके वित्तीय प्रदर्शन से भी जोड़ा गया है।

X.76 रिज़र्व बैंक के कार्यात्मक क्षेत्रों में डेटा विज्ञान [कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल)] अनुप्रयोगों का दायरा पारंपरिक और नए युग के डेटा स्रोतों का उपयोग करके अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) के समन्वय में बढ़ाया जा रहा है। विभाग ने नीतिगत उद्देश्यों के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स, एमएल और टेक्स्ट माइनिंग की शक्ति का और अधिक लाभ उठाया, और विभिन्न विभागों के लिए परियोजनाएं शुरू की गईं।

X.77 संगठनात्मक संरचना, प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस फैब्रिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंतरिक उपयोग के लिए डेटा गवर्नेंस ढांचा तैयार किया गया है। वैश्विक डेटा गुणवत्ता ढांचे पर एक मूल्यांकन किया गया है और समग्र रिपोर्टिंग इकाई स्तर पर एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) के साथ-साथ कई आयामों को शामिल करने वाले उप-सूचकांक भी तैयार किए गए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत अधिनियमों का प्रभाव, केंद्र सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

अन्य पहल

X.78 सीएमआईएस परियोजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मॉड्यूल पूरे किए जा चुके हैं। आरबीआई उपयोगकर्ताओं के लिए सभी रिपोर्ट, डैशबोर्ड, *एड-हॉक* क्वेरी और अन्य मॉड्यूल (लीगेसी एक्सबीआरएल/डीबीआईई के अंतर्गत आने वाले मॉड्यूल सहित) उपलब्ध करा दिए गए हैं।

[14] यह एक अभ्यास है जो इस पर केंद्रित है कि क्या किसी विचार को वास्तविकता में बदला जा सकता है या यह सत्यापित करना कि क्या विचार परिकल्पना के अनुसार कार्य करेगा।

X.79 मशीन पठनीय डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करने वाले एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) का उपयोग करके डेटा प्रसार पूरा होने के उन्नत चरण में है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के डेटा प्रसार, डीबीआईई का यूआरएल बदलकर *https://data.rbi.org.in* कर दिया गया है।

X.80 व्यापक ऋण सूचना भंडार (सीसीआईआर) प्रणाली के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल करते हुए पायलट रन प्रगति पर है। सफल परीक्षण के बाद, प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लाइव किया जाना है।

X.81 विभाग ने पोर्टफोलियो निवेश, विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) की अलग पहचान और अन्य खातों में प्राप्य/देय राशियों के संबंध में भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के संकलन को परिष्कृत किया।

X.82 वर्ष 2022 में शुरू किए गए ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिवारों की आर्थिक भावनाओं को समझना है। आरसीसीएस, एक द्वि-मासिक सर्वेक्षण है, जो मौद्रिक नीति चक्र के साथ तालमेल बिठाकर आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय, खर्च, कीमतों और मुद्रास्फीति पर वर्तमान और भविष्य के विचारों को इकट्ठा करता है। यह सभी भारतीय राज्यों और चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों में 600 से अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के 9000 परिवारों को समाहित करने का लक्ष्य रखता है। सर्वेक्षण का परिणाम 9 अप्रैल, 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद पहली बार सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया था।

X.83 ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया से कॉर्पोरेट भावनाओं की नियमित रूप से निगरानी करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एआई/एमएल का उपयोग करने वाली एक प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी नियमित उद्यम सर्वेक्षणों के परिणामों को पूरक बनाती है।

X.84 सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), गैर-कृषि जीवीए (एनएजीवीए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए तत्कालिक अनुमान मॉडल को नया रूप दिया गया, और अल्पकालिक पूर्वानुमान के लिए बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के प्रायोगिक उपयोग के साथ-साथ मौसमी ऑटोरिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (एसएआरआईएमए) दृष्टिकोण का उपयोग करके विकास के मांग पक्ष घटकों के लिए पूर्वानुमान ढांचे का विस्तार किया गया। रिज़र्व बैंक में मौजूदा मुद्रास्फीति पूर्वानुमान दृष्टिकोणों के अलावा, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (हेडलाइन और कोर दोनों) के पूर्वानुमान के लिए एमएल विधियों का उपयोग करने वाले एक सैद्धांतिक मॉडल का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया था। इसके अलावा, सीपीआई-प्याज़ और सीपीआई-गेहूं के लिए एक एआई/एमएल -आधारित पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है, जो पारंपरिक डेटा स्रोतों के साथ असंरचित डेटा सेट को एकीकृत करता है।

X.85 अगस्त 2024 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती बिक्री की घटना की जांच करने के लिए, 19 शहरों में 15,000 परिवारों और 235 ऑटोमोबाइल डीलरों के बीच 'भारतीय उपभोक्ताओं की गुणवत्ता वरीयता' पर एक त्वरित सर्वेक्षण किया गया था।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.86 विभाग 2025-26 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- शेष कागज़-आधारित/ई-मेल-आधारित रिपोर्टिंग के साथ-साथ किसी भी *तदर्थ* डेटा संग्रह को सीआईएमएस में संरचित इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में स्थानांतरित करना (*उत्कर्ष* 2.0);
- सीआईएमएस के आईटी बुनियादी ढांचे को रिज़र्व बैंक के एक नए डेटा सेंटर में स्थानांतरित करना;
- सीआईएमएस के हिस्से के रूप में बैंकिंग बुनियादी ढांचा (सीआईएसबीआई) प्रणाली के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण करना;

- तत्व-आधारित रिपोर्टिंग के लिए एसडीएमएक्स-आधारित डेटा संग्रह का चरणबद्ध तरीके से रोल आउट (*उत्कर्ष* 2.0);
- पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए डेटासेट की खोज करते हुए, उन्नत एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करके पूर्वानुमान और तत्कालिक अनुमान मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जलवायु डेटा का लाभ उठाना;
- असंरचित डेटा के पूर्व-प्रसंस्करण और मूल्यवान गहरी पहुंच प्राप्त करने के लिए उनके उपयोग की योजना के साथ पाठ विश्लेषण के लिए एलएलएम में प्रगति का लाभ उठाना। एलएलएम द्वारा अर्जित पूर्व-प्रसंस्कृत डेटा मौजूदा एआई/एमएल मॉडल में इनपुट के रूप में काम कर सकता है; और
- प्रमुख समष्टि आर्थिक समुच्चयों के संकलन में मौजूद संशोधन के अनुरूप (ए) आवास मूल्य सूचकांक और (बी) बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक के लिए कवरेज और आधार संशोधन का विस्तार करना।

8. विधिक मुद्दे

X.87 विधि विभाग विधिक मुद्दों की जांच करता है और रिज़र्व बैंक को सलाह देता है तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन में सहायता करता है। यह विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरेल) और आरबीआई के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों पर कानूनी सहायता और परामर्श भी देता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.88 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- विधिकैम्स पर अपलोड करने के लिए रिज़र्व बैंक की अदालती केस फाइलों का डिजिटलीकरण और केस की स्थिति का अद्यतन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.89];
- विनियमन का मसौदा तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ X.90); और
- रिज़र्व बैंक के सांविधिक विनियमों का सामंजस्य (पैराग्राफ X.91)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.89 रिज़र्व बैंक के विधि अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्रोसेस एप्लीकेशन- विधिकैम्स ने केस दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करने में सक्षम बनाया है। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को मामलों की स्थिति अपडेट करने की भी अनुमति देता है।

X.90 विभाग ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के सहयोग से, दिसंबर 2024 में पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग, प्रवर्तन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और फिनटेक विभाग के अधिकारियों के लिए 'विनियमन प्रारूपण' पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

X.91 विभाग ने रिज़र्व बैंक के सांविधिक विनियमों के सामंजस्य (*यानी* समेकन) की दिशा में कार्य शुरू किया है।

अन्य पहल

X.92 2024-25 के दौरान, विभाग के अनुसंधान कक्ष ने अपने अध्ययन मंडल अर्थात एक आंतरिक चर्चा मंच के तहत कई सत्र आयोजित किए, जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों ने कानून के उभरते क्षेत्रों पर प्रस्तुतियाँ दीं।

X.93 विभाग ने प्रशिक्षुओं को केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित कानून के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बाहरी संस्थाओं को संकाय सहायता भी प्रदान की।

X.94 विभाग ने उन मुकदमों पर विस्तृत डेटा प्रकाशित किया जिनमें रिज़र्व बैंक को रिज़र्व बैंक के आंतरिक पोर्टल पर पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी अपलोड किए गए, जिससे रिज़र्व बैंक के सभी विभागों तक आसान पहुंच और संदर्भ उपलब्ध हो सके।

2025-26 के लिए कार्यसूची

X.95 2025-26 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 'वित्तीय क्षेत्र में कानूनी कार्यकलाप को बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाने' पर एक अनुसंधान पत्र तैयार करना।

9. निष्कर्ष

X.96 रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत कार्रवाइयों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक दर्शकों के साथ जुड़ते हुए अपने संचार टूलकिट का विस्तार किया। वैश्विक संगठनों, बहुपक्षीय निकायों और विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया गया। सीएसएस के तहत वास्तविक समय के निधि अंतरण के लिए एकीकृत ढांचे को अतिरिक्त हितधारकों को शामिल करते हुए विस्तारित किया गया। अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थितियों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों के बीच विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से किया गया। समयबद्ध और विश्लेषणात्मक सूचनाओं के माध्यम से नीति निर्माण में सहायता के लिए सामयिक और उभरते हुए समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर आर्थिक अनुसंधान किया गया। सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को नवोन्मेषी पद्धतियों, उन्नत मॉडलों को अपनाकर और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करके परिष्कृत किया गया। रिज़र्व बैंक ने अपने न्यायालयीन मामलों के डिजिटलीकरण और संवैधानिक विनियमों के समेकन की शुरुआत की।

XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने, भर्ती और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, गतिशील और बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप, क्षमताएं विकसित करने हेतु अपने मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रखा। उत्कर्ष[1] *2.0 के तहत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और रिज़र्व बैंक में आंतरिक जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया गया।*

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक कामकाज के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गई है जिसमें अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। यह 2024-25 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में परिणामों का मूल्यांकन करता है और वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने के अलावा, नई भर्तियों के माध्यम से अनुकूल कार्य वातावरण बनाने, आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल वृद्धि, मेंटरिंग नीति (*सबल*) को परिष्कृत करने और कर्मचारियों के लिए नियमित टाउनहॉल मीटिंग (*वार्तालाप*) आयोजित करने के साथ-साथ मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान कई पहल की। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में, वर्ष 2024-25 के दौरान वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन समारोह से हुई। स्मरणोत्सव का समापन 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में एक कार्यक्रम के साथ हुआ जिसमें मुख्य अतिथि भारत की माननीया राष्ट्रपति थीं।

XI.3 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने जोखिम ढांचों की शुरुआत, मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ बनाने और जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता के प्रचार के माध्यम से, रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले जोखिमों के अधिक व्यापक प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। रिज़र्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय समकालिक समूह आकलन में परिचालन जोखिम प्रबंधन परिपक्वता का उच्चतम रेटिंग स्तर प्रदान किया गया।

XI.4 वर्ष के दौरान, निरीक्षण विभाग ने जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से अभिशासन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। विभाग ने मौजूदा आरबीआईए ढांचे को ठीक किया और जोखिम स्कोरिंग पद्धति को समायोजित (कैलिब्रेट) किया। विशेष रूप से, विभाग ने वर्ष 2025-26 के अपने नियोजित कार्यक्रम से एक साल पहले सभी लेखा परीक्षाओं को लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) में एकीकृत किया।

XI.5 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) ने रिज़र्व बैंक की समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों

[1] *उत्कर्ष* रिज़र्व बैंक का मध्यावधिक कार्यनीति ढांचा है, जो रिज़र्व बैंक के अधिदेश के कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नागरिकों और अन्य संस्थानों के विश्वास को मजबूत करने के लिए उभरते व्यापक आर्थिक वातावरण के अनुरूप है। *उत्कर्ष* 2.0 जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि को कवर करता है, जबकि *उत्कर्ष* 1.0 के तहत लक्ष्य जून 2019 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए थे।

(टीएससीए) की त्रैवार्षिक समीक्षा की। विभाग ने *उत्कर्ष* 2.0 की मध्यावधिक समीक्षा भी की और बजट इकाइयों के लिए रेटिंग ढांचे को अद्यतन किया।

XI.6 राजभाषा विभाग ने राजभाषा नीति और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों के तहत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। इसने अपनी वेबसाइट पर रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों के द्विभाषीकरण को प्राथमिकता दी, और इसके प्रमुख प्रकाशनों अर्थात् *'कृति-अनुकृति'* (आरबीआई के भीतर) और *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'* (वित्तीय संस्थानों के लिए) के माध्यम से हिंदी में मूल लेखन को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।

XI.7 परिसर विभाग ने पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता को एकीकृत करते हुए रिज़र्व बैंक के बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने अधिदेश का पालन किया। विभाग ने विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से अक्षय ऊर्जा पैदा करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

XI.8 यह अध्याय नौ खंडों में व्यवस्थित है। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना से संबंधित गतिविधियां खंड 2 में दी गई हैं। खंड 3 मानव संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान एचआरएमडी द्वारा की गई पहलों को रेखांकित करता है। उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रगति खंड 4 में प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण विभाग और सीएसबीडी की गतिविधियों पर क्रमशः खंड 5 और 6 में चर्चा की गई है। राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में प्रस्तुत किया गया है, और खंड 9 में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. अभिशासन संरचना

XI.9 केंद्रीय निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक के अभिशासन का कार्य सौंपा गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर और केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार, केन्द्र सरकार चार स्थानीय बोर्डों के लिए सदस्यों की नियुक्ति भी करती है जो बोर्ड द्वारा उन्हें भेजे गए मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं।

XI.10 केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी); वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस); और भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप-समितियां हैं जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक गैर-आधिकारिक निदेशक करते हैं: लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस); मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी); भवन उप-समिति (बी-एससी); सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्ड

XI.11 वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय बोर्ड ने सात बैठकें आयेजित कीं। सीसीबी ने 45 बैठकें की, जिनमें से 33 ई-बैठकों के रूप में और 12 व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गईं। सीसीबी रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार को देखता है, जिसमें इसका साप्ताहिक स्तिथि विवरण का अनुमोदन भी शामिल है।

XI.12 वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति, जिसमें दो गैर-आधिकारिक निदेशक शामिल थे, ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के बदले कार्य किया। स्थायी समिति ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और

दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की (अनुलग्नक सारणी XI.1-4)।

XI.13 श्री शक्तिकान्त दास ने 10 दिसंबर 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया और केंद्र सरकार ने श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(ए) के तहत 11 दिसंबर 2024 से तीन साल की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया।

XI.14 केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्टूबर 2024 से एक और वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.15 डॉ. माइकल देवब्रत पात्र ने 14 जनवरी 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।

XI.16 केंद्र सरकार ने डॉ. पूनम गुप्ता, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली, को पद संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। डॉ. पूनम गुप्ता ने 2 मई 2025 को कार्यभार संभाला।

XI.17 केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2025 से अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की और अवधि के लिए उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में पुनःनियुक्त किया।

XI.18 केंद्र सरकार ने श्री नागराजू माद्दीराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत 30 अगस्त 2024 से और अगले आदेश तक डॉ. विवेक जोशी के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.19 कार्यपालक निदेशक श्री दीपक कुमार 30 अप्रैल 2024 को स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए। कार्यपालक निदेशक श्री आर. सुब्रमण्यम 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुए; श्री सौरव सिन्हा 28 जून 2024 को; श्री मनोरंजन मिश्रा 30 सितंबर 2024 को; डॉ. ओ. पी. मल्ल और श्री मनीष कपूर 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए। श्री आर. लक्ष्मी कांत राव को 9 मई 2024; श्री अर्णब कुमार चौधरी 3 जून 2024 को; श्रीमती चारुलता एस. कर को 1 जुलाई 2024 को; श्री अविरल जैन 1 को अक्टूबर 2024; डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी को 3 मार्च 2025 को और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य को19 मार्च 2025 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

3. मानव संसाधन विकास पहलें

XI.20 रिज़र्व बैंक के पास परिचालनों का एक विस्तृत कैनवास है, जिसके लिए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए विविध कौशल और आंतरिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान, विभाग का ई-लर्निंग सहित भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ाने पर ध्यानकेंद्रित रहा।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.21 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- खेलों के लिए विजन दस्तावेज में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खेल संबंधी गतिविधियों को ध्यानकेन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने की पहलों का उल्लेख किया

गया है। दस्तावेज़ की समीक्षा और उसे नया स्वरूप दिया जाएगा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ XI.22];

- रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती किए गए ग्रेड 'बी' अधिकारियों को विकास केंद्र कार्यशालाओं (डीसीडब्ल्यू) से अवगत कराया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी मुख्य दक्षताओं और अन्य क्षमताओं का आकलन किया जाता है, और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए इनपुट के रूप में फीडबैक प्रदान किया जाता है। डीसीडब्ल्यू ढांचे के डिजाइन की समीक्षा कर इसे नवीकृत किया जाएगा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ XI.23]; और
- रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 को अपने अस्तित्व के 90वें वर्ष में प्रवेश किया। रिज़र्व बैंक के इतिहास में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मनाने के लिए, वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा (पैराग्राफ XI.24)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.22 खेलों के लिए विजन दस्तावेज की समीक्षा और पुनः रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

XI.23 डीसीडब्ल्यू ढांचे के डिजाइन को सुदृढ़ किया जा रहा है जिससे कि इसे कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ संरेखित किया जा सके और यह प्रक्रिया चल रही है।

XI.24 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ मनाया, जो रिज़र्व बैंक की नौ दशकों (आरबीआई@90) की विरासत को दर्शाते हैं, जबकि आने वाले दशक (आरबीआई@100) के लिए कार्यनीतियों की ओर देख रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.25 रिज़र्व बैंक निरंतर कौशल वृद्धि और मानव संसाधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देता है। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थान (टीई) - चेन्नई स्थित रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी); पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी); मुंबई स्थित कॉलेज ऑव सुपरवाईज़र्स (सीओएस); भुवनेश्वर में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई); और मुंबई (बेलापुर), नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी) इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण अवसंरचना अपने कर्मचारियों की समग्र दक्षता और प्रभाविता को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ उनके तकनीकी और व्यावहारिक कौशल दोनों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा सम्मेलनों के स्वरूप के होते हैं (सारणी XI.1)। रिज़र्व बैंक ने दो प्रमुख उपाय किए - वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, और मानसिक स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के तहत आंतरिक परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, जो किसी भी संकट के मामले में संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर सकते हैं।

XI.26 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपनी मेंटरिंग नीति (*सबल*) को सुदृढ़ करके कनिष्ठ और मध्यम प्रबंधन में अधिकारियों की मेंटरिंग पर जोर दिया और मेंटीज़ के लिए अभिमुखीकरण सत्र आयोजित किए और मेंटरों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि पुन: डिज़ाइन की गई मेंटरिंग नीति के लिए रूपरेखा निर्धारित की जा सके।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.27 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए 1,133 अधिकारियों को नामित किया (सारणी XI.2)। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम (अप्रैल-मार्च)

प्रशिक्षण संस्थान	2022-23		2023-24		2024-25	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नई	97	2,800 (12)	109	2,437 (42)	135	3,502 (245)
सीओएस#	59	2,212*	70	2,889 (1,191)	51	1,432 (218)
आरबीआई अकादमी$	15	1,274	17	683 (151)	20	506
सीएबी, पुणे	194	23,657*	281	44,053 (43,198)	238	35,969 (34,935)
ईसीसीटीआई	-	-	23	619 (22)	24	711
जेडटीसी (श्रेणी I)	112	2,511	118	2,260	105	2,203
जेडटीसी (श्रेणी III)	103	3,396	107	3,084	117	3,579
जेडटीसी (श्रेणी IV)	36	983	32	843	32	671

आरबीएससी: रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज। सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।
ईसीसीटीआई: एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। जेडटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।
: कॉलेज ऑव सुपरवाइजर्स (सीओएस) यह प्रशासनिक मामलों में पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), केंद्रीय कार्यालय से संलग्न है।
$: 01 अप्रैल 2025 से बंद।
* : आंकड़ों में आरबीआई के प्रतिभागी, गैर-आरबीआई प्रतिभागी (घरेलू), विदेशी प्रतिभागी और/अथवा बाहरी संस्थानों के प्रतिभागी शामिल हैं।
- : लागू नहीं।
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और / अथवा बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

अध्ययन योजनाएं

XI.28 कुल सात अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन करने के लिए अध्ययन अवकाश योजना का लाभ उठाया था जिनमें से तीन अधिकारी विदेश में उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा, विदेश में पाठ्यक्रम करने के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 के लिए आठ अधिकारियों का चयन किया गया।

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (अप्रैल - मार्च)

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2022-23	401	420 (266)
2023-24	570	390 (29)
2024-25	564	569 (86)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण का संकेत करते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

अन्य पहल

अनुदान और दान (एंडॉमेंट)

XI.29 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने मिशन के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹ 27.03 करोड़; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (सीएएफआरएएल), मुंबई को ₹12.86 करोड़; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹2.77 करोड़; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹ 0.84 करोड़ और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी

और आईजी पटेल चेयर को ₹ 0.83 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.30 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। वर्ष 2024-25 के दौरान, एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय ने कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों और कल्याणकारी उपायों से संबंधित विभिन्न मामलों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों की केंद्रीय इकाइयों के साथ 21 बैठकें आयोजित कीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने तिमाही/अर्धवार्षिक अंतरालों पर मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की स्थानीय इकाइयों के साथ बैठकें भी आयोजित कीं।

कर्मचारियों के साथ चर्चा

XI.31 रिज़र्व बैंक ने कर्मचारियों को शामिल करने, उनके विचारों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने और संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सतत श्रवण संस्कृति विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। *वॉयस* (वॉयसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट एंड एक्सेल) एक ऐसी पहल है जो कर्मचारियों को विभाग के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 6 *वॉयस* सत्र आयोजित किए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के 127 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इसी प्रकार, रिज़र्व बैंक की टाउनहॉल बैठक पहल (*वार्तालाप*) श्रवण-उन्मुख संगठनात्मक संस्कृति को पोषित करने और बेहतर नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को बढ़ावा देने में सफल रही है।

सारणी XI. 3: 2024 में रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली भर्तियाँ*

श्रेणी	कुल	*जिनमें से:*			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	269	34	20	72	26
श्रेणी III	296	37	38	97	29
श्रेणी IV	39	01	03	08	01
कुल	604	72	61	177	56

*: जनवरी - दिसंबर, 2024।
ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
स्रोत: आरबीआई।

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

XI.32 वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 604 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.33 31 दिसंबर 2024 को रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13,520 थी, जो दिसंबर 2023 के अंत की तुलना में 0.2 प्रतिशत अधिक थी (सारणी XI.4)।

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	7,109	7,325	1,113	1,121	504	519	1,761	1,907	15.3	7.1	26.0
श्रेणी III	3,358	3,496	537	558	244	283	1,027	1,073	16.1	8.2	30.7
श्रेणी IV	3,023	2,699	521	428	242	215	943	890	16.0	8.0	33.0
कुल	**13,490**	**13,520**	**2,171**	**2,107**	**990**	**1,017**	**3,731**	**3,870**	15.7	7.5	28.6

*: दिसंबर की समाप्ति पर।
स्रोत: आरबीआई।

XI.34 रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2024 को 1,087 थी, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 326 रही (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2024 के दौरान, रिज़र्व बैंक में दो भूतपूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्लयूबीडी) 20 व्यक्तियों की भर्ती की गई।

XI.35 वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बौद्ध कर्मचारियों के महासंघ के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच तीन बैठकें हुईं। अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.36 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में जारी व्यापक दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, नौ शिकायतें प्राप्त हुईं और आठ मामलों का निपटारा किया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और केंद्रीय कार्यालय में इस विषय पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.37 वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक को सूचना के लिए 21,043 अनुरोध और आरटीआई अधिनियम के तहत 1,764 अपीलें प्राप्त हुईं। आरटीआई अधिनियम पर 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 134 सत्र आयोजित किए गए।

आरबीआई के 90वें वर्ष का स्मरणोत्सव (आरबीआई@90)

XI.38 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के दौरान अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ मनाया, जो आने वाले दशक (आरबीआई@100) के लिए कार्यनीतियों को अवलोकित करते हुए रिज़र्व बैंक के नौ दशकों (आरबीआई@90) की विरासत को दर्शाते हैं।

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी* की कुल संख्या

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)			
		दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (‘डी’)**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	260	72	16	95	4
श्रेणी III	253	42	2	38	1
श्रेणी IV	574	15	7	33	1

* : 31 दिसंबर, 2024 तक।

** : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, पीडब्ल्यूबीडी वर्गीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (क) अंधापन और कम दृष्टि; (ख) बधिर और कम सुनने वाला; (ग) प्रमस्तिष्क पक्षाघात सहित चलने-फिरने संबंधी विकलांगता, कुष्ठ रोग से उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय अपविकास; (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; और (घ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों के बीच से विभिन्न विकलांगता, जिसमें बहरा-अंधापन शामिल है।

स्रोत: आरबीआई।

XI.39 स्मरणोत्सव का शुभारंभ 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में एक उद्घाटन समारोह के साथ किया गया था। आरबीआई@90 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के हिस्से के रूप में, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे की - वैश्विक सम्मेलन[2], राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम[3] और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां[4]। समापन समारोह 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की माननीया राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थीं। आरबीआई@90 के दौरान गतिविधियों पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और समारोह के दौरान माननीया राष्ट्रपति द्वारा इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करते हुए एक कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी किया गया।

रिज़र्व बैंक में सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

XI.40 रिज़र्व बैंक की सतर्कता इकाई मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार के अधीन है और केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत केंद्रीय सतर्कता कक्ष (सीवी कक्ष) और 52 शाखा सतर्कता इकाइयों के साथ द्वि-स्तरीय आधार पर संगठित है। रिज़र्व बैंक में सतर्कता कार्य के संबंध में समग्र जिम्मेदारी सीवी कक्ष में निहित है, जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और शाखा सतर्कता इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करता है। सतर्कता कक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ भी सम्पर्क बनाए रखता है। सतर्कता कक्ष की गतिविधियां/कार्य निम्नानुसार हैं:

ए. भ्रष्टाचार विरोधी और निवारक सतर्कता उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें अन्य के साथ-साथ आरओ/सीओडी/टीई के सतर्कता ऑडिट का संचालन, प्रमुख कार्यों की मुख्य तकनीकी परीक्षक लेखा परीक्षा और कर्मचारियों की संपत्ति/देयताओं के वार्षिक संपत्ति विवरणों की जांच शामिल है;

बी. जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 सहित सतर्कता मामलों की जांच, भिन्न स्रोतों से कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच;

सी. रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देना और 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाना और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और सजग करना;

[2] इसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, बैंकिंग और एनबीएफसी नेतृत्व, आईटी फर्मों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ), फिनटेक संस्थाओं और शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज" (26-27 अगस्त, 2024, बेंगलुरु) शामिल हैं; "चौराहे पर केंद्रीय बैंकिंग" विषय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन (14 अक्तूबर, 2024, नई दिल्ली) जिसमें प्रमुख केंद्रीय बैंकरों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के विशेषज्ञों, प्रमुख नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, प्रमुख घरेलू बैंकों के प्रमुखों, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय बाजार सहभागियों को एक साथ लाया गया; और ग्लोबल साउथ में 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन (21-22 नवंबर, 2024, मुंबई), जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर, उप गवर्नर और ग्लोबल साउथ के अन्य केंद्रीय बैंक अधिकारी शामिल रहे।

[3] इसमें सभी संकायों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले स्नातक छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता पर प्रश्नोत्तरी; भारत में ललित कला के छात्रों के लिए कला प्रतियोगिता, जिसमें देश भर के 71 कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी के साथ रिज़र्व बैंक (22 अक्तूबर, 2024, आरबीआई नई दिल्ली कार्यालय) से जुड़े विषयों पर ध्यानकेंद्रित किया गया; भारतीय कला के विकास पर एक पैनल चर्चा, कला पर सोशल मीडिया का प्रभाव, डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के साथ पारंपरिक चित्रकला रूपों का भविष्य, वैश्वीकरण का प्रभाव, कला से संबंधित मेले, द्विवार्षिक प्रदर्शनी आदि; और अखिल भारतीय स्तर पर अंतर-संस्थागत टूर्नामेंट (अर्थात, 3-10 अगस्त, 2024 के दौरान कोलकाता में फुटबॉल; 21-28 सितंबर, 2024 के दौरान जयपुर में क्रिकेट; 24-29 नवंबर, 2024 के दौरान चंडीगढ़ में टेबल टेनिस; और बैडमिंटन 2-5 जनवरी, 2025 के दौरान बेंगलुरु में टूर्नामेंट शामिल है।

[4] इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए टाउनहॉल, प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वार्ता, कला प्रतियोगिता और राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां, वृक्षारोपण अभियान (वर्ष के दौरान 245 वृक्षारोपण अभियान, 16,205 पौधे उगाए गए), और रक्तदान शिविर (रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में लगभग 2,237 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी के साथ 45 रक्तदान शिविर) शामिल हैं।

डी. सतर्कता मामलों पर आरओ/सीओडी/टीई को अनुदेश जारी करना और कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करके सीवीसी के दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी का प्रसार; और

ई. संवेदनशील पदों, सहमत सूची, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों और सतर्कता स्वीकृति जारी करने के संबंध में सूचना का रखरखाव।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.41 वर्ष के रोडमैप में विभाग के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल होंगी: रिज़र्व बैंक में कौशल की कमी की पहचान और विश्लेषण; और

- रिज़र्व बैंक में कौशल की कमी की पहचान और विश्लेषण।
- रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण और विकास परितंत्र में बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) ढांचे को एकीकृत करना (*उत्कर्ष 2.0*)।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.42 आरएमडी रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए तीन-स्तरीय आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचा में रक्षा की दूसरी पंक्ति[5] है और उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

XI.43 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में 'भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति' की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2019 में मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) को अपनाया था। समिति ने सिफारिश की थी कि ढांचा की हर पांच साल में समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। समिति की सिफारिश के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने मौजूदा ढांचा की व्यापक आंतरिक समीक्षा की है (बॉक्स XI.1)।

बॉक्स XI.1

भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) – आंतरिक समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक समष्टि आर्थिक माहौल; महामारी, वैश्विक लोक ऋण में वृद्धि, लगातार मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सख्ती, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, दीर्घावधिक भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के कारण चुनौतीपूर्ण रहा है । ऐसे समय में जब कई केंद्रीय बैंकों ने आय और पूंजी बफर में कमी का अनुभव किया है; प्रतिकूल समष्टि आर्थिक घटनाएँ और ऊपर उल्लिखित अन्य चुनौतियों के बावजूद, ईसीएफ ने रिज़र्व बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाया है, साथ ही सरकार को बेहतर अधिशेष का अंतरण सुनिश्चित किया है। समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया कि नियम-आधारित और सार्वजनिक रूप से प्रकट, ईसीएफ के लगातार कार्यान्वयन ने हितधारकों का विश्वास बनाने और रिज़र्व बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता बनाए रखने की प्रतिबद्धता में भरोसा बढ़ाने में मदद की है।

समीक्षा में पाया गया कि मौजूदा ईसीएफ ने रिज़र्व बैंक के लिए एक सुदृढ़ तुलन पत्र सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया है और मौजूदा ईसीएफ और उसमें अपनाई गई जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों में अंतर्निहित व्यापक सिद्धांतों को जारी रखना प्रस्तावित किया है। हालाँकि, समीक्षा ने कुछ ऐसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जहाँ ढांचा को और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है, ताकि रिज़र्व बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जा सके। मौजूदा ईसीएफ में प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(जारी)

[5] व्यक्तिगत व्यावसायिक क्षेत्र रक्षा की पहली पंक्ति हैं और मुख्य रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि रक्षा की दूसरी पंक्ति आरएमडी है, जो केंद्रीकृत जोखिम निगरानी कार्य करता है, और रक्षा की तीसरी पंक्ति निरीक्षण विभाग है, जो निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से जोखिम आश्वासन की भूमिका निभाता है।

(i) बाजार जोखिम बफर आवश्यकता की गणना में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिसमें तुलन पत्र पोर्टफोलियो के साथ-साथ तुलन पत्रेतर पोर्टफोलियो को भी शामिल किया जाता है। छोटी मुद्राओं में विदेशी मुद्रा आस्तियों में निवेश पर भी विचार किया जा सकता है;

(ii) केंद्रीय बोर्ड के पास अपेक्षित कमी (ईएस) के 99.5 प्रतिशत विश्वास स्तर (सीएल) और ईएस के 97.5 प्रतिशत सीएल की सीमा के भीतर किसी भी सुदृढ़ता के स्तर पर बाजार जोखिम बफर बनाए रखने और अपेक्षित बाजार जोखिम कारकों के अपने आकलन के आधार पर पुनर्मूल्यन जमाशेष में कमी के लिए जोखिम प्रावधान बनाए रखने की सुविधा होगी। मौजूदा ईसीएफ के तहत, अतिरिक्त जोखिम प्रावधान केवल तभी शुरू किया जाता था जब पुनर्मूल्यन जमाशेष ईएस से नीचे 97.5 प्रतिशत सीएल पर होते थे;

(iii) मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर की सीमा को तुलन पत्र (बी/एस) आकार के 5.0 ± 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है (4.5 - 5.5 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले), जिससे केंद्रीय बोर्ड को मौजूदा समष्टि आर्थिक स्थितियों और अन्य कारकों के आकलन के आधार पर लचीलापन प्रदान किया जा सके;

(iv) परिणामस्वरूप, आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी), जिसमें मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए बफर शामिल हैं, को बी/एस आकार के 6.0 ± 1.5 प्रतिशत की सीमा में बनाए रखा जाएगा (6.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर के मुकाबले, 5.5 प्रतिशत की निचली सीमा के साथ); और

(v) अधिशेष वितरण नीति के संबंध में, प्राप्त इक्विटी (आरआरई) की आवश्यकता से अधिक किसी भी उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई) को आकस्मिकता निधि (सीएफ) से आय में वापस लिखा जा सकता है। यदि एआरई अपनी आवश्यकता की निचली सीमा से नीचे है, तो सरकार को कोई अधिशेष हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम आरआरई का न्यूनतम स्तर प्राप्त न हो जाए।

समीक्षित ईसीएफ को 2024-25 के लिए जोखिम प्रावधान आवश्यकता और अंतरणीय अधिशेष निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.44 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सभी व्यावसायिक क्षेत्रों (बीए) की अनुमोदित जोखिम सहिष्णुता सीमा (आरटीएल) का विश्लेषण करना जिससे कि अंतर-संबंधों की पहचान की जा सके और विभागों में समान आरटीएल के बाद के सामंजस्य की पहचान की जा सके (पैराग्राफ XI.45);
- रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति, 2022 में संशोधन करना ताकि मौजूदा नीति को और ठीक किया जा सके और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग और उन्नत विश्लेषकी के तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकीय अंगीकरण के मद्देनजर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके (पैराग्राफ XI.46);
- बाजार दबाव की ऐतिहासिक अवधि से प्राप्त परिदृश्यों के आधार पर विनिमय दर और ब्याज दर के एक साथ संचलन के संदर्भ में तुलन पत्र का दबाव परीक्षण, जो भविष्य के संभावित तनाव परिदृश्यों द्वारा संवर्धित हो (पैराग्राफ XI.47);
- ईआरएम की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना (*उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ XI.48]; तथा
- रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों का आकलन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.49]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.45 एक सामंजस्य कार्रवाई की गई जिसमें सभी कारोबारी क्षेत्रों के आरटीएल का विश्लेषण किया गया जिससे कि सामान्य/समान प्रक्रियाओं की पहचान की जा सके और जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) के अनुमोदन से इन प्रक्रियाओं के लिए समान सहिष्णुता सीमाएं व्यक्त की गई थीं।

XI.46 रिज़र्व बैंक की आईएस नीति, 2022 में संशोधन किया गया ताकि तेजी से उभरते प्रौद्योगिकीय अंगीकरण जैसे एआई, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और अभिशासन आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

XI.47 विनिमय दरों और ब्याज दरों में एक साथ उतार-चढ़ाव के आधार पर परिदृश्यों का उपयोग करते हुए तुलन-पत्र के दबाव परीक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है।

XI.48 रिज़र्व बैंक के ईआरएम ढांचा और प्रथाओं की बेंचमार्किंग कार्रवाई और जोखिम प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों की तुलना से पता चला है कि यह प्रमुख रूप से अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों और वैश्विक रूप से स्वीकृत जोखिम पद्धतियों के अनुरूप था। जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए सिफारिशें, जो इस कार्रवाई से उत्पन्न हुईं, को ईआरएम 2.0 ढांचे में शामिल किया गया है।

XI.49 रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए उभरते जोखिम स्कैनिंग ढांचे को विकसित किया गया है। उभरते जोखिमों और ढांचे के परिचालन पर इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया है।

अन्य पहल

रिज़र्व बैंक का ईआरएम ढांचा

XI.50 आंतरिक जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 2012 में अपनाए गए ईआरएम ढांचे में समय के साथ और सुधार किया गया है और इससे रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए एक मजबूत संरचना का निर्माण हुआ है (बॉक्स XI.2)।

बॉक्स XI.2

रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) – एक दशक से अधिक अवधि के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव

रिज़र्व बैंक का ईआरएम ढांचा सुदृढ़ अभिशासन के सिद्धांतों (अर्थात, सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन भूमिकाएं और दायित्व, स्वतंत्र रिपोर्टिंग लाइन और बोर्ड निरीक्षण); अनुपातिकता (अर्थात, परिचालन वातावरण और जोखिम प्रोफाइल के साथ जोखिम प्रबंधन); जवाबदेही (अर्थात, स्पष्ट अधिदेश और सुपरिभाषित जोखिम सहनीयता); पारदर्शिता और प्रभावी संचार (यानी, समय पर निगरानी और रिपोर्टिंग, फीडबैक लूप)। जोखिम प्रबंधन ढांचे को एक अनुकूल जोखिम संस्कृति के माध्यम से समर्थित किया जाता है, जिसमें स्टाफ-सदस्यों के बीच जोखिम जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु उपयुक्त 'टोन फ्रॉम द टॉप' और अन्य गतिविधियां शामिल है।

ईआरएम ढांचे को लागू करने के बाद से 13 वर्षों की अवधि में, रिज़र्व बैंक में आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं काफी परिपक्व हो गई हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- केंद्रीय निदेशक बोर्ड, लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति और आरएमसी के माध्यम से आंतरिक जोखिमों के निरीक्षण और अभिशासन के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया गया है। ये सामूहिक रूप से त्रिस्तरीय जोखिम अभिशासन संरचना बनाते हैं।
- जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करते हुए भूमिकाओं के स्पष्ट पृथक्करण के साथ जोखिम प्रबंधन संरचना की त्रिस्तरीय रक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन करना।
- उद्यम-व्यापी जोखिम सहनीयता विवरणी और कार्यात्मक इकाई-स्तरीय जोखिम सहन सीमाओं (आरटीएल) के माध्यम से जोखिम सिद्धान्त, जोखिम क्षमता और जोखिम सहनीयता के रूप में संस्थागत संरचना को स्थापित करना।
- दिशानिर्देशों और प्रविधियों को लागू करना, जो समान पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, माप और जोखिमों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं (सारणी-1)।

(जारी)

- संगठन-स्तर और कारोबारी क्षेत्र (बीए)-स्तर की निगरानी के लिए जोखिमों की रिपोर्टिंग और एकत्रीकरण और जोखिम की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा विकसित करना (सारणी-1)।

ईआरएम ढांचे के कार्यान्वयन पर हाल ही में किए गए आंतरिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि इस ढांचे ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है और संगठनात्मक मूल्य को बढ़ाया है। ईआरएम ढांचे पर आधारित आंतरिक जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों को केंद्रीय बैंकिंग, यूके ने रिज़र्व बैंक को 'वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक' पुरस्कार देकर मान्यता दी। ईआरएम 2.0 ढांचा ईआरएम 1.0 के माध्यम से स्थापित संस्थागत वास्तुकला और संगठनात्मक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का प्रयास करता है।

सारणी 1: दिशा-निर्देश, कार्य-उपकरण और प्रविधि - ईआरएम ढांचा

पहचान और वर्गीकरण	मूल्यांकन	प्रबंधन	रिपोर्टिंग	एकत्रीकरण
1	2	3	4	5
1. जोखिम वर्गीकरण 2. जोखिम रजिस्टर ढांचा	1. जोखिम आकलन प्रविधि - परिचालन जोखिम (आरएएम-ओआर) 2. जोखिम आकलन ढांचा/परिदृश्य विश्लेषण/दबाव परीक्षण ए) ऋण जोखिम बी) चलनिधि जोखिम सी) ब्याज दर जोखिम डी) विनिमय दर जोखिम 3. आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) ए) बाजार जोखिम - अपेक्षित कमी बी) ऋण जोखिम - बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण सी) परिचालन जोखिम - बेसल III मानकीकृत दृष्टिकोण	1. जोखिम सहन सीमाएँ 2. प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचे : ए) मॉडल जोखिम बी) आउटसोर्सिंग जोखिम सी) प्रतिष्ठा जोखिम डी) ट्रांसवर्सल जोखिम ई) प्रमुख जोखिम एफ) नीति जोखिम जी) सूचना सुरक्षा	1. घटना रिपोर्टिंग ढांचा 2. निगरानी मॉड्यूल	1. जोखिम डैशबोर्ड ए) लोक जोखिम बी) परियोजना जोखिम सी) भौतिक बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा जोखिम डी) आईटी और साइबर जोखिम 2. जोखिम रिपोर्ट ए) आंतरिक जोखिम अभिशासन पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट बी) कार्यकारी जोखिम रिपोर्ट सी) जोखिम और उपलब्ध जोखिम बफर पर रिपोर्ट

स्रोत: आरबीआई।

जोखिम जागरूकता सप्ताह (आरएडब्ल्यू)

XI.51 रिज़र्व बैंक में जोखिम जागरूकता सप्ताह का पहला संस्करण 22-26 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य जोखिम जागरूकता कार्यक्रमों के बड़े संगठनात्मक ढांचे के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक में जोखिम जागरूकता का प्रचार करना और जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस पहल ने विभाग को कर्मचारियों तक सक्रिय रूप से पहुंचने और जोखिम जागरूकता और जोखिम संस्कृति का संदेश देने में सक्षम बनाया है। आगे चलकर जोखिम जागरूकता सप्ताह को वार्षिक आधार पर आयोजित करने की योजना है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.52 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- घटनाओं की रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर तैयार करने के लिए जनवरी 2020 में शुरू किए गए एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) एप्लिकेशन को नवीकृत किया जाएगा जिससे कि एक व्यापक जोखिम रिपोजिटरी और अन्य उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरणों को शामिल किया जा सके ताकि उपयोगकर्ता अनुभव और दक्षता को बढ़ाया जा सके।

- संशोधित आईएस नीति 2024 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन प्रक्रियाएं सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रथाओं के अनुरूप जारी की जाएंगी; और
- बाजार चलनिधि दबाव की ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण करके रिज़र्व बैंक के बाजार पोर्टफोलियो के चलनिधि जोखिम दबाव परीक्षण करने के लिए एक ढांचा विकसित किया जाएगा। इसे ब्याज दर और विनिमय दर जोखिम के लिए दबाव परीक्षण के ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण

XI.53 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करता है और आरबीआईए ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में ईआरएम कार्य के तहत सुरक्षा की तीसरी पंक्ति (अर्थात, जोखिम आश्वासन) के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को रिपोर्ट करता है। यह विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए) के कामकाज की देखरेख भी करता है। यह विभाग केंद्रीय बोर्ड के एआरएमएस के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करके कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के लिए भी कार्य करता है। इसके अलावा, पांच अंचलों में आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई) विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करके रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में लेखा परीक्षित कार्यालयों (एओ) की सहायता करते हैं और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के परिचालन पर शीर्ष प्रबंधन को एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आश्वासन प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में विभाग की सहायता करते हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.54 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लेखा परीक्षित इकाइयों द्वारा किए गए परिचालनों के "मूल तत्व" और "महत्ता" के आधार पर मौजूदा आरबीआईए को ठीक करना और प्रक्रिया को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना (पैराग्राफ XI.55);
- रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने में उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए जेडआई की कार्यपद्धति की समीक्षा (पैराग्राफ XI.56); और
- सीएसएए की प्रभाविता और दक्षता पर विषयगत अध्ययन करना (पैराग्राफ XI.57)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.55 लेखा परीक्षित इकाइयों द्वारा किए गए प्रचालनों के "मूल तत्व" और "महत्ता" के आधार पर, कार्य आबंटन मैट्रिक्स को परिचालित कर दिया गया है और जोखिम स्कोरिंग प्रविधि को भी समायोजित (कैलिब्रेट) किया गया है।

XI.56 आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने के साथ-साथ आंचलिक निरीक्षणालयों के कामकाज पर एक अध्ययन किया गया और इसे केंद्रीय बोर्ड के ईडीसी और एआरएमएस के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

XI.57 सीएसएए की प्रभाविता और दक्षता पर एक विषयगत अध्ययन आयोजित किया गया और शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया गया। बाद में, सीएसएए पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए।

प्रमुख गतिविधि

XI.58 विभाग ने अपने द्वारा की गई सभी लेखा परीक्षाओं को वर्ष 2024-25 के दौरान अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले एएमएस में एकीकृत करने का कार्य पूरा किया (बॉक्स XI.3)।

बॉक्स XI.3
लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस)

एएमएस प्रणाली रिज़र्व बैंक में विभिन्न प्रकार की आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली (एएमएस) विभाग द्वारा की गई सभी लेखा परीक्षाओं के लिए एंड-टू-एंड समाधान, लेखा परीक्षा के संपूर्ण जीवनचक्र (लाइफ साइकिल) के भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा, यह प्रणाली विस्तार करने योग्य है और एनालिटिक्स एवं कस्टमाइज़ेशन योग्य डैशबोर्ड के माध्यम से शीर्ष प्रबंध तंत्र को अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम है।

विभाग में एएमएस प्रणाली का प्रारम्भ पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) के उन्नयन के माध्यम से किया गया था। शुरुआत में इस प्रणाली में विभाग की केवल प्रमुख गतिविधियां अर्थात, आरबीआईए और सीएसएए शामिल की गई थीं।

बाद में अन्य मॉड्यूल, अर्थात् - परियोजना लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा को विकसित किया गया और इन्हें उक्त प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। आंचलिक निरीक्षणालयों (ज़ेडआई) की शुरुआत के साथ, इसमें ज़ेडआई मॉड्यूल को भी विकसित और एकीकृत किया गया। 31 मार्च 2025 तक विभाग द्वारा की गई सभी लेखा परीक्षाओं का पूरा वर्क-फ़्लो एएमएस प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.59 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के उपाय;
- निरीक्षण विभाग के चार्टर का निर्माण;
- आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में एआई और एमएल को अपनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन; और
- निम्नलिखित पर विषयगत अध्ययन करना: (i) वार्षिक रखरखाव संविदाओं (एएमसी)/करारों के कार्यान्वयन की स्थिति से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण (ii) आपदा से उबरने से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं और कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) का पालन और (iii) अभिलेखीय और रिकॉर्ड प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की स्थिति।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.60 सीएसबीडी रिज़र्व बैंक के मध्यावधिक कार्यनीति ढांचे (*उत्कर्ष*) का समन्वय और निर्माण करता है, इसका वार्षिक बजट तैयार करता है, और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यय की निगरानी करता है। विभाग रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उसकी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) भी तैयार और निष्पादित करता है और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित चार संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न अधिवर्षिता और कर्मचारी कल्याण निधियों का भी रखरखाव करता है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.61 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक की समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) की त्रैवार्षिक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.62];
- रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रणालियों की समीक्षा (पैराग्राफ XI.63);
- *उत्कर्ष* 2.0 की मध्यावधिक समीक्षा (पैराग्राफ XI.64);
- बजट रेटिंग ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ XI.64); और
- बजट इकाइयों के बजट प्रबंधन की समीक्षा (पैराग्राफ XI.64)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.62 रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों का व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण करके टीएससीए की त्रैवार्षिक समीक्षा की गई। टीएससीए को कारोबार निरंतरता समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया और रिज़र्व बैंक की जोखिम निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

XI.63 रिज़र्व बैंक में बीसीएम प्रणालियों की समीक्षा की गई। बीसीएम प्रक्रियाओं और प्रणाली के डिजिटलीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए, विभाग ने एक डैशबोर्ड के विकास की दिशा में काम शुरू किया है जो मौजूदा मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने के लिए आपदा/संकट के दौरान तत्समय चेतावनी प्रदान करेगा।

XI.64 *उत्कर्ष 2.0* की मध्यावधि समीक्षा पूरी की गई। बजट इकाइयों के लिए रेटिंग ढांचे की समीक्षा की गई, और अद्यतन रेटिंग ढांचा जारी किया गया। ई-कुबेर प्रणाली के बजट मॉड्यूल में बजट इकाइयों के लिए बजट प्रबंधन के लिए नई सुविधाएं प्रदान की गईं।

प्रमुख गतिविधियां

XI.65 31 दिसंबर 2025 तक पूरे होने वाले *उत्कर्ष* 2.0 के 150 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से 118 महत्वपूर्ण लक्ष्य (78.7 प्रतिशत) पूरे हो गए और शेष 32 महत्वपूर्ण लक्ष्य (21.3 प्रतिशत) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे। इसके अतिरिक्त, 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य 31 मार्च 2025 को इसके निर्धारित समय से पहले पूरे हो गए। '*उत्कर्ष*' पोर्टल में नई सुविधाएं भी लाई गईं, जिससे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति की बेहतर निगरानी की जा सके।

XI.66 सीएसबीडी, रिज़र्व बैंक के बीसीएम ढांचे के लिए नोडल विभाग होने के नाते, रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीएससीए की समीक्षा करके, आपदा से उबरने (डीआर) संबंधी अभ्यास का आकलन करके और रिज़र्व बैंक की विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के प्रदर्शन से कारोबार निरंतरता ढांचे को मजबूत किया गया।

XI.67 विभाग ने रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी चार संस्थानों अर्थात कैफरल, आईजीआईडीआर, आईआईबीएम और एनआईबीएम के अभिशासन को उनके नियंत्रण बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों, प्रमुख गतिविधियों की तिमाही निगरानी और उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करने के माध्यम से सुदृढ़ करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, शिक्षण गतिविधियों और वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए उप-समितियों का गठन करके सीएएफआरएएल की अभिशासन संरचना को और सुव्यवस्थित किया गया।

XI.68 विभाग द्वारा स्वचालित, कार्यप्रवाह और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के सृजन के लिए अपने मौजूदा कोर बैंकिंग समाधान (*ई-कुबेर*) में मॉड्यूलों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में विभिन्न आईटी पहलें की गईं।

XI.69 रिज़र्व बैंक की कार्यनीति, कारोबार निरंतरता और बजट दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, प्रशिक्षण संस्थाओं सहित विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.70 वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बीसीएम सिस्टम के लिए डैशबोर्ड का विकास;
- *उत्कर्ष 2.0* की समीक्षा;
- *उत्कर्ष 3.0* का निरूपण; और
- रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी चार संस्थाओं में प्रदेय (डिलिवरेबल्स) की प्रभाविता को बढ़ाना।

7. राजभाषा

XI.71 रिज़र्व बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। बैंक का राजभाषा विभाग एक व्यापक कार्य योजना और प्रभावी निगरानी-तंत्र के जरिये बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है, इसमें राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा नियम, 1976; भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी निदेशों तथा भारत सरकार के निदेशों; और संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशों का अनुपालन शामिल है। हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्याख्यानों तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसी लक्षित गतिविधियों के माध्यम से विभाग ने बैंक में हिंदी के व्यापक प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को कारगर तरीके से आगे बढ़ाया।

वर्ष 2024-25 की कार्यसूची

XI.72 विभाग ने वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या में दिसंबर 2024 तक 120 अतिरिक्त अनुभागों को जोड़कर उन्हें बढ़ाना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.73];
- 'पारंगत' पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करके हिंदी में प्रवीणताप्राप्त स्टाफ-सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना (पैराग्राफ XI.73);
- माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.74);
- रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नई और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के संकाय सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करना (पैराग्राफ XI.74);
- आरबीआई@90 के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर वाद-विवाद (डिबेट) प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ताकि इन विषयों पर जागरूकता फैलाई जा सके (पैराग्राफ XI.75);
- नवनियुक्त स्टाफ-सदस्यों के लिए हिंदी का अनिवार्य कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना (पैराग्राफ XI.75);
- राजभाषा अधिकारियों के लिए विभिन्न राजभाषा निरीक्षणों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.75); और
- राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.75)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.73 संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए कुल 120 अनुभागों को विनिर्दिष्ट करने संबंधी लक्ष्य के सापेक्ष कुल 145 अतिरिक्त अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्ष के दैरान, कुल 298 अतिरिक्त स्टाफ-सदस्यों को 'पारंगत' प्रक्षिक्षण दिया गया।

XI.74 माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों / प्रभारी अधिकारियों के लिए दिनांक 22 और 23 सितंबर 2024 के दौरान मध्य प्रदेश के पेंच में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों से 23 क्षेत्रीय निदेशकों और प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया। सीएबी, पुणे और आरबीएससी, चेन्नई के संकाय सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्रमशः 16 अगस्त 2024 और 20 अगस्त 2024 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

XI.75 आरबीआई@90 के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों में पदस्थ अधिकारियों के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर वाद-विवाद (डिबेट)

प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान कुल 129 अतिरिक्त कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें नए भर्ती हुए स्टाफ-सदस्य भी शामिल थे। राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षणों से जुड़े विषयों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18-19 जुलाई 2024 के दौरान सीएबी, पुणे में आयोजित किया गया। दिनांक 10-12 फरवरी 2025 और 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 के दौरान सीएबी, पुणे में राजभाषा अधिकारियों के लिए दो संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रमुख गतिविधियां

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा रिज़र्व बैंक के दौरे :

XI.76 माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को रिज़र्व बैंक के हैदराबाद कार्यालय का निरीक्षण किया।

प्रशिक्षण/ सम्मेलन

XI.77 रिज़र्व बैंक के स्टाफ-सदस्यों के विभिन्न समूहों की जरूरतों के अनुसार वर्ष के दौरान उनके लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिनांक 31 जनवरी से 01 फरवरी 2025 के दौरान राजगीर, बिहार में राजभाषा सम्मेलन और राजभाषा हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

प्रकाशन

XI.78 विभाग की अर्धवार्षिक पत्रिका 'कृति-अनुकृति' का प्रकाशन किया गया। यह पत्रिका केंद्रीय कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित की गई राजभाषा संबंधी प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रकाशित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े समसामयिक विषयों को शामिल करते हुए हिंदी पत्रिका *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'* के दो संस्करण भी प्रकाशित किए गए।

रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष का स्मारक उत्सव

XI.79 आरबीआई@90 के तत्वावधान में 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद (डिबेट) प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय/ क्लस्टर-स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने भाग लिया।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.80 विभाग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करने की योजना बनाई है;

- राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना;
- रिज़र्व बैंक के निजी सचिवों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना;
- माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/ प्रभारी अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना; और
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों के स्टाफ-सदस्यों द्वारा उनकी हिंदी ई-हाउस पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख/रचनाओं में से चुनिंदा रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए एक नई पत्रिका का प्रकाशन करना।

8. परिसर विभाग

XI.81 परिसर विभाग का विज़न रिज़र्व बैंक के परिसरों में वास्तुकला की उत्कृष्टता और सौंदर्य-बोध को ग्रीन रेटिंग के साथ सुमेलित करते हुए 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक अवसंरचनाओं का निर्माण करना है, साथ ही इन परिसरों में सर्वोच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

2024-25 की कार्यसूची

XI.82 वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- दिसंबर 2024 के लिए *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.83);

- रायपुर कार्यालय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करना (पैराग्राफ XI.84);
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना के स्तर पर स्थित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना (पैराग्राफ XI.84); और
- मुंबई में आवासीय परिसर का अधिग्रहण कार्य पूर्ण करना (पैराग्राफ XI.84)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.83 दिसंबर 2025 तक कम से कम 9 कार्यालय भवनों और 16 आवासीय इमारतों के लिए आईजीबीसी/जीआरआईएचए[6] द्वारा संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में, दिसंबर 2024 तक 11 कार्यालय भवनों और 13 आवासीय इमारतों के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त की जा चुकी है। दिसंबर 2024 (आधार वर्ष जून 2018) तक कुल ऊर्जा खपत के 7 प्रतिशत तक की ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में, दिसंबर 2024 तक सभी कार्यालय परिसरों में कुल 8.3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 (आधार वर्ष जून 2018) को समाप्त अवधि के लिए निर्धारित 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य के समक्ष दिसंबर 2024 तक 10.4 प्रतिशत की ऊर्जा बचत का लक्ष्य प्राप्त किया है।

XI.84 रायपुर में कार्यालय भवन का निर्माण अग्रिम चरण में है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न अन्य निर्माण परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है, ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके।

प्रमुख गतिविधियां

XI.85 रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। मार्च 2025 के अंत तक, 29 कार्यालय परिसरों और 61 आवासीय कोलोनियों में 4,650 kWp (किलोवाट-पीक) के बिजली उत्पादन क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

अन्य पहल

XI.86 विभाग विभिन्न श्रेणियों के तहत अलग-अलग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) से परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएँ प्राप्त करने की संभावनाओं की तलाश रहा है।

XI.87 विभाग विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित संपदा विभागों के स्टाफ-सदस्यों के कौशल संवर्धन को प्राथमिकता दे रहा है, इसमें अचल संपत्ति नीति, एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा से जुड़े कार्य, सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीद, परिसंपत्तियों का केंद्रीकृत बीमा, उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिचय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, कवर किया गया है।

XI.88 विभाग ने अपनी खरीद नीति और अधिशेष संपत्ति के निपटान की नीति को संशोधित किया है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मासिक डेटा प्रस्तुत करने संबंधी एक नए मॉड्यूल को जोड़कर ग्रीन[7] डेटा प्लेटफ़ॉर्म को और भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा, एमआईएस में सुधार के एक हिस्से के रूप में 'परिदृष्टि' नामक एक परियोजना डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.89 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दिसंबर 2025 के लिए *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;

[6] इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)/ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए)

[7] ऊर्जा दक्षता/ संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त *उत्कर्ष* डेटा और अन्य हरित पहलों और ऊर्जा/ जल लेखापरीक्षा पर जानकारी के समेकन और विश्लेषण के लिए आरईबीआईटी के परामर्श से जीआरईईएन (नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और नीर संरक्षण) नामक एक वेब आधारित प्लेटफ़ार्म विकसित किया गया है।

- रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कार्यालय/ आवासीय स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास करना; और
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।

9. निष्कर्ष

XI.90 रिज़र्व बैंक ने, अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इस उपलक्ष्य में वर्ष भर कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच अधिक सामंजस्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों के साथ-साथ नई भर्तियों और प्रशिक्षणों के माध्यम से बैंक के मानव संसाधन को और मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक ने ईआरएम, आरबीआईए और कारोबार निरंतरता ढांचे को और सुदृढ़ बनाकर अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन को और प्रभावी बनाया। राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम से जुड़े सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया, जबकि परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक अवसंरचनाओं के निर्माण से जुड़े अपने प्रयासों को जारी रखा।

अनुबंध

सारणी XI.1: दिनांक 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास$	8(1)(क)	4	4
संजय मल्होत्रा%	8(1)(क)	3	3
माइकल देवब्रत पात्र@	8(1)(क)	5	5
एम. राजेश्वर राव	8(1)(क)	7	7
टी. रबी शंकर	8(1)(क)	7	7
स्वामीनाथन जे.	8(1)(क)	7	6
रेवती अय्यर	8(1)(ख)	7	7
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(ख)	7	6
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(ग)	7	7
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(ग)	7	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(ग)	7	2
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(ग)	7	4
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(ग)	7	4
रवींद्र एच. ढोलकिया	8(1)(ग)	7	6
अजय सेठ	8(1)(घ)	7	5
विवेक जोशी*	8(1)(घ)	2	1
नागराजू मद्दीराला#	8(1)(घ)	5	4

$: 10 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।
%: 11 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।
@: 14 जनवरी 2025 तक उप गवर्नर रहे।
*: 29 अगस्त 2024 तक निदेशक रहे।
#: निदेशक, 30 अगस्त 2024 से प्रभावी।

सारणी XI.2: दिनांक 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास$	8(1)(क)	32	25
संजय मल्होत्रा%	8(1)(क)	13	12
माइकल देवब्रत पात्र@	8(1)(क)	36	27
एम. राजेश्वर राव	8(1)(क)	45	41
टी. रबी शंकर	8(1)(क)	45	43
स्वामीनाथन जे.	8(1)(क)	45	41
रेवती अय्यर	8(1)(ख)	17	17
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(ख)	26	26
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(ग)	34	34
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(ग)	14	1
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(ग)	11	8
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(ग)	15	15
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(ग)	23	23
रवींद्र एच. ढोलकिया	8(1)(ग)	41	41

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास$	अध्यक्ष	8	7
संजय मल्होत्रा%	अध्यक्ष	4	4
स्वामीनाथन जे.	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवब्रत पात्र@	सदस्य	9	6
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	12	11
टी. रबी शंकर	सदस्य	12	12
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	12	9
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	10
रवींद्र एच. ढोलकिया	सदस्य	12	9
रेवती अय्यर	सदस्य	12	9
III. भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास$	अध्यक्ष	1	1
संजय मल्होत्रा%	अध्यक्ष	1	1
टी. रबी शंकर	उपाध्यक्ष	2	2
माइकल देवब्रत पात्र@	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	2	2
स्वामीनाथन जे.	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	2	2
रवींद्र एच. ढोलकिया	सदस्य	2	2

$: 10 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।
%: 11 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।
@: 14 जनवरी 2025 तक उप गवर्नर रहे।

सारणी XI.3: दिनांक 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 के दौरान बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	7	5
वेणु श्रीनिवासन^	सदस्य	7	1
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	7	0
स्वामीनाथन जे.	सदस्य	7	7

^: 4 अप्रैल, 2025 तक सदस्य

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
पंकज रमणभाई पटेल	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	1	1
III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा	अध्यक्ष	2	1
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	2	2
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	3	3
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	3	3
V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	शून्य	शून्य
माइकल देवब्रत पात्र@	सदस्य	शून्य	शून्य
स्वामीनाथन जे&	सदस्य	शून्य	शून्य
वेणु श्रीनिवासन	सदस्य	शून्य	शून्य

@: 14 जनवरी, 2025 तक उप गवर्नर।

&: 15 जनवरी 2025 से सदस्य।

सारणी XI.4: दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025* के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के स्थान पर केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	8	8
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	8	8

*: केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के स्थान पर कार्य कर रही है।

टिप्पणी: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की गईं।

XII वर्ष 2024-25 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 8.20 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) से बढ़ा है। इस वर्ष आय में 22.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि व्यय में 7.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष की समाप्ति पर कुल अधिशेष ₹2,68,590.07 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष ₹2,10,873.99 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 27.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

XII.1 रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र में, मुद्रा निर्गम कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किए गए कार्यों के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों की झलक मिलती है ।

XII.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.3 तुलन-पत्र के आकार में ₹5,77,718.72 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात इसका आकार 31 मार्च 2024 के ₹70,47,703.21 करोड़ रुपये से यानी 8.20 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹76,25,421.93 करोड़ रुपये हो गया। स्वर्ण, घरेलू निवेश, विदेशी निवेश में क्रमश: 52.09 प्रतिशत, 14.32 प्रतिशत और 1.70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष में वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जारी किए गए नोटों, पुनर्मूल्यन खाते और अन्य देयताओं में क्रमश: 6.03 प्रतिशत, 17.32 प्रतिशत और 23.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2025 तक कुल आस्तियों में, घरेलू आस्तियों का हिस्सा 25.73 प्रतिशत था, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण (जमा स्वर्ण और भारत में रखा स्वर्ण मिलाकर) और भारत के बाहर के वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम मिलाकर कुल हिसा 74.27 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2024 को क्रमशः 23.31 प्रतिशत और 76.69 प्रतिशत था।

XII.4 ₹44,861.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष के संबंध में प्रवृत्ति का विवरण सारणी XII.1 में दिया गया है।

XII.5 31 मार्च 2025 के वर्षांत के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय विवरण; अनुसूचियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की विवरणी और लेखा संबंधी अनुपूरक टिप्पणियाँ नीचे प्रस्तुत हैं:

सारणी XII.1 : आय, व्यय, निवल आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
ए) आय	1,33,272.75	1,60,112.13	2,35,457.26	2,75,572.32	3,38,308.09
बी) कुल व्यय[1]	34,146.75[2]	1,29,800.68[3]	1,48,037.04[4]	64,694.33[5]	69,714.0 2[6]
सी) निवल आय (ए-बी)	99,126.00	30,311.45	87,420.22	2,10,877.99	2,68,594.07
डी) निधियों को अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	99,122.00	30,307.45	87,416.22	2,10,873.99	2,68,590.07

टिप्पणी : 1. सीएफ और एडीएफ के लिए प्रावधान शामिल हैं।

2. सीएफ को अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

3. सीएफ और एडीएफ को अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

4. सीएफ को अंतरण के लिए ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

5. सीएफ को अंतरण के लिए ₹42,819.91 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

6. सीएफ को अंतरण के लिए ₹44,861.70 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, में अंतरित की गई।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक, एतद् द्वारा केंद्र सरकार को, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, बैंक के तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित आय विवरण (इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक के लेखा बहियों से स्पष्ट है, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित, यह तुलन पत्र पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं; और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों (यथासंशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च 2025 तक बैंक के कार्य और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके परिचालन के परिणाम की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

अभिमत का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार हमने यह लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिए गए हैं। आईसीएआई द्वारा जारी *आचार संहिता* के साथ-साथ लेखा परीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं; जो हमारे द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं, के अनुसार हम बैंक से निरपेक्ष हैं, तथा हमने आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि अन्य जानकारी गंभीर रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं मिला है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन प्रभार वहन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमों और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: बैंक की आस्तियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त लेखा परीक्षा अभिलेखों का रखरखाव; धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सत्य और त्रुटिहीन अभिमत प्रस्तुत करें तथा गंभीर विवरणात्मक भूल से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

प्रबंधन इसके लिए भी जिम्मेदार है कि वह 'कार्यशील संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता का आकलन करे और लेखांकन के 'कार्यशील संस्था' आधार का उपयोग करे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केंद्र सरकार द्वारा आदेश से और निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की तथ्यात्मक गलती, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा अपने अभिमत के साथ लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह

इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में हमेशा तात्विक गलती, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाए। गलत विवरण किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे, व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय यथोचित रूप से प्रभावित होने की संभावना हो। उचित आश्वासन में वस्तुपरकता की उपर्युक्त अवधारणाएं और लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप परीक्षण-जांच का उपयोग शामिल है।

इस लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर रुख अपनाते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलती, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलती का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलती से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा परीक्षा पद्धति तैयार की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभाविता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस संदेह मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस संदेह मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्य का मूल्यांकन करते हैं, और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे, समय और लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक विवरणी भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा मेसर्स चंदाभॉय एंड जासुभॉय, सनदी लेखाकार और मेसर्स फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई और रिपोर्ट की गई, जिन्होंने 22 मई 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है, जिसे प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा उस पर भरोसा किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की 25 (पच्चीस) लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा-लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 110417डब्ल्यू)

नौशीर डी. अंकलेसरिया
भागीदार
सदस्यता संख्या 010250
यूडीआईएन: 25010250BMOKKD2705

कृते कल्याणीवाला एंड मिस्त्री एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 104607डब्ल्यू/डब्ल्यू100166)

दारायस जेड. फ्रेजर
भागीदार
सदस्यता संख्या 042454
यूडीआईएन: 25042454BMOETV3890

स्थान: मुंबई
दिनांक : 23 मई 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2023-24	2024-25	आस्तियां	अनुसूची	2023-24	2024-25
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग (बीडी) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	10.13	11.26
अन्य आरक्षित निधियां	1	240.00	242.00	स्वर्ण-बैंकिंग विभाग	7	2,74,714.27	4,31,624.80
जमाराशियाँ	2	17,19,838.56	17,17,404.03	निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग	8	14,89,081.42	14,32,572.10
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग	9	13,63,368.97	15,58,573.83
आकस्मिकता निधि		4,28,621.03	5,42,426.96	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,974.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	3,75,593.49	4,34,710.24
पुनर्मूल्यन खाता	3	11,30,963.71	13,26,793.43	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	2,063.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	2,60,520.73	3,21,248.79	अन्य आस्तियां	12	64,831.83	78,039.06
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (आईडी) की आस्तियां (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)**			
जारी किए गए नोट	5	34,78,039.50	36,87,827.04	स्वर्ण- आईडी	7	1,64,604.91	2,36,537.54
				रुपया सिक्का		458.54	328.76
				निवेश-विदेशी-आईडी	8	33,12,976.05	34,50,960.74
				निवेश-घरेलू-आईडी	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						34,78,039.50	**36,87,827.04**
	कुल देयताएं	**70,47,703.21**	**76,25,421.93**		**कुल आस्तियां**	**70,47,703.21**	**76,25,421.93**

संगीता लालवानी	पूनम गुप्ता	स्वामीनाथन जे.	टी. रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	संजय मल्होत्रा
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2023-24	2024-25
ब्याज	13	1,88,605.73	2,10,687.64
अन्य आय	14	86,966.59	1,27,620.45
कुल		**2,75,572.32**	**3,38,308.09**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		5,101.40	6,372.82
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		128.39	151.02
एजेंसी प्रभार	15	3,976.31	3,669.56
कर्मचारी लागत		7,890.11	9,146.71
ब्याज		2.19	2.44
डाक और संचार प्रभार		242.75	106.43
मुद्रण और लेखन-सामग्री		29.53	24.24
किराया, कर, बीमा, विद्युत, आदि		254.14	274.65
मरम्मत और रखरखाव		173.07	177.55
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		5.75	4.80
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		7.37	7.24
विधिक प्रभार		18.06	17.67
मूल्यह्रास		370.62	623.63
विविध व्यय		3,674.73	4,273.56
प्रावधान		42,819.91	44,861.70
कुल		**64,694.33**	**69,714.02**
उपलब्ध शेष राशि		**2,10,877.99**	**2,68,594.07**
घटाना:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान:			
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य:			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[1]		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]		1.00	1.00
(सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि		**2,10,873.99**	**2,68,590.07**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

संगीता लालवानी	पूनम गुप्ता	स्वामीनाथन जे.	टी. रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	संजय मल्होत्रा
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2023-24	2024-25
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	33.00	34.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	207.00	208.00
	कुल	**240.00**	**242.00**
अनुसूची 2:	**जमाराशियाँ**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.30	5,000.85
	(ii) राज्य सरकार	42.46	42.48
	उप योग	***5,042.76***	***5,043.33***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	9,56,010.64	9,26,001.43
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10,934.25	8,439.50
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	12,272.97	11,606.14
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6,515.91	6,569.07
	(v) अन्य बैंक	39,714.96	38,872.35
	उप योग	***10,25,448.73***	***9,91,488.49***
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रेपो उधार-विदेशी	1,61,402.27	1,11,579.53
	(ii) रिवर्स रेपो मार्जिन- विदेशी	2,146.54	1,092.49
	उप योग	***1,63,548.81***	***1,12,672.02***
	(डी) अन्य		
	(i) आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाते के प्रशासक	4,778.94	4,902.84
	(ii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि	78,212.53	97,545.12
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियाँ	1,702.86	348.37
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	7,727.18	10,159.58
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	501.00	501.14
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.33	1.32
	(vii) अन्य	4,32,874.42	4,94,741.82
	उप योग	***5,25,798.26***	***6,08,200.19***
	कुल	**17,19,838.56**	**17,17,404.03**
अनुसूची 3:	**पुनर्मूल्यन खाता**		
	(i) मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	11,30,793.34	13,02,964.89
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफ़एस)	0.00	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- रुपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)	0.00	16,843.35
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफ़सीवीए)	170.37	6,985.19
	कुल	**11,30,963.71**	**13,26,793.43**
अनुसूची 4:	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा पुनर्मूल्यन लेखा के लिए प्रावधान (पीएफ़सीवीए)	0.00	0.00
	(ii) देय राशियों के लिए प्रावधान	4,827.02	4,088.31
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	33,321.37	36,470.57
	(iv) केंद्र सरकार को देय अधिशेष	2,10,873.99	2,68,590.07
	(v) देय बिल	11.35	0.09
	(vi) विविध	11,487.00	12,099.75
	कुल	**2,60,520.73**	**3,21,248.79**
अनुसूची 5:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	10.06	11.19
	(ii) संचलन में नोट	34,77,795.32	36,86,799.39
	(iii) सीबीडीसी-डब्ल्यू	0.08	0.00
	(iv) सीबीडीसी-आर	234.04	1,016.46
	कुल	**34,78,039.50**	**36,87,827.04**

		2023-24	2024-25
अनुसूची 6:	**नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के**		
	(i) नोट	10.06	11.19
	(ii) रुपया सिक्का	0.06	0.06
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**10.13**	**11.26**
अनुसूची 7:	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	2,60,537.16	4,17,205.49
	(ii) स्वर्ण जमा	14,177.11	14,419.31
	उप योग	***2,74,714.27***	***4,31,624.80***
	(बी) निर्गम विभाग	1,64,604.91	2,36,537.54
	कुल	**4,39,319.18**	**6,68,162.34**
अनुसूची 8:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी -बीडी	14,89,081.42	14,32,572.10
	(ii) निवेश-विदेशी -आईडी	33,12,976.05	34,50,960.74
	Total	**48,02,057.47**	**48,83,532.84**
अनुसूची 9:	**निवेश-घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू -बीडी	13,63,368.97	15,58,573.83
	(ii) निवेश-घरेलू -आईडी	0.00	0.00
	कुल	**13,63,368.97**	**15,58,573.83**
अनुसूची 10:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम:		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	6,599.94	32,688.09
	उप योग	***6,599.94***	***32,688.09***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम:		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,93,341.00	2,53,663.00
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	12,397.51	36,426.09
	उप योग	***2,05,738.51***	***2,90,089.09***
	(बी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रेपो उधार-विदेशी	1,62,822.88	1,11,579.53
	(ii) रेपो मार्जिन-विदेशी	432.16	353.53
	उप योग	***1,63,255.04***	***1,11,933.06***
	कुल	**3,75,593.49**	**4,34,710.24**
अनुसूची 11:	**सहयोगी/सहायक संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)	100.00	100.00
	कुल	**2,063.60**	**2,063.60**

		2023-24	2024-25
अनुसूची 12:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	2,042.64	2,512.81
	(ii) **उपचित आय (ए+बी)**	**58,878.51**	**64,001.01**
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	*421.47*	*479.85*
	बी. अन्य मदों पर	*58,457.04*	*63,521.16*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	170.37	6,985.19
	(v) विविध	3,740.31	4,540.05
	कुल	**64,831.83**	**78,039.06**
अनुसूची 13:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	92,589.51	85,524.67
	(ii) एलएएफ़ परिचालन पर निवल ब्याज	-7,052.08	-4,739.82
	(iii) एसडीएफ़ पर ब्याज	-5,616.80	-5,844.65
	(iv) एमएसएफ़ परिचालन पर ब्याज	3,413.37	464.22
	(v) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	2,094.09	1,922.77
	उप योग	***85,428.09***	***77,327.19***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	65,327.93	97,006.66
	(ii) रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन पर निवल ब्याज	228.64	158.59
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	37,621.07	36,195.20
	उप योग	***1,03,177.64***	***1,33,360.45***
	कुल	**1,88,605.73**	**2,10,687.64**
अनुसूची 14:	**अन्य आय**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) बट्टा	0.00	0.00
	(iii) कमीशन	3,886.95	4,131,.64
	(iv) प्राप्त किराया	9.19	9.00
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	859.32	1,105.16
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-68.74	-69.50
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-2,394.71	-2,681.71
	(viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से लाभ/हानि	1.73	2.16
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	379.29	-353.40
	उप योग	***2,673.03***	***2,143.35***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	2,235.86	13,686.63
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	-630.56	661.64
	(iii) विदेशी विनिमय से विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	83,615.86	1,11,143.38
	(iv) विविध आय	-927.60	-14.55
	उप योग	***84,293.56***	***1,25,477.10***
	कुल	**86,966.59**	**1,27,620.45**
अनुसूची 15:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन	3,806.71	3,531.76
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	48.47	15.78
	(iii) विविध (राहत/बचत बॉण्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंको को अदा किया गया संचालन प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	28.12	6.47
	(iv) बाह्य आस्ति प्रबंधक, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	93.01	115.55
	कुल	**3,976.31**	**3,669.56**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना" है।

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोट का निर्गमन एवं सिक्कों का संचलन

बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी करना एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना।

सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

ई) विदेशी मुद्रा के प्रबंधकर्ता के रूप में।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा, और निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं तत्समय भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनायी जाने वाली लेखा नीतियां पिछले वर्ष में अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व निर्धारण

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो, उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, विप्रेषण समाशोधन खाता, अग्रिम राशि जमा खाता और प्रतिभूति जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक लगातार पूर्ण लेखांकन

वर्षों के लिए बकाया और अदावी शेष जमाराशि की समीक्षा की जाती है और आय में प्रतिलेखित किया जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय पर अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय, उस दिन के प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि की लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग कर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) का पुनर्मूल्यन, दैनिक आधार पर, अमेरिकी डॉलर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के स्वर्ण की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और रुपया-अमेरिकी डॉलर बाज़ार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो और संविदाओं, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा को छोड़कर) उस दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दैनिक आधार पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉण्ड, जो लागत पर मूल्यांकित हैं) के अलावा दैनिक मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफएस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-एफएस में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकस्मिक निधि (सीएफ) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को परिशोधित बही मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप संविदा

रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। बाज़ार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, जबकि बाज़ार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन हेतु प्रावधान खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में

पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि रिवर्स किए जाते हैं। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि रिवर्स कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर एफसीवीए में डेबिट शेष, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाज़ार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप के मामले में, जो रेपो के रूप में होती है, फ्यूचर संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि रिवर्स की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ, एफसीवीए 'पुनर्मूल्यन खातों' का हिस्सा है, वहीं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा है, और आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालन के एक हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में सहभागिता करता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार लेने के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार देने के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) डेरिवेटिव में लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में, ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप, जैसे डेरिवेटिव में लेनदेन को आवधिक आधार पर बाज़ार भाव पर दर्शाया (मार्क्ड टू मार्केट) जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में डाला जाता है।

एफ) प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन में सहभागिता करता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक के निवेशों के रूप में रहती हैं और इन्हें परिशोधित किया जाता है, ये ब्याज अर्जित करती हैं और बाज़ार भाव पर दर्शाई (मार्क्ड टू मार्केट) जाती हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

रिज़र्व बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क्ड -टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड, टी-बिल और (डी) में उल्लिखित को छोड़कर, शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार बाज़ार दर में चिह्नित किए जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया जाता है। आईआरए-आरएस के क्रेडिट शेष को अगले लेखा वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-आरएस में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और इसे अगले लेखांकन वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों/तेल बॉण्डों की बिक्री/मोचन पर मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए तेल बॉण्ड आय खाते में

स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) टी-बिल को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है।

सी) समनुषंगी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ निधियों [(जैसे उपदान और अधिवर्षिता, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि)] डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए) और पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) के लिए निर्धारित तेल बॉण्ड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रेपो/रिवर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन उधार के रूप में माने जाते हैं और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाये जा रहे हैं, जबकि एलएएफ और एसडीएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन जमाराशियों के रूप में माने जा रहे हैं और 'जमाराशियां-अन्य' के तहत दर्शाये जा रहे हैं।

2.7 अचल आस्तियां

अचल आस्तियों में, लागत पर धारित कला और चित्रकारी तथा पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड लैंड) को छोड़कर, अन्य सभी को लागत मूल्य में से मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त लागत पर नियत किया गया है।

2.7.1 भूमि और भवनों के अलावा अचल आस्तियां

ए) ₹1 लाख तक की अचल आस्तियों (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से उठाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर) को अधिग्रहण के वर्ष में आय में प्रभारित किया जाता है। आसानी से उठाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दर पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

बी) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

सी) लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित और पूंजीकृत अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना, पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और अनुप्रयुक्त आस्तियों के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार छमाही आधार पर प्रभावी होगी।

डी) एक आस्ति के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जाता है:

आस्ति की श्रेणी	उपयोगी जीवन-काल (मूल्यह्रास की दर)
विद्युत संस्थापना, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर /आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

ई) मासिक यथानुपात आधार पर छमाही के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के माह सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

एफ) बाद के *व्यय* पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल आस्ति पर उपगत बाद का व्यय, जिसे खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रासित नहीं

किया गया है, उसका मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-काल पर मूल्यह्रास किया जाता है;

ii. मौजूदा अचल आस्ति के आधुनिकीकरण/परिवर्धन/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के व्यय, जिनका पहले से ही खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और जिस वर्ष में व्यय होता है, उसके बाद उस वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

2.7.2 भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ए) भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली आस्तियाँ माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन, पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

बी) भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल 30 वर्ष का माना जाता है और इन पर 30 वर्षों के दौरान 'सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट-लाइन)' आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास, भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. *भवनों को हुई क्षति:* क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित किए गए हों या जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा:* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- *जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है:* ये भवन, वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा अवशिष्ट (स्क्रैप) मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) पर दर्शाये गए हैं। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य)/ स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट' पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.6 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.6.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास निहित रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.6.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहित तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाली ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो 'पुनर्मूल्यन खाता' शीर्ष के अंतर्गत आता है।

XII.6.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इस निधि में शेष राशि ₹34 करोड़ थी।

बी) *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक मूल पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, इस निधि में प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹208 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए, प्रति निधि प्रत्येक वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.6.4 जमाराशियां

ये बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमाराशि, और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रेपो, एसडीएफ, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), पीआईडीएफ आदि के बदले बकाया जमाराशियों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली शेष राशि को दर्शाते हैं। कुल

जमाराशि में 0.14 प्रतिशत की कमी के साथ यह 31 मार्च 2024 को ₹17,19,838.56 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 तक ₹17,17,404.03 करोड़ हो गई।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमा रखती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धारित जमाराशियां 31 मार्च 2024 के ₹5000.30 करोड़ और ₹42.46 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 को क्रमश: ₹5000.85 करोड़ और ₹42.48 करोड़ थीं।

बी. *जमाराशियां - बैंक*

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह करने हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए बैंक, रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में राशि जमा रखते हैं। बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 3.31 प्रतिशत की कमी के साथ 31 मार्च 2024 के ₹10,25,448.73 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 को ₹9,91,488.49 करोड़ हो गई। इस मद में कमी मुख्य रूप से दिसंबर 2024 में सीआरआर में कमी के कारण हुई है, जिसके तहत बैंकों को 31 मार्च 2025 तक निवल मांग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत पर सीआरआर बनाए रखना आवश्यक है, जबकि 31 मार्च 2024 तक सीआरआर की आवश्यकता एनडीटीएल के 4.5 प्रतिशत की थी।

सी. *जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं*

वर्ष के दौरान बकाया रेपो लेनदेनों के कारण, इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2024 को ₹1,63,548.81 करोड़ से 31.11 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2025 को ₹1,12,672.02 करोड़ हो गई।

डी. *जमाराशियां - अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), पीआईडीएफ, रिवर्स रेपो के अंतर्गत बकाया राशियां, एसडीएफ आदि शामिल होते हैं। मुख्य रूप से रिवर्स रेपो जमाराशियों में वृद्धि के कारण, 'जमाराशियां-अन्य' 31 मार्च 2024 को ₹5,25,798.26 करोड़ से 15.67 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹6,08,200.19 करोड़ हो गईं।

XII.6.5 जोखिम प्रावधान

अगस्त 2019 में आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय बोर्ड द्वारा 'भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति' (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशों को मंजूरी देने और स्वीकार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) को अगस्त 2019 में अपनाया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने ढांचे की आंतरिक समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम पर केंद्रीय बोर्ड ने 15 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया और एक संशोधित ढांचे को मंजूरी दी गई।

रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए जोखिम प्रावधानों में आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) शामिल हैं। ये जोखिम प्रावधान, पूंजी और आरक्षित निधि के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की उपलब्ध वास्तविक इक्विटी (एआरई) के घटक हैं। पूंजी और आरक्षित निधि का विवरण पिछले पैराग्राफ में दिया गया है।

ए. *आकस्मिकता निधि (सीएफ)*

यह एक विशिष्ट प्रावधान है जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटना है, जिसमें प्रतिभूतियों का मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और रिज़र्व बैंक को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम शामिल है। 31 मार्च, 2025 तक, आईआरए -एफएस में डेबिट बैलेंस के कारण ₹81,366.87 करोड़ की राशि सीएफ के मद में प्रभारित की गई थी। सीएफ पर प्रभारित राशि अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा, उपलब्ध प्राप्त इक्विटी को तुलन पत्र के आकार के 7.50 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने के लिए सीएफ के लिए ₹44,861.70 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई। तदनुसार, 31 मार्च 2025 तक सीएफ में शेष राशि ₹5,42,426.96 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह ₹4,28,621.03 करोड़ थी।

बी. *आस्ति विकास निधि (एडीएफ)*

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाया गया और उसकी शेष राशि विशेष रूप से सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थानों में निवेश और आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए आज तक किए गए प्रावधान को दर्शाती है। वर्ष 2024-25 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च 2024 की तरह, 31 मार्च 2025 तक एडीएफ की शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ बनी रही (सारणी XII.2)।

XII.6.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्य पर अंकित लाभ/हानि पुनर्मूल्यन शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं, यथा मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए)। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी XII.2: पूँजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधानों में संतुलन (उपलब्ध वास्तविक इक्विटी)

(₹ करोड़)

को स्थिति	पूँजी	आरक्षित निधि	सीएफ	एडीएफ	एआरई	तुलन पत्र के प्रतिशत के रूप में एआरई
1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7
मार्च 31, 2021	5.00	6,500.00	2,84,542.12@	22,874.68	3,13,921.80	5.50
मार्च 31, 2022	5.00	6,500.00	3,10,986.94$	22,974.68$$	3,40,466.62	5.50
मार्च 31, 2023	5.00	6,500.00	3,51,205.69*	22,974.68	3,80,685.37	6.00
मार्च 31, 2024	5.00	6,500.00	4,28,621.03^	22,974.68	4,58,100.71	6.50
मार्च 31, 2025	5.00	6,500.00	5,42,426.96 ^^	22,974.68	5,71,906.64	7.50

@: सीएफ में वृद्धि ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए में ₹6,127.35 करोड़ की राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

$: सीएफ में वृद्धि ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ की राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

$$: एडीएफ में वृद्धि आरबीआईएच में निवेश के कारण ₹100 करोड़ के प्रावधान से है।

*: सीएफ में वृद्धि ₹1,30,875.75 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस तथा आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ और ₹19,417.61 करोड़ राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

^: सीएफ में वृद्धि ₹42,819.91 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,43,220.82 करोड़ और ₹7,090.29 करोड़ के नामे शेष राशि पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

^^: सीएफ में वृद्धि ₹44,861.70 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में ₹81,366.87 करोड़ की राशि के डेबिट बैलेंस को प्रभारित करने का निवल प्रभाव है।

ए. *मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)*

रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत बाज़ार जोखिम के प्रमुख स्रोत मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) और स्वर्ण के मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके, सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसलिए, सीजीआरए में निवल शेष, आस्ति आधार के आकार, उसके मूल्यांकन और विनिमय दरों और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ परिवर्तित होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर/स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए एक बफर प्रदान करता है। यदि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये में बढ़ोतरी होती है या स्वर्ण की कीमत में गिरावट आती है तो यह दबाव में आ सकता है। जब सीजीआरए विनिमय घाटे को पूरी तरह से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो इसकी भरपाई सीएफ से की जाती है। 31 मार्च 2024 को सीजीआरए में शेष राशि ₹11,30,793.34 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹13,02,964.89 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये का मूल्यह्रास और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि है।

बी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफएस)*

विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है तथा उनसे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि का लेखा आईआरए-एफएस में दर्ज किया जाता है। प्रमुख मुद्राओं में प्रतिफल वक्र में प्रतिफल में गिरावट के कारण, आईआरए-एफएस में शेष राशि 31 मार्च 2024 को ₹ (-)1,43,220.82 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ (-)81,366.87 करोड़ हो गई। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में ₹81,366.87 करोड़ की नामे शेष राशि को 31 मार्च 2025 को सीएफ के साथ समायोजित किया गया था, जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया था। तदनुसार, 31 मार्च 2025 तक आईआरए-एफएस में शेष राशि शून्य रही।

सी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)*

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लिखित अपवादों के साथ) शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के अनुसार बाजार मूल्य पर अंकित किए जाते हैं और उनसे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि का लेखा आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है। वक्र पर प्रतिफल में कमी के कारण आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च 2024 को ₹(-)7,090.29 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹16,843.35 करोड़ हो गई। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-आरएस में ₹16,843.35 करोड़ का क्रेडिट शेष अगले वित्तीय वर्ष में लेखांकित किया गया है।

डी. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए)*

31 मार्च 2025 तक बकाया अग्रिम संविदा को बाजार मूल्य पर अंकित करने के परिणामस्वरूप ₹6,985.19 करोड़ का निवल अप्राप्त लाभ हुआ, जिसे 31 मार्च 2024 तक ₹170.37 करोड़ के निवल अप्राप्त लाभ की तुलना में वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी नामे (कॉन्ट्रा डेबिट) के साथ एफसीवीए में जमा किया गया।

XII.6.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएँ' 31 मार्च 2024 के ₹2,60,520.73 करोड़ से 23.31 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹3,21,248.79 करोड़ हो गईं, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि है।

सारणी XII.3: मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यांकन खाते के लिए प्रावधान (पीएफसीवीए) में शेष राशि

(₹ करोड़)

निम्नलिखित तिथि को	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस	एफसीवीए	पीएफसीवीए
1	2	3	4	5	6
31 मार्च, 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च, 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00
31 मार्च, 2023	11,24,733.16	0.00	0.00	1,354.96	0.00
31 मार्च, 2024	11,30,793.34	0.00	0.00	170.37	0.00
31 मार्च, 2025	13,02,964.89	0.00	16,843.35	6,985.19	0.00

i. वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान

31 मार्च 2024 के साथ-साथ 31 मार्च 2025 को भी इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

पिछले पांच वर्षों के पुनर्मूल्यन खातों और पीएफसीवीए में शेष राशि सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. देयताओं के लिए प्रावधान

यह उपगत, लेकिन अदा नहीं किए गए व्यय तथा यदि कोई अग्रिम/देय आय प्राप्त हुई हो तो उसके लिए वर्ष के अंत में किए गए प्रावधानों को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2024 को ₹4,827.02 करोड़ से 15.30 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2025 को ₹4,088.31 करोड़ हो गई।

iii. केंद्र सरकार को देय अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधियों में योगदान और उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के बाद जिनके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जो आमतौर पर बैंकरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, रिज़र्व बैंक के लाभ की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाना अपेक्षित है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 48 के तहत, रिज़र्व बैंक अपनी किसी भी आय, लाभ या लाभ पर आय कर या सुपर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, सीएफ के लिए प्रावधान और चार सांविधिक निधियों में ₹4 करोड़ के योगदान सहित व्यय को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि ₹2,68,590.07 करोड़ हुई (इसमें पिछले वर्ष के ₹291.42 करोड़ की तुलना में ₹228.62 करोड़ शामिल हैं, जो विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय के अंतर के लिए देय हैं)।

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने घटकों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के अलावा) जारी करके धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि, दावा न किए गए डीडी/पीओ को दर्शाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च 2024 को ₹11.35 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 को ₹0.09 करोड़ हो गई।

v. विविध

यह एक अवशिष्ट शीर्ष है, जिसमें निर्धारित प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अवकाश नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि जैसी मदें शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2024 के ₹11,487.00 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹12,099.75 करोड़ हो गई।

XII.6.8 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताएं प्रचलन में मौजूद मुद्रा नोटों की मात्रा को दर्शाती हैं। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 34(1) के अनुसार, 1 अप्रैल 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोट और रिज़र्व बैंक के परिचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा नोट, निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा होंगे। 'जारी किए गए नोट'[1] 31 मार्च 2024 के ₹34,78,039.50 करोड़ से 6.03 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹36,87,827.04 करोड़ हो गए। 31 मार्च 2025 तक, डिजिटल रूप में ई₹-रिटेल (e₹-R) में संचलनगत बैंक नोटों का मूल्य ₹1,016.46 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2024 को यह ₹234.04 करोड़ था।

पूर्व में, 30 जून 2018 तक ₹10,719.37 करोड़ की राशि, जो कि भुगतान न किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाती है, 'अन्य देयताओं' में स्थानांतरित कर दी गई। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र निविदाकारों को एसबीएन के विनिमय मूल्य के लिए ₹10.28 करोड़ तक का भुगतान किया है और इस शीर्ष के लिए किया गया संचयी भुगतान ₹46.42 करोड़ रहा।

सारणी XII.4: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1	2	3
जारी किए गए नोटों के बदले में रखा गया स्वर्ण (भारत में धारित)	308.03	311.38
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) (विदेश में धारित स्वर्ण सहित)	514.07#	568.20*
कुल	**822.10**	**879.58**

#: 100.28 मीट्रिक टन भारत में तथा 413.79 मीट्रिक टन विदेश में धारित।
*: 200.60 मीट्रिक टन भारत में तथा 367.60 मीट्रिक टन विदेश में धारित।

XII.7 रिज़र्व बैंक की आस्तियाँ

XII.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का, छोटा सिक्का

यह मद बैंक नोटों, एक रुपये के नोटों, ₹1, 2, 5, 10 और 20 के रुपये के सिक्कों और रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित बैंकिंग कार्यों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे गए छोटे सिक्कों के शेष को दर्शाती है। 31 मार्च 2025 तक यह शेष राशि ₹11.26 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2024 तक शेष राशि ₹10.13 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण - बैंकिंग विभाग (बीडी)

31 मार्च 2025 तक रिज़र्व बैंक के पास कुल स्वर्ण 879.58 मीट्रिक टन था, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 822.10 मीट्रिक टन था, जो वर्ष के दौरान स्वर्ण में 57.48 मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है।

31 मार्च 2025 की स्थिति में 879.58 मीट्रिक टन में से 311.38 मीट्रिक टन स्वर्ण, निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 308.03 मीट्रिक टन था। 31 मार्च 2025 तक शेष

[1] इसमें भौतिक और डिजिटल रूप में बैंक नोट शामिल हैं।

568.20 मीट्रिक टन बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाएगा, जबकि 31 मार्च 2024 को यह 514.07 मीट्रिक टन था (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2024 के ₹2,74,714.27 करोड़ से 57.12 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹4,31,624.80 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 54.13 मीट्रिक टन स्वर्ण की बढ़ोतरी और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण हुई है।

iii) क्रय किए गए और भुनाए गए बिल

यद्यपि आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद और भुनाई कर सकता है, लेकिन 2024-25 में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2025 तक रिज़र्व बैंक के बही-खातों में ऐसी कोई आस्ति नहीं थी।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में शामिल हैं, (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में रखी जमाराशियां, (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास रखी जमाराशियां, (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों के पास रखी जमाराशियां, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश, और (v) भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		31 मार्च तक	
		2024	2025
1		2	3
I	निवेश-विदेशी-बीडी*	14,89,081.42	14,32,572.10
II	निवेश-विदेशी-आईडी	33,12,976.05	34,50,960.74
कुल		**48,02,057.47**	**48,83,532.84**

*: इसमें बीआईएस और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन्स (स्विफ्ट) और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित एसडीआर शामिल हैं, जिनका मूल्य 31 मार्च 2025 को ₹13,361.50 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2024 को यह राशि ₹12,553.70 करोड़ थी।

टिप्पणियाँ

1. रिज़र्व बैंक आईएमएफ की 'उधार लेने की नई व्यवस्था' (एनएबी) के तहत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता एसडीआर 8.88 बिलियन (₹1,00,631.55 करोड़/यूएस$11.77 बिलियन) है। 31 मार्च 2025 तक एनएबी के तहत बकाया कोई निवेश नहीं है।
2. रिज़र्व बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश के लिए सहमत हो गया है, तथापि समग्र रूप से यह राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹42,734.30 करोड़) से अधिक नहीं हो। 31 मार्च 2025 तक रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉण्ड में 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹3,418.74 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एसडीआर धारिता को भारत सरकार से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 31 मार्च 2025 तक 1.15 बिलियन (₹13,024.49 करोड़/ $1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का एसडीआर रिज़र्व बैंक के पास था।
4. क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक सार्क सदस्य देशों को सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये, दोनों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2025 तक सार्क और एसीयू मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि 1.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹16,255.62 करोड़) थी।
5. पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में दर्शायी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य 31 मार्च 2025 तक ₹1,19,719.62 करोड़/14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹1,28,132.06 करोड़/14.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
6. 31 मार्च 2025 को प्रतिभूति उधार देने की व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹1,04,213.03 करोड़/12.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
7. आईआरएफ संविदाओं और मुद्रा वायदा संविदाओं की अनुमानित राशि क्रमशः 1.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शून्य थी। वायदा संविदाओं की अनुमानित राशि का उपयोग दैनिक देय/प्राप्ति योग्य मार्जिन की गणना करने के लिए किया जाता है और इसके लिए निपटान की आवश्यकता नहीं होती है।
8. क्रॉस-करेंसी फॉरवर्ड्स/स्वैप्स (यूएसडी-आईएनआर सौदों के अलावा) के अंतर्गत बकाया अनुमानित राशि 3.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

एफसीए को तुलन पत्र में दो प्रमुख मदों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेशी-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में दर्शाया गया है, और (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में दिखाया गया है।

'निवेश-विदेशी-आईडी' एफसीए हैं, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33(6) के अनुसार पात्र हैं, जिनका उपयोग जारी किए गए नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीए का शेष हिस्सा 'निवेश-विदेशी-बीडी' है।

एफसीए की पिछले दो वर्षों की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

इस निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और विशेष तेल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक की घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता, जो 31 मार्च 2024 को ₹13,63,368.97 करोड़ थी, 14.32 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹15,58,573.83 करोड़ हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की निवल बिक्री और निवेश सूची में धारित प्रतिभूतियों के मोचन के कारण आई।

निवेश-घरेलू-बीडी का एक हिस्सा विभिन्न स्टाफ फंड, डीईए फंड और पीआईडीएफ के लिए भी निर्धारित किया गया है जैसा कि पैरा 2.5 (डी) में बताया गया है। 31 मार्च 2025 तक उक्त निधियों के लिए ₹1,43,476 करोड़ (अंकित मूल्य) निर्धारित किए गए थे।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में और राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए, ओडी और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों के मामले में इस प्रयोजनार्थ गठित सलाहकार समिति/समूह की सिफारिशों के आधार पर अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीमा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार के लिए डब्ल्यूएमए की स्थिति शून्य थी, जो 31 मार्च 2024 के समान थी। हालांकि, राज्य सरकारों को दिये गए ऋण और अग्रिम में 395.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 31 मार्च 2024 को ₹6,599.94 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹32,688.09 करोड़ हो गए।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम:*

  इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों को विशेष चलनिधि सुविधा के तहत रेपो के विरुद्ध बकाया राशि शामिल है। रेपो परिचालन के तहत बैंको द्वारा अधिक ऋण लिए जाने के कारण बकाया राशि 31.20 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹1,93,341.00 करोड़ से 31 मार्च, 2025 तक ₹2,53,663.00 करोड़ हो गई।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:*

  भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है। 31 मार्च, 2025

और साथ ही 31 मार्च, 2024 को कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं था और तदनुसार, इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

- *दूसरों को ऋण एवं अग्रिम राशि:*

  इस मद के अंतर्गत शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा प्राथमिक डीलरों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता को दर्शाती है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च, 2024 को ₹12,397.51 करोड़ से 193.82 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹36,426.09 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण 31 मार्च 2025 तक वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त चलनिधि सहायता सुविधा में वृद्धि है।

सी) भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम

इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31.44 प्रतिशत घटकर 31 मार्च, 2024 के ₹1,63,255.04 करोड़ से 31 मार्च, 2025 को ₹1,11,933.06 करोड़ हो गई, जो बकाया रिवर्स रेपो लेनदेन को दर्शाती है।

vii) सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थाओं में निवेश

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 तक सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थानों में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है। 31 मार्च 2025 तक कुल होल्डिंग ₹ 2,063.60 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2024 तक भी समान थी।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास के बाद निवल मान), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफ़सीए) और विविध आस्तियां शामिल हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम, पूर्ण होने तक लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 31 मार्च, 2024 तक ₹64,831.83 करोड़ से 20.37 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक ₹78,039.06 करोड़ हो गई।

ए) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च, 2025 तथा 31 मार्च, 2024 तक एसएए में शेष राशि शून्य थी, क्योंकि स्वैप के कोई भी बकाया अनुबंध नहीं थे, जो ऑफ-मार्केट दर पर रेपो की प्रकृति के थे।

सारणी XII.6: सहायक/सहयोगी कंपनियों में हिस्सेदारी

(₹ करोड़)

	2023-24	2024-25	31 मार्च 2025 तक प्रतिशत हिस्सेदारी
1	2	3	4
ए) जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लिमिटेड (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएँ (आईएफटीएएस)	33.60	33.60	100
एफ) रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)	100.00	100.00	100
कुल	**2,063.60**	**2,063.60**	

बी) फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट (आरएफसीए) का पुनर्मूल्यांकन

आरएफसीए में शेष राशि ₹6,985.19 थी 31 मार्च 2025 तक ₹170.37 करोड़ की तुलना में बकाया फॉरवर्ड अनुबंधों पर निवल मार्क-टू-मार्केट लाभ को दर्शाता है।

XII. 7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में निर्गम विभाग की पात्र आस्तियों में सोने के सिक्के, सोने की बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया के सिक्के, रुपया प्रतिभूतियां और घरेलू विनिमय बिल शामिल हैं और अन्य वाणिज्यिक पत्र। रिज़र्व बैंक के पास 879.58 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 311.38 मीट्रिक टन 31 मार्च, 2025 तक जारी किए जाने वाले नोटों के लिए समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। इश्यू डिपार्टमेंट की संपत्ति के रूप में रखे गए सोने का मूल्य 31 मार्च, 2024 को ₹1,64,604.91 करोड़ से 43.70 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक ₹2,36,537.54 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान सोने के मूल्य में यह वृद्धि 3.35 मीट्रिक टन सोने की वृद्धि, सोने की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण हुई है।

जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इसके समर्थन के रूप में रखे गए निवेश-विदेशी-आईडी 31 मार्च, 2024 को ₹33,12,976.05 करोड़ से 4.16 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक ₹34,50,960.74 करोड़ हो गए।

निर्गम विभाग द्वारा रखे गए रुपया सिक्कों का शेष 31 मार्च, 2024 को ₹458.54 करोड़ से 28.30 प्रतिशत घटकर 31 मार्च, 2025 को ₹328.76 करोड़ हो गया।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII. 8 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), सोना (सोने के भंडार सहित), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) होल्डिंग्स और रिज़र्व ट्रैंच स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर होल्डिंग्स रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा बनती हैं और इन्हें 'निवेश-विदेशी-बीडी' के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	47,61,844.48^	48,50,833.99#	88,989.51	1.87
सोना (सोने के भंडार सहित)	4,39,319.18@	6,68,162.34*	2,28,843.16	52.09
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1,51,223.44	1,55,289.18	4,065.74	2.69
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रांच स्थिति (आरटीपी)	38,868.77	37,855.07	-1,013.70	-2.61
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	**53,91,255.87**	**57,12,140.58**	**3,20,884.71**	**5.95**

^: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की ₹12,225.23 करोड़ की एसडीआर होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर होल्डिंग्स के अंतर्गत शामिल है; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में ₹7,773.08 करोड़ का निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा व्यवस्था के तहत उधार दिए गए ₹20,214.68 करोड़।

#: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की ₹13,024.49 करोड़ की एसडीआर होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर होल्डिंग्स के अंतर्गत शामिल है; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में ₹3,418.74 करोड़ का निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा व्यवस्था के तहत उधार दिए गए ₹16,255.62 करोड़।

@: इसमें से 1,64,604.91 करोड़ रुपये मूल्य का सोना निर्गम विभाग की परिसंपत्ति के रूप में रखा गया है और 2,74,714.27 करोड़ रुपये मूल्य का सोना (स्वर्ण जमा सहित) बैंकिंग विभाग की परिसंपत्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से 2,36,537.54 करोड़ रुपये मूल्य का सोना निर्गम विभाग की परिसंपत्ति के रूप में रखा गया है और 4,31,624.80 करोड़ रुपये मूल्य का सोना (स्वर्ण जमा सहित) बैंकिंग विभाग की परिसंपत्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा भंडार (यूएसडी)

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

घटक	को स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	समग्र	प्रतिशत
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	570.95*	567.56**	-3.39	-0.59
सोना (सोने के भंडार सहित)	52.67	78.18	25.51	48.43
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	18.13	18.17	0.04	0.22
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रांच स्थिति (आरटीपी)	4.66	4.42	-0.24	-5.15
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	**646.41**	**668.33**	**21.92**	**3.39**

*: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर होल्डिंग्स के अंतर्गत आती हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) के बॉण्डों में निवेशित 0.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत उधार दिए गए 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल नहीं हैं।

**: इसमें (क) रिज़र्व बैंक की 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर होल्डिंग्स शामिल नहीं हैं, जो एसडीआर होल्डिंग्स के अंतर्गत आती हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) के बॉण्डों में निवेशित 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत उधार दिए गए 1.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल नहीं हैं।

भारत सरकार के पास शेष एसडीआर होल्डिंग्स और आरटीपी, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के कोटा योगदान को दर्शाता है, रिज़र्व बैंक की तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 को भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में एफईआर की स्थिति, जो कि रिज़र्व बैंक की एफईआर के लिए संख्यात्मक मुद्रा है, सारणी XII.7 (ए) और (बी) में प्रस्तुत की गई है।

आय और व्यय का विश्लेषण

XII.9 रिज़र्व बैंक की आय के घटक हैं 'ब्याज' और 'अन्य आय' जिसमें (i) छूट, (ii) विनिमय, (iii) कमीशन, (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि, (vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यह्रास, (vii) वसूला गया किराया, (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, (ix) अब आवश्यक प्रावधान नहीं है, और (x) विविध आय। एलएएफ रेपो पर ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रेपो और विदेशी मुद्रा लेनदेन से विनिमय लाभ/हानि जैसी आय की कुछ मदों को शुद्ध आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.10 विदेशी स्रोतों से आय वर्ष 2023-24 के ₹1,87,471.20 करोड़ से 38.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹2,58,837.55 करोड़ हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर आय की दर वर्ष 2023-24 में 4.21 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2024-25 में 5.31 प्रतिशत थी (सारणी XII.8)।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024-25	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	48,02,057.47	48,83,532.84	81,475.37	1.70
औसत एफसीए	44,52,358.86	48,73,053.30	4,20,694.44	9.45
एफसीए से आय (ब्याज, छूट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	1,87,471.20	2,58,837.55	71,366.35	38.07
औसत एफ़सीए के प्रतिशत के रूप में एफ़सीए से आय	4.21	5.31	1.10	26.15

घरेलू स्रोतों से अर्जन

XII.11 घरेलू स्रोतों से निवल आय वर्ष 2023-24 के ₹88,101.12 करोड़ से 9.80 प्रतिशत घटकर वर्ष 2024-25 में ₹79,470.54 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज में कमी है (सारणी XII.9)।

XII.12 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) की धारिता पर ब्याज* वर्ष 2023-24 के ₹92,589.51 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹85,524.67 करोड़ रुपये हो गया।

XII.13 *चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)/* स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) *परिचालन से निवल ब्याज आय* वर्ष 2023-24 के ₹(-) 9,255.51 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹(-) 10,120.25 करोड़ हो गई।

XII.14 *रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ* वर्ष 2023-24 के ₹859.32 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹1,105.16 करोड़ हो गया, मुख्य रूप से प्रतिभूतियों की अधिक बिक्री और चालू वर्ष में उपज वक्र में उपज में आई नरमी

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से अर्जन

(₹ करोड़ में)

मद	2023-24	2024-25	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	**88,101.12**	**79,470.54**	**- 8,630.58**	**-9.80**
I. रुपया प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉण्ड सहित)	92,589.51	85,524.67	-7,064.84	-7.63
ii) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ/हानि	859.32	1,105.16	245.84	28.61
iii) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-68.74	-69.50	-0.76	-1.11
iv) रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ बट्टा का परिशोधन	-2,394.71	-2,681.71	-287.00	-11.98
v) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***90,985.38***	***83,878.62***	***-7,106.76***	***-7.81***
II. एलएएफ / एमएसएफ / एसडीएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-7,052.08	-4,739.82	2,312.26	32.79
ii) एसडीएफ पर निवल ब्याज	-5,616.80	-5,844.65	-227.85	-4.06
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	3,413.37	464.22	-2,949.15	-86.40
उप जोड़ (i+ii+iii)	***-9,255.51***	***-10,120.25***	***-864.74***	***-9.34***
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	1,294.43	1,259.20	-35.23	-2.72
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	718.92	564.32	-154.60	-21.50
iii) कर्मचारी	80.74	99.25	18.51	22.93
उप जोड़ (i+ii+iii)	***2,094.09***	***1,922.77***	***-171.32***	***-8.18***
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	3,886.95	4,131.64	244.69	6.30
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	390.21	-342.24	-732.45	-187.71
उप जोड़ (i+ii+iii)	***4,277.16***	***3,789.40***	***-487.76***	***-11.40***

के कारण बिक्री पर उच्च प्राप्ति हुई। वर्ष 2024-25 में, बिक्री परिचालन ₹24,090 करोड़ (अंकित मूल्य) था।

XII.15 रुपया प्रतिभूतियों (तेल *बॉण्ड* सहित) पर प्रीमियम/ डिस्काउंटका परिशोधन: रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्डों पर प्रीमियम/ डिस्काउंट का अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/ डिस्काउंट से प्राप्त होनेवाली निवल आय वर्ष 2023-24 के ₹(-) 2,394.71 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ (-) 2,681.71 करोड़ हो गई।

XII.16 *बट्टा: वर्ष 2023-24* की भांति *वर्ष 2024-25 में* बट्टागत लिखतों (टी-बिल) की धारिता *से कोई आय* प्राप्त *नहीं हुई।*

XII.17 *ऋण और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र और राज्य सरकार:*

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त होनेवाली आय वर्ष 2023-24 के ₹1,294.43 करोड़ से 2.72 प्रतिशत घटकर वर्ष 2024-25 में ₹1,259.20 करोड़ हो गई। केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2023-24 के ₹385.71 करोड़ से 94.77 प्रतिशत घटकर वर्ष 2024-25 में ₹20.16 करोड़ हो गई। राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2023-24 के ₹908.72 करोड़ रुपये से 36.35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹1,239.04 करोड़ हो गई। समग्र ब्याज आय में मामूली गिरावट का कारण केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त की गई निधियों पर कम ब्याज आय है।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थान*:

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2023-24 के ₹718.92 करोड़ रुपये से 21.50 प्रतिशत घटकर वर्ष 2024-25 में ₹564.32 करोड़ हो गई।

सी. *कर्मचारी:*

कर्मचारियों को दिये जानेवाले ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2023-24 के ₹80.74 करोड़ से 22.93 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹99.25 करोड़ हो गई।

XII.18 *कमीशन:* कमीशन आय जो वर्ष 2023-24 के ₹3,886.95 करोड़ से 6.30 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹4,131.64 करोड़ हो गई, यह वृद्धि मुख्य रूप से ए) केंद्र सरकार के बकाया ऋणों की सर्विसिंग के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन, और बी) राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की सर्विसिंग के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि के कारण हुई।

XII.19 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होनेवाला लाभ/हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय*: आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन, जो वर्ष 2023-24 के ₹390.21 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹(-) 342.24 करोड़ हो गया।

व्यय

XII.20 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को निष्पादित करते हुए एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों के मुद्रण, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय के अलावा कर्मचारियों से संबधित और अन्य व्यय करता है। बैंक ने केंद्रीय माल व सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 17(4) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अर्थात 01 अप्रैल, 2024 से पात्र आईटीसी

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज	1.10	1.77	1.92	2.19	2.44
ii. कर्मचारी लागत	4,788.03	3,869.43	6,003.93	7,890.11	9,146.71
iii. एजेंसी प्रभार / कमीशन	3,280.06	4,400.62	4,068.62	3,976.31	3,669.56
iv. नोटों का मुद्रण	4,012.09	4,984.80	4,682.80	5,101.40	6,372.82
v. प्रावधान	20,710.12	1,14,667.01	1,30,875.75	42,819.91	44,861.70
vi. अन्य	1,355.35	1,877.05	2,404.02	4,904.41	5,660.79
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**34,146.75**	**1,29,800.68**	**1,48,037.04**	**64,694.33**	**69,714.02**

के पचास प्रतिशत का लाभ उठाने और उपयोग करने का नीतिगत निर्णय लिया है। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय वर्ष 2023-24 के ₹64,694.33 करोड़ से 7.76 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹69,714.02 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

i) ब्याज

वर्ष 2024-25 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹2.44 करोड़ की राशि का भुगतान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष निधि और आरबीआई कर्मचारी हितकारी निधि में किया गया। पिछले वर्ष यानी 2023-24 में, इन निधियों में ब्याज का भुगतान ₹2.19 करोड़ था। ब्याज व्यय में ₹25 लाख की वृद्धि 31 मार्च 2025 तक निधि बकाया में वृद्धि के कारण है।

ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत वर्ष 2023-24 के ₹7,890.11 करोड़ से 15.93 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹9,146.71 करोड़ हो गई। यह वृद्धि वर्ष 2024-25 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के व्यय में बढ़ोतरी की वजह से थी।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. *सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है जो सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करते हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया निवल एजेंसी कमीशन वर्ष 2023-24 के ₹3,806.71 करोड़ से 7.22 प्रतिशत घटकर वर्ष 2024-25 में ₹3,531.76 करोड़ हो गया।

बी. *प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को भुगतान किए गए हामीदारी कमीशन के कारण यह व्यय वर्ष 2023-24 के ₹48.47 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹15.78 करोड़ हो गया। सुव्यवस्थित बाजार स्थितियां और निवेशकों की तीव्र मांग के कारण चालू वर्ष के दौरान हामीदारी कमीशन कम रहा।

सी. *विविध खर्च*

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत/बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को भुगतान किए गए टर्नओवर कमीशन और प्रतिभूति उधार और उधार लेन-देन व्यवस्था (एसबीएलए) पर किया गया कमीशन का भुगतान आदि शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन वर्ष 2023-24 के ₹28.12 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹6.47 करोड़ हो गया।

डी. *बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क*

इस शीर्ष के तहत व्यय वर्ष 2023-24 के ₹93.01 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹115.55 करोड़ हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2023-24 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,43,000 लाख थी जो 24.69 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 के दौरान 3,03,000 लाख हो गई। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2023-24 के ₹5,101.40 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹6,372.82 करोड़ हो गया।

v) प्रावधान

ईसीएफ के अनुसार आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को तुलन पत्र के आकार के 4.50 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखा जाना चाहिए। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार का 7.50 प्रतिशत सीआरबी बनाए रखने के लिए अनुमोदन दिया। तदनुसार, ₹44,861.70 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्ष के दौरान इसे सीएफ को अंतरित किया गया (सारणी XII.2)।

vi. अन्य

अन्य व्यय में मुद्रा विप्रेषण, मुद्रण और स्टेशनरी, लेखा परीक्षा शुल्क तथा संबंधित व्यय, विविध व्यय *आदि* शामिल हैं, जो वर्ष 2023-24 के ₹4,904.41 करोड़ से 15.42 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹5,660.79 करोड़ हो गए।

आकस्मिक देयताएं

XII.21 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹1,031.64 करोड़ थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा हैं। बीआईएस के अंशतः चुकता शेयर पर अनाहूत देयताएं 31 मार्च 2025 तक ₹1,010.99 करोड़ थी। शेष राशि बीआईएस निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.22 प्रकटीकरण के उद्देश्य से, केवल ₹ 1 लाख और उससे अधिक के पूर्व अवधि के लेनदेनों को शामिल किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹15.88 करोड़ और ₹0.01 करोड़ थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.23 निम्नलिखित सारणी में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24		2024-25	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5
i. मूल राशि और उस पर देय ब्याज जिसका भुगतान 31 मार्च 2025 तक किसी आपूर्तिकर्ता को नहीं हुआ है;	-	-	-	-
ii. लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि;	-	-	0.0057	0.0004
iii. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) जिसमें अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज न जोड़ा गया हो;	-	-	-	-
iv. लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि जिसका भुगतान न हुआ हो;	-	-	-	-
v. अतिरिक्त ब्याज राशि, जो बाद के वर्षों में भी बकाया और देय है, जिसका भुगतान उस तारीख तक जब उसका भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया गया हो, बकाया हो, जो धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के उद्देश्य के रूप में अस्वीकृत है।	एनए	एनए	एनए	एनए

-: शून्य। एनए : लागू नहीं।

पिछले साल के आंकड़े

XII.24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा परीक्षक

XII.25 बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2024-25 के लिए रिज़र्व बैंक की लेखा-बहियों की लेखा परीक्षा मेसर्स सोराब एस इंजीनियर एंड कंपनी, मुंबई और मैसर्स कल्याणीवाला एंड मिस्त्री एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में और मैसर्स लोढ़ा एंड कंपनी एलएलपी, कोलकाता, मैसर्स एस विश्वनाथन एलएलपी, चेन्नई और मैसर्स वाकर चांडियोक एंड कंपनी एलएलपी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2024 से मार्च 2025[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
5 अप्रैल 2024	मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने के लिए विकास को समर्थन प्रदान करते हुए, समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगस्त 2024 की नीति तक नीतिगत रेपो दर और रुख अपरिवर्तित रहेगा।
9 अक्तूबर 2024	एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने रुख को बदलकर तटस्थ करने और विकास को समर्थन प्रदान करते हुए, लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के स्थायी संरेखण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
6 दिसंबर 2024	• एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने के लिए तटस्थ नीतिगत रुख जारी रखने का भी निर्णय लिया। • नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 25 आधार अंकों की दो बराबर किस्तों में 50 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया, जो 14 दिसंबर, 2024 और 28 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।
7 फरवरी 2025	एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को 6.00 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर को 6.50 प्रतिशत पर समायोजित किया गया। एमपीसी ने विकास को समर्थन प्रदान करते हुए तटस्थ रुख जारी रखने और स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
16 अप्रैल 2024	*दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)* पर मास्टर परिपत्र को अद्यतन किया गया। प्रमुख संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा स्थापित ‹महिला उद्यम संवर्धन कोष› (डब्ल्यूईएफ) की शुरूआत थी, जिसका उद्देश्य डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला उद्यमियों को मध्यम से दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराना था, ताकि वे व्यवहार्य उद्यमों में निवेश करने में सक्षम हो सकें, साथ ही शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए ब्याज अनुदान और बैंकों को ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी हो सके।
11 जून 2024	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने पर मास्टर निदेश को 11 जून, 2024 को अद्यतन किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए: • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूचित किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) उधारकर्ताओं के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 14 दिनों का एक समान टर्नअराउंड समय (टीएटी) रखें ताकि ऐसे ऋण आवेदनों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो सके और अपनी वेबसाइटों पर एक अलग टैब के तहत सभी ऋण संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें; • बैंकों से पुनः कहा गया कि वे ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग प्रणाली (सीपीटीएस) लागू करें तथा एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदनों की अस्वीकृति के मुख्य कारण (कारणों) की जानकारी लिखित रूप में दें; तथा • बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण के लिए आवेदन करते समय ऋण आवेदन के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सांकेतिक चेकलिस्ट उपलब्ध कराएं, अपनी वेबसाइटों पर लंबित मामलों की स्थिति प्रदर्शित करें और मंजूरी समय-सीमा मानदंडों से परे लंबित मामलों की तिमाही आधार पर उचित स्तर पर निगरानी करें। • एमएसई क्लस्टर को एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए क्लस्टर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने जिलों में सभी क्लस्टरों में सीधे ऋण लिंकेज को बढ़ावा दें या अन्य बैंकों के साथ उनके लिंकेज को सुविधाजनक बनाएं, एमएसई इकाइयों के बीच जागरूकता उत्पन्न करें और शाखा/ब्लॉक स्तर की ऋण योजनाओं में क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को शामिल करें ताकि वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करने के लिए उन्हें समाहित किया जा सके।

[1] यह सूची सांकेतिक प्रकृति की है और इसका विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अगस्त 2024	2024-25 के दौरान *किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)* के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्राप्त अल्पावधि ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी।
6 दिसंबर 2024	पिछले कुछ वर्षों में समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, गैर-संपार्श्विक कृषि ऋण सीमा को मौजूदा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
24 मार्च 2025	मौजूदा दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों पर मास्टर निदेश जारी किए गए। संशोधित दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
15 अप्रैल 2024	सोने की कीमतों में जोखिम से बचाव के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों तक अधिक लोचनीय और आसान पहुँच प्रदान करने के लिए, निवासी संस्थाओं को आईएफएससी में एक्सचेंजों पर व्युत्पन्नी के अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी का उपयोग करके सोने के मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति दी गई थी।
3 मई 2024	जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर निर्देशों को संशोधित किया गया, ताकि प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-III के रूप में नामित एकल प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) पर प्रावधानों की प्रयोज्यता को दर्शाया जा सके।
8 मई 2024	'मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024' जारी किए गए, जिसमें शामिल संस्थाओं को केन्द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और ऋण) लेनदेन के लिए प्रारंभिक और विचरण मार्जिन का विनिमय अनिवार्य किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत जारी किए गए व्युत्पन्नी करारों के लिए मार्जिन पर जारी निर्देशों में संशोधन भी किए गए, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ गैर-निवासियों के साथ मार्जिन का विनिमय किया जा सके।
19 अगस्त 2024	अपने सदस्यों के बीच अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए परामर्श मंच प्रदान करने में स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय बाजारों में एसआरओ की मान्यता के लिए रूपरेखा जारी की गई।
29 अगस्त 2024	एसजीआरबी में व्यापक गैर-निवासी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत में आईएफएससी में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा सरकारी हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) के व्यापार और निपटान के लिए एक योजना जारी की गई।
18 अक्तूबर 2024	तयशुदा लेनदेन प्रणाली ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए पहुँच मानदंडों पर निर्देशों की समीक्षा की गई और एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के लिए संशोधित पहुँच मानदंडों को अधिसूचित किया गया।
7 नवंबर 2024	पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची में एफएआर के तहत वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में सरकार द्वारा जारी 10-वर्ष की अवधि के एसजीआरबी को शामिल करके आगे बढ़ाया गया।
8 नवंबर 2024	प्राधिकृत व्यापारियों को अंतर-बैंक और ग्राहकों के साथ निष्पादित विदेशी मुद्रा नकद, टॉम और हाजिर में लेनदेन की रिपोर्ट भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के व्यापार रिपोजिटरी (टीआर) को देने का दायित्व सौंपा गया।
27 दिसंबर 2024	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे स्वयं तथा अपने ग्राहकों/घटकों द्वारा किए गए स्वर्ण डेरिवेटिव्स में लेनदेन की रिपोर्ट सीसीआईएल की टीआर को दें।
7 जनवरी 2025	कारोबार को और अधिक आसान बनाने के लिए, गैर-निवासियों द्वारा ऋण साधनों में निवेश से संबंधित सभी प्रासंगिक परिपत्रों (2008-2024 के दौरान जारी 63 परिपत्र) में निहित परिचालन अनुदेशों को एक एकल मास्टर निदेश के तहत समेकित किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 फरवरी 2025	सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में खुदरा भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के एक और उपाय के रूप में, एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म में एक नई सुविधा, *यानी* ‘ स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट› -जी-सेक में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की गई। इस सुविधा के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों को अपने व्यक्तिगत घटकों/ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम तक पहुंचने की अनुमति दी गई है।
17 फरवरी 2025	सरकारी प्रतिभूतियों में सभी लेनदेन के लिए व्यापार और निपटान मानदंडों में एकरुपता लाने के लिए, एनडीएस-ओएम पर एक ही पीएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) - गिल्ट खाताधारक (जीएएच) और जीएएच-जीएएच लेनदेन के मिलान की अनुमति दी गई, साथ ही ऐसे लेनदेन के गारंटीकृत निपटान की भी अनुमति दी गई। सीसीआईएल के माध्यम से एक ही पीएम के रिपोर्ट किए गए पीएम-जीएएच और जीएएच-जीएएच लेनदेन को निपटाने का विकल्प भी सक्षम किया गया।
21 फरवरी 2025	बीमा निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, जी-सेक में वायदा संविदा शुरू किए गए थे। इन वायदा संविदाओं के आने से अंतर्निहित साधनों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करने वाले व्युत्पन्नों के प्रभावी मूल्य निर्धारण में भी सहायता मिलेगी।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
15 जनवरी 2025	मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें यदि आगे की सूचना नहीं दी गई है तो अगले कार्य दिवस पर प्रतिवर्ती रेपो किया जाएगा। नीलामी की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि की स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है, और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति *के माध्यम से अलग से इसकी घोषणा की जाती है*। इन नीलामियों में अन्य सभी पात्र प्रतिभागियों के साथ-साथ एसपीडी को भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
26 मार्च 2025	यह निर्णय लिया गया कि एसपीडी को रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित सभी रेपो परिचालनों में, चाहे उनकी अवधि कुछ भी हो, भाग लेने की अनुमति दी जाए।
विदेशी मुद्रा विभाग	
23 अप्रैल 2024	विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 में संशोधन करके भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर लिस्टिंग से संबंधित लेनदेन के लिए लागू भुगतान के तरीके और रिपोर्टिंग के लिए परिवर्तन किए गए। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में संशोधन करके ऐसी भारतीय कंपनियों को भारत के बाहर के बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी गई, ताकि अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को उनके उपयोग या भारत में प्रत्यावर्तन तक रखा जा सके।
6 मई 2024	विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में संशोधन करके भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) को भारतीय रुपए (आईएनआर) और/या विदेशी मुद्रा में ब्याज-अर्जक खाता खोलने, धारण करने और बनाए रखने की अनुमति दी गई, जिसका उद्देश्य मौजूदा विनियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अनुमति-प्राप्त डेरिवेटिव संविदाओं के लिए भारत में मार्जिन भेजना और प्राप्त करना है।
21 मई 2024	वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने भारत में निवेश माध्यमों द्वारा पीआरओआई को आंशिक रूप से भुगतान की गई इकाइयों को जारी करने में सक्षम बनाने के लिए 14 मार्च, 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 में संशोधन को अधिसूचित किया। इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत कंपाउंडिंग के माध्यम से उक्त संशोधन से पहले वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा पीआरओआई को आंशिक रूप से भुगतान की गई इकाइयों को जारी करने को नियमित करने का निर्णय लिया।
27 मई 2024	अनुमत मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों की पहुँच सुनिश्चित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह सूचना दी गई थी कि 1 जुलाई 2024 से, अनुमत उद्देश्यों के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) / गैर-बैंक एडी श्रेणी- II द्वारा जनता को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों का मूल्य तिमाही आधार पर अन्य एफएफएमसी / एडी से खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों के मूल्य के 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
11 जून 2024	परिचालनगत सुगमता प्रदान करने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि उनके निर्यात के साथ-साथ आयात लेनदेन का निपटान किया जा सके।
3 जुलाई 2024	व्यापार-सुगमता को बेहतर बनाने के लिए, एडी को फॉर्म ए2 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के ऑनलाइन/भौतिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर फेमा 1999 की धारा 10(5) के अधीन विप्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई। तदनुसार, ‹ऑनलाइन› फॉर्म ए2 के आधार पर प्रेषित की जाने वाली राशि की सीमा हटा दी गई। इसके अलावा, एडी बैंकों को किसी भी मूल्य के लेनदेन वाले सभी सीमा-पार विप्रेषणों के लिए भौतिक या डिजिटल रूप में फॉर्म ए2 प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
10 जुलाई 2024	प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को आईएफएससी के भीतर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत आईएफएससी को सभी स्वीकार्य उद्देश्यों के लिए विप्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, उन्हें आईएफएससी में रखे गए विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) के माध्यम से किसी भी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार (आईएफएससी के अलावा) में सभी चालू या पूंजीगत लेखा लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।
6 सितंबर 2024	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए रिपोर्टिंग ढांचे को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ‹एलआरएस मासिक विवरणी’ प्रस्तुत करना बंद कर दिया गया है।
1 अक्तूबर 2024	विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमावली, 2024 (‘नए नियम’) को भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से 12 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, पहले के परिपत्रों के तहत जारी निर्देशों की समीक्षा की गई और प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए कंपाउंडिंग के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
11 नवंबर 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार और सेबी के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचे को अंतिम रूप दिया है। ढांचे के अनुसार, किसी भी संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा (पूर्णतया तनुकृत आधार पर कुल चुकता पूँजी का 10 प्रतिशत) के किसी भी उल्लंघन के मामले में, उनके होल्डिंग को बेचने के पहले के विकल्प के अलावा एफडीआई के रूप में ऐसी होल्डिंग को पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।
19 नवंबर 2024	आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने पर विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में ‘स्टार्टअप’ की परिभाषा में संशोधन किया गया।
14 जनवरी 2025	• विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में संशोधन किया गया ताकि पीआरओआई (बैंकों के अलावा) को एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं के साथ आईएनआर खाते खोलने की अनुमति दी जा सके। संशोधन के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्तियों (पीआरआई) के साथ सभी चालू और अनुमेय पूंजीगत खाता लेनदेन और अन्य पीआरओआई के साथ सभी लेनदेन को विशेष गैर-निवासी रुपया खाता (एसएनआरआर) खातों के माध्यम से निपटाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों [एसएनआरआर/विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए)/ गैर-निवासी बाहरी (एनआरई) खाता/वास्ट्रो खाता] के बीच अंतरण की भी अनुमति दी गई। • विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 में संशोधन किया गया, ताकि एसएनआरआर खातों से किए गए भुगतानों का उपयोग एफडीआई सहित विदेशी निवेश करने के लिए किया जा सके। • विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में संशोधन किया गया, ताकि सभी निवासी निर्यातकों को व्यापार लेनदेन निपटाने के लिए विदेशों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जा सके, बशर्ते लागू वसूली और प्रत्यावर्तन प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा सके। यह स्पष्ट किया गया कि स्थानीय मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करने वाले निर्यातक उस क्षेत्र से आयात के भुगतान के लिए इन मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
10 फरवरी 2025	एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) समझौते के साथ बाह्य व्यापार और भुगतान/प्राप्ति विनियमों के संरेखण की सुविधा के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 में संशोधन किया गया ताकि भुगतान/प्राप्ति को एसीयू तंत्र के माध्यम से केवल तभी संपादित किया जा सके जब वे एसीयू सदस्य देशों के क्षेत्र में स्थित दो निवासियों के बीच हों।
17 मार्च 2025	नवंबर 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं, *यानी* भारतीय रुपया और मालदीव रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के मद्देनजर, मालदीव के साथ द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन का निपटान एसीयू तंत्र के अतिरिक्त स्थानीय मुद्राओं में करने की अनुमति दी गई।
विनियमन विभाग	
1 अप्रैल 2024	• *निदेशक मंडल पर मास्टर परिपत्र - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)* : मास्टर परिपत्र में 31 मार्च, 2024 तक जारी सभी अभिशासन संबंधी निर्देशों/दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतित किया गया। • *मास्टर परिपत्र - गारंटी और सह-स्वीकृति* : मास्टर परिपत्र में बैंकों द्वारा गारंटी कारोबार के संचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को समेकित किया गया। • *मास्टर परिपत्र - गारंटी, सह-स्वीकृति और ऋण पत्र - यूसीबी* : गारंटी जारी करने के व्यवसाय में शामिल जोखिमों को देखते हुए, यूसीबी को सीमित सीमाओं के भीतर गारंटी देनी चाहिए ताकि उनकी वित्तीय स्थिति खराब न हो। बैंकों को परिपत्र में बताए अनुसार अपने गारंटी व्यवसाय के संबंध में कुछ व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। • *मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजी विनियमन* : मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को आज तक जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों को शामिल करके उचित रूप से अद्यतन/संशोधित किया गया है। लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) को सूचना दी गई है कि वे पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने संबंधित लाइसेंसिंग दिशा-निर्देशों और परिचालन दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें। • *मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - यूसीबी* : मास्टर परिपत्र ने 31 मार्च, 2024 तक जारी विषय पर सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया।
2 अप्रैल 2024	• *मास्टर परिपत्र - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड* : अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप और वित्तीय प्रणाली समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिम्हन) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के अग्रिम पोर्टफोलियो के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए चरणबद्ध तरीके से विवेकपूर्ण मानदंड शुरू किए हैं ताकि प्रकाशित खातों में अधिक स्थिरता और पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाया जा सके। • *मास्टर परिपत्र - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - शहरी सहकारी बैंक* : किसी बैंक के वास्तविक वित्तीय स्थिति को उसके तुलन पत्र में दर्शाने के लिए और वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिम्हन) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के अग्रिम पोर्टफोलियो के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए हैं।
15 अप्रैल 2024	• *सीआईएमएस परियोजना कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर वैधानिक विवरणी (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) जमा करना:* 30 जून, 2023 को सीआईएमएस के आने के बाद, बैंकों को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल से फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX विवरणी जमा करने को केंद्रीयकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल पर स्थानांतरित करने की सूचना दी गई है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
15 अप्रैल 2024	• *ऋण और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)* : विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना विषमता को कम करने और उधारकर्ताओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए, 15 अप्रैल 2024 को एक सुसंगत परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें आरई को सभी खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सावधि ऋणों के संबंध में संभावित उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करने की सूचना दी गई है।
23 अप्रैल 2024	• *प्रति-चक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) की आवश्यकता की समीक्षा* : 5 फरवरी, 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, सीसीवाईबी को सक्रिय नहीं करने का निर्णय लिया गया। • *रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी उत्पादों में व्यापार - एसएफबी* : कुछ समस्याओं के कारण एसएफबी को अपने ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, एसएफबी को 26 जून, 2019 के रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2019 के अधीन अपने ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए रुपया ब्याज व्युत्पन्नी उत्पादों में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
30 अप्रैल 2024	*परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन सुदृढ़ता पर मार्गदर्शन नोट* : रिज़र्व बैंक के नियामकीय मार्गदर्शन को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) सिद्धांतों के साथ संरेखित करना, *अर्थात,* (ए) 'परिचालन जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए सिद्धांतों में संशोधन›; और (बी) ‹परिचालन सुदृढ़ता के लिए सिद्धांत› (दोनों मार्च 2021 में जारी किए गए), जबकि परिचालन सुदृढ़ता के साथ-साथ अन्य पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया है। 14 अक्तूबर, 2005 को जारी *पूर्ववर्ती* 'परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट' को निरस्त कर दिया गया है।
3 मई 2024	*पूंजी बाजार में बैंकों का जोखिम - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताओं (आईपीसी) का जारी होना* : संरक्षक बैंकों द्वारा आईपीसी जारी करने के लिए पहले के दिशानिर्देशों में निर्धारित जोखिम शमन उपाय इक्विटी के लिए टी+2 चल समायोजन पर आधारित थे (टी ट्रेड डे है)। टी+1 चल समायोजन की शुरुआत के साथ, यह सूचना दी गई थी कि इंट्राडे एक्सपोजर को समायोजित राशि के 30 प्रतिशत पर पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा। प्रतिपक्षकार के लिए यह एक्सपोजर भी बड़ी एक्सपोजर सीमाओं के अधीन होगा। हालांकि, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित हेयरकट के अधीन, एक्सपोजर को नकद या अनुमत प्रतिभूतियों में भुगतान किए गए मार्जिन द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
7 जून 2024	*मास्टर निदेश में संशोधन - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016* : बैंकों को अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) अनुमानों के अनुसार थोक जमा पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश करने का विवेकाधिकार है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] और एसएफबी के लिए थोक जमा सीमा को '2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा' के रूप में 2019 में बढ़ाया गया था। एक समीक्षा के बाद, इन निर्देशों को संशोधित किया गया है और अब एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए थोक जमा को ‹3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा› के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) के लिए थोक जमा सीमा को आरआरबी के मामले में लागू '1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा' के रूप में परिभाषित किया गया है।
19 जून 2024	*एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित करना* : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र के लिए एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करते हुए 21 मार्च, 2024 को 'बहुप्रयोजनीय एसआरओ फ्रेमवर्क' के तत्वाधान में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।
10 जुलाई 2024	*बेसल III पूंजी विनियम - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (ईसीएआई)* : विभिन्न विनियामकीय समस्याओं के आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीआरआईपीएल) को अपने परिचालन को बंद करने का निर्देश दिया था। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने अपने आरई/बाजार सहभागियों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) से कोई नई रेटिंग/मूल्यांकन प्राप्त न करने की सूचना दी थी। समीक्षा करने पर, बैंकों को अब परिपत्र *के माध्यम से*, कुछ शर्तों के अधीन, सीआरए की बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
25 जुलाई 2024	• *लघु मूल्य ऋण - यूसीबी* : लघु मूल्य ऋण के लिए 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा को दो और वर्षों *(अर्थात मार्च 2026 तक) के लिए* बढ़ा दिया गया है और मार्च 2025 के लिए 40 प्रतिशत का मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। • *शेयरों और डिबेंचर के बदले बैंक वित्त* : शेयरों और डिबेंचर के जमानत के बदले यूसीबी द्वारा दिए गए ऋण के लिए 20 प्रतिशत की समग्र सीमा को 1 जनवरी, 2025 से स्वामित्व वाले निधियों के बजाय टियर-I पूंजी से जोड़ा गया है।
30 जुलाई 2024	• 'लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) - यूसीबी के उपाय' पर दिशानिर्देश जारी किए गए। • *इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन पर मास्टर निदेश* : *इरादतन चूककर्ताओं* पर मौजूदा निर्देशों की समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों/आदेशों के साथ-साथ बैंकों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन/सुझावों को ध्यान में रखते हुए की गई और ‹ *इरादतन चूककर्ताओं* और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन' पर मसौदा मास्टर निदेश 21 सितंबर, 2023 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, अंतिम मास्टर निदेश जारी किया गया।
2 अगस्त 2024	*सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिज़र्व (बीडीडीआर) का विवेकपूर्ण उपयोग* : विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए बीडीडीआर के उपयोग में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया गया।
8 अगस्त 2024	*ऋण संस्थानों (सीआई) द्वारा ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना रिपोर्टिंग की आवृत्ति* : यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई ऋण सूचना रिपोर्टें अधिक नवीनतम सूचना को दर्शाती हैं, सीआई द्वारा सीआईसी को ऋण सूचना रिपोर्टिंग की आवृत्ति अब मासिक से बढ़ाकर पाक्षिक अंतराल या ऐसे छोटे अंतराल पर कर दी गई है, जैसा सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो।
12 अगस्त 2024	• *आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए जोखिम भारिता की समीक्षा* : वितरित न किए गए आवास ऋणों और वाणिज्यिक अचल संपत्ति-आवासीय भवन के लिए प्रदत्त जोखिम भारिता में देखी गई विसंगतियों से बचने के लिए, एचएफसी विनियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। • *एचएफसी के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा और एचएफसी तथा एनबीएफसी पर लागू विनियमों का सामंजस्य* : एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियमों को संशोधित किया गया है, जिसका उद्देश्य उनकी विशिष्ट प्रकृति पर विचार करते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अलावा, एनबीएफसी पर लागू कुछ विनियमों की भी समीक्षा की गई है।
16 अगस्त 2024	*मास्टर निदेश की समीक्षा - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017* : विनियामक दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ मौजूदा प्रावधानों को विस्तृत और स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया था।
29 अगस्त 2024	*पोत लदान पूर्व और पोत लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)* : इस योजना का प्रशासन करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), ने कुछ संशोधनों के साथ योजना को 1 जुलाई, 2024 से 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी। 20 सितंबर, 2024 को, डीजीएफटी ने कुछ संशोधनों के साथ योजना को 1 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी। 9 अक्तूबर, 2024 को, डीजीएफटी ने कुछ संशोधनों के साथ योजना को 1 अक्तूबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक तीन महीने के लिए और बढ़ाने की अनुमति दी।
9 अक्तूबर 2024	• *रिज़र्व बैंक जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का निर्माण* : आरई द्वारा व्यापक जलवायु जोखिम आकलन को सक्षम करने के लिए डेटा संबंधी अंतराल को पाटने के लिए, आरबी-सीआरआईएस तैयार किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) एक वेब-आधारित निर्देशिका, जिसमें विभिन्न डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाएगा, और यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होगी; और (ii) डेटासेट (मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) वाला एक डेटा पोर्टल जो चरणबद्ध तरीके से केवल आरई के लिए सुलभ होगा। आरबी-सीआरआईएस में डेटासेट को भौतिक जोखिम मूल्यांकन जैसे कि खतरा डेटा, हानि डेटा, भेद्यता डेटा, क्षति कार्य, पारगमन जोखिम मूल्यांकन जैसे कि भारत विशिष्ट परिदृश्य, क्षेत्रीय पारगमन मार्ग और कार्बन उत्सर्जन कारक डेटाबेस के लिए डेटा इनपुट से संबंधित माना जाता है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
10 अक्तूबर 2024	• *आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा सीआईसी को सूचना प्रस्तुत करना* : संशोधित दिशानिर्देशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, एआरसी को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने, आपसी सहमति के अनुसार पाक्षिक आधार पर या कम अंतराल पर सीआईसी को डेटा प्रस्तुत करने और सीआईसी से ऐसे डेटा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने की आवश्यकता है। • *लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त होने के बाद साख सूचना रिपोर्टिंग तंत्र का कार्यान्वयन*: साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए) के अनुसार केवल सीआई ही सीआईसी को साख सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। जब आरई का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो उसे अब सीआई नहीं माना जाता है और इस प्रकार वह अपने उधारकर्ताओं की साख सूचना सीआईसी को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, जिससे उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान इतिहास में अंतराल होता है। ऐसी संस्थाओं के उधारकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, लाइसेंस/सीओआर के निरस्त होने के बाद एक साख सूचना रिपोर्टिंग तंत्र निर्धारित किया गया है।
6 नवंबर 2024	• केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) पहचानकर्ता को केवाईसी और पुनः केवाईसी प्रयोजनों के लिए प्रथम सहारा बनाया गया है, जिससे केवाईसी प्रक्रिया सरल, सुविधाजनक और कागज रहित हो गई है। • *मास्टर निदेश में संशोधन - केवाईसी निदेश, 2016* : मास्टर निदेश के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
13 नवंबर 2024	*घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की 2024 की सूची* : डी-एसआईबी की सूची 2024 में प्रकाशित की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी के रूप में पहचाना जाना जारी है। एसबीआई बकेट-4 में, एचडीएफसी बकेट-2 में और आईसीआईसीआई बैंक बकेट-1 में बना हुआ है, जिसके लिए जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के क्रमशः 0.8 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) पूंजी की आवश्यकता है।
6 दिसंबर 2024	• *विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें* : बैंकों द्वारा जुटाई गई नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 6 दिसंबर, 2024 से बढ़ा दी गई है। 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम की जमा अवधि के लिए, अधिकतम दर संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर प्लस 400 बीपीएस होगी, और 3 वर्ष और उससे अधिक से लेकर 5 वर्ष तक की जमा अवधि के लिए, अधिकतम दर संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर प्लस 500 बीपीएस होगी। हालाँकि, ऐसी छुट 31 मार्च, 2025 तक उपलब्ध है। • *सीआरआर का रखरखाव* : जैसा कि 6 दिसंबर, 2024 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैंकों के सीआरआर को 25 बीपीएस की दो बराबर किस्तों में 50 बीपीएस घटाकर निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत पर लाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, बैंकों को 14 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी अपने एनडीटीएल के 4.25 प्रतिशत पर सीआरआर बनाए रखना आवश्यक है, और 28 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी अपने एनडीटीएल के 4 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।
31 दिसंबर 2024	*सरकारी ऋण राहत योजनाएँ (डीआरएस)*: परिपत्र में *अन्य बातों के साथ-साथ* डीआरएस को लागू करते समय आरई द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण व्यवहार के बारे में बताया गया है। इसमें मॉडल संचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी शामिल है जिसे राज्य सरकारों को परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसे डीआरएस को डिजाइन और लागू करते समय उनके विचार के लिए भेजा गया था, ताकि सरकार, ऋणदाता और उधारकर्ताओं सहित शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं के किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके।
6 जनवरी 2025	*मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025* : मास्टर निदेश, विनियमित संस्थाओं को जारी साख सूचना रिपोर्टिंग और संबंधित पहलुओं पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित करता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
16 जनवरी 2025	एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के तहत निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार, अपर लेयर में 15 एनबीएफसी की पहचान की गई, जिनकी सूची जारी की गई।
20 जनवरी 2025	*एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं के बकाये के निपटान पर दिशा-निर्देश*: संशोधित दिशा-निर्देशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, ₹1 करोड़ से अधिक के कुल बकाया मूल्य वाले खातों और धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत सभी खातों का निपटान प्रस्ताव की स्वतंत्र सलाहकार समिति द्वारा जांच के बाद किया जाना चाहिए, जिसके बाद कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, ₹1 करोड़ तक के कुल बकाया मूल्य वाले खातों का निपटान शर्तों के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा।
29 जनवरी 2025	*एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का निजी प्लेसमेंट - दिशानिर्देशों की समीक्षा* : चूंकि एनसीडी के निजी प्लेसमेंट से जुड़ी नियामकीय अपेक्षाएं एनबीएफसी की सभी श्रेणियों में समान हैं, एचएफसी दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि एचएफसी के लिए निर्धारित एनसीडी के निजी प्लेसमेंट पर नियम पूरी तरह से एनबीएफसी के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगे।
7 फरवरी 2025	*बैंक दर में परिवर्तन* : जैसा कि 7 फरवरी, 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 में घोषित किया गया था, 7 फरवरी, 2025 से बैंक दर को 6.75 प्रतिशत से 25 बीपीएस से घटाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया गया था। आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं, भी संशोधित हो गई हैं।
24 फरवरी 2025	*विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तीकरण - यूसीबी* : (ए) छोटे मूल्य के ऋणों की परिभाषा को संशोधित किया गया है, जिसका मूल्य 25 लाख रुपये या उनकी टियर I पूँजी का 0.4 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा, जो प्रति उधारकर्ता 3 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगा। समय-सीमा और मध्यवर्ती लक्ष्यों को अपरिवर्तित रखा गया है; (बी) टियर-3 और टियर-4 यूसीबी द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवासीय ऋण की राशि की अधिकतम सीमा को मौजूदा एकल उधारकर्ता जोखिम सीमाओं के अधीन, 1.40 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर क्रमशः 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है; (सी) स्थावर संपदा क्षेत्र में यूसीबी के कुल जोखिम की सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया। तदनुसार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य लोगों के अलावा, आवासीय बंधकों (व्यक्तियों को आवास ऋण) के लिए यूसीबी का कुल जोखिम उसके कुल ऋणों और अग्रिमों का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और व्यक्तियों को आवास ऋण को छोड़कर, स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए यूसीबी का कुल जोखिम उसके कुल ऋणों और अग्रिमों का पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और (डी) यूसीबी द्वारा एआरसी को हस्तांतरित आस्तियों के बदले धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) पर मूल्यांकन अंतर के कारण प्रावधान की आवश्यकता के लिए निर्धारित मौजूदा ग्लाइड पथ (2025-26 तक) को 2027-28 तक दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
25 फरवरी 2025	• *सूक्ष्म-वित्त ऋणों पर जोखिम भारिता की समीक्षा* : एससीबी के सूक्ष्म-वित्त ऋण जो उपभोक्ता ऋण की प्रकृति के हैं, उन पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा। 'बेसल III पूंजी विनियमन' पर मास्टर परिपत्र के अनुसार विनियामकीय खुदरा के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले ऐसे ऋणों पर 75 प्रतिशत का जोखिम भार लागू रहेगा। इसके अलावा, आरआरबी और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) द्वारा दिए जाने वाले सभी सूक्ष्म-वित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा।
25 फरवरी 2025	• *एससीबी का एनबीएफसी में एक्सपोजर:* उपभोक्ता ऋण के कुछ क्षेत्रों में कोविड के बाद जोखिम बढ़ने और निधीयन के लिए एनबीएफसी की एससीबी पर बढ़ती निर्भरता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए 16 नवंबर, 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एससीबी और एनबीएफसी के कुछ उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए जोखिम भारिता में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में एससीबी के एनबीएफसी में एक्सपोजर पर जोखिम भारिता में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई, जहां बाहरी रेटिंग के आधार पर मौजूदा जोखिम भारिता 100 प्रतिशत से कम थी। 25 फरवरी, 2025 के एक परिपत्र के माध्यम से समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी में एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भारिता को एनबीएफसी की दी गई बाहरी रेटिंग से जुड़े जोखिम भारिता पर दर्ज किया जाए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
12 मार्च 2025	*अकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी के लिए एसआरओ (एसआरओ-एए) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा* : एए पारिस्थितिकी के लिए एसआरओ के लिए रूपरेखा जारी की गई। यह रूपरेखा एए पारिस्थितिकी की जरूरतों को पूरा करने संबंधी विशेषताओं, कार्यों, जिम्मेदारियों, पात्रता मानदंडों, अभिशासन अपेक्षाओं *आदि की एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है*। एए पारिस्थितिकी के लिए एसआरओ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 15 जून, 2025 है।
20 मार्च 2025	• *आरआरबी द्वारा अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन पर दिशानिर्देश* : आरआरबी को पूर्व में आरआरबी (कर्मचारी) पेंशन योजना 2018 के कारण अपनी पेंशन देयता को 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करके पांच साल की अवधि में परिशोधित करने की अनुमति दी गई थी। आरआरबी को अब 1 नवंबर 1993 से पेंशन योजना को लागू करना आवश्यक है। तथापि, एक वर्ष में बढ़ी हुई देयता को अवशोषित करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी को सूचित किया गया कि पेंशन में संशोधन के कारण होने वाले व्यय को, यदि 2024-25 के दौरान लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से आरोपित नहीं किया जाता है, तो इसे 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि कुल पेंशन देयता का न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष व्यय किया जाए। पेंशन से संबंधित अशोध्य व्यय को आरआरबी की टियर 1 पूंजी से कम नहीं किया जाएगा। • *भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021 - स्पष्टीकरण* : तुलन पत्र के संकलन और ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशियों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा कवर किए गए अग्रिमों और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत व्यक्तिगत योजनाओं के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए गए, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की गारंटी और रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन द्वारा समर्थित हैं।
21 मार्च 2025	*विनियामकीय पूंजीगत प्रयोजनों के लिए आस्ति उपयोग के अधिकार (आरओयू) का प्रयोग* : परिपत्र में मूर्त आस्तियों से जुड़ी आरओयू आस्तियों को स्वामित्व निधि/सीईटी 1/टियर 1 पूंजी से कटौती से छूट दी गई है और इसके स्थान पर 100 प्रतिशत जोखिम भारिता को अनिवार्य किया गया है।
24 मार्च 2025	*प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य की समीक्षा - यूसीबी* : 2024-25 से, यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि के 60 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक संशोधित किया गया है।
25 मार्च 2025	• *मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आरआरबी के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025* : मौजूदा दिशानिर्देशों को, जहां भी उचित समझा गया, समेकित, सुसंगत और युक्तिसंगत बनाया गया है। • भारत सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 26 मार्च, 2025 से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के परामर्श से, मौजूदा एमएलटीजीडी के संग्रहण/नवीनीकरण को बंद करने के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 पर मास्टर निर्देश को उचित रूप से संशोधित किया गया और इस विषय पर अद्यतन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए गए।
फिनटेक विभाग	
5 अप्रैल 2024	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा-खुदरा (सीबीडीसी-आर) को उपयोगकर्ताओं के व्यापक वर्ग तक निरंतर सुलभ बनाने के लिए, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को खुदरा क्षेत्र में सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश करने के लिए पात्र बनाया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 मई 2024	28 मई, 2024 को 'फिनटेक रिपोजिटरी' आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं, उनकी गतिविधियों, प्रौद्योगिकी उपयोग *आदि के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करना* है। इसके साथ ही, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों [जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी), क्वांटम कंप्यूटिंग *आदि] को अपनाने पर रिज़र्व बैंक की केवल विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एक संबंधित रिपोजिटरी जिसे ‹एमटेक रिपोजिटरी' कहा जाता है, भी शुरू किया गया। रिपोजिटरी समग्र क्षेत्रीय स्तर के डेटा, रुझान, विश्लेषण आदि* की उपलब्धता को सक्षम करेगी , जो नीति निर्माताओं और भाग लेने वाले उद्योग सदस्यों दोनों के लिए उपयोगी होगी।
30 मई 2024	रिज़र्व बैंक ने ‹फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा› (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) प्रकाशित की। 15 जनवरी, 2024 को जारी ‹फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए मसौदा रूपरेखा› पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रतिपुष्टियों की जांच के आधार पर रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।
28 अगस्त 2024	फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफएसीई) को एसआरओ-एफटी ढांचे के अंतर्गत फिनटेक क्षेत्र में एक एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई।
6 दिसंबर 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ‹MuleHunter.AI ™ ' पहल को और विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया।
26 दिसंबर 2024	रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता (एफआरईई-एआई) के उत्तरदायित्व और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु एक समिति के गठन की घोषणा की।
पर्यवेक्षण विभाग	
29 अप्रैल 2024	ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, तथा विनियमित संस्थाओं को उनकी ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता - ब्याज वसूलना' पर दिशानिर्देश जारी किए।
15 जुलाई 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं *अर्थात*, (i) वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई); (ii) सहकारी बैंक [शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक]; और (iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) [आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित] के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए थे।
26 जुलाई 2024	रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा प्रस्तुत किया है, जो मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) की जगह लेगा। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी यह ढांचा, सर्वसमावेशी निर्देशों के तहत आने वाले यूसीबी को छोड़कर, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के तहत सभी यूसीबी पर लागू होगा। टियर 1 यूसीबी, हालांकि पीसीए ढांचे के तहत शामिल नहीं हैं, लेकिन मौजूदा पर्यवेक्षी ढांचे के तहत उन पर बेहतर निगरानी रखी जाएगी।
30 सितंबर 2024	सोने के आभूषणों और आभूषणों के बदले ऋण देने में पाई गई अनेक अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें टॉप-अप ऋण भी शामिल हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को सूचित किया है कि वे स्वर्ण ऋण पर अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करें, ताकि कमियों की पहचान की जा सके और समयबद्ध तरीके से उचित सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें।
2 दिसंबर 2024	बैंकों को निष्क्रिय/जमा खातों की संख्या में कमी लाने तथा ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुगम और परेशानी मुक्त बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सूचना दी गई है, जिसमें मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, गैर-होम शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया *आदि के माध्यम से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को निर्बाध अद्यतन* करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
17 जनवरी 2025	उत्तरजीवियों/मृत जमाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को होने वाली असुविधा और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं के बोर्ड/निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समितियों (सीएससी) को समय-समय पर नामांकन कवरेज में प्रगति की समीक्षा करने की सूचना दी है।
प्रवर्तन विभाग	
30 जनवरी 2025	भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के प्रावधानों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए तथा रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई को युक्तिसंगत बनाने एवं उन्हें समेकित करने के उद्देश्य से पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक जुर्माना लगाने तथा अपराधों के शमन हेतु रूपरेखा जारी की गई।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
17 जनवरी 2025	धोखाधड़ी करने वालों द्वारा मोबाइल नंबरों के संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी विनियमित संस्थाओं को 'वॉयस कॉल और लघु संदेश सेवा (एसएमएस) का उपयोग करके किए जाने वाले वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम – विनियामकीय निर्देश और संस्थागत सुरक्षा' पर एक परिपत्र जारी किया गया था।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
27 मार्च 2024	• भारत सरकार के लिए 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2024) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) सीमा ₹1,50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। • बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाजार प्रथाओं के अनुरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से, मौजूदा 14-वर्षीय जी-सेक के स्थान पर 15-वर्षीय अवधि की नई दिनांकित सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) शुरू की है।
28 जून 2024	• चुनिंदा वित्त सचिवों वाले समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्ल्यूएमए सीमा को 1 जुलाई, 2024 से ₹47,010 करोड़ से संशोधित कर ₹60,118 करोड़ कर दिया गया। • समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) पर कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सीएसएफ/जीआरएफ/नीलामी ट्रेज़री बिल (एटीबी) में उनके निवेश के बदले राज्य सरकारों की विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) सीमा निर्धारित करने की पद्धति को भी 1 जुलाई, 2024 से संशोधित किया गया है।
26 सितंबर 2024	भारत सरकार के लिए 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2024 से मार्च 2025) के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
4 जून 2024	जाली नोटों का पता लगाने, उनकी सूचना देने और निगरानी के लिए बैंकों को अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जाली नोटों के संबंध में दंड प्रावधानों को संशोधित किया गया है, जिसमें कुछ मामलों में क्रमिक दंड का प्रावधान भी किया गया है।
30 अक्तूबर 2024	देश भर में बैंक नोट छंटाई के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 'नोट छंटाई मशीनें (एनएसएम) - प्रमाणीकरण और फिटनेस छंटाई पैरामीटर' शीर्षक से मानक आईएस 18663:2024 प्रकाशित किए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को केवल ऐसे एनएसएम मॉडल लगाने की सूचना दी जो प्रकाशित भारतीय मानकों के अनुरूप हों और बीआईएस द्वारा विधिवत प्रमाणित हों।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
5 अप्रैल 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग के माध्यम से नकदी जमा सुविधा के संचालन की घोषणा की।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
7 जून 2024	• रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जो भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा। • रिज़र्व बैंक ने यूपीआई लाइट सुविधा को ई-मैन्डेट ढांचे के दायरे में लाकर एक ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यूपीआई लाइट वॉलेट में यदि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से राशि कम हो जाती है, तो उसे यूपीआई लाइट वॉलेट में लोड कर दिया जाएगा।
24 जुलाई 2024	विभिन्न समुचित जांच प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाकर नकदी आधारित धन विप्रेषण की सुरक्षा बढ़ाने के लिए घरेलू धन अंतरण (डीएमटी) के ढांचे को संशोधित किया गया।
30 जुलाई 2024	रिज़र्व बैंक ने ‹गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश' जारी किए, जिसमें साइबर सुदृढ़ता पर जोर देते हुए समग्र सूचना सुरक्षा तैयारियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अभिशासन तंत्र को शामिल किया गया है।
8 अगस्त 2024	• भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूपीआई में ‹प्रत्यायोजित भुगतान› की शुरुआत की घोषणा की है, जिससे व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से एक सीमा तक यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति दे सकेगा, इसके लिए द्वितीयक उपयोगकर्ता के पास यूपीआई से जुड़ा कोई अलग बैंक खाता होना आवश्यक नहीं होगा। • रिज़र्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की लेनदेन सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दिया है। • भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार लाने, प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत चेकों की निरंतर समाशोधन की घोषणा की।
22 अगस्त 2024	रिज़र्व बैंक ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के ऑटो-रिप्लेनिशमेंट की अनुमति दे दी है, जब बैलेंस ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो जाता है। ऑटो-रिप्लेनिशमेंट के लिए ये भुगतान प्री-डेबिट नोटिफिकेशन की आवश्यकता से मुक्त होंगे।
9 अक्तूबर 2024	यूपीआई के निम्नलिखित उत्पादों के लिए सीमाएं बढ़ाई गईं: • यूपीआई123पे: हितधारकों के परामर्श से प्रति लेनदेन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई। • यूपीआई लाइट: यूपीआई लाइट वॉलेट की प्रति लेनदेन सीमा ₹500 तथा प्रति यूपीआई लाइट वॉलेट की कुल सीमा ₹2,000 को बढ़ाकर क्रमशः ₹1,000 तथा ₹5,000 कर दी गई।
11 अक्तूबर 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
25 अक्तूबर 2024	रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर, 2024 को तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) विनियमों और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को संशोधित किया, जिसमें केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) की सदस्यता के लिए पहुँच मानदंड, सदस्यता की आवधिक समीक्षा, सीपीएस सदस्यों द्वारा निरंतर आधार पर साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन और आरटीजीएस और एनईएफटी से संबंधित मौजूदा परिपत्रों के निर्देश शामिल हैं।
28 अक्तूबर 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के लिए निर्देशों में संशोधन किया है, ताकि सीसीपी में कॉरपोरेट अभिशासन को मजबूत किया जा सके। इसके लिए बोर्ड की बैठकों के साथ-साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
4 दिसंबर 2024	रिज़र्व बैंक ने 'ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए रूपरेखा' में संशोधन किया है, जिससे यूपीआई लाइट की सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 प्रति लेनदेन कर दिया गया है, तथा किसी भी समय कुल सीमा ₹5,000 होगी।
27 दिसंबर 2024	रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को तीसरे पक्षकार के यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ने की अनुमति दे दी है। इससे पीपीआई धारक तीसरे पक्षकार के यूपीआई एप्लीकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई भुगतान कर सकेंगे/प्राप्त कर सकेंगे।
30 दिसंबर 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों के लिए लाभार्थी के बैंक खाते का नाम देखने की सुविधा शुरू करने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिससे आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों का उपयोग करने वाले धन प्रेषकों को धन अंतरण शुरू करने से पहले उस बैंक खाते का नाम सत्यापित करने में मदद मिलेगी, जिसमें धन अंतरित किया जा रहा है, जिससे गलतियों से बचा जा सकेगा और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।
7 फरवरी 2025	भारत में जारी किए गए कार्डों का उपयोग करके ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए भी अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए) को सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है।
12 फरवरी 2025	भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण देने की अनुमति दे दी है।
28 मार्च 2025	रिज़र्व बैंक ने एटीएम लेनदेन के लिए परस्पर परिवर्तनीय शुल्क संरचना पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एटीएम परस्पर परिवर्तनीय शुल्क एटीएम नेटवर्क द्वारा तय की जाएगी। इसके अलावा, 1 मई, 2025 से बैंक ग्राहकों से प्रति एटीएम लेनदेन अधिकतम ₹23 का शुल्क ले सकते हैं, जो कि अनिवार्य मुफ़्त लेनदेन की संख्या से परे है।

अनुबंध II

सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय[1]: अप्रैल 2022 से मार्च 2025

वर्ष	तारीख	विषय
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग		
2022-23	1 जून 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश 2022 जारी किए गए, जिसमें कवर की गई संस्थाओं के लिए अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत डेरिवेटिव (एनसीसीडी) (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेनों के लिए विचरण मार्जिन का विनिमय अनिवार्य किया गया था।
	16 जून 2022	अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान हेतु दिशा-निदेश निर्धारित करते हुए मसौदा निदेश जारी किए गए।
	17 फरवरी 2023	सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) उधार देने और उधार लेने की अनुमति देने के लिए मसौदा निदेश जारी किए गए। अंतिम निदेश 27 दिसंबर 2023 को जारी किए गए थे।
2023-24	28 दिसंबर 2023	जी-सेक पर बॉण्ड फॉरवर्ड शुरू करने के लिए मसौदा निदेश जारी किए गए।
	3 जनवरी 2024	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा की गई और इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य भागीदारों के संदर्भ में उत्पादों में एकरूपता लाने के लिए संशोधित निदेश जारी किए गए।
	5 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और संशोधित निदेश जारी किए गए, सभी प्रकार के लेनदेनों - ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड - के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को एक ही मास्टर निदेश के तहत समेकित किया गया, अनुमत एफएक्स डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया गया और उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया गया ताकि उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं के साथ सक्षम बनाया जा सके और वे अपने जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकें।
2024-25	29 अप्रैल 2024	इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए मसौदा मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म) निदेश 2024 जारी किए गए।
	8 मई 2024	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश 2024 जारी किए गए, जिसमें शामिल संस्थाओं को अकेंद्रीय रूप से स्वीकृत डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेनों के लिए प्रारंभिक और विचरण मार्जिन का आदान-प्रदान करना अनिवार्य किया गया।
	21 फरवरी 2025	भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश 2025, बीमा निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए जारी किए गए थे। इन वायदा संविदाओं की शुरूआत से उन डेरिवेटिव के कुशल मूल्य निर्धारण में भी मदद मिलेगी जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करते हैं।
विदेश मुद्रा विभाग		
2022-23	22 अगस्त 2022	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत विदेशी निवेश ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक/टिप्पणियों के आधार पर, तर्कसंगत 'विदेशी निवेश विनियमन' जारी किए गए।
2023-24	26 दिसंबर 2023	फेमा, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए मसौदा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी किए गए।
2024-25	2 जुलाई 2024	फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उदार बनाने के लिए 'विदेशी व्यापार पर मसौदा विनियमन और निदेश' जारी किए गए।

[1] इसमें नई/बड़ी विनियामक नीतियों के साथ-साथ वृद्धिशील परिवर्तन और मौजूदा दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा शामिल है, जो मसौदा परिपत्रों, रिपोर्टों, चर्चा पत्रों और हितधारक सहभागिताओं के माध्यम से परामर्श के बाद की जाती है। इस अनुबंध में शामिल कुछ मसौदा परिपत्रों/मसौदा दिशा-निर्देशों/चर्चा पत्रों के लिए सार्वजनिक परामर्श अभी भी जारी है।

वर्ष	तारीख	विषय
विनियमन विभाग		
2022-23	27 जुलाई 2022	जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर चर्चा पत्र।
	2 सितंबर 2022	डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश।
	11 अक्टूबर 2022	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा।
	16 जनवरी 2023	प्रत्याशित हानि (ईएल) - बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र।
	25 जनवरी 2023	दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र।
	17 फरवरी 2023	बासेल III के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश।
2023-24	28 अप्रैल 2023	धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी संबंधी मास्टर निदेश में संशोधन।
	4 मई 2023	केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन - वायर ट्रांसफर पर अनुदेश।
	8 जून 2023	डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश।
	26 जून 2023	परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश।
	18 अगस्त 2023	• समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित वैयक्तिक ऋणों पर अस्थिर ब्याज दर का पुनर्निर्धारण। • उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार (जुर्माना)।
	12 सितंबर 2023	वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संबंधी मास्टर निदेश।
	13 सितंबर 2023	'जिम्मेदार उधार आचरण - वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' पर परिपत्र।
	21 सितंबर 2023	• इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार के संबंध में मसौदा मास्टर निदेश। • मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासेल III पूंजीगत फ्रेमवर्क पर विवेकपूर्ण विनियमन, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) निदेश, 2023।
	17 अक्टूबर 2023	पीएमएल नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और एफएटीएफ सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन।
	26 अक्टूबर 2023	• वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा मास्टर निदेश। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर अनुदेशों की समीक्षा।
	1 जनवरी 2024	बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावी जमाराशियों पर परिपत्र - संशोधित अनुदेश।
	2 जनवरी 2024	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा लाभ को मुख्यालय में विप्रेषित करने के बारे में मसौदा परिपत्र।
	15 जनवरी 2024	• क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण मानदंडों पर मसौदा परिपत्र – सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)। • आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य पर मसौदा परिपत्र।

वर्ष	तारीख	विषय
2023-24	9 फरवरी 2024	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) पर भारतीय बैंकों की भागीदारी पर परिपत्र।
	28 फरवरी 2024	जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर मसौदा प्रकटीकरण ढांचा, 2024।
	7 मार्च 2024	मास्टर निदेश में संशोधन – क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करने और आचरण संबंधी निदेश, 2022 – संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ अद्यतन दिशानिर्देश, उपर्युक्त मास्टर निदेश के अनुबंध के रूप में जारी किए गए और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए गए।
	21 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिये स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता के लिये बहुप्रयोजनीय ढाँचा।
2024-25	5 अगस्त 2024	ऋण में आदर्श जोखिमों के प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मसौदा परिपत्र।
	4 अक्तूबर 2024	'व्यवसाय के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन' पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया, जिसमें 20 नवंबर, 2024 तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई। 26 मई, 2016 को जारी मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएँ) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 4 और 5, बैंकों द्वारा निवेश के लिए व्यवसाय के स्वरूप और विवेकपूर्ण विनियमन पर विनियमों को समेकित करते हैं। मसौदा परिपत्र इन विनियमों की समीक्षा करता है, जिसका उद्देश्य बैंकों के मुख्य व्यवसाय को अन्य जोखिम वाले गैर-मुख्य व्यवसायों से अलग रखना है, साथ ही बैंकों को वित्तीय सेवाओं/गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों और वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश करने के लिए परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना है।
फिनटेक विभाग		
2023-24	15 जनवरी 2024	फिनटेक क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए मसौदा ढांचा जारी किया गया।
2024-25	30 मई 2024	'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन (संगठनों) के निर्धारण के लिए रूपरेखा' (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) की घोषणा 30 मई 2024 को की गई, जो 15 जनवरी 2024 को इस उद्देश्य के लिए जारी मसौदे पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के आधार पर की गई थी।
पर्यवेक्षण विभाग		
2022-23	6 मार्च 2023	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश/पीएसबी की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा के अंतर्गत कारोबार कवरेज संबंधी मानदंड जारी किए गए थे।
2023-24	10 अप्रैल 2023	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में मास्टर निदेश जारी किया गया।
	13 अक्टूबर 2023	पीएसबी को शून्य अग्रिम वाली शाखाओं और अनर्जक आस्ति (एनपीए) वसूली शाखाओं की लेखा परीक्षा के लिए उनके एसबीए को देय पारिश्रमिक का निर्णय करने के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया था।
	7 नवंबर 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश जारी किए गए।
	15 जनवरी 2024	राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

वर्ष	तारीख	विषय
		भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
2022-23	19 मई 2022	एटीएम में अंतर-परिचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) को सक्षम किया गया।
	26 मई 2022	भारत बिल भुगतान प्रणाली पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।
	16 जून 2022	ई-मैंडेट ढांचे के कार्यान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा पर, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के लिए छूट की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति लेनदेन कर दी गई थी।
	28 जुलाई 2022	भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय-सीमा की समीक्षा की गई।
	17 अगस्त 2022	भुगतान प्रणालियों में प्रभारों पर चर्चा पत्र जारी किया गया।
2023-24	2 जून 2023	भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मसौदा मास्टर निदेश जारी किए गए।
	7 जून 2023	व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया।
	5 जुलाई 2023	डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया।
	24 अगस्त 2023	ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतानों के लिए लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई।
	31 अक्टूबर 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन – सीमा पार' पर परिपत्र जारी किया गया।
	12 दिसंबर 2023	ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत एएफए के बिना किए जाने वाले अनुवर्ती आवर्ती लेनदेन की सीमाएं निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ाई गईं।
	20 दिसंबर 2023	सीओएफटी – कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन सक्षम किया गया।
	29 दिसंबर 2023	भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का वर्धन कर उसे दो और वर्षों की अवधि यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया।
	23 फरवरी 2024	प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी 2024	भारत बिल भुगतान प्रणाली पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	6 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था' पर परिपत्र जारी किया गया।
2024-25	16 अप्रैल 2024	भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन पर मसौदा निर्देश जारी किए गए। इसमें भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन पर नए मसौदा निर्देश शामिल हैं, जिसमें भौतिक बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ भुगतान एग्रीगेटर्स पर मौजूदा निर्देशों में संशोधन शामिल हैं।
	30 जुलाई 2024	'गैर-बैंक पीएसओ के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश' जारी किए गए।
	31 जुलाई 2024	• डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र पर मसौदा रूपरेखा जारी की गई। • आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचपॉइंट ऑपरेटरों की उचित जांच पर मसौदा निर्देश जारी किए गए।
	27 दिसंबर 2024	तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लिकेशन के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी वाले पीपीआई से/के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान सक्षम किए गए।
	7 फरवरी 2025	सीमापार कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए एएफए पर मसौदा निर्देश जारी किए गए।
	28 मार्च 2025	एटीएम नेटवर्क को एटीएम विनिमय शुल्क तय करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, एटीएम लेनदेनों के लिए अनिवार्य नि:शुल्क लेन-देनों के उपरांत अनुमत अधिकतम ग्राहक प्रभारों को संशोधित किया गया।

अनुबंध III

ग्राहक केंद्रित उपाय[1]: अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक

वर्ष	तिथि	विषय
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग		
2022- 23	-	सीएफएल परियोजना का विस्तार - अतिरिक्त 362 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 60 टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 5,784 उद्यमियों को लाभ मिला।
2023-24	-	सीएफएल परियोजना का विस्तार - अतिरिक्त 952 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 60 टाउन हॉल मीटिंग आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 6,352 उद्यमियों को लाभ मिला।
2024-25	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 33 टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 3,162 उद्यमी लाभान्वित हुए।
	11 जून 2024	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को निदेश जारी किए गए कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यम उधारकर्ताओं के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 14 दिनों का एक समान टर्नअराउंड समय (टीएटी) रखें।
	6 दिसंबर 2024	प्रति उधारकर्ता संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग		
2022- 23	7 सितंबर 2022	• ऐसी संस्थाओं की एक 'अलर्ट सूची' जारी की गई जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। • 'अलर्ट सूची' के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपडेट किया गया।
	10 फरवरी 2023	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' जारी की गई, जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
2023- 24	7 जून 2023	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' जारी की गई, जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
	24 नवंबर 2023	उन संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' जारी की गई, जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
	3 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा की गई और सभी प्रकार के लेनदेन के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित करते हुए संशोधित निदेश जारी किए गए।
2024-25	24 अप्रैल 2024	प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया कि वे अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सतर्क रहें और अधिक सावधानी बरतें तथा अपने ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एडवायजरी और 'अलर्ट सूची' के बारे में अवगत कराएं।
	22 अक्टूबर 2024	उन संस्थाओं की ‹अलर्ट सूची› को अद्यतन किया गया, जो न तो फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

[1] मौजूदा दिशानिर्देशों में नए उपायों के साथ-साथ संशोधन/परिवर्तन भी शामिल करें।

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	7 फरवरी 2025	सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में खुदरा भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, मोलभाव सौदा प्रणालियों में एक नई सुविधा, यानी ‹स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट› शुरू की गई जो ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म - जी-सेक में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। इस सुविधा के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों को अपने व्यक्तिगत इकाईयों / ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम तक पहुंच की अनुमति दी गई है।
विदेशी मुद्रा विभाग		
2022- 23	19 मई 2022	श्रीलंका से निर्यात आय प्राप्त करने में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये (आईएनआर) में निपटाया जा सकता है।
	25 मई 2022	पात्र आभूषण विक्रेताओं (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण आयात करने की अनुमति दी गई और इसके लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों के माध्यम से अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दी गई।
	6 जुलाई 2022	भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को उदार बनाने के उपायों के तहत, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) स्वचालित मार्ग के तहत उधार सीमा को प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अलावा, ईसीबी रूपरेखा के तहत कुल लागत सीमा को भी 100 बीपीएस तक बढ़ा दिया गया, बशर्ते उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो। ये उपाय 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी थे।
	8 जुलाई 2022	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन का निपटान अगली सूचना तक एसीयू तंत्र के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में किया जाएगा।
	11 जुलाई 2022	भारत से निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सीमा-पार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, एडी बैंकों में विदेशी संपर्की बैंक/ बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खातों के उपयोग के माध्यम से भारतीय रुपये में निर्यात/ आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की गई थी।
	22 अगस्त 2022	व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने और टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम करने के लिए, विदेशी निवेश लेनदेन की रिपोर्टिंग में देरी को विनियमित करने के लिए विलंबित प्रस्तुतिकरण शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा शुरू की गई थी।
	15 सितंबर 2022	अनिवासी विनिमय निकायों के साथ रुपया आहरण करार (आरडीए) वाले एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के किसी भी बैंक खाते में जमा करने की अनुमति दी गई।
	30 सितंबर 2022	कारोबार में आसानी के लिए, सभी लेनदेन से संबंधित देरी की रिपोर्टिंग हेतु एलएसएफ का निर्धारण करने के लिए एक सरल और समान गणना प्रणाली रखने का निर्णय लिया गया।
	5 जनवरी 2023	विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस) - भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए एप्लिकेशन - को नवीकृत किया गया। एफआईआरएमएस के नए संस्करण ने कई हितधारकों द्वारा लेनदेन की एक साथ फाइलिंग की अनुमति देकर विदेशी निवेश की निर्बाध रिपोर्टिंग को संभव बनाया, अनुमोदन प्रक्रिया के लिए टीएटी को कम किया और एलएसएफ की स्वचालित गणना की।
2023-24	6 अप्रैल 2023	पूर्ण धन परिवर्तकों (एफएफएमसी), गैर-बैंक एडी श्रेणी-II के लाइसेंस के लिए आवेदन निपटाने, धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) एजेंट के रूप में प्राधिकार देने, मौजूदा लाइसेंस/ प्राधिकार के नवीकरण करने, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने और एफएफएमसी और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II द्वारा विभिन्न विवरण/ विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए 'एपी- कनेक्ट' नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित और शुरु किया गया।

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	12 अप्रैल 2023	एडी श्रेणी-II निकायों को ‹फार्म ए2› ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी ताकि वे व्यक्तियों के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर (अथवा इसके समतुल्य) तथा कारपोरेट के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर (अथवा इसके समतुल्य) की ऊपरी सीमा वाले लेन-देनों के लिए 'फार्म ए2' का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण स्वीकार कर सकें।
	26 अप्रैल 2023	उदारीकृत धन-प्रेषण योजना (एलआरएस) के लिए आईएफएससी में निवासी व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) में बेकार पड़ी किसी भी निधि को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए प्रत्यावर्तित करने की शर्त को बदल दिया गया और सामान्य रूप से सभी न्यायालयों के लिए एलआरएस पर मास्टर निदेश में निहित योजना के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया।
	9 मई 2023	प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए थे कि फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, आदि पर भारत में देय शुल्क/ प्रभार केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित और निपटाए जाने चाहिए, क्योंकि प्राधिकृत व्यक्ति और निवासियों के बीच ये लेनदेन अनिवार्य रूप से दो निवासियों के बीच घरेलू लेनदेन थे।
	12 मई 2023	कारोबार में सहजता को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी निवेश से संबंधित रिपोर्टिंग में देरी के लिए एलएसएफ के भुगतान को, डिमांड ड्राफ्ट मोड के अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) जैसे ऑनलाइन भुगतान विधि के माध्यम से संभव किया गया। इसी तरह विदेशी निवेश लेनदेन के लिए एलएसएफ के भुगतान के लिए एनईएफटी/ आरटीजीएस, जैसे ऑनलाइन भुगतान विधि 19 जून 2023 से सक्रिय किए गए।
	22 जून 2023	आईएफएससी को एलआरएस धन-प्रेषण की अनुमति केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए दी गई। भारत सरकार ने 23 मई 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया था। तदनुसार, 22 जून 2023 से, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए निवासी व्यक्तियों द्वारा धन-प्रेषण को परिभाषित उद्देश्य 'विदेश में अध्ययन' के लिए एलआरएस के तहत सक्रिय किया गया।
	10 नवंबर 2023	डीजीएफटी की अधिसूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, पात्र ज्वैलर्स को आईआईबीएक्स के माध्यम से चांदी के आयात के लिए 11 दिनों के अग्रिम भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।
	17 नवंबर 2023	बैंकों द्वारा चालू खाते और नकद ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोलने के संबंध में दिनांक 19 अप्रैल 2022 के परिपत्र- डीओआर.सीआरई.आरईसी.23/21.08.008/2022-23 के पैरा 4.1 के अनुसार और निर्यातकों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए, विशेष रुपया वास्ट्रो खाता रखने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अपने निर्यातक घटकों के लिए विशेष रूप से उनके निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दी गई।
	31 जनवरी 2024	आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित भारत-यूएई बृहत् आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा स्वर्ण आयात के लिए 11 दिनों की अग्रिम भुगतान की अनुमति देने के दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
2024-25	24 अप्रैल 2024	भारतीय निवासियों को असंगत/अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाली अनधिकृत संस्थाओं से बचने के लिए, एडी श्रेणी-I बैंकों को इस संबंध में अधिक सतर्क रहने और अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई और ऐसे लेनदेन को आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के ध्यान में लाने के लिए कहा गया था।
	6 मई 2024	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियम, 2016 में संशोधन करके भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति (पीआरओआई) को भारत में मार्जिन पोस्ट करने और एकत्र करने के उद्देश्य से भारतीय रुपए और/या विदेशी मुद्रा में ब्याजफल खाता (इंटरेस्ट बीयरिंग अकाउंट) खोलने, रखने और रखरखाव की अनुमति दी गई, जो मौजूदा विनियमों के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अनुमत डेरीवेटिव कांट्रैक्ट के लिए है।

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	27 मई 2024	अनुमत मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह सूचित किया गया कि 1 जुलाई 2024 से, एफएफएमसी/गैर-बैंक एडी श्रेणी- II द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए जनता को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों का मूल्य तिमाही आधार पर अन्य एफएफएमसी/एडी से खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों के मूल्य के 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
	11 जून 2024	परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (अपने घटकों के लिए) द्वारा अपने निर्यात के साथ-साथ आयात लेनदेन के निपटान के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है।
	3 जुलाई 2024	कारोबार में आसानी को बेहतर बनाने के लिए, एडी को फॉर्म ए2 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के ऑनलाइन/भौतिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई, जो कि फेमा, 1999 की धारा 10(5) के अधीन है। तदनुसार, ‹ऑनलाइन› फॉर्म ए2 के आधार पर विप्रेषित की जाने वाली राशि की सीमा हटा दी गई। इसके अलावा, एडी बैंकों को लेनदेन के मूल्य से निरपेक्ष होकर सभी सीमा-पार विप्रेषणों के लिए भौतिक या डिजिटल रूप में फॉर्म ए2 प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
	10 जुलाई 2024	प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को आईएफएससी के भीतर आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए एलआरएस के तहत आईएफएससी को सभी स्वीकार्य उद्देश्यों के लिए धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, उन्हें आईएफएससी में रखे गए विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) के माध्यम से किसी भी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार में सभी चालू या पूंजी खाता लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई।
	1 अक्तूबर 2024	विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 ('नए नियम') को भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से 12 सितंबर 2024 को अधिसूचित किया गया। तदनुसार, पहले के परिपत्रों के तहत जारी निर्देशों की समीक्षा की गई और प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए शमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
	11 नवंबर 2024	रिज़र्व बैंक ने (भारत सरकार और सेबी के परामर्श से) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋणेतर लिखत) नियम, 2019 के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। इस रूपरेखा के अनुसार, किसी भी संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा (पूरी तरह से अवमिश्रण के आधार पर कुल चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत) के किसी भी उल्लंघन के मामले में, उनके पास अपनी होल्डिंग्स को बेचने के पहले के विकल्प के अलावा एफडीआई के रूप में ऐसी होल्डिंग्स को पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।
	14 जनवरी 2025	• विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियम, 2016 में संशोधन किया गया, ताकि पीआरओआई (बैंकों के अलावा) को एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं में भारतीय रुपया (आईएनआर) खाते खोलने की अनुमति दी जा सके। संशोधन के अनुसार, भारत में रहने वाले व्यक्तियों (पीआरआई) के साथ सभी चालू और अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन और अन्य पीआरओआई के साथ सभी लेनदेन को विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर) के माध्यम से निपटाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों [एसएनआरआर/विशेष रुपया वास्ट्रो खाता (एसआरवीए)/अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाता/वास्ट्रो खाता] के बीच अंतरण की भी अनुमति दी गई। • विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और ऋणेतर लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 में संशोधन किया गया, ताकि एसएनआरआर खातों से किए गए भुगतानों का उपयोग एफडीआई सहित विदेशी निवेश करने के लिए किया जा सके और एसआरवीए में निधियों का उपयोग भारत में विदेशी निवेश करने के लिए किया जा सके। • विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2015 में संशोधन किया गया, ताकि सभी निवासी निर्यातकों को व्यापार लेनदेन निपटाने के लिए विदेशों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जा सके, बशर्ते लागू समायोजन और प्रत्यावर्तन प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा सके। यह स्पष्ट किया गया कि स्थानीय मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करने वाले निर्यातक उस क्षेत्र से आयात के भुगतान के लिए इन मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं।

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	10 फरवरी 2025	बाह्य व्यापार और भुगतान / प्राप्ति विनियमों को एसीयू करार के साथ संरेखित करने की सुविधा के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान विधि) विनियम, 2023 में संशोधन किया गया, ताकि भुगतान / प्राप्ति को एसीयू तंत्र के माध्यम से केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सके जब वे एसीयू सदस्य देशों के क्षेत्र में दो निवासियों के बीच हों।
	17 मार्च 2025	नवंबर 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं, यानी भारतीय रुपये और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, मालदीव के साथ द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन का निपटान, एसीयू तंत्र के अलावा स्थानीय मुद्राओं में करने की अनुमति दी गई।
विनियमन विभाग		
2022-23	7 अप्रैल 2022	बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल बुनियादी रूपरेखा की उपलब्धता में सुधार लाने और डिजिटल वित्तीय समावेशन और शिक्षण को सघन बनाने के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयों' (डीबीयू) की अवधारणा पेश की गई थी।
	21 अप्रैल 2022	मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश' पर मास्टर निदेश जारी किया गया (1 जुलाई 2022 से प्रभावी)।
	8 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने पात्र शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - डोरस्टेप बैंकिंग' पर परिपत्र जारी करके अपने ग्राहकों को 'डोरस्टेप बैंकिंग' सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी।
	12 अगस्त 2022	विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा नियोजित एजेंटों की गतिविधियों से उत्पन्न चिंताओं के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि विनियमित संस्थाएं यह सख्ती से सुनिश्चित करें कि वे या उनके एजेंट बकाया ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद फोन करने सहित किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें।
	2 सितंबर 2022	रिज़र्व बैंक ने डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि प्रौद्योगिकी के लाभों का टिकाऊ और व्यवस्थित तरीके लाभ उठाया जाए।
	5 जनवरी 2023	अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) [पुनः केवाईसी] के आवधिक अद्यतनीकरण के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
2023-24	28 अप्रैल 2023	• अद्यतन / आवधिक अद्यतन – अप्रत्यक्ष मोड में *आधार* ओटीपी आधारित ई-केवाईसी को ग्राहक द्वारा केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। • एकल स्वामित्व वाली फर्म की ग्राहक समुचित सावधानी प्रक्रिया (सीडीडी) - केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन के माध्यम से सीडीडी प्रक्रिया के लिए एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में गतिविधि के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की सूची में *उद्यम* पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी) को शामिल किया गया है।
	17 अगस्त 2023	जमाकर्ताओं को विभिन्न बैंकों में अपनी अदावाकृत जमाराशियों को आसानी से और एक ही स्थान पर खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता (डीईए) निधि समिति के निर्देशों के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडीजीएएम - सूचना तक पहुंच के लिए अदावाकृत जमाराशियों का गेटवे - विकसित किया है।
	18 अगस्त 2023	• 'समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित वैयक्तिक ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण' विषय पर परिपत्र जारी किया गया, जिसका उद्देश्य आरई में उचित आचार रूपरेखा और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	18 अगस्त 2023	• 'उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में जुर्माना' पर परिपत्र जारी किया गया, जो उचित और पारदर्शी तरीके से जुर्माना लगाने के संबंध में एक स्पष्ट आचार रूपरेखा को अनिवार्य बनाता है।
	13 सितंबर 2023	विनियमित संस्थाओं के बीच दायित्वपूर्ण उधार आचार को बढ़ावा देने के लिए 'दायित्वपूर्ण उधार आचार - व्यक्तिगत ऋणों का पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' विषय पर परिपत्र जारी किया गया।
	26 अक्तूबर 2023	• क्रेडिट सूचना के विलंबित अद्यतन/सुधार पर ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसके तहत शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन ₹100 का मुआवज़ा मिलेगा यदि उनकी शिकायत का समाधान शिकायत दर्ज करने की तिथि से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है। • शिकायत निवारण तंत्र की प्रभाविता में सुधार करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए, विभिन्न प्रयास किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट सूचना के विलंबित अद्यतन/सुधार के लिए मुआवज़ा तंत्र और ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) तक पहुंच के बारे में एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित करना या सीआई द्वारा सीआईसी को डिफॉल्ट होने सूचना को रिपोर्ट करना शामिल है।
	1 जनवरी 2024	बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावाकृत जमाराशियाँ" परिपत्र पर संशोधित निदेश जारी किए गए।
	2 फरवरी 2024	केवाईसी अद्यतन के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
	7 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और संचालन संबंधी निदेश, 2022' पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया, जिससे उपभोक्ता संरक्षण उपायों को और मजबूत किया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस विषय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए गए।
	-	आम जनता में अकाउंट एग्रीगेटर (एए) के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया मिक्स के माध्यम से एए सुविधा के लिए जन जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।
	-	जनता को निम्नलिखित विषयों पर शिक्षित करने के लिए टेलीविजन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए गए: (i) कागज रहित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए केंद्रीय अपने ग्राहक को जानें रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग; (ii) पुनः केवाईसी के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प; और (iii) ग्राहक खातों का म्यूल खाते के रूप में दुरुपयोग होने से रोकना।
2024-25	15 अप्रैल 2024	*ऋण और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)* : पारदर्शिता बढ़ाने और विनियमित संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर सूचना विषमता को कम करने और उधारकर्ताओं को संसूचित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए, 15 अप्रैल 2024 को एक सुसंगत परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें विनियमित संस्थाओं को सभी खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के सावधि ऋणों के संबंध में भावी उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करने की सलाह दी गई है।
	8 अगस्त 2024	क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सूचना रिपोर्टों में अधिक वर्तमान जानकारी को प्रतिबिंबित करने के लिए, क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति को 1 जनवरी 2025 से मासिक से बढ़ाकर पाक्षिक या उससे कम अंतराल कर दिया गया है।
	10 अक्तूबर 2024	क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए) के अनुसार केवल सीआई ही सीआईसी को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। जब किसी विनियमित इकाई का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो उसे अब सीआई नहीं माना जाता है और इस प्रकार वह अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी सीआईसी को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उधारकर्ताओं के चुकौती इतिहास में अंतराल आ जाता है। ऐसी संस्थाओं के उधारकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, लाइसेंस/सीओआर के निरस्त होने के बाद क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र निर्धारित किया गया है।

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	6 नवंबर 2024	केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पहचानकर्ता को केवाईसी और पुनः केवाईसी उद्देश्यों के लिए पहला आधार बनाया गया है, इस प्रकार केवाईसी प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक और कागज़ रहित बनाया गया है।
		फिनटेक विभाग
2022-23	6 जून 2022	विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे समूह के लिए एप्लिकेशन विंडो खोलने की घोषणा की गई जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन'।
	2 सितंबर 2022	भारत में ग्रामीण वित्त का डिजिटलीकरण - रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के सहयोग से विकसित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के लिए प्रारम्भिक परियोजना शुरू की गई।
	7 अक्तूबर 2022	'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर अवधारणा नोट' जारी किया गया।
	29 नवंबर 2022	सीबीडीसी का संचालन - सीबीडीसी - खुदरा (e₹-आर) के लिए प्रारम्भिक परियोजना 1 दिसंबर 2022 को आरम्भ की गई।
	14 फरवरी 2023	'समावेशी डिजिटल सेवाएं' थीम के साथ दूसरा वैश्विक हैकाथॉन - हार्बिंगर 2023 - आरम्भ किया गया।
2023-24	14 अगस्त 2023	निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म की प्रारम्भिक परियोजना 17 अगस्त 2023 को शुरु की गई।
	27 अक्तूबर 2023	आरएस के तहत पांचवें समूह के लिए एप्लिकेशन विंडो खोलने की घोषणा की गई जो थीम न्यूट्रल था।
	28 फरवरी 2024	आरएस के लिए सक्षमकर रूपरेखा में संशोधन किया गया।
2024-25	28 मई 2024	'फिनटेक रिपोजिटरी' और 'एमटेक रिपोजिटरी' शुरु किए गए। रिपॉजिटरी समग्र क्षेत्रीय स्तर के डेटा, रुझान, विश्लेषण, आदि की उपलब्धता को सक्रिय करेंगे, जो नीति निर्माताओं और भाग लेने वाले उद्योग के सदस्यों दोनों के लिए उपयोगी होंगे।
	30 मई 2024	रिज़र्व बैंक ने 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए रूपरेखा' (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) प्रकाशित की।
	7 जून 2024	तीसरा वैश्विक हैकाथॉन - हार्बिंगर 2024 - 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग प्रिय' थीम के साथ शुरू किया गया।
	28 अगस्त 2024	फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफएसीई) को फिनटेक क्षेत्र में एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई।
	26 दिसंबर 2024	वित्तीय क्षेत्र में 'कृत्रिम मेधा के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा (फ्री-एआई)' विकसित करने हेतु एक समिति गठित करने की घोषणा की गई।
		पर्यवेक्षण विभाग
2023-24	10 अप्रैल 2023	'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग' पर मास्टर निदेश जारी किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था, ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते समय आरई ग्राहकों के प्रति अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन में, बाधा नहीं बनेगी।
	7 नवंबर 2023	'सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं' पर मास्टर निदेश जारी किया गया। मास्टर निदेश के अनुसार, ग्राहकों को सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संगठन में पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता होती है।
2024-25	29 अप्रैल 2024	ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, तथा ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 'ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता - ब्याज वसूलना' विषय पर दिशानिर्देश जारी किए।

वर्ष	तिथि	विषय
2024-25	24 अक्तूबर 2024	बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के लिए सेमिनार आयोजित किए गए, ताकि साइबर-सक्षम धोखाधड़ी और मनी म्यूल को विफल करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके और धोखाधड़ी के प्रकारों, साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता प्रथाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए चल रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।
	2 दिसंबर 2024	वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निष्क्रिय/जमा खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने, ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने तथा निष्क्रिय/जमा खातों को सक्रिय करने की सुविधा के लिए विशेष अभियान आयोजित करने की सलाह दी गई थी।
	17 जनवरी 2025	जमाराशि स्वीकार करने वाली पर्यवेक्षित संस्थाओं को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें जमा खाते, अभिरक्षित वस्तुएं और सुरक्षा लॉकर रखने वाले सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के मामले में नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता को दोहराया गया। ग्राहकों को सीधे सूचित करने के अलावा, उन्हें विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों को प्रचारित करने की भी सलाह दी गई थी, जिसमें सभी पात्र ग्राहक खातों की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए आवधिक अभियान शुरू करना शामिल था।
उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग		
2022-23	-	आरबीआई लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) से संपर्क करने वाले शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि-स्तर का आकलन करने के लिए संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया।
	6 अक्तूबर 2022	सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) तंत्र की दक्षता को मजबूत करने और सुधारने के लिए, आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र को सीआईसी तक विस्तारित किया गया।
	-	संपर्क केंद्र के इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) पर दी जाने वाली जानकारी में सुधार किया गया, जिससे 24x7 सहायता प्राप्त हुई। संपर्क केंद्र पर पंजाबी (6 जनवरी 2022 से) और असमिया (21 जून 2022 से) में कॉल सहायता जोड़कर विस्तारित भाषा सहायता प्रदान की गई, जिससे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल सहायता की उपलब्धता बढ़ गई।
	-	सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, रिज़र्व बैंक की वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) प्रणाली और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा विनियमों पर वित्तीय उपभोक्ता जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एक अखिल भारतीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के मद्देनजर एक बहु-चरणीय, बहुआयामी वित्तीय जागरूकता अभियान के रूप में चलाया गया था और इसमें तीन चरण शामिल थे- लोकपाल कहता है कार्यक्रम; शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्ता; और एक महीने तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी)।
	-	वित्तीय धोखाधड़ी के तौर-तरीकों की झलक दिखाने और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस बारे में सरल सुझाव देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 'राजू और चालीस चोर' नामक पुस्तिका जारी की गई। यह पुस्तिका कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
	15 मार्च 2023	'लोकपाल कहता है' कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया।
2023-24	1 अप्रैल 2023	देश के अन्य राज्यों में आरबीआई लोकपाल के कार्यालयों की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए शिमला में आरबीआई लोकपाल का एक नया कार्यालय स्थापित किया गया था।
	24 अप्रैल 2023	भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री बी. पी. कानूनगो की अध्यक्षता में विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
	-	तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से प्राप्त शिकायतों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई लोकपाल के दो नए कार्यालय चेन्नई (17 अप्रैल 2023 से प्रभावी) और कोलकाता (1 जून 2023 से प्रभावी) में स्थापित किए गए थे।

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	29 दिसंबर 2023	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023 आईओ तंत्र पर विभिन्न आरई पर लागू निर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए जारी किए गए थे।
	5 फरवरी 2024	रिज़र्व बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) पर आरई के ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए दो और स्थानों, यथा - भुवनेश्वर और कोच्चि में अत्याधुनिक संपर्क केंद्रों का संचालन किया गया। नए केंद्र व्यापार निरंतरता और आपदा से उबरने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। चंडीगढ़ में मौजूदा संपर्क केंद्र को अपग्रेड किया गया था।
	15 मार्च 2024	तीसरी जागरूकता पुस्तिका 'द अलर्ट फैमिली' मार्च 2024 में आरम्भ की गई थी। पुस्तिका वित्तीय धोखाधड़ी पर जनता को मार्गदर्शन प्रदान करती है और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं के बारे में गलत धारणाओं को दूर करती है।
	-	सीएमएस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए अतिरिक्त ऑडियो कैप्चा कार्यक्षमता के साथ बढ़ाया गया था।
	-	सीएमएस में रहने वाले संचार टेम्पलेट्स की पठनीयता में काफी सुधार हुआ जिससे बेहतर समझ और अधिक सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव हुआ।
2024-25	17 जनवरी 2025	धोखेबाजों द्वारा मोबाइल नंबरों के संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं को 'वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम – विनियामक नुस्खे और संस्थागत सुरक्षा उपाय' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग		
2023-24	28 मई 2024	खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति लेनदेन करने में आसानी और पहुंच में सुधार के उद्देश्य से 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' मोबाइल एप्लिकेशन आरम्भ किया गया। मोबाइल एप्लिकेशन, एप्लिकेशन के प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार मॉड्यूल के बीच सहज नेविगेशन के लिए एकल साइन-ऑन सुविधा प्रदान करता है।
	28 फरवरी 2025	निवेशकों को लेनदेन को पूर्व-अधिकृत करने तथा प्राथमिक नीलामियों में बोलियां लगाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार डेबिट आरंभ करने के लिए अपने खातों में धनराशि को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एकल-ब्लॉक-और-एकल-डेबिट भुगतान मोड (यूपीआई मैंडेट) को आरम्भ किया गया।
मुद्रा प्रबंध विभाग		
2022-23	21 सितंबर 2022	1 जनवरी 2020 को आरम्भ किए गए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (एमएएनआई) ऐप की पहुँच को ऑडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए बैंक नोटों की पहचान के लिए विस्तारित किया गया है। इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 11 और भाषाएँ शामिल की गई हैं। इस ऐप को आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग के लिए सक्रिय बनाया गया है।
	-	ग्राहक सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, एसएमएस, एफएम रेडियो और डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) के माध्यम से 'बैंक नोटों के आदान-प्रदान' पर एक अभियान शुरू किया गया था।
	-	संचलन में एक ही मूल्यवर्ग के विभिन्न डिजाइनों के सिक्कों पर भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रिंट और रेडियो मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए।
2023-24	1 अप्रैल 2023	जनता के लिए लेनदेन को आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न मूल्यवर्ग में सिक्कों के पैकेट, जैसे- ₹50, ₹100, ₹150, आदि शुरू किए।

ग्राहक केंद्रित उपाय

वर्ष	तिथि	विषय
2023-24	1 फरवरी 2024	1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई मोबाइल सिक्का वाहन (एमसीवी) योजना को फरवरी 2024 से पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कम मूल्यवर्ग के नोटों, जो प्रचलन के लिए अनुपयुक्त हैं, के विनिमय की सुविधा के लिए सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है।
	-	'मणि' ऐप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आकाशवाणी/विविध भारती/निजी एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से अखिल भारतीय रेडियो अभियान चलाया गया, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सहायता करता है।
	-	प्रचलन में मौजूद नोटों की गुणवत्ता के बारे में लोगों के बीच धारणा को समझने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किए गए। पहला सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश के चुनिंदा राज्यों में किया गया, उसके बाद 2023-24 के दौरान एक और अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया।
2024-25	-	संरेखित नीति निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से, करेंसी चेस्ट (सीसी) रखने वाले बैंकों के नोडल अधिकारियों और वर्टिकल प्रमुखों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे हितधारकों के साथ विचारों के दो-तरफ़ा आदान-प्रदान की सुविधा मिली, जिससे करेंसी प्रबंधन क्षेत्र और बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को लाभ हुआ।
	-	प्रमुख सीसी रखने वाले बैंकों के साथ निगरानी बैठकें आयोजित की गईं जिसमें समस्याओं/चिंताओं, रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन; और परिचालन एवं अनुपालन संबंधी मुद्दों के समाधान पर चर्चा की गई।
	-	लोगों के बीच सिक्कों के बारे में गलत सूचना को दूर करने के लिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आकाशवाणी (एआईआर) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए। रिज़र्व बैंक ने आकाशवाणी के माध्यम से 'मणि' ऐप पर भी जागरूकता अभियान चलाया। इसके अलावा, गंदे नोटों के लिए विनिमय सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग		
2022-23	2 अप्रैल 2022	नेपाल में रुपे कार्ड की स्वीकृति शुरू की गई।
	19 मई 2022	एटीएम में अंतर-परिचालन कार्ड-रहित नकद आहरण (इंटरऑपरेबल कार्ड-लेस कैश विदड्रॉल) को सक्रिय किया गया था।
	16 जून 2022	ई-मैंडेट रूपरेखा के कार्यान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा पर, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की छूट की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति लेनदेन कर दी गई।
	10 फरवरी 2023	भारत आने वाले जी20 देशों के विदेशी नागरिकों को यूपीआई का उपयोग करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति दी गई थी।
	21 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित तेज़ भुगतान प्रणाली (एफपीएस), यूपीआई और पेनाउ के लिंकेज का संचालन किया, जिससे दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत वाली सीमा-पार पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) भुगतान करने में सक्रिय बनाया गया।
	6 मार्च 2023	मिशन ‹हर भुगतान डिजिटल' शुरू किया गया।
2023-24	7 जून 2023	व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के दायरे का विस्तार किया गया।
	24 अगस्त 2023	ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों के लिए लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई।
	31 अक्तूबर 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - सीमा-पार' विषय परिपत्र जारी किया गया।

वर्ष	तिथि	विषय
	12 दिसंबर 2023	ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना किए गए बाद के आवर्ती लेनदेन की सीमाएं निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ा दी गईं।
	20 दिसंबर 2023	कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सक्रिय किया गया था।
	1 फरवरी 2024	फ्रांस में व्यापारी भुगतान (ई-कॉमर्स) के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति शुरू की गई थी।
	12 फरवरी 2024	भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी और भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू की गई।
	23 फरवरी 2024	पीपीआई पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी 2024	'भारत बिल भुगतान प्रणाली' *पर मास्टर निदेश* जारी किया गया।
	6 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था' पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
	8 मार्च 2024	नेपाल में व्यापारी भुगतान के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति लाइव हो गई।
	22 अगस्त 2024	आवर्ती लेनदेन के लिये ई-मैंडेट की प्रोसेसिंग – फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की स्वतः पुनःपूर्ति की शुरुआत की और ई-मैंडेट के माध्यम से इस तरह की स्वतः पुनःपूर्ति के लिये पूर्व-डेबिट की सूचना।
	11 अक्तूबर 2024	दिव्यांगों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
2024-25	4 दिसंबर 2024	यूपीआई लाइट लेनदेन के लिए बढ़ी हुई सीमा प्रदान करने के लिए ‹ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा' में संशोधन किया गया।
	27 दिसंबर 2024	तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के माध्यम से पीपीआई के लिए यूपीआई पहुँच को सक्रिय किया गया।
	30 दिसंबर 2024	तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के लिए लाभार्थी बैंक-खाता नाम अवलोकन (लुक-अप) सुविधा शुरू की गई थी।

-: लागू नहीं (सतत प्रकृति का)

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	औसत 2014-15 से 2018-19 (5 वर्ष)	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (% परिवर्तन)*	7.9	6.7	7.4	7.6	9.2	6.5
I.2 आधार कीमत पर वास्तविक जीवीए (% परिवर्तन)*	7.7	6.3	7.0	7.2	8.6	6.4
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)**	213.6	248.8	269.8	329.7	332.3	330.9
I.4 ए) खाद्य स्टाक (मिलियन टन)***	18.6	50.1	44.6	51.7	60.7	74.9
बी) खरीद (मिलियन टन)	39.3	61.3	66.5	73.1	78.7	77.9
सी) उठाव (मिलियन टन)	41.5	57.0	61.5	93.1	67.7	64.9
1.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (% परिवर्तन)	11.2	4.6	4.0	5.2	5.9	4.0
I.6 आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक (% परिवर्तन)	5.9	4.9	4.3	7.8	7.6	4.5
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान कीमतों पर जीएनडीआई का %)*	33.6	33.9	31.2	30.2	30.3	-
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान कीमतों में जीडीपी का %)*	35.2	38.0	33.1	32.6	31.4	-
II. मूल्य						
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	-	-	4.5	6.7	5.4	4.6
II.2 सीपीआई- औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) [(औसत % परिवर्तन)]	5.0	10.3	4.9	6.1	5.2	3.4
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) [(औसत % परिवर्तन)]#	5.5	7.1	1.3	9.4	-0.7	2.3
III. मुद्रा और ऋण##						
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	10.7	7.8	5.6	3.3
III.2 व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	9.5	9.0	11.1	9.6
III.3 ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियां (%परिवर्तन)	20.2	15.0	9.5	9.6	12.9	10.6
बी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	9.6	15.0	16.3	12.1
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 ब्याज दरें (%)						
ए) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	6.7	5.4	6.6	6.5
बी) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.6	7.3	7.2	6.9
सी) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	5.8	7.1	7.0	5.6	6.8	6.6
डी) केंद्र सरकार की उधारियों पर भारित औसत लागत	7.2	8.1	7.7	7.3	7.2	7.0
ई) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	7.8	6.3	7.4	7.4
एफ) जमा प्रमाणपत्र	8.9†	8.2	7.5	6.4	7.2	7.2
IV.2 चलनिधि (₹. लाख करोड़)						
ए) एलएएफ बकाया~	-	-	-	1.3	0.6	1.3
बी) एमएसएस बकाया~~	-	-	-	-	-	-
सी) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
डी) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.1	0.4	0.8	0.7	0.9	1.1
ई) परिवर्ती दर रेपो~	-	-	-	0.0	1.0	2.7
एफ) परिवर्ती दर रिवर्स रेपो~	-	-	-	0.0	0.0	0.0
जी) एमएसएफ~	-	-	-	0.3	0.9	0.1
एच) एसडीएफ~	-	-	-	2.3	2.5	4.1
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)$						
ए) राजस्व प्राप्तियाँ	10.0	9.2	8.6	8.9	9.1	9.3
बी) पूंजीगत परिव्यय	1.6	1.6	1.5	2.3	2.6	2.6
सी) कुल व्यय	14.9	15.0	12.8	15.6	14.8	14.2
डी) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	3.7	6.5	5.5	4.7
V.2 राज्य सरकार के वित्त$$						
ए) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.3	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.6
बी) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.3	2.8	2.7	3.0	3.6
सी) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	1.2	1.0	1.3	1.8

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक *(समाप्त)*

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	औसत 2014-15 से 2018-19 (5 वर्ष)	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
VI. बाह्य क्षेत्र						
VI.1 भुगतान संतुलन@						
ए) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	1.6	6.3	-3.2	1.8
बी) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	2.7	16.6	-4.9	7.8
सी) व्यापार संतुलन/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-6.2	-7.9	-6.7	-7.9
डी) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.8	5.9	6.0	6.6
ई) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-1.4	-2.0	-0.7	-1.3
एफ) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.7	3.8	2.7	1.8	2.5	0.8
जी) रिज़र्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) (बिलियन अमेरिकी $) [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-40.3	-6.6	-28.2	9.1	-63.7	13.8
VI.2 बाह्य कर्ज संकेतक@@						
ए) बाह्य कर्ज स्टाक (बिलियन अमेरिकी $)	156.5	359.0	500.6	623.9	668.8	717.9
बी) कर्ज-जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	21.4	19.1	18.5	19.1
सी) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	10.3	9.6	11.3	10.5
डी) कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधिक कर्ज (%)	13.6	21.3	18.6	20.6	19.1	19.4
ई) कर्ज चुकौती अनुपात (%)	8.3	5.6	7.7	5.3	6.7	6.6
एफ) कर्ज की तुलना में रिज़र्व (%)	113.7	84.8	76.2	92.7	96.7	88.6
VI.3 उदारता संकेतक (%)@						
ए) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	32.0	35.2	31.0	30.4
बी) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	43.7	50.4	45.3	45.5
सी) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	49.4	57.1	52.5	53.5
डी) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	45.2	38.4	44.4	58.9
ई) चालू प्राप्तियाँ एवं भुगतान और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान/जीडीपी	84.4	109.8	94.6	95.5	96.9	112.3
VI.4 विनिमय दर संकेतक						
ए) विनिमय दर (रुपये/अमेरिकी $)						
अवधि के अंत में	43.1	51.1	65.6	82.2	83.4	85.6
औसत	44.1	51.2	65.6	80.4	82.8	84.6
बी) 40-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1^	0.8	1.8	-1.8	0.9	1.5
सी) 40-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7^	-4.9	0.2	-2.1	-0.5	0.3
डी) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	5.7^	2.3	2.0	-0.4	-0.1	1.1
ई) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	2.6^	-5.1	-1.1	-1.3	-2.7	-1.5

- : उपलब्ध नहीं/लागू नहीं।
* : आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष श्रृंखला पर आधारित हैं।
** : वर्ष के 2024-25 आंकड़े कृषि उत्पादन के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, केवल *खरीफ* और *रबी* फसलों (ग्रीष्म को छोड़कर) से संबंधित हैं।
*** : आंकड़े सभी वर्षों के लिए 31 मार्च तक चावल और गेहु से संबंधित हैं।
# : 2024-25 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
: आरक्षित मुद्रा के लिए 2024-25 के आंकड़े 28 मार्च, 2024 से संबंधित है, जबकि मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े 21 मार्च, 2025 से संबंधित है।
† : कॉलम 2 में दर्शाये गए आंकड़े अप्रैल 13, 2007 - मार्च 28, 2008 से संबंधित है।
~ : 31 मार्च को बकाया।
~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार को बकाया।
$: 2024-25 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं। यह अनुपात जीडीपी संख्या में संशोधन के कारण केंद्रीय बजट में प्रकाशित अनुपात से भिन्न हो सकते हैं।
$$: आंकड़े 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित है। 2023-24 और 2024-25 के आंकड़े क्रमशः लेखा और संशोधित अनुमान हैं।
@ : 2024-25 के आंकड़े अनंतिम और अप्रैल-दिसंबर 2024 से संबंधित हैं।
@@ : 2024-25 के आंकड़े अनंतिम और दिसंबर 2024 के अंत से संबंधित हैं।
^ : कॉलम 2 में दर्शाये गए आंकड़े वर्ष 2005-06 से 2007-2008 की अवधि का औसत है।

टिप्पणी :
1. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक और आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के लिए, कॉलम 2,3 और 4 में दिए गए आंकड़े वर्ष 2011-12 आधार वर्ष पर आधारित हैं।
2. सीपीआई (अखिल भारतीय) के लिए आधार वर्ष 2012=100; वार्षिक आंकड़ों के लिए डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12=100 और औसत 5 वर्ष के मुद्रास्फीति के लिए 2004-05=100 है; अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडब्ल्यू के लिए आधार 2001=100 और सितंबर 2020 के बाद से 2016=100 है।
3. औसत दैनिक सरकारी प्रतिभूति बाजार के कुल कारोबार के लिए, एकमुश्त ट्रेडिंग टर्नओवर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (व्यापारिक दिवस पर आधारित) में होता है।
4. एलएएफ धनात्मक मान का अर्थ है अवशोषण।
5. 6- और 40-मुद्रा एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों के लिए आधार वर्ष 2015-16=100 है। आरईईआर के आंकड़े सीपीआई पर आधारित हैं।

स्रोत: आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), श्रम ब्यूरो तथा केंद्र और राज्य सरकार के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना

(वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				हिस्सेदारी		
	औसत 2017-18 से 2024-25	2022-23	2023-24	2024-25*	2022-23	2023-24	2024-25*
1	2	3	4	5	6	7	8
बाजार मूल्यों पर जीडीपी (व्यय पक्ष)							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	5.7	7.5	5.6	7.6	58.1	56.1	56.7
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	4.8	4.3	8.1	3.8	9.6	9.5	9.2
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	6.7	8.4	8.8	6.1	33.6	33.5	33.4
4. स्टाक में परिवर्तन	71.0	24.3	53.4	4.3	1.2	1.7	1.7
5. मूल्यवान वस्तुएँ	9.6	-16.9	14.4	1.0	1.5	1.5	1.4
6. निवल निर्यात	-60.0	22.6	-384.8	56.9	-0.7	-3.2	-1.3
ए) निर्यात	6.9	10.3	2.2	7.1	23.2	21.7	21.8
बी) कम आयात	7.1	8.9	13.8	-1.1	23.9	24.9	23.1
7. विसंगतियाँ	13.5	-4.3	128.7	250.5	-3.2	0.8	-1.2
8. सकल घरेलू उत्पाद	**5.5**	**7.6**	**9.2**	**6.5**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
आधार कीमतों पर जीवीए (आपूर्ति पक्ष)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	**4.6**	**6.3**	**2.7**	**4.6**	**15.5**	**14.7**	**14.4**
2. उद्योग	**4.3**	**0.0**	**11.0**	**4.3**	**21.4**	**21.9**	**21.5**
जिसमें से :							
ए) खनन और उत्खनन	-0.3	3.4	3.2	2.8	2.1	2.0	2.0
बी) विनिर्माण	4.7	-1.7	12.3	4.3	16.9	17.5	17.2
सी) बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	6.5	10.8	8.6	6.0	2.4	2.4	2.4
3. सेवाएँ	**6.1**	**10.2**	**9.2**	**7.5**	**63.1**	**63.4**	**64.1**
जिसमें से:							
ए) निर्माण	7.1	9.1	10.4	8.6	8.8	8.9	9.1
बी) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	5.6	12.3	7.5	6.4	18.7	18.5	18.5
सी) वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	6.4	10.8	10.3	7.2	23.3	23.6	23.8
डी) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	5.8	6.7	8.8	8.8	12.3	12.4	12.7
4. आधार कीमतों पर जीवीए	**5.4**	**7.2**	**8.6**	**6.4**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*: वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

परिशिष्ट सारणी 3: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	**28.7**	**30.8**	**30.2**	**30.3**
I.1 गैर-वित्तीय निगम	10.4	11.4	10.9	10.9
I.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.2	1.3	1.2	1.5
I.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	9.2	10.1	9.7	9.4
I.2 वित्तीय निगम	**2.6**	**2.5**	**2.8**	**2.5**
I.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.4	1.5	1.7	1.4
I.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.2	1.0	1.1	1.1
I.3 सामान्य सरकार	**-6.6**	**-2.9**	**-1.9**	**-0.9**
I.4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	**22.4**	**19.8**	**18.3**	**17.9**
I.4.1 निवल वित्तीय बचत	11.6	7.2	4.9	5.1
मेमो: सकल वित्तीय बचत	15.2	10.9	10.7	11.2
I.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	10.6	12.4	13.2	12.6
I.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.2	0.3	0.2	0.2

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।
टिप्पणी: हाउस होल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।
स्रोत: एनएसओ।

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) [अखिल भारतीय]	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**6.8**	**5.6**	**5.0**	**6.4**	**5.1**	**4.1**	**6.7**	**5.4**	**4.6**
खाद्य और पेय	6.8	6.9	6.9	6.5	7.3	6.5	6.7	7.0	6.7
आवास	…	…	…	4.3	3.9	2.8	4.3	3.9	2.8
ईंधन और बिजली	9.6	1.8	-0.9	11.6	0.3	-5.1	10.3	1.2	-2.5
विविध	5.9	4.6	4.2	6.6	4.4	4.0	6.3	4.5	4.1
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	6.3	4.5	3.7	5.9	4.2	3.4	6.1	4.3	3.5
अन्य मूल्य सूचकांक	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)[#]									
सभी पण्य वस्तुएँ	**1.7**	**2.9**	**4.3**	**1.7**	**1.3**	**13.0**	**9.4**	**-0.7**	**2.3**
प्राथमिक वस्तुएं	3.4	1.4	2.7	6.8	1.7	10.2	10.0	3.5	5.1
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	4.0	2.1	0.3	8.4	3.2	4.1	7.3	6.6	7.3
ईंधन और ऊर्जा	-0.3	8.2	11.5	-1.8	-8.0	32.5	28.1	-4.7	-1.3
विनिर्मित उत्पाद	1.3	2.7	3.7	0.3	2.8	11.1	5.6	-1.7	1.7
खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद	-0.1	3.0	4.2	-0.4	2.2	11.0	5.8	-1.4	0.7
2. सीपीआई-औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)	**4.1**	**3.1**	**5.4**	**7.5**	**5.0**	**5.1**	**6.1**	**5.2**	**3.4**
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	4.4	1.5	0.6	7.4	5.8	4.7	6.1	7.3	6.0
3. सीपीआई - कृषि श्रमिक (1986-87=100)	**4.2**	**2.2**	**2.1**	**8.0**	**5.5**	**4.0**	**6.8**	**7.1**	**5.7**
4. सीपीआई - ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	**4.2**	**2.3**	**2.2**	**7.7**	**5.5**	**4.2**	**7.0**	**6.9**	**5.7**
मुद्रा और ऋण									
	2016-17^	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25^^**
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	**-12.9**	**27.3**	**14.5**	**9.4**	**18.8**	**13.0**	**7.8**	**5.6**	**3.3**
संचलन में मुद्रा	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	9.8	7.8	3.9	5.8
आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	25.4	6.1	10.2	-6.5
मुद्रा - जीडीपी अनुपात[$]	8.7	10.7	11.3	12.2	14.4	13.3	12.6	11.7	11.2
संकीर्ण मुद्रा (एम$_1$)	**-3.9**	**21.8**	**13.6**	**11.2**	**16.2**	**10.7**	**6.9**	**7.3**	**7.9**
व्यापक मुद्रा (एम$_3$)	**6.9**	**9.2**	**10.5**	**8.9**	**12.2**	**8.8**	**9.0**	**11.1**	**9.6**
मुद्रा - जमा अनुपात	11.0	14.4	15.4	16.3	17.2	17.4	17.3	16.0	15.4
मुद्रा गुणांक*	6.7	5.8	5.6	5.5	5.2	5.0	5.1	5.4	5.7
जीडीपी-एम$_3$ अनुपात[$*]	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमाराशियां	11.3	6.2	10.0	7.9	11.4	8.9	9.6	12.9	10.6
बैंक ऋण	4.5	10.0	13.3	6.1	5.6	9.6	15.0	16.3	12.1
खाद्येतर ऋण	5.2	10.2	13.4	6.1	5.5	9.7	15.4	16.3	12.0
ऋण-जमा अनुपात	72.9	75.5	77.7	76.4	72.4	72.2	75.8	78.1	79.1
ऋण-जीडीपी अनुपात[$]	50.9	50.5	51.7	51.6	55.1	50.4	50.9	52.8	53.8

: 2024-25 के आंकड़े अनंतिम हैं।

... : आवास के लिए ग्रामीण सीपीआई को समेकित नहीं किया है।

^ : 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से अधिक, आरएम और उसके घटकों को छोड़कर।

^^ : आरक्षित मुद्रा के आंकड़े 28 मार्च, 2025 से संबंधित है, जबकि मुद्रा आपूर्ति से संबधित आंकड़े 21 मार्च, 2025 से संबंधित हैं।

$: 2011-12 के बाद से जीडीपी के आंकड़े नई श्रृंखला यानी आधार: 2011-12 पर आधारित हैं। जीडीपी मौजूदा बाजार कीमतों पर जीडीपी को संदर्भित करता है।

* : प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया गया।

टिप्पणी: 1. आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को दर्शाते हैं जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

2. सीपीआई (अखिल भारतीय) के लिए आधार वर्ष 2012=100 है, जबकि अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडब्ल्यू के लिए आधार वर्ष 2001=100 और सितंबर 2020 से 2016=100 है।

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजी बाजार - प्राथमिक एवं द्वितीयक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24		2024-25 (अ)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाज़ार				
ए. सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	**383**	**97,284.2**	**505**	**218,120.1**
ए) वित्तीय	61	29,133.1	81	27,351.3
बी) गैर-वित्तीय	322	68,151.1	424	190,768.8
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी)	**2**	**4,974.7**	**…**	**…**
ए) वित्तीय	2	4,974.7	…	…
बी) गैर-वित्तीय	…	…	…	…
3 कुल (1+2, i+ii)	**385**	**102,258.8**	**505**	**218,120.1**
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	340	83,092.5	464	210,189.8
जिसमें से:				
ए) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	272	67,955.3	320	172,328.1
बी) अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव	1	27.0	2	18,150.0
सी) अधिकार	67	15,110.2	142	19,711.7
(ii) कर्ज	45	19,166.3	41	7,930.3
बी. यूरो निर्गम (एडीआर एवं जीडीआर)	…	…	…	…
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	**7,300**	**771,393.0**	**7,865**	**936,710.6**
ए) वित्तीय	3,952	367,052.9	3,547	348,354.1
बी) गैर-वित्तीय	3,348	404,340.0	4,318	588,356.5
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी)	**500**	**393,035.6**	**573**	**529,155.7**
ए) वित्तीय	131	237,997.9	149	303,326.0
बी) गैर-वित्तीय	369	155,037.7	424	225,829.7
3. कुल (1+2, i+ii)	**7,800**	**1,164,428.6**	**8,438**	**1,465,866.3**
(i) इक्विटी	750	114,126.6	1079	219,681.1
जिसमें से:				
ए) अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन	61	68,971.5	91	135,597.2
बी) अधिमान्य आबंटन	689	45,155.2	988	84,083.9
(ii) कर्ज	7,050	1,050,301.9	7,359	1,246,185.2
डी. म्यूचुअल फंड संग्रहण (निवल)#				
1. निजी क्षेत्र		308,898.0		719,126.8
2. सार्वजनिक क्षेत्र		45,803.3		95,988.6
II. द्वितीयक बाज़ार				
बीएसई				
सेंसेक्स: समाप्ति-अवधि	73,651.4		77,414.9	
अवधि का औसत	66,822.7		78,211.9	
कीमत अर्जन अनुपात@	25.2		21.6	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)$	128.5		124.7	
नकदी खंड का कुल कारोबार		1,629,038.4		1,933,907.4
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		802,835,384.3		2,755,653,330.0
एनएसई				
निफ्टी 50: समाप्ति-अवधि	22,326.9		23,519.4	
अवधि का औसत	19,978.3		23,776.7	
कीमत अर्जन अनुपात@	22.9		21.4	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण (%)$	127.5		124.1	
नकदी खंड का कुल कारोबार		20,103,439.4		28,127,848.2
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		7,992,767,152.4		7,835,961,740.0

… : शून्य। अ: अनंतिम। #: निवल मोचन। @: जैसा कि अवधि के अंत में।

$: 2024-25 के लिए जीडीपी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।

टिप्पणी: कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में जोड़ा नहीं गया है।

स्रोतः सेबी, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएँ@	बकाया देयताएँ$
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.6	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	50.3	58.3
2000-01	0.9	3.9	-0.7	5.5	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.5
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.3	49.5
2018-19	0.4	2.4	-0.7	3.4	48.5	49.6
2019-20	1.6	3.3	0.3	4.6	51.3	52.5
2020-21	5.7	7.3	3.9	9.2	61.4	62.6
2021-22	3.3	4.4	1.0	6.7	58.0	58.9
2022-23	3.0	4.0	0.5	6.5	57.1	58.1
2023-24	2.0	2.5	-1.0	5.5	56.8	57.6
2024-25 (सं.अ.)#	1.3	1.8	-1.6	4.7	55.3	56.0
2025-26 (ब.अ.)	0.8	1.5	-2.1	4.4	55.5	56.0
राज्य*						
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.8	0.7	-1.1	2.6	20.8	20.8
2000-01	1.8	2.5	0.1	4.2	28.1	28.1
2009-10	1.2	0.4	-1.4	3.0	26.4	26.4
2010-11	0.4	-0.2	-1.8	2.1	24.4	24.4
2011-12	0.4	-0.3	-1.9	2.0	23.2	23.2
2012-13	0.4	-0.3	-1.8	2.0	22.6	22.6
2013-14	0.7	0.0	-1.5	2.2	22.3	22.3
2014-15	1.1	0.3	-1.2	2.6	22.0	22.0
2015-16	1.5	0.0	-1.6	3.0	23.7	23.7
2016-17	1.8	0.2	-1.4	3.5	25.1	25.1
2017-18	0.7	0.1	-1.6	2.4	25.1	25.1
2018-19	0.8	0.1	-1.6	2.4	25.3	25.3
2019-20	0.9	0.6	-1.1	2.6	26.6	26.6
2020-21	2.1	1.9	-0.1	4.1	31.0	31.0
2021-22	1.0	0.4	-1.4	2.8	29.1	29.1
2022-23	1.0	0.2	-1.5	2.7	28.2	28.2
2023-24	1.3	0.3	-1.4	3.0	…	…
2024-25 (सं.अ.)	1.8	0.6	-1.2	3.6	…	…
2025-26 (ब.अ.)	1.5	0.2	-1.5	3.3		

… : उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ : इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

$: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, वर्ष 2024-25 (सं.अ.) के लिए जीडीपी नवीनतम उपलब्ध द्वितीय अग्रिम अनुमान है। यह देखते हुए, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय संकेतक केंद्रीय बजट दस्तावेज़ों में रिपोर्ट किए गए राजकोषीय संकेतकों से कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं।

* : 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के आंकड़े 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्रमशः लेखा, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान हैं, जिन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष का सूचक है।

2. इस सारणी में प्रयुक्त जीडीपी आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं, जो कि नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं।

3. कॉलम 6 और 7 संबंधित वर्षों के मार्च अंत तक के बकाया आंकड़े हैं।

स्रोत: केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़, सरकारी कर्ज संबंधी स्थिति पत्र और लोक ऋण प्रबंधन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	**5,411**	**6,353**	**7,098**	**7,881**	**9,111**	**9,801**
1.1 विकासात्मक	3,074	3,823	4,189	4,702	5,515	5,863
1.1.1 राजस्व	2,447	3,150	3,255	3,575	3,965	4,195
1.1.2 पूंजी	588	550	862	1,042	1,454	1,527
1.1.3 ऋण	40	123	72	85	95	141
1.2 विकासेतर	2,253	2,443	2,810	3,070	3,467	3,800
1.2.1 राजस्व	2,110	2,272	2,603	2,896	3,267	3,537
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	956	1,061	1,227	1,378	1,563	1,712
1.2.2 पूंजी	141	169	176	171	196	259
1.2.3 ऋण	2	2	32	3	5	4
1.3 अन्य	83	87	99	109	129	137
2 कुल प्राप्तियाँ	**5,734**	**6,397**	**7,156**	**7,855**	**9,055**	**9,650**
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	3,852	3,688	4,824	5,448	6,379	7,210
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	3,232	3,193	4,160	4,809	5,457	6,142
2.1.1.1 पण्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	2,013	2,076	2,627	2,866	3,248	3,632
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1,216	1,115	1,531	1,940	2,204	2,506
2.1.1.3 केंद्र शासित प्रदेश (बिना विधान-मण्डल के) के कर	3	3	3	4	4	5
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	620	495	663	639	922	1,067
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	31	33	35	43	50	57
2.2 कर्जेतर पूंजी प्राप्तियाँ	110	65	44	63	87	118
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	60	17	28	16	56	45
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	51	48	16	47	31	73
3 सकल राजकोषीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1,449**	**2,600**	**2,231**	**2,370**	**2,645**	**2,473**
3ए वित्तपोषण के स्रोतः संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	1,441	2,530	2,194	2,333	2,620	2,457
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	572	890	627	688	346	…
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	190	107	351	1	-258	…
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	869	1,640	1,567	1,645	2,273	…
3ए.2 बाह्य वित्तपोषण	9	70	36	37	25	16
3बी वित्तपोषण के स्रोतः लिखत-वार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	1,441	2,530	2,194	2,333	2,620	2,457
3 बी.1.1 बाजार उधार (निवल)	971	1,696	1,213	1,651	1,963	1,984
3 बी.1.2 लघु बचत (निवल)	209	459	527	359	434	448
3 बी.1.3 राज्य भविष्य निधियाँ (निवल)	38	41	28	14	21	20
3 बी.1.4 आरक्षित निधियाँ	10	5	42	69	52	-34
3 बी.1.5 जमाराशि और अग्रिम	-14	26	42	52	36	-10
3 बी.1.6 नकदी शेष	-323	-44	-58	25	56	150
3 बी.1.7 अन्य	549	348	400	163	57	-101
3बी.2 बाह्य वित्तपोषण	9	70	36	37	25	16
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*29.3*	*30.2*	*30.0*
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*29.2*	*30.1*	*29.6*
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*20.3*	*21.2*	*22.1*
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.9*	*18.1*	*18.8*
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*8.8*	*8.8*	*7.6*

…: उपलब्ध नहीं।   सं.अ.- संशोधित अनुमान।   ब.अ.- बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं। 2024-25 (ब.अ.) के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2024-25 से है।

2. सभी राज्यों द्वारा अपना अंतिम बजट पेश करने के बाद सामान्य सरकारी राजकोषीय आंकड़ों का संशोधन किया जाएगा और उन्हें रिज़र्व बेंक द्वारा अपने वार्षिक प्रकाशन- 'राज्य वित्त : बजट अध्ययन' के माध्यम से सारणीबद्ध, समेकित और प्रसारित किया जाता है।

3. कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अ)
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ़.ओ.बी.	296,300	429,164	456,073	4,41,443	3,25,540
2 आयात, सी.आई.एफ़.	398,452	618,623	721,364	6,86,338	5,52,767
3 व्यापार संतुलन	-102,152	-189,459	-265,291	-2,44,896	-2,27,227
4 अदृश्य मदें, निवल	126,065	150,694	198,236	2,18,780	1,90,127
ए) 'गैर-कारक' सेवाएँ *जिसमें से:*	88,565	107,516	143,283	1,62,752	1,35,518
सॉफ्टवेयर सेवाएँ	89,741	109,540	131,284	1,42,074	1,18,129
बी) आय	-35,960	-37,269	-45,923	-49,757	-37,278
सी) निजी अंतरण	74,439	81,230	101,776	1,06,631	92,708
5. चालू खाता शेष	23,912	-38,766	-67,055	-26,116	-37,100
बी. पूंजी खाता					
1 विदेशी निवेश, निवल (ए+बी)	80,092	21,809	22,834	54,210	10,980
ए) प्रत्यक्ष निवेश	43,955	38,587	27,986	10,129	1,557
बी) संविभाग निवेश	36,137	-16,777	-5,152	44,081	9,423
2 बाह्य सहायता, निवल	11,167	5,366	5,521	7,460	4,187
3 वाणिज्यिक उधारियाँ, निवल	-134	8,135	-3,790	-12	7,922
4 अल्पावधि ऋण, निवल	-4,130	20,105	6,539	-833	11,086
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से :	-21,067	6,669	20,980	40,543	-817
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	7,364	3,234	8,989	14,702	13,333
6 रुपया कर्ज़ सेवाएँ	-64	-71	-68	-72	-63
7 अन्य पूंजी, निवल&	-2,143	23,794	6,928	-11,786	-10,595
8 कुल पूंजी खाता	63,721	85,807	58,943	89,509	22,701
सी. भूल-चूक	-347	459	-1,024	308	578
डी. समग्र शेष [ए (5)+ बी (8)+सी]	87,286	47,501	-9,135	63,702	-13,821
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ+जी)	-87,286	-47,501	9,135	-63,702	13,821
एफ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. आरक्षित निधियाँ और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, कमी+)	-87,286	-47,501	9,135	-63,702	13,821
***जिसमें से:* एसडीआर आबंटन**	0	-17,862	0	0	0
मेमोः जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1. व्यापार संतुलन	-3.8	-6.0	-7.9	-6.7	-7.9
2. निवल सेवाएं	3.3	3.4	4.3	4.5	4.7
3. निवल आय	-1.3	-1.2	-1.4	-1.4	-1.3
4. चालू खाता शेष	0.9	-1.2	-2.0	-0.7	-1.3
5. पूंजी खाता, निवल	2.4	2.7	1.8	2.5	0.8
6. विदेशी निवेश, निवल	3.0	0.7	0.7	1.5	0.4

अ : आंकड़े अनंतिम हैं और अप्रैल-दिसंबर 2024 से संबंधित हैं।

& : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियाँ और एफडीआई के अंतर्गत शेयरों के अग्रिम प्राप्त लंबित मामले शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये स्वर्ण तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर के कारण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों से भिन्न हैं।

स्रोत: आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी 9: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अ)
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	59.6	58.8	46.0	44.4	50.0
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	17.4	15.9	17.2	11.8	15.0
मॉरीशस	5.6	9.4	6.1	8.0	8.3
यूएस	13.8	10.5	6.0	5.0	5.5
नीदरलैंड	2.8	4.6	2.5	4.9	4.6
संयुक्त अरब अमीरात	4.2	1.0	3.4	2.9	4.4
जापान	1.9	1.5	1.8	3.2	2.5
साइप्रस	0.4	0.2	1.3	0.8	1.2
बेल्जियम	0.4	0.2	0.2	0.1	1.1
स्विट्ज़रलैंड	0.2	4.3	0.4	0.2	0.9
दक्षिण कोरिया	0.4	0.3	0.3	0.4	0.8
फ्रांस	1.3	0.3	0.4	0.4	0.8
यूके	2.0	1.6	1.7	1.2	0.8
जर्मनी	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
केमन द्वीपसमूह	2.8	3.8	0.8	0.3	0.4
लक्समबर्ग	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4
अन्य	5.4	3.7	2.9	4.3	3.0
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	9.3	16.3	11.3	9.3	12.1
वित्तीय सेवाएँ	3.5	4.7	6.8	4.4	7.8
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, संवितरण एवं संचरण	1.3	2.2	3.3	5.5	5.5
संचार सेवाएँ	2.9	6.4	4.5	3.7	5.0
फुटकर व थोक व्यापार	3.9	5.1	5.3	4.1	4.4
कम्प्यूटर सेवाएँ	23.8	9.0	5.6	4.9	4.0
कारोबार सेवाएँ	1.8	2.5	2.0	2.6	2.5
परिवहन	7.9	3.3	1.7	3.8	2.2
निर्माण	1.8	3.2	1.4	2.2	2.2
विविध सेवाएँ	0.9	1.0	1.2	1.9	1.8
रेस्तरां व होटल	0.3	0.7	0.2	0.4	1.3
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	1.3	3.6	1.9	0.6	0.7
स्थावर-संपदा गतिविधियां	0.4	0.1	0.1	0.3	0.5
खनन	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0
व्यापार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	0.2	0.4	0.5	0.7	0.1

अ: आंकड़े अनंतिम हैं।
टिप्पणी: अनुमोदन, स्वचालित और मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से आने वाली एफडीआई शामिल है।
स्रोत: आरबीआई।

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
जंग बहादुर सिंह, निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा जयंत प्रिन्टरी एलएलपी, 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर टेम्पल कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400 002 में मुद्रित।

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai
Printed and Published by Jang Bahadur Singh, Director on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400 001 and Printed at Jayant Printery LLP, 352/54, Girgaum Road, Murlidhar Temple Compound, Near Thakurdwar Post Office, Mumbai - 400 002.